पंचदश माला, खंड 27, अंक 10

शुक्रवार, 24 अगस्त, 2012
2 भाद्रपद, 1934 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

ग्यारहवां सत्र
(पंद्रहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

Gazettes & Debates Section
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc. No. 86
Dated 11 June 2015

(खंड 27 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

टी. के. विश्वानाथन
महासचिव
लोक सभा

श्री राकेश कुमार जैन
संयुक्त सचिव

सरिता नागपाल
निदेशक

पीयूष चंद्र दत्त
अपर निदेशक

अरूणा वशिष्ठ
संयुक्त निदेशक

राजीव शर्मा
सम्पादक

मनोज कुमार पंकज
सहायक सम्पादक

© 2012 लोक सभा सचिवालय

हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। इसमें सम्मिलित मूलतः अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में दिए गए भाषणों का हिन्दी अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। पूर्ण प्रामाणिक संस्करण के लिए कृपया लोक सभा वाद–विवाद का मूल संस्करण देखें।

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुनः प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण, पुनः प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक सीमित नहीं है। तथापि इस सामग्री का केवल निजी, गैर वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्यधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अन्तर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनायें सुरक्षित रहें।

विषय-सूची

[पंचदश माला, खंड 27, ग्यारहवां सत्र 2012/1934 (शक)]

अंक 10, शुक्रवार, 24 अगस्त, 2012/2 भाद्रपद, 1934 (शक)

विषय	कॉलम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 185	2-22
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 186 से 204	25-98
अतारांकित प्रश्न संख्या 2071 से 2300	99-923
सभा पटल पर रखे गए पत्र	924-925
लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति	
पांचवां और छठा प्रतिवेदन	925
ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति	
29वां और 30वां प्रतिवेदन	925-926
जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति	
विवरण	926
रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति	
(एक) 28वां प्रतिवेदन	926-927
(दो) विवरण	
सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति	
28वां प्रतिवेदन	928
सभा का कार्य	928-932
अनुबंध-I	
तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	933-932
अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	934-946
अनुबंध-II	
तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	947
अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	948-950

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्रीमती मीरा कुमार

उपाध्यक्ष

श्री कड़िया मुंडा

सभापति तालिका

श्री बसुदेव आचार्य
श्री पी.सी. चाको
श्रीमती सुमित्रा महाजन
श्री इन्दर सिंह नामधारी
श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना
श्री अर्जुन चरण सेठी
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह
डॉ. एम. तम्बिदुरई
डॉ. गिरिजा व्यास
श्री सतपाल महाराज

महासचिव

श्री टी.के विश्वानाथन

लोक सभा

शुक्रवार, 24 अगस्त, 2012/2 भाद्रपद, 1934 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदया** *पीठासीन हुईं*]

...(व्यवधान)

इस समय श्री गणेश सिंह और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए आगे आकर सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : प्रश्न संख्या 185, श्री एम. कृष्णास्वामी।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया : माननीय सदस्यगण, हाउस को चलने दीजिए, कृपया प्रश्न काल चलने दीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : कृपया शांत हो जाइए। कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : माननीय सदस्यगण, अपने अपने स्थानों पर आप सभी वापस जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : कृपया शांत रहिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप सभी माननीय सदस्यगण अपने अपने स्थानों पर वापस जाइए। कृपया बैठ जाइए। कृपया शांत हो जाइए।

...(व्यवधान)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : प्रश्न संख्या 185, श्री एम. कृष्णास्वामी।

नैदानिक परीक्षण में भाग लेने वाले व्यक्तियों के अधिकार/सुरक्षा

+

***185. श्री एम. कृष्णास्वामी :**
श्री निखिल कुमार चौधरी :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में गंभीर प्रतिकूल घटनाओं सहित नैदानिक परीक्षणों में बड़ी संख्या में व्यक्तियों की मौतों के कारणों का पता लगाने के लिए कोई वैज्ञानिक विश्लेषण कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) नैदानिक परीक्षणों में भाग लेने वाले व्यक्तियों के अधिकारों और उनकी सुरक्षा के संबंध में किए गए प्रावधानों का ब्यौरा क्या है तथा उन्हें उनके अधिकारों के प्रति जागरूक बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान अवैध और अनैतिक नैदानिक परीक्षणों के मामलों में की गई जांच का ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा दोषियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई/किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) क्या सरकार का विचार व्यक्तियों की मौतों तथा देश में इन परीक्षणों को करने की अनुमति देने में कथित अनियमितताओं के मद्देनजर नैदानिक परीक्षणों से संबंधित वर्तमान दिशा-निर्देशों,

विधिक उपबंधों, अनुमोदन प्रक्रिया और निगरानी तंत्र की समीक्षा/जांच कराने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) से (ङ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) जी, हां। विभिन्न कारणों के चलते नैदानिक परीक्षणों के दौरान मौतों की गंभीर प्रतिकूल घटनाएं हो सकती हैं। ये मौतें कैंसर, हृदयवाहिका स्थितियों जैसे संकुलित हृदयाघात/आघात व अन्य गंभीर रोगों जैसी जानलेवा रोगों की वजह हो सकती हैं। उनका कारण औषधियों का दुष्प्रभाव या गंभीर रूप से बीमार रोगियों को दी जाने वाली औषधियों अथवा उसके दुष्प्रभाव मरणासन्न भी हो सकती हैं। कारणात्मक संबंध, यदि कोई हो, जानने के लिए ऐसी मौतों की जांच पड़ताल की जाती है।

उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, विगत तीन वर्षों के दौरान अर्थात् वर्ष 2010, 2011 व जून, 2012 तक सूचित नैदानिक परीक्षणों में हुई मौतों की गंभीर प्रतिकूल घटनाओं की संख्या क्रमशः 668, 438 व 211 थी। तथापि, नैदानिक परीक्षणों के कारण मौतों की गंभीर प्रतिकूल घटनाओं की संख्या वर्ष 2010, 2011 में क्रमशः 22 और 16 थी।

नैदानिक परीक्षणों के दौरान मौतों के विश्लेषण से ज्ञात हुआ है कि ये मौतें निम्नलिखित श्रेणियों में हुई हैं:

क्र. सं.	श्रेणियां	वर्ष 2010 में मौतों की संख्या	वर्ष 2011 में मौतों की संख्या	वर्ष 2011 में मौतों की संख्या
1	2	3	4	5
1.	कैंसर रोधी	226	139	66
2.	कार्डियोवेस्कुलर	368	229	82
3.	सेरीब्रोवेसकुलर	28	11	5
4.	मधुमेह रोधी	11	31	12
5.	वायरल रोधी/ फंगल रोधी	5	12	8
6.	अन्य	30	16	38
	कुल	668	438	211

(ग) नई औषधियों के नैदानिक परीक्षण को औषध एवं सौंदर्य प्रसाधन सामग्री अधिनियम तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत विनियमित किया जाता है। नैदानिक परीक्षणों संबंधी दिशानिर्देशों और अपेक्षाओं का औषध एवं सौंदर्य प्रसाधन सामग्री नियम की अनुसूची 'वाई' में उल्लेख किया गया है। अनुसूची 'वाई' में आदेश है कि नैदानिक परीक्षण केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) द्वारा जारी उत्तम नैदानिक पद्धतियों (जीसीपी) संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार किए जाएं। अनुसूची वाई और जीसीपी दिशानिर्देशों में परीक्षणाधीन व्यक्तियों के अधिकार, सुरक्षा और तंदुरूस्ती को सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत प्रावधानों/सुरक्षा उपायों का प्रावधान है कि नैदानिक परीक्षण केवल सीडीएससीओ और संबंधित नीति समिति के अनुमोदन के पश्चात् ही शुरू किया जा सकता है। सभी परीक्षणों में, परीक्षणों में भाग लेने वाले लोगों से एक स्वेच्छा से दी गई सूचित लिखित सहमति प्राप्त करना अपेक्षित है। इस प्रक्रिया के दौरान, परीक्षणाधीन व्यक्तियों को परीक्षणों को उससे जुड़े लाभ इसमें शामिल परीक्षण, जोखिम/लाभों की जानकारी स्पष्ट की जाती है।

(घ) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान पूछताछ तथा उस पर की गई कार्रवाई के ब्यौरे संलग्न अनुबंध दिए गए हैं।

(ङ) नैदानिक परीक्षणों के लिए अनुमोदित प्रक्रियाओं, निगरानी तंत्र को मजबूत बनाने के साथ-साथ यह सुनिश्चित करने के लिए कि परीक्षणाधीन व्यक्तियों की हिफाजत, अधिकारों व कुशल-क्षेम

की सुरक्षा रखी जाती है, निम्नलिखित ठोस कदम उठाए गए हैं।

(1) देश भर में सरकारी मेडिकल कालेजों, संस्थानों अग्रणी विशेषज्ञों से मिलकर बनी नैदानिक परीक्षणों नई औषधियों के अनुमोदन से संबंधित मामलों से सीडीएससीओ को परामर्श देने के लिए 12 नई औषध परामर्श समितियां (एनडीएसी) गठित की गई हैं।

(2) जांच संबंधी नई औषधियों (आईएनडी) का अनुप्रयोग; अर्थात् ऐसे नए औषधीय पदार्थ जिनका मानवों में पहले कभी प्रयोग नहीं किया गया है, का भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के महानिदेशक की अध्यक्षता वाली आईएनडी समिति द्वारा मूल्यांकन किया जाता है।

(3) 15.6.2009 के बाद से आईसीएमआर रजिस्ट्री WWW.ctri.in पर नैदानिक परीक्षणों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है।

(4) नैदानिक परीक्षण करने के लिए प्रत्येक अनुमोदन/अनुमति में अब यह शर्त समाहित है कि अध्ययन संबंधी क्षति अथवा मृत्यु की स्थिति में आवेदक क्षति अथवा मृत्यु के लिए सम्पूर्ण चिकित्सा परिचर्या के साथ-साथ मुआवजा राशि भी उपलब्ध कराएगा और इस आशय के कथन को सूचित सहमति फार्म में भी समाविष्ट किया जाएगा।

(5) नैदानिक परीक्षण स्थलों और प्रयोजकों/नैदानिक अनुसंधान संगठनों (सीआरओ) के निरीक्षण करने के लिए दिशा-निर्देश तैयार करके सीडीएससीओ की वेबसाइट पर डाल दिए गए हैं।

(6) औषध एवं सौंदर्य प्रसाधन नियमावली, 1945 में नए नियम के समावेशन के लिए प्रारूप अधिसूचना जारी कर दी गई है जिसमें निम्नलिखित प्रावधान हैं:

i. परीक्षण संबंधी क्षति अथवा मृत्यु की स्थिति में परीक्षणाधीन व्यक्तियों को चिकित्सा उपचार और वित्तीय क्षतिपूर्ति;

ii. वित्तीय क्षतिपूर्ति के भुगतान की प्रक्रिया;

iii. जिन परीक्षणाधीन व्यक्तियों को परीक्षण के दौरान क्षति पहुंचती है अथवा जिनकी मृत्यु हो जाती है वित्तीय क्षतिपूर्ति और चिकित्सा परिचर्या उन परीक्षण व्यक्तियों को उपलब्ध कराई जाए और ऐसी सूचना औषध महानियंत्रक (भारत) (डीसीजी (आई) को उपलब्ध कराई जाए, यह सुनिश्चित करने के लिए इथिक्स समिति (ईसी), प्रायोजकों एवं अन्वेषकों के दायितव में बढ़ोत्तरी करना।

iv. परीक्षण में शामिल व्यक्ति के पते, व्यवसाय, वार्षिक आय का विवरण शामिल करने के लिए परीक्षण व्यक्तियों की सूचित सहमति प्राप्त करने के फार्मेट में संशोधन ताकि परीक्षण व्यक्तियों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त हो सके।

(7) सीडीएससीओ द्वारा नैदानिक परीक्षणों का निरीक्षण करने का प्राधिकार प्राप्त करने और अनुपालन की स्थिति में अन्वेषकों/प्रायोजकों/सीआरओ के भविष्य में नैदानिक परीक्षण करने पर प्रतिबंध लगाने संबंधी प्रशासनिक कार्रवाईयां करने के लिए नियमों समावेशन हेतु जी.एस. आर सं. 572(ई) के तहत दिनांक 17.7.2012 को प्रारूप नियम अधिसूचित कर दिए गए हैं।

(8) इथिक्स समिति की पंजीकरण अपेक्षा और दिशा-निर्देश निर्धारित करने वाली नियमावली और अनुसूची वाई-1 को समाविष्ट करने के लिए जी.एस.आर सं.573 (ई) के तहत दिनांक 17.7.2012 को प्रारूप नियम अधिसूचित कर दिए गए हैं।

अनुबंध

वर्ष 2010, 2011 और 2012 (आज तक) के दौरान नैदानिक जांचों में कथित अनियमितताओं के मामले और उन पर की गई कार्रवाई

क्र. सं.	निरीक्षण का वर्ष	फर्म का नाम	स्थल/राज्य का नाम	औषधि	की गई कार्रवाई
1	2	3	4	5	6
1.	2010	क्विन्टाइल्स - रिसर्च (भारत) प्रा.लि., बंगलौर	भोपाल मेमोरियल, अस्पताल एवं अनुसंधान केन्द्र, भोपाल, मध्य प्रदेश	टेलावेंसिन	केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन के अधिकारियों के एक दल ने 10-12 अगस्त, 2010 के दौरान भोपाल मेमोरियल, अस्पताल एवं अनुसंधान केन्द्र में की गई नैदानिक जांच का निरीक्षण किया था। यह नैदानिक जांच डीसीजी (आई) से अनुमति लेने के पश्चात की गई थी। तथापि इस निरीक्षण के निष्कर्ष में जांच में भाग लेने के लिए जांचे गए व्यक्तियों को मुआवजे का भुगतान न करना, निर्धारित समय सीमा के भीतर गंभीर प्रतिकूल स्थितियों की सूचना न देने जैसी कुछ खामियां हैं जिनके लिए प्रधान निरीक्षक एवं मैसर्स क्विनटाइल्स लिमिटेड, बंगलौर से दिनांक 28.9.2010 के पत्र के माध्यम से अपनी स्थिति का स्पष्टीकरण देने का आग्रह किया गया था। प्रधान निरीक्षक एवं मैसर्स क्विनटाइल्स लिमिटेड, बंगलौर ने अपना स्पष्टीकरण औषधि महानियंत्रक (भारत) के समक्ष प्रस्तुत किया। औषधि महानियंत्रक (भारत) ने दिनांक 23.12.2010 को प्रधान निरीक्षक एवं मैसर्स क्विनटाइल्स लिमिटेड, बंगलौर को भविष्य में ऐसी कमियां न दोहराना सुनिश्चित करने के लिए एक चेतावनी पत्र जारी किया।

1	2	3	4	5	6
2.	2010	पाथ (भा.आयु.अनु. परिषद) ए-9, कुतुब इन्स्टीटयूशनल एरिया, यू.एस.ओ. रोड, नई दिल्ली-110067, भारत	1. खम्मम जिला आन्ध्र प्रदेश 2. बडोदरा जिला, गुजरात	ह्यूमेन पेपिल्लोमर विषाणु वैक्सीन (एचपीवी वैक्सीन)	यह एक चरण-IV पोस्ट लाइसेंस योर नैदानिक परीक्षण था। इस परीक्षण को पाथ (स्वास्थ्य में उपयुक्त प्रौद्योगिकी हेतु कार्यक्रम) एक गैर सरकारी संगठन द्वारा शुरू किया गया भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) और आन्ध्र प्रदेश और गुजरात राज्य सरकारें इसके सहयोगी भागीदार थे। औषध महानियंत्रक (भारत) से उचित अनुमति प्राप्त करने के पश्चात ये नैदानिक परीक्षण किया गया। आन्ध्र प्रदेश में 14091 लड़कियों ने यह वैक्सीन प्राप्त की जबकि गुजरात में 10686 लड़कियों ने यह वैक्सीन प्राप्त की। मीडिया ने इस परीक्षण के दौरान 7 लड़कियों की मौत की सूचना दी। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने 7 अप्रैल, 2010 को इस परीक्षण को स्थगित कर दिया। भारत में पाथ द्वारा ह्यूमेन पेपिल्लोमा विषाणु वैक्सीन का उपयोग करते हुए अध्ययनों के संचालन में "कथित अनियमितताओं" की पूछताछ करने के लिए एक समिति नियुक्त की। परीक्षण के संचालन में नीतिपरक समिति का अनुमोदन, गंभीर प्रतिकूल घटनाओं और निगरानी इत्यादि। रिपोर्ट की निष्कर्ष के आधार पर दिनांक 3.7.2012 को मैसर्स पेथ को एक चेतावनी पत्र यह कहते हुए जारी किया गया है कि नैदानिक परीक्षण करते समय सतर्क रहे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भविष्य में ऐसी कमियां/उल्लंघनों की पुनरावृत्ति न हो।
3.	2010	मैसर्स मेरिल जीवन विज्ञान लिमिटेड,	मैसर्स एस्कोर्टस इन्स्टीट्यूट एवं अनुसंधान केन्द्र,	बायोमिमेसिरो लाइम्स इल्युटिंग	यह परीक्षण चिकित्सीय युक्ति जिसको पहले भारत के महाओषध नियंत्रक द्वारा भारत में निर्माण और विपणन

1	2	3	4	5	6
		वापी, गुजरात	ओखला रोड, नई दिल्ली	कोरोनरी स्टेंट प्रणाली	के लिए पहले ही अनुमोदित किया गया था। जांचों से पता चला कि यद्यपि साइट ने यह परीक्षण औषध एवं प्रसाधन सामग्री नियमों की अपेक्षाओं के अनुसार किया गया, तथापि, भारत के औषध महानियंत्रक से इस परीक्षण को करने के लिए कोई अनुमति नहीं ली गई थी। प्रायोजकों को भविष्य में भारत के औषध महानियंत्रक के अनुमोदन के बिना कोई परीक्षण शुरू न करने की चेतावनी दी गई है।
4.	2011	क्विनटाइल्स रिसर्च (इंडिया) प्रा.लिमिटेड	भोपाल स्मारक अस्पताल एवं अनुसंधान केन्द्र, भोपाल, मध्य प्रदेश	टिगेसाइक्लिन	अन्वेषक ने 06.04.2006 को भोपाल स्मारक अस्पताल एवं अनुसंधान केन्द्र (बीएमएचआरसी) भोपाल की आचार संहिता समिति का अनुमोदन प्राप्त किया। बीएमएचआरसी में नैदानिक परीक्षणों को करने में सूचित कथित अनियमितताओं को देखते हुए केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रक संगठन (सीडीएससीओ) से अधिकारियों के एक दल ने 28 फरवरी से 2 मार्च, 2011 के दौरान उक्त केन्द्र में इस परीक्षण का एक निरीक्षण किया। इस निरीक्षण के निष्कर्षों ने परीक्षण में भागीदारी के लिए परीक्षण व्यक्तियों को मुआवजे का भुगतान न करने, निर्धारित समय सीमाओं इत्यादि के भीतर गंभीर प्रतिकूल घटनाओं जिनके लिए प्रधान अन्वेषक और कंपनी को क्विन्टाइल्स लिमिटेड को नैदानिक परीक्षण करते समय सावधान रहने के लिए चेतावनी पत्र जारी किए। केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन के अधिकारियों के एक दल ने 3 और 4 मार्च, 2011 के दौरान की गई नैदानिक जांच का निरीक्षण किया था। तथापि इस निरीक्षण के निष्कर्ष कुछ कमियां दर्शाते हैं जैसे कि जांच में भाग

1	2	3	4	5	6
					लेने के लिए जांचे गए व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति का भुगतान न करना, निर्धारित समय सीमा के भीतर गंभीर प्रतिकूल स्थितियों की सूचना न देना आदि, जिनके लिए मुख्य अन्वेषक और कंपनी को दिनांक 8.12.2011 2010 के पत्र के माध्यम से अपनी स्थिति का स्पष्टीकरण देने के लिए कहा गया था। मुख्य अन्वेषक और मैसर्स सनोफी-सिंथिलैबो (इंडिया) लि., मुंबई ने दिनांक 13.1.2012 को अपना स्पष्टीकरण डीसीजी (आई के कार्यालय को पेश किया। स्पष्टीकरणों पर विचार करने के बाद औषधि महानियंत्रक (भारत) ने दिनांक 20.03.2012 को मुख्य अन्वेषक और मैसर्स सनोफी-सिंथिलैबी (इंडिया) लि., मुंबई को ऐसी कमियों को भविष्य में न दोहराना सुनिश्चित करने के लिए एक चेतावनी पत्र लिखा।
5.	2011	मैसर्स ओर्गेनन इंडिया	भोपाल स्मारक अस्पताल एवं अनुसंधान केन्द्र, भोपाल, मध्य प्रदेश	फोन्डापेरिनक्स	मैसर्स ओर्गेनुन इंडिया को दिनांक 9.7.2004 को "एस 3.3.2011 से 4.3.2011 तक यह निरीक्षण किया गया।" 3 और 4 मार्च, 2011 के दौरान उक्त केन्द्र पर इस परीक्षण का एक निरीक्षण केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) के अधिकारियों की टीम ने किया था। निरीक्षण के निष्कर्षों में कुछ कमियां जैसे भाग लेने वाले परीक्षण व्यक्तियों को मुआवजे का भुगतान न देना, निर्दिष्ट समय सीमा में गंभीर प्रतिकूल घटनाओं की सूचना न देना इत्यादि दिखाई गई हैं। डीसीजी (आई) मुख्य अन्वेषक और मैसर्स सनोफी-सिनथीलेबो (इंडिया) लिमिटेड, मुंबई को दिनांक 20.3.2012 को चेतावनी पत्र जारी किए हैं।

1	2	3	4	5	6
6.	2011	एक्सीस क्लीनिकल लिमिटेड आन्ध्र प्रदेश	एक्सीस क्लीनिकल लिमिटेड (यूनिट सं.1) पहली, दूसरी, तीसरी, पांचवीं और छठी मंजिल, मकान सं. 1-21/1, एसवाई सं.66 (पार्ट) एंड 67 (पार्ट), मियापुर, हैदराबाद 500050 एंड (यूनिट सं.2)	कैंसर रोधी औषधियों की जैव उपलब्धता और जैव समतुल्य अध्यन (एक्सीसटेन 25 एमजी टेबलेटस)	मैसर्स एक्सीस क्लीनिकल लिमिटेड, हैदराबाद के बारे में यह रिपोर्ट मिली है कि उन्होंने उचित सूचना के बिना की सहमति से गरीब लोगों पर एक कैंसर रोधी औषध का नैदानिक परीक्षण किया है। जांच में यह पता चला है कि फर्म ने पहले से ही अनुमोदित एक कैंसर रोधी औषध पर जेव समतुल्य अध्ययन किया था तथा सूचित सहमति प्रक्रिया एवं समीक्षा और आचार समिति की निर्णय लेने की प्रक्रिया से संबंधित कुछ अनियमितताएं थीं। फर्म को जेव समतुल्य और जैव उपलब्धता अध्ययन करने के लिए दी गई स्वीकृति को दिनांक 22.6.2011 को निरस्त कर दिया गया था। इसके परिणामस्वरूप, फर्म ने दिनांक 4.7.2011 को लोगों की भर्ती प्रक्रिया, सूचित सहमति प्रक्रिया व समीक्षा और आचार समिति के निर्णय लेने की प्रक्रिया के लिए संशोधित मानक प्रचालन प्रक्रियाओं सहित उनके द्वारा उठाए गए सुधारात्मक उपायों को प्रस्तत किया। किए गए और जांचों और पड़ताल के आधार पर मैसर्स एक्सीस क्लीनिक रिसर्च हैदराबाद को आचार समिति और अन्वेषकों के कार्य करने के तरीकों तथा आडियो-वीडियो माध्यमों के जरिए सूचित सहमति प्रक्रिया के डाक्यूमेंटेशन सहित सूचित सहमति प्रक्रिया के संबंध में विभिन्न शर्तों को पूरा करने की शर्त के साथ जैव-समतुल्य अध्ययन करने के लिए 6 एनओसी प्रदान की गई थी।
7.	2011	डॉ. अनिल भारानी और और डॉ. आशीष पटेल,	महाराजा यशवंत राव अस्पताल और महात्मा गांधी मेमोरियल कॉलेज, इंदौर-452001, मध्य प्रदेश	पलमनरी आरटीरियल हाईपरटेंशन में टाडालाफिल	महाराजा यशवंत राव अस्पताल और महात्मा गांधी मेमोरियल कॉलेज, इंदौर में संबंधित चिकित्सीय परीक्षण के कथित तौर पर मानदंडों का उल्लंघन के बारे में समाचार रिपोर्ट आई थी। समाचार मदों ने नैदानिक

1	2	3	4	5	6
					परीक्षण में पल्मनरी आरटीरीयल हाईपरटेंशन में टाडालाफिल औषधि के उपयोग के विशेष मुद्दे को उद्धित किया है। डीसीजी के कार्यालय ने 12.7.2011 को तथ्यों का पता लगाने हेतु जांच करने के लिए सीडी एस. सी.ओ (दक्षिण जोन) को निर्देश दिए हैं। तदनुसार, इन्दौर में एमजीएम मेडिकल कॉलेज और संबद्ध एमवाई अस्पताल में नैदानिक परीक्षण आयोजित करने के संदर्भ में 10-8-11 को राज या औषधि नियंत्रण प्राधिकार और सीडीएससीओ (दक्षिण जोन) के कार्यालय द्वारा जांच की गई थी। जांच रिपोर्ट के अनुसार, परीक्षण डीसीजी की स्वीकृति बिना रोगियों में टाडालाफिल सहित डॉ. अनिल भरानी और डॉ. आषीश पटेल द्वारा परीक्षण किया गया है। पल्मनरी आरटीरियल हाइपरटेंशन में टाडालाफिल सहित अध्ययन 18.9.05 को शुरू किया गया था जब देश में कथित संकेत के लिए औषधि को मंजूरी नहीं मिली थी। तथापि, औषधि को किसी अन्य संकेत मेल एरेक्टाईल डीसफंक्शन के लिए 10.6.2003 को देश में अनुमोदित किया गया था। उपर्युक्त के अनुसार डीसीजी द्वारा दिनांक 2.11.11 के पत्र के जरिए दोनों डाक्टरों नामत: डॉ. अनिल भारानी और डा. अशीष पटेल को पलमनरी आरटीरियल हाईपरटेंशन में डाटालाफिल की नैदानिक परीक्षण को रोकने के निर्देश दिए हैं। उन पर छ: माह की अवधि तक कोई अन्य नैदानिक परीक्षण करने पर भी प्रतिबंध लगाया गया था।
8.	2011	मैसर्स कैडिला हेल्थकेयर लिमिटेड	एमजीएम मेडिकल कालेज और अस्पताल मानसिक रोग	पाराक्सेटीन एचसीआई कंट्रल्ड	22 से 25 दिसंबर, 2011 के दौरान मानसिक रोगियों में इंदौर में नैदानिक परीक्षण के आचरण में अनियमितताओं

1	2	3	4	5	6
		अहमदाबाद, मैसर्स एमक्यूर फार्मास्यूटीकल, पुणे, मैसर्स इंटास फारमास्यूटिकल, अहमदाबाद	विभाग, मध्य प्रदेश।	रिलीज की निर्धारित खुराक संयोजित कैप्सूल और क्लोनाझेपम डेपोक्सीटाई, डोक्सीपीन	की रिपोर्ट की जांच विशेषज्ञों सहित सीडीएससी ओ द्वारा आयोजित निरीक्षण किया गया था। निरीक्षक टीम ने कुछ विसंगतियों जैसे मूल सूचित सहमति रिकार्ड/प्रपत्र मामले का गलत रखरखाव अच्छे नैदानिक प्रयासों दिशानिर्देशों और संबंधित सूची "वाई" सहित मूल स्रोत दस्तावेज से अनुलिपि डेटा में अनियमितताएं पाई गई थीं। दिनांक 4.1.2012 को फर्मों मैसर्स एमक्यूर, मैसर्स इंटास और मैसर्स कैडिला और निरीक्षकों और डा. अभय पालीवाल और डा. उज जवल सर देशाई, डा. रामगुलाम राजदान ओर डा. पाली रस्तोगी कारण बताओ नोटिस जारी किया है जिसमें कारणों को बताने और निरीक्षण टीम द्वारा बनाई गई टिप्पणियों की स्थिति को समझाने हेतु पूछा गया है। फलस्वरूप, मैसर्स काडिला हेल्थ केयर लि. अहमदाबाद, मैसर्स एमक्यूर फर्मास्यूटिकल, पुणे और मैसर्स इंटास फार्मास्यूटिकल, अहमदाबाद फर्मों और निरीक्षकों, फर्म और निरीक्षकों द्वारा प्रस्तुत की गई निरीक्षण और स्पष्टीकरण के निष्कर्षों को देखते हुए यह पाया गया है कि कुछ अनियमितताएं फर्म द्वारा प्रस्तुत निरीक्षणों के निष्कर्षों और स्पष्टीकरण और जांचों पर विचार करते हुए यह पाया गया है कि नैदानिक जांचों को करने में कुछ अनियमितताएं बरती गईं थी जो भारत में नैदानिक अनुसंधान के उत्तम नैदानिक कार्यकलाप दिशानिर्देशों के अनुरूप नहीं थी। उपर्युक्त को देखते हुए उक्त फर्मों और निरीक्षकों को नैदानिक जांच करते समय सावधानी बरतने के लिए चेतावनी पत्र जारी किए गए हैं।

1	2	3	4	5	6
9.	2012	डा. हेमंत जैन	चाचा नेहरु अस्पताल, इंदौर	बच्चों पर नैदानिक जांच	वर्ष 2006 से 2010 तक चाचा नेहरु अस्पताल, इंदौर, मध्य प्रदेश में डा. हेमंत जैन द्वारा 1883 बच्चों पर की गई नैदानिक जांचों में कथित अनियमितताओं की रिपोर्टों को देखते हुए औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियमों और अन्य निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुपालन की जांच करने के लिए उपर्युक्त स्थल पर डाक्टर हेमंत जैन द्वारा की गई नैदानिक जांचों का व्यापक निरीक्षण करने के लिए एक दल गठित किया गया था। इस दल ने 15.4.2012 से 20.4.2012 तक निरीक्षण किया। जांच रिपोर्ट के अनुसार 26 नैदानिक परीक्षणों में से 23 परीक्षणों में कुछ अनियमितताएं थी शेष 3 परीक्षणों में कोई अनियमितता नही थी। सभी 23 परीक्षणों में मुख्य निष्कर्ष यह था कि एमजीएम मेडिकल कालेज और एमवाई अस्पताल की नीतिपरक समिति का कोरम की औषधि और प्रसाधन सामग्री नियमों की अनुसूची वाई की अपेक्षा अनुसार समीक्षा की गई और परीक्षण प्रोटोकाल को अनुमोदन दिया गया क्योंकि नीतिपरक समिति की बैठकों में कोई सामान्य व्यक्ति/विधि विशेषज्ञ उपस्थित नहीं था। जांच निष्कर्षों के आधार पर संबंधित प्रायोजक/कंपनी/डा. हेमन्त जैन (पर्यवेक्षक) को दिनांक 7.8.2012 को कारण बताओ नोटिस जारी की गई है। इसके अतिरिक्त एमजीएम मेडिकल कालेज एवं एमवाई अस्पताल, इंदौर की नीतिपरक समिति के अध्यक्षकों दिनांक 7.8.2012 को जांच दल द्वारा की ।

...(*व्यवधान*)

[*हिन्दी*]

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

...(*व्यवधान*)

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[*अनुवाद*]

बिजली की मांग

*186. **डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बारहवीं पचंवर्षीय योजना के लिए व्यस्ततम और गैर-व्यस्ततम दोनों अवधियों में बिजली की राज्य-वार आवश्यकता, मांग और आपूर्ति के बारे में कोई आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और क्षमता में कितनी वृद्धि होने की संभावना है;

(ग) सरकार द्वारा इस मांग को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) बिजली की मांग को पूरा करने के लिए कितनी पूंजी निवेश की आवश्यकता होगी; और

(ङ) सरकार का विचार बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विद्युत उत्पादन का अपेक्षित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए संसाधनों का पता लगाने हेतु और क्या कदम उठाने का है?

विद्युत मंत्री तथा कार्पोरेट कार्य मंत्री (श्री एम. वीरप्पा मोइली) : (क) और (ख) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा किए गए अठारहवें इलेक्ट्रिक पावर सर्वेक्षण (ईपीएस) की रिपोर्ट के अनुसार, देश में पावर स्टेशन बस बार (यूटिलिटीज) में अधिकतम बिजली की मांग 1,99,540 मेगावाट होगी और पावर स्टेशन बस बार (यूटिलिटीज) में ऊर्जा की मांग, बारहवीं योजना के अंतिम वर्ष (2016-17) के दौरान 13,54,874 एमयू होगी। राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्र वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

बारहवीं योजना के लिए विद्युत कार्य समूह की रिपोर्ट में, व्यस्ततम तथा ही साथ गैर व्यस्ततम मांग को पूरा करने के लिए, ग्यारहवीं योजना के 62,374 मेगावाट की संभावित क्षमता अभिवृद्धि का प्रस्ताव किया है।

(ग) विद्युत एक समवर्ती विषय होने के कारण विद्युत का विकास करना केन्द्र और राज्य सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारी है। देश में बिजली की दर्शाई गई प्रक्षेपित मांग को पूरा करने के लिए संघ सरकार द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ उठाए जा रहे कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं—

- कार्यान्वयनाधीन परियोजनाओं की गहन निगरानी/बाधाओं को दूर करने के लिए कार्यान्वयनाधीन परियोजनाओं की विभिन्न स्तरों पर निगरानी की जा रही है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि परियोजनाएं समय पर शुरू की जा सकें।

- मुख्य संयंत्र उपकरणों की विनिर्माण क्षमता में वृद्धि- मांग को पूरा करने के लिए क्षमता अभिवृद्धि की अपेक्षित वृद्धि को ध्यान में रखते हुए देश में मुख्य संयंत्र उपकरणों के विनिर्माण के लिए अनेक संयुक्त उद्यमों के गठन के साथ देश में मुख्य संयंत्र उपकरणों का क्षमता निर्माण किया जा रहा है।

- राज्य सरकारों को, उनकी प्रत्याशित मांग-आपूर्ति परिदृश्य के आधार पर और उनकी आवश्यकता को पूरा करने के लिए केसा बिडिंग के माध्यम से विद्युत टाई-अप करने अथवा विद्युत संयंत्रों को स्थापित करने की सलाह दी गई है।

- अपेक्षित ईंधन उपलब्ध कराने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

(घ) और (ङ) बारहवीं योजना के लिए विद्युत कार्य समूह की रिपोर्ट के अनुसार, बारहवीं योजना के दौरान उत्पादन क्षेत्र के लिए निवेश आवश्यकता लगभग 6,38,600 करोड़ रुपए होने का अनुमान लगाया गया है। इसमें तेरहवीं योजना की परियोजनाओं के लिए अग्रिम कार्य निधियों की आवश्यकता भी शामिल है। सार्वजनिक और निजी, दोनों क्षेत्रों के विद्युत परियोजना विकासकर्त्ता, अधिकांशतः आंतरिक संसाधन जुटाकर और बाजार क्रियाविधि अर्थात् फ्रैश इक्विटी कैपिटल जारी कर तथा बाजार से उधार द्वारा अपनी विद्युत उत्पादन परियोजनाओं का वित्तपोषण करते हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

बिजली की मांग

***186. डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बारहवीं पचंवर्षीय योजना के लिए व्यस्ततम और गैर-व्यस्ततम दोनों अवधियों में बिजली की राज्य-वार आवश्यकता, मांग और आपूर्ति के बारे में कोई आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और क्षमता में कितनी वृद्धि होने की संभावना है;

(ग) सरकार द्वारा इस मांग को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) बिजली की मांग को पूरा करने के लिए कितनी पूंजी निवेश की आवश्यकता होगी; और

(ङ) सरकार का विचार बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विद्युत उत्पादन का अपेक्षित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए संसाधनों का पता लगाने हेतु और क्या कदम उठाने का है?

विद्युत मंत्री तथा कार्पोरेट कार्य मंत्री (श्री एम. वीरप्पा मोइली) : (क) और (ख) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा किए गए अठारहवें इलेक्ट्रिक पावर सर्वेक्षण (ईपीएस) की रिपोर्ट के अनुसार, देश में पावर स्टेशन बस बार (यूटिलिटीज) में अधिकतम बिजली की मांग 1,99,540 मेगावाट होगी और पावर स्टेशन बस बार (यूटिलिटीज) में ऊर्जा की मांग, बारहवीं योजना के अंतिम वर्ष (2016-17) के दौरान 13,54,874 एमयू होगी। राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्र वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

बारहवीं योजना के लिए विद्युत कार्य समूह की रिपोर्ट में, व्यस्ततम तथा ही साथ गैर व्यस्ततम मांग को पूरा करने के लिए, ग्यारहवीं योजना के 62,374 मेगावाट की संभावित क्षमता अभिवृद्धि का प्रस्ताव किया है।

(ग) विद्युत एक समवर्ती विषय होने के कारण विद्युत का विकास करना केन्द्र और राज्य सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारी है। देश में बिजली की दर्शाई गई प्रक्षेपित मांग को पूरा करने के लिए संघ सरकार द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ उठाए जा रहे कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं—

- कार्यान्वियनाधीन परियोजनाओं की गहन निगरानी/बाधाओं को दूर करने के लिए कार्यान्वियनाधीन परियोजनाओं की विभिन्न स्तरों पर निगरानी की जा रही है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि परियोजनाएं समय पर शुरू की जा सकें।

- मुख्य संयंत्र उपकरणों की विनिर्माण क्षमता में वृद्धि-मांग को पूरा करने के लिए क्षमता अभिवृद्धि की अपेक्षित वृद्धि को ध्यान में रखते हुए देश में मुख्य संयंत्र उपकरणों के विनिर्माण के लिए अनेक संयुक्त उद्यमों के गठन के साथ देश में मुख्य संयंत्र उपकरणों का क्षमता निर्माण किया जा रहा है।

- राज्य सरकारों को, उनकी प्रत्याशित मांग-आपूर्ति परिदृश्य के आधार पर और उनकी आवश्यकता को पूरा करने के लिए केसा बिडिंग के माध्यम से विद्युत टाई-अप करने अथवा विद्युत संयंत्रों को स्थापित करने की सलाह दी गई है।

- अपेक्षित ईंधन उपलब्ध कराने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

(घ) और (ङ) बारहवीं योजना के लिए विद्युत कार्य समूह की रिपोर्ट के अनुसार, बारहवीं योजना के दौरान उत्पादन क्षेत्र के लिए निवेश आवश्यकता लगभग 6,38,600 करोड़ रुपए होने का अनुमान लगाया गया है। इसमें तेरहवीं योजना की परियोजनाओं के लिए अग्रिम कार्य निधियों की आवश्यकता भी शामिल है। सार्वजनिक और निजी, दोनों क्षेत्रों के विद्युत परियोजना विकासकर्त्ता, अधिकांशतः आंतरिक संसाधन जुटाकर और बाजार क्रियाविधि अर्थात् फ्रैश इक्विटी कैपिटल जारी कर तथा बाजार से उधार द्वारा अपनी विद्युत उत्पादन परियोजनाओं का वित्तपोषण करते हैं।

विवरण

सीईए द्वारा करवाए गए 18वें विद्युत पावर सर्वे (ईपीएस) के अनुसार 12वीं योजना की समाप्ति के वर्ष (2016-17) के लिए पावर स्टेशन बस-बार (यूटिलिटि) पर व्यस्ततम विद्युत लोड एवं विद्युत ऊर्जा की मांग का अखिल भारतीय राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र वार पूर्वानुमान

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	व्यस्ततम विद्युत लोड (मे.वा.)	विद्युत ऊर्जा आवश्यकता (मि.यू.)
1	2	3
दिल्ली	6398	37529
हरियाणा	10273	56681
हिमाचल प्रदेश	1900	10901
जम्मू और कश्मीर	2687	16298
पंजाब	12342	69410
राजस्थान	13886	77907
उत्तर प्रदेश	23081	138854
उत्तराखंड	2189	12751
चंडीगढ़	426	2165
उत्तरी क्षेत्र	60934	422498
गोवा	815	4853
गुजरात	19091	108704
छत्तीसगढ़	4687	24222
मध्य प्रदेश	13904	77953
महाराष्ट्र	28645	169353
दादरा और नगर हवेली	944	6286
दमन और दीव	441	2817
पश्चिमी क्षेत्र	62015	394188
आन्ध्र प्रदेश	22445	129767
कर्नाटक	13010	78637
केरल	4669	26584
तमिलनाडु	20816	119251
पुदुचेरी	630	3586
दक्षिणी क्षेत्र	57221	357826
बिहार	5018	29447
झारखंड	4616	27691
ओडिशा	5672	35772
पश्चिम बंगाल	11793	70352
सिक्किम	144	528
पूर्वी क्षेत्र	24303	163790
असम	1817	8947
मणिपुर	346	1241
मेघालय	445	2243
नागालैंड	185	834
त्रिपुरा	340	1401
अरुणाचल प्रदेश	135	552
मिजोरम	285	936
पूर्वोत्तर क्षेत्र	2966	16154
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	67	366
लक्षद्वीप	11	52
अखिल भारत	199540	1354874

8510/2012 के निर्णय आने तक तमिलनाडु राज्य में फ्रीक्वेंसी बैंड 49.7 से 50.2 हर्ट्ज तक लागू है। अतः अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग फ्रीक्वेंसी बैंड लागू करने के तकनीकी कारणों से, अन्य राज्यों में 49.7 से 50.2 हर्ट्ज के इस संशोधित फ्रीक्वेंसी बैंड को कार्यान्वित करना संभव नहीं है और केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा मामले को उच्चतम न्यायालय में उठाया गया है।

(ख) और (ग) सीईआरसी के अनुसार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, और उत्तराखंड ग्रिड से पिछले कुछ समय से सामान्यतः अधिक बिजली ले रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप फ्रीक्वेंसी में उतार आया जो ग्रिड का प्रचालन असुरक्षित होने का एक कारक हो सकता है। 1 से 22 जुलाई 2012 की अवधि के दौरान इन राज्यों के संबंध में अधिक बिजली लिए जाने के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं—

राज्य	निर्धारित (मि.यू.)	निकासी (मि.यू.)	अति निकासी (मि.यू.)	अति निकासी (%)
पंजाब	2588.9	2696.5	107.6	4.16%
हरियाणा	1514.6	1753.7	239.1	15.79%
राजस्थान	989.0	1157.1	168.1	17.00%
उत्तर प्रदेश	2156.9	2792.3	635.4	29.45%
उत्तराखंड	207.2	261.2	54.0	26.10%

(घ) क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्रों (आरएलडीसी) ने ग्रिड अनुशासन भंग करने के लिए जिम्मेदार राज्यों के विरुद्ध सीईआरसी में विद्युत अधिनियम, 2003 की विभिन्न धाराओं/आईईजीसी, 2010 के प्रावधानों के अंतर्गत याचिकाएं दायर की हैं। सीईआरसी ने ऐसे राज्यों/निकायों/संघटकों के विरुद्ध कार्रवाई करने का आदेश दिया है तथा अनेकों मामलों में, ग्रिड अनुशासन के लिए दंड लगाए गए हैं।

[हिन्दी]

खनिज संबंधी रियायतों का उल्लंघन

***189. श्रीमती रमादेवी :**
श्री गोरख प्रसाद जायसवाल :

क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न भागों से खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 के उपबंधों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के उल्लंघन के बारे में पता चला है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा उन पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या ऐसे मामलों में दोषी कंपनियों ने सरकार के साथ कोई समझौते किए हैं और यदि हां, तो ऐसी कंपनियों के नाम क्या हैं जिनके साथ गत तीन वर्षों के दौरान समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) और (ख) जी, हां। खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 में शक्तियों के वर्णन के आधार पर यह उल्लेख किया जाता है कि भारतीय खान ब्यूरो के पास, खनिज संरक्षण एवं विकास नियम, 1988 (एमसीडीआर) के माध्यम से खनन पट्टा क्षेत्र में प्रमुख खनिजों (ईंधन, कोयला और आणविक खनिजों को छोड़कर) के लिए खनन कार्यकलापों को विनियमित करने की शक्तियां हैं, और संबंधित राज्य सरकार के पास उक्त अधिनियम

की धारा 23ग के तहत बनाए गए नियमों द्वारा प्रमुख खनिजों के अवैध खनन के कार्यकलापों को नियंत्रित करने और अधिनियम की धारा 15 के तहत बनाए गए नियमों के संबंध में गौण खनिजों के खनन को विनियमित करने की भी शक्तियां हैं।

तदनुसार, शक्तियों के वर्णन और उपलब्ध सूचना के अनुसार विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष में एमसीडीआर के उल्लंघनों और आईबीएम द्वारा की गई कार्रवाई का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है, और विगत तीन वर्षों में खनिजों के अवैध खनन के मामलों और राज्य सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है। तथापि, अवैध खनन में लिप्त कंपनियों और व्यक्तियों के नामों का ब्यौरा केंद्रीय स्तर पर नहीं रखा जाता है।

(ग) और (घ) केंद्र सरकार दोषी कंपनियों के साथ कोई करार नहीं करती है। राज्य सरकारें अवैध खनन को नियंत्रित करने के लिए उत्तरदायी हैं। तथापि, केंद्र सरकार ने देश में अवैध खनन को नियंत्रित करने और जांच करने हेतु निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-

(i) खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, (एमएमडीआर) की धारा 23ग के तहत राज्य सरकारों को अवैध खनन के नियंत्रण के लिए नियम बनाने के लिए कहा गया है (अब तक अठारह राज्यों ने नियम बनाए हैं)।

(ii) अवैध खनन को नियंत्रित करने के लिए वर्ष 2005 से राज्य और जिला स्तर पर कार्यबल गठित किए जाने के लिए राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया। (अब तक 21 राज्यों ने कार्य बल गठित कर दिए गए हैं)

(iii) राज्य सरकारों को रेल, सीमा-शुल्क और पत्तन प्राधिकारियों के प्रतिनिधियों को शामिल करके अवैध खनन को नियंत्रित करने के प्रयासों का समन्वय करने के लिए राज्य समन्वय-सह-अधिकार-प्राप्त समिति (एससीईसी) गठित करने की सलाह दी गई है। (13 राज्यों ने ऐसी समितियां गठित कर ली हैं)

(iv) सभी राज्य सरकारों को सुदूर संवेदन के उपयोग, यातायात पर नियंत्रण, बाजार आसूचना एकत्र करने, अंत्य-उपयोकर्ताओं के पंजीकरण और विशेष प्रकोष्ठ गठित करने आदि सहित अवैध खनन का पता लगाने और नियंत्रित करने के विशिष्ट उपायों के साथ कार्रवाई योजना अपनाने की सलाह दी गई है।

(v) खान मंत्रालय ने अवैध खनन पर राज्य सरकारों द्वारा की गई कार्रवाई की विशेष रूप से समीक्षा के लिए अब तक राज्य सरकारों के साथ दिनांक 3.8.2009, 27.11.2009, 22.02.2010, 16.4.2010 और 21.9.2010 को पांच बैठकें कीं। इस आवधिक समीक्षा पर केंद्रीय समन्वयन-सह-अधिकार प्राप्त समिति की बैठकों में सहमति दी गई है।

(vi) सचिव (खान) की अध्यक्षता में दिनांक 4.3.2009 को गठित केंद्रीय समन्वय न सह अधिकार प्राप्त समिति ने 24.7.2009, 22.12.2009, 18.6.2010, 22.12.2010, 3.5.2011, 20.9.2011, 16.1.2012, 27.3.2012 और 28.6.2012 को नौ बैठकें की हैं ताकि अवैध खनन नियंत्रित करने के लिए कार्यकलापों के समन्वयन समन्वयन से संबंधित मामलों सहित सभी खनन संबंधी मुद्दों पर विचार किया जा सके।

(vii) रेलवे ने बाड़ लगाने और रेलवे साइडिंगों पर चेक पोस्ट बनाने के उपाय के साथ-साथ एक प्रणाली शुरू की है जिसमें केवल रेकवाइज जारी और राज्य सरकार द्वारा सत्यापित परमिटों पर लौह अयस्क के परिवहन की अनुमति होगी।

(viii) सीमा-शुल्क विभाग ने अपने सभी फील्ड यूनिटों को अयस्क निर्यात संबंधी सूचना राज्य सरकार के साथ बांटने के निर्देश जारी किए हैं।

(ix)) जहाजरानी मंत्रालय ने सभी बड़े पत्तनों को निदेश जारी किए हैं कि सड़क और रेल द्वारा पत्तनों में निर्यात के लिए माल के आवागमन हेतु सत्यापन प्रक्रिया को दुरुस्त बनाए।

(x) सरकार ने खनिज संरक्षण और विकास नियम, 1988 के नियम 45 में संशोधन 9.2.2011 को अधिसूचित किया है, जिसमें सभी खनिकों, व्यापारियों, स्टाकिस्टों, निर्यातकों और अंत्य-उपयोगकर्त्ताओं के लिए भातरीय खान ब्यूरो में पंजीकरण करवाना तथा खनिजों के सर्वांगीण उचित लेखांकन के लिए खनिजों के लेन-देन

के बारे में मासिक आधार पर सूचित करना अनिवार्य कर दिया गया है। 11.6.2012 की स्थिति के अनुसार देश में 9409 खनन पट्टों में से 8027 खनन पट्टे आईबीएम में ऑनलाइन पंजीकृत किए गए हैं। आईबीएम ने अनुपालन न करने के लिए 1587 खानें निलंबित की हैं और 4 मामलों में अभियोग की कार्रवाई शुरू की है तथा 21 मामलों में निरस्त करने की राज्य सरकार को सिफारिश की है। आईबीएम ने राज्य सरकारों से यह भी अनुरोध किया है कि गैर-पंजीकृत आपरेटरों को खनिजों के लाने-ले जाने के लिए ट्रांजिट पास जारी न किए जाएं।

(xi) भारतीय खान ब्यूरो ने सेटेलाइट चित्रों के जरिए स्थानिक क्षेत्रों में खानों के निरीक्षण के लिए एक विशेष कार्यबल का गठन किया है। विशेष टास्क फोर्स ने कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, झारखंड और गुजरात राज्यों में कुल 454 खानों में निरीक्षण किए हैं और खनिज संरक्षण एवं विकास नियम, 1988 के नियम 13(2) के अधीन गंभीर उल्लंघनों के कारण 155 खानों को निलंबित किया है। इसके अतिरिक्त आईबीएम ने 8 खनन पट्टों को निरस्त करने के लिए राज्य सरकार से सिफारिश की है।

(xii) खनन योजना के ऑनलाइन अनुमोदन तथा अनुमोदित खनन योजनाओं को पब्लिक डोमेन में रखने के संबंध में उल्लेखनीय है कि मंत्रालय "खनन टेनामेंट प्रणाली" (एमटीएस) तैयार कर रहा है ताकि खनिज रियायत तंत्र से संबंधित विभिन्न प्रक्रिया स्वचालित हों, जिसमें उपर्युक्तानुसार सूचना को प्रदर्शित करने की व्यवस्था भी हो।

(xii) केंद्र सरकार ने दिनांक 22.11.2010 की गजट अधिसूचना के तहत लौह अयस्क और मैगनीज के अवैध खनन के लिए श्री जस्टिस एम.बी. शाह जांच आयोग गठित किया गया है। जांच आयोग ने अपनी पहली अंतरिम रिपोर्ट 14.07.2011 को प्रस्तुत की जिसे लोक सभा में कृत कार्रवाई ज्ञापन सहित प्रस्तुत किया गया। सरकार द्वारा जांच आयोग का कार्यकाल 16 जुलाई, 2013 तक बढ़ा दिया गया है। जांच आयोग ने अब तक आंध्र प्रदेश, गोवा, झारखंड, कर्नाटक और ओडिशा राज्यों का दौरा किया।

विवरण-I

खनिज संबंधी रियायतों के उल्लंघनों और आई.बी.एम. द्वारा की गई कार्राई का ब्यौरा

वर्ष	लक्ष्य	निरीक्षित खानों की संख्या	ऐसी खानों की संख्या जिसमें उल्लंघन का उल्लेख किया गया	उल्लंघनों की संख्या	सुधारे गए उल्लंघन की संख्या	जारी किए गए कारण बताओ नोटिस	कारण बताओ नोटिस जारी होने के पश्चात सुधारे गए उल्लंघनों की संख्या	शुरू किए गए अभियोजन मामलों की संख्या	ऐसे मामलों की संख्या जहां खनन प्रचालन निलंबित किए गए
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2008-09	2500	2645	1031	1963	8.8	276	270	56	0
2009-10	2500	2371	797	1896	790	404	276	42	74
2010-11	2000	2177	685	1245	356	168	219	18	89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2011-12	2500	2563	1722	4013	1273	856	651	10	415
2012-13 (जुलाई तक)	2500	696	255	715	313	106	119	4	143

विवरण-II

क्रम सं.	राज्य	अवैध खनन के मामलों और की गई कार्रवाई का राज्यवार ब्यौरा				मार्च, 2012 तक की गई कार्रवाई			
		2009	2010	2011	2012 (मार्च तक)	जब्त वाहन	दर्ज एफआईआर	दायर कोर्ट मामले	जुर्माना वसूली (लाख रु. में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	11591	17882	13949	5964	844	18	519	12361.08
2.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	3	0	0	0	0.05
3.	छत्तीसगढ़	1078	2017	1841	1105	2262	0	8502	1336.539
4.	गोवा	9	13	1	0	459	0	0	18.628
5.	गुजरात	5416	2184	2389	1096	2780	247	20	11707.89
6.	हरियाणा	1372	3446	2022	0	103	467	21	907.767
7.	हिमाचल प्रदेश	1114	1213	1289	0	0	700	1306	1684.55
8.	झारखंड	15	411	594	216	136	285	30	48.843
9.	कर्नाटक	1687	4949	4870	1821	77553	949	630	8397.407
10.	केरल	1321	2028	1948	1227	0	0	0	1142.201
11.	मध्य प्रदेश	3868	4245	5299	1848	0	2741	25610	6558.837
12.	महाराष्ट्र	8270	26563	28829	11813	91331	13	1	10465.37
13.	मिजोरम	0	0	1	1	0	0	0	0
14.	ओडिशा	758	420	309	0	1823	39	36	5720.71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15.	पंजाब	73	754	194	120	61	67	09	386.266
16.	राजस्थान	4711	1833	821	380	224	1250	48	1455.736
17.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	तमिलनाडु	215	277	99	24	36814	1421	617	11603.37
19.	उत्तराखंड	0	0	0	0	683	0	0	38.5
20.	उत्तर प्रदेश	0	4641	4708	0	0	0	0	1674.82
21.	पश्चिम बंगाल	80	239	174	25713	3911	1479	430	0
	कुल	41578	73115	69337	25713	220085	9676	37770	75508.56

स्रोत : भारतीय खान ब्यूरो, भारत सरकार।

[अनुवाद]

बधिरता के मामले

*190. **श्री पी. कुमार :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार बधिरों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान बधिरता की समस्या से निपटने के लिए राज्यों को राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितनी वित्तीय और तकनीकी सहायता दी गई है;

(ग) सरकार द्वारा बधिरता की रोकथाम करने और आरंभिक चरण में इसके उपचार के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या सरकार का विचार बधिरों को किफायती दर पर 'कॉक्लियर' उपकरण (इंप्लांट), जो अनेक बधिर लोगों की सुनने की क्षमता बना सकता है, प्रदान करके उनकी मदद करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) के 58वें राउंड (2002) के अनुसार भारत में प्रति लाख जनसंख्या में लगभग 291 व्यक्ति बधिर थे। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) राष्ट्रीय बधिरता निवारण और नियंत्रण कार्यक्रम (एनपीपीसीडी) के तहत उपलब्ध कराई गई तकनीकी सहायता से मास्टर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण और चिकित्सा/स्वास्थ्य परिचर्या सेवा प्रदाताओं के छः स्तरीय प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण मोडयूल बनाना शामिल है यथा:

- जिला स्तरीय ईएनटी सर्जन और ऑडियोलोजिस्टस
- जिला स्तरीय बाल रोग विशेषज्ञ और स्त्री रोग विशेषज्ञ
- सीएचसी और पीएचसी के चिकित्सा अधिकारी
- बाल विकास परियोजना अधिकारी (सीडीपीओ, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पर्यवेक्षक (एडब्ल्यूडब्ल्यू), बहु-उद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता (एमपीएचडब्ल्यू) पर्यवेक्षक और जन स्वास्थ्य नर्स
- आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा
- प्राथमिक शिक्षक

इसके अतिरिक्त, राज्यों और जिलों में कार्यक्रम के कार्यान्वयन में सहायातर्थ मानकीकृत व्याख्यान और प्रचालनात्मक दिशा-निर्देश तैयार करके राज्यों को भेजे जाते हैं।

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उपलब्ध कराई वित्तीय सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) राष्ट्रीयता बधिरता निवारण और नियंत्रण कार्यक्रम (एनपीपीसीडी) 10 राज्यों और 1 संघ राज्य क्षेत्र के 25 जिलों में प्रायोगिक आधार पर जनवरी, 2007 में शुरू किया गया था। अब यह कार्यक्रम 31 मार्च, 2012 तक 16 राज्यों और 3 संघ राज्य क्षेत्रों के 184 जिलों को कवर करता है। कार्यक्रम को 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक सारे देश में लागू करने का विचार है। कार्यक्रम का उद्देश्य कारणात्मक कारकों का पता लगाने के माध्यम से श्रवण-शक्ति ह्रास का पता लगाना और बधिरता की शुरूआत को रोकने के लिए जीवन के आरंभिक चरणों में ही उनका प्रभावी समाधान करना है। इसमें पुनर्वास और जागरूकता पैदा करने संबंधी सेवाओं समेत जिला अस्पतालों के माध्यम से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों से मेडिकल कालेजों तक सभी स्तरों पर कर्ण परिचर्या सेवाओं को मजबूत बनाना शामिल हैं।

(घ) और (ङ) विकलांगता मामलों के विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ डिसएबिलिटी एफेयर्स), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से प्राप्त सूचना के अनुसार "एड्स/एप्लांयसिस (एडीआईपी) की खरीद/फिटिंग हेतु विकलांग व्यक्तियों को सहायता" योजना के तहत कोचलियर इम्लांट्स की आपूर्ति का कोई प्रावधान नहीं है। तथापि, उस विभाग का श्रवण बधिर व्यक्तियों की वहनीय कोचलियर इम्प्लांटों से सहायता करने का प्रस्ताव है।

विवरण-I

मूक बधिर/श्रवण बधिर व्यक्तियों की संख्या

प्रत्येक राज्य/संघ शासिक क्षेत्र (एनएसएसओ, 2002) के लिए प्रति 100000 व्यक्तियों पर श्रवण बधिर व्यक्तियों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण एवं शहरी
1	2	3	4	5
1.	जम्मू और कश्मीर	235	176	223
2.	हिमाचल प्रदेश	664	240	622
3.	पंजाब	238	144	208
4.	चंडीगढ़	92	66	69
5.	उत्तराखंड	344	80	21
6.	हरियाणा	233	209	227
7.	दिल्ली	64	31	40
8.	राजस्थान	192	152	182
9.	उत्तर प्रदेश	264	185	248

1	2	3	4	5
10.	बिहार	191	173	189
11.	सिक्किम	981	156	894
12.	अरुणाचल प्रदेश	584	6	503
13.	नागालैंड	190	130	171
14.	मणिपुर	218	190	211
15.	मिज़ोरम	227	155	197
16.	त्रिपुरा	105	178	113
17.	मेघालय	323	104	294
18.	असम	166	195	168
19.	पश्चिम बंगाल	314	396	335
20.	झारखंड	205	132	191
21.	ओडिशा	603	431	582
22.	छत्तीसगढ़	424	340	410
23.	मध्य प्रदेश	203	178	196
24.	गुजरात	335	237	298
25.	दमन और दीव	180	152	169
26.	दादरा और नगर हवेली	104	91	102
27.	महाराष्ट्र	380	254	332
28.	आन्ध्र प्रदेश	377	222	333
29.	कर्नाटक	324	156	273
30.	गोवा	445	198	376
31.	लक्षद्वीप	377	759	588
32.	केरल	467	405	453
33.	तमिलनाडु	449	391	428

1	2	3	4	5
34.	पुदुचेरी	553	907	769
35.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	457	143	372
	भारत	310	236	291

विवरण-II

राष्ट्रीय श्रवण-बधिरता निवारण और नियंत्रण कार्यक्रम (एनपीपीसीडी) के तहत पिछले 3 वर्षों में राज्यों को जारी की गई निधियों का ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	जारी निधियां (लाख रुपए में) वर्ष			कुल जारी निधियां (लाख रुपए में)
		2009-10	2010-11	2011-12	
1	2	3	4	5	6
1.	असम	33.40	33.40	108.68	175.48
2.	सिक्किम	शून्य	शून्य	शून्य	0
3.	चंडीगढ़	शून्य	शून्य	शून्य	0
4.	दिल्ली	23.8	शून्य	शून्य	23.8
5.	आन्ध्र प्रदेश	132.00	शून्य	शून्य	132
6.	कर्नाटक	84.30	77.15	276.12	437.57
7.	गुजरात	शून्य	238.65	शून्य	238.65
8.	तमिलनाडु	117.1	19.80	408.62	545.52
9.	उत्तराखंड	20.55	शून्य	शून्य	20.55
10.	उत्तर प्रदेश	37.65	शून्य	शून्य	37.65
11.	मणिपुर	19.20	शून्य	शून्य	19.2
12.	मध्य प्रदेश	34.00	शून्य	शून्य	34
13.	जम्मू और कश्मीर	शून्य	65.70	शून्य	65.7
14.	हिमाचल प्रदेश	शून्य	141.90	शून्य	141.9
15.	महाराष्ट्र	शून्य	106.40	356.25	462.65

1	2	3	4	5	6
16.	पुदुचेरी	शून्य	23.60	17.94	41.54
17.	नागालैंड	शून्य	111.50	शून्य	111.5
18.	मेघालय	शून्य	31.55	शून्य	31.55
19.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	शून्य	30.25	45.74	75.99
	कुल	502	879.9	1213.4	2595.3

2012-13

चालू वित्तीय वर्ष में, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अब तक कोई निधियां जारी नहीं की गई है।

नागर विमानन महानिदेशालय में अनियमितताएं

***191. श्री रुद्रमाधव राय :**
श्री चंद्रकांत खैरे :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान नागर विमानन महानिदेशालय के कतिपय अधिकारियों की कथित अनियमितताओं, कदाचारों, भ्रष्टाचार आदि में संलिप्तता की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय सतर्कता आयोग और नागर विमानन महानिदेशालय के पूर्व महानिदेशक ने ऐसे कदाचारों में लिप्त अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए भी कहा था; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है तथा नागर विमानन महानिदेशालय में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) से (घ) महानिदेशक, नागर विमानन (डीजीसीए) ने 02 मामले वर्ष 2009 में, 13 मामले वर्ष 2011 में तथा 05 मामले चालू वर्ष में अग्रेषित किए थे जिनमें कथित अनियमितताओं के लिए नागर विमानन महानिदेशालय के अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक/आपराधिक कार्रवाई प्रस्तावित की गई थी। इन मामलों की जांच केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के परामर्श से मंत्रालय में की गई है और सभी मामलों में अनुशासनिक कार्रवाई पहले ही आरंभ की जा चुकी है। इस संबंध में ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

अनियमितताओं के मामले और अनुशासनिक कार्रवाई का ब्यौरा

क्र.सं.	नाम तथा पदनाम	विषय	संस्तुत अनुशासनिक कार्रवाई	सीवीसी की सलाह की तिथि
1	2	3	4	5
1.	श्री नरेन्द्र सिंह, सहायक	ड्यूटी से अप्राधिकृत रूप से अनुपस्थिति हेतु।	छोटी शास्ति लगाई गई	समूह ख अधिकारी होने के कारण लागू नहीं

1	2	3	4	5
2.	श्री विप्लय दत्ता, नियंत्रक नियंत्रक, उड़न योग्यता	सां.आ. 726 के तहत वायुयान नियम, 1937 में शक्तियों के प्रत्यायोजन संबंधी अनुदेशों का कथित उल्लंघन करना और एनएसओपी धारक को अनुमोदन प्रदान करते समय अपने अधिकार क्षेत्र से हटकर शक्तियों का प्रयोग किया।	बड़ी शास्ति की कार्यवाहियां	सलाह पर 27.01.2012 को कार्यवाही आरंभ की गई।
वर्ष 2010 अनुशासनिक मामलों की सूची : शून्य				
वर्ष 2011 अनुशासनिक मामलों की सूची : 13 मामले				
1.	श्री प्रदीप कुमार, सहायक निदेशक	दिल्ली पुलिस (अपराध शाखा) ने जाली डीजीसीए परीक्षा परिणाम पत्र पर पायलट लाइसेंस अनुमोदन के मामले में एक मामला दर्ज किया है।	दिल्ली पुलिस में मामला दर्ज किया है।	—
2.	श्री एम.जे. भट्टाचार्य, उच्च श्रेणी लिपिक	दिल्ली पुलिस (अपराध शाखा) ने जाली डीजीसीए परीक्षा परिणाम पत्र पर पायलट लाइसेंस अनुमोदन के मामले में एक मामला दर्ज किया है।	दिल्ली पुलिस में मामला दर्ज किया है।	—
3.	मो. कासिम अंसारी, ड्राफ्ट्समेन	दिल्ली पुलिस (अपराध शाखा) ने जाली डीजीसीए परीक्षा परिणाम पत्र पर पायलट लाइसेंस अनुमोदन के मामले में एक मामला दर्ज किया है।	दिल्ली पुलिस में मामला दर्ज किया है।	—
4.	श्री राजे भटनागर, उप निदेशक	मौद्रिक लाभों के लिए सरकारी पद के के कथित दुरूपयोग की शिकायत प्राप्त हुई। सीबीआई ने एक निजी कंपनी के साथ वाणिज्यिक लेनदेन करने के लिए श्री राजे भटनागर के विरुद्ध एक नियमित मामला दर्ज किया है और यह मामला सीबीआई के पास लंबित है।	सीबीआई ने मामला दर्ज किया है।	—
		सीसीएस (आचरण) नियम, 1964 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्रवाई भी आरंभ की गई है।	बड़ी शास्ति की कार्यवाही	28.05.2012 को सीवीसी की सलाह मांगी गई।

1	2	3	4	5
5.	कैप्टन बी.एस. नेहरा, कनिष्ठ पायलट	सरकार की पूर्व अनुमति के बिना एयरलाइन उद्योग में परिवार के सदस्य को रोजगार की अनुमति देना।	बड़ी शास्ति की कार्यवाहियां	सलाह पर 13.07.2012 को कार्यवाही आरंभ की गई।
6.	श्री चरण दास, संयुक्त महानिदेशक	सरकार की पूर्व अनुमति के बिना एयरलाइन उद्योग में परिवार के सदस्य को रोजगार की अनुमति देना।	बड़ी शास्ति की कार्यवाहियां	सलाह पर 16.07.2012 को कार्यवाही आरंभ की गई।
7.	श्री वी.पी. मैसी, निदेशक	सरकार की पूर्व अनुमति के बिना एयरलाइन उद्योग में परिवार के सदस्य को रोजगार की अनुमति देना।	बड़ी शास्ति की कार्यवाहियां	सलाह पर 07.06.2012 को कार्यवाही आरंभ की गई।
8.	श्री एम.एम. कौशल, सहायक निदेशक	सरकार की पूर्व अनुमति के बिना एयरलाइन उद्योग में परिवार के सदस्य को रोजगार की अनुमति देना।	बड़ी शास्ति की कार्यवाहियां	सलाह पर 13.07.2012 को कार्यवाही आरंभ की गई।
9.	श्री आर.एस. पासी, निदेशक और श्री ए.के. भारद्वाज निदेशक	सरकार की पूर्व अनुमति के बिना एयरलाइन उद्योग में परिवार के सदस्य को रोजगार की अनुमति देना।	बड़ी शास्ति की कार्यवाहियां	सलाह पर 30.07.2012 को कार्यवाही आरंभ की गई
		उड़ान घंटों का समुचित सत्यापन किए बिना लाइसेंस प्राप्त करने के लिए नागर विमानन महानिदेशालय के अधिकारी की बेटी की सहायता करना।	छोटी शास्ति की कार्यवाहियां	
10.	श्री राजीव गौड, सहायक निदेशक	सरकार की पूर्व अनुमति के बिना एयरलाइन उद्योग में परिवार के सदस्य को रोजगार की अनुमति देना।	बड़ी शास्ति की कार्यवाहियां	सलाह पर 16.07.2012 को कार्यवाही आरंभ की गई।
11.	श्री ए.के. शरण, संयुक्त महानिदेशक और	मैसर्स टच वुड फ्लाइंग एकेडमी के साथ अनुचित पक्षपात करना।	बड़ी शास्ति की कार्यवाहियां	09.08.2012 को सीवीसी की सलाह मांगी गई।
	श्री आर.के. खन्ना, उप महानिदेशक	विशेष परीक्षा में बैठने के लिए उम्मीदवार को अनुमति प्रदान करने हेतु उपर्युक्त मामले में सह आरोपी।	छोटी शास्ति की कार्यवाहियां	
12.	श्री आर.के. यादव, सहायक निदेशक	सरकार की पूर्व अनुमति के बिना एयरलाइन उद्योग में परिवार के सदस्य को रोजगार की अनुमति देना।	बड़ी शास्ति की कार्यवाहियां	सलाह पर 13.07.2012 को कार्यवाही आरंभ की गई।

1	2	3	4	5
13.	श्री आर.के. खन्ना, उप महानिदेशक	सरकार से एचआरए का गलत तरीके से दावा करना। उपयुक्त मामले में	बड़ी शास्ति की कार्यवाहियां	सलाह पर 21.06.2012 को कार्यवाही आरंभ की गई।
	श्री सुदीप्त दत्ता, निदेशक	लाइसेंस फीस की कटौती के लिए कार्रवाई न करना।	छोटी शास्ति की कार्यवाहियां	
वर्ष 2012		**अनुशासनिक मामलों की सूची : 5 मामले**		
1.	श्री टी.के. गोपीनाथ, निजी सचिव	अपनी पत्नी के लिए मुफ्त टिकट प्राप्त करने के लिए एआईसी 2/1978 का उल्लंघन करना।	बड़ी शास्ति की कार्यवाहियां	सलाह पर 10.04.2012 को कार्यवाही आरंभ की गई।
	श्री ए.के. शरण, संयुक्त महानिदेशक	सत्यापन के बिना एआईसी जारी करना	छोटी शास्ति की कार्यवाहियां	
	श्री बीर सिंह राय, उप महानिदेशक	सत्यापन के बिना एआईसी जारी करना	छोटी शास्ति की कार्यवाहियां	
2.	श्री ए.के. शरण, संयुक्त महानिदेशक	उन उड़ान स्कूलों/संस्थाओं/क्लबों की सूची तैयार करने में गलती करना, जो शुल्क लगाने के लिए रियायती दर प्राप्त करने के लिए पात्र थे।	बड़ी शास्ति की कार्यवाहियां	27.01.2012 **को** सीवीसी ने इस **मंत्रालय** को अधिकारियों **के** विरुद्ध कार्यवाही करने की सलाह दी है। नागर विमानन मंत्रालय ने आगे और जांच करने के लिए सीवीसी से अनुरोध किया है।
	श्री प्रवीण कुमार, अनुभाग अधिकारी (अब नागर विमानन मंत्रालय में तैनात)	उन उड़ान स्कूलों/संस्थाओं/क्लबों की सूची तैयार करने में गलती करना, जो शुल्क लगाने के लिए रियायती दर प्राप्त करने के लिए पात्र थे।	बड़ी शास्ति की कार्यवाहियां	
	श्री डी.एस. सादा, सहायक (अब अनुभाग अधिकारी)	उन उड़ान स्कूलों/संस्थाओं/क्लबों की सूची तैयार करने में गलती करना, जो शुल्क लगाने के लिए रियायती दर प्राप्त करने के लिए पात्र थे।	बड़ी शास्ति की कार्यवाहियां	
3.	श्री सी.पी.एम.पी. राजू निदेशक	अपने परिवार के सदस्य के साथ अपनी निजी यात्रा के लिए मुफ्त टिकट प्राप्त करने हेतु एआईसी 2/1978 का उल्लंघन करना। उन्होंने निजी एयरलाइन द्वारा उपलब्ध कराए गए मोबाइल फोन का भी प्रयोग किया।	बड़ी शास्ति की कार्यवाहियां	सलाह पर 12.04.2012 को कार्यवाही आरंभ की गई।

1	2	3	4	5
4.	श्री जेम्स जॉर्ज, सहायक निदेशक	सरकार की पूर्व अनुमति के बिना एयरलाइन उद्योग में परिवार के सदस्य को रोजगार की अनुमति देना।	बड़ी शास्ति की कार्यवाहियां	सलाह पर 16.07.2012 को कार्यवाही आरंभ की गई।
5.	श्री जे.एस. रावत, संयुक्त महानिदेशक तथा	वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस के लिए आवेदन की कथित गलत प्रक्रिया	बड़ी शास्ति की कार्यवाहियां	स्पष्टीकरण के लिए इस मामले को डीजीसीए वापस भेजा गया।
	श्री डी.सी. शर्मा, निदेशक	वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस के लिए आवेदन की कथित गलत प्रक्रिया	बड़ी शास्ति की कार्यवाहियां	

[हिन्दी]

स्वास्थ्य क्षेत्र पर व्यय

*192. **श्री दिनेश चंद्र यादव :**
श्री विष्णु पद राय :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान निजी और सरकारी क्षेत्र द्वारा स्वास्थ्य वर्ष-वार प्रति व्यक्ति कितना व्यय किया गया है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान सरकारी क्षेत्र की तुलना में निजी क्षेत्र द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र पर सकल घरेलू उत्पाद का अनुमानतः कितने प्रतिशत व्यय किया गया है;

(ग) क्या स्वास्थ्य व्यय संबंधी उक्त असंतुलन के परिणामस्वरूप इस क्षेत्र का व्यवसायीकरण हुआ है;

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) सरकार द्वारा वर्तमान परिदृश्य विशेषकर ग्रामीण और गैर महानगरों में आम आदमी की पहुंच तक चिकित्सा उपचार उपलब्ध कराने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) आर्थिक सर्वेक्षण 2011-12 (केंद्र और राज्यों का संयुक्त रूप में) के अनुमानों के आधार पर स्वास्थ्य पर आंका गया योजना (केंद्र प्रायोजित योजनाओं सहित) और योजनोत्तर के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रति व्यक्ति सार्वजनिक सरकारी व्यय इस प्रकार है :

2009-10	-	759.00 रुपये
2010-11	-	882.00 रुपये
2011-12	-	954.00 रुपये

देश में निजी स्वास्थ्य व्यय को केंद्रीय स्तर पर नहीं रखा जाता है।

(ख) 2011-12 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2009-10, 2010-11 और 2011-12 के दौरान सरकार द्वारा स्वास्थ्य पर किया गया व्यय केंद्र और राज्य सरकार संयुक्त रूप में सकल घरेलू उत्पाद का क्रमशः 1.36, 1.35 और 1.30 प्रतिशत रहा जिसमें चिकित्सा और जन स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, जल आपूर्ति और सफाई व्यय भी शामिल हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रकाशित वर्ल्ड हेल्थ स्टेटिक्स 2012 के अनुसार भारत के लिए स्वास्थ्य पर निजी व्यय जीडीपी 2.93 प्रतिशत के हिसाब से 2009 में 2.93 प्रतिशत अनुमानित है।

(ग) से (ङ) भारत में स्वास्थ्य परिचर्या के क्षेत्र में सरकारी और नि जी दोनों क्षेत्र आते हैं। जहां निजी क्षेत्रों का लक्ष्य साधारणतः लाभ कमाना रहता है, वहीं भारत में जन स्वास्थ्य प्रणाली की अंतर्निहित भावना विशेष रूप से ग्रामीण आबादी को सुलभ,

सुगम और जवाबदेह स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान करने की रही है। आर्थिक सर्वेक्षण 2011-12 के अनुसार, केंद्र और राज्यों द्वारा स्वास्थ्य पर संयुक्त खर्च जो 2009-10 में 880.50 करोड़ रुपये था जो बढ़कर 2011-12 (बीई) में 115,426 करोड़ रुपये हो गया। स्वास्थ्य पर सरकारी परिव्यय में अन्य बातों के अलावा समग्र संसाधन उपलब्धता, प्रतिस्पर्धी क्षेत्रीय प्राथमिकताएं और व्यवस्था की अवशोषी क्षमता शामिल है।

स्वास्थ्य राज्य का विषय है जिसमें राज्य अपनी जनसंख्या को स्वास्थ्य परिचर्या उपलब्ध कराने के लिए उत्तरदायी हैं। तथापि, राज्य सरकारों के हाथ मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के तहत उन्हें केंद्र द्वारा धन उपलब्ध कराया जाता है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) फ्लेगशिप कार्यक्रम है जिसे ग्रामीण क्षेत्रों में हाशिए पर रह रहे और रोगग्रस्त होने का ज्यादा खतरा झेल रहे ऐसे लोगों पर विशेष ध्यान देते हुए उन्हें सुगम जिसका उद्देश्य वहनीय और जवाबदेह स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान करने के लिए 2005 में शुरू किया गया था आधारभूत जिसका उद्देश्य आधारभूत अवसंरचना और मानव संसाधनों के सुदृढ़ीकरण समेत स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत बनाना है।

मिशन की शुरुआत से लेकर राज्य/संघ क्षेत्रों को (जुलाई, 2012 तक) 71086.23 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता प्रदान की गई है। भारी अंतराल को पाटने के लिए एनआरएचएम के तहत राज्यों में लगभग 1.50 लाख मानव स्वास्थ्य संसाधन जोड़े गए हैं जिनमें 8230 एलोपैथिक डॉक्टर, 3083 विशेषज्ञ, 10439 आयुष डॉक्टर, 66552 एएनएम, 32915 स्टाफ नर्स और 14913 पैरामेडिकल स्टाफ शामिल हैं। कार्यक्रम के तहत निवारक और सकारात्मक परिचर्या सुलभ कराने और समुदाय और स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों के बीच कड़ी के रूप में कार्य करने के लिए 8.66 लाख से भी अधिक "आशा" कर्मियों को लगाया गया है। मार्च, 2012 की स्थिति के अनुसार स्वास्थ्य सुविधाओं के नवीनीकरण हेतु स्वीकृत 19586 निर्माण कार्यों के अतिरिक्त 20634 नए निर्माण कार्यों को स्वीकृत दी गई है।

[अनुवाद]

वेलीयाथन समिति की रिपोर्ट का कार्यान्वयन

***193. डॉ. एम. तम्बिदुरई :**

श्री हंसराज गं. अहीर :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के कार्यकरण के बारे में वेलीयाथन समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों को कार्यान्वित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा इन सिफारिशों का कार्यान्वयन कब तक किए जाने की संभावना है;

(घ) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में वरिष्ठ डाक्टरों/डॉक्टरों के रिक्त पदों की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ङ) क्या सरकार ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में संकाय के रिक्त पदों को भरने के लिए कोई कार्रवाई शुरू की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस संबंध में आगे क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ग) वेलीयाथन समिति की सिफारिशें को निम्नलिखित दो भागों में बांटा गया है;

i. भाग "क"- सिफारिशें जिनमें अवसंरचनात्मक बदलावों की आवश्यकता नहीं है (31 सिफारिशें)

ii. भाग "ख"- सिफारिशें जिनमें एम्स अधिनियम, नियमों एवं विनियमों में संशोधन करके अवसंरचनात्मक बदलावों की आवश्यकता नहीं है (7 सिफारिशें)

भाग "क" के तहत इन 31 सिफारिशों की वर्तमान स्थिति इस प्रकार है:—

क्र. सं.	सिफारिशों की स्थिति	सिफारिशें की संख्या
1	2	3
1.	स्वीकृत एवं कार्यान्वित	16

1	2	3
2.	सैद्धान्तिक रूप से कार्यान्वयन के लिए स्वीकृत	10
3.	दीर्घावधि भविष्य	03
4.	निरस्त	02

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग संबंधी संसदीय स्थाई समिति ने एम्स के कार्यकरण की जांच करने के लिए एक उप-समिति नियुक्त की है जो वेलीयाथन समिति की सिफारिशों को कवर करती है। एम्स के संस्थानीय निकाय ने दिनांक 16.1.2012 की अपनी बैठक में उप-समिति की सिफारिशों के पश्चात् एक समुचित दृष्टिकोण अपनाने का निर्णय लिया था।

(घ) इस समय संकाय के 298 पद रिक्त हैं।

(ङ) हाल ही में सहायक प्रोफेसर के 96 पदों पर भर्ती की गई है। हाल ही में सृजित सहायक प्रोफेसरों के 178 पदों की भर्ती के लिए अभी विज्ञापन नहीं दिया गया है।

अस्पतालों में दलालों की समस्या

*194. **श्री एस.एस. रामासुब्बू :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में, विशेषकर दिल्ली में विभिन्न सरकारी अस्पतालों में दलालों की बढ़ती हुई समस्या पर ध्यान दिया है जो निर्धन रोगियों से धोखाधड़ी कर रहे हैं तथा उनकी मेहनत की कमाई ठग रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान संपूर्ण देश में विभिन्न सरकारी अस्पतालों में पता चले ऐसे मामलों का राज्य-वार और अस्पताल-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं और इसके अब तक क्या परिणाम रहे?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद): (क) से (ग) चूंकि स्वास्थ्य राज्य का विषय है, अत: केन्द्रीय स्तर पर ऐसी कोई सूचना नहीं रखी जाती है। लोगों को स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है।

तथापि, 'अस्पतालों पर दलालों का शिकंजा' शीर्षक नामक एक न्यूज रिपोर्ट इस मंत्रालय की जानकारी में आई हैं जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह बताया गया है कि पूर्वी दिल्ली के अस्पतालों में दलाल सक्रिय हैं। इस मामले को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के ध्यान में लाया गया है।

जहां तक केन्द्र सरकार के तीन अस्पतालों अर्थात सफदरजंग अस्पताल, डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल तथा लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज एवं इसके संबद्ध अस्पतालों का संबंध है, इनमें से ऐसे किसी मामले की जानकारी नहीं मिली है। तथापि, उपर्युक्त अस्पतालों के प्राधिकारियों ने विभिन्न सुरक्षात्मक उपाय किए हैं जिनमें ओपीडी और पंजीकरण क्षेत्र सहित सीसीटीवी कैमरों की सहायता से निरंतर निगरानी करना; सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में चौबीस घंटे सुरक्षा गार्डों की तैनाती करना, लोगों को दलालों, अनजान व्यक्तियों से सतर्क रहने के बारे में अस्पताल में महत्वपूर्ण स्थानों पर पोस्टर लगाना शामिल हैं।

खनन परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों को शेयर देना

*195. **श्री बिभू प्रसाद तराई :** क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खनन परियोजनाओं से विस्थापित/प्रभावित लोगों को खनन परियोजनाओं के शेयर आबंटित करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों से सुझाव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) से (ग) राष्ट्रीय खनिज नीति, 2008 के अनुसार खनन परियोजनाओं में स्टेकहोल्डर हित के माडल विकसित करके और स्टेकडोल्डर परामर्श द्वारा जनजातीय आबादी के हितों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखने का प्रावधान है। सरकार ने खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) विधेयक (एमएमडीआर विधेयक), 2011 लोक सभा में दिनांक 12.12.2011 को प्रस्तुत किया है जिसमें स्थानीय आबादी

के साथ लाभ साझेदारी के प्रावधान का प्रस्ताव किया है, जो खनन संबंधी गतिविधियों से प्रभावित परिवारों को और खनन संबंधी प्रचालनों से प्रभावित क्षेत्रों में स्थानीय अवसंरचनाओं के सृजन, प्रबंधन एवं रखरखाव के लिए आर्थिक लाभ प्रदान करने में सहायक होगा। मसौदा में निम्नलिखित प्रावधान है:

क. सभी गवेषण गतिविधियों के लिए गवेषण वाले क्षेत्र में व्यावसायिक अथवा भोगधिकार अथवा पारंपरिक अधिकार रखने वाले व्यक्ति अथवा परिवार को उचित मुआवजे का भुगतान किया जाएगा।

ख. सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों एवं निजी क्षेत्र कंपनी सहित सभी खनन पट्टाधारक जिला स्तर पर बनाए गए जिला खनिज फाउंडेशन को वार्षिक आधार पर भुगतान करेंगे।

i. प्रमुख खनिजों (कोयला को छोड़कर) के मामले मे रॉयल्टी के समतुल्य राशि।

ii. कोयला खनिजों के मामले में लाभ के 26 प्रतिशत के समतुल्य राशि एवं

iii. लघु खनिजों के मामले में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित राशि।

ग. जिला खनिज फाउंडेशन को दी गई राशि का कुछ हिस्सा खनन संबंधी प्रचालनों से प्रभावित व्यक्तियों को आवृति भुगतान करने के लिए प्रयोग में लाया जाएगा।

घ. सभी खनन कंपनियां, खनन से प्रभावित परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को समतुल्य आधार पर कम से कम एक शेयर प्रदान करेंगें, जिससे उनमें उद्यम में स्वामित्व की भावना आ सके।

ङ. सभी खनन कंपनियां, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना नीति के तहत यथा निर्धारित रोजगार या अन्य मुआवजा प्रदान करेंगे।

कुपोषण

***196. श्री पी.सी. गद्दीगौदर :**
श्री एम.के. राघवन :

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा **करेंगे कि :**

(क) क्या सरकार का विचार कुपोषण की समस्या से प्रभावी तरीके से निपटने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या समेकित बाल विकास सेवा योजना को सुदृढ़ करने के लिए विश्व बैंक से सहायता प्राप्त 'आईसीडीएस प्रणाली सुदृढ़ीकरण और पोषण सुधार परियोजना' से कुपोषण को समाप्त करने में कोई सहायता मिली है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान उक्त प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि प्रदान और उपयोग की गई है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ) : (क) और (ख) सरकार ने कुपोषण के मुद्दे को उच्च प्राथमिकता दी है पोषण संबंधी चुनौतियों का समाधान करने का दृष्टिकोण द्विआयामी है। सभी क्षेत्रों की स्कीमों/कार्यक्रमों में पोषण पर लक्षित कुपोषण के कारकों पर त्वरित कार्रवाई हेतु बहु-क्षेत्रीय दृष्टिकोण। दूसरा तरीका प्रत्यक्ष और विशिष्ट उपाय हैं, जो असुरक्षित समूहों के लिए लक्षित है, जैसा 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे, किशोरियां, गर्भवती और धात्री माताएं।

सरकार, राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों के माध्यम से विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की अनेक स्कीमों/कार्यक्रमों का क्रियान्वयन कर रही है। इन स्कीमों/कार्यक्रमों में समेकित बाल विकास सेवा, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, मध्याह्न भोजन स्कीम, राजीव गांधी किशोरी सशक्तीकरण स्कीम अर्थात सबला, इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना प्रत्यक्ष लक्षित उपायों के रूप में शामिल हैं। इसके अलावा, अप्रत्यक्ष बहु-क्षेत्रीय उपायों में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, संपूर्ण स्वच्छता अभियान, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम आदि शामिल हैं। इन सभी स्कीमों में पोषण की एक या अनेक पहलुओं का समाधान करने की क्षमता है।

11वीं पंचवर्षीय योजना के तुरंत पहले या इसके दौरान आईसीडीएस सहित अनेक मौजूदा स्कीमों/कार्यक्रमों का विस्तार/सर्वव्यापीकरण किया गया है। गर्भवती और धात्री माताओं तथा तीन वर्ष से कम आयु के बच्चों पर विशेष ध्यान देते हुए

आईसीडीएस को सुदृढ़ और पुनर्गठित करने और कुपोषण के विरुद्ध कारगर सूचना, शिक्षा और संचार अभियान चलाने का सरकार ने हाल ही में निर्णय लिया है।

(ग) और (घ) विश्व बैंक से सहायता प्राप्त "आईसीडीएस का सुदृढ़ीकरण और पोषण सुधार परियोजना" को अभी तक सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित नहीं किया है और इसलिए इस अवस्था में निधि उपयोग और कुपोषण पर इसके प्रभाव का प्रश्न नहीं उठता है।

[हिन्दी]

सीजीएचएस औषधालय और पैनलबद्ध अस्पताल

***197. श्रीमती जयश्रीबेन पटेल :**
डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितने अस्पताल और औषधालय कार्य कर रहे हैं और कितने औषधालय स्वयं के भवनों में चल रहे हैं एवं कितने औषधालय स्वयं के भवनों में चल रहे हैं एवं कितने औषधालय किराए के भवनों में चल रहे हैं;

(ख) क्या देश में सरकारी कर्मचारियों की संख्या को देखते हुए सीजीएचएस अस्पतालों और औषधालयों की संख्या पर्याप्त है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार सीजीएचएस पैनल वाले अस्पतालों की संख्या में वृद्धि करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार का विचार और अधिक सरकारी कर्मचारियों को कवर करने के लिए देश के विभिन्न भागों में सीजीएचएस के नए औषधालय खोलने का है और यिद हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है एवं यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) सरकार निविदा प्रक्रिया तथा सतत सूचीबद्धता योजना की प्रक्रिया के जरिए सीजीएचएस के तहत निजी अस्पतालों को समय-समय पर सूचीबद्ध करती है। ऐसी अंतिम सूचीबद्धता प्रक्रिया जुलाई, 2011 को पूरी की गई।

(घ) देश भर में अनेक स्थानों में सीजीएचएस औषधालय खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है। छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार, सरकार के पास केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों तथा पेंशनरों के लिए अखिल भारतीय आधार पर एक स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, गोवा तथा पुदुच्चेरी और इंदौर राज्यों की राजधानियों, प्रत्येक में एक सीजीएचएस आरोग्य केंद्र खोलने के प्रस्ताव पर विचार किया गया है।

विवरण

परिसरों के ब्यौरे सहित सीजीएमएस औषधालयों एवं प्रयोगशालाओं की राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या

राज्य	नगर	सीजीएचएस अस्पताल	आरोग्य केंद्र	पाली क्लीनिक	प्रयोगशालाएं	निम्नलिखित में संचालित सीजीएचएस औषधालय		
						किराए के परिसरों में	स्वयं के भवन में	सरकारी भवन में
1	2	3	4	5	6	7	8	9
दिल्ली	दिल्ली एवं एनसीआर	4	88	3	34	15	44	29

1	2	3	4	5	6	7	8	9
आंध्र प्रदेश	हैदराबाद		13	2	2	8	1	5
असम	गुवाहाटी		3	0	0	3	0	0
बिहार	पटना		5	1	1	4	0	1
गुजरात	अहमदाबाद		6	1	1	2	0	4
कर्नाटक	बंगलुरु		10	1	3	7	0	4
जम्मू और कश्मीर	जम्मू		1	0	0	0	0	1
झारखंड	रांची		2	0	1	1	0	1
केरल	तिरुवनन्तपुरम		3	0	0	3	0	0
मध्य प्रदेश	भोपाल		1	0	0	0	0	1
	जबलपुर		3	0	1	1	0	2
महाराष्ट्र	मुंबई		27	2	4	8	3	16
	नागपुर		11	1	1	6	2	2
	पुणे		7	1	2	1	1	5
मेघालय	शिलांग		1	0	0	1	0	0
ओडिशा	भुवनेश्वर		2	0	1	0	0	2
राजस्थान	जयपुर		5	1	4	3	2	2
तमिलनाडु	चेन्नई		14	2	4	6	0	8
उत्तराखंड	देहरादून		1	0	0	1	0	0
उत्तर प्रदेश	इलाहाबाद		7	1	1	7	1	0
	कानपुर		9	0	3	6	2	1
	लखनऊ		6	1	3	7	0	0
	मेरठ		6	6	2	3	2	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
पश्चिम बंगाल	कोलकाता		18	1	5	6	1	12
चंडीगढ़ (यूटी)	चंडीगढ़		1	0	0	0	0	1
कुल		4	250	18	73	99	58	98

औषधीय और सुगंधित पौधे

*198. श्री राकेश सिंह :
श्री प्रेमदास :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अष्ठवर्ग जड़ी-बूटी सहित अनेक औषधीय और सुगंधित पौधे या तो लुप्त हो चुके हैं या लुप्त होने के कगार पर हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और देश में लुप्तप्राय औषधीय और सुगंधित पौधों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश में इन औषधीय और सुगंधित पौधों के संरक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके अंतर्गत क्या कार्य-कलाप किए गए हैं;

(ङ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान औषधीय और सुगंधित पौधों के संरक्षण के लिए राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितनी वित्तीय तथा तकनीकी सहायता प्रदान की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) अष्टवर्ग सहित औषधीय और सुगंधित पादपों को जोखिम के संबंध में कोई निश्चित आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। जैव-विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 38 के अंतर्गत, पर्यावरण और वन मंत्रालय संबंधित राज्य सरकार से परामर्श करके ऐसी किसी भी पादप प्रजाति को जोखिमग्रस्त प्रजाति अधिसूचित करता है, जो लुप्त होने के कगार पर है अथवा जिसके निकट भविष्य में लुप्त होने की संभावना है और किसी भी प्रयोजनार्थ ऐसी पादप प्रजातियों के संग्रहण पर पाबंदी लगाता है अथवा उसके संग्रहण को नियंत्रित करता है और ऐसी पादप प्रजातियों के पुनर्स्थापन अथवा परिरक्षण के लिए यथोचित कदम उठाता है। इस अधिनियम के उक्त उपबंध के अंतर्गत, पर्यावरण और वन मंत्रालय ने अभी तक केवल बिहार, गोवा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, ओडिशा, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों में ऐसे पापदों को अधिसूचित किया है, जो लुप्त होने के कगार पर हैं। इन पादपों में औषधीय और सुगंधित पादप भी शामिल हैं। तथापि, अष्टवर्ग की किसी भी पादप प्रजाति के बारे में उक्त किसी भी राज्य से इनके लुप्त होने अथवा लुप्त होने के कगार पर होने संबंधी सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण के अनुसार, पादपों और पशुओं के अन्य समूहों की भांति औषधीय एवं सुगंधित पादप अधिकांशतः प्राकृतिक-वास के कम होने और विभिन्न मानव प्रजातीय कारकों के कारण जोखिमग्रस्त हैं। जोखिमग्रस्त औषधीय और सुगंधित पादप निम्नलिखित हैं :

एकोनिटम बेलफॉरी, ए चेसमेंथम, ए. डिनोराईजम, ए. फालकोनेरी वर लेटिलोबम, ए. फेरॉक्स, ए. हेट्रोफायलम, एकोरस ग्रेमिनस, एल्लियम स्ट्रेची, अमाइरिस बालसामाइफेरा, एंजेलिका गलाऊका, एनोजिसस सेरेसिया वर. न्युमूलेरिया, एक्विलेरिया मेलेसेंसिस, एक्विलेरिया खसियाना, अरिस्टोलोचिया ब्रेक्टियोलेटा, ए. इंडिका, अर्नेबिया बेंथामी, एट्रोपा एकुमिनेटा, बरबेरिस एफिनिस, बी. एपीकुलेटा, बी. अरिसटाटा, बर्जेनिया स्ट्रेची, बोरानिया मैग्सटिगमा, कैप्परिस पेचिफाईला, केरम विल्लोसम, सेड्रस डियोडारा, कोलचिकम ल्यूटियम, कॉपटिस टीटा, कोसीनियम फेनेस्ट्रेटम, डेक्टिलोरिजा हेटाजीरिया, डायसकोरिया डेलटोडिया, एलायोकॉर्पस प्रूनिफोलियस, इफेड्रा जेरार्डियाना, फेरूला

गोमोसा, गोलथेरिया फ्रेग्रेंटीसीमा, जेंटियाना कुरूआ, ग्लोरिओसा सुपर्बा, हेडिचियम कोरोनेरियम, हेडिचियम स्पीकेटम, हायोसाईमस निगर, हार्डडनोकॉर्पस मेक्रोकार्पा, इनुला रेसमोसा, इफिजेनिया इंडिका, आई. पेल्लिडा, आई. स्टेल्लाटा, जुरीनिया डोलोमिया, कोलैंको रोसियस, मधुका इंसाईनिस, माइरिस्टिका फ्रेगरेंस, मायरोलाइलॉन बलसमम वर. पेरिरई, नार्डोस्टेची ग्रेडिफ्लोरा, ओरिगेनम वल्गेरी, पेनेक्स स्यूडोजिंगसेंग, पिकोरिजा कुरूआ, पोडोफाईलम हेक्सांड्रम, पोगोस्टेमॉन बलीन, टेरोकॉर्पस सेंटालिनस, राउवॉल्फिया सर्पेटिना, रियूम इमोडी, सेंटेलम एल्बम, सतुरेजा होरेंसिस, साउसुरिया ब्रेक्टियाटा, एस. कोसटस, एस. ग्नेफलोडिस, स्वर्शिया चिरायता, टेक्सस वेल्लिचियाना, टेक्सोकॉर्पस कुर्जी, अर्जिनिया इंडिका और अर्जिनिया मेरिटीमा एवं वाइटेक्स पेडुन्कुलेरिस।

(ग) से (ङ) जी, हां। आयुष विभाग में राष्ट्रीय औषधीय पाद बोर्ड (एनएमपीबी) 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वर्ष 2008-09 से "औषधीय पादपों का संरक्षण, विकास एवं धारणीय प्रबंधन" नामक एक केंद्रीय क्षेत्रक स्कीम चला रहा है। इस स्कीम का उद्देश्य सर्वेक्षण, माल सूचीकरण, स्व-स्थाने/बाह्य-स्थाने संरक्षण, संयुक्त वन प्रबंधन समितियों (जेएफएमसी) के साथ संबंधन, अनुसंधान और विकास, गुणवत्ता मानकों का निर्धारण और प्रमाणन, क्षमता निर्माण, संवर्धनात्मक क्रियाकलापों आदि हेतु सहायता प्रदान करना है। इस स्कीम के अंतर्गत औषधीय पादपों के संरक्षण हेतु वन क्षेत्रों में संसाधन संवर्धन सहित स्व-स्थाने/बाह्य-स्थाने संरक्षण के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की गई है। इस स्कीम के अंतर्गत विभिन्न राज्यों में हर्बल उद्यानों, स्कूल हर्बल उद्यानों, घरेलू हर्बल उद्यानों, औषधीय पाद संरक्षण क्षेत्रों की स्थापना की गई है और वन क्षेत्रों में दुर्लभ, संकटापन्न और जोखिमग्रस्त पादप प्रजातियों का रोपण कार्य शुरू किया गया है।

इस स्कीम के अंतर्गत औषधीय पादपों के संरक्षण हेतु विभिन्न राज्यों को वर्ष 2009-10 में 1512.36 लाख रुपये, वर्ष 2010-11 में 3092.30 लाख रुपये वर्ष 2011-12 में 3896.56 लाख रुपए और वर्तमान वर्ष (31.7.2012 तक) के दौरान 418.69 लाख रुपये की वित्तीय सहायता निर्मुक्त की गई। इस स्कीम के अंतर्गत औषधीय पादपों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड द्वारा निर्मुक्त निधियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार और वर्ष-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

गत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान वन क्षेत्रों में संसाधन संवर्धन सहित औषधीय पादप संरक्षण क्षेत्र (एमपीसीए), बाह्य-स्थाने संरक्षण, हर्बल उद्यान, घरेलू और स्कूल हर्बल उद्यान तथा औषधीय पादपों के स्व-स्थाने संरक्षण हेतु प्रदत्त राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र वार वित्तीय सहायता

(रु. लाखों में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13 (31.07.2012 तक)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	3.00	0.00	133.69	
2.	अरुणाचल प्रदेश	51.92	0.00	0.00	
3.	असम	320.00	3.00	0.00	
4.	बिहार	0.00	0.00	111.00	
5.	छत्तीसगढ़	3.93	5.40	89.31	

1	2	3	4	5	6
6.	गोवा	0.00	5.00	0.00	
7.	गुजरात	363.64	799.39	88.00	250.19
8.	हरियाणा	6.00	150.00	0.00	
9.	हिमाचल प्रदेश	32.00	485.00	293.99	
10.	जम्मू और कश्मीर	366.50	30.71	0.00	13.50
11.	झारखंड	10.50	30.00	99.67	9.06
12.	कर्नाटक	21.47	5.00	7.00	
13.	केरल	29.84	170.40	442.25	
14.	मध्य प्रदेश	0.00	262.30	769.99	
15.	महाराष्ट्र	103.00	19.00	473.92	131.99
16.	मणिपुर	0.00	4.00	8.00	
17.	मिजोरम	111.00	0.00	0.00	
18.	नागालैंड	17.00	205.88	139.92	
19.	ओडिशा	5.00	0.00	166.62	
20.	राजस्थान	5.00	515.95	407.71	
21.	सिक्किम	0.00	0.00	317.17	4.00
22.	तमिलनाडु	2.00	122.27	0.00	
23.	त्रिपुरा	0.00	0.00	51.50	
24.	उत्तर प्रदेश	51.54	11.00	138.00	
25.	उत्तराखंड	5.00	268.00	158.82	
26.	पश्चिम बंगाल	4.00	40.00	0.00	9.95
	कुल	1512.36	3092.30	3896.56	418.69

नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन

*199. श्री भूपेन्द्र सिंह :
श्री रवनीत सिंह :

क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वर्ष-वार, स्रोत-वार एवं राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन क्षमता में कितनी वृद्धि हुई है तथा इस संबंध में क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था और कुल ऊर्जा खपत में इसका हिस्सा कितना रहा तथा बारहवीं पंचवर्षीय योजना में यह कितना रहने का प्रस्ताव है;

(ख) राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के विकास/प्रोत्साहन के लिए प्राप्त हुए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है तथा गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इसके अंतर्गत राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितनी धनराशि आवंटित/जारी की गई है और कितनी धनराशि का उपयोग किया गया है;

(ग) सरकार द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा धनराशि के ईष्टतम उपयोग पर नजर रखने के लिए क्या निगरानी तंत्र मौजूद है; और

(घ) विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन को प्रोत्साहन देने तथा विभिन्न राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में इसकी पूर्ण क्षमता के उपयोग के लिए प्रौद्योगिकीय सहायता सहित सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (डॉ. फारूख अब्दुल्ला): (क) देश में 11वीं योजना अवधि के दौरान 12,230 मेगावाट के योजना लक्ष्य की तुलना में 14,661 मेगावाट अक्षय विद्युत उत्पादन क्षमता जोड़ी गई है। इसमें 10260 मेगावाट पवन विद्युत, 1419 मेगावाट लघु पनबिजली, 1996 मेगावाट बायोमास विद्युत, 46 मेगावाट अपशिष्ट से विद्युत और 940 मेगावाट सौर विद्युत शामिल हैं। क्षमता-वर्धन हेतु राज्य/संघराज्य क्षेत्र-वार लक्ष्य राज्य/संघराज्य क्षेत्र निर्धारित नहीं किए जाते हैं। 11वीं योजना अवधि के दौरान वास्तविक क्षमता-वर्धन और कुल विद्युत खपत में इसके अनुमानित योगदान का वर्ष-वार, स्रोत-वार और राज्य/संघराज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विभिन्न अक्षय ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन हेतु 29800 मेगावाट क्षमता-वर्धन, जिसमें पवन विद्युत से 15000 मेगावाट, लघु पनबिजली से 2100 मेगावाट, सौर विद्युत से 10,000 मेगावाट, बायोमास विद्युत तथा सह-उत्पादन से 2,000 मेगावाट और शहरी एवं औद्योगिक अपशिष्ट से विद्युत से 700 मेगावाट क्षमता-वर्धन शामिल है, का लक्ष्य परिकल्पित किया गया है और इसे योजना आयोग को प्रस्तुत मंत्रालय के योजना प्रस्तावों में शामिल किया गया है। इसका कोई वर्ष-वार ब्यौरा तैयार नहीं किया गया है। कुल विद्युत खपत में इसके योगदान हेतु भी विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है क्योंकि विद्युत एक समवर्ती विषय है और विद्युत अधिनियम 2003 तथा इसके बाद राष्ट्रीय शुल्क-दर नीति 2006 के अंतर्गत दिए गए दिशा-निर्देशों द्वारा एसईआरसी के लिए प्रत्येक वितरण लाइसेंसधारक के क्षेत्र में अक्षय ऊर्जा संसाधनों की उपलब्धता और खुदरा शुल्क-दरों के प्रभाव को ध्यान में रख कर अक्षय विद्युत की खरीद (अक्षय खरीद दायित्व) के लिए न्यूनतम प्रतिशतता निर्धारित करना अनिवार्य कर दिया गया है।

(ख) ग्रिड-इंटरएक्टिव अक्षय विद्युत परियोजनाओं के साथ-साथ ऑफ-ग्रिड, विकेंद्रित अक्षय ऊर्जा प्रणालियों के संवर्धन हेतु मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों के अंतर्गत विभिन्न श्रेणियों के लक्ष्य-उपयोगकर्ताओं एवं लाभार्थियों (सरकारी निकायों/निजी विकासकर्ता/उद्योग/एनजीओ/व्यक्तियों) के लिए पात्र केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) मंजूर करने हेतु राज्य सरकारों और संघराज्य क्षेत्रों के प्रशासनों से प्रस्ताव प्राप्त होते हैं। ऐसे प्रस्तावा नियमित आधार पर प्राप्त होते हैं और जिन्हें दिशा-निर्देशों के अनुसार सभी दृष्टि से पूर्ण पाया जता है, को संबंधित योजनाओं/कार्यक्रमों के प्रावधानों के अनुसार मंजूरी तथा पात्र? केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) के वितरण हेतु निधियों की उपलब्धता के अध्यधीन अनुमोदित किया जाता है।

(ग) निधियों का उपयोग एक निरंतर प्रक्रिया है। अधिकांश योजनाओं में पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने के लिए परियोजना

विकासकर्ताओं को परियोजनाओं के पूर्ण होने के बाद ही निधियां जारी की जाती हैं। विकासकर्ताओं को कुछ निधियां राज्य नोडल एजेंसियों (एनएनए) राज्य विभागों से किस्तों में जारी की जाती हैं जो परियोजनाओं की प्रगति से जुड़ी होती हैं और शेष धनराशि को पूर्व में जारी की गई किस्तों का उपयोग कर लेने के बाद जारी किया जाता है। विद्युत उत्पादन के कार्यक्रमों सहित विभिन्न अक्षय ऊर्जा कार्यक्रमों के अंतर्गत पिछले 3 वर्षों के दौरान (दिनांक 31.03.2012 तक) राज्य स्तर पर विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों को जारी की गई धनराशि और उनके संबंध में प्राप्त उपयोग प्रमाण-पत्रों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

निधियों का समुचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय द्वारा आवधिक रूप से वास्तविक एवं वित्तीय प्रगति रिपोर्टें, उपयोग प्रमाण पत्र और व्यय के लेखा परीक्षित विवरण प्राप्त किए जाते हैं। मंत्रालय द्वारा परियोजनाओं की प्रगति तथा नि धियों के उपयोग की स्थिति की समीक्षा करने के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ आवधिक रूप से बैठकें भी आयोजित की जाती हैं और परियोजना कार्यान्वयन तथा संस्थापित प्रणालियों की मात्रा और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए परियोजना स्थलों का औचक निरीक्षण भी किया जाता है। इसके अतिरिक्त, राज्य नोडल एजेंसियों की आवधिक लेखा परीक्षा भी की जाती है।

(घ) सरकार द्वारा अक्षय ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन तथा विभिन्न राज्यों/संघराज्य क्षेत्रों में इसकी क्षमता के उपयोग को बढ़ावा देने हेतु समय-समय पर कई कदम उठाए गए हैं। ये कदम निम्नलिखित हैं :

- परियोजनाओं की व्यवहार्यता में सुधार लाने के लिए राजकोषीय एवं वित्तीय प्रोत्साहनों, जैसे—पूंजी/ब्याज सब्सिडी/उत्पादन आधारित प्रोत्साहन, त्वरित मूल्यह्रास, शून्य/रियायती उत्पाद एवं सीमा शुल्क का प्रावधान;

- विद्युत अधिनियम 2003 के अंतर्गत सभी राज्यों को अक्षय ऊर्जा स्रोतों से विद्युत की खरीद करने हेतु न्यूनतम प्रतिशतता निर्धारित करने के दिशा-निर्देश;

- राष्ट्रीय विद्युत नीति 2005 तथा राष्ट्रीय शुल्क-दर नीति 2006 के अंतर्गत किए गए प्रावधानों के अनुसरण में अधिकांश संभाव्यता वाले राज्यों में ग्रिड-इंटरएक्टिव अक्षय विद्युत के लिए अधिमान्य शुल्क-दर; ऐसी अधिमान्य शुल्क-दरों का निर्धारण करने के लिए सीईआरसी द्वारा समान दिशा-निर्देश प्रत्येक वर्ष जारी किए जा रहे हैं;

- सौर पीवी तथा सौर तापीय सहित सौर ऊर्जा प्रणालियों की संस्थापना में तेजी लाने/सौर विद्युत की लागत की कमी लाने के लिए जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन की शुरुआत करना।

- क्षेत्र विशिष्ट संगोष्ठियों/कार्यशालाओं/प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए सहायता।

- अक्षय ऊर्जा प्रणालियों/उपकरणों के उपयोग के संबंध में प्रिंट, डाक, इलैक्ट्रोनिक माध्यमों तथा प्रदर्शनियों के माध्यम से प्रचार और जागरूकता अभियान चलाना।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की प्रौद्योगिकीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए मंत्रालय द्वारा अक्षय ऊर्जा के विकास हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों सहित इच्छुक पणधारियों को आवश्यक प्रौद्योगिकीय सहयोग/सहायता उपलब्ध कराने के लिए विशिष्ट तकनीकी संस्थानों की स्थापना की गई है।

- सौर ऊर्जा केंद्र, जो कि इस मंत्रालय का एक भाग है, सौर ऊर्जा क्षेत्र के लिए तकनीकी केंद्र के रूप में कार्य करता है।

- इस मंत्रालय की एक स्वायत्त संस्था, पवन ऊर्जा प्रौद्योगिकी केंद्र (सी-वैट), द्वारा पवन ऊर्जा क्षेत्र के लिए तकनीकी केंद्र के रूप में कार्य किया जाता है।

- जैव ऊर्जा क्षेत्र के लिए तकनीकी केंद्र के रूप में कार्य करने हेतु हाल ही में जालंधर में सरदार स्वर्ण सिंह राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा संस्थान (एसएसएस-नीरे) की स्थापना की गई है।

- आईआईटी रुड़की में स्थापित अल्टरनेट हाइड्रो इनर्जी सेंटर द्वारा लघु पन बिजली क्षेत्र में तकनीकी सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

विवरण-I

11वीं योजना अवधि के दौरान कुल विद्युत उत्पादन में इसके अनुमानित अंशदान के साथ जोड़ी गई वास्तविक ग्रिड-इंटरएक्टिव विद्युत उत्पादन क्षमता के राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार, वर्षवार और स्रोतवार ब्यौरे

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	लघु पन बिजली मेगावाट					पवन विद्युत मेगावाट				
		2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011.12	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आंध्र प्रदेश	1.98		6.00	4.60	26.40			13.60	54.40	54.05
2.	अरुणाचल प्रदेश		16.08	5.72	5.42	0.39					
3.	असम	25.00			5.20	4.00					
4.	बिहार		4.20								
5.	छत्तीसगढ़			1.00	1.00	1.20					
6.	गोवा										
7.	गुजरात			5.60	3.00		616.4	313.6	297.33	312.80	789.85
8.	हरियाणा			7.40							
9.	हिमाचल प्रदेश	21.00	68.30	69.40	63.15	134.19					
10.	जम्मू और कश्मीर					1.20					
11.	झारखंड										
12.	कर्नाटक	47.50	99.45	123.00	142.90	99.10	190.3	316	145.40	254.05	206.65
13.	केरल	25.00	10.75		3.00	12.80	8.5	16.5	0.75	7.35	
14.	मध्य प्रदेश	20.00			15.00		130.4	25.1	16.60	46.50	100.50
15.	महाराष्ट्र	1.50		24.00	29.80	6.20	268.2	183	138.85	239.05	416.65
16.	मणिपुर										
17.	मेघालय	0.32									

बायोविद्युत मेगावाट					सौर विद्युत मेगावाट					कुल मेगावाट				
2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
36.50	12.66	20.00	7.50					2.00	19.75	38.48	12.66	39.60	69.50	100.20
										0.00	16.08	5.72	5.42	0.39
										25.00	0.00	0.00	0.00	4.00
			9.50	6.00						0.00	4.20	0.00	14.70	Value
33.00	9.80	43.50	32.00	18.00					4.00	33.00	9.80	44.50	33.00	23.20
										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				20.00				6.00	598.89	616.40	313.60	302.73	321.80	1408.74
		1.80	28.00						16.80	0.00	0.00	9.20	28.00	16.80
										21.00	68.30	69.40	63.15	134.19
										0.00	0.00	17.50	0.00	1.20
									4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
8.00	31.90	42.00	29.00	76.00			6.00		3.00	245.80	447.35	316.40	425.95	384.75
										33.50	27.25	0.75	10.35	12.80
			1.20	8.70					2.00	150.40	25.10	16.60	62.70	11120
38.00	71.50	37.70	184.50	200.70				4.00	16.00	307.70	254.50	200.55	457.35	639.40
										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										0.32	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.	मिजोरम		7.00	12.00							
19.	नागालैंड	8.00									
20.	ओड़िशा	25.00	12.00	20.00							
21.	पंजाब			8.65	21.95						
22.	राजस्थान										
23.	सिक्किम		8.00		5.00		6.9	199.6	550.10	436.70	545.65
25.	त्रिपुरा					26.50	380.7	431.1	602.22	997.40	1083.46
26.	उत्तर प्रदेश										
27.	उत्तराखंड	29.45	22.80	5.00	1.20	36.20					
28.	पश्चिम बंगाल										
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह										
30.	चंडीगढ़										
31.	दादरा और नगर हवेली										
32.	दमन और दीव										
33.	दिल्ली										
34.	लक्षद्वीप										
35.	पुदुचेरी										
	कुल	204.75	248.93	305.27	307.72	348.18	1663.5	1484.9	1564.55	2349.25	3196.66

अक्षय स्रोतों से कुल अनुमानित वार्षिक विद्युत उत्पादन (बिलियन यूनिट)

देश के कुल वार्षिक विद्युत उत्पादन (बिलियन यूनिट)

वर्ष के दौरान कुल विद्युत उत्पादन में अक्षय विद्युत का अनुमानित अंशदान

मेगा-मेगावाट

13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
										0.00	7.00		0.00	0.00
										8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				20.00					13.00	25.00	12.00	20.00	0.00	33.00
8.25		34.50	12.00	16.00			1.00	1.00	7.00	8.25	0.00		34.95	23.00
	8.00		42.00	10.00				5.00	192.50	69.00	207.60	300.00	483.00	748.15
75.00	43.20	62.00	92.50	44.50				5.00	10.00	455.70	474.65	664.22	1101.40	1164.46
										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
79.00	172.00	194.40	25.50	52.00					12.00	79.00	172.00	194.40	25.50	64.00
			10.00						5.00	29.45	22.80	5.00	11.20	41.20
		16.50					1.10	0.02	1.00	0.00	0.00	17.60	0.02	1.00
										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				16.00			0.05	2.04	0.43	0.00	0.00	0.05	2.04	16.43
										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
277.75	349.06	452.40	473.70	487.90			8.15	25.06	905.37	2146.00	2082.89	2330.37	3155.73	4938.11
										25.210	27.860	36.947	39.903	51.226
										722.626	741.167	799.850	45.434	923.203
										3.49/	3.76/	4.62/	4.72/	5.55/

विवरण-II

वर्ष 2009-10, 2010-11 और 2011-12 के दौरान विभिन्न अक्षय ऊर्जा कार्यक्रमों के तहत जारी की गई निधियों के राज्यवार ब्यौरे और उनके लिए प्राप्त किए गए उपयोग प्रमाणपत्र

क्र.सं.	राज्य	2009-10			2010-11			2011-12		
		जारी की गई राशि	प्राप्त उपयोग प्रमाणपत्र	%	जारी की गई राशि	प्राप्त उपयोग प्रमाणपत्र	%	जारी की गई राशि	प्राप्त उपयोग प्रमाणपत्र	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	14.22	13.61	95.71	38.91	29.66	76.23	45.61	12.07	26.46
2.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.02	0.02	100.00	0.02	0.01	50.00	0.02	0.00	0.00
3.	अरुणाचल प्रदेश	53.67	53.52	99.72	68.52	56.11	81.89	66.62	53.74	80.67
4.	असम	23.29	11.48	49.29	10.51	4.59	43.67	18.37	0.01	0.05
5.	बिहार	3.99	3.30	82.71	7.75	5.68	73.29	7.29	1.23	16.87
6.	चंडीगढ़	24.12	24.12	100.00	34.71	34.53	99.48	51.27	0.06	0.12
7.	छत्तीसगढ़	21.51	21.25	98.79	36.19	16.23	44.85	52.54	18.93	36.03
8.	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	दिल्ली	37.86	22.35	59.03	148.95	26.22	17.60	213.38	36.21	16.97
11.	गोवा	0.55	0.05	9.09	0.17	0.03	17.65	1.41	0.00	0.00
12.	गुजरात	12.89	10.46	81.15	21.19	15.04	70.98	18.14	2.39	13.18
13.	हरियाणा	2.63	0.94	35.74	5.71	3.05	53.42	4.91	3.00	61.10
14.	हिमाचल प्रदेश	7.21	5.43	75.31	15.46	6.98	45.15	16.55	4.89	29.55
15.	जम्मू एवं कश्मीर	10.49	3.08	29.36	55.80	33.50	60.04	102.48	48.48	47.31
16.	झारखंड	7.40	7.10	95.95	1.99	1.38	69.35	17.90	0.54	3.02
17.	कर्नाटक	21.74	20.54	94.48	30.41	16.86	55.44	51.20	3.02	5.90
18.	केरल	4.66	4.45	95.49	16.10	5.01	31.12	13.96	0.06	0.43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	13.89	0.02	0.14	8.76	0.00	0.00
20.	मध्य प्रदेश	19.26	18.51	96.1	36.28	26.37	72.68	38.13	8.13	21.32
21.	महाराष्ट्र	65.90	61.62	93.51	142.37	89.72	63.02	200.21	41.91	20.93
22.	मणिपुर	2.09	1.86	89.00	3.43	1.22	35.57	3.85	1.49	38.70
23.	मेघालय	3.19	3.17	99.37	7.68	3.65	47.53	5.84	2.05	35.10
24.	मिजोरम	1.62	1.62	100.00	3.54	0.82	23.16	1.24	0.00	0.00
25.	नागालैंड	0.62	0.62	100.00	1.93	1.93	100.00	11.53	9.86	85.52
26.	ओडिशा	21.63	20.14	93.11	9.16	8.42	91.92	35.32	3.25	9.20
27.	पुदुचेरी	0.20	0.16	80.00	0.12	0.03	25.00	2.04	0.01	0.25
28.	पंजाब	9.49	7.85	82.72	9.95	0.93	9.35	14.92	9.45	63.34
29.	राजस्थान	13.64	5.43	39.79	42.84	0.00	0.00	78.48	2.98	3.80
30.	सिक्किम	5.41	3.26	60.26	4.22	3.65	86.49	10.50	0.00	0.00
31.	तमिलनाडु	18.72	13.92	74.36	29.43	11.90	40.43	54.24	2.81	5.18
32.	त्रिपुरा	11.90	11.37	95.55	1.99	0.96	48.24	5.04	0.00	0.00
33.	उत्तर प्रदेश	24.20	19.12	79.01	68.83	19.57	28.43	71.91	12.1	16.83
34.	उत्तराखंड	19.95	17.46	87.52	39.57	18.40	46.50	22.54	0.74	3.28
35.	पश्चिम बंगाल	36.22	34.22	94.48	41.11	9.72	23.64	41.23	1.76	4.27
	कुल	500.28	422.02	84.36	948.75	452.19	47.66	1287.43	281.17	21.84

*वर्ष 2011-12 के संबंध में उपयोग प्रमाणपत्र दिनांक 1.4.2013 को देय होंगे।

[अनुवाद]

जनसंख्या नियंत्रण

***200. श्री नवीन जिन्दल :**
योगी आदित्यनाथ :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 तक भारत की जनसंख्या चीन से अधिक हो जाने की संभावना है और वर्ष 2060 तक भारत की जनसंख्या 1.7 बिलियन हो जाने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) ऐसे राज्यों का ब्यौरा क्या है जहां नवीनतम जनगणना के अनुसार जनसंख्या वृद्धि दर राष्ट्रीय औसत से अधिक है;

(घ) क्या सरकार ने विशेषकर ऐसे राज्यों, जहां जनसंख्या वृद्धि दर राष्ट्रीय औसत से अधिक है, में जनसंख्या नियंत्रण को और अधिक प्रोत्साहन देने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) संयुक्त राष्ट्र द्वारा दर्शाए गए आकलनों के अनुसार वर्ष 2025 तक भारत की जनसंख्या चीन की जनसंख्या से अधिक हो जाने की संभावना है तथा वर्ष 2060 तक इस देश ी जनसंख्या 1.7 बिलियन हो जाने की संभावना है।

भारत सरकार परिवार नियोजन के लिए अपूर्ण आवश्यकता को पूरा करने के लिए एक सुदृढ़ सेवा प्रदानगी तंत्र का निर्माण करने में सहायता करके, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति-2000 में यथा परिकल्पित जनसंख्या स्थिरीकरण के नीतिगत ढांचे के अनुरूप राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का कार्यान्वियन कर रही है। भारत सरकार स्वास्थ्य के सामाजिक निर्धारकों पर भी ध्यान दे रही है जिनमें से प्रमुख महिला साक्षरता, महिला सशक्तीकरण तथा विवाह के समय आयु है।

(ग) भारत की जनगणना, 2011 पर आधारित अनंतिम जनसंख्या तालिकाओं के अनुसार 2001-2011 के दौरान 18 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में जनसंख्या वृद्धि दर देश की औसत जनसंख्या वृद्धि दर की अपेक्षा अधिक रही है। राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) और (ङ) मातृ स्वास्थ्य, बाल स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन के संबंध में कमजोर स्वास्थ्य संकेतकों वाले 264 उच्च फोकस वाले जिलों की पहचान देश भर में अधिक ध्यान देने एवं सहायक पर्यवेक्षण के लिए की गई है।

जनसंख्या स्थिरीकरण के लिए कार्यकलापों में निम्नलिखित शामिल हैं:—

1. 17 राज्यों के 233 जिलों में आशा की सेवाओं का इस्तेमाल अब लाभार्थियों को दहलीज पर गर्भनिरोधक वितरित करने के लिए किया जा रहा है। आशा दहलीज पर गर्भनिरोधक वितरित करने में अपने प्रयास के लिए लाभार्थियों से नाममात्र की की राशि वसूल करती है अर्थात् 3 कंडोमों के एक पैक के लिए 1 रुपया, ओसीपी एक चक्र के लिए 1 रुपया तथा ईसीपी की एक गोली के एक पैक के लिए 2 रुपए।

2. विवाह के बाद तथा पहले एवं दूसरे बच्चे के बीच जन्म-अंतर सुनिश्चित करने की दृष्टि से आशा की सेवाओं का उपयोग नवविवाहित दंपत्ति को परामर्श देने के लिए किया जाएगा जिससे कि विवाह के बाद बच्चे के जन्म में 2 वर्ष का अंतराल तथा 1 बच्चे वाले दंपत्तियों के लिए प्रथम बच्चे के जन्म के बाद अगले बच्चे के जन्म में 3 वर्ष का अंतराल सुनिश्चित हो सके। यह योजना पूर्वोत्तर राज्यों, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, उत्तराखंड, ओड़िशा तथा मध्य प्रदेश में चल रही है।

3. जनसंख्या स्थिरता कोष (जेएसके) की प्रेरणा कार्यनीति (उत्तरदायी मातृत्व/पितृत्व) परिपाटी) लड़कियों में देर से विवाह (कानूनी उम्र के बाद) को प्रोत्साहित करके, कानूनी उम्र के बाद विवाह करने वाली महिलाओं को पुरस्कृत तथा सार्वजनिक रूप से सम्मानित करके तथा उनमें बच्चों के जन्म में समुचित जन्म अंतराल सुनिश्चित करके जनसंख्या स्थिरीकरण को बढ़ावा देती है।

4. संतुष्टि कार्यनीति में स्त्रीरोग विज्ञानियों तथा वैसेक्टॉमी सर्जनों को सार्वजनिक-निजी-भागीदारी (पीपीपी) में बंध्यीकरण ऑपरेशन करने का अवसर दिया जाता है।

5. बंध्यीकरण के लिए मुआवजा पैकेज के तहत सभी राज्यों में सभी श्रेणियों के लिए वैसेक्टॉमी में प्रत्येक मामले के लिए 1500/- रुपए तथा उच्च फोकस वाले राज्यों में सभी श्रेणियों को तथा गैर-उच्च फोकस वाले राज्यों में निर्धरता रेखा के नीचे/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या को जन स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों में ट्यूबेक्टॉमी के लिए 1000/- रुपए प्रदान किए जाते हैं। तथापि, गैर-उच्च फोकस वाले राज्यों में निर्धनता

रेखा से ऊपर की श्रेणियों के लिए केवल जनस्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों में ट्यूबेक्टॉमी के लिए 650/- रुपए पैकेज की व्यवस्था की गई है।

विवरण

वर्ष 2010-2011 के दौरान राज्यवार दशकीय वृद्धि दर

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	दशकीय वृद्धि दर
1	2	3
	भारत*	**17.64**
1.	जम्मू और कश्मीर	23.71
2.	उत्तराखंड	19.17
3.	हरियाणा	19.90
4.	दिल्ली	20.96
5.	राजस्थान	21.44
6.	उत्तर प्रदेश	20.09
7.	बिहार	25.07
8.	अरुणाचल प्रदेश	25.92
9.	मणिपुर*	18.65
10.	मिजोरम	22.78
11.	मेघालय	27.82
12.	झारखंड	22.34
13.	छत्तीसगढ़	22.59
14.	मध्य प्रदेश	20.30
15.	गुजरात	19.17
16.	दमन और दीव	53.54
17.	दादरा और नगर हवेली	55.50
18.	पुदुचेरी	27.72

*इसमें वर्ष 2001 एवं 2011 के लिए मणिपुर के सेनापति जिले के पोमाटा, माव मारम तथा पुरुल अनुमंडल की अनुमानित जनसंख्या शामिल है।

स्रोतः 1. प्राथमिक जनगणना सार, जनसंख्या, भारत की जनगणना-2001

2. अनंतिम (जनगणना योग, 2011 का पत्र-I, भारत की जनगणना-2001

महिला सशक्तीकरण

*201. **श्री सुरेश कलमाडी : क्या महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय महिला सशक्तीकरण मिशन के अंतर्गत 'पूर्ण शक्ति केन्द्र' और 'राज्य महिला संसाधन केन्द्रों' की स्थापना की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) महिलाओं के उत्थान और सशक्तीकरण हेतु ये 'पूर्ण शक्ति केन्द्र' और 'राज्य महिला संसाधन केन्द्रों' किस प्रकार की भूमिका निभाते हैं?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ) : (क) कुछ जिलों में संकेन्द्रण की प्रयोगिक परियोजनाओं के भाग के रूप में राष्ट्रीय महिला सशक्तीकरण मिशन के अंतर्गत पूर्ण शक्ति केन्द्र स्थापित किए गए हैं। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राष्ट्रीय महिला सशक्तीकरण मिशन जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम है, के तहत राज्य महिला संसाधन केन्द्र अधिदेशित है।

(ख) अभी तक राजस्थान के पाली जिले की 142 ग्राम पंचायतों में पूर्ण शक्ति केन्द्र कार्यरत है। 7 राज्यों (गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, पुदुचेरी, राजस्थान एवं मिजोरम) में राज्य महिला संसाधन केन्द्रों के लिए अलग से अवसंरचना तैयार

की गई है जबकि 12 राज्य (जम्मू और कश्मीर, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, झारखंड, कर्नाटक, बिहार, केरल, उत्तराखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, गोवा) महिला संसाधन केन्द्रों के कार्य करने के लिए अपनी मौजूदा अवसंरचना का उपयोग कर रहे हैं।

(ग) राजस्थान के पाली जिले में ग्राम स्तर पर महिलाओं हेतु संकेन्द्रण एवं सुविधा केन्द्र के रूप में पूर्ण शक्ति केन्द्र स्थापित किए गए हैं, जिनके माध्यम से बुनियादी स्तर पर महिलाओं को सेवाएं सुलभ कराई जा रही हैं। राजस्थान में पूर्ण शक्ति केन्द्रों के कार्यकलापों का प्रबंधन महिला ग्राम समन्वयक नामक ग्राम स्तरीय कर्मियों द्वारा किया जाता हैं पूर्ण शक्ति केन्द्र सरकारी स्कीमों/कार्यक्रमों, कानूनी अधिकारों एवं हकों के बारे में जागरूकता विकसित करने और महिलाओं को संगठित करने तथा महिलाओं को प्रभावित करने वाले मादा भ्रूण हत्या, बाल विवाह, घरेलू हिंसा आदि जैसे सामाजिक मुद्दों को चर्चा हेतु सामुदायिक मंच पर लाने में सहायक रहे हैं।

राज्य महिला संसाधन केन्द्रों को कारगर समन्वय के मध्यम से महिला संवेदी कार्यक्रमों, कानूनों एवं स्कीमों को क्रियान्वित करने के लिए सरकार एवं महिला सशक्तीकरण के मुद्दों के भागीदार अन्य पक्षकारों की सहायता करने हेतु विभिन्न क्षेत्रों में राज्यों में महिलाओं के समग्र सशक्तीकरण को बढ़ावा देने की अधिदेशा प्राप्त है। राज्य महिला संसाधन केन्द्रों को संबंधित राज्यों के मुख्य मंत्रियों की अध्यक्षता वाल राज्य मिशन प्राधिकारियों के माध्यम से उपयुक्त सरकारी उपायों का अंगीकरण सुकर बनाने का अधिदेश प्राप्त है।

जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण

***202. श्री प्रदीप माझी :**
श्री एस. पक्कीरप्पा :

क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार देश में 'जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण' योजना के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र चलाने हेतु राज्य सरकारों/गैर-सरकारी संगठनों को अनुदान सहायता प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त योजना के अंतर्गत अनुदान आबंटित करने संबंधी मानदंड क्या हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान उक्त योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों/गैर-सरकारी संगठनों को कितनी अनुदान सहायता दी गई है?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री वी. किशोर चन्द्र देव) : (क) और (ख) जनजातीय कार्य मंत्रालय "जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण" की केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के तहत राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों/स्वायत्त निकायों तथा गैर-सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान प्रदान करता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य जनजातीय युवकों को उपयुक्त रोजगार या स्व-रोजगार प्राप्त करने के लिए उन्हें सक्षम बनाने हेतु विभिन्न परंपरागत/आधुनिक व्यावसायों में उनके शिल्प का उन्नयन करना है। इस योजना के तहत निधियन सुदूर क्षेत्रों/सुविधाओं रहित ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य रूप से व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित तथा उनका संचालन करके या कस्बों/जिलों में पहले से विद्यमान संस्थानों में अनुसूचित जनजातियों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण का समर्थन करके प्राप्त किया जाता है जो प्रति एसटी प्रशिक्षणार्थी प्रतिवर्ष 30,000/- रुपए की अधिकतम सहायता, जिसमें प्रशिक्षणार्थियों को 700/- रुपए मासिक छात्रवृत्ति शामिल है, के अधीन है। व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम एक वर्ष की अवधि के लिए हैं। यह योजना आवश्यकता एवं मांग आधारित है तथा कोई राज्यवार आबंटन नहीं किया जाता है। कार्यान्वयनकारी एजेंसियों को सहायता अनुदान पर योजना के प्रावधानों के अनुसार पूर्ण प्रस्तावों की प्राप्ति तथा योजना के तहत निधियों की उपलब्धता के आधार पर विचार किया जाता है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के क्षेत्रीय प्रशिक्षुता प्रशिक्षण निदेशालय से "मोडयूलर एम्प्लोएबल स्कील्स" के अंतर्गत राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिष से "क्राफ्टसमैन ट्रेनिंग स्कीम" के तहत मान्यता/प्रत्यायन शामिल है।

(ग) विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान राज्य सरकारों/एनजीओ को निम्नलिखित सहायता अनुदान निर्मुक्त किए गए हैं:—

(लाख रुपए में)

राज्य सरकारों को निर्मुक्त सहायता अनुदान				एनजीओ को निर्मुक्त सहायता अनुदान			
2009-10	2010-11	2011-12	2012-13 (अब तक)	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13 (अब तक)
राशि	राशि	राशि	राशि	राशि	राशि	राशि	राशि
-	600.00	600.00	-	200.00	87.94	179.56	98.16

[हिन्दी]

स्वर्णिम/हीरक त्रिभुज पर्यटन स्थल

***203. श्री भूदेव चौधरी :** क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कुछ पर्यटन स्थलों को "स्वर्णिम त्रिभुज" और "हीरक त्रिभुज" का नाम दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन त्रिभुजों में किन-किन पर्यटन स्थलों को शामिल किया गया है;

(ग) सरकार द्वारा इन स्थलों को लोकप्रिय बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं तथा इनके सौंदर्यीकरण के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(घ) इससे देश में पर्यटकों के आने में किस हद तक सहायता मिलने की संभावना है?

पर्यटन मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) और (ख) देश में किसी भी पर्यटन स्थल को अधिकारिक तौर पर "स्वर्णिम त्रिभुज" और "हरीक त्रिभुज" के रूप में विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है। तथापि, दिल्ली-आगरा-जयपुर पर्यटक परिपथ का सामान्यत: 'स्वर्णिम त्रिभुज' के रूप में उल्लेख किया जाता है। इसी प्रकार, "पुरी/भुवनेश्वर-ललितागिरि-उदयगिरि-उत्लागिरि-पुरी/भुवनेश्वर" पर्यटक परिपथ का ओडिशा पर्यटन विकास निगम द्वारा "हीरक त्रिभुज" के रूप में उल्लेख किया जाता है। स्वर्णिम त्रिभुज के कुछ महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल दिल्ली में लाल किला, कुतुबमीनार, हुमायूं का मकबरा, आगरा में ताजमहल, फतेहपुर सीकरी और जयपुर में हवा महल, अंबेर पैलेस, जंतर मंतर, सिटी पैलेस हैं।

हीरक त्रिभुज में कुछ महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर, ललितासागर और रत्नागिरि में बौद्ध परिसर, उदयगिरि में गुफाएं और पुरी में जगन्नाथ मंदिर हैं।

(ग) और (घ) पर्यटन स्थलों के सौंदर्यीकरण सहित उनका विकास एवं संवर्धन मुख्यत: संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों (यूटी) की जिम्मेदारी है। तथापि, पर्यटन मंत्रालय प्राथमिकीकरण बैठकों के दौरान राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों के परामर्श से पहचान की गई पर्यटन परियोजनाओं को निधियों की उपलब्धता, पारस्परिक प्राथमिकता और योजना दिशा-निर्देशों के अनुपालन की शर्त पर केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करता है। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्वीकृत परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

पर्यटन मंत्रालय घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अभियानों, पर्यटक साहित्य और प्रचार सहसामग्री एवं अपने भारत और विदेश स्थित भारत पर्यटन कार्यालयों के माध्यम से भी भारत का एक समग्र गंतव्य के रूप में संवर्धन करता है।

विवरण

11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान परियोजनाओं की संख्या और स्वीकृत राशि

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृत राशि
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	52	244.62
2.	अरुणाचल प्रदेश	62	174.25
3.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0.00
4.	असम	26	95.94
5.	बिहार	18	57.59
6.	चंडीगढ़	19	30.99
7.	छत्तीसगढ़	11	45.58
8.	दादरा और नगर हवेली	3	0.24
9.	दमण और दीव	1	0.12
10.	दिल्ली	27	78.29
11.	गोवा	8	77.90
12.	गुजरात	17	86.36
13.	हरियाणा	35	99.78
14.	हिमाचल प्रदेश	45	128.79

1	2	3	4
15.	जम्मू और कश्मीर	145	391.17
16.	झारखण्ड	21	67.27
17.	केरल	40	163.53
18.	कर्नाटक	31	140.48
19.	लक्षद्वीप	1	7.82
20.	महाराष्ट्र	23	162.96
21.	मणिपुर	36	137.82
22.	मेघालय	28	61.64
23.	मिजोरम	33	79.59
24.	मध्य प्रदेश	59	203.19
25.	नागालैंड	75	176.96
26.	ओडिशा	40	127.95
27.	पुदुचेरी	20	74.75
28.	पंजाब	16	66.96
29.	राजस्थान	28	125.41
30.	सिक्किम	86	213.68
31.	तमिलनाडु	49	160.78
32.	त्रिपुरा	48	91.56
33.	उत्तर प्रदेश	44	168.39
34.	उत्तराखंड	31	198.68
35.	पश्चिम बंगाल	48	149.54
	कुल योग	1226	4090.31

•इसमें गंतव्यों और परिपथों हेतु उत्पाद/अवसंरचना विकास (पीआईडीडीसी), मानव संसाधन विकास (एचआरडी), मेले और उत्सव तथा साहसिक एवं ग्रामीण पर्यटन (एएंडआरटी) से संबंधित परियोजनाएं शामिल हैं।

महिला कैदियों की स्थिति

***204. श्रीमती सुमित्रा महाजन :** क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय महिला आयोग के दल ने मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों की विभिन्न जेलों, संरक्षण गृहों और महिला थानों का दौरा किया था और महिला कैदियों की स्थिति में सुधार लाने हेतु कुछ उपायों का सुझाव दिया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा उन पर क्या अनुवर्ती सुधारात्मक कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या राष्ट्रीय महीला आयोग को इन जेलों में कुछ खामियों/ अनियमितताओं का पता चला है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ) : (क) और (ख) राष्ट्रीय महिला आयोग ने कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के कुछ कारागारों/महिलाओं कारागारों/जिला महिला जेल/नारी बंदी निकेतन/महिला सुधार गृह का दौरा किया जिसका विवरण इस प्रकार है-

2008-09	केंद्रीय जेल, लखीमपुर, असम
2009-10	i. सवाई माधोपुर जेल, राजस्थान
	ii. जिला महिला जेल, शिलांग, मेघालय
	iii. जोवई जिला जेल, मेघालय
	iv. सिक्किम राज्य कारागार, रोंगयेक, सिक्किम
	v. जिला कारागार, नामची, असम
2010-11	i. केंद्रीय कारागार, कोटा, राजस्थान
	ii. तिरुवनन्तपुरम जेल, केरल
	iii. पुदुच्चेरी जेल, पुदुचेरी

	iv.	केंद्रीय कारागार, बैंगलोर, कर्नाटक
	v.	नारी बंदी निकेतन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश
	vi.	बांदा जिला जेल, उत्तर प्रदेश
2011-12	i.	जिला जेल, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश
	ii.	उप जेल, साडा वास्को, गोवा
	iii.	महिला सुधार गृह, अलीपुर, पश्चिम बंगाल
	iv.	मरवडा महिला कारागार, पुणे महाराष्ट्र

महिला कैदियों की स्थिति में सुधार हेतु राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा की गई प्रमुख सिफारिशें इस प्रकार हैं–

(i) राज्य महिला आयोग महिला कैदियों के मामलों के त्वरित निपटान और उन मामलों पर आगे अनुवर्ती कार्रवाई हेतु कानूनी सहायता प्राप्त करने में सहायता करें।

(ii) राज्य महिला आयोगों और इसके भागीदार गैर-सरकारी संगठनों द्वारा परामर्श और मनोवैज्ञानिक सहायता दी जाए।

(iii) त्वरित उपचार प्राप्त करने के लिए अस्पताल में महिलाओं के लिए प्रकोष्ठ की स्थापना करना।

(iv) भोजन की गुणवत्ता सुधारने के लिए जेल में महिला स्कंध हेतु अलकग से रसोई की व्यवस्था करना।

(v) संवासियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाए जैसा कि सिलाई और काश्तकारी आदि और बच्चों को शिक्षा संबंधी प्रशिक्षण दिए जाएं।

(vi) मनोरंजन सुविधाओं की व्यवस्था करना जैसा कि टीवी सेट।

(vii) महिलाओं के मामलों की नियमित समीक्षा की आवश्यकता।

(viii) साफ-सफाई की स्थिति के सुधार।

(ix) नियमित मिडल स्कूल खोलना।

(ग) 'कारागार' भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची (सूची-II) में प्रविष्टि-4 (कारागार सुधारक, बोर्स्टल संस्था एवं इसी प्रकृति की अन्य संस्थाएं) के अंतर्गत राज्य का विषय है। इसलिए कारागारों का प्रबंधन एवं प्रशासन राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है। इसके अलावा, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 की धारा 10(3) के अनुसार राष्ट्रीय महिला आयोग राज्य सरकारों से संबंधित रिपोर्ट संबंधित राज्य सरकार को अग्रेषित करेगा जो संबंधित रिपोर्ट पर की गई कार्रवाई या अपनी प्रस्तावित कार्रवाई और ऐसी सिफारिशों में से किसी सिफारिश को अस्वीकार करने के कारणों, यदि कोई हो, को स्पष्ट करते हुए ज्ञापन के साथ राज्य विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत करेगी।

इस प्रकार, राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा अपनी सिफारिशें संबंधित राज्य सरकारों द्वारा सुधारात्मक कार्रवाई के लिए संधित राज्य प्राधिकारियों की जानकारी में लाई जाती है।

(घ) राष्ट्रीय महिला आयोग ने कारागारों/अन्य संस्थाओं के दौरों के दौरान निम्नलिखित कमियां पाई हैं-

(i) कैदियों की बहुत अधिक संख्या

(ii) साफ-सफाई की कमी

(iii) टीवी सेट जैसे मनोरंजन सुविधाओं की कमी

(iv) पुलिस थानों में महिला डेस्क का कार्यरत न होना

(v) जेल में अकेली रखी गई अंतर वासीकी सुरक्षा और कल्याण

(vi) कुछ जेलों में आर्थिक क्रियाकलाप केवल कुछ शिल्पों तक सीमित हैं, जैसा कि अगरबत्ती बनाना, बेकरी और सिलाई।

(ङ) कारागारों का प्रबंधन एवं प्रशासन राज्य का विषय है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/जिला मजिस्ट्रेटों को उनके कार्यक्षेत्र के अधीन कारागारों में प्रशासन एवं प्रबंधन के गहन मानीटरन और उनके आवधिक निरीक्षण का उत्तरदायित्व दिया गया है। भारत सरकार का गृह मंत्रालय समय-समय पर कारागारों में उपयुक्त सुरक्षा उपायों सहित कारागार प्रशासन के विभिन्न पहलुओं पर एडवाइजरी, सम्मेलन, बैठकों आदि के माध्यम से राज्य सरकारों के साथ विचारों का आदान-प्रदान करता है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा ताप विद्युत परियोजनाएं

2071. **श्री रायापति सांबासिवा राव :**
श्री सुरेश कुमार शेटकर :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ में चार ताप विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने हेतु बड़ी निवेश पहलों की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) तत्संबंधी वर्तमान स्थिति क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल) : (क) जी, हां। एनटीपीसी लिमिटेड द्वारा 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में ताप विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने के लिए मुख्य निवेश हेतु पहल पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है। इन परियोजनाओं में से तीन मध्य प्रदेश और एक छत्तीसगढ़ में है।

(ख) और (ग) इन परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति और ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में एनटीपीसी द्वारा विचाराधीन नई परियोजनाएं

क्र.सं.	परियोजना/क्षमता (मे.वा.)	राज्य	ईंधन का प्रकार	वर्तमान स्थिति
1.	खरगोन 1320 (2x660)*	मध्य प्रदेश	कोयला	राज्य सरकार की ओर से सैद्धांतिक भूमि एवं जल प्रतिबद्धता उपलब्ध है। एफ.आर को अनुमोदन प्रदान किया गया है। कोयला लिंकेज हेतु आवेदन किया गया है।
2.	गदरवारा-I 1320 (2x660)*	मध्य प्रदेश	कोयला	राज्य सरकार की ओर से सैद्धांतिक भूमि एवं जल प्रतिबद्धता उपलब्ध है। एफ.आर को अनुमोदन प्रदान किया गया है। कोयला लिंकेज हेतु आवेदन किया गया है।
3.	बरेठी 1320 (2x660)*	मध्य प्रदेश	कोयला	राज्य सरकार की ओर से सैद्धांतिक भूमि एवं जल प्रतिबद्धता उपलब्ध है। 6x600 मेगावाट के लिए एफआर को पूर्व में अनुमोदन प्रदन कर दिया गया था जो कि अब 2x660 मेगावाट के लिए संशोधन के अधीन है। सिद्धांत रूप में कोयला लिंकेज उपलब्ध है।
4.	लारा-I, 1600 (2x800)	छत्तीसगढ़	कोयला	भूमि एवं जल पुष्टि उपलब्ध है। तलाइपल्ली कैप्टिव खान से कोयले की परिकल्पना की गई है। भूमि अधिग्रहण प्रगति में है। परियोजना 800 मेगावाट सुपर क्रिटिकल यूनिटों की व्यापक निविदा की प्रक्रिया में है।

*वैधानिक निकायों से जल एवं ईंधन जैसे विभिन्न सूचनाओं तथा अन्य आवश्यक अनुमोदन/स्वीकृतियों के लिए अभी बातचीत की जानी है, इसलिए इसके शुरू होने के समय को दर्शाया नहीं जा सकता।

बाल सुधार गृहों में बच्चों का शोषण

2072. श्री हमदुल्लाह सईद : क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बाल सुधार गृहों में बालिकाओं के साथ यौन-उत्पीड़न, शारीरिक तथा मानसिक शोषण तथा बंधुआ मजदूरन के रूप में उपयोग किए जाने के मामलों की ओर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार राज्य सरकारों/गैर-सरकारी संगठनों द्वारा चलाए जा रहे बाल सुधार गृहों की सावधिक निरीक्षण तथा समीक्षा करती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ) : (क) और (ख) राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) से प्राप्त सूचना के अनुसार, आयोग ने किशोर गृहों में बालिकाओं सहित बच्चों के उत्पीड़न/शोषण के 91 मामले नोट किए और उन्हें उपचारात्मक उपायों हेतु संबंधित राज्य सरकारों/जिला प्रशासनों को भेजा। एनसीपीसीआर द्वारा निपटाई गई किशोर गृहों में बच्चों (बालिकाओं सहित) के कथित उत्पीड़न/शोषण की राज्य-वार घटनाएं संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ग) और (घ) किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 की धारा 34(3) में सभी बाल देखरेख संस्थाओं को प्रदान की जाने वाली सेवाओं हेतु इस अधिनियम और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत देखरेख के न्यूनतम मानक लागू करने के आशय से देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों को आवास प्रदान करने वाले सभी बाल देखरेख संस्थाओं के अनिवार्य पंजीकरण का उपबंध है। किशोर न्याय अधिनियम तथा उसके अंतर्गत बनाई गई केन्द्रीय मॉडल नियमावली में राज्य सरकार द्वारा राज्य, जिला एवं शहर स्तर पर गठित निरीक्षण समितियों एवं बाल कल्याण समितियों के माध्यम से पर्यवेक्षण/विशेष गृहों सहित इन गृहों में गुणवत्ता का कड़ाई से मानीटरन करने हेतु तंत्र का उपबंध किया गया है। इसके अलावा, नियमावली में प्रत्येक संस्था में बाल समितियों के गठन का उपबंध है जो अल्प बातों के साथ साथ, उत्पीड़न एवं शोषण की घटनाओं, यदि कोई हो, की रिपोर्ट करने को प्रोत्साहन भी देती है। इसके अलावा, किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत बनाई गई मॉडल नियमावली में बाल देखरेख संस्थाओं में पाए गए किसी भी प्रकार के यौन उत्पीड़न सहित उत्पीड़न, उपेक्षा एवं दुर्व्यवहार के मामले से निपटने के व्यापक उपाय निर्धारित किए गए हैं।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी गृहों में बच्चों को सर्वोत्तम देखरेख मिले तथा वे उत्पीड़न एवं उपेक्षा का शिकार न हों, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय सभी बाल देखरेख संस्थाओं को समय समय पर चिन्हांकित करने और किशोर न्याय अधिनियम के तहत उनका पंजीकरण कराने और जहां कहीं कार्यशील न हों, वहां निरीक्षण समितियों का गठन करने के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को कहता आ रहा है।

इसके अलावा, एनसीपीसीआर तथा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के प्रतिनिधि राज्य सरकारों/गैर-सरकारी संगठनों द्वारा चलाए जा रहे गृहों का निरीक्षण करते हैं और इन निरीक्षणों के निष्कर्षों से संबंधित राज्य सरकारों को उपचारात्मक कार्रवाई, जहां कहीं अपेक्षित हो, के लिए अवगत कराया जाता है।

विवरण

एनसीपीसीआर द्वारा निपटाए गए किशोर गृहों में बच्चों (बालिकाओं सहित) के कथित उत्पीड़न/शोषण के मामलों की राज्य-वार संख्या

क्र.सं.	राज्य	मामलों की संख्या
1	2	3
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1
2.	आन्ध्र प्रदेश	2
3.	अरुणाचल प्रदेश	1
4.	बिहार	2
5.	छत्तीसगढ़	3
6.	दिल्ली	12
7.	गुजरात	1

1	2	3
8.	हरियाणा	7
9.	हिमाचल प्रदेश	2
10.	मध्य प्रदेश	11
11.	महाराष्ट्र	7
12.	मिजोरम	1
13.	ओडिशा	7
14.	पंजाब	3
15.	राजस्थान	4
16.	तमिलनाडु	4
17.	उत्तर प्रदेश	22
18.	पश्चिम बंगाल	1
	कुल	91

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग में श्रीलंका के खिलाफ प्रस्ताव

2073. श्री असादूद्दीन ओवेसी : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार के हाल में हुए सत्र में मानवाधिकार पर श्रीलंका के खिलाफ प्रस्ताव के समर्थन में मत दिया;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) प्रस्ताव के खिलाफ चीन द्वारा मतदान के प्रभाव की संभावना के आलोक में भारत तथा श्रीलंका के बीच के संबंध पर क्या प्रभाव पड़ेगा; और

(घ) श्रीलंका के साथ द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर) : (क) और (ख) भारत ने श्रीलंका में 'समर्थन, सामंजस्य तथा जवाबदेही' संकल्प के पक्ष में 22 मार्च, 2012 को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (यूएनएचआरसी), जेनेवा में मतदान किया। यह मतदान श्रीलंका में रह रहे तमिल समुदाय के लिए समानता, प्रतिष्ठा, न्याय तथा आत्मसम्मान के आधार पर भविष्य की प्राप्ति के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के सरकार के एकमत दृष्टिकोण के अनुरूप था।

(ग) और (घ) भारत पड़ोसी देश श्रीलंका के साथ घनिष्ठ, सौहार्दपूर्ण तथा मैत्रीपूर्ण संबंध रखता है, जिसके साथ भारत के संबंध ऐतिहासिक, सभ्यतामूल तथा सांस्कृतिक सम्पर्कों पर आधारित हैं। आज, भारत कुल मिलाकर श्रीलंका का सबसे बड़ा व्यापार सहयोगी है और श्रीलंका दक्षिण एशिया में भारत कुल मिलाकर श्रीलंका का सबसे बड़ा व्यापार सहयोगी है और श्रीलंका दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापार सहयोगी है। भारत श्रीलंका में सबसे बड़े विदेशी प्रत्यक्ष निवेशक के रूप में उभरा है। श्रीलंका पहुंचने वाले पर्यटकों में भी भारत से जाने वाले पर्यटकों की संख्या सबसे अधिक है। उच्च स्तरीय दौरों से धनिष्ठ संबंधों को और अधिक सुदृढ़ता मिली है, जिनमें जनवरी, 2012 में विदेश मंत्री; अप्रैल, 2012 में संसदीय प्रतिनिधिमंडल; जुलाई, 2012 में ग्रामीण विकास एवं पेयजल तथा स्वच्छता मंत्री; अगस्त, 2012 में वाणिज्य, उद्योग एवं वस्त्र मंत्री; और अगस्त, 2012 में संस्कृति मंत्री के दौरे शामिल हैं।

अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाएं

2074. श्री नित्यानन्द प्रधान :
श्रीमती श्रुति चौधरी :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में कुछ अल्ट्रा मेगा विद्युत परियाजनाओं के निर्माण में तेजी ला रही है;

(ख) यदि हां, तो हरियाणा सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान आबंटित राशि तथा उपयोग की गई राशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल) : (क) और (ख) अब तक, चार अल्ट्रा मेगा पावर परियोजनाएं अर्थात मध्य प्रदेश मे सासन, गुजरात में मुन्द्रा, आंध्र प्रदेश में कृष्णापटनम और झारखंड में तिलैया सफल बोलीकर्ताओं को अवार्ड की गई है और ये विकास के विभिन्न चरणों में हैं। वर्तमान में, हरियाणा राज्य में अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना की स्थापना किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। मुन्द्रा यूएमपीपी के प्रत्येक 800 मेगावाट की दो यूनिट शुरू की गई हैं। विद्युत क्रय करार (पीपीए) में कार्यक्रम के अनुसार मुन्द्रा और अन्य अवार्ड किए गए, यूएमपीपी के शेष यूनिटों के 12वीं योजना (तिलैया यूएमपीपी की अंतिम यूनिट को छोड़कर, जो कि 13वीं योजना में शुरू होने की संभावना है) में संभावित हैं। इन परियोजनाओं की नियमित निगरानी के लिए संयुक्त निगरानी समितियों (जेएमसी) की स्थापना की गई है जिसमें केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) एवं प्राप्तकर्ताओं के सदस्य शामिल होते हैं।

(ग) विद्युत मंत्रालय द्वारा शुरू की गई यूएमपीपी के अंतर्गत, सरकार की ओर से कोई वित्तीय आबंटन की परिकल्पना नहीं है। ये परियोजनाएं न्यूनतम समानीकृत (लेवेलाइज्ड) टैरिफ के साथ बोलीकर्ता को सौंपी जाती हैं। इसके अतिरिक्त, वित्तीयबंदी को प्राप्त करने और परियोजना की मांग को पूरा करने के लिए निधियों की व्यवस्था करने का उत्तरदायित्व चिह्नित विकासकर्ताओं का होता है।

तरलीकृत प्राकृतिक गैस का उपयोग

2075. श्री के.पी. धनपालन : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ब्रह्मपुरम ताप विद्युत स्टेशन पर तरलीकृत प्राकृतिक गैस के उपयोग की योजना बना रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल) : (क) और (ख) विद्युत मंत्रालय (एमओपी)/केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) को केरल की ओर से ब्रह्मपुरम ताप विद्युत केन्द्र में तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) का प्रयोग करने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, केएसईबी द्वारा प्रस्तावित ब्रह्मपुरम सीसीजीटी (1026 मे.वा.) विद्युत संयंत्र के लिए 12वीं योजना के लिए गैस के आबंटन हेतु सीईए में एक आवेदन प्राप्त हुआ है। देश में गैस के उत्पादन की कमी को ध्यान में रखते हुए वर्तमान में नए गैस आधारित विद्युत संयंत्रों के आबंटन के लिए अतिरिक्त गैस उपलब्ध नहीं है।

भारत से पाकिस्तान तक सुरक्षित गलियारा

2076. सरदार सुखदेव सिंह लिब्रा : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पाकिस्तान सरकार के साथ उच्चतम स्तर पर डेरा बाबा नानक, गुरदासपुर पंजाब से पाकिस्तान के नरोवाल जिले में करतारपुरा साहेब गुरुद्वारा तक सिख तीर्थयात्रियों के लिए सुरक्षित गलियारा के अनुरोध पर कार्य शुरू किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर पाकिस्तान सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल) : (क) और (ख) 27 जून, 2008 को विदेश मंत्री तथा पाकिस्तान के विदेश मंत्री के बीच हुई बैठक के दौरान, पाकिस्तानी पक्ष को एक प्रस्ताव दिया गया था कि पाकिस्तान में करतारपुर सहिब गुरूद्वारा तक एक गलियारे के रास्ते से वीजा मुक्त यात्रा हेतु तौर-तरीके पर चर्चा करने के लिए भारत से एक छोटा दल पाकिस्तान का दौरा कर सकता है। तथापि, आज की तारीख तक पाकिस्तानी पक्ष की ओर से कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ है।

जैव-ऊर्जा का विकास

2077. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम : क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जैव ऊर्जा देश के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत का मुख्य स्रोत है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान जैव-ऊर्जा के विकास हेतु राज्य सरकारों को मंजूर, जारी तथा उपयोग की गई राशि कितनी है तथा इस संबंध में कितनी उपलब्धि हासिल की गई?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (डा. फारुख अब्दुल्ला): (क) और (ख) जी नहीं, तथापि नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) गांवों में विद्युत की पूरी न हुई मांग को

पूरा करने और चावल मिलों और अन्य उद्योगों में कैप्टिव विद्युत उत्पादन हेतु बायोमास गैसीफायरों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में ऑफ ग्रिड/वितरित विद्युत उत्पादन को बढ़ावा दे रहा है। इसके अतिरिक्त, ग्रामीण परिवारों में बायोगैस संयंत्रों से भी विद्युत उत्पादित की जाती है।

(ग) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों हेतु बायोमास गैसीफायर और बायोगैस आधारित कार्यक्रमों के अंतर्गत राज्य सरकारों और अन्य परियोजना विकासकर्त्ताओं को जारी और उनके द्वारा उपयोग में लाई गई निधियां ओर इसके तहत प्राप्त उपलब्धियां संलग्न विवरण में दी गई हैं।

विवरण

गत तीन वर्षों अर्थात् 2009-10, 2010-11, 2011-12 और चालू वर्ष अर्थात् 2012-13 (दिनांक 31.7.2012 की स्थिति के अनुसार) के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों हेतु बायोमास गैसीफायर और बायोगैस आधारित कार्यक्रमों के अंतर्गत राज्य सरकारों और अन्य परियोजना विकासकर्त्ताओं को जारी और उनके द्वारा उपयोग में लाई गई निधियों और इसके तहत प्राप्त उपलब्धियां

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	बायोमास गैसीफायर आधारित विद्युत उत्पादन			बायोमास आधारित विद्युत उत्पादन		
		वास्तविक उपलब्धियां (किवा. में)		निधियां (लाख रुपए में)	वास्तविक उपलब्धियां (किवा. में)	निधियां (लाख रुपए में)	
		ग्रामीण	उद्योग	मंजूर और उपयोग में लाई गई		मंजूर	उपयोग किया
1.	2009-10	1082	11085	395.0	129	54.0	49.1
2.	2010-11	1067	13434	349.0	137	183.5	106.8
3.	2011-12	1120	12705	466.0	1900	537.8	208.0
4.	2012-13	320	2760	18.6	4	शून्य	91.4*

*वर्ष 2011-12 और 2011-12 के दौरान मंजूर राशि से प्रयुक्त।

लोगों के अनुपात में एम्बुलेंस

2078. श्री एस.आर. जेयदुरई :
श्री कोडिकुन्नील सुरेश :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन ने लोगों के अनुपात में एंबुलेंस के संबंध में कोई मानदंड विनिर्दिष्ट किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत में लोगों के अनुपात में एंबुलेंसों की संख्या शोचनीय रूप से कम है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार राज्य सरकारों को एंबुलेंस के बेड़ों में वृद्धि करने के लिए सहायता प्रदान करने का है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित लोगों के अनुपात में एंबुलेंस की संख्या सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदीप बंदोपाध्याय) : (क) विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) द्वारा ऐसे कोई मानक नहीं दिए गए हैं।

(ख) उपरोक्त (क) के मद्दे नजर प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को उनके वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वियन योजना में एम्बुलेंस और आपातकालीन स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं के लिए राज्यों द्वारा प्रस्तावित आवश्यकताओं के आधार पर वित्तीय सहायता दी जाती है। संबंधित राज्य/संघ राज्य सरकारों द्वारा चयनित विशेष कार्यकलापों/कार्यक्रम के कार्यान्वियन का माडल उनकी आवश्यकताओं और उपयुक्तता पर आधारित है। एनआरएचएम के अंतर्गत 31.3.2012 तक राज्यों को 7218 आपातकालीन प्रतिक्रिया सेवाएं/रोगी वाहन एम्बुलेंस और 7167 अन्य एम्बुलेंस सेवाएं दी गई हैं।

(ङ) उपरोक्त (क) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

टीकाकरण के चलते नवजात शिशुओं की मृत्यु

2079. **श्री जी.एम सिद्देश्वर : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान टीकाकरण के पश्चात इसके प्रतिकूल प्रभाव के चलते बड़ी संख्या में नवजातों की मृत्यु हुई;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए;

(घ) क्या सरकार ये मिलावटी टीके निजी आपूर्तिकर्त्ताओं से खरीद रही थी; और

(ङ) यदि हां, तो इन निजी आपूर्तिकर्ताओं के खिलाफ सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदीप बंदोपाध्याय) : (क) और (ख) ए.ई.एफ.आई निगरानी प्रणाली के मजबूत बनाए जाने के कारण मौतों सहित प्रतिरक्षण उपरांत गंभीर प्रतिकूल घटनाओं की रिपोर्ट रही हैं। प्रतिरक्षण कार्यक्रम में समुदाय का विश्वास बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा एईएफआई की निगानी की जा रही है क्योंकि हो सकता है कि प्रतिरक्षण उपरांत मौतों सहित सभी गंभीर एईएफआई का संबंध टीकाकरण से न हो। विगत तीन वर्षों में एईएफआई टीकाकरण के चलते बच्चों की मौतों के कारणों का नीचे उल्लेख किया गया है।

कारण	2011	2010	2009
इंजेक्शन का दुष्प्रभाव	0	1	0
कार्यक्रम की त्रुटियां	6	11	4
टीके का दुष्प्रभाव	4	10	6
आकस्मिक	67	78	53
अवर्गीकृत	56	38	53
कुल	133	138	116

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा किए गए विभिन्न उपाय निम्नलिखित हैं।

- राज्य सरकारों के कार्यक्रम संबंधी त्रुटियों के कारण एईएफआई को कम करने के लिए 'क्या करें' और 'क्या न करें' पर केन्द्र सरकार द्वारा निर्देश समय-समय पर दिए जाते हैं।
- प्रतिरक्षण कार्यक्रम की निगरानी व समीक्षा करने के लिए पर्यवेक्षी दौरे किए जाते हैं ताकि कार्यक्रम संबंधी त्रुटियों के कारण होने वाली मौतों को कम किया जा सके।
- सभी सूचित एईएफआई मामलों का विश्लेषण जिला/राज्य/राष्ट्रीय एईएफआई समितियों द्वारा किया जाता है और किसी भी कार्यक्रम संबंधी त्रुटि के मामले में तत्काल कार्रवाई की जाती है।

एईएफआई की रिपोर्टिंग को मजबूत बनाने के लिए निम्नलिखित

उपाय भी किए जा रहे हैं।

- एईएफआई संबंधी दिशानिर्देश वर्ष 2010 में संशोधित किए गए थे और संशोधित दिशानिर्देशों को भेज दिया गया है।

- विभिन्न स्तरों पर प्रतिरक्षण से संबंधित अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया है ताकि कार्यक्रम संबंधी त्रुटियों के कारण एईएफआई मौतों को कम किया जा सके। इस प्रशिक्षण के दौरान किसी भी एईएफआई मामले में तत्काल प्रबंधन के लिए जोर दिया गया है।

(घ) टीके लाइसेंस प्राप्त सरकारी व निजी विर्निमाताओं से खरीदे जाते हैं जिनके पास को सीजीएमपी (व्यापक बेहतर निर्माण पद्धति) प्रमाणपत्र प्राप्त हो। (भारतीय औषध महानियंत्रक) राज्यों को आपूर्ति करने से पहले, इन टीकों का केन्द्रीय औषध प्रयोगशाला, कसौली में निरीक्षण व परीक्षण किया जाता है। अत: कोई भी नकली टीकें नहीं खरीदे जाते हैं।

(ङ) उपरोक्त में भाग (घ) के उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

पावर कंजेशन

2080. श्री राजय्या सिरिसिल्ला : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्युत उत्पादन कंपनियां रूकावट को दूर करने के लिए अल्पावधि ठेकों को प्राथमिकता देती हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल) : (क) विद्युत युटिलिटियां सामान्यत: पारेषण कॉरीडोर में निश्चित पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सामान्यत: दीर्घावधि संविदाओं को प्राथमिकता देती हैं। केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग के विनियमों के अनुसार, पारेषण प्रणाली तक दीर्घावधि पहुंच को मध्यावधि और अल्पावधि व्यवसाय से अधिक प्राथमिकता दी जाती है। पारेषण संबंधी रूकावटों अथवा ग्रिड सुरक्षा के कारण विद्युते प्रवाह में कटौती की स्थिति में, पहले अल्पावधि-व्यवसाय में और उसके बाद मध्यावधि संविदाओं और फिर दीर्घावधि संविदाओं में कटौती की जाती है।

(ख) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अन्तर्राज्यीय पारेषण और संबंधित मामलों में संबद्धता, दीर्घावधि पहुंच ओर मध्यावधि खुली पहुंच की स्वीकृति विनियम 2009) के संबंधित उद्धरण संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अन्तर्राज्यीय पारेषण और संबंधित मामलों में संबद्धता, दीर्घावधि पहुंच और मध्यावधि खुली पहुंच की स्वीकृति) विनियम 200 से उद्धरण

(1) जब पारेषण संबंधी रूकावटों अथवा ग्रिड सुरक्षा के हित में किसी पारेषण कॉरीडोर पर विद्युत प्रवाह में कटौती अनिवार्य हो जाती है तब क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र द्वारा पूर्व निर्धारित पारेषण में कटौती की जा सकती है।

(2) ग्रिड संहिता और आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किसी अन्य विनियम के प्रावधानों के अधीन पहले अल्पावधि ग्राहकों और फिर मध्यावधि ग्राहकों के लिए कटौती की जाएगी, जिसके बाद यथानुपात दीर्घावधि ग्राहकों और सिी श्रेणी विशेष के ग्राहकों के लिए कटौती की जायेगी।

[हिन्दी]

विद्युत की आपूर्ति

2081. श्री माणिकराव होडल्या गावित : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विद्युत कंपनियों के बीच खुली बाजार की प्रतियोगिता के संबंध में कोई विधेयक लाने का विचार है जिसके अंतर्गत कोई विद्युत कंपनी किसी क्षेत्र में विद्युत की आपूर्ति में स्वतंत्र होगी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार दिल्ली राजधानी में निजी कंपनियों द्वारा विद्युत की आपूर्ति हेतु लागत अनुमानों से अवगत है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी कंपनी-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो क्या सरकार इन कंपनियों द्वारा वहन किए जाने वाले विद्युत की लागत का पता लगाने हेतु किसी योजना

पर कार्य कर रही है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल) : (क) जी, नहीं। विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 14 में पहले से ही यह व्यवस्था है कि उचित आयोग उसमें वर्णित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए उसी क्षेत्र के भीतर अपनी स्वयं की वितरण प्रणाली के माध्यम से विद्युत के वितरण हेतु दो अथवा उससे अधिक व्यक्तियों को लाइसेंस प्रदान कर सकता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) विद्युत अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार टैरिफ का निर्धारण उचित आयोग द्वारा किया जाता है। यथार्थ में दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (डीईआरसी) उचित आयोग है और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार उपर्युक्त सरकार है। वित्त वर्ष 2012-13 के प्रशुल्क आदेश के आदेश पर, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में निजी कंपनियों द्वारा विद्युत की आपूर्ति के लिए लागत प्राक्कलन इस प्रकार है:-

क्रम संख्या	कंपनी का नाम	वित्त वर्ष 2012-13
1.	टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड (टीपीडीडीएल)	589.11 पैसे/यूनिट
2.	बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड (बीआरपीएल)	604.21 पैसे/यूनिट
3.	बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड (बीवाईपीएल)	646.05 पैसे/यूनिट

(ङ) और (च) उपर्युक्त (ग) और (घ) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

स्वास्थ्य परिचर्या तक पहुंच

2082. श्री शिवकुमार उदासी : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार स्वास्थ्य परिचर्या तक पहुंच नागरिकों के मूल अधिकार के रूप में संज्ञान लेने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक स्वास्थ्य बीमा शुरू करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) और (ख) जी, नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) नागरिकों के मूल अधिकार के रूप में स्वास्थ्य परिचर्या तक पहुंच के मामले में समुचित स्वास्थ्य अवसंरचना और संसाधन उपलब्धता के संदर्भ में एक सक्षम पर्यावरण की आवश्यकता होती है।

(घ) और (ङ) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने 1 अक्टूबर, 2007 को असंगठित क्षेत्र में बीपीएल परिवारों को (5 यूनिट वाले) फैमिली फ्लोटर आधार पर 30000 रुपए प्रति वर्ष की स्मार्ट कार्ड आधारित नकद रहित स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई) शुरू की है। यह योजना 1.4.2008 से शुरू है। तब से आरएसबीवाई को भवनों और अन्य निर्माण कार्मिकों (भवन एवं अन्य निर्माण कार्मिकों के तहत पंजीकृत (सेवा के रोजगार व शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996), गली के विक्रेताओं, बीड़ी श्रमिकों, घरेलू नौकरों और महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम के उन लाभार्थियों पर लागू किया गया है जिन्होंने पिछली वित्तीय वर्ष के दौरान 15 दिनों से अधिक के लिए काम किया है।

सहारिया जनजाति

2083. श्री अशोक तंवर : क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सहारिया जनजाति की राजस्थान तथा मध्य प्रदेश में आदिम जनजातीय समूह के रूप में पहचान है लेकिन उत्तर

प्रदेश में इसी जनजाति से संबंध रखने वाले व्यक्तियों को दलित माना जाता है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री महादेव सिंह खंडेला) : (क) और (ख) "सहारिया" राजस्थान तथा मध्य प्रदेश में विशेष रूप से कमजोर जाजातीय समूहों (पीटीजी) की सूची में शामिल नहीं है। तथापि, "सेहारियास" तथा "सहारियास" क्रमशः राजस्थान तथा मध्य प्रदेश में पीटीजी की सूची में शामिल है।

दवाओं की आपूर्ति

2084. **श्री बी.वाई राघवेन्द्र : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी अस्पतालों में मरीजों को मजबूर होकर बाजार से दवाइयां खरीदनी पड़ती है क्योंकि अस्पतालों को पर्याप्त दवाइयों की आपूर्ति नहीं की जाती है;

(ख) यदि हां, तो तो गत तीन वर्षों के दौरान कर्नाटक सहित देश में ऐसे कितने मामले प्रकाश में आए हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ग) स्वास्थ्य राज्य का विषय और इस प्रकार की सूचना केन्द्रीय रूप से नहीं रखी जाती है।

जहां तक दिल्ली में तीन केन्द्रीय सरकारी अस्पतालों नामतः सफदरजंग अस्पताल, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल तथा लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज तथा उससे संबद्ध अस्पतालों का संबंध है, दाखिल रोगियों को दवाइयां निःशुल्क प्रदान की जाती हैं। अस्पताल की फार्मूलरी के अनुसार अस्पताल के फार्मेसी से ओ.पी.डी रोगियों को दवाईयां प्रदान की जाती हैं। यदि अस्पताल स्टोर में कोई दवाईयां उपलब्ध नहीं हैं तो उसे निर्धारित केमिस्टों के माध्यम से स्थानीय खरीद द्वारा उपलब्ध कराया जाता है।

[हिन्दी]

भारतीयों में प्रजनन क्षमता का अभाव

2085. **श्री अनुराग सिंह ठाकुर : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एक अध्ययन के निष्कर्षों पर ध्यान दिया है जिसके अनुसार गत पांच वर्षों के दौरान भारतीयों में प्रजनन क्षमता में गिरावट में तेजी आई है तथा उनके शुक्राणुओं की मात्रा न केवल कम हुई बल्कि रासायनिक उद्योगों से निकलने वाले 'जीनोबायोटिक्स' के चलते उनकी गुणवत्ता भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किए गए/प्रस्तावित हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) जी, हां। अध्ययनों से पता चला है कि विभिन्न प्रकार के जीनोबायोटिक्स के उपयोग से सीमेन की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

(ग) सरकार ने उपरोक्त समस्या को रोकने के लिए पर्यावरणीय प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु कई कदम उठाए हैं।

[अनुवाद]

ब्लड बैंक

2086. **श्रीमती हरसिमरत कौर बादल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितने रक्त बैंक हैं;

(ख) इन रक्त बैंकों में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/प्रस्तावित हैं;

(ग) क्या रक्त बैंकों की सावधिक लेखापरीक्षा रक्त की गुणवत्ता की जांच करने के लिए की गई है;

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा तथा इसके परिणाम क्या रहे; और

(ङ) उक्त अवधि के दौरान दिशानिर्देशों का पालन नहीं किए जाने के लिए राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितने रक्त बैंकों को दोषी पाया गया तथा सरकार द्वारा उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई/करने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) देश में लाइसेंस प्राप्त ब्लड बैंकों की संख्या बताने वाला राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) ब्लड बैंकों के लिए औषधि और सौंदर्य प्रसाधन सामग्री नियमावली, 1945 के तहत ब्लड बैंकों से संबंधित प्रावधानों का अनुपालन करना आवश्यक है ताकि ब्लड की गुणवत्ता तथा मानक सुनिश्चित किये जा सकें। इन ब्लड बैंकों की समय-समय पर विनियामक प्राधिकरणों द्वारा जांच की जाती है ताकि उनकी गुणवत्ता और मानकों को सुनिश्चित किया जा सके।

(ग) से (ङ) चंडीगढ़, गोवा, मेघालय, मिजोरम, लक्षद्वीप, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों ने शून्य जानकारी दी है। निम्नलिखित राज्यों से प्राप्त जानकारी निम्नानुसार है:

राज्य	अनुपालन न किए जाने पर मामलों की संख्या	की गई कार्रवाई
तमिलनाडु	2009-2010-2 मामले	अभियोजन शुरू किया गया
	2010-2011-1 मामला	
	2011-2012-4 मामले	
	2012-2013 - शून्य (2012/07/31 तक)	
पंजाब	कुल 5 मामले	ब्लक बैंकों को औषध एवं सौंदर्य प्रसाधन सामग्री नियमावली 1945 के प्रावधानों के अनुसार और लाइसेंस शर्तों और कमियों का अनुपालन न करने के कारण उनके कार्य करने/संचालन रोकने का निर्देश दिया गया था।
हरियाणा	2009-2010-5 मामले	2 ब्लड बैंकों का लाइसेंस रद्द कर दिया है।
	2010-2011-6 मामले	14 ब्लड बैंक के लाइसेंसों को निलंबित कर दिया।
	2011-2012-3 मामले	
	2012-2013-2 मामले	
पश्चिम बंगाल	2011-2012-16 मामले	5 ब्लक बैंक के लाइसेंस को निलंबित कर दिया। अन्य मामलों में कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं।
झारखंड	2009-2010-1 मामला	लाइसेंस निलंबित कर दिया।
	2010-2011-1 मामला	लाइसेंस निलंबित कर दिया।
	2011-2012-2 मामले	में एक और लाइसेंस रद्द लाइसेंस के एक मामले में निलंबित कर दिया।

विवरण

देश में 31 मार्च, 2012 तक लाइसेंस्ड ब्लक बैंक की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	सरकारी ब्लड बैंकों की संख्या	निजी ब्लड बैंकों की संख्या	लाइसेंस्ड ब्लड बैंकों की कुल संख्या
1	2	3	4	5
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	2	1	3
2	आन्ध्र प्रदेश	70	194	264
3.	अरुणाचल प्रदेश	7	1	8
4.	असम	39	25	64
5.	बिहार	38	29	67
6.	चंडीगढ़	3	1	4
7.	छत्तीसगढ़	19	24	43
8.	दादरा और नगर हवेली	कोई नहीं	1	1
9.	दमन और दीव	1	कोई नहीं	1
10.	दिल्ली	22	43	65
11.	गोवा	2	2	4
12.	गुजरात	31	122	153
13.	हरियाणा	19	44	63
14.	हिमाचल प्रदेश	19	1	20
15.	जम्मू और कश्मीर	25	2	27
16.	झारखंड	24	19	43
17.	कर्नाटक	39	139	178
18.	केरल	34	129	163
19.	लक्षद्वीप	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं

1	2	3	4	5
20.	मध्य प्रदेश	51	79	130
21.	महाराष्ट्र	81	212	293
22.	मणिपुर	3	कोई नहीं	3
23.	मेघालय	6	2	8
24.	मिजोरम	8	2	10
25.	नागालैंड	4	कोई नहीं	4
26.	ओडिशा	67	21	88
27.	पुदुचेरी	3	10	13
28.	पंजाब	49	48	97
29.	राजस्थान	47	40	87
30.	सिक्किम	2	1	3
31.	तमिलनाडु	96	175	271
32.	त्रिपुरा	7	कोई नहीं	7
33.	उत्तराखंड	21	4	25
34.	उत्तर प्रदेश	94	118	212
35.	पश्चिम बंगाल	74	39	113
	कुल	1007	1528	2535

[हिन्दी]

सेवा प्रदाताओं हेतु क्षमता निर्माण

2087. **श्री रामकिशुन :** क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पर्यटन क्षेत्र में सेवा प्रदाताओं हेतु क्षमता निर्माण हेतु योजना कार्यान्वित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान उक्त योजना के अंतर्गत राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितने लोगों को प्रशिक्षित किया गया है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान इस उद्देश्य हेतु राज्य सरकारों को राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितनी धनराशि मंजूर, जारी तथा उपयोग की गई?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुल्तान अहमद) : (क) से (घ) जी, हां। पर्यटन मंत्रालय पर्यटन और आतिथ्य उद्योग में मौजूदा सेवा प्रदाताओं के साथ ही उससे जुड़ने की इच्छा रखने वाले व्यक्तियों के लिए भी प्रशिक्षण हेतु सहायक कार्यक्रमों के माध्यम से सेवा प्रदाताओं के लिए क्षमता निर्माण की योजना का कार्यान्वयन कर रहा है। ये कार्यक्रम पर्यटन मंत्रालय द्वारा व्यापक रूप से चलाए जाते हैं और भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंध संस्थान, होटल प्रबंध संस्थानों, भोजन कला संस्थानों, हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान, भारत पर्यटन विकास निगम और घरेलू भारत पर्यटन कार्यालयों सहित प्रतिष्ठित संस्थानों द्वारा इन्हें लागू किया जाता है।

तथापि, राज्य सरकारें भी इस योजना के अंतर्गत शामिल किए गए कार्यक्रमों को संचालित करने हेतु सहायता के लिए पात्र हैं। विवरण में दिया गया ब्यौरा 2009-10, 2010-11, 2011-12 और वर्तमान वर्ष में राज्य सरकारों को स्वीकृत और जारी की गई सहायता को दर्शाता है। राज्य सरकारों सहित कार्यान्वयन को जारी की गई निधियों की उपयोगिता की समय-समय पर आयोजित समीक्षा बैठकों में मॉनीटरिंग की जाती है और यदि स्वीकार्य हो तो उपयोग प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर और निधियां जारी की जाती हैं।

विवरण

राज्यों को स्वीकृत और जारी सहायता

क्र.सं.	राज्य	केंद्रीय वित्तीय सहायता की राशि (सभी रुपए लाख में)							
		2009-10		2010-11		2011-12		वर्तमान वर्ष	
		स्वीकृत	जारी	स्वीकृत	जारी	स्वीकृत	जारी	स्वीकृत	जारी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	73.95	59.16	-	-			12.96	6.48
2.	अरुणाचल प्रदेश	17.00	13.60	3.56	2.85	-	0.71	20.00	16.00
3.	छत्तीसगढ़	-	-	-	-				
4.	गुजरात	-	-	-	-				
5..	हिमाचल प्रदेश	-	19.91	-	-				
6.	जम्मू और कश्मीर	86.10	62.70	-	-	20.00	16.00	51.00	48.5
7.	झारखंड	-	-	-	-	158.60	45.09		
8.	केरल	18.00	14.40	63.44	30.00				
9.	मध्य प्रदेश	-	-	52.86	45.00				
10.	मणिपुर	16.33	13.06	-	-				
11.	मेघालय	20.00	16.00	-	-				
12.	मिजोरम	-	-	-	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13.	नागालैंड	75.10	44.08	-	-				
14.	ओडिशा	52.86	50.00	-	-	105.73	55.45		
15.	सिक्किम	68.00	54.40	20.00	16.00				
16.	त्रिपुरा	68.05	54.44	17.50	14.00				
17.	तमिलनाडु	38.50	30.00	-	-				
18.	उत्तर प्रदेश	21.15	10.57	63.00	42.07				
19.	उत्तराखंड	-	-	-	-				
20.	पश्चिम बंगाल	-	-	-	-				
21.	एनसीटी ऑफ दिल्ली	-	-	-	-				
22.	पुदुचेरी	-	-	15.17	12.13				
23.	महाराष्ट्र	-	-	-	-	152.25	76.13		
24.	असम	-	-	-	-	13.26	6.63		

[अनुवाद]

युवा माताओं में रक्ताल्पता तथा कुपोषण

2088. **श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषरूप से शिशु-नियोजन तक कम या नहीं के बराबर पहुंच के कारण युवा माओं में रक्ताल्पता तथा कुपोषण की उच्चतर दर है;

(ख) यदि हां, तो ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में प्रत्येक राज्य विशेष रूप से आन्ध्र प्रदेश के संबंध में तुलनात्मक तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त अवधि के लिए अन्य राज्यों की तुलना में आन्ध्र प्रदेश में शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में आबंटित तथा व्यय की गई धनराशि कितनी है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री सुदीप बंदोपाध्याय) : (क) कम उम्र की माताओं में रक्ताल्पता तथा कुपोषण की घटनाएं दर्ज नहीं की जा रही हैं। तथापि, राष्ट्रीय परिवार एवं स्वास्थ्य सर्वेक्षण-III के अनुसार, रक्ताल्पता तथा कुपोषण की व्याप्तता (18-5 से कम बीएमआई सहित) 15-19 वर्ष की औरतों में क्रमशः 55.8 प्रतिशत तथा 46.8 प्रतिशत है। ग्रामीण तथा शहरी कम उम्र की माताओं हेतु छिटपुट आंकड़ों की निगरानी नहीं की जाती है।

(ख) रक्ताल्पता, कुपोषण की व्याप्तता तथा बच्चों में अंतराल संबंधी तुलनात्मक राज्य वार आंकड़ा संलग्न विवरण-I और II में दिया गया है।

(ग) किशोर प्रजनन एवं यौन स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत आबंटित निधियां तथा व्यय वार राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

विवरण-I

विशेष शरीर मास इंडेक्स स्तर, 2005-06 सहित 15-19 वर्ष की महिलाओं 19 की आयु वाली रक्ताल्पता महिला की प्रतिशतता

क्र.सं.	राज्य	महिला बी.एम.आई 18.5	महिला कोई भी रक्ताल्पता (12.0 g/dl)[2]
1	2	3	4
1.	असम	41.9	67.8
2.	कर्नाटक	51.4	51.3
3.	मेघालय	16.0	46.5
4.	त्रिपुरा	41.9	59.8
5.	तमिलनाडु	47.9	49.7
6.	मणिपुर	19.3	30.4
7.	नागालैंड	24.6	NA
8.	दिल्ली	32.2	49.7
9.	राजस्थान	48.7	53.9
10.	मध्य प्रदेश	47.4	52.1
11.	आन्ध्र प्रदेश	44.7	68.3
12.	पंजाब	39.2	41.4
13.	उत्तराखंड	42.9	59.3
14.	जम्मू और कश्मीर	35.7	53.4
15.	उत्तर प्रदेश	42.4	48.6
16.	केरल	36.2	34.7
17.	गोवा	48.1	39.1
18.	सिक्किम	18.4	64.1
19.	पश्चिम बंगाल	49.6	62
20.	मिजोरम	14.7	39.4
21.	छत्तीसगढ़	51.6	58.7
22.	हरियाणा	45.8	57.7
23.	ओडिशा	44.9	61.4
24.	हिमाचल प्रदेश	53.6	42.7
25.	अरुणाचल प्रदेश	20.6	51.2
26.	महाराष्ट्र	52.1	51.7
27.	झारखंड	47.8	67.2
28.	बिहार	52	66.4
	भारत	46.8	55.8

विवरण-II

पिछले जन्म से अंतराल द्वारा सर्वेक्षण से पहले 5 वर्षों के दौरान 15-19 वर्ष की आयु वाली माताओं में प्रसव की संख्या

क्र.सं.	राज्य	जन्म से पहले के महीने						
		7-17	18-23	24-35	36-47	48-59	60+	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	असम	*	*	*	*	*	*	100.0
2.	कर्नाटक	23.0	22.6	40.1	12.5	1.7	0.0	100.0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	मेघालय	*	*	*	*	*	*	100.0
4.	त्रिपुरा	*	*	*	*	*	*	100.0
5.	तमिलनाडु	*	*	*	*	*	*	100.0
6.	मणिपुर	*	*	*	*	*	*	100.0
7.	नागालैंड	*	*	*	*	*	*	100.0
8.	दिल्ली	*	*	*	*	*	*	100.0
9.	राजस्थान	*	*	*	*	*	*	100.0
10.	मध्य प्रदेश	*	*	*	*	*	*	100.0
11.	आन्ध्र प्रदेश	10.0	305	45.3	14.3	0.0	0.0	100.0
12.	पंजाब	*	*	*	*	*	*	100.0
13.	उत्तराखंड	*	*	*	*	*	*	100.0
14.	जम्मू और कश्मीर	*	*	*	*	*	*	100.0
15.	उत्तर प्रदेश	31.9	18.8	40.6	8.7	0.0	0.0	100.0
16.	केरल	उत्तर नहीं	उत्तर नहीं	उत्तर नहीं	उत्तर नहीं	उत्तर नहीं	उत्तर नहीं	
17.	गोवा	*	*	*	*	*	*	100.0
18.	सिक्किम	*	*	*	*	*	*	100.0
19.	पश्चिम बंगाल	23.8	20.1	43.4	7.3	5.4	0.0	100.0
20.	मिजोरम	*	*	*	*	*	*	100.0
21.	छत्तीसगढ़	*	*	*	*	*	*	100.0
22.	हरियाणा	*	*	*	*	*	*	100.0
23.	ओडिशा	*	*	*	*	*	*	100.0
24.	हिमाचल प्रदेश	*	*	*	*	*	*	100.0
25.	अरुणाचल प्रदेश	*	*	*	*	*	*	100.0
26.	महाराष्ट्र	23.3	22.8	52.1	1.7	0.0	0.0	100.0
27.	झारखंड	16.1	32.6	33.7	9.6	8.0	0.0	100.0
28.	बिहार	13.5	14.5	54.1	14.5	3.4	0.0	100.0
	भारत	22.5	23.0	41.6	10.6	2.2	0.1	100.0

*दिखाया नहीं गया है, 25 आधारित मामलों।

विवरण-III

11वीं पंववर्षीय योजना के लिए एवं आर.एच.एम के तहत राज्य-वार आबंटन जारी व व्यय दी गई निधियां

क्र.सं.	राज्य	2007-08			2008-09			2009-10		
		आवंटन	जारी	व्यय	आवंटन	जारी	व्यय	आवंटन	जारी	व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	5.60	13.01	9.01	10.71	12.56	12.76	16.82	8.23	20.11
2.	आन्ध्र प्रदेश	628.43	608.94	505.18	663.37	638.73	700.13	717.30	708.32	764.91
3.	अरुणाचल प्रदेश	47 99	44.50	47.62	43.95	36.51	57.69	51.14	57.32	66.16
4.	असम	637.84	602 16	547.47	638.94	606.89	698.32	906.72	813.83	763.71
5.	बिहार	685 16	350.24	423.25	777.70	821.18	783.19	860.29	649.71	326.20
6.	चंडीगढ़	6.48	6.45	4.11	8.04	5.31	6.47	9.86	7.59	8.25
7.	छत्तीसगढ़	222.60	190.85	197.77	259.35	249.72	162.12	292.01	261.65	240.41
8.	दादरा और नगर हवेली	3.08	2.36	2.85	3.45	3.28	3.86	4.27	3.27	4.62
9.	दमन और दीव	2.79	1.98	2.43	3.07	2.60	2.41	3.51	2.33	3.46
10.	दिल्ली	77.73	55.31	51.06	100.37	99.62	55.68	121.25	83.03	75.89
11.	गोवा	11.71	5.07	6.92	13.52	14.09	8.89	12.90	12.43	18.59
12.	गुजरात	369.20	394.93	306.81	414.07	342.81	495.43	464.90	500.55	634.27
13.	हरियाणा	137.25	115.79	98.57	169.20	165.02	187.73	179.72	206.17	336.78
14.	हिमाचल प्रदेश	67.32	52.41	56.55	77.74	64.21	94.84	97.07	115.41	167.81
15.	जम्मू और कश्मीर	87.02	160.45	76.27	102.24	76.48	111.94	134.94	130.34	155.59
16.	झारखंड	266.54	159.15	124.99	294.00	247.27	299.30	349.39	179.34	195.45
17.	कर्नाटक	393.94	297.32	275.29	451.83	437.64	426.84	505.17	436.86	680.64
18.	केरल	236.40	293.86	144.03	25361	222.88	331.20	284.34	237.62	385.19

(रुपए करोड़ में)

2010-11			2011-12			कुल		
आवंटन	जारी	व्यय	आवंटन	जारी	व्यय	आवंटन	जारी	व्यय
12	13	14	15	16	17	18	19	20
20.28	15.84	17.66	22.64	8.85	37.31	76.05	58.49	96.85
816.11	810.23	693.82	931.80	934.11	692.37	3757.00	3700.34	3356.50
66.67	73.76	78.64	56.02	75.82	89.14	265.77	287.91	339.24
894.01	736.45	1093.37	851.35	877.39	1035 14	3928.86	3636.81	4138.01
977.40	1035.18	1454.98	1122.10	787.28	1140.51	4422.65	3643.59	4628.13
11.20	6.91	9.25	11.72	8.69	10.75	47.31	34.94	38.83
345.73	327.24	308.60	392.54	421.63	48258	1512.26	1450.99	1391.49
4.77	6.30	5.76	5.92	4.81	6.07	21.49	20.02	23.15
3.92	3.06	3.96	4.98	2.57	5.10	18.28	12.54	17.37
136.74	108.48	90.13	146.27	102.36	90.41	581.37	448.80	363.16
16.68	17.21	18.37	20.47	19.88	26.63	75.28	68.68	79.39
528.69	556.79	722.26	600.61	620.98	766.41	2377.48	2416.06	2925.18
203.94	219.63	287.78	233.52	297.34	285.08	920.63	1004.01	1195.93
110.68	113.22	164.74	123.89	197.20	149.28	476.69	542.45	633.23
153.87	173 80	210.76	175.54	252.48	249.39	653.60	793.55	802.96
398.78	356.90	381.09	458.88	487 46	419.41	1767.61	1410.12	1420.25
55180	586 38	700.62	612.69	672.66	754.42	2525 43	2431.07	2839.91
308.59	253.41	385.95	345.37	582.51	423.64	1428.31	1590.28	1670.02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	लक्षद्वीप	1.79	1.08	0.62	2.13	1.22	2.18	2.09	1.09	2.86
20.	मध्य प्रदेश	689.95	617.09	645.70	609.02	707.88	686.97	705.88	604.79	741.28
21.	महाराष्ट्र	603.58	672.52	550.76	779.16	587.43	873.15	860.39	559.72	1044.71
22.	मणिपुर	65.91	49.27	40.99	66.34	56.58	62.06	90.09	81.45	64.11
23.	मेघालय	61.26	43.04	32.70	65.48	44.76	51.27	85.75	79.76	75.13
24.	मिजोरम	37.46	32.67	56.22	40.24	37.44	54.26	50.72	49.87	58.66
25.	नागालैंड	55.20	44.75	43.45	57.96	56.23	57.65	78 30	73.87	64.26
26.	ओडिशा	383.52	387.16	295.07	392.88	388.05	334.05	457.57	470.18	646.74
27.	पुदुचेरी	9.41	4.71	7.14	11.31	5.12	7.29	11.32	12.04	13.34
28.	पंजाब	161.69	107.84	111.64	135.89	163.03	190.06	205.58	359.53	241.41
29.	राजस्थान	571.89	660.90	537.65	596.53	798.15	909.16	633.19	748.96	1001.74
30.	सिक्किम	17.49	34.27	13.39	21.44	19.88	5062	26.73	25.80	35.73
31.	तमिलनाडु	430.31	546.56	392.74	515.70	501.60	534.42	568 68	639.10	691.93
32.	त्रिपुरा	85 62	79.04	38.28	88.32	77.58	68.73	125.20	111.98	81.10
33.	उत्तर प्रदेश	1325.09	1258.77	956.47	1727.59	1474.91	1546.08	1867.65	1965.82	2230.74
34.	उत्तराखंड	91.33	89.20	72.74	100.16	98.44	132.48	117.75	130.85	144.00
35.	पश्चिम बंगाल	544.73	525.23	335.33	639.93	539.79	563.75	678.81	741.25	730.24
	कुल	9023.36	8508.87	7010.07	10192.23	9625.09	10565.10	11581.30	11470.18	13216.05
	अन्य प्रशिक्षण एवं केन्द्रीय संघटक एन.एच.आर.एम. के अंतर्गत									
	कुल योग	9023.35	8508.87	7010.07	10192.23	9625.09	10565.10	11581.30	11470.18	13216.05

टिप्पणियां:

वित्तीय वर्ष 2009-10 के लिए 2010-11 और 2011-12 के लिए व्यय अनंतिम है।

उपरोक्त निर्मुक्तियां केन्द्र सरकार अनुदान से संबंधित है और इसमें राज्य का अंशदान शामिल नहीं है।

12	13	14	15	16	17	18	19	20
2.28	2.54	3.44	3.99	1.62	4.10	12.28	7.54	13.21
766.66	784.40	996.80	870.83	959.47	950.62	3642.34	3673.64	4021.37
981.28	903.36	1271.63	1078.51	1309.24	1462.69	4302.91	4432.28	5202.95
98.67	67.98	68.21	68.49	61.29	65.88	409.50	316.59	301.26
88.95	52.50	91.99	94.25	62.31	107.72	395.69	282.40	358.81
62.15	70.49	77.33	63.46	67.13	71.89	254.03	257.59	318.36
82.47	66.40	81.84	83.31	88.00	111.81	357.24	329.24	359.02
494.09	549.44	664.37	568.53	693.89	721.03	2296.60	2488.70	2661.26
13.94	16.32	17.36	15.17	15.83	19.43	61.18	54.01	64.56
246.77	252.81	339.34	276.56	336.45	382.71	1080.48	1239.67	1265.19
743.41	863.97	1172.06	824.17	1045.55	1040.35	3369.19	4117.53	4660.96
35.54	32.94	33.45	34.01	27.07	31.95	135.21	139.97	165.15
659.92	702.09	825.22	765.42	774.89	917.15	2940.02	3164.25	3361.46
116.91	85.47	105.43	117.46	68.39	107.77	533.51	422.47	401.31
2079.73	2191.36	2693.30	2224.00	1863.69	1999.49	9224.07	8754.54	9426.07
129.16	147.39	206.31	169.95	208.45	212.90	608.37	674.32	768.44
771.41	680.79	836.69	870.31	931.34	901.71	3505.18	3418.41	3367.71
12923.26	12871.11	16112.63	14263.72	14848.55	15772.86	57983.86	57323.79	62676.72
			27 80	111.88	77.15	27.80	111.88	77.15
12923.26	12871.11	16112.63	14291.62	14960.43	15860.01	58011.65	57435.67	62763.87

विवरण-IV

वित्तीय वर्ष 2007-08 से 2011-12 तक ए.आर.एस.एच के अंतर्गत आबंटन व व्यय

लाख रुपए में

क्र.सं.	राज्य	2007-08		2008-09		2009-10		2010-11		2011-12	
		अनुमोदन	व्यय	अनुमोदन	व्यय	अनुमोदन	व्यय	अनुमोदन	व्यय	अनुमोदन	व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
क.	**अधिक ध्यान दिए जाने वाले राज्य**										
1.	बिहार	100.00	0.00	0.25	0.00	38.05	0.86	44.05	0.00	1504.38	200.64
2.	छत्तीसगढ़	4.00	99.06	3.62	30.04	0.00	12.67	10 00	0.00	18.50	1.98
3.	हिमाचल प्रदेश	13.00	0.00	13.20	0.00	0.00	1.45	39.85	12.36	312.66	194.90
4.	जम्मू और कश्मीर	8.08	8.30	61.45	0.00	34.32	0.17	41.82	36.58	5.12	10.15
5.	झारखंड	161.84	0.00	161.86	157.24	7.70	0.00	20.34	253.66	312.28	279.29
6.	मध्य प्रदेश	85.03	33.75	83.97	37.38	55.76	38.51	114.76	185.66	143.83	47.19
7.	ओडिशा	36 00	1.04	42.30	1.88	16.65	0.00	36.30	2.30	938.57	669.50
8.	राजस्थान	182.00	0.16	133.00	135.06	100.00	68.59	12.00	6.85	104.25	215.50
9.	उत्तर प्रदेश	344.05	124.61	344.05	495.29	174.36	162.53	311.00	0.00	1286.22	256.25
10.	उत्तराखंड	58.56	0.00	25.20	0.00	120.00	22.06	195.90	188.79	921.38	771.40
	उप योग	992.56	286.91	888.89	856.89	547.84	306.35	826.02	686.21	5547.18	2647.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ख.	**पूर्वोत्तर राज्य**										
11.	अरुणाचल प्रदेश	0.62	0.00	14.40	0.00	1.00	1.00	57.80	6.09	11.33	37.43
12.	असम	49.37	53.46	9.70	21.81	13.56	1.95	144.79	16.42	257.17	72.98
13.	मणिपुर	18.69	0.00	14.70	14.31	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	4.99
14.	मेघालय	22.00	1.24	36.51	0.00	16.60	0.10	70.34	10.47	41.27	49.40
15.	मिजोरम	6.56	2.57	8.55	6.65	1.00	1.00	12.60	6.58	63.28	33.90
16.	नागालैंड	0 00	0.00	5.40	0.00	12.50	0.00	27.50	17.90	36.00	32.27
17.	सिक्किम	3.59	0.00	2.48	0.00	6.40	1.46	2.90	1.70	9.50	8.81
18.	त्रिपुरा	0.00	0.00	52.50	2.33	24.62	8.55	42.74	32.06	129.47	22 12
	उप योग	100.83	57.28	144.24	45.10	75.68	14.06	358.67	91.22	554.02	261.91
ग.	**कम ध्यान दिए जाने वाले राज्य**										
19.	आन्ध्र प्रदेश	87.28	0.00	125.00	3.18	10.80	0.00	60.00	0.00	1204.58	704.17
20.	गोवा	1.00	0.00	3.00	0.17	2.00	0.29	1.00	0.00	57.91	9.39
21.	गुजरात	108.04	43.08	117.39	62.74	394.39	17.65	199.20	151.86	979.14	1065.73
22.	हरियाणा	23.52	9.63	91.16	73 45	26.90	6.08	40.65	12.10	241.14	123.70
23.	कर्नाटक	50.26	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	135.00	52.32	820.70	785.37
24.	केरल	191.39	0.00	89.31	63.75	89.31	111.44	50.00	18.45	577.40	319.76
25.	महाराष्ट्र	157.77	10.28	168.96	87.02	141.58	50.36	281.94	183.07	3509.41	3676.01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26.	पंजाब	16.61	12.91	27.07	11.72	38.23	17.56	95.97	9.66	674.85	420.26
27.	तमिलनाडु	352.66		238.00	21.91	28.00	0.00	1 97	000	1197.17	22.26
28.	पश्चिम बंगाल	0.00	413.20	181.96	544.52	92.96	95.00	12.60	0.00	1059.75	241.74
	उप योग	988.53	489.09	1081.84	868.47	824.17	298.38	878.33	427.46	10322.05	7368.38
घ.	छोटे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र										
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.85	11.04
30.	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	0.56	129.64	78.02
31.	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	63.96	34.75
32.	दमन	0.00	0.00	2.55	0.00	2.00	1.48	3.25	0.00	8.97	4.76
33.	दिल्ली	0.00	0.00	0.80	0.00	1.20	0.00	54.25	0.00	29.09	0.80
34.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.43	1.87	16.18	0.00
35.	पुदुचेरी	0.73	0.76	20.69	4.40	19.12	6.55	66.87	66.45	38.62	30.60
	उपयोग	0.73	0.78	24.04	4.40	22.62	8.03	150.80	68.88	342.31	159.96
	कुल योग	2082.85	814.05	2119.01	1774.86	1470.31	627.32	2213.82	1273.77	1665.56	1043.46

टिप्पणियां:

वित्तीय वर्ष 2007-08 से 2010-11 के लिए व्यय के आंकड़े लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अनुसार है।

वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए व्यय के आंकड़े एफ.एन.आर के अनुसार हैं।

वित्तीय प्रबंधन रिपोर्ट।

[हिन्दी]

आतंकवाद पर महासभा का प्रस्ताव

2089. श्री सुरेन्द्र सिंह नागर : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आतंकवाद की चुनौती का मुकाबला करने तथा मानवाधिकार उल्लंघन को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र की महासभा में हाल में किसी प्रस्ताव को पारित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके परिणामस्वरूप संयुक्त राष्ट्र के किसी सदस्य देश पर यदि कोई प्रतिबंध लगाया गया हो, तो वह क्या है; और

(ग) किन-किन देशों द्वारा उक्त प्रस्ताव को अभी समर्थन दिया जाना बाकी है तथा इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 19 दिसंबर, 2011 को 'आतंकवाद का सामना करते समय मानवाधिकार तथा मूल स्वतंत्रता की रक्षा' पर सर्वसम्मति से एक संकल्प (ए/आरईएस/66/171) अंगीकार किया। यह संकल्प आतंकवाद, इसके प्रयोजन का ध्यान किए बिना, के सभी रूपों तथा स्वरूपों में, चाहे यह कहीं भी तथा किसी के द्वारा भी किया गया हो, आपराधिक तथा अन्यायपूर्ण बताते हुए इसकी स्पष्ट शब्दों में निंदा करने की पुनः पुष्टि करता है। यह संकल्प, अन्य बातों के साथ-साथ, राष्ट्रों से अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत अपने-अपने दायित्वों का पूर्णरूपेण पालन करने तथा आतंकवाद का सामना करते समय कानून के शासन का सम्मान करने और आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारों सहित सभी मानवाधिकारों की रक्षा करने का आग्रह करता है।

[अनुवाद]

हवाई अड्डों का पुनः नामकरण

2090. श्री कोडिकुन्नील सुरेश : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल सहित विभिन्न राज्य सरकारों से हवाई अड्डों के नाम में परिवर्तन के संबंध में प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा प्रत्येक प्रस्ताव की क्या स्थिति है;

(ग) क्या इस संबंध में स्थानीय प्रतिनिधियों/प्राधिकारियों से परामर्श किए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं तो इसके क्या कारण है?

नागर विमानन मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) और (ख) हवाईअड्डों के पुनःनामकरण के प्रस्ताव समय-समय पर विभिन्न राज्य सरकारों से प्राप्त होते रहते हैं। तथापि, केरल सरकार से अपने हवाईअड्डों के पुनःनामकरण का ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। इस समय गया हवाईअड्डे के पुनःनामकरण के लिए बिहार सरकार का तथा चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर स्थापित किए जाने वाले सिविल एयर टर्मिनल परिसर के पुनःनामकरण के लिए पंजाब/हरियाणा राज्य सरकार का प्रस्ताव इस मंत्रालय के पास है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। इस संबंध में स्थानीय प्रतिनिधियों/प्राधिकारियों से परामर्श नहीं किया गया है। सामान्यतः, संबंधित विधान सभा का संकल्प प्राप्त होने के पश्चात, राज्य सरकारों द्वारा प्रस्ताव भेजे जाने होते हैं। हवाईअड्डों के पुनःनामकरण का संकल्प पारित करते समय राज्य विधान सभाओं द्वारा स्थानीय प्रतिनिधियों/प्राधिकारियों के विचारों को ध्यान में रखा जाता है। राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों पर अन्य मंत्रालयों/विभागों से परामर्श करके इस मंत्रालय में विचार किया जाता है ताकि मंत्रिमंडल का अनुमोदन लिया जा सके।

हज उड़ानें

2091. श्री ए.के.एस विजयन : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हज उड़ानों के लिए की गई/प्रस्तावित तैयारियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने हज यात्रियों की कठिनाइयों/परेशानियों के संबंध में शिकायतें प्राप्त की हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या हवाई भाड़े पर राजसहायता समाप्त करने तथा

वैश्विक निविदाओं की स्वतंत्रता की मांग तथा अनुरोध किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

नागर विमानन मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) भारतीय हज समिति के माध्यम से हज पर जा रहे 1,25,000 हज यात्रियों के लिए चार्टर उड़ानों से विमान यात्रा की व्यवस्था की गई है। हज चार्टर उड़ानें भारत में 21 हवाईअड्डों से सउदी अरब की राजधानी स्थित लेद्दाह/मदीना के लिए प्रचालित की जाएंगी। चार्टर उड़ानें प्रचालित करने के लिए टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से एअर इंडिया और सउदी अरब एयरलाइंस का चयन किया गया है।

(ख) और (ग) पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान हज उड़ानों में असबाब न मिलने, उड़ानों के प्रचालन में विलम्ब होने, जलपान/होटल आवास उपलब्ध कराने में विलंब होने जैसी कुछ शिकायतें प्राप्त हुईं।

(घ) और (ङ) हजयात्रियों की विमान यात्रा पर राजसहायता को धीरे-धीरे कम करने/समाप्त करने पर सरकार विचार कर रही है। विमान यात्रा की लागत को कम करने के लिए टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से विमान कंपनियों का चयन किया जा रहा है और हज यात्रियों से लिए जाने वाले किराए में क्रमशः वृद्धि भी की जा रही है।

विद्युत पर सम्मेलन

2092. श्री ए.साई प्रताप : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में नई दिल्ली में राज्य विद्युत मंत्रियों का सम्मेलन बुलाया गया था;

(ख) यदि हां, तो बैठक में हुई चर्चा का ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या परिणाम रहे;

(ग) क्या योजना आयोग ने राज्यों को विद्युत प्रशुल्कों को बढ़ाने के लिए कहा है;

(घ) यदि हां, तो इस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) बैठक में अन्य किन-किन मुद्दों पर चर्चा की गई तथा आगामी पांच वर्षों में विद्युत उत्पादन में कितनी वृद्धि दर्ज की जाएगी?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल) : (क) और (ख) योजना आयोग ने बारहवीं योजना के ऊर्जा चैप्टर पर राज्य सरकारो से परामर्श करने के लिए दिनांक 17.7.2012 को राज्यों के ऊर्जा मंत्रियों की एक बैठक बुलाई थी।

(ग) और (घ) योजना आयोग विद्युत आपूर्ति की लागत की भरपाई करने के लिए राज्यों को विद्युत प्रशुल्क संशोधित करने का सुझाव देता रहा है, ऐसा न हो पाने पर राज्य वितरण कंपनियों का प्रचालन स्थायी नहीं हो पाएगा। अधिकांश राज्य सरकारों ने सूचित किया है कि प्रशुल्क में संशोधन के लिए याचिका संबंधित राज्य विद्युत विनियामक आयोग के साथ उठाई जा रही है।

(ङ) विद्युत मंत्रियों द्वारा सम्मेलन में अन्य मुद्दों के साथ ईंधन आपूर्ति की समस्या, विद्युत उत्पादन क्षमता संवर्द्धन, पर्यावरण व वन स्वीकृति आदि पर भी विचार-विमर्श किया गया।

[हिन्दी]

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों में मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रभारी की शक्तियां

2093. श्री शैलेन्द्र कुमार : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों में मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रभारी की प्राधिकृत शक्तियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) किस आधार पर उपर्युक्त प्रभारी केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना के पैनल के निजी अस्पतालों में इलाज हेतु विभिन्न बीमारियों विशेष रूप से कैंसर तथा हड्डी के रोगों से पीड़ित सेवानिवृत्त व्यक्तियों को अनुमति दे सकते हैं; और

(ग) गत एक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान अब तक दिल्ली में कैंसर तथा हड्डी के मरीजों का औषधालय-वार ब्यौरा क्या है जिन्हें मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रभारी द्वारा केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना के पैनल के निजी अस्पतालों में उपचार लेने हेतु अनुमति प्रदान की गई?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) वेलनेस केंद्रों के कार्य संचालन पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रभारी का संपूर्ण प्रशासनिक नियंत्रण है। वे सरकारी विशेषज्ञों की

सलाह पर निजी पैनलबद्ध अस्पताल में अंतरंग उपचार के लिए पेंशनर लाभार्थियों को अनुमति प्रदान कर सकते हैं। तथापि, यह दिल्ली में आपातकालीन स्थिति में तथा गैर आपातकालीन स्थिति में सेटेलाइट शहरों के मामले में सरकारी विशेषज्ञों के सुझाव बिना भी स्वीकृति दी जा सकती है। इसके अतिरिक्त, अगर कोई विशिष्ट प्रक्रिया निजी पैनलबद्ध अस्पताल द्वारा सुझाई गई हो, तो वह संभव दुरुपयोग को रोकने हेतु सेवाएं प्रदान करने से पहले संबद्ध मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रभारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित होना चाहिए। वे एक समय में 3 महीनों तक पुराने मामलों में दवाएं जारी कर सकते हैं वे नियमित आपूर्ति के लिए 2000 रु. की पेशगी के अलावा 1000 रु. का व्यय उठा सकते हैं।

(ख) सामान्यत: मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रभारी को हड्डियों से संबंधित बीमारियों तथा कैंसर के मामलों सहित उपचार हेतु सरकार/समान विशेषज्ञों के सुझाव पर पेंशनर लाभार्थियों (स्वायत्त निकायों को छोड़कर) के अंतरंग उपचार के लिए अनुमति जारी करनी चाहिए। तथापि, वे बिना किसी विशिष्ट सुझाव के अंतरंग उपचार हेतु अनुमति भी दे सकते हैं, बशर्ते इस प्रकार के गंभीर पुराने मामलों के निदान के लिए चिकित्सा में निपुण हो। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र के सेटेलाइट शहरों में, विशेषीकृत सरकारी चिकित्सा परिचर्या की लघुता के कारण वे सरकारी विशेषज्ञों के सुझाव बिना तथा पुराने मामलों के निदान हेतु चिकित्सा निपुणता के बिना निजी पैनलबद्ध अस्पताल में उपचार हेतु अनुमति प्रदान करने में सशक्त हैं।

(ग) टेबुलेट फार्म में नीचे ब्यौरा दिया गया है:

वेलनेस केंद्र का नाम	कैंसर रोगियों के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी, प्रभारी द्वारा दी गई अनुमति	ओर्थोपेडिक रोगियों के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी, प्रभारी द्वारा दी गई अनुमति
गोल मार्केट	6	2
आर.के. पुरम-III	7	4
त्रिनगर	1	1

लौह अयस्क का निर्यात

2094. श्री मधु कोड़ा : क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 62 प्रतिशत ग्रेड वाले लौह-अयस्क (एफई) के निर्यात की अनुमति दे दी है;

(ख) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान निर्यात किए गए विभिन्न ग्रेड के लौह अयस्क की मात्रा तथा मूल्य का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विगत तीन वर्षों के दौरान निर्यातित लौह अयस्क की मात्रा तथा राज्य सरकारों द्वारा अनुमति दी गई मात्रा में अंतर के संबंध में कोई शिकायत की गई है;

(घ) क्या लौह अयस्क व्यापारी तथा खान मालिक नियमों का उल्लंघन करके 62 प्रतिशत से ज्यादा ग्रेड वाले लौह अयस्क और 62 प्रतिशत से कम ग्रेड वाले लौह अयस्क को मिलाकर 62 प्रतिशत आनुपातिक ग्रेड वाले लौह अयस्क का निर्यात कर रहे हैं जिसके कारण राष्ट्रीय संसाधनों तथा राजस्व की भी हानि हुई है; और

(ङ) यदि हां, तो राजस्व घाटे को रोकने तथा इससे होने वाले राष्ट्रीय संसाधनों की हानि को रोकने के लिए सरकार क्या सुधारात्मक कदम उठा रही है?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) से (ग) लौह अयस्क का निर्यात सरकार की आयात-निर्यात नीति द्वारा विनियमित किया जाता है जिसमें यह प्रावधान है कि 64% लौह श्रेणी क लौह अयस्क का निर्यात मुक्त है एवं 64% से अधिक लौह श्रेणी के लौह अयस्क का निर्यात एमएमटीसी लिमिटेड

के माध्यम से किया जाएगा। इसके अतिरिक्त आयात-निर्यात नीति में यह प्रावधान है कि कुदरेमुख लौह अयस्क कंपनी लि. द्वारा उत्पादित लौह अयस्क सांद्रण तथा लौह अयस्क गुटिका को केवल उनके द्वारा ही निर्यात किया जाएगा। गत तीन वर्षों के दौरान निर्यात किए गए लौह अयस्क की कुल मात्रा एवं मूल्य निम्न प्रकार है :

वर्ष	मात्रा (मिलियन टन में)	मूल्य (करोड़ रुपए में)
2009-10	1234.31	3327.02
2010-11	996.53	43391.3
2011-12	573.521	28323.25

(स्रोत : टीआरयू)

राज्य सरकार लौह अयस्क के निर्यात के लिए नियतांश (कोटा) निर्धारित नहीं करती है।

(घ) मिश्रित अयस्क सहित सभी श्रेणियों के लौह अयस्क का निर्यात, आयात-निर्यात नीति द्वारा निर्देशित होता है तथा राजस्व की कोई हानि नहीं हुई है।

(ङ) उपर्युक्त (घ) के आलोक में प्रश्न नहीं उठता है।

विदेश स्थित भारतीय सांस्कृतिक केंद्र

2095. श्री रतन सिंह :
राजकुमारी रत्ना सिंह :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों में कार्यरत भारतीय सांस्कृतिक केंद्रों में धनराशि के दुर्विनियोजित की घटनाओं की जानकारी सरकार को है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान रिपोर्ट किया गया तत्संबंधी केंद्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में निर्धारित प्रक्रिया इन केंद्रों में धनराशियों के दुर्विनियोजन की समस्या को समाप्त करने में पर्याप्त नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा इस संबंध में सरकार ने अन्य क्या कदम उठाए हैं/उठाने का प्रस्ताव है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद) : (क) से (ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

[अनुवाद]

एन.टी.पी.सी. के कार्यों की वजह से मछुआरों को समस्या होना

2096. श्री सर्वे सत्यनारायण : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम में तिक्का वनिपलेम क्षेत्र में एनटीपीसी के चालू कार्यों के कारण मछुआरा समुदाय को कठिनाई हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) मछुआरा समुदाय को न्याय देने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

खाड़ी युद्ध हेतु क्षतिपूर्ति

2097. डॉ. पी. वेणुगोपाल : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाड़ी युद्ध के बाद कुवैत और इराक से पलायन करने वाले बहुत से भारतीय अभी भी संयुक्त राष्ट्र क्षतिपूर्ति आयोग (यू.एन.सी.सी.) से क्षतिपूर्ति पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यू.एन.सी.सी. से क्षतिपूर्ति की वचनबद्धता के बावजूद बैंक और विशेष कुवैत सेल द्वारा उनके साथ दुर्व्यवहार किए जाने की रिपोर्ट है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार ने इस संबंध में क्या कार्रवाई की है;

(ङ) क्या बैंक/कुवैत सेल/यू.एन.सी.सी. द्वारा एक या अन्य बहानों के आधार पर अनेक आवेदनों को निरस्त करने की घटनाओं के बारे में सरकार को जानकारी है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं और यू.एन.सी.सी. द्वारा क्षतिपूर्ति को शीघ्र जारी करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का प्रस्ताव है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद) : (क) जी, नहीं। संयुक्त राष्ट्र क्षतिपूर्ति आयोग (यूएनसीसी) ने जनवरी, 2008 में खाड़ी युद्ध से प्रभावित लोगों के व्यक्तिगत दावों से संबंधित अपनी कार्रवाइयां बंद कर दी हैं। तब से, यह अब किसी भी पूछताछ पर कार्रवाई नहीं कर रहा है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) लागू नहीं होता।

(ङ) बैंकों तथा विशेष कुवैत प्रकोष्ठ ने किसी भी आवेदनों को रद्द नहीं किया है। यह यूएनसीसी ही है, जिसने आवेदनों को स्वीकार/रद्द किया है। आवेदनों के मामले में यूएनसीसी का निर्णय अंतिम होता है।

(च) लागू नहीं होता।

सार्वजनिक स्वास्थ्य संवर्ग

2098. **श्री नृपेन्द्र नाथ राय :**
श्री मनोहर तिरकी :
श्री नरहरि महतो :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम) के अंतर्गत धनराशि के संवितरण के लिए एक अलग सार्वजनिक स्वास्थ्य संवर्ग और सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिनियम जैसे सार्वजनिक स्वास्थ्य पहलों को जोड़ने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके गुण-दोष क्या हैं;

(ग) इस संबंध में राज्य सरकारों की क्या भूमिका है;

(घ) क्या राज्य सरकारों ने इस प्रस्ताव पर अपनी सहमति दी है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदीप बंदोपाध्याय) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) से (ङ) 'जन स्वास्थ्य' राज्य का विषय है। अत: जन स्वास्थ्य संवर्ग का सृजन अनिवार्य रूप से राज्य सरकार क्षेत्राधिकार में आता है। फिर भी स्वास्थ्य प्रणाली सुधार को बढ़ावा देने हेतु जिन राज्यों के पास जन स्वास्थ्य संवर्ग नहीं है, वे अलग जन स्वास्थ्य संवर्ग का सृजन करके एनआरएचएम के तहत राज्य परिव्यय के 10 प्रतिशत प्रोत्साहन का दावा कर सकते हैं।

[हिन्दी]

ग्रामीण किसानों को सौर उपकरण

2099. **श्री सैयद शाहनवाज हुसैन** : क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ग्रामीण किसानों तथा जनजातीय लोगों को घरेलू उपयोग तथा सिंचाई के लिए सौर-उपकरणों पर सहायता प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो बिहार सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इससे लाभ पाने वालों की संख्या कितनी है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (डा. फारुख अब्दुल्ला): (क) जी हां।

(ख) जेएनएनएसएम की ऑफ-ग्रिड सौर अनुप्रयोग स्कीम के तहत मंत्रालय बिहार सहित देश में व्यक्तियों को सौर लालटेनों और घरेलू रोशनियों के वितरण/संस्थापना हेतु अधिकतम 81/-रुपए प्रति वाट पीक के अध्यधीन सेर प्रकाशवोल्टीय (एसपीवी) प्रणालियों

की बैंचमार्क लागत (270/-रुपए प्रति वाट पीक) की 30% सब्सिडी और एसपीवी जल पंपन प्रणालियों हेतु 57/-रुपए प्रति वाट पीक उपलब्ध करा रहा है। मंत्रालय नाबार्ड, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और अन्य वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से सौर लालटेनों, घरेलू रोशनियों और 210 वाट पीक तक के लघु क्षमता वाले पीवी संयंत्रों की संस्थानाप हेतु 108/-रुपए प्रति वाट पीक तक सीमित पूंजीगत लागत की 40% सब्सिडी भी उपलब्ध करा रहा है। शेष 60% लागत के लिए बैंक सामान्य वाणिज्यिक दरों पर लाभार्थियों को उधार की सुविधा देते हैं।

(ग) दिनांक 31 मार्च, 2012 तक देश में 910504 सौर लालटेनों, 861654 सौर घरेलू रोशिनियों और 7771 सौर जल पंपन प्रणालियों की संस्थापना की गई है। इसमें बिहार में 50117 सौर लालटेन, 6528 सौर घरेलू रोशनियां और 139 सोर जल पंपन प्रणालिया शामिल हैं। वर्ष 2011-12 के दौरान मंत्रालय ने 4115 स्कूलों और 9 परीक्षा केन्द्रों में 8740 किवा.पी समग्र क्षमता के स्टैंड अलोन एसपीवी विद्युत संयंत्रों की संस्थापना हेतु एक परियोजना मंजूर की। वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान मंत्रालय ने बिहार के 6 जिलों में 560 एसपीवी जल पंपन प्रणालियों की संस्थापना हेतु एक परियोजना मंजूर की है।

[अनुवाद]

सी.ई.डी.ए.डब्ल्यू.

2100. श्री पी.आर. नटराजन : क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने हाल ही में महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त (सी.ई.डी.ए.डब्ल्यू.) करने संबंधी अभिसमय की महाअनुशंसा सं.17 का अनुसमर्थन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ) : (क) सीडा के अंतर्गत सामान्य सिफारिशें स्वत: स्पष्ट होती हैं और विषय विशिष्ट की समिति द्वारा की जाती है। अत: सामान्य सिफारिशों का अनुसमर्थन करने की आवश्यकता नहीं होती है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

एम्स में रोगियों का एम.आर.आई

2101. श्री कुलदीप बिश्नोई : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (ए.आई.आई. एम.एस.) में रोगियों को उनकी मैगनेटिक रेसोनेन्स इमेजिंग (एम. आर.आई) रिपोर्ट एक वर्ष के बाद मिलती है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे असाधारण विलंब के क्या कारण हैं; और

(ग) एम्स के अधिकारियों तथा निजी एम.आर.आई केन्द्रों के एजेंटों जो रोगियों से काफी ऊंची दर पर एम.आर.आई के लिए शुल्क वसूलते हैं, के बीच सांठ-गांठ को तोड़ने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) रोगियों की रिपोर्ट अर्थात लिखित रिपोर्ट जो एम.आर.आई अध्ययन के बाद तैयार की जाती है, वह 3-4 कार्य दिवसों में रोगियों को दी जाती है।

(ग) उपरोक्त के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

ग्राम सभा को शक्तियां

2102. श्री कीर्ति आजाद : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंचायती राज संस्थाएं देश में उसी भावना के साथ कार्य कर रही हैं, जिनके लिए उनका गठन किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो ग्राम सभाएं किस हद तक अपनी शक्तियों का उपयोग कर रही हैं तथा राज्य सरकारें इस संबंध में किस हद तक अनुपालन कर रही हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा पंचायती राज राज्य मंत्री (श्री वी. किशोर चंद्र देव) : (क) और (ख) पंचायतों का कार्यकरण संविधान के भाग में अंतर्निहित प्रावधानों के अनुसार अधिशासित होता है। संविधान के अनुच्छेद 243छ के अनुसार राज्य पंचायतों को ऐसी शक्तियां एवं प्राधिकार प्रदान करेंगे जो उन्हें स्व सरकार

की संस्थाओं के तौर पर कार्य करने तथा संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध विषयों से संबंधित योजनाओं समेत आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय की योजनाओं का नियोजन एवं कार्यान्वयन करने में उन्हें समर्थ बनाने के लिए अनिवार्य हो। इसी प्रकार संविधान का अनुच्छेद 243क उपबंधित करता है कि ग्राम सभा ग्राम स्तर पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग व ऐसे कार्यों का निष्पादन कर सकती है जो राज्य की विधायिका उन्हें विधि द्वारा प्रदान करे। पंचायतों व ग्राम सभाओं का कार्यकरण राज्यों द्वारा उनका सशक्तिकरण किस हद तक किया गया है इस पर निर्भर होने की वजह से भिन्न-भिन्न होता है। पंचायती राज मंत्रालय राज्य सरकारों के साथ पंचायती राज संस्थाओं के कार्यकरण की आवधिक समीक्षा, बैठकों, क्षेत्रीय दौरों तथा अन्य मंचों के माध्यम से करता है। पंचायती राज मंत्रालय ने ग्राम सभा के प्रभावी कार्यकरण के लिए सभी राज्यों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं। मंत्रालय प्रभावी ग्राम सभा को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार भी प्रदान करता है।

ग्रामीण किशारों के लिए स्वास्थ्य योजना

2103. श्री देवजी एम. पटेल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का राजस्थान सहित देश के सभी जिलों में ग्रामीण किशोर लड़कों और लड़कियों के स्वास्थ्य के लिए कोई विशेष योजना बनाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदीप बंदोपाध्याय) : (क) जी, हां।

ग्रामीण किशोरों की जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार के पास एक मौजूदा किशोर यौन प्रजनन स्वास्थ्य (अर्श) कार्यनीति है जो किशोर स्वास्थ्य घटकों के तहत एक घटक है। इसमें मौजूदा सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली के माध्यम से अर्श सेवाएं मुहैया कराने के लिए जागरूकता सृजन कार्यक्रम और एक सेवा संवितरण तंत्र बनाने पर बल दिया गया है। इस कार्यक्रम के तहत, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को मोबाइल क्लिनिकों सहित जिला अस्पतालों, उप-जिला अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में किशोर सहयोगी स्वास्थ्य क्लिनिक स्थापित करना, एचआईवी की जांच और आरटीआई/एसटीआई रोगियों के उपचार हेतु परामर्श एवं जांच के लिए एकीकृत परामर्श एवं जांच केंद्रों (आईसीटीसी) और सुरक्षा क्लिनिकों और किशोरों के स्वास्थ्योन्मुखी आचरण को प्रभावित करने और उन्हें यौन स्वास्थ्य विषयों पर परामर्श देने पर संकेंद्रित क्लिनिकों के साथ संपर्क कायम करने, पोषण परामर्श, आरटीआई/एसटीआई के लिए उपचार, आईएफए गोलियों और गर्भनिरोधक जैसी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए क्लिनिक स्थापित करने पड़ते हैं।

स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम (एसएचपी) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) के तहत एक और मौजूदा कार्यक्रम है जो सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में दाखिल 6-18 वर्ष की आयु के विद्यालय जाने वाले बच्चों और किशोरों की आवश्यकताओं को पूरा करता है। इस कार्यक्रम में स्क्रीनिंग, स्वास्थ्य परिचर्या और रोग, अल्पता और विकलांगता की स्थिति में रेफरल शामिल है। इसका उद्देश्य बच्चों की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करना है। पहचान किए गए उन बच्चों, जिन्हें अधिक सेवा सहायता की आवश्यकता है को जन स्वास्थ्य अवसंरचना के भीतर द्वितीयक और तृतीयक सुविधा केंद्रों में रेफर किया जाता है।

ग्रामीण क्षेत्रों में किशोर लड़कियों (10 से 19 वर्ष आयु वर्ग) के लिए स्वास्थ्य और स्वच्छता के लिए मासिक धर्म स्वच्छता के संवर्धन संबंधी योजना को एक केंद्रीय योजना के रूप में राजस्थान में सात जिलों सहित 152 जिलों में प्रायोगिक आधार पर नवंबर, 2011 में शुरू किया गया है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने किशोर लड़कियों और लड़कों के बीच एनीमिया की घटनाओं और उच्च व्याप्तता (56 प्रतिशत एनएफएचएस-III) की चुनौती का सामना करने के लिए साप्ताहिक लौह एवं फोलिक अम्ल (डब्ल्यूआईएफएस) अनुपूरण कार्यक्रम भी शुरू किया है।

(ख) स्वास्थ्य राज्य का एक विषय है और केंद्र सरकार राज्य स्वास्थ्य कार्यक्रमों को राज्य स्तर पर सीधे क्रियान्वित किए बिना राज्यों को सहायता (वित्तीय एवं तकनीकी) देती है। राज्य सरकार के बजट के अलावा, राज्य एनआरएचएम के तहत निधियों के लिए अनुरोध करते हैं जिनका वार्षिक परियोजना कार्यान्वयन योजनाओं में उल्लेख किया जाता है। समीक्षा के पश्चात राज्यों को धन आवंटन किया जाता है। वार्षिक परियोजना क्रियान्वय योजनाओं में, राज्य बजट प्रस्ताव की गणना के लिए राज्य जिला आवश्यकता को शामिल कर लेते हैं। इसी प्रकार, राज्य स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन

के तहत महसूस किए गए विकेंद्रीकृत कार्यान्वयन के अनुसार जिला स्तर आवंटन निर्धारित करते हैं।

राजस्थान में अर्श क्लिनिक अधिक ध्यान दिए जाने वाले 12 जिलों में स्थापित हैं जिनका ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-Iख में दिए गए हैं।

विभिन्न राज्यों के स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम वार्षिक परियोजना क्रियान्वयन योजना प्रक्रिया के अंग हैं। मौजूदा वित्तीय वर्ष 2012-13 में स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए वित्तीय आवंटन और उपयोगिता का ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है।

मासिक धर्म स्वच्छता संवर्धन संबंधी योजना : इस योजना का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि लक्षित समूह में किशोर लड़कियों को मासिक धर्म स्वच्छता और सैनेटरी नैपकीनों के प्रयोग, उनके लिए अच्छी किस्म के, सुरक्षित उत्पाद उपलब्ध करवाए जाएं और पर्यावरणीय रूप से सुरक्षित निपटान प्रणाली सुलभ हो। इस योजना को प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य-II के अंतर्गत किशोर प्रजनन एवं यौन स्वास्थ्य (अर्श) के एक भाग के रूप में शुरू किया गया है।

प्रथम चरण में इस योजना से 20 राज्यों के 152 जिलों में देश की देश की किशोरियों (10 से 19 वर्ष की आयु वाली) की लगभग 25 प्रतिशत जनसंख्या अर्थात् 1.5 करोड़ लड़कियों को कवर करने की अपेक्षा है। इसमें से केंद्रीय आपूर्ति प्रणाली में 107 जिलों में सैनेटरी नैपकीनों की आपूर्ति पर प्रारंभिक रूप से बल दिया दिया गया था जिसमें सैनेटरी नैपकीनों की आपूर्ति केंद्र सरकार द्वारा की जानी थी। शेष 45 जिलों में सैनेटरी नैपकीनों की आपूर्ति स्वयं सेवी समूह प्रणाली में किए जाने पर बल दिया गया था जिसमें स्वयं सेवी समूहों को सैनेटरी नैपकीनों का निर्माण करना था और उन्हें किशोर लड़कियों को बेचना था। सैनेटरी नैपकीनों का प्रापण, चाहे भारत सरकार द्वारा आपूर्ति के माध्यम से हो या स्वयं सेवी समूहों के माध्यम से, 7.50 रुपए प्रति पैकेट (6 सैनेटरी नैपकीन) के निर्धारित मूल्य पर होना है। ये सैनेटरी नैपकीन एनआरएचएम की ब्रांड "फ्रीडेज" के तहत प्रदान किए जाते हैं। इन नैपकीनों को मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा) द्वारा किशोर लड़कियों को 6 नेपकीन पैक 6 रुपए की दर से बेचा जा रहा है। इस बिक्री प्रक्रिया में से आशा को प्रतिमाह सैनेटरी नैपकीनों के एक नि:शुल्क पैक के अलावा 1 रुपए प्रतिपैक को प्रोत्साहन मिलता है और शेष 5 रुपए को राज्य/जिला खजाने में जमा करा दिया जाता है। यह योजना 17 राज्यों के 107 जिलों में चल रही है जहां केंद्रीय प्रापण के माध्यम से सैनेटरी नैपकीनों की आपूर्ति की जा रही है।

107 जिलों में सैनेटरी नैपकीनों की आपूर्ति केंद्रीय आपूर्ति प्रणाली प्रारंभिक रूप से की जा रही है जिसमें सैनेटरी नैपकीनों की आपूर्ति केंद्र सरकार द्वारा की जा रही है। शेष 45 जिलों में सैनेटरी नैपकीनों की आपूर्ति स्वयं सेवी समूह के माध्यम से की जा रही है जिसमें स्वयं सेवी समूहों द्वारा सैनेटरी नैपकीनों का निर्माण किया जाता है और उन्हें किशोर लड़कियों को बेचा जाता है। जिला-वार और राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

साप्ताहिक लौह अम्ल फोलिक अम्ल सम्पूरण कार्यक्रम आईएफए सम्पूरण और द्विवार्षिक हैल्मिन्थ नियंत्रण के पर्यवेक्षित साप्ताहिक इंजेशन के माध्यम से किशोर लड़कों और लड़कियों के बीच व्याप्त रक्ताल्पता स्थिति के प्रति साक्ष्य आधारित कार्यक्रम कार्यकलाप है। देशभर में कार्यान्वित (ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र दोनों) वह कार्यक्रम 12.72 करोड़ किशोरों को कवर करेगा। सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त एवं नगरपालिका विद्यालयों की कक्षा [illegible] में दाखिल 5.74 करोड़ लड़के एवं लड़कियों तक विद्यालयों के प्लेटफार्म के माध्यम से पहुंचा जाएगा और स्कूल न जाने वाली 6.97 करोड़ लड़कियों तक आंगनवाड़ी केंद्रों के प्लेटफार्म के माध्यम से पहुंचा जाएगा। इस कार्यक्रम को सभी राज्यों और संघराज्य क्षेत्रों के 579 जिलों में लागू किया जा रहा है (भारत भर के सभी राज्यों में छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश को छोड़कर जहां इसे क्रमशः 5 और 20 जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है)। वर्ष 2012-13 के लिए साप्ताहिक लौह एवं फोलिक अम्ल (डब्ल्यूआईएफएस) अनुपूरण कार्यक्रम के कार्यान्वित के लिए लगभग 120 करोड़ रुपए की कुल भारतीय मुद्रा मंजूर की गई है। लाभार्थियों के राज्य-वार आंकड़े संलग्न विवरण-IV में दिए गए हैं।

विवरण-I क

राजस्थान के उच्च ध्यान केंद्रित 12 जिले

क्र.सं.	जिला	डीएच	सीएचसी	पी एच सी	कुल क्लीनिक
1	2	3	4	5	6
1.	अजमेर	0	8	46	54

1	2	3	4	5	6
2.	भीलवाड़ा	1	16	63	80
3.	करौली	1	7	24	32
4.	जयपुर	0	10	4	14
5.	श्रीगंगानगर	0	11	8	19
6.	भरतपुर	0	12	11	23
7.	राजसमंद	2	7	0	9
8.	टौंक	0	11	31	42
9.	उदयपुर	0	0	0	74
10.	चित्तौड़गढ़	0	0	0	32
11.	अलवर	0	0	0	25
12.	बाड़मेर	0	0	0	30
	कुल योग	4	82	187	434

विवरण-I ख

किशोर सहयोगी स्वास्थ्य क्लीनिक (एएफएचसी)

क्र.सं.	राज्य	जिलों की संख्या	कुल आपरेशनल क्लिनिक 2011-12	नए प्रस्तावित क्लीनिक (2012-13)
1	2	3	4	5
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	4	2	6
2.	आन्ध्र प्रदेश	23	475	16
3.	अरुणाचल प्रदेश	16	6	16
4.	असम	27	38	61
5.	बिहार	38	3	52
6.	चंडीगढ़	1	0	10
7.	छत्तीसगढ़	16	0	42
8.	डी एंड एन हवेली	1	0	0
9.	दमन दीव	2	0	0
10.	दिल्ली	9	166	18
11.	गोवा	2	30	0
12.	गुजरात	26	55	100
13.	हरियाणा	21	70	21
14.	हिमाचल प्रदेश	12	24	0
15.	जम्मू व कश्मीर	22	24	3
16.	झारखंड	24	166	0
17.	कर्नाटक	29	975	0
18.	केरल	14	4	14
19.	लक्षद्वीप	1	0	0
20.	मध्य प्रदेश	48	142	8
21.	महाराष्ट्र	37	140	0
22.	मणिपुर	9	0	67
23.	मेघालय	7	29	11
24.	मिजोरम	9	5	20
25.	नागालैंड	11	24	2
26.	ओडिशा	30	81	22
27.	पुदुचेरी	4	43	0
28.	पंजाब	20	57	0

1	2	3	4	5
29.	राजस्थान	33	434	0
30.	सिक्किम	4	28	2
31.	तमिलनाडु	30	0	0
32.	त्रिपुरा	8	26	1
33.	उत्तर प्रदेश	71	0	0
34.	उत्तराखंड	13	40	30
35.	पश्चिम बंगाल	19	358	6
	कुल योग	641	3443	515

विवरण-II

स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए वित्तीय आवंटन और उपयोगिता

	राज्य	भौतिक लक्ष्य		वित्तीय अनुमोदन (लाख रु.)
		छात्र	स्कूल	
1	2	3	4	5
(क)	**अधिक ध्यान दिए जाने वाले राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**			
1.	बिहार	4,80,000 कार्यक्रम 0-19 वर्ष सहित	101724	3,885.64
2.	छत्तीसगढ़	3000000	34050	1,445.96
3.	हिमाचल प्रदेश	1097733	18383	419.96
4.	जम्मू और कश्मीर	2120400	21579	2,283.65
5.	झारखंड	6782635	41311	2,226.52
6.	मध्य प्रदेश	ब्यौरा नहीं दिया गया		0.00
7.	ओडिशा	6446786 छात्र	59010	1,575.85
8.	राजस्थान	88,02,361 वर्ग में बारहवीं कक्षा तक अध्ययन करने वाले बच्चे	79006	423.66
9.	उत्तर प्रदेश	6 करोड़ (अनुमाति) 2-14 साल के जिनमें से 3 करोड़ स्कूलों में दाखिल हैं (दोनों डेटा औसत के अनुमान पर आधारित हैं)	1,47,895	7,239.78

1	2	3	4	5
10.	उत्तराखंड	ब्यौरा नहीं दिया गया	17131	631.02
	कुल योग	126349821	372194	20,131.60
(ख)	पूर्वोत्तर राज्य			
11.	अरूणाचल प्रदेश	14523	राज्य में कुल 4078 स्कलों में से 1680 (30 या अधिक छात्रों के साथ)	0.00
12.	असम	4286413	46283	1,862.50
13.	मणिपुर	263580	3878	85.62
14.	मेघालय	179547	3222	126.62
15.	मिजोरम	ब्यौरा नहीं दिया गया		81.79
16.	नागालैंड	184,905 (अनुमानित)	2176	313.83
17.	सिक्किम	167780	788	38.69
18.	त्रिपुरा	709716	4334	18.86
	कुल योग	5806464	62361	2,57.92
(ग.)	अधिक ध्यान न दिए जाने वाले राज्य			
19.	आंध्र प्रदेश	2086486 छात्र ग्रामीण क्षेत्रों बेग और यूएचसी के तहत 1500000 बच्चे	21166 संस्थान ग्रामीण क्षेत्रों में 280 संस्थान यूएचसी तहत	2,395.61
20.	गोआ	230000	2500 रु. है.	68.28
21.	गुजरात	15567222	49797	1,500.00
22.	हरियाणा	9635547 छात्र	25770 स्कूलों (17,965 सरकारी, 385 सरकारी सहायता प्राप्त और 7420 गैर सरकारी और गैर सहायता प्राप्त)	182.26
23.	कर्नाटक	8991400 छात्र	67574 स्कूल	737.98
24.	केरल	48,85,928 छात्र	13888 स्कूल (8980 नए स्कूल)	577.49

1	2	3	4	5
25.	महाराष्ट्र	नियमित स्कूल स्वास्थ्य जांच में 1,16,27,732 छात्र और ग्र्वीं और ग्र्वीं कक्षा के 16,50,192 अतिरिक्त छात्र	101758 स्कूल	1,245.69
26.	पंजाब	2661549	19827	743.16
27.	तमिलनाडु	9200000	42769 स्कूल	1,186.69
28.	पश्चिम बंगाल	18011552	81608	3,342.05
	कुल योग	82897416	426657	11,979.21
(घ.)	**छोटे राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों**			
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	77760		44.16
30.	चंडीगढ़	227934	1ख187,	48.15
31.	दादरा और नगर हवेली	67685	314	53.79
32.	दमन	15800	84	11.56
33.	दिल्ली	ब्यौरा नहीं दिया गया		5.90
34.	लक्षद्वीप	15465	44	5.50
35.	पुदुचेरी	69471	236	5.44
	कुल योग	474115	865	174.50
	कुल योग	215527816	862077	34813.22721

विवरण-III

केन्द्रीय आपूर्ति जिले की संख्या एवं व्यय

क्रम सं.	राज्य	केंद्रीय आपूर्ति जिलों की संख्या	जिले के केंद्रीय आपूर्ति के लिए नाम	जिला एसएचजी की संख्या	एसएचजी जिला का नाम
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	3	आदिलाबाद, निजामाबाद, चित्तूर	6	मेडक, करीमनगर, वारंगल, नलगोंडा, महबूबनगर, रंगारेड्डी

1	2	3	4	5	6
2.	असम	7	लक्ष्य पैरा, धुबरी, बारपेटा, कामरूप, मारीगांव, नागांव, सोनितपुर	0	
3.	बिहार	9	सरन, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर (भबुआ), मुजफ्फरपुर, दरभंगा, औरंगाबाद, गया	1	वैशाली
4.	छत्तीसगढ़	5	बिलासपुर, जांजगीर, रायपुर, महासमुंद, दुर्ग	0	
5.	गुजरात	4	सूरत, खेडा, वडोदरा, भरूच,	4	दाहोद, आनंद, नर्मदा, तापी
6.	हरियाणा	0		7	मेवात, सोनीपत, जींद, यमुनानगर, पंचकूला, सिरसा, फरीदाबाद
7.	हिमाचल प्रदेश	4	बिलासपुर, मंडी, हमीरपुर, ऊना	1	सोलन
8.	जम्मू और कश्मीर	7	(पूर्व बांदीपुर) बारामुला, राजौरी, उधमपुर, कठुआ, कुपवाड़ा, (पूर्व किश्तवाड़/रामबन) डोडा, पुंछ	0	
9.	झारखंड	5	रांची, बोकारो, गिरिडीह, हजारीबाग, धनबाद	1	लोहरदग्गा
10.	केरल	7	कासरगोड, वायनाड, कन्नूर, मालापुरम, इडुक्की, कोट्टायम, पलक्कड़	0	
11.	कर्नाटक	6	बीदर, गुलबर्गा, रायचूर, मैसूर, बगलकोट, बेलगाम	3	कामराज नगर, बीजापुर, बेल्लारी
12.	मध्य प्रदेश	8	भिंड, मुरैना, श्योपुर, दतिया, शिवपुरी, गुना, विदिशा, सागर	1	देवास
13.	महाराष्ट्र	8	नंदुरबार, धुले, अकोला, बुलढाणा, सतारा, लातूर, अमरावती, बीड,	1	उस्मानाबाद
14.	ओडिशा	4	ढेंकनाल, भद्रक, केंद्रपाड़ा, जगतसिंहपुर	1	गंजम
15.	पंजाब	5	मोगा, फिरोजपुर, मुक्तसर, भटिंडा, फरीदकोर	0	
16.	राजस्थान	7	झुंझुनू, अलवर, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, अजमेर	0	

1	2	3	4	5	6
17.	तमिलनाडु	0		10	नमक्कल, करूर, मदुरै, शिवगंगा, धर्मपुरी, कृष्णागिरि, कन्याकुमारी, तंजौर, त्रिची, नीलगिरी
18.	उत्तराखंड	5	उत्तरकाशी, रूद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल, हरिद्वार, गढ़वाल	0	
19.	उत्तर प्रदेश	13	सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, उन्नाव, सिद्धार्थ नगर, बस्ती, गोरखपुर, फैजाबाद, रायबरेली, सुल्तानपुर, महाराजगंज, रामपुर		
20.	पश्चिम बंगाल	0		9	मालदा, मुशिदाबाद, बीरभूम, पुरूलिया, उत्तरी परगना, जलपाईगुड़ी, कूचबिहार, उत्तर दिनाजपुर, पश्चिम मिदनापुर
	कुल योग	107	·	45	

विवरण-IV

साप्ताहिक लौह अम्ल फौलिक अम्ल सरफण कार्यक्रम के लाभार्थियों का राज्य-वार ब्यौरा

क्रम सं.	राज्य	लाभार्थियों का लक्ष्य
1	2	3
1.	असम	4243095
2.	बिहार	24913113
3.	छत्तीसगढ़	301340
4.	झारखंड	5100009
5.	जम्मू और कश्मीर	854148
6.	मध्य प्रदेश	7660532
7.	ओडिशा	4000000
8.	राजस्थान	8984321
9.	उत्तर प्रदेश	4746046
10.	उत्तराखंड	1922037
	उप योग	62724641
11.	अरुणाचल प्रदेश	88000
12.	मणिपुर	313693
13.	मेघालय	359891
14.	मिजोरम	132389
15.	नागालैंड	121470
16.	सिक्किम	72500
17.	त्रिपुरा	774105
	उप योग	1862048

1	2	3
18.	आंध्र प्रदेश	4000000
19.	गोआ	51100
20.	गुजरात	5503282
21.	हरियाणा	1687425
22.	हिमाचल प्रदेश	700000
23.	कर्नाटक	1674928
24.	केरल	3100000
25.	महाराष्ट्र	9707038
26.	पंजाब	1923077
27.	तमिलनाडु	5864754
28.	पश्चिम बंगाल	18051880
	उप योग	52263483
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	60852
30.	चंडीगढ़	
31.	दादरा और नगर हवेली	54235
32.	दमन दीव	
33.	दिल्ली	1545335
34.	लक्षद्वीप	
35.	पुदुचेरी	169598
	उप योग	1830020
	कुल	118680192

[अनुवाद]

नकली औषधियां

2104. **श्री सुरेश अंगड़ी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निम्नस्तरीय, कृत्रिम, जाली लेबलयुक्त, जाली और नकली औषधि के संघटकों में एकरूपता नहीं होती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या भारत ने नकली चिकित्सकीय उत्पादों को परिभाषित करने के लिए तंत्र बनाने हेतु इस मामले को विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू.एच.ओ) के समक्ष उठाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या डब्ल्यू.एच.ओ ने नकली औषधियों को परिभाषित करने के लिए कोई तंत्र विकसित किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ऐसे नये तंत्र से भारत को किस प्रकार लाभ होगा?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ङ) विश्व स्वास्थ्य संगठन ने नकली औषधियों से लड़ने के लिए उपाय विकसित करने सबंधी विश्व स्वास्थ्य संगठन के दिशा-निर्देशों के अनुसार 1992 में नकली दवाइयों को परिभाषित किया था। तथापि, यूरोपीय संघ के बंदरगाहों पर घटिया/नकली होने के कारण नहीं बल्कि भारतीय जेनेरिक औषधों को बौद्धिक सम्पदा अधिकारों के उल्लंघन बाबत नकली चिकित्सा उत्पादों के रूप में जब्त किए जाने की वजह से भारत और समान सोच वाले अन्य देशों ने जेनेरिक दवाओं के व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिए जाने के कारण शेष विश्व में उनकी पहुंच और वहनीयता संबंधी मुद्दों को लेकर आपत्ति व्यक्त की है। 63वें विश्व स्वास्थ्य एसेम्बली संकल्प के अनुसरण में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जून, 2010 में एक कार्यकारी समूह बनाया गया जिसने एक्सकलुडिंग व्यापार और बौद्धिक सम्पदा आधारों को छोड़कर जन स्वास्थ्य की दृष्टि से घटिया, नकली, गलत रूप से लेबल लगाए गए, जाली और अवैध चिकित्सा उत्पादों की जांच करने हेतु मेम्बर स्टेट मकैनिज्म बनाने की सिफारिश की थी।

(च) बहुत से देशों को अच्छे गुणवत्तापरक और वहनीय

चिकित्सा उत्पादों का निर्यातकर्ता होने के कारण भारत को इस मकैनिज्म के माध्यम से लाभ होगा।

[हिन्दी]

एम्स में नए वार्ड का निर्माण

2105. **श्रीमती सीमा उपाध्याय :**
श्रीमती ऊषा वर्मा :
श्रीमती सुशीला सरोज :
श्री कामेश्वर बैठा :
श्रीमती श्रुति चौधरी :
श्री महेश्वर हजारी :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की **कृपा** करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान **संस्थान** (ए आई आई एम एस), नई दिल्ली में पुराने प्राइवेट वार्ड को ध्वस्त करने तथा नए वार्ड को बनाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या एम्स में इलाज दिन-पर-दिन महंगा होता जा रहा है और यह संस्थान आम जनता की पहुंच से बाहर होता जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार ने इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए हैं/उठाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) आईआईटी रुड़की ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), नई दिल्ली में निजी वार्ड ब्लाक की भूकंप स्थितरता का मूल्यांकन किया है एवं 12-15 महीनों की समय सीमा इसकी आधारशिला तक इसकी मरम्मत करते हुए इसके सुदृढ़ीकरण के लिए स्टील ढांचे को इसमें लगाते हुए इसकी व्यापक रूप से मरम्मत करने की सिफारिश की है। भूमि स्तर आठ मंजिलों तक ऊंचाई में वृद्धि करने और बेसमेंट पार्किंग का प्रावधान बनाने की सम्मिलित योजनाओं के कारण यह निर्णय लिया गया कि पुराने भवन को गिरा देना और नए भवन का निर्माण करना इसकी मरम्मत से ज्यादा व्यवहार्य एवं तीव्र है। नए भवन के पास अधिक निजी कमरे, 350 कारों के लिए पार्किंग की जगह, केंद्रीय भर्ती के लिए रोगी सरलीकरण सेवाएं, अस्पताल प्रशासन के विभाग हेतु समर्पित जगह, समर्पित फायर टॉवर, इन्फेक्शन तथा रोगी परिचर्या को सुधारने के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं, मूलभूत सेवाएं जैसे कैफे, रोगी सूचना प्रणाली आदि अतिरिक्त लाभ होना चाहिए।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त (ग) के संदर्भ में यह प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

पर्यटन केन्द्र के रूप में स्थलों का विकास

2106. श्री ई.जी. सुगावनम : क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने **की कृपा** करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मदुरई, तंजावूर, अयोध्या और कुछ अन्य धार्मिक महत्व के स्थानों को पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित करने के संबंध में प्रस्ताव प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस प्रयोजन हेतु कितनी धनराशि निर्धारित की गई है; और

(ग) इन स्थानों को पर्यटन केन्द्र के रूप में कब तक विकसित किये जाने की संभावना है?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुल्तान अहमद) : (क) से (ग) धार्मिक पर्यटन सहित विभिन्न पर्यटन गंतव्यों तथा उत्पादों का विकास एवं संवर्धन मुख्यत: संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) प्रशासन की जिम्मेदारी है। तथापि, पर्यटन मंत्रालय, निधियों की उपलब्धता, पारस्परिक प्राथमिकता और योजना दिशा-निर्देशों के अनुपालन की शर्त पर, उनके साथ परामर्श से पहचान की गई पर्यटन परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) प्रदान करता है।

पर्यटन हबों के रूप में महत्वपूर्ण धार्मिक स्थानों के विकास के लिए पर्यटन मंत्रालय किसी प्रकार की निधियों का निर्धारण नहीं करता है। पर्यटन मंत्रालय ने मदुरै, तंजावूर और अयोध्या में पर्यटन अवसंरचना विकास की निम्नलिखित पर्यटन परियोजनाओं के लिए 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान तमिलनाडु एवं उत्तर प्रदेश के राज्य सरकारों के लिए निधियां **स्वीकृत** की हैं:

क्र.सं.	परियोजना का नाम	स्वीकृति का वर्ष	स्वीकृत राशि (करोड़ रुपए में)
1.	तमिलनाडु में मेगा परियोजना के रूप में मदुरै-रामेश्वरम-कन्याकुमारी तीर्थ विरासत परिपथ का विकास	2010-11	36.47
2.	तमिलनाडु में मेगा पर्यटन परियोजना के अधीन तंजावूर का विकास	2010-11	14.75
3.	विशेष पर्यटक गंतव्य के रूप में अयोध्या (फैजाबाद) का नवीकरण	2008-09	4.98

[हिन्दी]

सीमावर्ती क्षेत्रों में हवाई अड्डों का विस्तार

2107. श्री सतपाल महाराज : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुरक्षा पहलू तथा आपात स्थितियों को ध्यान में रखकर सरकार ने सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित हवाई अड्डों, विशेषकर छोटे विमानों के लिए बनाए गए हवाई अड्डों के विस्तार के लिए कोई योजना बनाई है अथवा बनाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस प्रयोजन हेतु पहचान किए गए स्थानों का हवाई अड्डा-वार ब्यौरा क्या है एवं सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) से (ग) हवाई अड्डों का विकास एक निरंतर प्रक्रिया है जिसके दौरान वाणिज्यिक व्यवहार्यता, नीतिगत महत्व, यातायात संभाव्यता/मांग, विशिष्ट हवाई अड्डों के माध्यम से प्रचालन करने के लिए एयरलाइनों की प्रतिबद्धता आदि ध्यान में रखा जाता है। सीमावर्ती क्षेत्रों पर स्थित हवाई अड्डों के विस्तार के लिए नागर विमानन मंत्रालय के पास कोई विशिष्ट योजना नहीं है। तथापि, रक्षा मंत्रालय भी सुरक्षा पहलुओं को ध्यान में रखते हुए सीमावर्ती क्षेत्रों पर हवाई अड्डों का विकास/अनुरक्षण कार्य करता है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा सीमावर्ती क्षेत्रों में विकसित किए गए हवाई अड्डों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

पहले से विकसित सीमा क्षेत्र में हवाई अड्डे

क्रम सं.	राज्य	हवाई अड्डा	स्थिति	टिप्पणियां
1	2	3	4	5
1.	असम	सिल्चर (सीई)	प्रचालनिक	
2.	गुजरात	भुज (सीई)	प्रचालनिक	
3.		कांडला	प्रचालनिक	

1	2	3	4	5
4.		जम्मू (सीई)	प्रचालनिक	
5.	जम्मू और कश्मीर	श्रीनगर (सीई)	प्रचालनिक	
6.	मणिपुर	इम्फाल	प्रचालनिक	
7.	पंजाब	एसजीआरडीजीआई हवाई अड्डा, अमृतसर	प्रचालनिक	
8.	राजस्थान	जैसलमेर (सीई)	प्रचालनिक	
9.		बीकानेर (सीई)	प्रचालनिक	
10.	त्रिपुरा	अगरतला (सीई)	प्रचालनिक	
11.	पश्चिम बंगाल	बागडोगरा (सीई)	प्रचालनिक	

एल्यूमिनियम उत्पादन की प्रचालनात्मक लागत

2108. श्री लालूभाई बाबूभाई पटेल : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान स्थापित प्रत्येक एल्यूमिनियम कंपनी की प्रचालनात्मक लागत का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान प्रचालनात्मक लागत में वृद्धि हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार ने प्रचालनात्मक लागत को कम करने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) देश में एल्यूमिनियम के प्रमुख प्राथमिक उत्पादकों नामत: नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लि. (नालको), हिण्डालको इंडस्ट्रीज, भारत एल्यूमिनियम कंपनी लि. (बालको) और वेदांता एल्यूमिनियम लि. ने वाणिज्यिक गोपनीयता को ध्यान में रखते हुए अपनी प्रचालन लागत के संबंध में विस्तृत सूचना उपलब्ध कराने से इनकार कर दिया।

(ख) जी हां। प्राथमिक उत्पादकों ने सूचित किया है कि विशेष रूप से वर्ष 2011-12 के दौरान उनकी प्रचालन लागत में काफी वृद्धि हुई है।

(ग) प्रचालन लागत में वृद्धि के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं:-

(i) प्रमुख कच्ची सामग्रियों और ऊर्जा इनपुटों नामत: कैलसाइंड पेट्रोलियम कोक, कोयला तार पिच, एल्यूमिनियम फ्लोराइड, कास्टिक सोडा, ईंधन तेल आदि की कीमतों में वृद्धि।

(ii) परिवहन लागतों में वृद्धि।

(iii) कोयला कंपनियों द्वारा कोयले की कीमतों में वृद्धि।

(iv) कर्मचारी पारिश्रमिक और लाभों में वृद्धि।

(घ) प्राथमिक उत्पादकों ने अनेक उपायों जैसे-ऊर्जा संरक्षण विधियों को अपनाकर ऊर्जा खपत को कम करना, विभिन्न तरीकों से कच्ची सामग्रियों की विशिष्ट खपत में कमी, उपकरण का आधुनिकीकरण, चालू क्षमता में वृद्धि, प्रगालक में फॉलन एनोड्स में कमी करना, कामगारों की उत्पादकता में सुधार करना आदि के माध्यम से अपनी प्रचालन लागत में कमी करने के प्रयास किए हैं।

चूंकि एल्यूमिनियम प्रगालन में ऊर्जा लागत काफी अधिक है, एल्यूमिनियम के सभी प्राथमिक उत्पादकों को, ऊर्जा संरक्षण हेतु

भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक नई पहल की परिधि के अधीन लाया गया है और इन्हें एक निर्धारित समयावधि अर्थात 2010-11 से 2013-14, के भीतर अपने बेस लाइन मूल्य से विशिष्ट ऊर्जा खपत को कम करने का एक लक्ष्य सौंपा गया है, जिसकी निगरानी ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (ऊर्जा मंत्रालय) द्वारा की जाएगी। इसके अतिरिक्त, सरकार प्राथमिक एल्यूमिनियम उत्पादकों की संपूर्ण प्रचालन लागत में कमी करने के उद्देश्य से, एल्यूमिनियम के उत्पादन के लिए अपेक्षित कच्ची सामग्रियों पर आयात शुल्क सहित विभिन्न शुल्कों की दरों में समय-समय पर संशोधन भी करती है।

नमक और चीनी का उपभोग

2109. श्री रमेश बैस :
श्री गोपीनाथ मुंडे :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन ने देश में नमक और चीनी के प्रति व्यक्ति उपभोग को कम करने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए सरकार को कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार का खाद्य उत्पादों के निर्माण से संबंधित विभिन्न कंपनियों को इस संबंध में निर्देश जारी करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) जी, हां। 55वीं विश्व स्वास्थ्य असेम्बली ने आहार, शारीरिक कार्यकलाप और स्वास्थ्य पर व्यापक कार्यनीति विकसित करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन से आग्रह किया गया था (डब्ल्यूएचए 55.23)।

आहार, शारीरिक कार्यकलाप पर व्यापक कार्यनीति का समग्र उद्देश्य वैयक्तिक, सामुदायिक, राष्ट्रीय और सार्वभौमिक स्तरों पर दीर्घकालीन कार्यवाही के लिए एक अनुकूल वातावरण के विकास के नेतृत्व के द्वारा स्वास्थ्य को बढ़ावा एवं सुरक्षा देना है जिसे, यदि एकजुटता से किया जाए, तो अस्वस्थ पद्धतियों और शारीरिक शिथिलता के कारण होने वाले रोग और मृत्यु दरों में कमी होगी।

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सदस्य राज्यों का दिशानिर्देशों, मानदंडों, मानकों और अन्य नीति संबंधी उपायों पर दिशानिर्देश देने और साक्ष्य आधारित कार्यकलापों, नीतियों और ढांचों, जो देशों और समुदायों में अन्य पहलुओं के बीच स्वास्थ्य आहार को बढ़ावा देते हैं, पर सूचना की पहचान एवं प्रसार करने का आग्रह किया है। जनसंख्या एवं व्यक्तियों द्वारा नमक के उपभोग में कमी लाने संबंधी दिशानिर्देश एक उदाहरण है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय कैंसर, मधुमेह, हृदयवाहिका रोग एवं आघात निवारण एवं नियंत्रण कार्यक्रम के तहत अभी तक ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

[अनुवाद]

छठी अनुसूची के अंतर्गत जनजातीय क्षेत्र

2110. श्री पोन्नम प्रभाकर : क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संविधान की छठी अनुसूची के अंतर्गत उल्लिखित जनजातीय क्षेत्रों की दशा पर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो इन क्षेत्रों के विकास के लिए सरकार द्वारा की गई पहलों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने छठी अनुसूची के कार्यान्वियन के लिए जनजातीय लोगों के विचारों को शामिल किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान छठी अनुसूची के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा संस्वीकृत, निर्गत और उपयोग में लायी गई निधियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री महादेव सिंह खंडेला): (क) से (घ) जनजातीय कार्य मंत्रालय देश में सभी अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए केन्द्रीय क्षेत्र तथा केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं और विशेष क्षेत्र कार्यक्रम को कार्यान्वित कर रहा है। ये योजनाएं/कार्यक्रम असम, मेघालय,

मिजोरम तथा त्रिपुरा राज्य में जनजातीय क्षेत्रों में रह रहे व्यक्तियों सहित जनजातीय लोगों के कल्याणार्थ हैं। यह मंत्रालय छठे अनुसूचित क्षेत्रों सहित पूर्वोत्तर राज्यों के लिए वर्ष में अपने कुल योजना आबंटन का 10 प्रतिशत भी आबंटित करता है।

(ङ) मंत्रालय की योजनाओं/कार्यक्रमों के तहत निधियां जिला-वार या क्षेत्र-वार नहीं अपितु राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को निर्मुक्त की जाती हैं। विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान छठी अनुसूची राज्यों को निर्मुक्त निधियां संलग्न विवरण में दी गई हैं।

विवरण

विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान निर्मुक्त निधियों को दर्शाने वाला विवरण

(1) जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता (टीएसपी को एससीए)

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य	2009-10	2010-11	2011-12 (23.8.2012)	2012-13
1.	असम	2883.00	3500.00	5475.00	0
2.	त्रिपुरा	1431.29	1879.00	2244.00	977.50

(2) संविधान का अनुच्छेद 275(1)

क्र.सं.	राज्य	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13 (23.8.2012)
1.	असम	1240.77	3517.96	3419.00	0
2.	मेघालय	0	2100.00	2798.00	0
3.	मिजोरम	441.00	922.96	1056.00	0
4.	त्रिपुरा	780.00	1358.73	1250.00	509.95

(3) अनुसूचित जनजाति की लड़कियों तथा लड़कों के लिए छात्रावासों की योजना

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/ विश्वविद्यालय का नाम	2009-10			2010-11			2011-12		
		राशि	छात्रावास	सीटें	राशि	छात्रावास	सीटें	राशि	छात्रावास	सीटें
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	असम	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	मेघालय	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	मिजोरम	0.00	0	0	0	0	0	392.33	2	200
4.	त्रिपुरा	664.00	12	1200	0	0	0	1553.83	11	550
5.	मिजोरम विश्वविद्यालय	0	0	0	0	0	0	182.00	1	100

(4) प्रतिभा के उन्नयन की योजना

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2009-10		2010-112		2011-12	
		राशि	लाभार्थी	राशि	लाभार्थी	राशि	लाभार्थी
1.	त्रिपुरा	3.12000	16	3.120	16	3.12	16

(5) जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण की योजना (राज्य)

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2009-10			2010-112			2011-12		
		राशि	केन्द्र	लाभार्थी	राशि	केन्द्र	लाभार्थी	राशि	केन्द्र	लाभार्थी
1.	असम	0	0	0	150.00	10	500	0	0	0
2.	मेघालय	0	0	0	0	0	0	100.00	9	700
3.	मिजोरम	0	0	0	152.88	5	500	0	0	0

वर्ष 2012-13 के दौरान क्रम संख्या 3, 4 तथा 5 पर उल्लिखित योजनाओं के संबंध में छठी अनुसूचित राज्यों को कोई अनुदान निर्मुक्त नहीं किया गया है।

(6) मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की योजना

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2009-10		2010-11		2011-12		2012-13	
		राशि	लाभार्थी	राशि	लाभार्थी	राशि	लाभार्थी	राशि	*प्रत्याशित लाभार्थी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	असम	2510.12	70149	2881.26	78505	4210.81	82876	4210.81	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	मेघालय	1006.57	58283	2717.23	64110	2752.38	70521	2752.38	
3.	मिजोरम	1571.26	37873	1633.93	38706	3732.93	44878	3732.93	
4.	त्रिपुरा	538.26	17828	380.40	16744	1358.95	18584	1358.95	

*राज्यों सरकारों से प्रस्तावों की प्राप्ति के बिना केवल पहली किस्त जारी की गई। राज्यों सरकारों द्वारा अभी लाभार्थी सूचित नहीं किये गये हैं।

(7) वर्ष 2009-10 से 2011-12 दौरान "स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान" की योजना के तहत निधि पोषित स्वैच्छिक संगठनों/गैर-सरकारी संगठनों की सूची

(राशि रुपए में)

क्र.सं.	राज्य	2009-10 निर्मुक्त राशि	2010-11 निर्मुक्त राशि	2011-12 निर्मुक्त राशि	2012-13 (अब तक) निर्मुक्त राशि
1.	असम	9673291	6129056	11255657	0
2.	मेघालय	49119045	61925620	64255259	0
3.	मिजोरम	2824526	2419836	7724400	0
4.	त्रिपुरा	6584729	4874370	3297751	0
	कुल योग	68201591	75348882	86533067	0

(8) वर्ष 2009-10 से 2011-12 दौरान अनुसूचित जनजातियों के लिए कोचिंग की योजना के तहत निर्मुक्त अनुदान

(राशि रुपए में)

क्र.सं.	राज्य	2009-10 निर्मुक्त राशि	2010-11 निर्मुक्त राशि	2011-12 निर्मुक्त राशि	2012-13 (अब तक) निर्मुक्त राशि
1.	त्रिपुरा	900000	0	0	0

(9) वर्ष 2009-10 से 2011-12 दौरान के दौरान जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण की योजना के तहत निधि पोषित गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) की सूची

(राशि रुपए में)

क्र.सं.	राज्य	2009-10 निर्मुक्त राशि	2010-11 निर्मुक्त राशि	2011-12 निर्मुक्त राशि	2012-13 (अब तक) निर्मुक्त राशि
1	2	3	4	5	6
1.	असम	5400000	3120000	11860000	4920000

1	2	3	4	5	6
2.	मेघालय	3288000	0	0	4896000
	कुल योग	8688000	3120000	11860000	9816000

(10) वर्ष 2009-10 से 2011-12 के दौरान विशेष रूप से कमजोर जरजातीय समूहों (पीटीजी) के विकास (पूर्व में आदिम जनजातीय समूहों (पीटीजी) के विकास की योजना के रूप में जानी गई) की केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के तहत राज्यों को निर्मुक्त राशि।

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13 (अब तक)
		निर्मुक्त राशि	निर्मुक्त राशि	निर्मुक्त राशि	निर्मुक्त राशि
1.	त्रिपुरा	461.800	315.700	627.400	0

ग्रामीण क्षेत्रों में रक्त अल्पता के मामले

2111. श्री सी. राजेन्द्रन : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस तथ्य से अवगत है कि देश के ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत बड़ी संख्या में रक्त अल्पता के मामले हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या ये रक्त अल्पता के मामले गर्भवती महिलाओं और बच्चों को बहुत अधिक प्रभावित करते हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार इस संबंध में क्या कार्रवाई कर रही है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदीप बंदोपाध्याय) : (क) और (ख) राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-III (2005-06) के अनुसार देश के ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों (6-59 महीने) और महिलाओं (15-49 वर्ष) के बीच रक्ताल्पता की व्याप्तता क्रमश: 71.5 प्रतिशत और 57.4 प्रतिशत है।

रक्ताल्पता एक बहुपक्षीय समस्या है। पोषण कारकों अर्थात् लौह, फोलिक अम्ल, बी12, विटामिन सी, प्रोटीन के अलावा पैरासैटिक संक्रमण, मलेरिया, शारीरिक स्थिति अर्थात् किशोरियों में रजोधर्म चक्र, गर्भ और स्तनपान रक्ताल्पता के अन्य कारण हैं। अन्य कारण हैं (i) छोटे अन्तरालों के साथ बार-बार गर्भ ठहरना, (ii) दोषपूर्ण पोषण कार्यकलाप एवं खुराक विविधताओं की कमी, (iii) निरक्षरता, (iv) गरीबी, (v) सामाजिक आर्थिक स्थितियां (vi) खराब सफाई स्थितियां (vii) जेनेटिक कारक।

(ग) और (घ) पौषण रक्ताल्पता मातृ मृत्यु एवं भ्रूण क्षति का एक सबसे बड़ा कारण हैं। इन्टा यूट्रिन लौह अल्पता को मस्तिष्क विकास में अपरिवर्तनशील बदलावों के कारक के रूप में जाना जाता है। परिणामस्वरूप प्रारम्भिक बालावस्था में, लौह अल्पता रक्ताल्पता कम ध्यान रखने और संकेन्द्रण के कारण होती है।

(ङ) रक्ताल्पता के निवारण एवं नियंत्रण को एक गति प्रदान करन के उद्देश्य से सरकार ने गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को कम से कम 100 दिनों तक 100 एमजी एलीमेंटल लौह और 0.5 एमजी फोलिक अम्ल रखने वाली लौह एवं फोलिक अम्ल वाली गोलियां, 6 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों को 20 एमजी एलीमेंटल लौह और 100 एमसीजी फोलिक अम्ल प्रति

एमएल द्रव सम्मिश्रण वाला लौह एवं फोलिक अम्ल सिरप और 6-10 वर्ष के बच्चों को 30 एमजी एलीमेंटल लौह एवं 250 एमसीजी फोलिक अम्ल वाली छोटी गोलियां प्रदान करके जीवन चक्र पहल अपनाई हैं। नए रूप से प्रारम्भ की गई पहल में किशोरियों को वयस्क खुराक का साप्ताहिक लौह एवं फोलिक अम्ल सम्पूरक आहार प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से सभी उप-केन्द्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में गर्भवती महिलाओं सहित गम्भीर रक्ताल्पता रोगियों का समय रहते उनके प्रबंधन के लिए उनकी पहचान करने और पता लगाने का आग्रह किया गया है।

108 आपात सेवाओं हेतु वित्तीय सहायता

2112. श्री दिलीप सिंह जूदेव : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में 108 आपात सेवाओं को शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य सहित दस राज्यों में निजी पार्टियों को एम्बुलेंस तथा आपात स्वास्थ्य रक्षा सेवाओं के लिए संविदाएं दी हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा संविदाएं प्राप्त करने वाले निजी भागीदारों के नाम क्या हैं एवं इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदीप बंदोपाध्याय) : (क) केन्द्र सरकार ने 108 आपातकालीन सेवाओं समेत चिकित्सा परिवहन सुविधाओं के लिए राज्यों/संघ राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान की है।

(ख) आपातकालीन/रोगी परिवहन एम्बुलेंस समेत रेफरल परिवहल के लिए मिशन फ्लेक्सीपूल के तहत आबंटित निधियों को दर्शाने वाला राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) से (घ) केन्द्र सरकार ने एम्बुलेंस तथा आपातकालीन स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं की संविदा नहीं करती है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) के तहत अपने वार्षिक क्रियान्वयन कार्यक्रम में एम्बुलेंस तथा आपातकालीन स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं के लिए उनकी आवश्यकताओं के आधार पर राज्य/संघ राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। अपनी जरूरतें तथा उपयुक्तता के आधार पर संबंधित राज्य/संघ राज्य सरकार द्वारा कार्यक्रम/प्रमुख गतिविधि के क्रियान्वयन हेतु मॉडल चयनित किया जाता है। सर्विस प्रोवाइडरों सहित डायल 108 एम्बुलेंस राज्यों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

रेफरल वाहन के अंतर्गत एनपीसीसी अनुमोदन का ब्यौरा

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र	2011-12
1	2	3
क.	**अधिक ध्यान दिए जाने वाले राज्य**	
1.	बिहार	1966.88
2.	छत्तीसगढ़	3094.67
3.	हिमाचल	864.00
4.	जम्मू और कश्मीर	149.89
5.	झारखंड	500.00
6.	मध्य प्रदेश	1185.00
7.	ओडिशा	0.00
8.	राजस्थान	5425.85
9.	उत्तर प्रदेश	5311.50
10.	उत्तराखंड	877.40
	उप-योग	19375.19
ख.	**पूर्वोत्तर राज्यों**	
11.	अरुणाचल प्रदेश	67.68
12.	असम	844.24

1	2	3
13.	मणिपुर	60.00
14.	मेघालय	174.70
15.	मिज़ोरम	69.60
16.	नागालैंड	15.25
17.	सिक्किम	0.00
18.	त्रिपुरा	80.00
	उप-योग	1311.47
ग.	**अधिक ध्यान न दिए जाने वाले राज्य**	
19.	आन्ध्र प्रदेश	1990.00
20.	गोवा	316.00
21.	गुजरात	185.00
22.	हरियाणा	1513.43
23.	कर्नाटक	3182.40
24.	केरल	300.00
25.	महाराष्ट्र	3076.28
26.	पंजाब	3717.98
27.	तमिलनाडु	2634.77
28.	पश्चिम बंगाल	4393.57
	उप-योग	21309.43
घ.	**छोटे राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों**	
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	11.00
30.	चंडीगढ़	73.66
31.	दादरा और नगर हवेली	0.00
32.	दमन	3.12
33.	दिल्ली	7.85
34.	लक्षद्वीप	0.00
35.	पुदुचेरी	133.31
	उप-योग	228.94
	कुल योग	42225.03

टिप्पणी:

रेफरल वाहन में ईआरएस, एम्बुलेंस और परिचालन लागत (पीओएल) शामिल हैं

ईआरएस - आपातकालीन प्रतिक्रिया सेवाएं

विवरण-II

भारत में "डायल 108 एम्बुलेंस" का ब्यौरा

राज्य	एम्बुलेंस	**कार्यात्मक**
1	2	3
राज्यों जहां "108 डायल कार्यात्मक है"		
आन्ध्र प्रदेश	752	ईएमआरआई
गुजरात	506	ईएमआरआई
उत्तराखंड	115	ईएमआरआई
कर्नाटक	517	ईएमआरआई
तमिलनाडु	449	ईएमआरआई
असम	280+ एक नाव	ईएमआरआई
हिमाचल प्रदेश	112	ईएमआरआई
गोवा	24	ईएमआरआई

1	2	3
मेघालय	42	ईएमआरआई
छत्तीसगढ़	172	ईएमआरआई
मध्य प्रदेश	99	ईएमआरआई
राजस्थान	465	जेडएचसीएल
पंजाब	230	जेडएचसीएल
केरल*	50 (1 डीटी)	जेडएचसीएल
बिहार*	47 (शहरी क्षेत्रों)	जेडएचसीएल
कुल योग	3869	
राज्य, जहां समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए अथवा निविदा प्रक्रिया पूरी की गई		
उत्तर प्रदेश	950	ईएमआरआई
दमन और दीव	20	ईएमआरआई
दादरा और नगर हवेली	20	ईएमआरआई
जम्मू और कश्मीर	50	ईएमआरआई
ओडिशा	280	जेडएचसीएल
बिहार में विस्तार	504	पहियों पर जैन विडियो
महाराष्ट्र	937	बीवीजी समूह
केरल में विस्तार#	250	जेड एच एल
कुल योग	6867	

#समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर नहीं किया गया।

* दोनों राज्यों में, यह पूरे राज्य में विस्तार हो रहा है।

[हिन्दी]

पवन ऊर्जा में विदेशी निवेश

2113. श्री नारायण सिंह अमलाबे : क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पवन ऊर्जा से विद्युत के उत्पादन में विदेशी निवेश लाना चाहती है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का पूर्वोत्तर क्षेत्रों सहित विभिन्न राज्यों में पवन ऊर्जा स्रोतों की संभाव्यता का मूल्यांकन करने के लिए कोई विशेष योजना शुरू करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (डॉ. फारूख अब्दुल्ला): (क) और (ख) भारत सरकार की मौजूदा नीति के अनुसार पवन विद्युत सहित अपारंपरिक ऊर्जा उत्पादन एवं वितरण के लिए स्वचालित माध्यम के अंतर्गत 100 प्रतिशत तक का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) अनुमेय है। भारत में निवेशक आधार को विस्तृत बनाने तथा अक्षय ऊर्जा क्षेत्र का विकास करने हेतु विदेशी निवेश से पवन विद्युत परियोजनाओं की संस्थापना की जा रही है।

(ग) और (घ) सरकार द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित देश में पवन संसाधनों का मूल्यांकन पवन ऊर्जा प्रौद्योगिकी केंद्र के माध्यम से किया जाता है। अब तक 31 राज्यों में कुल 677 पवन निगरानी केंद्रों की स्थापना की गई है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के पवन निगरानी केंद्रों की सूची विवरण में संलग्न की गई है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

पूर्वोत्तर क्षेत्र में पवन निगरानी केंद्रों की सूची

क्रम सं.	केंद्र	जिला
1	2	3
त्रिपुरा		
1.	फूलडांगसी	उत्तर त्रिपुरा

1	2	3
2.	त्लांगसांग	उत्तर त्रिपुरा
3.	वांघमुन	उत्तर त्रिपुरा
4.	कालाछेरा	दक्षिण त्रिपुरा
5.	बारजोला	पश्चिम त्रिपुरा
मणिपुर		
1.	छ्वांगकिनिग	सेनापति
2.	डोलांगख्लो	चंदेल
3.	कोटलेन	सेनापति
4.	लेमाटोन	चूरचंदपुर
5.	पौंगरी	उखरूल
6.	कामनौंग	उखरूल
7.	चोरजेंग लंघ	उखरूल
8.	माओ	सेनापति
मिजोरम		
1.	हम्फेंडा	आयजॉल
2.	लुंगलेई	लुंगलेई
3.	ममटे	लुंगलेई
4.	रेइक	मेमिट
सिक्किम		
1.	असन्थांग	दक्षिणी सिक्किम
2.	गनथांग	पूर्वी सिक्किम
3.	थांगु	उत्तरी सिक्किम
4.	सदाम	दक्षिणी सिक्किम

1	2	3
नागालैंड		
1	थिजामा	कोहिमा
2	फूत्सेरो	फूत्सेरो
3	कोकरिमा	फेक
मेघालय		
1	लेटडेंगसाई	पूर्वी खासी हिल्स
2	मावियावेटे	पश्चिमी खान हिल्स
3	रम्बी	जयंतिया हिल्स
अरुणाचल प्रदेश		
1	लिकाबली	पश्चिमी सियांग
2	पासीघाट	पूर्वी सियांग
3	रागा	निचला सुबनसिरी
4	सेला	पश्चिमी कमांग
5	शिमलोंग	ऊपरी सियांग
6	योंगचिक	चंगलांग
असम		
1	बोरगांव	करबी अंगलोंग
2	पी. लेकुल	उत्तरी कछार हिल्स
3	टोल्पोई	उत्तरी कछार हिल्स
4	उम्फाबेंग	करबी अंगलोंग
5	आर.के. नगर	करीमगंज
6	न्यू पानबारी	धुबरी

राष्ट्रीय महिला कोष

2114. श्री लालजी टंडन : क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय महिला कोष के अंतर्गत कायिक निधि को बढ़ाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ) : (क) और (ख) जी, हां। वित्त मंत्री के केंद्रीय बजट 2009-10 में निम्नलिखित घोषणा की है–

राष्ट्रीय महिला कोष गरीब महिलाओं को साख सुविधा और लघु वित्तीय सुविधा देने के लिए कार्य कर रहा है और उनके लाभ के लिए कई नई स्कीमें बनाई हैं। सामाजिक-आर्थिक, परिवर्तन और विकास के साधन के रूप में इसकी भूमिका को स्वीकार करते हुए कोष की निधि, जो अभी 100 करोड़ है उसे अगले 5 वर्षों में बढ़कर 500 करोड़ कर दिया जाएगा।''

इसी की तर्ज पर, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय महिला कोष को मौजूदा एकल कार्यालय सोसाइटी से कंपनी अधिनियम की धारा 617 के अधीन एक अखिल भारतीय कार्यालय नेटवर्क सहित सरकारी स्वामित्व की जमा न लेने वाली व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण गैर-बैंकिग वित्त कंपनी (एनबीएफसी-एनडी-एसआई) के रूप में पुनर्संरचना करने और इसे सुदृढ़ बनाने के लिए एक व्यय वित्त समिति (ईएफसी) नोट प्रस्तुत किया गया है। इस प्रक्रिया में सरकार, द्वारा 5 वर्ष में 500 करोड़ रुपये लगाए जाएंगे।

[अनुवाद]

खनिज का उत्पादन करने वाले राज्य

2115. श्री रामसिंह राठवा : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खनिज का उत्पादन करने वाले राज्य अपनी सीमा के अंतर्गत निकाले गए खनिजों के मूल्यों का एक बड़ा हिस्सा पाते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या झारखंड जैसे कुछ खनिज उत्पादक राज्यों द्वारा अर्जित राजस्व राष्ट्रीय औसत से काफी कम हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में सरकार खनिज का उतपादन करने वाले राज्यों के आर्थिक हितों की रक्षा के लिए क्या कदम उठा रही है?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) और (ख) खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 (एमएमडीआर अधिनियम) की धारा 9 के अनुसार पट्टा क्षेत्र से हटाए अथवा उपभोग किए गए खनिज के लिए सभी खनन पट्टाधारियों को रायल्टी का भुगतान करना होगा। रायल्टी के सम्पूर्ण राशि संबंधित राज्य सरकारों के लिए होगी। खनिजों (कोयला, लिग्नाइट, बालू भूगर्त भरण और गौण खनिजों को छोड़कर) के लिए रायल्टी की दरें एमएमडी आर अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में दी गई हैं जिन्हें केन्द्र सरकार तीन साल की अवधि में एक बार बढ़ा सकती है। रायल्टी की दरों में परिवर्तन पिछली बार 13.8.2009 को किया गया था जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न राज्यों का रायल्टी संग्रहण 2009-10 में 4469.75 करोड़ रुपए से बढ़कर 2010-11 में 7279.49 करोड़ रुपए हो गया था और दिसंबर, 2011 तक 5828.84 करोड़ रुपए संग्रहित किए गए थे। इसके अलावा, राज्य सरकार अनिवार्य किराया भी वसूल करती है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकारों को अपने स्तर पर गौण खनिजों पर शुल्क लगाने और रायल्टी वसूल करने का अधिकार प्राप्त है। राज्य सरकारें खनन और खनिजों पर स्थानीय शुल्क और कर लगाती रही हैं।

(ग) और (घ) झारखंड सहित राज्य सरकारों द्वारा खनिजों (कोयला, लिग्नाइट, बालू भगर्त भरण और गौण खनिजों को छोड़कर) पर संग्रहित रायल्टी का ब्यौरा निम्नलिखित है:–

रायल्टी (करोड़ रुपए में)

राज्य	2009-10	2010-11	अप्रैल, 2011 से दिसंबर, 2011 (अनंतिम)
1	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश	370.38	381.92	245.73
असम	0.94	0.73	0.67
बिहार	–	–	0.46

1	2	3	4
छत्तीसगढ़	474.39	1196.55	757.90
गुजरात	192.90	193.89	258.74
गोवा	285.91	959.12	352.05
हिमाचल प्रदेश	47.98	-	43.62
जम्मू और कश्मीर	-	-	1.03
झारखंड	202.33	440.24	348.88
कर्नाटक	430.10	708.44	288.01
केरल	8.81	9.42	2.85
मध्य प्रदेश	351.45	324.55	142.72
महाराष्ट्र	84.85	132.70	151.14
मेघालय	7.26	13.09	6.72
ओडिशा	894.44	1598.05	2365.43
राजस्थान	987.45	1182.23	774.89
तमिलनाडु	130.56	138.56	87.02
उत्तर प्रदेश	-	-	0.20
उत्तराखंड	-	-	0.64
पश्चिम बंगाल	-	-	0.14
कुल	4469.75	7279.49	5828.84

राज्य सरकारों द्वारा अनिवार्य किराए की वसूली, गौण खनिजों पर संग्रहित रायल्टी अथवा खनन एवं खनिजों पर वसूल किए गए स्थानीय शुल्क तथा करों का ब्यौरा केन्द्र स्तर पर नहीं रखा जाता है।

(ङ) केन्द्र सरकार समय-समय पर रायल्टी और अनिवार्य किराया की दरों की समीक्षा करने के लिए एक कार्यदल का गठन करती है जिसमें खनिज समृद्ध राज्यों के सदस्यों को भी शामिल किया जाता है। यह कार्य दल रायल्टी और अनिवार्य किराया की दरों को निर्धारित करते समय खनिजधारी राज्यों के हितों का ध्यान रखता है। मंत्रालय ने रायल्टी और अनिवार्य किराया की दरों की समीक्षा के लिए प्रमुख खनिजों (कोयला, लिग्नाइट, और बालू भगर्त भरण को छोड़कर) के लिए रायल्टी और अनिवार्य किराया की दरों में परिशोधन के लिए 13.9.2011 को एक कार्य दल का गठन किया है।

जैव-डीजल का उत्पादन

2116. श्री निलेश नारायण राणे : क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चारे की अनुपलब्धता के कारण देश में डीजल के साथ मिलाने के लिए जैव-डीजल का व्यावसायिक उत्पादन नहीं होता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (डा. फारुख अब्दुल्ला): (क) जी, हां।

(ख) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा नौ राज्यों, नामत: आन्ध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में लगभग 9.28 लाख हैक्टेयर अपशिष्ट भूमि में किए गए जटरोफा रोपणों की स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए एक अध्ययन कराया गया। यह पाया गया कि रोपणों की मृत्यु-दर ऊंची थी और बीज उत्पादन तथा तेल निकालने की दर अत्यन्त कमी थी।

(ग) सरकार द्वारा दिसंबर, 2009 में जैव ईंधनों पर राष्ट्रीय नीति को अधिसूचित किया गया है जिसमें हाई-स्पीड डीजल के साथ मिलाने के लिए जैव-डीजल के उत्पादन एवं उपयोग को बढ़ावा देने हेतु दिशा-निर्देश निर्धारित किए गए हैं। जैव-डीजल के संबंध में जैव ईंधन नीति के मुख्य घटक निम्नलिखित हैं:

- जैव-डीजल का उत्पादन बंजर/अवक्रमित/सीमांत भूमि में अखाद्य तिलहनों से किया जाएगा।
- जैव ईंधनों के रोपण, प्रसंस्करण एवं उत्पादन पर जोर देते हुए अनुसंधान, विकास और प्रदर्शन पर मुख्य रूप से बल दिया जाएगा।

- जैव-डीजल की खरीद हेतु आवधिक पुनरीक्षण के साथ न्यूनतम खरीद मूल्य निर्धारित किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त, कृषि मंत्रालय, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा निधिकृत परियोजनाओं के अंतर्गत जैव-डीजल के उत्पादन में वृद्धि लाने के लिए जटरोफा की उन्नत किस्मों के विकास और उत्पादन पर अनुसंधान शुरू किया गया है।

चिकित्सा संस्थानों का उन्नयन

2117. **डॉ. रत्ना डे : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान चिकित्सा संस्थानों के उन्नयन हेतु नवोन्मेषी उपाय किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में चिकित्सा संस्थानों के उन्नयन के लिए उक्त अवधि के दौरान कितनी निधियों का आंकलन किया गया और उक्त अवधि के दौरान व्यय की गई/व्यय नहीं की गई निधियां का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ग) भारत सरकार ने 750 करोड़ रुपए के केन्द्रीय अंशदान से फरवरी, 2009 में प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) के दूसरे चरण में निम्नलिखित छह मेडिकल कॉलेज संस्थाओं के उन्नयन (प्रत्येक को 125 करोड़ रुपए) के लिए अनुमोदन किया है:

1. सरकारी मेडिकल कॉलेज, नागपुर (महाराष्ट्र)
2. सरकारी मेडिकल कॉलेज, अमृतसर (पंजाब)
3. राजेन्द्र प्रसाद गवर्नमेंट, मेडिकल कॉलेज, टांडा (हिमाचल प्रदेश)
4. जे.एन. मेडिकल कॉलेज, एएमयू, अलीगढ़ (उत्तर प्रदेश)
5. पंडित बी.डी. शर्मा स्नातकोत्तर चिकित्सा विज्ञान संस्थान, रोहतक (हरियाणा)
6. गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, मदुरै (तमिलनाडु)

इसके अलावा, सरकार ने पीएमएसएसवाई के चरण-I के अन्तर्गत जून, 2009 में 13 मेडिकल कॉलेज संस्थानों के उन्नयन के लिए अनुमोदन किया है। पीएमएसएसवाई के अंतर्गत मेडिकल कॉलेजों का उन्नयन अति विशिष्टता वाले ब्लाक/ट्रामा केन्द्र इत्यादि के निर्माण और मौजूदा व नई सुविधाओं के लिए चिकित्सा उपकरणों के प्रापण के माध्यम से स्वास्थ्य अवसंरचना के विकास पर बल देता है। वर्ष 2009-10 से 2011-12 तक और चालू वर्ष के दौरान पीएमएसएसवाई के अंतर्गत इन छह संस्थानों के लिए जारी दी गई निधियां नीचे दी गई हैं:

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	पीएमएसएसवाई चरण-II के अन्तर्गत जारी निधि
2009-10	40.00
2010-11	42.83
2011-12	49.23
2012-13	23.50
कुल योग	155.56

केन्द्र सरकार नए स्नातकोत्तर को शुरू करने और स्नातकोत्तर सीटों को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार के मेडिकल कॉलेजों के सुदृढ़ीकरण और उन्नयन के लिए एक केन्द्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) भी लागू कर रही है। इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2009-10 से 2011-12 के दौरान 72 चिकित्सा महाविद्यालयों को जारी निधियों का विवरण निम्नानुसार हैं:

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	वार्षिक	मेडिकल कॉलेजों की संख्या	जारी निधियां
1.	2009-10	10	16.00
2.	2010-11	36	225.00
3.	2011-12	26	260.00

लाभार्थी संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत मासिक रिपोर्टों और उपयोगिता प्रमाण पत्र के अनुसार 120 करोड़ रुपए (लगभग) की धनराशि खर्च की गई है। तथापि, वर्ष 2011-12 में जिन मेडिकल कालेजों को निधियां दी गई थी उन्होंने निधियों की उपयोगिता के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है।

[हिन्दी]

ताप और गैस आधारित विद्युत संयंत्र

2118. श्रीमती सुशीला सरोज : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बवाना में 1500 मेगावाट का अरावली सुपर ताप विद्युत संयंत्र और बामनौली में 750 मेगावाट का गैस आधारित ताप विद्युत स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया था;

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त संयंत्रों के निर्माण की वर्तमान स्थिति क्या है और इनमें विलंब के क्या कारण हैं; और

(ग) दिल्ली एन.सी.आर. के लिए पृथक उप-ग्रिड प्रदान करने के लिए 2005 की प्रस्तावित योजना की वर्तमान स्थिति क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. सी. वेणुगोपाल) : (क) अरावली पवर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (एपीसीपीएल) एनटीपीसी लिमिटेड, इंद्रप्रस्थ पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड (आईपीजीसीएल) और हरियाणा पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड (एचपीजीसीएल) द्वारा प्रवर्तन वाली एक संयुक्त उद्यम कंपनी है जोकि हरियाणा के झज्जर जिले में 1500 मेगावाट की कोयला आधारित विद्युत परियोजना की स्थापना करने के उद्देश्य से स्थापित की गई थी। बवाना दिल्ली में प्रगति पावर कारपोरेशन लिमिटेड (पीपीसीएल) द्वारा स्थापित की जा रही एक पृथक 1500 मेगावाट की गैस आधारित परियोजना है। बामनोली दिल्ली में पीपीसीएल द्वारा स्थापित की जाने वाली एक अन्य गैस आधारित ताप विद्युत परियोजना है।

(ख) झज्जर में कोयला आधारित विद्युत संयंत्र की 1500 मेगावाट की कुल क्षमता में से, 1000 मेगावाट पहले ही शुरू की जा चुकी है और शेष 500 मेगावाट की इस वित्तीय वर्ष में शुरू किए जाने की संभावना है।

दिल्ली में बवाना में 1500 मेगावाट की गैस आधारित परियोजना निर्माण के अंतिम चरण में है। 1500 मेगावाट की क्षमता में से 1000 मेगावाट पहले ही शुरू की जा चुकी है और शेष 500 मेगावाट के इसी वित्तीय वर्ष में शुरू होने की संभावना है।

मैसर्स पीपीसीएल द्वारा 12वीं योजना में दिल्ली में बामनोली सीसीजीटी (750 मेगावाट) के विद्युत संयंत्र की आयोजना है और बामनोली में 800 मेगावाट गैस आधारित परियोजना (250 मेगावाट की 2जीटी और 300 मेगावाट की 1एसटी) के लिए गैस के आवंटन हेतु केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण में आवेदन प्राप्त हुआ है। देश में केजीडी 6 गैस के कम उत्पादन को ध्यान में रखते हुए वर्तमान में आवंटन हेतु कोई अतिरिक्त गैस उपलब्ध नहीं है इसलिए इस परियोजना को अब तक कोई गैस आवंटित नहीं की गई है। इसके अतिरिक्त, विद्युत मंत्रालय (एमओपी)/केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) ने 2015-16 तक घरेलू गैस पर आधारित किसी परियोजना के लिए योजना न बनाने के लिए गैस आधारित विद्युत संयंत्रों के सभी विकासकर्ताआं को परामर्शिता जारी की है क्योंकि इसकी उपलब्धता निश्चित नहीं है जैसा कि पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपी एवं एनजी) द्वारा उल्लेख किया गया है।

(ग) एनसीआर के लिए एकीकृत विद्युत प्राधिकरण की स्थापना/उतरी ग्रिड में से पृथक एनसीआर उपग्रिड के सृजन के माले पर 2005 में विचार-विमर्श किया गया था और इस बात पर सर्वसम्मति हुई कि एनसीआर के लिए इस प्राधिकरण का गठन प्रशासनिक एवं कानूनी मामलों के कारण एक कठिन प्रस्ताव होगा। इसे ध्यान में रखते हुए, इस संबंध में आगे की कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।

आयुष प्रस्ताव

2119. श्रीमती कमला देवी पटले : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी विभाग द्वारा कार्यान्वित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत छत्तीसगढ़ सहित विभिन्न राज्यों से अनेक प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान प्रदान की गई निधियों को इंगित

करते हुए सरकार द्वारा अनुमोदित प्रस्तावों की संख्या का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या अनेक प्रस्ताव अभी भी सरकार के पास लंबित हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं और इन्हें कब तक अनुमोदित किए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. गांधीसेल्वन) : (क) से (ग) आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी औषधों की गुणवत्ता, आयुष अस्पतालों और औषधालयों का विकास, आयुष संस्थाओं का विकास तथा राष्ट्रीय औषधीय पादप मिशन नामक केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों और सूचना, शिक्षा तथा संचार (आईईसी) और औषधीय पादपों का संरक्षण, विकास और धारणीय प्रबंधन नामक केंद्रीय क्षेत्रक स्कीमों के अंतर्गत पिछले दो वर्षों और मौजूदा वर्ष के दौरान छत्तीसगढ़ सहित विभिन्न राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों और इस अवधि के दौरान इन स्कीमों के लिए संस्वीकृत और निर्मुक्त धनराशि का वर्ष 2010-11, 2011-12 और 2012-13 के लिए ब्यौरा क्रमशः संलग्न विवरण-I (क) (ख) और (ग) में दिया गया है।

(घ) और (ङ) राज्य-वार लंबित प्रस्तावों और उनकी वर्तमान स्थिति दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I(क)

आयुष विभाग की स्कीमों के अंतर्गत प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा

वर्ष : 2010-11

(रु. लाखों में)

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	प्रस्तावों की संख्या		संस्वीकृत निधि	निर्मुक्त निधि
	पुराने	नए		
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	0	6	4120.56	1924.04
अरुणाचल प्रदेश	0	5	1284.55	199.86
असम	0	4	552.19	364.33
बिहार	1	4	3860.84	1828.03
छत्तीसगढ़		3	1507.45	8.50
दिल्ली		2	0.00	0.00
गोवा	1	1	0.00	5.00
गुजरात	4	9	3565.54	2366.11
हरियाणा	0	6	286.96	41.54

1	2	3	4	5
हिमाचल प्रदेश	3	7	2812.28	2309.14
जम्मू और कश्मीर	1	10	2838.98	1644.11
झारखंड	0	2	1149.52	200.18
कर्नाटक	2	4	5031.22	4130.08
केरल	2	4	5923.44	4102.30
मध्य प्रदेश	5	5	4436.13	2044.20
महाराष्ट्र	4	12	1472.35	692.69
मणिपुर		4	783.92	6.90
मेघालय		1	429.16	68.50
मिजोरम	3	4	688.40	197.95
नागालैंड	4	3	981.53	501.55
ओडिशा	2	2	2484.78	1645.12
पंजाब	0	6	193.49	150.50
राजस्थान	4	8	7688.33	6292.16
सिक्किम	4	1	515.63	24.17
तमिलनाडु	1	1	1285.55	938.97
त्रिपुरा	1	7	1529.06	1202.54
उत्तर प्रदेश	1	1	3405.80	105.00
उत्तराखंड	0	8	2993.03	1121.83
पश्चिम बंगाल	1	5	1304.77	220.15
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह		0	0.00	0.00
चंडीगढ़		0	0.00	0.00
दादरा और नगर हवेली		0	0.00	0.00

1	2	3	4	5
दमन व दीव		1	4.50	3.38
लक्षद्वीप		2	68.64	50.76
पुदुचेरी	0	1	947.00	600.00
कुल	44	139	64145.60	35290.04

विवरण-I (ख)

आयुष विभाग की स्कीमों के अंतर्गत प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा

वर्ष : 2011-12

(रु. लाखों में)

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	प्रस्तावों की संख्या		संस्वीकृत निधि	निर्मुक्त निधि
	पुराने	नए		
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	1	3	1408.68	756.94
अरुणाचल प्रदेश	1	2	585.03	588.34
असम		2	627.55	418.15
बिहार		2	643.86	421.35
छत्तीसगढ़	3	3	709.34	338.50
दिल्ली		1	15.51	13.18
गोवा	1	0	0.00	4.78
गुजरात		5	1147.67	172.55
हरियाणा		2	446.74	269.49
हिमाचल प्रदेश	2	3	1757.20	1253.49
जम्मू और कश्मीर		2	1088.53	863.98

1	2	3	4	5
झारखंड		4	1541.06	375.55
कर्नाटक		5	1415.34	499.54
केरल	3	5	1393.34	739.13
मध्य प्रदेश	5	5	1535.69	1570.57
महाराष्ट्र	2	7	2595.51	1657.05
मणिपुर	1	2	1042.16	911.54
मेघालय		2	362.19	307.52
मिजोरम		2	1147.88	947.59
नागालैंड	1	2	458.35	543.64
ओडिशा	4	1	487.38	726.04
पंजाब		3	549.27	135.65
राजस्थान	3	4	1683.37	1071.70
सिक्किम	2	3	993.02	630.74
तमिलनाडु		2	1136.25	1083.79
त्रिपुरा	1	3	1019.00	820.75
उत्तर प्रदेश	2	1	757.73	158.81
उत्तराखंड		6	2254.67	982.68
पश्चिम बंगाल	1	2	479.03	178.22
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह		0	0.00	0.00
चंडीगढ़		0	0.00	0.00
दादरा और नगर हवेली		1	2.17	1.84
दमन और दीव		1	4.50	3.83

1	2	3	4	5
लक्षद्वीप		1	87.40	75.99
पुदुचेरी		0	0.00	0.00
कुल	33	87	29375.43	18522.92

विवरण-I(ग)

आयुष विभाग की स्कीमों के अंतर्गत प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा

वर्ष : 2012-13

(रु. लाखों में)

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	प्रस्तावों की संख्या		संस्वीकृत निधि	निर्मुक्त निधि
	पुराने	नए		
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश		2	1427.43	
अरुणाचल प्रदेश		3	322.73	35.00
असम		2	254.89	
बिहार		3	183.16	35.00
छत्तीसगढ़		1		
दिल्ली				
गोवा				
गुजरात	1	1	241.99	250.19
हरियाणा		2	73.82	
हिमाचल प्रदेश	2	3	105.09	
जम्मू और कश्मीर	1	1		13.50
झारखंड	1	2	377.83	9.06
कर्नाटक		2	167.91	

1	2	3	4	5
केरल		2	280.55	
मध्य प्रदेश		2	515.84	
महाराष्ट्र	1	4	651.53	131.99
मणिपुर		3	92.61	
मेघालय		2	117.99	
मिजोरम		3	46.89	
नागालैंड		4	335.82	35.00
ओडिशा		3	296.39	35.00
पंजाब		1		
राजस्थान		1	111.87	
सिक्किम		3	199.90	123.67
तमिलनाडु		2	1089.37	
त्रिपुरा		1		
उत्तर प्रदेश		1	1162.47	
उत्तराखंड		2	192.94	
पश्चिम बंगाल	1	1	64.72	
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह		1		
चंडीगढ़		1		
दादरा और नगर हवेली		1		
दमन और दीव		1		
लक्षद्वीप				
पुदुचेरी				
कुल	7	60	8313.74	668.41

विवरण-II

आयुष विभाग की विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत लंबित प्रस्तावों का ब्यौरा

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	लंबित प्रस्तावों की संख्या	स्थिति
1	2	3
आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी औषधों की गुणवत्ता नामक केंद्रीय प्रायोजत स्कीम		
पश्चिम बंगाल	1	पहले दिए गए सहायतानुदान के संबंध में उपयोग प्रमाण पत्र लंबित रहने के कारण अनुदान निर्मुक्त नहीं किया जा सका।
हिमाचल प्रदेश	2	कार्रवाई चल रही है। परियोजना जांच समिति (पीएससी) ने अनुदान निर्मुक्त करने के लिए प्रस्ताव अनुमोदित कर दिया है।
आयुष अस्पतालों और औषधालयों का विकास नामक केंद्रीय प्रायोजित स्कीम		
आंध्र प्रदेश	1	मौजूदा वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्त प्रस्तावों/कार्यक्रम क्रियान्वयन योजनाओं (पीआईपी) के लिए अनुदान निर्मुक्त करने पर विचार नहीं किया जा सका, क्योंकि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पास उपयोग प्रमाण पत्र लंबित पड़े थे।
अरुणाचल प्रदेश	1	
असम	1	
बिहार	1	
छत्तीसगढ़	1	
हरियाणा	1	
हिमाचल प्रदेश	1	
जम्मू और कश्मीर	1	
झारखंड	1	
कर्नाटक	1	
केरल	1	

1	2	3
मध्य प्रदेश	1	
महाराष्ट्र	1	
मणिपुर	1	
मेघालय	1	
मिजोरम	1	
नागालैंड	1	
ओडिशा	1	
पंजाब	1	
सिक्किम	1	
तमिलनाडु	1	
त्रिपुरा	1	
उत्तराखंड	1	
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1	
दमन और दीव	1	
पुदुचेरी	1	
आयुष संस्थाओं का विकास नामक केंद्रीय प्रायोजित योजना स्कीम		
आंध्र प्रदेश	1	संबंधित राज्यों/संस्थाओं द्वारा अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत न किए जाने के कारण कुछ प्रस्तावों के लिए अनुदान निर्मुक्त नहीं किया जा सका। किसी संस्था/राज्य को सहायतानुदान की स्वीकृति उसे पहले दिए गए अनुदान के संबंध में उसके द्वारा उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने पर निर्भर करती है।
कर्नाटक	2	
केरल	2	
मध्य प्रदेश	1	
महाराष्ट्र	3	

1	2	3
ओडिशा	1	
राजस्थान	1	
उत्तर प्रदेश	2	
पश्चिम बंगाल	4	
	सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी)	
असम	1	इस प्रस्ताव पर विभाग की परियोजना अनुमोदन समिति द्वारा अनुमोदन की प्रतीक्षा है।
केरल	1	-तदैव-
त्रिपुरा	1	-तदैव-
राजस्थान	1	-तदैव-
हरियाणा	1	-तदैव-
जम्मू और कश्मीर	1	कार्यक्रम के लिए राशि निर्मुक्त की जा रही है।
	औषधीय पादपों के संरक्षण और संसाधन संवर्धन हेतु "औषधीय पादपों का संरक्षण, विकास और धारणीय प्रबंधन"	
छत्तीसगढ़	1	अनुमोदन हेतु कार्रवाई चल रही है।
महाराष्ट्र	1	
त्रिपुरा	1	
सिक्किम	1	
	"राष्ट्रीय औषधीय पादप मिशन" केंद्रीय प्रायोजित स्कीम	
असम	1	अनुमोदन हेतु कार्रवाई चल रही है।
हरियाणा	1	
हिमाचल प्रदेश	1	
मणिपुर	1	
मिजोरम	2	
राजस्थान	1	
पश्चिम बंगाल	1	

[अनुवाद]

सीजीएचएस के अंतर्गत पैनलबद्ध निजी अस्पताल

2120. **श्री पूर्णमासी राम :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण **मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सीजीएचएस लाभार्थियों और पेंशनरों के लाभ के लिए निजी अस्पतालों और नैदानिक केन्द्रों को पैनलबद्ध किया है;

(ख) क्या ये अस्पताल/केन्द्र उपयोगी सेवा प्रदान कर रहे हैं;

(ग) पेंशनरों/केन्द्र सरकार और दिल्ली सरकार के कर्मचारियों को उपयोगी सेवा के प्रावधान सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं;

(घ) क्या सरकार पेंशनरों/केन्द्र सरकार और दिल्ली सरकार के कर्मचारियों से अस्पतालों और केन्द्रों द्वारा वसूली गई पूर्ण राशि की प्रतिपूर्ति कर रही है; और

(ङ) क्या सरकार नेत्रें के आपरेशन और उसके पश्चात परामर्श की पूर्ण राशि की प्रतिपूर्ति करने पर भी विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) और (घ) ऐसे सूचीबद्ध अस्पतालों/केन्द्रों के विरुद्ध कार्यवाही की जाती हैं जो उनके द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन में निर्धारित नियम एवं शर्तों का उल्लंघन करते हैं। सूचीबद्ध केन्द्रों से समझौता ज्ञान की शर्तों के अनुसार सीजीएचएस दरों के अनुसार प्रभार लेने की अपेक्षा की जाती है जो पूरी तरह से प्रतिपूर्ति योग्य होते हैं। दिल्ली सरकार के कर्मचारी सीजीएचएस के अंतर्गत कवर नहीं होते हैं।

(ङ) सीजीएचएस नेत्र आपरेशन पर व्यय हुई पूर्ण राशि और उसके बाद होने वाले दौरों की प्रतिपूर्ति सीजीएचएस दरों के अनुसार करता है।

विमान खरीद की जांच

2121. **श्री पी. बलराम नायक :**
श्री एस.एस. रामासुब्बू :

क्या नागर **विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विमानों की खरीद करने और एअर इंडिया में हानि की जांच करने हेतु अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने ऐसे सभी अनुरोधों पर कार्रवाई की है/कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या इस संबंध में कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसी प्रत्येक रिपोर्ट पर अभी तक क्या कार्रवाई की गई है; और

(च) भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और बोइंग ड्रीमलाइन-787 को शामिल करने के प्रस्ताव के संबंध में हुई प्रगति, यदि कोई हो, का ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ.) नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी एंड एजी) ने अपनी रिपोर्ट संख्या 18 में एअर इंडिया लिमिटेड द्वारा विमान अर्जन पर अपनी टिप्पणियां की हैं और इसी जांच लोक लेखा समिति द्वारा की जा रही है।

(च) आर्थिक मामलों से संबद्ध मंत्रिमंडल समिति ने बी-787 विमान को शामिल किए जाने का अनुमोदन प्रदान कर दिया है और बी-787 विमान की सुपुर्दगी बहुत जल्द शुरू हो जाएगी।

खनिजों पर डेट रैंट

2122. **श्री हेमानंद बिस्वाल :** क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विभिन्न खनिजों विशेषकर लौहे पर डेट रैंट को संशोधित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) इसे कब तक अनुमोदित किए जाने की संभावना है?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) से (ग) जी हां। मंत्रालय ने 13.9.2011 को रॉयल्टी दरों की समीक्षा के लिए प्रमुख खनिजों (कोयला, लिग्नाइट तथा भूगर्त रेत भरण के अलावा) हेतु रॉयल्टी तथा डेट रैंट की दरों में संशोधन संबंधी एक अध्ययन समूह का गठन किया है। अध्ययन समूह ने अब 4.11.2011, 17.4.2012 तथा 19.7.2012 को तीन बैठकें आयोजित की हैं तथा एक प्रारूप रिपोर्ट तैयार की है। खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 (एमएमडीआर अधिनियम) की धारा 9क के अनुसार खनिजों की रॉयल्टी दरों में तीन वर्षों में केवल एक बार संशोधन किया जा सकता है। तदनुसार प्रमुख खनिजों (कोयला, लिग्नाइट तथा भूगर्त रेत भरण को छोड़कर) संबंधी रॉयल्टी दरों में संशोधन 13.8.2009 को किया गया था। सरकार प्रमुख खनिजों (कोलया, लिग्नाइट तथा भूगर्त रेत भरण के अलावा) की रॉयल्टी तथा डेट रैंट दरों में संशोधन संबंधी अध्ययन समूह की अंतिम रिपोर्ट समीक्षा के बाद ही रॉयल्टी की दरों में किसी संशोधन पर विचार करेगी।

कुदगई सुपर ताप विद्युत परियोजना

2123. श्री आर. ध्रुवनारायण : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बीजापुर में एन.टी.पी.सी. की कुदगई सुपर ताप विद्युत परियोजना के प्रथम चरण (3x800 मेगावाट) जिसका हाल ही में शिलान्यास किया गया था, के कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) विद्युत परियोजना के मुख्य उद्देश्य क्या हैं; और

(ग) स्थानीय लोगों को इस परियोजना से किस हद तक लाभ प्राप्त होने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल) : (क) बीजापुर स्थित एनटीपीसी की कुदगई सुपर ताप विद्युत परियोजना जिसका शिलान्यास समारोह 2 जून, 2012 को किया गया था, की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है—

(i) भूमि, जल एवं कोयला उपलब्ध है।

(ii) सभी स्वीकृतियां उपलब्ध है तथा विद्युत क्रय करार (पीपीए) पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं।

(iii) परियोजना के लिए दिसंबर, 2011 में निवेश का अनुमोदन किया गया था और भारी मात्रा में निविदा पैकेज के माध्यम से फरवरी, 2012 में मुख्य संयंत्र अवार्ड कर दिया गया है।

(iv) स्थल के समतलीकरण एवं अवसंरचना पैकेज के कार्य अप्रैल, 2012 से प्रारंभ हो चुके हैं।

(ख) बीजापुर में सुपरक्रिटिकल प्रौद्योगिकी वाले कुदगई सुपर ताप थर्मल पावर परियोजना की स्थापना के फलस्वरूप, कर्नाटक सहित दक्षिणी क्षेत्र की विद्युत की स्थिति में सुधार होगा।

(ग) केवल कर्नाटक को ही 50% विद्युत आबंटित की गई है। इसके अतिरिक्त, इस परियोजना की स्थापना द्वारा सृजित की गई औद्योगिक गतिविधियों तथा एनटीपीसी की स्थानीय कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) द्वारा स्थानीय लोगों को आर्थिक रूप से लाभ पहुंचेगा। एनटीपीसी की कर्नाटक सरकार के साथ एक द्विपक्षीय करार के तहत बीजापुर स्थित सरकारी आईटीआई को अपना लेने का विचार भी है।

[हिन्दी]

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना

2124. श्री प्रेमचन्द गुड्डू : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उज्जैन सहित मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत खम्बे लगाए गए थे परंतु अनेक वर्ष बीतने के पश्चात भी उन पर तार नहीं लगाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) खम्बों पर तार लगाकर विद्युत आपूर्ति कब तक किए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. सी. वेणुगोपाल) : (क) से (ग) राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई)

के अंतर्गत विद्युतीकरण कार्यों का निष्पादन करने वाले मध्यप्रदेश के सभी 3 डिस्काम अर्थात मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (एमपीपीओकेवीवीसीएल), मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (एमपीपीएसकेवीवीसीएल) और मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (एमपीएमकेवीवीसीएल) ने आरजीजीवीवाई के लिए नोडल एजेंसी आरईसी को सूचित किया है कि ऐसा कोई मामला नहीं पाया गया है जिसमें खम्बों के लगाए जाने के कई वर्षों के बाद भी तार न लगाए गए हों। उज्जैन जिले के लिए आरजीजीवीवाई परियोजना को 2.1.2006 को अवार्ड की मंजूरी प्रदान की गई थी और इसे 4.8.2006 को अवार्ड की गई थी और आरजीजीवीवाई दिशा-निर्देशों के अनुसार परियोजना 3.8.2008 तक पूरी की जानी संभावित थी। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में आरजीजीवीवाई के अंतर्गत एलटी लाइन के लिए कार्यक्षेत्र 548 किलोमीटर है और जिसमें से तारों को लगाए जाने का काम 531.92 किलोमीटर से पहले ही पूरा किया जा चुका है। आरजीजीवीवाई के अंतर्गत कार्य के पूरा होने के पश्चात विद्युत की आपूर्ति का दायित्व राज्य डिस्काम का होता है।

[अनुवाद]

चिकित्सा शिक्षा

2125. श्रीमती श्रुति चौधरी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का प्रस्ताव चिकित्सकों को प्राथमिक और माध्यमिक सेवाओं के लिए लैस करने हेतु चिकित्सा शिक्षा के पुनर्भिमुखीकरण का है ताकि भारत यूनिवर्सल हेल्थ केयर के लक्ष्य को प्राप्त कर सके; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों में सरकार द्वारा इस संबंध में हरियाणा सहित प्रत्येक राज्य में क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) चिकित्सा शिक्षा में सुधार करने और इसे अधिक समाजोन्मुखी और जन स्वास्थ्य परिदृश्य के अनुरूप बनाने तथा एमबीबीएस विद्यार्थियों को व्यापक सामुदायिक स्वास्थ्य परिचर्या अपेक्षाओं से परिचित कराने के अलावा उन्हें ग्रामीण स्वास्थ्य परिचर्या संबंधी अपेक्षाओं के प्रति जागरूक बनाने के एक समग्र प्रयास में भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद से मेडिकल कालेज में इंटरशिप के एक भाग के पूरा होने के पश्चात चिकित्सा स्नातकों की ग्रामीण क्षेत्रों में नियुक्ति के लिए एक योजना दस्तावेज तैयार करने का अनुरोध किया गया है।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने सामुदायिक स्वास्थ्य परिचर्या संबंधी अपेक्षाओं में सुधार करने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं जिनमें शामिल हैं:—

(i) किसी एक विषय में परिचार चिकित्सा की अधिसूचना जिसमें भारतीय विश्वविद्यालयों द्वारा स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा प्रदान किया जा सकता है। एमडी (परिचार चिकित्सा) के पाठ्यक्रम को अनुमोदित कर मेडिकल कालेजों में पेश करने के लिए राज्यों को परिचालित कर दिया गया है।

(ii) दूर-दराज और दुगर्म क्षेत्रों में कम से कम तीन वर्ष तक अपनी सेवाएं दे चुके सरकारी सेवारत चिकित्सा अधिकारियों के लिए स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में 50 प्रतिशत आरक्षण।

(iii) स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्राप्त करने के पश्चात ऐसे चिकित्सा अधिकारियों को दूर-दराज और/या दुगर्म क्षेत्रों में और दो वर्ष सेवा करनी होगी।

(iv) स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों में दाखिले की प्रारंभिक परीक्षा में दूर-दराज और दुर्गम क्षेत्रों में सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए प्राप्त किए गए 10 प्रतिशत अंकों की दर से अधिकतम 30 प्रतिशत तक प्राप्त अंकों का प्रोत्साहन दिया जाएगा।

औषधियों और उनकी खुराक में परिवर्तन

2126. श्री सी.आर पाटिल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार स्वास्थ्य सेवा (सी.जी.एच.एस) के चिकित्सक सरकारी अस्पतालों के वरिष्ठ चिकित्सकों और परामर्शदाताओं के नुस्खों की औषधियों/जेनरिक औषधियों और उनकी खुराक में परिवर्तन करने के लिए अधिकृत हैं;

(ख) यदि हां, तो संगत नियमों और दिशानिर्देशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का वरिष्ठ नागरिक रोगियों के हितों को ध्यान में रखते हुए सीजीएचएस के चिकित्सकों को वैल्पिक

औषधियां जारी करने से रोकने के संबंध में दिशानिर्देशों में संशोधन करने/नए दिशानिर्देशों को पुनः जारी करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (घ) सीजीएचएस चिकित्सकों से सरकारी अस्पतालों के फिजिशियनों और कन्सलटेंटों की प्रेस्क्रिप्शन के अनुसार दवाएं/जेनेरिक जारी करने की अपेक्षा की जाती है। तथापि, सीजीएचएस वेलनेस केन्द्रों में प्रेस्क्राइब्ड ब्रांडिड दवाओं की गैर-उपलब्धता के मामले में, सीजीएचएस चिकित्सकों को समान सम्मिश्रण और साल्ट वाली दवाओं को जारी करने का अनुदेश है और इसे प्रेस्क्राइब्ड दवाओं के प्रतिस्थापन के रूप में नहीं समझा जाता है। तथापि, चिकित्सकों से सरकारी अस्पतालों के वरिष्ठ फिजिशियनों और कन्सल्टेंटों द्वारा प्रेस्क्राइब्ड खुराकों में बदलाव करने की अपेक्षा नहीं की जाती है।

राष्ट्रीय परिवार नियोजन बीमा योजना

2127. **श्रीमती अन्नू टन्डन :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का राष्ट्रीय परिवार नियोजन बीमा योजना के भाग के रूप में आरोग्य स्वास्थ्य, जो मातृ और नवजात शिशु के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है, के पहलू पर ध्यान केन्द्रित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का अनुचित नसबंदी के कारण संक्रमित लोगों को बीमा प्रदान करने का भी प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदीप बंदोपाध्याय) : (क) और (ख) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत संघ सरकार राज्य सरकारों को माता व नवजात शिशुओं के लिए उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवाएं को समर्थन देने सहित स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत बनाने के लिए सहायता देती है। तथापि, इसे राष्ट्रीय परिवार नियोजन बीमा योजना का अंग बनाने का कोई प्रस्ताव नही है।

(ग) और (घ) परिवार नियोजन बीमा योजना में अस्पताल में उपचार लागत और अस्पताल से छुट्टी की तारीख से बन्ध्यीकरण आपरेशन के पश्चात होने वाली बीमारियों (जिनमें बन्ध्यीकरण आपरेशन के दौरान हुई परेशानी सहित) की 60 दिनों तक वास्तविक उपचार लागत अधिकतम 25000 रुपए का प्रावधान होता है।

[हिन्दी]

नेपाल और भूटान के साथ ग्रिड जोड़ना

2128. **डॉ. बलीराम :** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का बार-बार ग्रिड फेल होने के मद्देनजर नेपाल और भूटान के साथ राष्ट्रीय ग्रिड को जोड़ने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) फिलहाल नेपाल और भूटान से भारत द्वारा कितनी मेगावाट विद्युत का आयात किया जा रहा है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. सी. वेणुगोपाल) : (क) और (ख) भारतीय ग्रिड भूटान और नेपाल प्रणालियों से परस्पर जुड़ा हुआ है जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

(I) भारत-भूटान अंतर्संबंध:

वर्तमान में, चुखा (330 मेगावाट), कूरीचू (60 मेगावाट) और ताला (1020 मेगावाट) पर जल विद्युत परियोजनाएं भूटान में वर्तमान विद्युत स्टेशन हैं। भूटान अपनी आंतरिक मांग को पूरा करने के पश्चात इन परियोजनाओं से भारत को बिजली का निर्यात करना है। उपरोक्त परियोजनाओं के लिए यह संबंध क्रास बोर्डर पारेषण प्रणाली निम्नवत है:-

चुखा जल विद्युत परियोजना (336 मेगावाट)—

- 220 केवी, 1 ग डी/सी चुखा (भूटान)-बीरपारा (पश्चिम बंगाल)
- सिंधे गांव के माध्यम से 220 केवी, 1 × एस/सी चुखा (भूटान) बीरपारा (पश्चिम बंगाल)

कुरीचू एचईपी (60 मे.वा.)

- 132 केवी, 1 ग एस/सी, कुरीचू (भूटान)—गेलेफू भूटान-सालाकाटी (असम)

- 132 केवी देवथंग (भूटान)-रैंगिया (असम) सिंगल सर्किट (एस/सी) लाइन

ताला जल विद्युत परियोजना (1020 मे.वा.)

- 400 केवी. 2 × डी/सी ताला (भूटान)-सिलीगुड़ी (पश्चिम बंगाल) लाइन (डबल सर्किट (डी/सी) लाइन का एक सर्किट भूटान में पसारवा/माचाबेस सब-स्टेशन (एस/एस) में लूप इन तथा लूप आउट (लीलो) है।)

भारत नेपाल अंतर्संबंध :

- ग्रिड विफलता को ध्यान में रखते हुए नेपाल ग्रिड को जोड़ने के लिए इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, भारत की ओर की यूटिलिटियों अर्थात बीएसईबी, यूपीपीसीएल और यूपीसीएल नेपाल प्रणाली (एनईए) से परस्पर जुड़ी होती है और निम्नलिखित पारेषण लाइनों के साथ नेपाल की सीमा पर एकांत वाले स्थानीय क्षेत्रों को विद्युत आपूर्ति करते हैं।

- **बीएसईबी (बिहार)-नेपाल :**

  132 केवी लाइन

  1. कटैया-कुसाहा

  2. रामनगर-गंडक पूर्व-गंडक/सुरजपुरा

  33 केवी लाइन

  3. बीरगंज-रक्सौल

  4. कटैया-बिराटनगर (रूपनी)

  5. कटैया-राजबिराज

  6. सीतामढ़ी-जलेश्वर

- **यूपीपीसीएल (यूपी)-नेपाल :**

  33 केवी लाइन

  1. आनंदनगर-भेरवान

  2. नानपारा-नेपालगंज

क. यूपीसीएल (उत्तराखंड)-नेपाल;

33 केवी लाईन

1. लोहिया-महेंद्रनगर (नेपाल)

11 केवी लाइन

2. पिथौरागढ़-बैतादी

3. धारचूला-जलजीबी

4. धारचूला-पिपली

(II) भारत 132 केवी टनकपुर-महेंद्रनगर (नेपाल) एस/सी लाइन के माध्यम से महाकाली संधि के अंतर्गत नेपाल को टनकपुर जल विद्युत परियोजना (उत्तराखंड में 120 मेगावाट) से लगभग 70 मि.यू. निःशुल्क विद्युत की आपूर्ति भी करना है।

(III) दो देशों के बीच सीमापार 400 केवी मुजफ्फरपुर (भारत), धालकेबर (नेपाल) डी/सी लाइन कार्यान्वयन के चरण में है और इसे जून, 2014 तक तैयार किए जाने का लक्ष्य है। इससे नेपाल भारतीय विद्युत बाजार से अतिरिक्त विद्युत के आयात में सक्षम बनेगा।

(ग) भूटान भारत को 1000-1100 मेगावाट तक का निर्यात करता है और भारत की यूटिलिटियां वर्तमान में नेपाल को लगभग 120-140 मेगावाट का निर्यात करती हैं।

[अनुवाद]

तपेदिक से निपटने में आशा कर्मियों की संलिप्तता

2129. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आशा कर्मी देश भर में तपेदिक के बढ़ते मामलों से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने में सहायता करती हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अभी तक क्या प्रगति की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदीप बंदोपाध्याय) : (क) जी, हां।

(ख) संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम (आरएनटीसीपी) के अंतर्गत, आशा (मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता) कर्मियों को डाट्स (डायरेक्टली ओब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शार्ट-कोर्स) के प्रदायकों के रूप में प्रशिक्षित किया गया है। वे दो स्प्ताह से अधिक की खांसी रखने वाले रोगियों की पहचान करके और उनके बलगम की जांच के लिए निकट के निर्दिष्ट माइक्रोस्कोपी केन्द्र में उनकी रेफरिंग करने में सहायता करती हैं। वे बाद में भी उनका ध्यान रखती हैं और यह सुनिश्चित करती हैं कि रोगी दवाएं ले और अपना उपचार पूरा करें। इसके अतिरिक्त, वे क्षयरोग और संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम (आरएनटीसीपी) के अंतर्गत उपलब्ध सेवाओं के बारे में जागरूकता का प्रसार करती हैं। उपचार के पूरा होने के बाद आशा को प्रति रोगी 250 रुपए का प्रोत्साहन दिया जाता है।

जेनरिक औषधियां

2130. **श्री यशवीर सिंह :**

श्री नीरज शेखर :

डॉ अनूप कुमार साहा :

श्री हमदुल्लाह सईद :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान देश में चिकित्सकों द्वारा जेनरिक औषधियां कम नुस्खे लिखे जाने की ओर दिलाया गया है जबकि इसकी तुलना में संयुक्त राज्य अमरीका (यू.एस.ए) और युनाइटेड किंगडम में चिकित्सकों द्वारा सामान्यत: जेनरिक औषधियां का नुस्खा लिखा जाता है।

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष देश में चिकित्सकों द्वारा लिखे गए जेनरिक औषधियां के नुस्खों के प्रतिशत का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश में रोगियों को जेनरिक औषधियों के नुस्खे नहीं लिखे जाने के कारणों का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण/अध्ययन कराया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी निष्कर्ष और ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) सरकार द्वारा जेनरिक औषधियां को लोकप्रिय बनाने और इन औषधियां की गुणवत्ता और मानक सुनिश्चित करने के लिए क्या अन्य उपाय किए गए हो/किए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ङ) देश में रोगियों को चिकित्सकों द्वारा जेनरिक दवाइयां लिखे जाने से परहेज के कारणों का पता लगाने के लिए सरकार द्वारा कोई सर्वेक्षण/अध्ययन नहीं किया गया है और न ही चिकित्सकों द्वारा लिखे जाने वाली जेनरिक औषधियों की प्रतिशत पर कोई आंकड़ा केन्द्रीय पर रखा जाता है। सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि जेनरिक औषधियां ब्रांडेड औषधियों से सस्ती हैं। सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कि चिकित्सक रोगियों को अधिक से अधिक जेनरिक औषधियां लिखें, के लिए कदम उठा रही है। सभी केन्द्रीय सरकारी अस्पतालों को मेडिकल प्रैक्टिशनरों को केवल दवाइयों की जेनरिक रूपांतर लिखने और जहां कहीं भी ब्रांडेड दवाइयां लिखी गई हैं उसके जेनरिक समुतुल्यों का उल्लेख करने का परामर्श देने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। केन्द्रीय सरकारी अस्पताल दवाइयों का प्रापण जेनरिक नामों से करते हैं और अपने अस्पताल के फार्मूलारिज भी जेनरिक नामों से ही है। इस संबंध में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को भी हैं सलाह जारी किए गए हैं। कई राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों ने उन औषधियों की मुफ्त आपूर्ति के लिए योजनाएं शुरू की हैं जिन्हें केवल जेनरिक नामों में ही प्राप्त किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के भेषजी विभाग ने भी एक जन औषधि अभियान शुरू किया है जिसे अंतर्गत वहनीय कीमतों पर जन औषधि स्टोर के जरिए गुणवत्ता वाली बिना ब्रांड वाले जेनरिक दवाइयां प्रदान की जाती हैं। इस विभाग ने यह सूचित किया है कि वर्तमान में देशभर में (दिनांक 21.8.2012 तक) अब तक खोले गए 125 जन औषधि स्टोर में 231 दवाइयां आपूर्ति की जा रही हैं। यह अभियान अधिक से अधिक रोगियों को कवर

करेगा और बिना ब्रांड वाली जेनरिक दवाइयों के उपयोग को बढ़ावा देगा जो सामान्य व्यक्ति के लिए दवाइयों के जेब से अधिक वास्तविक खर्च को कम करेगा, ब्रांडेड दवाइयों पर राज्यों के स्वास्थ्य संबंधी व्यय को घटाने का नेतृत्व करने में सहायक सिद्ध होगा।

अधिक विमानपत्तन शुल्क

2131. श्री जोस के. मणि :
श्री के. सुधाकरण :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विमानपत्तन के निजी प्रचालकों से विमानपत्तन और सम्भलाई लागत में बढ़ोतरी का प्रस्ताव विमानपत्तन आर्थिक विनियमन प्राधिकरण के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इससे प्रति यात्री पर कितना भार पड़ने की संभावना है;

(ग) क्या मलेशियन बजट कैरियर एयर एशिया सहित विभिन्न एअरलाइन्सों ने निषेधात्मक विमानपत्तन/सम्भलाई शुल्क के कारण विमानपत्तन से पहले ही सेवाएं समाप्त कर ली हैं

(घ) यदि हां, तो ऐसी एयरलाइनों के नाम और ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या आईएटीए के अधिकारियों ने इस संबंध में कतिपय टिप्पणियां की हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) इसे युक्तिसंगत बनाने और भविष्य में इस प्रकार की स्थिति से बचने के लिए सरकार द्वारा क्या उचित कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) और (ख) भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (ऐरा) ने आईजीआई हवाईअड्डा, नई दिल्ली के संबंध में वैमानिकी सेवाओं के लिए टैरिफ निर्धारित किया है। संशोधित टैरिफ का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) से (छ) ऐरा प्रमुख हवाईअड्डों पर वैमानिकी टैरिफ के निर्धारण के लिए ऐरा अधिनियम 2008 के अधीन स्थापित एक स्वतंत्र विनियामक है। भारत सरकार और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा मैसर्स दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड (डायल) के साथ हस्ताक्षरित राज्य समर्थन करार (एसएसए) और प्रचालन, प्रबंधन एवं विकास करार (ओएमडीए) के उपबंधों के अनुसार, मैसर्स डायलन ने टैरिफ में संशोधन के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया। उनके प्रस्ताव प्रस्तुत करने के अनुसरण में, ऐरा ने अनेक चर्चाओं, बैठकों, प्रस्तुतियों और परामर्श प्रक्रियाओं को अपनाने के पश्चात, 15 मई, 2012 से प्रभावी, पहले पांच वर्ष की नियंत्रण अवधि (अर्थात 2009-10 से 2013-14) के लिए अपने दिनांक 20 अप्रैल, 2012 (जारी करने की तारीख 24.4.2012) के आदेश संख्या 03/2012-12 द्वारा इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईआ(आईजीआईए), दिल्ली के लिए वैमानिकी प्रभारों में संशोधन निर्धारित किया है। परामर्श पत्र की प्रतिक्रिया में, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन (आयटा) ने, अन्य बातों के साथ-साथ, उल्लेख किया कि चूंकि टैरिफ में प्रस्तावित वृद्धि (=334%) का आशय हवाईअड्डे के लिए दररिटर्न की उचित दर तैयार करना है, इसलिए ऐरा को यह भी अवश्य सुनिश्चित करना चाहिए कि इसके परिणामस्वरूप उद्योग की समग्र स्थिति पर कोई प्रतिकूल असर न पड़े। जिससे ऐरा को वित्तीय संगणना से हटकर देखना पड़े और टैरिफ में वृद्धि को एक ऐसे स्तर तक नीचे लाने के सभी संभव उपायों पर विचार करने की आवश्यकता पड़े, जिसे उद्योग द्वारा आसानी से आमेलित किया जा सके। ऐरा ने आयटा सहित सभी स्टेक धारकों द्वारा की गई टिप्पणियों पर विधिवत विचार किया और मैसर्स दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राईवेट लि. (डायल) द्वारा किए गए निवेश की लागत को शामिल करने और हवाईअड्डे के लिए रिटर्न की उचित दर सुनिश्चित करने के लिए संशोधित टैरिफ का निर्णय लिया। ऐरा के आदेशों के विरुद्ध विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण के अपीलीय अधिकरण के समक्ष अपील की जा सकती है।

विवरण

वैमानिक प्रभारों का ब्यौरा (15 मई, 2012 से प्रभावी वित्त वर्ष 2012-2013 के लिए संशोधित दर तथा 1 अप्रैल, 2013 से प्रभावी वित्त वर्ष 2013-2014 के लिए संशोधित दर)

राजस्व शीर्ष	घरेलू/अंतरराष्ट्रीय	मापदंड		संशोधित दर (2012-13) 15 मई, 2012 से प्रभावी	संशोधित दर (2013-14) 1 अप्रैल, 2013 से प्रभावी
1	2	3		4	5
प्रति मीट्रिक	घरेलू	100 एम.टी से कम		281.82	301.55
टन अवतरण		100 एम.टी से अधिक		378.75	405.26
	अंतरराष्ट्रीय	100 एम.टी से कम		551.03	589.61
		100 एम.टी से अधिक		740.52	792.36
पार्किंग		100 एम.टी से कम		13.23	14.15
मीट्रिक टन		100 एम.टी से अधिक		17.52	18.74
हाउसिंग/		100 एम.टी से कम		26.46	28.31
मीट्रिक टन		100 एम.टी से अधिक		35.04	37.49
	घरेलू	आगमन	शार्ट हॉल-आईएनआर	195.80	207.32
			शार्ट हॉल-यूएसडी	$3.86	$4.09
			लांग हॉल-आईएनआर	391.60	414.65
			लांग हॉल-यूएसडी	$7.73	$8.18
		प्रस्थान	शार्ट हॉल-आईएनआर	231.40	245.02
			शार्ट हॉल-यूएसडी	$4.57	$4.84
			शार्ट हॉल-आईएनआर	462.80	490.04
			लांग हॉल-यूएसडी	$9.14	$9.67
यूडीएफ/यात्री	अंतरराष्ट्रीय	आगमन	शार्ट हॉल-आईएनआर	436.10	461.77
			शार्ट हॉल-यूएसडी	$8.61	$9.11

1	2	3		4	5
			मीडियम हॉल-आईएनआर	699.97	741.16
			मीडियम हॉल-आईएनआर	$13.82	$14.63
			लांग हॉल-आईएनआर	881.10	932.95
			लांग हॉल-यूएसडी	$17.39	$18.42
		प्रस्थान	शार्ट हॉल-आईएनआर	534.00	565.43
			शार्ट हॉल-यूएसडी	$10.54	$11.16
			मीडियम हॉल-आईएनआर	845.50	895.26
			मीडियम हॉल-आईएनआर	$16.69	$17.67
			लांग हॉल-आईएनआर	1068.00	1130.85
			लांग हॉल-यूएसडी	$21.08	$22.32
क्यूट काउंटर	घरेलू	प्रति प्रस्थान उड़ान		500	500
प्रभार	अंतरराष्ट्रीय			1500	1500
ईंधन थ्रुपुट	घरेलू	प्रति किलो लीटर			
प्रभार	अंतरराष्ट्रीय			01.04.2012 से 643.50 तक संवर्द्धित	688.17

जीएम खाद्य पदार्थों की लेबलिंग करना

2132. श्री किसनभाई वी. पटेल :
श्री प्रदीप माझी :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम/नियमों में संशोधन करने और देश में आनुवंशिक रूप से संवर्धित खाद्य पदार्थों वाले प्रत्येक पैकेज पर लेबल लगाना अनिवार्य करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या आजकल घरेलू बाजार में आनुवंशिक रूप से संवर्धित खाद्य पदार्थों की बहुतायत है;

(घ) यदि हां, तो ऐसे संशोधनों से ऐसे उत्पादों की बहुतायत को किस हद तक रोके जाने की संभावना है; और

(ङ) इस प्रकार के संशोधित मानकों के उल्लंघन को रोकने के लिए सरकार द्वारा स्थापित तंत्र का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदीप बंदोपाध्याय) : (क) और (ख) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। जैनेटिक रूप से परिवर्तित भोजन (जीएम) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 22 के अंतर्गत आता है। जी.एम खाद्य पदार्थों से संबंधित धारा के उस भाग को अभी तक अधिसूचित नहीं किया गया है। तथापि, धारा 23(1) का संबंध उन टूलों की पैकेजिंग और लेबलिंग से है जिसमें यह अभिकल्पित है कि कोई भी व्यक्ति ऐसे कोई पैक किए गए खाद्य उत्पादों को विनिर्मित, वितरित, उनकी बिक्री अथवा इन्हें बिक्री के लिए प्रस्तुत अथवा डिस्पैच नहीं करेगा अथवा उन्हें किसी एजेंट अथवा दलाल को बिक्री के प्रयोजनार्थ नहीं देगा, जिन्हें इन विनिमयों द्वारा विशिष्ट रूप से बनाए गए तरीके से मार्क और लेबन नहीं किया गया है।

बशर्ते कि इन लेबलों पर ऐसा कोई स्टेटमेंट, दावा डिजाइन अथवा डिवाइस नहीं होगी जो कि इनका अथवा भ्रामक हो, विशेषकर जिनका संबंध पैकिज में रखे गए खाद्य उत्पादों से है अथवा जिसका संबंध मात्रा अथवा पोषण संबंधी मात्रा से है जिनका आशय चिकित्सीय अथवा चिकित्सीय दावों से है अथवा जिनका संबंध उक्त खाद्य पदार्थों के उत्पत्ति स्थान से है।

(ग) ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

सिंहस्थ कुम्भ मेले के लिए अनुदान

2133. **श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी :** क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 2014-15 में शिर्डी और शनि शिंगनापुर सहित नासिक, त्रिम्बकेशवर में सिंहस्थ कुम्भ मेले के लिए महाराष्ट्र सरकार से सहायता अनुदान की स्वीकृति के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुल्तान अहमद) : (क) से (ग) विभिन्न पर्यटन गंतव्यों/उत्पादों/मेलों/उत्सवों/समारोहों का विकास एवं संवर्धन मुख्यत: संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन की जिम्मेदारी है। तथापि, पर्यटन मंत्रालय उनके परामर्श से पहचान की गई पर्यटन अवसंरचना विकास परियोजनाओं/मेलों/उत्सवों/समारोहों के लिए निधियों की उपलब्धता, पारस्परिक प्राथमिकता और योजना दिशा-निर्देशों के अनुपालन की शर्त पर पर्यटन परियोजनाओं को केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) प्रदान करता है।

पर्यटन मंत्रालयन ने नासिक और अहमदनगर जिले में पर्यटन अवसंरचना विकास के लिए निम्नलिखित दो परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है।

क्र.सं.	परियोजना का नाम	स्वीकृत वर्ष	स्वीकृत राशि (करोड़ रुपए में)
1.	एक वृहद परियोजना के रूप में नासिक (गंगापुर बांध, नासिक सिटी), गोवर्धन में कालाग्राम नासिक सिटी और गोंडेश्वर गंतव्य का विकास	2011-12	24.89
2.	महाराष्ट्र में परिपथ विकास के लिए शनि, शिंगनापुर, अहमदनगर, फोर्ट, जिला अहमदनगर सहित शिरडी पर धार्मिक परिपथ का विकास	2010-11	6.68

नवीकरणीय ऊर्जा शिक्षा संबंधी मानव संसाधन विकास कार्यक्रम

2134. **डॉ. शशी थरुर : क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार नवीकरणीय ऊर्जा शिक्षा को संस्थागत बनाने के लिए किसी मानव संसाधन विकास कार्यक्रम (एचआरडी) का कार्यान्वयन कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कार्यक्रम के अंतर्गत आरंभ की गई मुख्य पहलें क्या हैं; और

(घ) आज की तिथि तक कार्यक्रम के अंतर्गत आवंटित और उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा क्या है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (डॉ. फारुख अब्दुल्ला): (क) जी हां।

(ख) मंत्रालय, श्रम मंत्रालय के रोजगार और प्रशिक्षण महा निदेशालय (डीजीईटी) के सहयोग से आईटीआई के दो-वर्षीय नियमित कार्यक्रमों के पाठ्यक्रम में अक्षय ऊर्जा को शामिल करने के अलावा अपने मानव संसाधन विकास कार्यक्रम (एचआरडी) के अंतर्गत स्नातक, स्नातकोत्तर और पीएचडी स्तरों पर अक्षय ऊर्जा पाठ्यक्रम शुरू करने हेतु आवश्यक रूपरेखा तैयार करने के लिए शैक्षणिक/अकादमिक संस्थाओं को सहायता दे रहा है। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय, अक्षय ऊर्जा प्रणालियों और उपकरणों की संस्थापना, प्रचालन, रख-रखाव और मरम्मत सहित अक्षय ऊर्जा के विभिन्न पहलूओं पर विभिन्न लक्ष्य दलों हेतु छोटी अवधि के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करने में भी मदद करता है।

(ग) कार्यक्रमों के तहत किए गए मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं:—

(i) अक्षय ऊर्जा विषय पर पीएचडी, एम.टैक, एमएससी पाठ्यक्रमों हेतु फैलोशिप देने के लिए राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा फैलोशिप कार्यक्रम संस्था (एनआरईएफपी),

(ii) सौर ऊर्जा के नवीनतम क्षेत्रों पर अनुसंधान कार्य करने हेतु 10 चयनित वैज्ञानिकों को राष्ट्रीय सौर विज्ञान फैलोशिप कार्यक्रम संस्था (एनएसएसएफपी) संस्था आकर्षक फैलोशिप (प्रति माह एक लाख रुपए) और अनुसंधान अनुदान उपलब्ध कराएगा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आईआईटी मुंबई में दो राष्ट्रीय सौर विज्ञान सदस्य कार्य कर रहे हैं,

(iii) अक्षय ऊर्जा संस्थाएं चयनित उच्च शिक्षण संस्थाओं में अक्षय ऊर्जा क्षिशण पर ध्यान केन्द्रित करने हेतु अध्यक्षता करती हैं,

(iv) प्रयोगशाला और पुस्तकालय सुविधाओं का उन्नयन करने हेतु चयनित शिक्षण संस्थाओं को 50 लाख रुपए की एक मुश्त अनुदान सहायता उपलब्ध कराई जा रही है,

(v) स्नातकोत्तर, स्नातम, डिप्लोमा और आईटीआई स्तरों हेतु पाठ्यक्रम सामग्री और अध्ययन सामग्री का विस्तार देना,

(vi) मंत्रालय और राज्य नोडल एजेंसियों के अधिकारियों के क्षमता निर्माण हेतु कार्यक्रम शुरू करने के साथ ही लघु अवधि के प्रशिक्षण कार्यक्रमों को शुरू करने हेतु राज्य नोडल एजेंसियों (एसएनए) और एनजीओ को सहायता।

(घ) वर्ष 2012-13 हेतु आवंटित निधियां आठ करोड़ रुपए है, जिसकी तुलना में अब तक 1.04 करोड़ रुपए जारी किए गए। इसके अरिक्त वर्ष 2011-12 से 3.35 करोड़ रुपए की अग्रिम देयताएं हैं जिन्हें कि चालू वित्त वर्ष के दौरान पूरा किया जाना है।

[हिन्दी]

कल्याण बोर्डों में भ्रष्टाचार

2135. **श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे : क्या महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड और राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्डों में भ्रष्टाचार व्याप्त है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान कितने मामले प्रकाश में आए हैं;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ) : (क) और (ख) केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड एवं राज्य कल्याण सलाहकार बोर्डों को गत तीन वर्षों (अर्थात 2009, 2010, 2011 एवं वर्तमान वर्ष (2012) के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या क्रमशः 02, 06, 05 एवं 66 है।

(ग) और (घ) सरकार इन शिकायतों को बहुत ही गंभीरता से लेती है। मंत्रालय को कोई भी शिकायत प्राप्त होने पर इसे शीघ्र ही नियमानुसार कार्रवाई हेतु केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड को भेज दिया जाता है। यदि कोई शिकायत बोर्ड के किसी कर्मचारी से संबंधित होती है, तो केंद्रीय सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियमन और अपील) नियमावली, 1965 के अनुसार कार्रवाई की जाती है। इन नियमों के आधार पर, उपलब्ध दस्तावेजों एवं साक्ष्यों के आधार पर प्रारंभिक जांच की जाती है। यदि कोई तथ्य प्रतिकूल पाया जाता है तो उक्त नियमावली के प्रावधानों के अनुसार दोषी अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई शुरू की जाती है।

[अनुवाद]

जनजातीय क्षेत्रों में आवासीय विद्यालय

2136. श्री एल. राजगोपाल :
श्रीमती मेनका गांधी :
श्री माणिकराव होडल्या गावित :

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मंत्रालय द्वारा कितने एकलव्य माडल आवासी विद्यालयों (ईएमआरएस) को निधियां प्रदान की जा रही हैं तथा देश के नकसल प्रभावित क्षेत्रों सहित जनजातीय क्षेत्रों में राज्य-वार कितने ईएमआरएस स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) प्रस्तावित विद्यालय को कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या सभी आवासीय विद्यालयों को संस्वीकृति प्रदान कर दी गई है और उन्होंने कार्य करना आरंभ कर दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन ईएमआरएस के लाभार्थियों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री महादेव सिंह खंडेला) : (क) और (ख) "भारत के संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुदान" के कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य सरकारों (नक्सल प्रभावित क्षेत्रों सहित) को जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा स्वीकृत और निधियन प्राप्त एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों (ईएमआरएस) की संख्या को दर्शाने वाला एक विवरण अनुलग्नक में दिया गया है। महत्वपूर्ण बुनियादी अंतर को दूर करने के उपाय के रूप में राज्यों के आबंटन, अपेक्षाओं/आवश्यकताओं के अनुसार राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा ईएमआरएस स्थापित करने के लिए स्वीकृति दी जाती है जो राज्यों द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों की शर्तों को पूरा करने के अधीन होती है। ईएमआरएस स्थापित करने के लिए कोई समय-सीमा नहीं दी जा सकती।

(ग) और (घ) स्वीकृत कुल 152 ईएमआरएस में से 108 प्रचालित हैं। राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ङ) कक्षा 6 से 12 में प्रत्येक ईएमआरएस की अधिकतम विद्यार्थियों की संख्या 480 है।

विवरण

23.08.2012 की स्थिति के अनुसार मंत्रालय द्वारा स्वीकृत ईएमआरएस की संख्या

क्र.सं.	राज्य	ईएमआरएस की संख्या	
		स्वीकृत	प्रचालित
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	10	8
2.	अरुणाचल प्रदेश	2	1
3.	असम	1	-
4.	छत्तीसगढ़	12	8
5.	गुजरात	22	15
6.	हिमाचल प्रदेश	1	1
7.	जम्मू और कश्मीर	2	-

1	2	3	4
8.	झारखंड	7	4
9.	कर्नाटक	10	4
10.	केरल	2	2
11.	मध्य प्रदेश	20	20
12.	महाराष्ट्र	4	4
13.	मणिपुर	3	-
14.	मिजोरम	2	1
15.	नागालैंड	3	3
16.	ओडिशा	16	13
17.	राजस्थान	16	9
18.	सिक्किम	2	2
19.	तमिलनाडु	2	2
20.	त्रिपुरा	4	4
21.	उत्तर प्रदेश	3	1
22.	उत्तराखंड	1	1
23.	पश्चिम बंगाल	7	5
	कुल	152	108

एनआरएचएम के अंतर्गत स्वच्छता अभियान

2137. **श्री रमेश विश्वनाथ काट्टी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का स्वच्छता अभियान को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) के साथ समेकित करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदीप बंदोपाध्याय) : (क) और (ख) स्वास्थ्य परिणाम सुधारने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) स्वास्थ्य के व्यापक निर्धारकों जैसे स्वच्छता, पेयजल, पोषण आदि की महत्ता समझता है। इसके लिए यह एकीकृत जिला स्वास्थ्य कार्य योजनाओं के छात्र के तहत कार्यकलापों हेतु अभिसारी दृष्टिकोण रखता है। पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय का निर्मल भारत अभियान (एनबीए) योजना दिशा-निर्देश सैनिटरी शौचालयों के निर्माण और उपयोग हेतु ग्रामीण समुदायों को प्रोत्साहित करने के लिए आशा कार्यकर्त्ताओं समेत प्रेरकों के लिए निष्पादन आधारित नकद प्रोत्साहन की व्यवस्था करते हैं। आशा कार्यकर्त्ताओं, एएनएमों और सुरक्षित स्वच्छता, सफाई और स्वास्थ्य पर एनबीए कार्यान्वित करने वाले अधिकारियों के लिए संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित करना

2138. **श्रीमती मीना सिंह : क्या विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विद्युत क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को आकर्षित करने के लिए विदेशी निवेशकों को और प्रोत्साहन की पेशकश की है जबकि घरेलू कंपनियां बंद होने के कगार पर हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में घरेलू विद्युत संयंत्रों के विकास के लिए भारत सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. सी. वेणुगोपाल) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) के उत्तर के परिप्रेक्ष में प्रश्न नहीं उठता।

(ग) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 7 के अनुसार, किसी भी उत्पादक कंपनी द्वारा यदि ग्रिड की कनैक्टिविटी से संबंधित तकनीकी मानकों का अनुपालन किया जाता है, तो वह बिना लाइसेंस प्राप्त किए ही उत्पादन संयंत्र की स्थापना, प्रचालन और अनुरक्षण कर सकती है। इस अधिनियम के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में प्रवेश

करने में रुकावटों को दूर करके सार्वजनिक और निजी, दोनों क्षेत्रों के लिए उद्योग के सभी क्षेत्रों में निवेश हेतु प्रेरक वातावरण तैयार होता है। इसके अतिरिक्त, विद्युत क्षेत्र से संबंधित घरेलू उद्योग द्वारा झेली जा रही हानियों पर ध्यान देने के क्रम में, सरकार ने 19.07.2012 से विद्युत उत्पादन परियोजनाओं की सभी श्रेणियों (पहले से ही प्रमाणित मेगा/अनंतिम मेगा परियोजनाओं को छोड़कर) के आयातित उपस्करों पर एक समान रूप से लगाए जाने के लिए 5 प्रतिशत की दर से सीमाशुल्क, 12 प्रतिशत की दर से काउंटर वेलिंग शुल्क (सीवीडी) (यथा-प्रयोज्य ओर समय-समय पर घरेलू उद्योग के उत्पादन शुल्क के बराबर) तथा 4 प्रतिशत की दर से विशेष अतिरिक्त शुल्क (एसएडी) का अनुमोदन कर दिया है।

[अनुवाद]

एम्स मेडिकल स्टोर के विरुद्ध शिकायतें

2139. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :
श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर :
श्री आनंद प्रकाश परांजपे :
श्री संजय भोई :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को एम्स मेडिकल स्टोर के विरुद्ध औषधियों के नुस्खों के विरुद्ध वैकल्पिक औषधियों की बिक्री के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या है;

(ग) क्या इस मामले में एम्स अथवा सरकार द्वारा कोई ठोस कार्रवाई की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार ने स्टोर के कार्यकरण की निगरानी के लिए उच्च न्यायालय द्वारा सुझाई गई किसी समिति का गठन किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (च) एम्स कैंपस के भीतर मैसर्स आल इंडिया मेडिकोज का निरीक्षण औषधि नियंत्रण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा किया गया था। इस फर्म में प्रतिस्थापित ब्रांडेड दवाइयां पाई गई थी। जांच करने के लिए कई नमूने लिए गए हैं। इस दुकान द्वारा दवाओं की बिक्री की निगरानी करने के लिए एम्स ने एक निगरानी समिति बनाई है।

मिलावटी एवं घटिया औषधियां

2140. श्री सुभाष बापूराव वानखेड़े :
डॉ मुरली मनोहर जोशी :
श्री प्रबोध पांडा :
श्री शैलेन्द्र कुमार :
श्री संजय धोत्रे :
श्री हर्ष वर्धन :
श्री सी. शिवासामी :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पूरे देश में अनेक मिलावटी एवं घटिया औषधियों के परिचालन की तरफ आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में परिचालित औषधियों में मिलावटी एवं घटिया औषधियों की कितनी प्रतिशतता होने का अनुमान है;

(घ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष एवं चालू वर्ष के दौरान अब तक राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितने छापे मारे गये और ऐसे कितने मामलों का पता लगाया गया है तथा दोषियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई हुई है; और

(ङ) मिलावटी औषधियों की बढ़ती हुई समस्या से निपटने के लिए तथा दोषियों को कड़ा दंड देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (घ) देश भर में मिलावटी और घटिया स्तर की औषधों के बड़ी संख्या में परिचालन होने की कोई रिपोर्ट नहीं है। आशंति औषधियों की निगरानी और नमूनाकरण के माध्यम

से विभिन्न राज्यों से कुछेक मामलों का पता चलता है। नमूनों के जांच के आधार पर आशंकित दवाओं के नमूनों में मिलावटी दवाओं का प्रतिशत केवल 0.2 प्रतिशत से 0.3 प्रतिशत पाया गया है और यह घटिया स्तर की दवाओं के लिए 4.7 प्रतिशत पाया गया है। वर्ष 2009-10, 2010-12 के दौरान पाए ऐसे मामलों की संख्या और अपराधियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई सहित मारे गए छापों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(ङ) मिलावटी/घटिया स्तर की दवाओं की समस्या से निपटने के लिए सरकार ने निम्नलिखित उपाय किए हैं;

1. मिलावटी और नकली दवाइयों के निर्माण हेतु कड़े दंडों की व्यवस्था के लिए औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 को औषधि एवं प्रसाधन सामग्री (संशोधन) अधिनियम, 2008 के द्वारा संशोधित किया गया है। कुछ अपराधों को संज्ञेय और गैर-जमानती भी बनाया गया है।

2. औषधि एवं प्रसाधन सामग्री (संशोधन) अधिनियम, 2008 के तहत विकसित दंडों के प्रकाश में मिलावटी या मानक गुणवत्ता की न होने वाली दवाओं के नमूनों पर कार्रवाई करने के लिए दिशानिर्देश निर्धारित किए गए हैं।

3. औषधि एवं प्रसाधन सामग्री (संशोधन) अधिनियम, 2008 में औषधि संबंधी अपराधों की जल्द न्यायिक प्रक्रिया के लिए मान्यताप्राप्त न्यायालयों की स्थापना की व्यवस्था की गई है। 14 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने पहले से ही ऐसे न्यायालय स्थापित कर दिए हैं।

4. देश में मिलावटी दवाओं की गतिविधियों का पता लगाने में सतर्क सार्वजनिक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा एक व्हीसल ब्लोअर योजना आरंभ की गई है। इस योजना में मिलावटी दवाइयों की गतिविधियों के बारे में ठोस सूचना प्रदान करने के लिए सूचना देने वालों को उचित पुरस्कार देने की व्यवस्था है।

5. देश में परिचालित औषधियों की गुणवत्ता की निगरानी हेतु जांच और विश्लेषण के लिए औषधियों के नमूने लेने को सतर्कता बरतने के लिए और निरीक्षण स्टाफ को अनुदेश दिए गए हैं।

विवरण

राज्यों से उपलब्ध फीडबैक के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान जांचे गए नमूनों की संख्या, मानक गुणवत्ता के घोषित न किए गए नमूनों की संख्या, नकली घोषित किए गए नमूनों की संख्या, प्रारंभ किए गए अभियोजन की संख्या, फैसले किए गए मामलों की संख्या और किए गए छापों की संख्या

क्र.सं.	वर्ष	जांच गए नमूनों की संख्या	मानक गुणवत्ता के घोषित न किए गए नमूनों की संख्या	नकली घोषित किए गए नमूनों की संख्या	नकली/मिलावटी औषधियों के निर्माण, बिक्री और वितरण के लिए प्रारंभ किए गए अभियोजन की संख्या	मामलों की संख्या (जैसा कि पहले कॉलम में उल्लेख किया है) का फैसला किया	किए गए छापों की संख्या
1.	2009-10	39248	1942	117	138	6	2520
2.	2010-11	49682	2372	95	167	9	1295
3.	2011-12	48082	2186	133	211	16	7183

राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों से उपलब्ध फ़ीडबैक के अनुसार 2009-10 के दौरान किए गए छापे की संख्या

क्र.सं.	राज्यों/संघ राज्य	छापे की संख्या का आयोजन	की गई कार्रवाई
1	2	3	4
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	शून्य	लागू नहीं
2.	आन्ध्र प्रदेश	4	2007 से पहले दर्ज हुए मामलों के संबंध में एक मामला/अभियोजन शुरू किया और तीन मामलों की जांच की जा रही है और एक मामले में सजा हुई।
3.	अरुणाचल प्रदेश	शून्य	लागू नहीं
4.	असम	शून्य	लागू नहीं
5.	बिहार	13	27 लोगों को गिरफ्तार किया है, सभी मामलों में अभियोजन शुरू किया गया
6.	चंडीगढ़	19	शून्य
7.	छत्तीसगढ़	शून्य	लागू नहीं
8.	दादरा और नगर हवेली	शून्य	लागू नहीं
9.	दमन और दीव	शून्य	लागू नहीं
10.	दिल्ली	4	शून्य
11.	गोवा	शून्य	लागू नहीं
12.	गुजरात	1	पंजीकरण संख्या 3319/09 में एफआईआर निम्नलिखित के विरुद्ध दी गई: (1) मैसर्स धनलक्ष्मी परिवहन निगम, सारंगपुर, अहमदाबाद और (2) प्रबंधक: शेखजबीन हुसैन रूकानोडिल अहमदाबाद (प्रकरण जांच के अधीन है)।
13.	हरियाणा	12	शून्य

1	2	3	4
14.	हिमाचल प्रदेश	326	कोई नकली दवा नहीं पाई गई
15.	जम्मू और कश्मीर	शून्य	लागू नहीं
16.	झारखंड	शून्य	लागू नहीं
17.	कर्नाटक	1	जांच प्रगति में है
18.	केरल	4	—
19.	लक्षद्वीप	शून्य	शून्य
20.	मध्य प्रदेश	शून्य	लागू नहीं
21.	महाराष्ट्र	3	—
22.	मणिपुर	शून्य	लागू नहीं
23.	मेघालय	शून्य	लागू नहीं
24.	मिज़ोरम	शून्य	लागू नहीं
25.	नागालैंड	शून्य	लागू नहीं
26.	ओडिशा	शून्य	शून्य
27.	पुदुचेरी	शून्य	लागू नहीं
28.	पंजाब	611	—
29.	राजस्थान	2	शून्य
30.	सिक्किम	शून्य	लागू नहीं
31.	तमिलनाडु	1	प्रारंभिक जांच तमिलनाडु और आन्ध्र प्रदेश राज्य में औषध निरीक्षकों द्वारा की गई क्योंकि इसमें अंतरराज्यीय जांच शामिल है, गहराई से आगे की जांच करने के लिए पूरी फ़ाइल राज्य सरकार की अनुमति के साथ सीबीसीआईडी को हस्तांतरित कर दी गई है।
32	त्रिपुरा	शून्य	लागू नहीं

1	2	3	4
33.	उत्तर प्रदेश	1520	अभियोजन सभी आरोपियों के खिलाफ शुरू किया गया है।
34.	उत्तराखंड	3	
35.	पश्चिम बंगाल	6	8 लोगों को गिरफ्तार किया
	कुल	2520	

राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों से उपलब्ध फ़ीडबैक के अनुसार 2010-11 के दौरान किए गए छापे की संख्या

क्र.सं.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र	छापे की संख्या की आयोजन	की गई कार्रवाई
1	2	3	4
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	शून्य	शून्य
2.	आन्ध्र प्रदेश	1	जांच के तहत
3.	अरुणाचल प्रदेश	शून्य	शून्य
4.	असम	1	कोर्ट केस दायर
5.	बिहार	29	एफआईआर और अभियोजन शुरू
6.	चंडीगढ़	शून्य	शून्य
7.	छत्तीसगढ़	2	फर्म का लाइसेंस निलंबित कर दिया है और अभियोजन शुरू किया गया है।
8.	दादरा और नगर हवेली	शून्य	शून्य
9.	दमन और दीव	शून्य	शून्य
10.	दिल्ली	1	जांच के तहत
11.	गोवा	शून्य	शून्य
12.	गुजरात	3	जांच के तहत
13.	हरियाणा	22	अभियोजन एक मामले में शुरू
14.	हिमाचल प्रदेश	1	कानूनी प्रक्रिया चल रही है

1	2	3	4
15.	जम्मू और कश्मीर	शून्य	शून्य
16.	झारखंड	शून्य	शून्य
17.	कर्नाटक	2	जांच के तहत
18.	केरल	शून्य	शून्य
19.	लक्षद्वीप	शून्य	शून्य
20.	मध्य प्रदेश	शून्य	शून्य
21.	महाराष्ट्र	5	शून्य
22.	मणिपुर	शून्य	शून्य
23.	मेघालय	शून्य	शून्य
24.	मिजोरम	शून्य	शून्य
25.	नागालैंड	शून्य	शून्य
26.	ओडिशा	657	शून्य
27.	पुदुचेरी	शून्य	शून्य
28.	पंजाब	405	औषधि का एक नमूना नकली घोषित किया गया। एसडीसी राजस्थान को मामला प्रेषित, जांच की जा रही है।
29.	राजस्थान	6	14 व्यक्ति गिरफ्तार
30.	सिक्किम	शून्य	शून्य
31.	तमिलनाडु	8	3 मामले CBCID को प्रेषित किए गए।
32.	त्रिपुरा	शून्य	शून्य
33.	उत्तर प्रदेश	150	एकत्र नमूनों की संख्या 155, एफआईआर : 19, गिरफ्तार व्यक्ति : 17, जब्त की गई दवाइयां : 47.61 लाख
34.	उत्तराखंड	शून्य	शून्य
35.	पश्चिम बंगाल	2	जांच के तहत
	कुल	1295	

राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों से उपलब्ध फ़ीडबैक के अनुसार 2010-11 के दौरान किए गए छापे की संख्या

क्र.सं.	राज्यों/संघ राज्य	छापे की संख्या की आयोजन	की गई कार्रवाई
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	3	जांच के तहत
2.	अरुणाचल प्रदेश	शून्य	शून्य
3.	असम	शून्य	शून्य
4.	बिहार	318	एफआईआर-45, अभियोजन-10
5.	गोवा	शून्य	शून्य
6.	गुजरात	26	शून्य
7.	हरियाणा	52	12 कैमिस्ट दुकानों का लाइसेंस रद्द किया गया और निर्माता का लाइसेंस रद्द किया गया
8.	हिमाचल प्रदेश	2	01 अभियोजन शुरू किया गया और **दो** जांच की जा रही है
9.	जम्मू और कश्मीर	शून्य	शून्य
10.	कर्नाटक	2	प्रक्रिया के तहत जांच
11.	केरल	शून्य	शून्य
12.	मध्य प्रदेश	शून्य	शून्य
13.	महाराष्ट्र	10	06 अभियोजन शुरू किए गए और 12 जांच की जा रही है
14.	मणिपुर*	शून्य	शून्य
15.	मेघालय	शून्य	शून्य
16.	मिज़ोरम	शून्य	शून्य
17.	नागालैंड	शून्य	शून्य

1	2	3	4
18.	ओडिशा	3637	फर्म को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए
19.	पंजाब	478	कार्रवाई शुरू की गई
20.	राजस्थान	शून्य	शून्य
21.	सिक्किम	शून्य	शून्य
22.	तमिलनाडु	15	जांच के तहत
23.	त्रिपुरा	शून्य	शून्य
24.	उत्तर प्रदेश	2567	568 ड्रग्स बिक्री लाइसेंसों को निलंबित कर दिया, 923 लाइसेंस रद्द किए गए, 1 रक्त बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया, 16 रक्त बैंक लाइसेंस निलंबित किए गए
25.	पश्चिम बंगाल	28	डी एंड सी अधिनियम के प्रावधान लागू किए जा रहे हैं
26.	पुदुचेरी	शून्य	शून्य
27.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1	शून्य
28.	चंडीगढ़	22	शून्य
29.	दिल्ली	8	अभियोजन दर्ज
30.	दादरा और नगर हवेली	शून्य	शून्य
31.	दमन और दीव	शून्य	शून्य
32.	लक्षद्वीप	शून्य	शून्य
33.	छत्तीसगढ़	6	प्रक्रिया के तहत जांच
34.	झारखंड	5	3 अभियोजन शुरू किए गए
35.	उत्तराखंड	3	3 लाइसेंस रद्द
	कुल	7183	

राज्यों से उपलब्ध फीडबैक के अनुसार वर्ष 2010-11, 2009-10 और 2011-12 के लिए मानक गुणवत्ता की नहीं होने वाली दवाओं और नकली/मिलावटी दवाओं का प्रतिशत

क्र.सं.	वर्ष	जांचे गए औषध नमूनों की संख्या	मानक गुणवत्ता के घोषित न किए गए औषध नमूनों की संख्या	मानक गुणवत्ता के घोषित न किए गए औषध नमूनों का प्रतिशत	नकली/मिलावटी घोषित किए किए गए औषध नमूनों की संख्या	नकली/मिलावटी घोषित किए किए गए औषध नमूनों का प्रतिशत
1.	2009-10	39248	1942	4.9	117	0.30
2.	2010-11	49682	2372	4.8	95	0.20
3.	2011-12	48082	2186	4.5	133	0.27

उच्च रक्तचाप

2141. श्री के. सुगुमार :
डॉ. रत्ना डे :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) द्वारा जारी नई रिपोर्ट पर ध्यान दिया है जिसमें यह कहा गया है कि प्रत्येक तीन भारतीय व्यक्तियों में से एक व्यक्ति उच्च रक्तचाप से पीड़ित है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं और देश में राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार उच्च रक्त-चाप से पीड़ित व्यक्तियों की अनुमानित संख्या कितनी है;

(ग) भारतीयों में रक्तचाप के अधिक रोगी होने के क्या कारण हैं; और

(घ) इस प्रवृत्ति को नियंत्रित करने और इसके लिए उचित उपचार की सुविधाएं स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए/प्रस्तावित उपाय क्या हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, हां। सरकार को इस रिपोर्ट की जानकारी है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) रिपोर्ट 2012 के अनुसार प्रत्येक तीन भारतीय व्यक्तियों में से एक व्यक्ति उच्च रक्तचाप से पीड़ित है।

(ख) गैर-संचारी रोगजोखिम कारकों पर वर्ष 2007-08 में एकीकृत रोग निगरानी परियोजना द्वारा सात राज्यों में करवाये गए सर्वेक्षण के अनुसार तनाव के रोगियों के राज्य-वार आंकड़े (प्रतिशत में) इस प्रकार है:

आन्ध्र प्रदेश	मध्य प्रदेश	महाराष्ट्र	मिजोरम	केरल	तमिलनाडु	उत्तराखंड
16.6	24.1	20.1	19.6	18.0	17.8	18.8

(ग) भारत में आहार एवं शारीरिक शिथिलता और उच्च रक्तचाप सहित बदलते जीवन शैली कारकों के बीच एक गहरा संबंध है। भारत में उच्च रक्तचाप स्थानिकमारी के गतिशील होने में जेनेटिक और जीन-पर्यावरणीय समाभिरूपता की भूमिका हो सकती है।

(घ) सरकार ने 11वीं पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय कैंसर, मुधमेह, हृदयवाहिका रोग एवं आघात निवारण एवं नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम का लक्ष्य गैर-संचारी रोगों के भार को कम करना है जो मानव जीवन के सर्वाधिक महत्वपूर्ण वर्षों को कम करने के मुख्य कारक हैं जिनके परिणामस्वरूप भारी आर्थिक नुकसान होता है। यह कार्यक्रम विभिन्न स्वास्थ्य परिचर्या सुविधा केन्द्रों में मधुमेह और तनाव के लिए 30 वर्षों से अधिक आयु के व्यक्तियों की जांच प्रदान करता है। यह कार्यक्रम 21 राज्यों के पहचान किए गए 100 जिलों में प्रारंभ किया गया है। उच्च रक्तचाप से ग्रस्त व्यक्तियों को उपचार मेडिकल कालेजों और तृतीयक स्वास्थ्य परिचर्या संस्थानों के अलावा जिला अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों तक की स्वास्थ्य परिचर्या प्रदानगी प्रणाली में किया जाता है।

विद्युत का निर्यात

2142. श्री नरहरि महतो :
श्री नृपेन्द्र नाथ राय :
श्री सुरेश अंगड़ी :
श्री माणिक टैगोर :

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का बांग्लादेश और पाकिस्तान सहित कतिपय पड़ोसी देशों को विद्युत निर्यात करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) जब देश पहले से ही विद्युत की कमी का सामना कर रहा है तो भारी मात्रा में विद्युत निर्यात किए जाने का क्या औचित्य है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल) : (क) जी, हां। वर्तमान में, भारतीय विद्युत युटिलिटियां अर्थात् बिहार राज्य विद्युत बोर्ड (बीएसईबी), उत्तर प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड (यूपीपीसीएल) और उत्तराखंड विद्युत निगम लिमिटेड (यूपीसीएल) नेपाल को टनकपुर जल-विद्युत परियोजना (120 मेगावाट) से 70 मेगा यूनिट निशुल्क विद्युत आपूर्ति को छोड़कर कुल 120-130 मेगावाट का निर्यात कर रही है।

बांग्लादेश के साथ, बांग्लादेश को 500 मेगावाट विद्युत का निर्यात/आपूर्ति को सुगम बनाने के लिए सीमा पार एक पारेषण लिंक तैयार किया जा रहा है।

(ख) (i) **भारत-नेपाल**

– नेपाल विद्युत प्राधिकरण (एनईए) और भारतीय भूमि पर यूटिलिटियों अर्थात् बीएसईबी, यूपीपीसीएल और यूपीसीएल के बीच विद्युत का आदान-प्रदान सीमा के दोनों ओर के एकान्त स्थानीय क्षेत्रों की विद्युत आवश्यकताओं को पूरा करने के सिद्धांत पर किया जा रहा है। वर्तमान में 11 केवी, 33केवी और 132 केवी पारेषण लाइनों के माध्यम से द्विपक्षीय विद्युत आदान-प्रदान के लिए लगभग 13 सीमापार अन्तर्सम्बंध सुविधाएं प्रचालनाधीन हैं। उपर्युक्त राज्य यूटिलिटियां नेपाल को विद्युत का निर्यात करती हैं। वर्तमान में निर्यात की मात्रा 120-130 मेगावाट है जिसमें अधिकांश आपूर्ति बीएसईबी द्वारा की जा रही है।

बीएसईबी (बिहार) - नेपाल

132 केवी लाईन

1. कटैया - कुसहा
2. रामनगर-पूर्वी गंडक-गंडक/सूरजपुरा

133 केवी लाईन

3. वीरगंज-रक्सौल
4. कटैया - बिराटनगर (रूपनी)
5. कटैया - राजबिराज
6. सीतामगढ़ी - जलेश्वर

11 केवी लाईन

7. बिराटनगर - जोगबनी (द्विपक्षीय रूप से इसे प्रचालन को बंद कर दिया गया)

यूपीपीसीएल (उत्तर प्रदेश) - नेपाल

33 केवी लाईन

1. आनंदनगर-भैरवन

2. ननपारा-नेपालगंज

यूपीपीसीएल (उत्तराखंड) - नेपाल

33 केवी लाईन

1. लोहिया-महेंन्द्रनगर (नेपाल)

11 केवी लाईन

2. पिथौरागढ़-बैताडी

3. धारचूला - जलजीबे

4. धारचूला - पीपीली

— भारत नेपाल को 132 केवी टनकपुर-महेंन्द्रनगर एस/सी साईन के माध्यम से महाकाली संधि के अंतर्गत, उत्तराखंड के टनकपुर एचईपी (120 मेगावाट) से लगभग 70 एम.यू. की निःशुल्क विद्युत की आपूर्ति भी करता है।

(ii) **भारत-बांग्लादेश**

दो देशों के बीच 500 मेगावाट तक विद्युत के आदान-प्रदान को सुविधाजनक बनाने के लिए भारत और बांग्लादेश के बीच एक वैद्युत अन्तर्सम्बंध को तैयार किया जा रहा है। सीमा पर लिंक में निम्नलिखित शामिल हैं:

भारत का भाग:

— बहरामपुर (भारत) - भेरामरा (बांग्लादेश) 400 केवी डी/सी लाइन।

— एलआईएलओ, फरक्का-जीरत 400 केवी एस/सी लाइन, बहरामपुर।

— **बहरामपुर में 400 केवी स्विचिंग स्टेशन की स्थापना।**

बंगलादेश का हिस्सा

— बहरामपुर (भारत) - भेरामरा (बांग्लादेश) 400 केवी डी/सी लाइन।

— एलआईएलओ, ईशुर्दी-भेरामरा में खुलना साऊथ 230 केवी केवी डी/सी लाइन

— भेरामरा में 1x500 मेगावाट एचवीडीसी बैक-टू-बैक स्टेशन और 230 केवी स्वीचिंग

भारत में कार्यों का कार्यान्वयन पावरग्रिड द्वारा किया जाता है और बांग्लादेश में कार्यों को पीजीसीबी, बांग्लादेश (बांग्लादेश पावर ग्रिड कंपनी लिमिटेड) द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। इस लाइन के जुलाई, 2013 तक शुरू होने के कार्यक्रम हैं।

(ग) नेपाल को निर्यात की जा रही विद्युत की मांग और बांग्लादेश को निर्यात किए जाने के लिए प्रस्तावित विद्युत की मात्रा अधिक नहीं है।

[हिन्दी]

श्रीलंका में चीन की उपस्थिति

2143. **श्री कौशलेन्द्र कुमार :** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को चीन द्वारा कोलंबो पोर्ट का आधुनिकीकरण किए जाने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) चीन द्वारा श्रीलंका के अन्य किन पत्तनों को आधुनिकीकरण हेतु लिए जाने या अन्य क्या सुविधाएं दिए जाने की संभावना है;

(घ) क्या भारत सरकार ने श्रीलंका सरकार को श्रीलंका में चीन की बढ़ती हुई उपस्थिति को लेकर अपनी चिंता व्यक्त की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर श्रीलंका सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने मीडिया रिपोर्ट देख ली है कि चीन की एक चीनी कंपनी ने कोलंबो साउथ कॉन्टेनर टर्मिनल

के निर्माण हेतु संविदा प्राप्त कर लिया है और इसने श्रीलंकाई पत्तन प्राधिकरण के साथ एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं।

(ग) से (ङ) सरकार को, विकासशील देशा में अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के निष्पादन में चीन की उन्नत आर्थिक तथा प्रौद्योगिकीय क्षमताओं की जानकारी है। सरकार भारत की सुरक्षा को प्रभावित करने वाली सभी गतिविधियों पर सतत नजर रखती है और इनसे सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाती है।

[अनुवाद]

लापता भारतीय

2144. श्री एन. पीताम्बर कुरुप : क्या प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेश में विशेषकर खाड़ी देशों में कार्य कर रहे/निवास कर रहे भारतीय मूल के अनेक व्यक्तियों के लापता होने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी देश-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन मामलों की जांच करने के लिये कोई विशेष व्यवस्था की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इके क्या कारण हैं?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री, पृथ्वी विज्ञान मंत्री तथा प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि) : (क) और (ख) खाड़ी देशों सहित, विदेशों में कार्य कर रहे कुछेक भारतीयों के लापता होने की रिपोर्टें समय-समय पर प्राप्त होती हैं। खाड़ी सहित, उत्प्रवास जांच अपेक्षित (ईसीआर) देशों मे अवस्थित कुछेक भारतीय मिशनों से प्राप्त, लापता व्यक्तियों का ब्यौरा निम्नानुसार है:–

देश	2010	2011	2012
1	2	3	4
अफगानिस्तान		शून्य	
सऊदी अरब की सल्तनत	11	06	12
कुवैत		कुछेक की रिपोर्ट है	
लेबनान		शून्य	
लीबिया		शून्य	
ओमान		05	
कतर		शून्य	
सीरिया		शून्य	
यूएई		126	

(ग) से (ङ) जैसे ही किसी भारतीय के लापता होने के संबंध में सूचना रिपोर्ट की जाती है, मामला भारतीय मिशन के माध्यम से, संबंधित स्थानीय प्राधिकरणों और प्रायोजकों के साथ उठाया जाता है। पते-ठिकाने के बारे में पता लगाने के लिए, स्थानीय भारतीयों, मित्रों, परिचितों और सामुदायिक स्वयंसेवकों की भी सहायता ली जाती है।

दूरस्थ गांव विद्युतीकरण कार्यक्रम

2145. श्री निशिकांत दुबे :
श्री समीर भुजबल :
श्री माणिकराव होडल्या गावित :
श्री रामकिशुन :

क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू पंचवषीर्य योजना के दौरान देश में दूरस्थ गांव विद्युतीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य और प्राप्त उपलब्धियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार दूरस्थ गांव विद्युतकरण कार्यक्रम के अंतर्गत देश मे महत्वपूर्ण तरीके से नवीकरणीय ऊर्जा को प्रोत्साहन देने एवं और विद्युत आपूर्ति में वृद्धि, मुख्यत: निर्धन पिछड़े क्षेत्रों एवं दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में, करने की योजना बना रही है;

(ग) यदि हां, तो देश में उपयोग की गई कुल विद्युत की

प्रतिशतता के रूप में 2020 में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से उत्पादित होने वाली अनुमानित विद्युत की मात्रा क्या है तथा 2020 हेतु निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र को दिए जा रहे अथवा दिए जाने हेतु प्रस्तावित प्रोत्साहनों सहित सरकार की योजना का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार के पास दुरस्थ गांव विद्युतीकरण (आरवीआई) कार्यक्रम की प्रगति की निगरानी करने का कोई तंत्र है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (डॉ फारूख अब्दुला) : (क) मंत्रालय द्वारा विद्युतीकृत जनगणना गांवों के उन दूरस्थ अविद्युतीकृत जनगणना गांवों और अविद्युतीकृत बस्तियों में रोशनी/आधारभूत विद्युतीकरण हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु दूरस्थ ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम का कार्यान्वियन किया जा रहा है। जहां राज्य सरकारों द्वारा ग्रिड विस्तार व्यवहार्य नहीं पाया गया और अत: इन्हें राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत शामिल नहीं किया गया।

कार्यक्रम के तहत राज्यवार लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए और राज्य द्वारा पहचाने गए कार्यान्वियन एजेंसियों द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत करने के पश्चात् मामला दर मामला आधार पर परियोजनाएं मंजूर की गईं। आरवीई कार्यक्रम की अवधि मार्च, 2012 तक अनुमोदित की गई। 11वीं योजना और 2012-13 के दौरान गांवों और बस्तियों के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) दूरस्थ ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम केवल 11वीं योजना के अंत तक अर्थात् मार्च, 2012 तक ही था। यद्यपि नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। लघु/माइक्रो हाइडल परियोजनाओं को भी दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत उपलब्ध कराने हेतु बढ़ावा दिया गया है। देश भर में विभिन्न राज्यों में 200 से भी ज्यादा माइक्रो हाइडल परियोजनाएं संस्थापित की गई हैं। मंत्रालय द्वारा एक 100 किवा. माइक्रो हाइडल परियोजना के लिए 1.00 करोड़ रुपए की केन्द्रीय वित्तीय सहायता दी जाती है।

ऑफ ग्रिड सौर अनुप्रयोग क्षेत्रों में विद्युत की आपूरित मांग को पूरा करने हेतु बायोमास गैसीफायर प्रणालियों के माध्यम से स्थानीय रूप से उपलब्ध कृषि अपशिष्टों जैसे चावल भूसी, मक्के के छिलके, रुई भूसी, अरहर के छिलके, छोटी लकड़ी के चिप्स आदि का प्रयोग कर वितरित/ऑफ ग्रिड विद्युत कार्यक्रम का भी संवर्धन किया जा रहा है। स्थानीय वितरण नेटवर्क की स्थापना करने हेतु 1.00 लाख रुपए प्रति किमी. (अधिकतम 3.00 लाख रुपए तक) के आंशिक सहायता के अलावा 100 उत्पादक गैस इंजनों के साथ बायोमास गैसीफायर की संस्थापना हेतु प्रति किलोवाट 15,000 रुपए की केन्द्रीय वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। सिस्टम के सफलतापूर्वक संस्थापित और शुरू होने के बाद ही केन्द्रीय वित्तीय सहायता दी जाती है। लगभग 250 गांवों/बस्तियों/टोलियों में बिजली की आपूरित मांग को पूरा करने हेतु अब तक 60 चीनी भूसी आधारित गैसीफायर प्रणालियां संस्थापित की गई है।

जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना ने सुझाव दिया है कि राष्ट्रीय विद्युत प्रणाली में अक्षय ऊर्जा को मुख्य धारा में लाने हेतु एक प्रभावशाली न्यूनतम अक्षय ऊर्जा खरीद बाध्यता निर्धारित की जा सकती है और 2020 तक राष्ट्रीय विद्युत मिश्रण में अक्षय ऊर्जा का शेयर 15 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता हैं यद्यपि कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है और अंशदान को बढ़ाने हेतु प्रयास किए जा रहे हैं।

(घ) और (ङ) राज्य कार्यान्वयन एजेंसियां परियोजनाओं की निगरानी सुनिश्चित करती है। परियोजना के पूरा होने पर सरकारी/स्वायत्त संगठन द्वारा त्रिपक्षीय मानीटरिंग अनिवार्य है। संस्थापना के बाद भी कार्यान्वयन एजेंसियों की यह जिम्मेदारी है कि वे प्रणालियों की कार्यशीलता सुनिश्चित करें और उनके द्वारा इसकी जांच करने हेतु आवधिक मानीटरिंग की जाए।

विवरण

11वीं योजना और 2012-13 के दौरान पूर्ण किए गए गांवों और बस्तियों का राज्यवार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	—	—	—	13	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	अरुणाचल प्रदेश	89	1	–	51	–	–
3.	असम	169	77	581	525	465	12
4.	बिहार	–	–	–	–	–	–
5.	छत्तीसगढ़	74	–	–	169	–	–
6.	दिल्ली	–	–	–	–	–	–
7.	गोवा	–	–	–	–	–	–
8.	गुजरात	36	–	–	–	–	–
9.	हरियाणा	149	–	–	92	–	
10.	हिमाचल प्रदेश	–	–	–	20	–	
11.	जम्मू और कश्मीर	13	–	30	–	–	–
12.	झारखंड	153	9	–	–	44	–
13.	कर्नाटक	16	14	–	–	–	–
14.	केरल	–	–	–	49	–	
15.	मध्य प्रदेश	42	89	27	87	106	–
16.	महाराष्ट्र	55	91	82	–	–	–
17.	मणिपुर*	40	17	–	–	49	–
18.	मेघालय	2	–	70	–	52	–
19.	मिजोरम	–	–	–	–	–	–
20.	नागालैंड	3				8	
21.	ओडिशा	42	14	150	331	47	
22.	पंजाब	–	–	–	–	–	–
23.	राजस्थान	90		73	–	–	–
24.	सिक्किम	–	–	–	–	–	–
25.	तमिलनाडु	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8
26.	त्रिपुरा	165	—	—	90	284	—
27.	उत्तराखंड	76	—	—	—	—	—
28.	उत्तर प्रदेश	65	14	—	105		
29.	पश्चिम बंगाल	—	—	—	5	1	
	कुल	1279	326	1013	1537	1056	12.

[हिन्दी]

नयी औषधियों को मंजूरी

2146. **श्री विलास मुत्तेमवार :**
श्री संजय दिना पाटील :
श्रीमती सुप्रिया सुले :
श्री खगेन दास :
डॉ. संजीव गणेश नाईक :
श्री अनुराग सिंह ठाकुर :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में नई औषधियों के विपणन के लिए मंजूरी देने से पहले उनके नैदानिक परीक्षणों के संबंध में सरकार द्वारा क्या नीति बनाई गई है;

(ख) क्या सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया है कि देश में बिना उचित नैदानिक परीक्षण के एवं स्थापित प्रक्रियाओं का उल्लंघन करके केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) द्वारा कतिपय औषधियों को मंजूरी दी गई है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं;

(घ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष एवं चालू वर्ष के दौरान अब तक देश में केंद्रीय औषधिमानक नियंत्रण संगठन सीडीएससीओ द्वारा कितनी औषधियों को मंजूरी दी गई तथा उनमें से कितनी औषधियों का नैदानिक परीक्षण किया गया;

(ङ) देश में औषधियों के नैदानिक परीक्षण के बिना उनको मंजूरी देने में शामिल अधिकारियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का विचार है; और

(च) देश में इस प्रकार की विनियामक प्रक्रिया संबंधी चूक को रोकने और नई औषधियों को मंजूरी देने की प्रणाली को दुरुस्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं/किए जाने के विचार हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (च) औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली, 1945 के नियम 122क, 122ख, 122घ और अनुसूची-वाई में उल्लिखित दिशानिर्देशों और आवश्यकताओं के अनुसार गैर-नैदानिक आंकड़ों, औषधि की सुरक्षा एवं प्रभाविकता के नैदानिक आंकड़े, अन्य देशों में विनियामक स्थिति आदि के आधार पर सीडीएससीओ द्वारा नई औषधियों का अनुमोदन किया जाता है। तथापि, नियम 122क (2) और नियम 122ख (3) के अनुसार, नैदानिक जांच की आवश्यकता नहीं हो सकती है यदि औषधि इस प्रकृति की हो कि लाइसेंस प्राधिकारी जनहित में अन्य देशों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर इसे आयात करने/नई औषधि का निर्माण करने की अनुमति देने का निर्णय ले। इसके अतिरिक्त, अनुसूची-वाई के खंड 1 (3) के अनुसार जानलेवा/गंभीर रोगों या भारतीय स्वास्थ्य परिदृश्य के विशेष सम्बद्धता के रोगों के लिए इंगित औषधियों हेतु नैदानिक डाटा आवश्यकताओं को संक्षिप्त, टाला या हटाया जा सकता है, जैसा भी लाइसेंस प्राधिकारी उचित समझे।

निर्धारित खुराक सम्मिश्रणों (एफडीसी) के आयात/निर्माण की अनुमति प्रदान करने के लिए आवश्यकताओं को अनुसूची वाई की

परिशिष्ट-VI के अंतर्गत निर्धारित किया गया है। इन आवश्यकताओं के अनुसार निर्धारित खुराक सम्मिश्रणों (एफडीसी) की कुछ श्रेणियों में भारतीय मरीजों पर नैदानिक जांच की आवश्यकता होती है।

सीडीएससीओ द्वारा अनुमोदित गैर-जीव विज्ञानी और जीव विज्ञानी नए औषधि मॉलीक्यूलो की संख्या और देश में उनमें से नैदानिक जांचों के लिए गए मॉलीक्यूलों की संख्या निम्नलिखित हैं :

वर्ष	स्वीकृत दवाओं की संख्या	चिकित्सा परीक्षण के साथ मंजूरी दी गई दवाइयों की संख्या
2009	72	60
2010	65	52
2011	41	38
2012 (जुलाई तक)	14	9

देश भर के विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों और मेडिकल कॉलेजों के विशेषज्ञों/विद्वानों वाली 12 नई औषधि परामर्श समितियों के परामर्श से नई औषधि मिश्रणों की जांच की जाती है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने भारतीय व्यक्तियों पर नैदानिक जांच किए बिना नई औषधियों के अनुमोदन के संबंध में कुछ निष्कर्ष निकाले हैं। की गई कार्रवाई रिपोर्ट समिति को प्रस्तुत की जाएगी।

[अनुवाद]

आयुर्वेदिक कालेजों में प्रवेश

2147. श्री संजय दिना पाटील :
श्रीमती राजकुमारी चौहान :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ आयुर्वेदिक कालेजों पर वर्तमान शैक्षणिक वर्ष के दौरान विद्यार्थियों को दाखिले करने पर प्रतिबंध लगाया गया है;

(ख) यदि हां, तो महाराष्ट्र सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) इन आयुर्वेदिक कालेजों में विद्यार्थियों को जल्दी दाखिल करने के लिये सरकार द्वारा उठाए गए/प्रस्तावित कदम क्या हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार आयुष डॉक्टरों को एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन में एक वर्ष का प्रशिक्षण देकर उन्हें ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में तैनात करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. गांधीसेल्वन) : (क) और (ख) जी, हां। संलग्नक में दिए अनुसार आयुर्वेद कालेजों को शैक्षणिक सत्र 2012-13 के दौरान प्रवेश देने की अनुमति नहीं दी गई है, क्योंकि उन्होंने उच्चतर संकाय, प्रत्येक विभाग में कम से कम एक अध्यापक सहित अपेक्षित संख्या में अध्यापकों तथा अस्पताल अपेक्षाओं अर्थात बिस्तरों की अपेक्षित संख्या, बहिरंग रोगी विभाग (ओपीडी) में रोगियों की संख्या तथा अंतरंग रोगी विभाग (आईपीडी) में भर्ती रोगियों की संख्या के अनुमोदित पैरामीटरों को पूरा नहीं किया है।

(ग) भारत सरकार द्वारा निरीक्षकों के प्रशिक्षण, सुनवाई समिति आदि सहित किए गए उपायों के परिणामस्वरूप 22.08.2012 तक देश में 261 आयुर्वेद कॉलेजों में से, 161 कॉलेजों को छात्रों को प्रवेश देने की अनुमति दी गई है और 80 कॉलेजों को यह अनुमति नहीं दी गई है। इस प्रकार वर्ष 2012-13 शैक्षणिक सत्र के लिए 90% से अधिक मामलों में कार्रवाई 22 अगस्त, 2012 तक पूरी कर ली गई है ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) और (ङ) सरकार का आयुष डाक्टरों को एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति में एक वर्ष का प्रशिक्षण देकर उन्हें ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में तैनात करने का प्रस्ताव नहीं है।

तथापि, एनआरएचएम के अंतर्गत आयुष को मुख्यधारा में लाने की कार्यनीति में ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में स्थित केन्द्रों सहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (पीएचसी) तथा समुदाय स्वास्थ्य केन्द्रों (सीएचसी) के सह-स्थापित औषधालयों में आयुष डॉक्टरों को तैनात किए जाने की परिकल्पना की गई थी।

विवरण

ऐसे आयुर्वेद कॉलेजों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार (महाराष्ट्र सहित) संख्या, जिन पर वर्तमान शैक्षणिक वर्ष (2012-13) के दौरान छात्रों को प्रवेश देने पर रोक लगाई गई है।

22.08.2012 तक की स्थिति के अनुसार

क्र.सं.	राज्य	राज्य में कुल आयुर्वेद कॉलेज	22.08.2012 तक की स्थिति के अनुसार अनुमत	22.08.2012 तक की स्थिति के अनुसार अनुमत नहीं
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	07	02	05
2.	असम	01	01	00
3.	बिहार	08	02	06
4.	चंडीगढ़	01	00	01
5.	छत्तीसगढ़	03	03	00
6.	दिल्ली	02	02	00
7.	गोवा	01	01	00
8.	गुजरात	12	06	06
9.	हरियाणा	07	06	01
10.	हिमाचल प्रदेश	01	01	00
11.	जम्मू और कश्मीर	01	01	00
12.	झारखंड	01	01	00
13.	कर्नाटक	58	33	20
14.	केरल	17	12	04
15.	मध्य प्रदेश	18	10	06
16.	महाराष्ट्र	65	45	14
17.	ओडिशा	06	04	02

1	2	3	4	5
18.	पुदुचेरी	01	00	01
19.	पंजाब	12	07	02
20.	राजस्थान	09	05	03
21.	तमिलनाडु	05	02	03
22.	उत्तर प्रदेश	17	10	05
23.	उत्तराखंड	05	04	01
24.	पश्चिम बंगाल	03	03	00
	कुल कॉलेज	261	161	80

एअर इंडिया के कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति

2148. **डॉ. मन्दा जगन्नाथ :**
प्रो. रंजन प्रसाद यादव :
श्री हुक्मदेव नारायण यादव :
श्री अनुराग सिंह ठाकुर :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एअर इंडिया का विचार अपने कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) का विकल्प देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं तथा प्रत्येक श्रेणी के कर्मचारियों में प्रस्तावित कटौती का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इसके कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना देने से पहले ट्रेड यूनियन्स/हित धारकों को विश्वास में लिया है;

(घ) यदि हां, तो इस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है तथा उक्त योजना का कार्यान्वयन कब तक किए जाने की संभावना है;

(ङ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान एअर इंडिया और इसकी अनुषंगी कंपनियों के कुल कर्मचारियों का श्रेणी-वार ब्यौरा क्या है तथा साथ ही उन पायलटों एवं अन्य स्टाफ का श्रेणी-वार ब्यौरा क्या है जिन्होंने अन्य एयरलाइन्स में सेवा ग्रहण करने के लिए अगर इंडिया को छोड़ दिया है; और

(च) इस संबंध में तथा इन अधिकारियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

नागर विमानन मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) और (ख) जन शक्ति संसाधनों का ईष्टतम उपयोग प्राप्त करने वाले जनशक्ति को युक्तिसंगत बनाने के लिए और टर्न-अराउंड योजना (टीएपी) के भाग क के रूप में एअर इंडिया के निदेशक मंडल ने कंपनी के उन सभी स्थायी और पक्के कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के लिए सिद्धांत रूप में अनुमोदन प्रदान कर दिया है, जो उस कंपनी में 15 वर्षों की निरंतर सेवा कर चुके हैं या योजना की समाप्ति की तिथि को न्यूनतम 40 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं। अपने कार्य की अपेक्षाओं जैसे विमान इंजीनियर, पायलट, सिम्यूलेटर अनुरक्षण इंजीनियर, अनुमोदित उड़ान डिस्पैचर, सेवा इंजीनियर आदि के भाग के रूप में डीजीसीए से लाइसेंस/अनुमोदन धारक कर्मचारी इस योजना के पात्र नहीं है। प्रस्तावित स्वैच्छिक योजना का लक्ष्य कुल लगभग 5000 कर्मचारी

हैं। तथापि, कर्मचारी संख्या में वास्तविक कमी योजना का चयन करने वाले स्वैच्छिक कर्मचारियों की संख्या पर निर्भरत करती है।

(ग) और (घ) वीआरएस कंपनी का प्रशासनिक निर्णय है, जो न्यायमूर्ति धर्माधिकारी समिति की सिफारिशों के अनुरूप है। यह एअर इंडिया की टर्न अराउंड योजना का भाग भी है। यह योजना पूर्ववर्ती एअर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस में प्रस्तुत की गई पूर्व वीआरएस और सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप है और यूनियनों को इस योजना में कोई आपत्ति नहीं है। सरकार के अनुमोदन के पश्चात प्रस्तावित वीआरएस अधिसूचित की जाएगी।

(ङ) और (च) उत्तर संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

31.05.2012 के अनुसार श्रेणी-वार कर्मचारी संख्या

पायलट (कार्यपालक पायलटों सहित)	1439
इंजीनियर (कार्यपालक इंजीनियरों सहित)	1419
कार्यपालक और सामान्य श्रेणी के अधिकारी	5012
केबिन-कर्मी (कार्यपालक केबिन-कर्मी सहित)	3064
तकनीशियन/सेवा इंजीनियर	3351
सामान्य श्रेणी के कर्मचारी	12146
कुल	26481

पायलट तथा अन्य कर्मचारी, जिन्होंने एअर इंडिया छोड़ दी है, का ब्यौरा:—

श्रेणी	2009		2010		2011		2012	
	आर	वी.आर	आर	वी.आर	आर	वी.आर	आर	वी.आर
पायलट (कार्यपालक पायलटों सहित)	3	-	1	1	17	2	-	-
इंजीनियर (कार्यपालक इंजीनियरों सहित)	2	-	1	1	-	2	-	-
कार्यपालक और सामान्य श्रेणी के अधिकारी	7	25	12	50	13	47	6	11
केबिन-कर्मी (कार्यपालक केबिन-कर्मी सहित)	28	12	15	16	34	22	22	14
तकनीशियन/सेवा इंजीनियर	8	1	13	5	11	6	15	-
सामान्य श्रेणी के कर्मचारी	13	29	18	45	17	52	5	22

आर - त्यागपत्र

वी.आर - स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति

तथापि, एअर इंडिया के पास इस बारे में कोई सूचना नहीं है कि उन्होंने अन्य एयरलाइनों में कार्य ग्रहण कर लिया है।

विमान यात्री सुरक्षा

2149. श्री सुवेन्दु अधिकारी : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास पायलटों के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर की पर्याप्त प्रशिक्षण सुविधाएं हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा उठाये गए/उठाये जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का विचार केन्द्रीय विमानन सुरक्षा परामर्श परिषद (सीएएसएसी) का नवीकरण करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) नये सीएएसएसी के नागर विमान महानिदेशालय (डीजीसीए) से किस प्रकार भिन्न होने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ड.) उपलब्ध विशेषज्ञता को शामिल कर विमानन सुरक्षा परिवेश को और मजबूत करने के लिए सरकार ने दिनांक 23.07.2012 को नागर विमानन सुरक्षा परामर्श परिषद (सीएएसएसी) का पुनर्गठन किया है। सीएएसएसी निम्न कार्यों का निष्पादन करेगी:—

(i) निम्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों में डीजीसीए को सलाह देना:—

- विमान के प्रचालन (व्यावसायिक और सामान्य विमानन)
- एरोड्रोम्स हेलीपोर्ट
- वायु दिक्चालन सेवाएं
- विमान प्रचालक प्रमाणीकरण
- अनुरक्षण सहित विमान की उड़ान योग्यता
- एयरोनॉटिकल उत्पादों का प्रमाणीकरण
- मानवीय निष्पादन एवं प्रशिक्षण और

(ii) मौजूदा विनियामक ढांचे की समीक्षा और विमानन संरक्षा को और मजबूत करने के लिए सिफारिशें करना।

(iii) सर्वोतम विनियामक पद्धतियां तैयार करना, उनकी जांच करना और उन्हें समाविष्ट करने की सिफारिश करना।

(iv) संरक्षा बढ़ाने के लिए लघु, मध्यम एवं दीर्घ अवधि के उपायों की सिफारिश करना और

(v) विमानन संरक्षा मामलों पर जनता के विचार को प्रतिबिंबित करना।

[हिन्दी]

साहसिक पर्यटन

2150. श्री भीष्मशंकर उर्फ कुशल तिवारी : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में साहसिक पर्यटन लोकप्रिय हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बिना लाइसेंस वाले खेल संचालक अपेक्षित मूल सुरक्षा यंत्रों के बिना अत्यंत खतरनाक खेल क्रियाकलाप जैसे पैरा-सेलिंग, पैरा-ग्लाइडिंग, पैरा-स्लाइडिंग, सी-डाइविंग, सी-रैफटिंग आदि का संचालन कर रहे हैं जिससे गंभीर दुर्घटनाएं होती हैं;

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या सरकार का विचार देश में साहस भरे पयर्टन को विनियमित करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने हैं?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुल्तान अहमद) : (क) और (ख) भारत में साहसिक पर्यटन यात्रा का एक उभरता हुआ घटक है। पर्यटन मंत्रालय राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को साहसिक पर्यटन सहित पर्यटन परियोजनाओं के विकास के लिए योजना दिशा-निर्देशों के अनुपालन, निधियों की उपलब्धता और पारस्परिक प्राथमिकता की शर्त पर केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करता है। पर्यटन मंत्रालय अपने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय अभियानों के माध्यम से साहसिक पर्यटन का संवर्धन कर रहा है।

(ग) पर्यटन मंत्रालय ने साहसिक पर्यटन संबंधी गतिविधियों के लिए आधारभूत न्यूनतम मानकों के लिए अपने दिशा-निर्देशों में साहसिक पर्यटन गतिविधियों की निम्नलिखित श्रेणियों की पहचान की है नामत: भूमि, जल और वायु आधारित गतिविधियां जिनमें पर्वतारोहण, ट्रेकिंग, रिवर रनिंग, हैंग ग्लाइडिंग, पैरा ग्लाइडिंग और बंजी जंपिंग शामिल हैं। किसी दुर्घटना को रोकने के लिए सुरक्षा पूर्वोपाय राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों के कार्यक्षेत्र में आते हैं।

(घ) से (च) पर्यटन मंत्रालय ने साहसिक टूर ऑपरेटरों के अनुमोदन के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं जो एक स्वैच्छिक स्कीम है और सभी वास्तविक साहसिक टूर ऑपरेटरों के लिए

खुली है। पर्यटन मंत्रालय साहसिक पर्यटन क्षेत्र में क्षमता निर्माण/प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है।

विद्युत अधिनियम, 2003

2151. श्री लाल चंद कटारिया :
श्री ए. टी. नाना पाटील :
डॉ. भोला सिंह :
श्रीमती कमला देवी पटले :
श्री गोरख प्रसाद जायसवाल :
राजकुमारी रत्ना सिंह :

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत विद्युत के वितरण में लगी निजी कंपनियों के कार्यकरण की निगरानी के लिए किसी केंद्रीय एजेंसी की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 146 के संदर्भ में विद्युत अधिनियम की शर्तों, राज्य अधिनियमों, विनियमों और लाइसेंसी की शर्तों के उल्लंघन के संबंध में क्या दंडात्मक उपबंध हैं;

(घ) गत तीन वर्षों एवं चालू के दौरान उक्त नियमों का उल्लंघन करने वाली निजी विद्युत वितरण कंपनियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ.) गत तीन वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान, कंपनी-वार इन कंपनियों के विरुद्ध कितने मामले पंजीकृत किए गए तथा इन मामलों की स्थिति क्या है;

(च) क्या सरकार ने अपने स्तर पर कोई जांच की है या इसे राज्य सरकारों पर छोड़ दिया है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल) : (क) और (ख) विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत उपयुक्त आयोग, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए), भार प्रेषण केंद्र और जिला समितियां, वितरण में लगे लाइसेंसियों के कार्यों की निगरानी करने के साथ-साथ, जन हित का ध्यान रखने के लिए उत्तरदायी हैं। अधिनियम के संबंधित प्रावधानों यथा केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) तथा राज्य विद्युत विनियामक आयोगों के कार्यकलापों से संबंधित धारा 79 एवं 86, सीईए के कार्य कलापों से संबंधित धारा 73, भार प्रेषण केंद्रो के कार्यों से संबंधित धारा 28 एवं 32 तथा जिला समितियों से संबंधित धरा 166(5) संलग्न विवरण के रूप में संलग्न में दी गई हैं।

(ग) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 146 में निम्नानुसार व्यवस्था की गई है–

> "आदेशों अथवा निदेशों का अनुपालन न किए जाने पर दंड–जो भी इस अधिनियम के अंतर्गत दिए गए किसी आदेश अथवा निदेश का, उक्त आदेश अथवा निदेश में निर्धारित किए गए समय के भीतर अनुपालन करने में असफल रहता है अथवा इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए किसी प्रावधान, अथवा किसी विनियम का उल्लंघन करने के लिए उकसाता है तो उसे प्रत्येक अपराध के मामले में तीन माह तक का कारावास अथवा एक लाख रुपए तक के जुर्माने अथवा दोनों के द्वारा दंडित किया जाएगा तथा निरंतर असफल रहने के मामलों में वह, ऐसे प्रथम अपराध में दंडित होने के पश्चात असफल रहने के दौरान प्रत्येक दिन के लिए पांच हजार रुपये तक के अतिरिक्त जुर्माने का भागी होगा।
>
> परंतु इस धारा में समाविष्ट कुछ भी, धारा 121 के अंतर्गत जारी ओदशों, अनुदेशों अथवा निवेशों पर लागू नहीं होगा।"

उक्त धारा में, अधिनियम के अंतर्गत किसी भी आदेश अथवा निदेश का अनुपालन करने में असफल होने पर अथवा अधिनियम नियम अथवा विनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने अथवा इसका प्रयास करने अथवा उल्लंघन करने के लिए उकसाने पर कारावास अथवा जुर्माना अथवा दोनों दंडों का प्रावधान है।

(घ) और (ङ) आयोग द्वारा विगत तीन वर्षों के दौरान अधिनियम की धारा 146 के अंतर्गत कोई मामला प्रारंभ नहीं किया गया है।

(च) और (छ) विद्युत के वितरण के उद्देश्य से राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र उपयुक्त सरकार है।

विवरण

विद्युत अधिनियम, 2003 के संगत खंड

धारा 79 (केंद्रीय आयोग के कार्य)—(1) केंद्रीय आयोग निम्नलिखित कार्य करेगी अर्थात :

(क) केंद्र सरकार के स्वामित्व वाली अथवा नियंत्रित उत्पादन कंपनियों के टैरिफ को विनियमित करना;

(ख) केंद्र सरकार के स्वामित्व वाली अथवा नियंत्रित उत्पादन कंपनियों के अतिरिक्त उत्पादन कंपनियों के टैरिफ को विनियमित करना जिसका उल्लेख खंड (क) में किया गया है, यदि ऐसी उत्पादन कंपनियां एक राज्य से अधिक स्थानों पर बिजली के उत्पादन एवं बिक्री के लिए संयुक्त स्कीम बनाती हों अथवा अन्यथा कोई संयुक्त स्कीम तैयार करती हों;

(ग) बिजली के अंतर-राज्जीय पारेषण को विनियमित करना;

(घ) बिजली के अंतर-राज्यीय पारेषण हेतु टैरिफ निर्धारित करना;

(ङ) अपने अंतर-राज्यीय प्रचालनों के संबंध में पारेषण लाइसेंसी और बिजली व्यापारी के तौर पर कार्य-कलाप करने के लिए लोगों को लाइसेंस जारी करना;

(च) लाइसेंसियों तथा उत्पादक कंपनियों के बीच के विवादों पर निर्णय देना और धारा (क) से (घ) से संबंधित किसी विवाद को मध्यस्थ को संदर्भित करना;

(छ) इस अधिनियम के उद्देश्यों के लिए शुल्क लगाना;

(ज) ग्रिड मानकों के संबंध में ग्रिड कोड का उल्लेख करना;

(झ) लाइसेंसियों द्वारा सेवा की गुणवत्ता, निरंतरता और उपयुक्तता संबंधी मानकों का उल्लेख करना और लागू करना;

(ञ) बिजली के अंतर-राज्यीय व्यापार में व्यापार अंतर निर्धारित करना यदि आवश्यक हो;

(ट) इस अधिनियम के अंतर्गत सौंपे गए अन्य कार्य-कलापों को पूरा करना।

(2) केंद्रीय आयोग सभी अथवा किसी एक निम्नलिखित मामलों पर केंद्र सरकार को सलाह देगी—

(i) राष्ट्रीय विद्युत नीति एवं टैरिफ नीति तैयार करना;

(ii) बिजली उद्योग की गतिविधियों में प्रतिस्पर्धा, कुशलता एवं मितव्ययिता को बढ़ावा देना;

(iii) बिजली उद्योग में निवेश को बढ़ावा देना;

(iv) तत्कालीन सरकार द्वारा केंद्रीय आयोग को संदर्भित कोई अन्य मामला।

(3) केंद्रीय आयोग इसकी शक्तियों का उपयोग एवं कार्य-कलापों को पूरा करते समय पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा।

(4) इसके कार्यकलापों को पूरा करने में, केंद्रीय आयोग धारा 3 के अंतर्गत प्रकाशित राष्ट्रीय विद्युत नीति, राष्ट्रीय विद्युत योजना एवं टैरिफ नीति द्वारा दिशा-निर्दिष्ट किए जाएंगे।

धारा 86 (राज्य आयोग के कार्य)—(1) राज्य आयोग निम्नलिखित कार्य-कलापों को पूरा करेगी, अर्थात

(क) राज्य में उत्पादन, आपूर्ति, पारेषण एवं बिजली का आदान-प्रदान, थोक अथवा फुटकर एवं खुदरा हेतु टैरिफ का निर्धारण करना, जैसा भी मामला हो;

परंतु जहां खुली पहुंच धारा 42 के अंतर्गत उपभोक्ताओं की एक श्रेणी के लिए अनुमति योग्य हो राज्य आयोग केवल उपभोक्ताओं की उक्त श्रेणी के लिए यदि कोई हो, उस पर आदान-प्रदान प्रभार एवं अधिभार का निर्धारण करेगी;

(ख) विद्युत क्रय एवं मूल्य जिस पर राज्य के अंदर वितरण एवं आपूर्ति के लिए विद्युत की खरीदारी हेतु करारों के माध्यम से उत्पादन कंपनियों अथवा लाइसेंसियों अथवा अन्य माध्यमों से बिजली का क्रय किया जाएगा उसके साथ वितरण लाइसेंसियों की क्रय प्रक्रिया को विनियमित करना;

(ग) अंतर-राज्यीय पारेषण एवं बिजली के आदान-प्रदान को सुगम बनाना;

(घ) पारेषण लाइसेंसियों, वितरण लाइसेंसियों एवं बिजली व्यापार को राज्य में इसके प्रचालन के तौर पर कार्य करने के लिए लाइसेंस मांगने वाले लोगों को लाइसेंस जारी करना;

(ङ) ग्रिड के साथ संपर्क हेतु उपयुक्त उपाय प्रदान करते हुए ऊर्जा के नवीकरणीय माध्यमों से बिजली का सह-उत्पादन एवं उत्पादन को बढ़ावा देना और वितरण लाइसेंसियों के क्षेत्र में बिजली के कुछ खपत की प्रतिशतता, ऐसे माध्यमों से बिजली की खरीदारी के लिए, किसी व्यक्ति को बिजली की खरीदारी का उल्लेख करना;

(च) लाइसेंसियों और उत्पादन कंपनियों के बीच के विवादों पर निर्णय देना तथा किसी विवाद के लिए मध्यस्थता हेतु भेजना;

(छ) इस अधिनियम के उद्देश्यों के लिए शुल्क लगाना;

(च) धारा 79 की उप-धारा (1) के खंड (एच) के अंतर्गत उल्लिखित ग्रिड कोड के साथ राज्य ग्रिड कोड अनुकूलता का उल्लेख करना;

(झ) लाइसेंसियों द्वारा गुणवत्ता, निरंतरता और सेवा की उपयुक्तता के संबंध में मानकों का उल्लेख एवं इसे लागू करना;

(ञ) बिजली का अंतर-राज्यीय व्यापार में व्यापार अंतर निर्धारित करना यदि आवश्यक हो; और

(ट) ऐसे अन्य कार्य-कलापों को पूरा करना जो इस अधिनियम के अंतर्गत इसे सौंपा गया हो।

(2) राज्य आयोग सभी अथवा किसी एक निम्नलिखित मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देगी, अर्थात :

(i) बिजली उद्योग की गतिविधियों से प्रतिस्पर्धा, कुशलता एवं मितव्ययिता को बढ़ावा देना;

(ii) बिजली उद्योग में निवेश को बढ़ावा देना;

(iii) राज्य में बिजली उद्योग का पुनर्गठन एवं पुनर्संचना करना;

(iv) तत्कालीन सरकार द्वारा राज्य आयोग के लिए संदर्भित उत्पादन पारेषण, बिजली के वितरण एवं व्यापार संबंधी मामले अथवा कोई अन्य मामला;

(3) राज्य आयोग अपनी शक्तियों का उपयोग एवं अपनी कार्य-कलापों को पूरा करते समय पारदर्शिता सुनिश्चित करेंगे।

(4) अपने कार्य-कलापों को पूरा करने में, राज्य आयोग धारा 3 के अंतर्गत प्रकाशित राष्ट्रीय विद्युत नीति राष्ट्रीय विद्युत योजना एवं टैरिफ नीति द्वारा दिशा-निर्दिष्ट होंगे।

धारा 73 (प्राधिकरण के कार्य-कलाप एवं ड्यूटी)—प्राधिकरण ऐसे कार्य-कलापों एवं ड्यूटी को पूरा करेंगे जैसा केंद्र सरकार निर्धारित अथवा दिशा-निर्देश और विशेष रूप से निम्नलिखित के रूप में उल्लेख करें—

(क) राष्ट्रीय विद्युत नीति से संबंधित मामलों पर केंद्र सरकार को सलाह देना, बिजली प्रणाली के विकास के लिए अल्पकालिक एवं परिप्रेक्ष्य योजनाओं राष्ट्रीय इकॉनामी के हित में उपयोगी बनाने के लिए संसाधनों की अधिकतम उपयोगिता हेतु योजना एजेंसियों की गतिविधियों का समन्वय एवं सभी उपभोक्ताओं के लिए उपयुक्त एवं वहनयोग्य बिजली प्रदान करना;

(ख) बिजली संयंत्रों का निर्माण इलैक्ट्रिक लाइनों एवं ग्रिड के लिए संपर्क हेतु तकनीकी मानकों का उल्लेख करना;

(ग) बिजली संयंत्रों और इलैक्ट्रिक लाइनों के निर्माण, प्रचालन एवं रख-रखाव के लिए सुरक्षा आवश्यकताओं का उल्लेख करना;

(घ) पारेषण लाइनों के प्रचालन एवं रख-रखाव हेतु ग्रिड मानकों का उल्लेख करना;

(ङ) पारेषण एवं बिजली की आपूर्ति के लिए मीटरों के संस्थापना हेतु शर्तों का उल्लेख करना;

(च) बिजली प्रणाली के सुधार एवं संवर्धन के लिए स्कीमों एवं परियोजनाओं को समय पर पूरा करने में बढ़ावा एवं सहायता देना;

(छ) विद्युत उद्योग में संलग्न व्यक्तियों की दक्षता को बढ़ाने के लिए उपायों को प्रोत्साहित करना;

(ज) किसी भी ऐसे मामले पर केंद्र सरकार को सलाह देना जिस पर सलाह मांगी गई है और किसी मामले पर उस सरकार को सिफारिश करना यदि प्राधिकरण के विचार में इस सिफारिश में विद्युत उत्पादन, पारेषण व्यवसाय, वितरण एवं उपयोग को सुधारने में मदद मिलती हो;

(झ) विद्युत के उत्पादन, पारेषण, व्यवसाय, वितरण एवं उपयोग से संबंधित आंकड़ों का संग्रह एवं रिकार्ड करना तथा लागत, दक्षता, प्रतियोगिता और इसी प्रकार के मामलों से संबंधित अध्ययन करना;

(ञ) इस अधिनियम के अंतर्गत सुरक्षित सूचना से समय-समय पर जनता को सूचित करना और रिपोर्ट और जांच के प्रकाशन की व्यवस्था करना;

(ट) विद्युत के उत्पादन, पारेषण, वितरण एवं व्यवसाय को प्रभावित करने वाले मामलों में अनुसंधान को प्रोत्साहित करना;

(ठ) विद्युत के उत्पादन अथवा पारेषण अथवा बिजली के वितरण करने के उद्देश्य के लिए कोई जांच करना या करवाना;

(ड) इन मामलों पर किसी राज्य सरकार, लाइसेंसी या उत्पादन कंपनी को सलाह देना जिसमें वे बेहतर तरीके से अपने स्वामित्व या नियंत्रण के अधीन विद्युत प्रणाली के प्रचालन एवं अनुरक्षण सरलतापूर्वक कर सकेंगे और जहां आवश्यक हो किसी अन्य विद्युत प्रणाली के स्वामित्व या नियंत्रण वाली किसी अन्य सरकार, लाइसेंसी या उत्पादन कंपनी के सहयोग से अपने स्वामित्व या नियंत्रण के अधीन विद्युत प्रणाली के प्रचालन एवं अनुरक्षण को सरलातपूर्वक कर सकेंगे।

(ढ) विद्युत के उत्पादन, पारेषण एवं वितरण से संबंधित सभी तकनीकी मामलों पर उपयुक्त सरकार तथा उपयुक्त आयोग को सलाह देना और

(ण) अन्य कार्यों का निर्वहन जिनकी व्यवस्था अधिनियम के अंतर्गत की गई हो।

धारा 28 (क्षेत्रीय भार डिस्पैच केंद्र के कार्य)—(1) क्षेत्रीय भार केंद्र संबंधित क्षेत्र में विद्युत प्रणाली के एकीकृत प्रचालन को सुनिश्चित करने के लिए सर्वोच्च निकाय होगा।

(2) क्षेत्रीय भार डिस्पेच केंद्र व्हीलिंग और इष्टतम समय निर्धारण तथा विद्युत की सुपुदर्गी के संबंध में उन सिद्धांतों, दिशा-निर्देशों तथा प्रक्रियाओं के आदेशानुसार कार्य करेगा जो कि केंद्रीय आयोग ग्रिड कोड में विनिर्दिष्ट करें।

(3) क्षेत्रीय भार डिस्पेच केंद्र।

(क) क्षेत्र के लाइसेंसियों तथा प्रचालित होने वाली उत्पादन कंपनियों के साथ किए गए ठेके के अनुसार क्षेत्र के भीतर विद्युत के इष्टतम निर्धारण तथा आपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा;

(ख) ग्रिड प्रचालनों की निगरानी करेगा;

(ग) क्षेत्रीय ग्रिड के माध्यम से पारेषित विद्युत की मात्रा का हिसाब रखेगा;

(घ) अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली पर निरीक्षण एवं नियंत्रण रखेगा;

(ङ) ग्रिड मानकों तथा ग्रिड कोड के अनुसार क्षेत्रीय ग्रिड के सुरक्षित एवं आर्थिक प्रचालन के माध्यम से क्षेत्र के भीतर ग्रिड नियंत्रण तथा विद्युत की आपूर्ति हेतु यथार्थ समय प्रचालन के लिए उत्तरदायी होगा।

(4) क्षेत्रीय भार डिस्पैच केंद्र विद्युत के अंतर राज्यीय पारेषण में संलग्न उत्पादन कंपनियों अथवा लाइसेंसियों से वह शुल्क और अधिभार लगाकर तथा एकत्र कर सकेगा जो केंद्रीय आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

धारा 32 (राज्य भार डिस्पैच केंद्रों के कार्य)—(1) राज्य

भार डिस्पैच केंद्र राज्य में विद्युत प्रणाली के एकीकृत प्रचालन को सुनिश्चित करने के लिए सर्वोच्च निकाय होगा।

(2) राज्य भार डिस्पैच केंद्र

(क) उस राज्य के लाइसेंसियों अथवा प्रचालित होने वाली उत्पादन कंपनियों के साथ किए गए ठेके के अनुसार राज्य के भीतर विद्युत के इष्टतम निर्धारण एवं डिस्पैच के लिए उत्तरदायी होगा;

(ख) ग्रिड प्रचालनों की निगरानी करेगा;

(ग) राज्य ग्रिड के माध्यम से पारेषित विद्युत की मात्रा का ध्यान रखेगा;

(घ) अंतर राज्यीय पारेषण प्रणाली पर निरीक्षण एवं नियंत्रण रखेगा; और

(ङ) ग्रिड मानकों तथा राज्य ग्रिड कोड के अनुसार राज्य ग्रिड में सुरक्षित और आर्थिक प्रचालन के माध्यम से राज्य के भीतर ग्रिड नियंत्रण तथा विद्युत की आपूर्ति हेतु यथार्थ समय प्रचालन हेतु उत्तरदायी होगा।

(3) राज्य भार डिस्पैच केंद्र विद्युत के अंतर राज्यीय पारेषण में संलग्न उत्पादन कंपनियों और लाइसेंसियों में वह शुल्क और अधिभार लगा तथा एकत्रित कर सकता है जो कि राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

धारा 166 (समन्वय फोरम)–

(5) प्रत्येक जिले में एक समिति होगी जिसे समुचित सरकार द्वारा गठित किया जाएगा।

(क) प्रत्येक जिले में विद्युतीकरण के विस्तार का समन्वय एवं समीक्षा करना।

(ख) विद्युत आपूर्ति और उपभोक्ता संतुष्टि की गुणवत्ता की समीक्षा करना।

(ग) ऊर्जा दक्षता तथा उसके संरक्षण को प्रोत्साहित करना।

[अनुवाद]

कैंसर रोगियों का उपचार

2152. डॉ किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी :
श्री सी.आर पाटिल :
श्री हरिन पाठक :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कैंसर रोगियों को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में इलाज करवाने के लिये काफी लंबे समय तक इन्तजार करना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि हाल ही में एम्स में एक कुत्ते को रेडिएशन थैरेपी दी गई थी जिससे मरीजों के जीवन को जोखिम में डाला गया था; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) अधिक संख्या में रोगियों और अन्य सरकारी अस्पतालों में कैंसर उपचार की सुविधाओं की अनुपलब्धता के कारण डाक्टर बीआरए इंस्टीट्यूट रोटरी कैंसर अस्पताल (डॉ. बीआरएआईआरसीएच), एम्स में कैंसर रोगियों के उपचार के लिए इंतजार का समय निम्नलिखित है:

क्र.सं.	विभाग	इंतजार का समय
1.	रेडिएशन ऑनकोलोजी	6-8 सप्ताह
2.	मेडिकल ऑनकोलोजी	2-3 सप्ताह
3.	सर्जिकल ऑनकोलोजी	6-8 सप्ताह
4.	पेलिएटिव केयर यूनिट	1-2 सप्ताह

(ग) और (घ) डाक्टर बीआरए-आईआरसीएच, एम्स में किसी कुत्ते का उपचार नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

काउंसिल फॉर ह्यूमन रिसोर्सिस फॉर हेल्थ

2153. श्री राम सुन्दर दास :
श्री उदय सिंह :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेशनल कमिशन फॉर ह्यूमन रिसोर्सिस फॉर हेल्थ (एन सी एच आर एच) की स्थापना के मामले में क्या प्रगति हुई है और इसके उद्देश्य क्या हैं;

(ख) क्या इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आई एम ए) सहित विभिन्न क्षेत्रों द्वारा एन सी एच आर एच विधेयक का विरोध किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो सरकार को इस संबंध में प्रस्तुत अभ्यावेदनों का ब्यौरा क्या है;

(घ) ऐसे अभ्यावेदनों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और सरकार द्वारा इस मामले में हितधारकों की चिंता के समाधान हेतु क्या उपाए किए गए हैं/प्रस्तावित हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र के विनियामक ढांचे में सुधार करने के लिए क्या अन्य उपाए किए गए हैं/प्रस्तावित हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन रिसोर्सिस फॉर हेल्थ (एन सी एच आर एच) विधेयक को 22 दिसंबर, 2011 को राज्य सभा में प्रस्तुत किया गया था जसने इस विधेयक को जांच हेतु स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण पर विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समिति के पास भेज दिया है। एनसीएचआरएच का उद्देश्य वर्तमान विनियामक बुनियादी ढांचे में सुधार करने और स्वास्थ्य क्षेत्र में कुशल जनशक्ति की आपूर्ति में बढ़ावा करने के दोहरे उद्देश्य के साथ चिकित्सा शिक्षा और संबद्ध स्वास्थ्य विज्ञान के लिए एक एकछत्र विनियामक निकाय का सृजन करना है।

(ख) से (घ) एनसीएचआरएच विधेयक पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशएन सहित विभिन्न क्वार्टरों से अभ्यावेदन इस मंत्रालय में सीधे रूप से और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी संसदीय स्थायी समति के माध्यम से प्राप्त हुए हैं। इन अभ्यावदेनों में अन्य बातों के साथ साथ मौजूदा परिषदों के स्वायत्त और प्रजातांत्रिक ढांचे के बारे में कहा गया है। चूंकि इस मामले की स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण की विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समिति द्वारा जांच की जा रही है, अभ्यावेदनों पर इस मंत्रालय की टिप्पणियां स्थायी समिति को भेज दी गई हैं।

(ङ) स्वास्थ्य क्षेत्र के विनियामक ढांचे में सुधार करना एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और सरकार समय-समय पर विनियमों में संशोधन करने के माध्यम से विनियामक ढांचे में सुधार करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करती है।

[अनुवाद]

बाल विवाह

2154. श्रीमती मेनका गांधी :
श्री चार्ल्स डिएस :
श्री पुलीन बिहारी बासके :

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अपंजीकृत बाल विवाह के मामलों की संख्या बहुत अधिक है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत के महापंजीयक द्वारा किये गये वार्षिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2010-11 के अनुसार बाल विवाह के सबसे अधिक मामले राजस्थान में हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार उन लड़कियों से पैदा बच्चों के कल्याण के लिये कोई योजना शुरू करने का है जो 18 वर्ष की आयु से पहले मांग बन जाती हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) सरकार ने देश में बाल विवाह को रोकने के लिये क्या कदम उठाये हैं?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ) : (क) और (ख) राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो, गृह मंत्रालय द्वारा रिपोर्ट किए गए बाल विवाह के आंकड़े संलग्न विवरण में दिए गए हैं। तथापि, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा स्वास्थ्य संसूचकों पर कराए गए नमूना सर्वेक्षण और भारत के महापंजीयक द्वारा कराए गए सर्वेक्षण बाल विवाह का प्रचलन दर्शाते हैं, जो पंजीकृत नहीं है।

(ग) और (घ) वार्षिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2010-11 में असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड को शामिल किया गया। इन 9 राज्यों के नमूना लिए गए परिवारों में वर्ष 2007-08 के दौरान हुए विवाहों के आधार पर विवाह की कानूनी आयु (18 वर्ष) से कम आयु की महिलाओं का प्रतिशत असम में 10.2% बिहार में 20.2% छत्तीसगढ़ में 6.0% झारखंड में 17.6% मध्य प्रदेश में 12.5% ओडिशा में 5.9%, राजस्थान में 21.9%, उत्तर प्रदेश में 8.9% और उत्तराखंड में 3% है।

(ङ) और (च) ऐसी लड़कियां, जो 18 वर्ष से कम आयु में मां बन जाती हैं, के बच्चों के कल्याण हेतु कोई नई स्कीम शुरू करने का प्रस्ताव नहीं है।

(छ) बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 नवम्बर, 2007 से लागू हो गया है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के अंतर्गत प्रत्येक बाल विवाह, विवाह बंधन के किसी भी पक्ष के विकल्प पर, जो कि उसमें समय बालक था, बालिका थी वयस्क होने के दो वर्ष के भीतर अमान्य घोषित किया जा सकता है।

सरकार ने आन्ध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, त्रिपुरा एवं उत्तर प्रदेश राज्य सरकारों को अधिनियम के अंतर्गत प्रतिषेध अधिकारियों को नियुक्त करने, नियम बनाने और विशेषकर "आखा तीज" (अक्षय तृतीया) के अवसर पर बाल विवाह रोकने के लिए हर संभव प्रयत्न किए जाने के लिए लिखा है।

इसके अलावा, राष्ट्रीय महिला आयोग ने बाल विवाह में भागीदारी करने वालों के विरुद्ध राज्य सरकारों के संबंधित तंत्र में संचेतना पैदा करने एवं सक्रिय करने के लिए राज्य के मुख्य मंत्रियों से अनुरोध किया है।

इसके अलावा, बाल विवाह को रोकने के लिए जागरूकता फैलाने तथा सोच में परिवर्तन लाने के लिए बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश, सहित विभिन्न राज्यों में कार्यशालाएं, संगोष्ठियां एवं कानूनी जागरूकता शिखिर आयोजित किए गए। चूंकि, बाल विवाह एक सामाजिक बुराई है, बुनियादी स्तर पर शिक्षा फैलाना और जागरूकता बढ़ाना भी अनिवार्य है।

विवरण

बाल विवाह की घटनाएं

क्र.सं.	राज्य का नाम	2010	2011
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	0	15
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0
3.	असम	9	0
4.	बिहार	8	0
5.	छत्तीसगढ़	2	5
6.	गोवा	0	0
7.	गुजरात	14	13
8.	हरियाणा	0	6
9.	हिमाचल प्रदेश	5	0
10.	जम्मू और कश्मीर	0	0
11.	झारखंड	0	0
12.	कर्नाटक	8	12
13.	केरल	6	3
14.	मध्य प्रदेश	4	5
15.	महाराष्ट्र	4	19
16.	मणिपुर	0	0

1	2	3	4
17.	मेघालय	0	0
18.	मिज़ोरम	0	0
19.	नागालैंड	0	0
20.	ओडिशा	0	1
21.	पंजाब	0	0
22.	राजस्थान	2	5
23.	सिक्किम	9	0
24.	तमिलनाडु	0	0
25.	त्रिपुरा	1	0
26.	उत्तर प्रदेश	5	4
27.	उत्तराखंड	0	0
28.	पश्चिम बंगाल	0	25
	कुल राज्य	59	113
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0
30.	चंडीगढ़	0	0
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0
32.	दमन और दीव	0	0
33.	दिल्ली	0	0
34.	लक्षद्वीप	0	0
35.	पुदुचेरी	1	0
	कुल संघ राज्य क्षेत्र	1	0
	कुल अखिल भारत	60	113

[हिन्दी]

आईजीआई के नजदीक ऐरोसिटी

2155. श्री सज्जन वर्मा : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन (पी) लिमिटेड (डीआईएएल) द्वारा ऐरोसिटी परियोजना के सुरक्षा पहलू की जांच करने के लिए नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस) द्वारा गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या उक्त ऐरोसिटी के निर्माण में इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय (आईजीआई) विमानपत्तन के सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखा गया है;

(घ) यदि हां, तो क्या इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय (आईजीआई) विमानपत्तन के संचालक डीआईएएल ने बीसीएएस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) धावन पट्टी से वह दूरी क्या है जहां अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार निर्माण कार्य की अनुमति दी जाती है?

नागर विमानन मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट (प्राइवेट) लिमिटेड (डायल) द्वारा ऐरोसिटी परियोजना के सुरक्षा पहलुओं की जांच करने के लिए नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस) द्वारा बनाई गई समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। समिति ने सुरक्षा में सुधार के लिए कई न्यूनीकरण उपायों की सिफारिश की है और इनका पहले से ही ध्यान रखा जा रहा है।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) जी, नहीं। आईजीआई हवाईअड्डे के हवाई अड्डा प्रचालक, डायल ने बीसीएएस से कोई अनापत्ति प्रमाण-पत्र

प्राप्त नहीं किया था। अभी तक ऐसी कोई जरूरत नहीं पड़ी कि बीसीएएस से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाए।

(च) ऐरोसिटी परियोजना हवाईअड्डा प्रचालनिक क्षेत्र से पूरी तरह बाहर की ओर है। परियोजना का निर्माण कार्य उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा विधिवत रूप से अनुमोदित की गई योजनाओं के अनुरूप किया जा रहा है।

[अनुवाद]

खनन क्षेत्र हेतु अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं

2156. श्री चौधरी लाल सिंह : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान खनन क्षेत्र के विकास के लिये सरकार द्वारा मंजूर अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा इसके अधीन कितनी निधियां आबंटित/जारी की गई हैं;

(ख) मंजूर परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) इनको शीघ्र पूरा करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं/उपाय किये हैं?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) पिछले तीन वर्षों अर्थात 2009-10, 2010-11 तथा 2011-12 के दौरान खनन क्षेत्र के विकास हेतु स्वीकृत अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं तथा आवंटित/जारी निधियों का ब्यौरा निम्नानुसार है—

(लाख रुपए में)

वर्ष	प्रावधान	जारी की गई निधियां	परियोजनाओं की संख्या
2009-10	300.00	167.82	12
2010-11	300.00	300.00	18
2011-12	300.00	267.22	18

पिछले तीन वर्ष हेतु परियोजना-वार सूचना का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) वर्तमान वर्ष अर्थात 2012-13 के दौरान स्वीकृत परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(ग) विज्ञान एवं तकनीकी परियोजनाओं को पूरा करने तथा प्रगति की मॉनिटरिंग हेतु परियोजनाओं की तीव्र स्वीकृति तथा मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित दो समितियां गठित की गई हैं।

क. सचिव (खान) की अध्यक्षता में स्थायी वैज्ञानिक सलाहकार समूह (एसएसएजी)। एसएसएजी:—

(i) पीईआरसी द्वारा सिफारिश की गई परियोजना प्रस्तावों को अंतिम रूप में देती हैं।

(ii) खनिज क्षेत्र के लिए आर एंड डी के संवर्धन के संबंध में पीईआरसी की सिफारिशों पर विचार करती है।

(iii) खनिज एवं खनन क्षेत्र से संबंधित प्रौद्योगिक संपदा की अधिप्राप्ति से जुड़े आर एंड डी मुद्दों पर विचार करती हैं।

(iv) क्षेत्र में अनुसंधान संगठनों के समन्वय तथा सुदृढ़ीकरण तथा उनके बेहतर समन्वय के लिए कार्यनीतियों पर विचार करती हैं।

(v) आर एवं डी के संवर्धन के लिए क्षेत्र में एचआर विकास कार्यनीतियों पर विचार करती है।

ख. संयुक्त सचिव (खान) की अध्यक्षता में परियोजना मूल्यांकन एवं समीक्षा समिति (पीईआरसी) [एसएसएजी को सहयोग करने के लिए गठित] पीईआरसी:—

1. राष्ट्रीय खनिज नीति, 2008 में अभिलिखित आर एवं डी के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने हेतु परियोजना प्रस्तावों पर खान मंत्रालय को सलाह देती हैं।

2. एसएसएजी के विश्लेषण से पूर्व एस एवं टी परियोजना प्रस्तावों का मूल्यांकन/समर्थन करती हैं।

3. आवधिक रूप से परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा तथा मॉनीटरिंग करती हैं।

4. सहायता अनुदान की अंतिम किस्त जारी करने पर विचार से पूर्व लक्षित परिणामों से संबंधित लगभग समाप्त होने वाली/हालिया समाप्त हुई परियोजनाओं की समीक्षा करती है।

5. राष्ट्रीय खनिज नीति को आगे बढ़ाने में अनुप्रयुक्त आर एवं डी के लिए संभावित क्षेत्र को पता लगाती है।

पूर्ण परियोजनाओं पर आगामी परियोजनाओं या उद्योग अनुप्रयोगों के संदर्भ में अनुवर्ती कार्यवाही की आवधिक रूप से समीक्षा करती है।

विवरण-I

विभिन्न जारी योजनाओं के लिए योजना निधि में से जारी की गई निधियों का ब्यौरा

क्र.सं.	संगठन	मंजूरी संख्या	मंजूर की गई राशि (लाख रुपए में)	दिनांक सहित 2009-10 के दौरान जारी की गई निधियां
1	2	3	4	5
1.	जेएनएआरडीडी, नागपुर के एल्युमिनियम-एल्युमिनियम तथा एल्युमिनियम-स्टील शीट ज्वाइंट के लिए फ्रिक्शन स्टिर वेल्डिंग तकनीक का विकास।	14/12/2008-धातु-IV	45.00	15 लाख रुपए दिनांक 28.10.2009
2.	सुकिंदा, ओडिशा आईएमएमटी, भुवनेश्वर (पूर्व में आरआरएल) के क्रोमाइट अतिभार वस्तुओं वाले अपशिष्ट लेटेराइटिक निकल से निकल वस्तु को समृद्ध करने के लिए कैरेक्टराइजेशन तथा शुष्क सज्जीकरण	14/10/2006-धातु-IV	6.20	3.2 लाख रुपए दिनांक 10.11.2009
3.	कॉस्ट इफेक्टिव, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च (सीआईएफएमआर), नागपुर के लिए जैव-ईंधन के साथ-साथ लो-कास्ट तथा डाइल्यूटेड एएनएफओ की व्यवहार्यता तथा अनुप्रयोग।	14/4/2006-धातु-IV	45.00	32 लाख रुपए दिनांक 2.2.2010
4.	मैंगनीज अयस्क, आईएमएमटी, भुवनेश्वर का कैरक्टराइजेशन तथा इष्टतम उपयोग	14/12/2007-धातु-IV	27.00	9 लाख रुपए दिनांक 8.3.2010
5.	जल रोधी एएनएफओ, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माईनिंग एंड फ्यूल रिसर्च, धनबाद	14/22/2008-धातु-IV	26.28	12.15 लाख रुपए 18.12.2009
6.	अरुणाचल प्रदेश, नार्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट आफ साईस एंड टेक्नालॉजी, पूर्व में आरआरएल, जोरहट से कुछ ग्रेफाईट, निक्षेप का कैरेक्टराइजेशन सज्जीकरण तथा उपयोगिता अध्ययन।	14/3/2006-धातु-IV	26.30	5 लाख रुपए 13.1.2010 (दूसरी किस्त)

1	2	3	4	5
7.	इंस्टीट्यूट आफ मिनरल एंड मटीरियल टेक्नॉलॉजी, भुवनेश्वर, ओडिशा में मॉलीबेड्नम के उत्पादन के लिए मॉलीबेइनाईट का थर्मल प्लाज्मा पृथक्करण।	14/34/2008-धातु-IV	49.29	33.76 लाख रुपए दिनांक 3.3.2010 (पहली किस्त)
8.	खनन उपकरण, एनआईएमएच, नागपुर की कंपन जोखिम संभाव्यता के मूल्यांकन के लिए प्रोटोकॉल का विकास	14/3072008-धातु-	23.00	16 लाख रुपए दिनांक 17.12.09 (पहली किस्त)
9.	एनआईएमएच, नागपुर में खनिकों की स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों के संभाव्य बायोमार्कस का क्रमाबद्ध अध्ययन	14/31/2008-धातु-IV	21.33	12.16 लाख रुपए दिनांक 31.12.09 (पहली किस्त)
10.	जटिल एल्यूमिनियम एक्सट्रयूटेड प्रोफाईल्स, जेएनएआरडीडीसी, नागपुर के लिए सिमुलेशन तथा डाई डिजाईन	14/13/2008-धातु-IV	50.00	8 लाख रुपए दिनांक 8.3.2010 (दूसरी किस्त)
11.	लिनियर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टिरर, इंडियन इंस्टीट्यूट आफ साईंस, बैंगलोर में एलयूमिनियम मिश्रधातु बिलेट्स कास्ट का माइक्रोस्ट्रक्चरल कैरक्टराइजेशन	14/1/2008-धातु-IV	23.55	11.55 लाख रुपए 16.3.2010 (दूसरी किस्त)
12.	बॉक्साईट तकनीकी डाटा बैंक चरण-III पश्चिमी घाट निक्षेप, जेएनएआरडीडीसी	14/15/2008-धातु-IV	14.80	5 लाख रुपए दिनांक 25.3.2010 (दूसरी किस्त)
	कुल			167.82

क्र.सं.	संगठन	मंजूरी संख्या	मंजूर की गई राशि (लाख रुपए में)	दिनांक सहित 2009-10 के दौरान जारी की गई निधियां
1	2	3	4	5
1.	व्यापारिक उत्पादन के लिए निकेल क्रोमयिम-क्रोबाल्ट युक्त मेग्नेटाइट अयस्क से संबंधित प्रायोगिक तौर पर प्रगलिक एवं व्यवहार्य पूर्व अध्ययन, एनएमएल, जमशेदपुर	14/5/2003-धातु-IV	21.00 अतिरिक्त अनुदान 9.75	9.75 लाख रुपए 8.6.2010 (अतिरिक्त अनुदान)

1	2	3	4	5
2.	एल्यूमिनियम अव्यवों के सेमी सॉलिड कास्टिंग के दौरान रंग भराई का अध्ययन, भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर	14/3/2008-धातु-IV	21.00	10 लाख रुपए दिनांक 2.7.2010 (पहली एवं अंतिम किस्त)
3.	एल्यूमिनियम मिश्रधातु से संबंधित पद्धार्थों की तैयारी एवं प्रमाणन, जेएनएआरडीडीसी, नागपुर	14/14/2008-धातु-IV	30.00	15 लाख रुपए दिनांक 20.7.2010 (दूसरी एवं अंतिम किस्त)
4.	निम्न श्रेणी के मॉलिडिनाइट या द्वितीयक मॉलिब्डेनियम स्रोत मॉलिब्डेनियम मान की प्रति प्राप्ति, एनएफटीडीसी, हैदराबाद	14/5/2009-धातु-IV	55.70	38.25 लाख रुपए दिनांक 16.7.2010 (पहली किस्त)
5.	तापीय प्लाज्मा प्रक्रिया द्वारा क्रोमाइट अधिभार (सीओबी) एवं निकेल लेटेराइट अयस्क से फेरो-निकेल का उत्पादन, इंस्टीट्यूट ऑफ मिनरल एवं मेटेरियल टेक्नोलॉजी, भुवनेश्वर	14/28/2008-धातु-IV	40.05	23.85 लाख रुपए दिनांक 16.7.2010 (पहली किस्त)
6.	कोबाल्ट, क्रोमियम तथा निकेल के लिए तीव्र विश्लेषणात्मक कार्यविधि का विकास, जेएनएआरडीडीसी, नागपुर	14/33/2008-धातु-IV	35.00	30 लाख रुपए दिनांक 7.7.2010 (पहली किस्त)
7.	सरंध्रित एवं विभंगित चट्टानों में हाइड्रोफ्रैक्चर द्वारा इन-सिट्र प्रतिबल की मापन के लिए आधुनिक सुविधाओं का विकास	14/7/2009-धातु-IV	74.00	68.60 लाख रुपए दिनांक 27.7.2010 (पहली किस्त)
8.	सीआईएमएफआर, धनबाद एवं अमिटी विश्वविद्यालय नोएडा, (उत्तर प्रदेश) द्वारा संयुत रूप से टॉक्सक फ्यूम्स एवं कार्बन नेनोटयूब्स आधारित दूर संवेदी यंत्र का विकास	14/6/2009-धातु-IV	47.44	15.528 लाख रुपए एंड 11.052 लाख रुपए दिनांक 30.9.2010 (पहली किस्त)
9.	सेलेसटाइट अयस्क ब्लूडस्ट से स्ट्रोनियम हैक्सा फिराइट पाउडर बनाना, थापर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजिनियरिंग एवं टेक्नॉलॉजी पटियाला	14/2/2006-धातु-IV	16.88	3 लाख रुपए दिनांक 29.12.2010 (दूसरी किस्त)

1	2	3	4	5
10.	संयुक्त रूप से एल्यूमिनियम-इस्पात के लिए फ्रिक्सन स्टियर वेल्डिंग तकनीक का विकास, जेएनएआरडीडीसी, नागपुर	14/12/2008-धातु-IV	45.00	15 लाख रुपए दिनांक 29.12.2010 (दूसरी किस्त)
11.	"बॉक्साइट टेक्निकल डॉटा बैंक चरण-III, पश्चिमी घाट डिपोजिट" जेएनएआरडीडीसी, नागपुर	14/15/2008-धातु-IV	14.80	4 लाख रुपए दिनांक 29.12.2010 (तीसरी किस्त)
12.	मिश्रित एल्यूमिनियम एक्सटयूड फ्रोफाइल के लिए अनुरूपण एवं रंग डिजाइन, जेएनएआरडीडीसी	14/13/2008-धातु-IV	50.00	8 लाख रुपए दिनांक 3.1.2011 (तीसरी एवं अंतिम किस्त)
13.	भारतीय उद्योग परिसंघ 23, संस्थागत क्षेत्र, लोधी रोड, नई दिल्ली (आईईसी)	20/49/2010-सीडीएन	सूचना शिक्षा संचार [आईईसी]	5 लाख रुपए दिनांक 17.1.2011
14.	राजस्थान में सोपस्टोन खनन के लिए अंडरग्रांड स्टोपिंग पद्धति का विकास, महाराणा प्रताप विश्वविद्यालय, उदयपुर	14/6/2006-धातु-IV	20.6	13.20 लाख रुपए दिनांक 23.3.2011 (पहली शेष किस्त)
15.	प्राइड ऑफ इंडिया एक्सपो-98 भारतीय विज्ञान कांग्रेस, दिल्ली (आईईसी)	3/2/2010-धातु-IV	आईईसी	18,33,738/- रुपए दिनांक 11.3.2011
16.	भारतीय खनिज उद्योग संघ (एफआईएमआई), नई दिल्ली (आईईसी)	20/4/2011-सीडीएन	आईईसी	5 लाख रुपए दिनांक 31.3.2011
17.	भारतीय खनिज उद्योग संघ (एफआईएमआई), नई दिल्ली (आईईसी)	20/14/2011-सीडीएन	आईईसी	5 लाख रुपए दिनांक 8.3.2011
18.	भारतीय खनिज उद्योग संघ (एफआईएमआई), नई दिल्ली (आईईसी)	20/61/2011-सीडीएन	आईईसी	1.43 लाख रुपए दिनांक 31.3.2011
	कुल			300.00

क्र.सं.	परियोजना का नाम एवं अवधि	अवधि	आरंभ करने का वर्ष	2012-13 बजट प्रावधान (लाख रुपए में)
1	2	3	4	5
1.	एनआईएमएच, नागपुर में खनिकों की व्यावसायिक स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों के संभाव्य बायोमारकर्स का क्रमबद्ध अध्ययन	14/31/2008-धातु-IV	21.33	5.11 लाख रुपए दिनांक 5.8.2011 (दूसरी किस्त)

1	2	3	4	5
2.	वाटरी होल्स सीआईएमएफआर धनबाद में विस्फोटन हेतु जल प्रतिरोध एएनएफओ का विकास	14/22/2008-धातु-IV	26.28	6.71 लाख रुपए दिनांक 13.7.2011 (दूसरी किस्त)
3.	बोऊला खान, खनिज संस्थान एवं वस्तु प्रौद्योगिकी भुवनेश्वर के निम्न स्तर क्रोम अयस्क से पीजीई कीमतों का पूर्व सांद्रण तथा मिनरल सिस्टमेटिक	14/23/2010-धातु-IV	93,62,840/-	49,31,160/- रुपए दिनांक 9.9.2011 (पहली किस्त)
4.	एनआईएमएच, नागपुर में लौह खानों के आसपास खान कामगरों तथा आसपास आबादी की स्वास्थ्य स्थिति पर एक प्रायोगिक अध्ययन	14/15/2010-धातु-IV	44.96	31.73 लाख रुपए दिनांक 29.9.2011 (पहली किस्त)
5.	उच्च दबाव एवं भार के अंतर्गत गलन, द्रव धातु निगरानी तथा ढलाई हेतु बहुपरतीय वस्तुओं का विकास	14/4/2011-धातु-IV	87.48	56.16 लाख रुपए दिनांक 13.10.2011 (पहली किस्त)
6.	भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलौर में एक लिनियर इलैक्ट्रोमैगनेटिक स्टियरर एल्यूमिनियम एलौम बिलेट्स का माइक्रोस्इक्चरल लक्षण-वर्णन	14/1/2008-धातु-IV	23.55	3.5 लाख रुपए दिनांक 26.7.2011 (अतिरिक्त अनुदान)
7.	केन्द्र ग्लास एवं सेरेमिक अनुसंधान कोलकाता में इसके उच्च दाब रिफेक्टरी प्रोप्रर्टीज के साथ या बिना सज्जीकरण के सुधार तथा इंडियन लीन ग्रेड मेगनीसाइट का लक्षण-वर्णन	14/1/2010- धातु-IV	35.00	14.222 लाख रुपए 29.9.2011 (पहली किस्त)
8.	केन्द्रीय खनन संस्थान एवं ईंधन अनुसंधान नागपुर में जैवईंधन की व्यवहार्यता एवं अनुप्रयोग	14/4/2006- धातु-IV	45.00	6.5 लाख रुपए दिनांक 23.8.2011 (दूसरी किस्त)
9.	खनन उपकरण एनआईएमएच नागपुर के कंपन जोखिम संभाव्य के मूल्यांकन हेतु एक प्रोटोकॉल का विकास	14/30/2008-धातु-IV	23.00	7 लाख रुपए दिनांक 2.9.2011 (दूसरी एवं अंतिम किस्त)

1	2	3	4	5
10.	जेएनएआरडीडीसी नागपुर में कोबॉल्ट, क्रोमियम तथा निकल हेतु विश्लेषणात्मक प्रक्रियाओं का विकास	14/33/2008-धातु-IV	35.00	5 लाख रुपए दिनांक 2.9.2011 (दूसरी एवं अंतिम किस्त)
11.	एल्यूमिनियम-स्टील शीट्स ज्वाइंट, जेएनएआरडीडीसी, नागपुर में एल्यूमिनियम हेतु फ्रिक्शन स्टियर वेल्डिंग तकनीकी का विकास	14/12/2008-धातु-IV	45.004	15 लाख रुपए दिनांक 24.11.2011 (तीसरी एवं अंतिम किस्त)
12.	अरुणाचल प्रदेश, उत्तर पूर्व विज्ञान संस्थान एवं प्रौद्योगिकी (एनईआईएसटी), जोरहाट, असम के कुछ ग्रेफाइट निक्षेपों का लक्षण वर्ण, सज्जीकरण तथा उपयोग अध्ययन	14/3/2006- धातु-IV	26.30	3.65 लाख रुपए दिनांक 26.12.2011 (तीसरी एवं अंतिम किस्त)
13.	खनिज संस्थान एवं वस्तु प्रौद्योगिकी भुवनेश्वर में ओडिशा के मैंगनीज अयस्क संसाधनों का लक्षण वर्णन तथा ईष्टतम उपयोग	14/12/2007-धातु-IV	27.00	9 लाख रुपए दिनांक 24.10.2011 (दूसरी किस्त)
14.	भारतीय खनिज इंडस्ट्रीज (एफआईएमआई, नई दिल्ली) (आईसी) संघ	20/5/2011-सीडीएन	आईईसी	10 लाख रुपए दिनांक 13.9.2011
15.	कनफेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज (सीआईआई), नई दिल्ली (आईसी)	20/5/2011-सीडीएन	आईईसी	2.5 लाख रुपए दिनांक 13.9.2011
16.	खनन विभाग के प्रौद्योगिकी एवं इंजीनियरिंग, के उदयपुर इंजीनियरिंग कॉलेज, राजस्थान में सोपस्टोन निक्षेपों हेतु भूमितल स्टोस्टॉपिंग विधि का विकास	14/6/2006- धातु-IV	20.60	2.2 लाख रुपए दिनांक 27.3.2012
17.	निम्न स्तर मॉलीबेडेनाइट अयस्क तथा गौण मॉलीबेडेनाइट संसाधनों और मूल्य वृद्धि उत्पाद (प्रायोगिक प्लांट) एनएफटीडीसी, हैदराबाद, के संश्लेषण से पाली बेडेनम मूल्यों की पुनर्प्राप्ति	14/5/2009- धातु-IV	55.70	22.18 लाख रुपए दिनांक 28.3.2012
18.	एल्यूमिनियम इलैक्ट्रलिसिस बाथ, जे.एन.ए.आर.डी.डी.सी., नागपुर के सुपरहीट को नियंत्रित करने के लिए मैथमैटिकल मॉडल का विकास (फजी लॉजिक का प्रयोग)	14/13/2010-धातु-IV	32.00	17.45 लाख रुपए दिनांक 19.3.2012
	कुल			267.22

विवरण-II

वर्ष 2012-13 के दौरान चालू परियोजनाओं हेतु जारी की गई निधियां

क्र.सं.	संगठन	मंजूरी संख्या	मंजूर की गई राशि (लाख रुपए में)	दिनांक सहित 2009-10 के दौरान जारी की गई निधियां
1	2	3	4	5
1.	एल्यूमिनियम इलैक्ट्रोलिसिस बाथ, जेएनएआरडीडीसी नागपुर, के सुपरहीट को नियंत्रित करने के लिए मैथमैटिकल मॉडल का विकास (फजी लॉजिक का प्रयोग) अवधि 3 वर्ष। 14/13/2010-धातु-IV	3 साल	2012	4.91
2.	केन्द्र ग्लास एवं सेरेमिक अनुसंधान संस्थान, कोलकाता में इसके उच्च दाब रिफेक्टरी प्रोपटीज के साथ या बिना सज्जीकरण के सुधार तथा इंडियन लीन ग्रेड का लक्षण-वर्णन अवधि 3 वर्ष। 14/1/2010-धातु-IV	3 साल	2011	10.00
3.	बोऊना खान, खिजन संस्थान एवं वस्तु प्रौद्योगिकी भुवनेश्वर (संशोधित) के निम्न स्तर क्रोम अयस्क से पीजीई कीमतों का पूर्व सांद्रण तथा मिनरल सिस्टमेटिक अवधि 3 वर्ष। 14/15/2010-धातु-IV	3 साल	2011	33.56
4.	राष्ट्रीय खनिज स्वास्थ्य संस्थान, नागपुर में लौह अयस्क खानों के आसपास खानन कामगारों तथा आसपास आबादी की स्वास्थ्य स्थिति पर एक प्रायोगिक अध्ययन। अवधि 2 वर्ष । 14/4/2011-धातु-IV	2 साल	2011	13.23
5.	उच्च दवाब एवं भार एनएफटीडीसी, हैदराबाद के अंतर्गत गलन, द्रव धातु निगरानी तथा ढलाई हेतु बहुपरतीय वस्तुओं का विकास। अवधि 3 वर्ष। 14/4/2011-धातु-IV	3 साल	2011	25.66
6.	छिद्रपूर्ण तथा खंडित चट्टान, एनआईआरएम, कर्नाटक में हाईड्रोफ्रैक्चर द्वारा इनसिटु दबाव मापन हेतु राज्य-की अत्याधुनिक सुविधाओं का विकास। कीमत 74 लाख रुपए (अवधि 3 साल) 14/7/2009-धातु-IV	3 साल	2010	3.40
7.	संवेदनशील यंत्र आधारित कारबोब, नैनोटसूब्स, सीआईएमएफआर तथा एमिटी यूनिवर्सिटीज का विकास 47.44 रुपए (अवधि 3 वर्ष)। 14/6/2009-धातु-IV	3 साल	2010	15.00

1	2	3	4	5
8.	खनिज एवं वस्तु प्रौद्योगिकी, सीएसआईआर भुवनेश्वर, में थरमल प्लाज्मा प्रक्रिया द्वारा क्रोमाइट अतिभार (सीओबी) तथा निकल लेटराइट से फैरो निकल का उत्पादन। कीमत 40.25 रुपए (अवधि 3 वर्ष)। 14/28/2008-धातु-IV	3 साल	2010	8.10
9.	एनआईएमएच नागपुर में खनिकों की व्यावसायिक स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों के संभाव्य बायोमारकर्स का क्रमबद्ध अध्ययन। कीमत 21.33 लाख रुपए (अवधि 3 वर्ष)	3 साल	2009	4.06
10.	खनिज एवं वस्तु प्रौद्योगिकी संस्थान (पूर्व आरआरएल) 64.00 लाख रुपए (अवधि 3 वर्ष) में मॉलीबेडेनम धातु के उत्पादन हेतु मॉलीबेडेनम का थरमल प्लाज्मा विघटन। 14/34/2008-धातु-IV	3 साल	2009	7.76
11.	वाटरी होल्स, सीआईएमएफआर धनबाद में विस्फोटन हेतु जल प्रतिरोध एएनएफओ का विकास। कीमत 26.28 रुपए (अवधि 3 वर्ष) 14/12/2007-धातु-IV	3 साल	2008	7.40
12.	ओडिशा के मैंगनीज अयस्क संसाधनों का लक्षण-वर्णन तथा ईष्टतम उपयोग। कीमत 27 लाख रुपए (अवधि 3 वर्ष) 14/12/2007-धातु-IV	3 साल	2008	9.00
13.	सुकिंदा, ओडिशा के क्रोमाइट अतिभार धातुओं वाले अपशिष्ट लेटराइटिक निकल से निकल वस्तु को समृद्ध करने हेतु लक्षण वर्णन तथा शुष्क सज्जीकरण। खनिज एवं वस्तु प्रौद्योगिकी संस्थान (आईएमएमटी) भुवनेश्वर (पूर्व में आरआरएल)/ कीमत 6.20 रुपए (अवधि 2 वर्ष) 14/10/2006-धातु-IV	2 साल	2008	3.00
14.	भारत में ओपन कास्ट मेटलीफैरस खानों में मूल्य प्रभावी तथा सुरक्षित विस्फोटन कार्यों हेतु जैव-ईंधन के साथ-साथ कम मूल्य धुलन एएनएफओ (अमोनियम नाइट्रेट ऑयल) की व्यवहार्यता तथा अनुप्रयोग। केन्द्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थानन (सीआईएमएफआर), नागपुर। कीमत 45 लाख रुपए (अवधि 3 वर्ष) 14/34/2008-धातु-IV	3 साल	2008	6.50
15.	थापर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टैक्नॉलॉजी, पटियाला पंजाब, द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली स्टेन्टियम हेक्सा फैराइट पाउडर को सेलेस्टाइट अयस्क तथा ब्लू डस्ट से तैयार करना। कीमत 16.88 लाख रुपए (अवधि 3 वर्ष) 14/2/2006-एम-आई-IV	3 साल	2007	3.88

प्रत्यायित सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता

2157. **श्री जी.एस बासवराज :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी संसदीय स्थायी समिति द्वारा प्रत्यायित सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (आशा) की कार्य दशाओं, आशा आक्जीलरी नर्स मिडवाइफरी (एएनएम) और महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा कार्य के दोहरीकरण से संबंधित समिति की रिपोर्ट में की गई टिप्पणियों पर ध्यान दिया है;

(ख) क्या समिति ने इनके प्रयासों के दोहरीकरण से बचने के लिये एएनएम और आशा की भूमिका एवं जिम्मेदारियों को अलग करने को कहा है; और

(ग) यदि हां, ,तो अब तक इस दिशा में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदीप बंदोपाध्याय) : (क) जी, हां। सरकार ने संसदीय स्थाई समिति द्वारा की गई टिप्पणियों के नोट कर लिया है।

(ख) जी, हां।

(ग) सामुदायिक स्तर पर पांच मुख्य गतिविधियों में प्रत्येक अन्य से संबंधित आशा, एएनएम और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की जबावदारी और मुख्य जिम्मेदारी के लिए राज्य सरकार को निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

नैदानिक परीक्षण

2158. **श्री नीरज शेखर :**
श्री यशवीर सिंह :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भेषज कंपनियां चरण-तीन के नैदानिक परीक्षणों के लिये छोटे शहरों को लक्ष्य बना रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने हाल ही की उस रिपोर्ट पर ध्यान दिया है जिसमें यह टिप्पणी की गई है कि भेषज कंपनियों ने गत कुछ वर्षों में यह दावा किया है कि अधिकांश औषधि परीक्षण बड़े महानगरों में किये जा रहे थे जहां विषमजातीय आबादी है लेकिन उनके तर्क गलत पाये गये हैं और चरण-तीन के परीक्षण का मूल उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा समिति के निष्कर्षों पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है; और

(ङ) उक्त रिपोर्ट के मद्देनजर औषधि कंपनियों द्वारा देश में नैदानिक परीक्षणों का विनियमन करने के लिये सरकार द्वारा प्रस्तावित नई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (घ) नई औषधी के नैदानिक परीक्षण औषध एवं प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 के तहत विनियमत है। नैदानिक परीक्षण करने के लिए आवश्यकताओं और दिशानिर्देशों को इन नियमों की अनुसूची वाई में विनिर्दिष्ट किया गया है। अनुसूची वाई यह भी अधिदेशित करती है कि नैदानिक परीक्षण केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएसएसीओ) द्वारा जारी गुड क्लीनिकल प्रेक्टिसेज (जीसीपी) दिशानिर्देशों के अनुसार किए जायें। जीसीपी दिशानिर्देशों के अनुसार नैदानिक परीक्षण का प्रायोजक अध्ययन स्थल और सुविधाओं की उपयुक्तता और उपलब्धता को ध्यान में रखकर अन्वेषकों/संस्थानों को चुनन के लिए उत्तरदायी है। नैदानिक परीक्षण के प्रस्तावों की जांच प्रख्यात विशेषज्ञों से मिलकर बनी नई औषध परामर्शी समितियों के परामर्श से की जाती है। इन प्रस्तावों के मूल्यांकन के दौरान समिति नैदानिक परीक्षणों के प्रस्तावित स्थलों की भी जांच करती है।

(ङ) औषध एवं प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 में नैदानिक परीक्षणों के लिए विनियामक प्रावधानों को निरंतर रूप से संशोधित व सशक्तिकृत जाता है जो कि एक सतत प्रक्रिया है।

"माण्डले को बस सेवा"

2159. **डा. थोकचोम मैन्या :** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इम्फाल (भारत) और माण्डले (म्यांमार) के बीच वाया मोरेह और तामू तक कोई बस सेवा शुरू करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दोनों तरफ आगमन-पर-वीजा प्रणाली तैयार की गई है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में दोनों देशों के बीच हुई सहमति/समझौते का ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर) : (क) से (घ) भारत सरकार मोरेह और तामू होते हुए इंफाल (भारत) तथा माण्डले (म्यांमा) के बीच बस सेवा शुरू करने के लिए म्यांमार सरकार के साथ चर्चा करती रही है। इस संदर्भ में, 10-11 मई, 2012 तक म्यांमा में प्रथम दौर की तकनीकी स्तरीय चर्चा की गयी थी। मई, 2012 के अंत में प्रधान मंत्री की म्यांमा यात्रा के दौरान, दोनों देशों के नेताओं ने अपने-अपने संबंधित अधिकारियों को इस बस सेवा को शीघ्र प्रचालित करने से संबंधित सभी तौर-तरीकों को अंतिम रूप देने के निदेश दिए।

डीसीजीआई का कार्यालय

2160. श्री संजय भोई :
श्री ए. गणेशमूर्ति :
श्री एन.एस.वी. चित्तन :
श्री जोस के. मणि :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उस रिपोर्ट पर ध्यान दिया है जिसमें यह टिप्पणी की गई है कि ड्रग कन्ट्रोलर जनरल आफ इंडिया (डीसीजीआई) के कार्यालय में वर्षों से कर्मचारियों की कमी है जिससे अनेक औषधि निर्माताओं के व्यापार हित का नुकसान हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं तथा इस समय डीसीजीआई कार्यालय में स्वीकृत पदों के मुकाबले कितने कर्मचारी कार्य कर रहे हैं;

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किये गये हैं;

(घ) क्या सरकार ने कम कर्मचारियों से कार्य कर रहे औषधि नियंत्रक के कार्यालय का विस्तार करने की महत्वाकांक्षी योजना के एक भाग के रूप में उत्पादक संयंत्रों का निरीक्षण करने हेतु शुल्क लगाने और औषधि आवेदन पत्रों की जांच हेतु लेवी में वृद्धि करने का प्रस्ताव किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) से (ग) विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण पर केन्द्रीय मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) के कार्यों पर अपनी 59वीं रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ सीडीएससीओ में स्टाफ की कमी के मुद्दे को उठाया है। सीडीएससीओ में वर्तमान में विभिन्न ग्रेडों के कुल 327 स्वीकृत पदों में से 119 पद नियमित आधार पर भरे गऐ हैं। जनशक्ति की कमी से निजात पाने के लिए संगठन ने स्वीकृत रिक्त पदों के लिए नियमित आधार पर भरे जाने तक संविदा आधार पर कार्मिक नियोजित किए हैं। पदों के सृजन की प्रक्रिया और नियमित कर्मचारियों की भर्ती एक निरंन्तर व सतत प्रक्रिया है।

(घ) उत्पादन परिसरों के निरीक्षण के लिए निरीक्षण शुल्क के साथ-साथ विभिन्न लाइसेंसों की स्वीकृति के लिए आवेदन के साथ भेजे जाने वाले लाइसेंस शुल्क पहले से ही औषध एवं प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 में विहित है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

एड्स/एचआईवी मामले

2161. श्री जयवंत गंगाराम आवले :
श्री नवीन जिन्दल :
श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में एड्स/एचआईवी के मामलों में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष, वर्ष-वार और राज्य-वार देश अब सूचित किए गए नए एड्स/एचआईवी मामलों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या पारंपरिक उच्च जोखिम वाले दक्षिणी राज्यों और

पूर्वोत्तर राज्यों की तुलना में अब देश के अन्य राज्यों में एड्स/एचआईवी के मामले बढ़ रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार ने राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम एनएसीपी-3 के निष्पादन की समीक्षा की है; और

(च) एनएसीपी-4 की मुख्य विशेषताएं क्या हैं और इसे कब तक अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. गांधीसेलवन) : (क) से (घ) एच आई वी अनुमान 2010 के आधार पर पिछले दशक के दौरान नए वार्षिक एच आई वी संक्रमण में लगभग 56 प्रतिशत तक की कमी आई है। यह अनुमान लगाया जाता है कि भारत में वर्ष 2000 के 2.7 लाख एच आई वी संक्रमणों के मुकाबले 2009 में लगभग 1.2 लाख नए संक्रमण थे। इसी प्रकार दक्षिण और पूर्वोत्तर राज्यों में अत्यधिक व्याप्तता वाले राज्यों में एच आई वी की घटना में कमी देखी गई है। दक्षिण और पूर्वोत्तर क्षेत्र के उच्च व्याप्तता दर वाले राज्यों में पिछले दो वर्षों में नए संक्रमणों की संख्या में हल्की-सी वृद्धि देखी गई है। 2009 में नए अनुमानित 1.2 लाख संक्रमणों में से छः उच्च व्याप्तता दर वाले राज्यों का हिस्सा केवल 39 प्रतिशत है जबकि नए संक्रमणों में ओडिशा, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात राज्यों का हिस्सा 41 प्रतिशत है।

एच. आई. वी. परिचर्या हेतु ए आर टी केंद्रों में पंजीकृत सूचित एच आई वी/एड्स रोगियों की संख्या के संबंध में वर्ष 2009-10 में पंजीकृत 246627 रोगियों के मुकाबले वर्ष 2010-11 में 320114 एच आई वी/एड्स रोगी पंजीकृत किए गए। तथापि वर्ष 2011-12 के दौरान यह संख्या घटकर 275377 रोगी रह गई है।

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान ए आर टी केंद्रों में वर्ष-वार और राज्य-वार पंजीकृत नए एच आई वी/एड्स रोगियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) वैश्विक रूप से तुलनात्मक विधियों, पैरामेडिकल संयुक्त कार्यान्वयन समीक्षाएं जिनमें विकास भागीदारी और सरकार और स्वतंत्र प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन शामिल हैं, का उपयोग करते हुए प्राप्त किए गए एच आई वी अनुमानों के माध्यम से एन ए सी पी-III के निष्पादन का मूल्यांकन किया गया है।

एन ए सी पी-III की मध्यावधि की समीक्षा और अनुवर्ती संयुक्त कार्यान्वयन समीक्षा मिशनों से पता चला कि अधिकतर लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया गया है और उनसे आगे बढ़ा जा चुका है। एंटी रैट्रोवारल थरेपी सेवाओं, एकीकृत काउंसलिंग एवं परीक्षण केंद्रों के उन्नयन और एच आई वी/एड्स से ग्रस्त व्यक्तियों का पता लगाने के संबंध में प्रभावी सफलता प्राप्त कर ली है। लक्षित कार्यकलापों के उन्नयन और कंडोम वितरण में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है।

भारत में तीन जनस्वास्थ्य संस्थानों नामतः पी जी आई एम ई आर, चंडीगढ़; राष्ट्रीय एड्स अनुसंधान संस्थान, पूणे; राष्ट्रीय हैजा और एंटेरिक रोग संस्थान, कोलकाता के संघ (कनर्सोटियम) द्वारा किए गए एक स्वतंत्र प्रभाग मूल्यांकन अध्ययन से पता चला कि नवम्बर, 2009 में एच आई वी की महामारी नियंत्रण में रही और देश में इसके मामलों में कमी आ रही थी और यह भी कि उच्च व्याप्तता वाले दक्षिण के राज्यों में एंटेनेटल परिचर्या प्राप्त कर ही महिला यौन कर्मियों और युवा महिलाओं (15-24 वर्ष) में भी एच आई वी के मामलों में महत्वपूर्ण कमी आई थी। एक उच्च अध्ययन ने कि महिला यौन कर्मियों के लिए लक्षित एच आई वी-निवारण कार्यकलापों की लागत-प्रभावकारिता दर्शाई।

(च) एन ए सी पी-IV, एन ए सी पी-III की सफलताओं को समेकित करना चाहता है और कार्यक्रम कार्यान्वयन के पिछले चरणों से शिक्षा लेना चाहता है। यह और आगे कार्यक्रम कार्यान्वयन के पिछले चरणों से शिक्षा लेना चाहता है। यह और आगे कार्यक्रम को राज्य और जिला स्तर तक सुदृढ़ और विकेंद्रीकृत करना चाहता है। भारत में ध्यानकेन्द्रित महामारी की स्थिति के परिप्रेक्ष्य में पर्याप्त एच आई वी परिचर्या कवरेज के साथ एन ए सी पी-iv रोकथामोन्नमुखी योजना बनी हुई है।

एन ए सी पी-III के सफल कार्यान्वयन और व्यापक परामर्श के परिणाम को ध्यान में रखते हुए एन ए सी पी-iv की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:-

- सतत कार्यकलापों की पहुंच को बनाए रखते हुए और उभरती हुई महामहारियों को प्रभावी तरीके से नियंत्रित करने के द्वारा नए संक्रमणों को रोकना।
- माता-पिता से बच्चों में संक्रमण के संचरण को रोकना।

- एच आर जी में व्यवहार परिवर्तन के लिए आई ई सी कार्यनीतियों, सामान्य जनसंख्या में जागरूकता और एच आई वी सेवाओं के लिए मांग-उत्पन्न करने पर ध्यान केंद्रित करना।
- पात्र पी एल एच आई वी को व्यापक परिचर्या, सहायता और उपचार उपलब्ध कराना।
- पी एल एच आई वी (जी आई पी ए) के अधिक भागीदारी के माध्यम से रोग के कलंक और भेदभाव को कम करना।
- कार्यक्रम के सभी स्तरों पर कार्यनीतिगत सूचना का प्रभावी प्रयोग सुनिश्चित करना।
- चरणबद्ध ढंग से एच आई वी सेवाओं को स्वास्थ्य प्रणाली के साथ एकीकृत करना।
- एच आई वी/एड्स गतिविधियों को सभी प्रमुख केन्द्रीय और राज्य स्तरीय मंत्रालयों/विभागों और संबंधित विभागों को लीवरेजिंग संसाधनों के साथ मुख्यधारा में लाना।

एन ए सी पी-IV को इसका अंतिम रूप XIIवीं पंचवर्षीय योजना में विभागों को आवंटन कर दिए जाने के बाद ही दिया जाएगा।

विवरण

देश में पंजीकृत नये एचआईवी/एड्स रोगियों का राज्य/ संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य का नाम	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13*
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	69155	76650	61121	9363
2.	अरुणाचल प्रदेश	20	14	11	3
3.	असम	882	1062	1047	307
4.	बिहार	5699	8497	9129	1886
5.	चण्डीगढ़	799	1011	1264	245
6.	छत्तीसगढ़	1644	2340	2060	899
7.	दिल्ली	8228	3559	5359	1656
8.	गोवा	779	681	608	102
9.	गुजरात	14728	18201	16072	2218
10.	हरियाणा	1608	2033	1896	646
11.	हिमाचल प्रदेश	990	1390	923	203

1	2	3	4	5	6
12.	जम्मू और कश्मीर	568	436	498	90
13.	झारखण्ड	1515	2862	1997	488
14.	कर्णाटक	38276	50737	42043	7400
15.	केरल	2551	2539	1958	509
16.	मध्य प्रदेश	3803	5082	5127	822
17.	महाराष्ट्र	36791	61445	49644	13107
18.	मणिपुर	2013	2663	1996	373
19.	मेघालय	109	215	279	30
20.	मिजोरम	840	1071	1548	216
21.	नागालैण्ड	1400	1682	1521	440
22.	ओडिशा	1343	3628	4218	641
23.	पुदुचेरी	227	246	250	39
24.	पंजाब	4488	5715	5024	887
25.	राजस्थान	5983	7401	9463	1387
26.	सिक्किम	31	36	24	9
27.	तमिलनाडु	25812	38182	24837	3532
28.	त्रिपुरा	158	175	202	30
29.	उत्तर प्रदेश	9834	11874	17185	3238
30.	उत्तरांचल	446	859	692	147
31.	पश्चिमी बंगाल	5907	7828	7384	656
	योग	246627	320114	275377	51569

(*31 मार्च, 2012 की स्थिति के अनुसार)

[अनुवाद]

विमानपत्तनों, हेलि पैड, हवाई पट्टी का विकास और उन्नयन

2162. **श्री कुंवरजीभाई मोहनभाई बावलिया :**
योगी आदित्यनाथ :
श्री सी. शिवासामी :
श्री शिवराम गौड़ा :
श्री कौशलेन्द्र कुमार :
श्री सर्वे सत्यानारायण :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे **कि :**

(क) क्या विस्तार कर रहे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) ने हाल ही में सभी राज्यों से विमानपत्तनों, हेलि पैड एवं अप्रयुक्त हवाई पट्टी के भी विकास एवं उन्नयन हेतु योजनाएं तैयार करने को कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अनेक राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार से अपने राज्यों में विमानपत्तनों का निर्माण/अन्यत्र ले जाने/प्रसार/उन्नयन करने को कहा है;

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष एवं चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार, परियोजना-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा परियोजना-वार प्रस्तावों की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(च) इन परियोजनाओं को कब तक शुरू किये जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। नागर विमानन मंत्रालय ने विभिन्न राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिवों को 'संभावित नागर विमानन योजना' तैयार करने के लिए लिखा है। यह योजना राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में नागर विमानन के विकास का रोड मैप दर्शाएगी।

(ग) और (घ) हवाईअड्डों के विकास, विस्तार, स्तरोन्नयन और आधुनिकीकरण के लिए राज्य सरकारों से प्राप्त अनुरोधों का ब्यौरा **निम्नवत है:—**

ओडिशा	झारसुगुडा
पंजाब	भटिंडा (सीई) और लुधियाना
राजस्थान	किशनगढ़ और जोधपुर (सीई)
झारखंड	देवधर
महाराष्ट्र	जलगांव
जम्मू और कश्मीर	जम्मू (सीई)
कर्नाटक	बेलगांव और हुबली

(ङ) और (च) निर्माण कार्य की शुरूआत राज्य सरकार द्वारा भूमि के अधिग्रहण/वास्तविक हस्तांतरण पर निर्भर करती है। तथापि, भटिंडा, जम्मू और चंडीगढ़ में निर्माण कार्य पहले ही शुरू हो चुका है और जलगांव में निर्माण कार्य पूरा हो गया है।

नर्सिंग शिक्षा

2163. **श्री भर्तृहरि महताब :**
डॉ. पी. वेणुगोपाल :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में नर्सों की कमी को देखते हुए नर्सिंग शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने और इसे वहनीय बनाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को राज्य सरकार से विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष में अपने-अपने राज्यों में नर्सिंग कालेज खोलने के बारे में प्रस्ताव प्राप्त हुए है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन प्रस्तावों पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) लंबित प्रस्ताव सरकार द्वारा कब तक स्वीकृत किए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) और (ख) नर्सिंग सेवाओं के विकास की योजना

के अंतर्गत जिसमें नर्सों का प्रशिक्षण और नर्सिंग संस्थानों का सुदृढ़ीकरण एवं नर्सिंग सेवाओं को सुदृढ़ीकरण और उन्नयन पर केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना जिसमें नए ए.एन.एम/जी.एन.एम स्कूलों की स्थापना शामिल है, अब तक 319 कोर्स संचालित किए गए हैं, 9583 नर्सों को प्रशिक्षण दिया गया है, 132 ए.एन.एम स्कूलों और 137 जी.एन.एम स्कूलों में से 62 ए.एन.एम स्कूलों और 70 जी.एन.एम स्कूलों को अनुमोदित निधियां जारी की गई हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य क्षमता निर्माण करना नर्सिंग संस्थानों की अवसंरचना में सुधार करना, नर्सिंग शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना और इसे और अधिक वहनीय बनाना है। इसके अलावा, नर्सिंग शिक्षा को विनियमित करने के लिए भारतीय नर्सिंग परिषद ने एक सांविधिक निकाय होने के नाते सकारात्मक उपाय किए हैं जिनका विवरण संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) केरल, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और असम राज्यों में नर्सिंग कालेज की स्थापना के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं। तथापि, चूंकि नर्सिंग कालेज की स्थापना के लिए कोई योजना नहीं है, तद्नुसार उपरोक्त अनुरोधों के जवाब दिए गए थे। नर्सिंग स्कूलों को नर्सिंग कालेज में उन्नयन की योजना के अंतर्गत संलग्न विवरण-II के ब्यौरों के अनुसार 11वीं योजना अवधि के दौरान 8 राज्यों के 17 संस्थानों को निधियां जारी की गई हैं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

भारतीय नर्सिंग परिषद द्वारा किए गए सकारात्मक उपाय

(i) छात्र रोगी अनुपात में 1:5 से 1:3 तक की छूट दी गई है।

(ii) नर्सिंग स्कूल/कॉलेज और हॉस्टल के लिए 54,000 वर्ग फीट के भवन निर्माण के लिए 5 एकड़ के भूखंड में छूट दी गई है।

(iii) बी.एस.सी (एन) कार्यक्रम को शुरू करने में अध्यापन संकाय के लिए मानकों में छूट।

- कम से कम 2 एम.एस.सी. (एन) संकाय की उपलब्धता।
- वर्ष 2012 तक नर्सिंग टीचरों की अर्हता व अनुभव में छूट दी गई है।
- डिप्लोमा तथा स्नातक कार्यक्रम दोनों के लिए अध्यापन संकाय को शेयर करना।

(iv) एम.एस.सी. (एन) कार्यक्रम शुरू करने के लिए छूट। अत विशिष्टता वाले अस्पताल स्नातक कार्यक्रम के बिना ही एम.एस.सी. (एन) शुरू कर सकते हैं।

i. एम.एस.सी. (एन) कार्यक्रम के लिए छात्र अध्यापक अनुपातः 1:5 से 1:10 तक छूट दी गई है।

ii. उन संस्थानों के लिए जिनमें पहले से डिप्लोमा अथवा डिग्री जैसे भारतीय नर्सिंग परिषद के मान्यता प्राप्त कार्यक्रम चल रहे हैं उनकी राज्य सरकारों से एम.एस.सी. (एन) कार्यक्रम शुरू करने के लिए अनिवार्यता प्रमाण-पत्र आवश्यक नहीं है।

iii. यदि किसी संस्थान के पास एक कार्यक्रम के लिए आई एनसी की मान्यता है तो अन्य नर्सिंग कार्यक्रम शुरू करने के लिए अनिवार्यता प्रमाण-पत्र होने की कोई आवश्यकता नहीं है।

(v) विवाहित अभ्यर्थियों के लिए नर्सिंग में दाखिले की स्वीकृति है।

(vi) अध्यापन संकाय की आयु को 70 वर्ष तक बढ़ा दिया गया है।

(vii) अधिकतम 100 सीटें उन 300 बिस्तरों वाले अस्पतालों को बिना मेडिकल कालेज पर जोर देते हुए दी जाएगी।

(viii) स्कूल से अस्पताल की दूरी में 30 किलोमीटर से 15 किलोमीटर तक की छूट दी गई है।

(ix) डिप्लोमा व डिग्री में दाखिले के लिए योग्यता शर्तों में छूट दी गई है।

विवरण-II

नर्सिंग स्कूलों को नर्सिंग कालेज में उन्नयन की योजना के अंतर्गत जारी निधियां

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	संस्थान का नाम	वर्ष	जारी राशि
1	2	3	4
1.	जीएनएम प्रशिक्षण केन्द्र इंदिरा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल, शिमला, हिमाचल प्रदेश	2009-10	62.50
		2010-11	40.00
2.	नर्सिंग स्कूल, राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान, नर्स हॉस्टल, रांची, झारखंड	2009-10	62.50
		2010-11	40.00
3.	नर्सिंग स्कूल, पाटलीपुत्र मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, धनबाद, झारखंड	2009-10	62.50
		2010-11	40.00
4.	नर्सिंग स्कूल महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज अस्पताल, जमशेदपुर, (पीओ) सखी (जिला), पूर्वी सिंहभूम, झारखंड	2009-10	62.50
		2010-11	40.00
5.	नर्सिंग स्कूल, सर.टी. जनरल अस्पताल, जेल रोड, भावनगर, गुजरात	2009-10	62.50
		2010-11	40.00
6.	नर्सिंग स्कूल, एसएसजी अस्पताल, बड़ौदा, गुजरात	2009-10	62.50
		2010-11	40.00
7.	नर्सिंग स्कूल, जेएलएन मेडिकल कॉलेज और एसोसिएटेड समूह अस्पताल, अजमेर, राजस्थान	2009-10	62.50
		2010-11	40.00
8.	जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्र, सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज और पीबीएम अस्पताल के एसोसिएटेड समूह बीकानेर, राजस्थान	2009-10	62.50
		2010-11	40.00
9.	नर्सिंग स्कूल, महात्मा गांधी अस्पताल, जोधपुर, राजस्थान	2009-10	62.50
		2010-11	40.00
10.	जनरल नर्सिंग एवं मिडवाइफरी प्रशिक्षण केन्द्र, महाराजा भीम सिंह अस्पताल, कोटा, राजस्थान	2009-10	62.50
		2010-11	40.00

1	2	3	4
11.	नर्सिंग स्कूल, महाराणा भूपाल सरकारी अस्पताल, उदयपुर, राजस्थान	2009-10	62.50
		2010-11	40.00
12.	नर्सिंग स्कूल, सामाजिक प्रसूति एवं कस्तूरबा गांधी महिला एवं बाल सरकारी अस्पताल, ट्रिपलीकेन, चेन्नई, तमिलनाडु	2009-10	62.50
		2010-11	40.00
13.	नर्सिंग स्कूल, सरकारी मोहन कुमारमंगलम मेडिकल कॉलेज, सेलम चेन्नई, तमिलनाडु	2009-10	62.50
		2010-11	40.00
14.	नर्सिंग स्कूल, मिदनापुर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, पी.ओ. मेदिनीपुर, पश्चिम मेदिनीपुर जिला (पश्चिम बंगाल	2009-10	62.50
		2010-11	40.00
15.	नर्सिंग स्कूल, कलकत्ता मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, 24, गोराचांद रोड, कोलकाता 14 (पश्चिम बंगाल)	2009-10	62.50
		2010-11	40.00
16.	इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी (उत्तर प्रदेश)	2009-10	62.50
		2010-11	40.00
17.	जीएनएम स्कूल, रिम्स कैम्पस, लाम्फेल इम्फाल, मणिपुर 795001	2009-10	300.00

बाल कल्याण समितियां/जिला बाल संरक्षण इकाइयां

2164. श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना :
श्री एस. सेम्मलई :
श्री सी.एम. चांग :

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में बच्चों के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितनी बाल कल्याण समितियां (सीडब्ल्यूसी)/जिला बाल संरक्षण इकाइयां (डीसीपीयू) गठित हैं;

(ख) क्या कुछ राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों ने प्रत्येक जिले में सीडब्ल्यूसी/डीसीपीयू गठित नहीं की हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने इन सीडब्ल्यूसी/डीसीपीयू के कार्यकरण का कोई आकलन किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके परिणाम क्या रहे;

(च) क्या सरकार इन सीडब्ल्यूसी/डीसीपीयू में रिपोर्टिंग ढांचे और नियुक्ति प्रक्रिया का मानकीकरण करने पर विचार कर रही है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ) : (क) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, बाल कल्याण समितियों (सीडब्ल्यूसी) और जिला बालक संरक्षण इकाइयों (डी.सी.पी.यू.) की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या संलग्न विवरण में दर्शाई गई हैं। किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 बाल कल्याण समितियां तथा जिला बालक संरक्षण इकाइयां (डी.सी. पी.यू.) गठित करने का उपबंध है। यह जम्मू और कश्मीर राज्य में लागू नहीं है।

(ख) और (ग) जम्मू और कश्मीर को छोड़कर ऐसा कोई राज्य/संघ राज्य क्षेत्र नहीं है जिसने बाल कल्याण समिति गठित न की हों। 22 राज्यों और 4 संघ राज्य क्षेत्रों ने प्रत्येक जिले में बाल कल्याण समिति का गठन किया है। अन्य 5 राज्यों तथा 3 संघ राज्य क्षेत्रों ने कुछेक जिलों में बाल कल्याण समितियां गठित की हैं।

19 राज्यों तथा एक संघ राज्य क्षेत्र ने प्रत्येक जिले में, जिला बालक संरक्षण इकाई का गठन किया है। अन्य दो राज्यों ने कुछेक जिलों में जिला बालक संरक्षण इकाई का गठन किया है। जम्मू और कश्मीर को छोड़कर अभी तक 6 राज्यों तथा 6 संघ राज्य क्षेत्रों के जिलों में जिला बालक संरक्षण इकाई का गठन नहीं किया गया है।

इन संरचनाओं को गठित न किए जाने के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों द्वारा सूचित किया गया प्रमुख कारण राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में आंतरिक अनुमोदन प्राप्त करने के लिए प्रक्रियात्मक विलंब है।

(घ) और (ङ) बाल कल्याण समितियों तथा जिला बालक संरक्षण इकाइयों के कार्यकरण सहित राज्य सरकारों के माध्यम से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित की जा रही समेकित बाल संरक्षण स्कीम के अंतर्गत अनुदानों की निर्मुक्ति के लिए राज्यों द्वारा प्रस्तुत किए गए वित्तीय प्रस्तावों के आकलन तथा अनुमोदन हेतु गठित अन्तर-मंत्रालयी परियोजना अनुमोदन बोर्ड द्वारा नियमित बैठकों और राज्यों के दौरे के माध्यम से समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

इन समीक्षाओं से यह पता चलता है कि बाल कल्याण समितियों के सदस्य पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित तथा सुग्राही नहीं है जिसके फलस्वरूप मुद्दों तथा प्रक्रियाओं को समझ नहीं पाते हैं और निर्णय लेने में विलंब होता है। इसके अतिरिक्त, राज्य स्तरों पर अनुमोदनों के लंबित रहते कुछेक जिलों में बालक संरक्षण इकाइयों में अपेक्षित स्टाफ की अभी तक नियुक्ति नहीं की गई है। भर्ती के निम्न स्तर का प्रमुख कारण यह भी है कि बालक संरक्षण में प्रशिक्षित कार्मिकों की संख्या अपर्याप्त है। सरकार का महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, इन संरचनाओं के गठन, जहां ये उपलब्ध नहीं है, अपेक्षित कार्मिकों की भर्ती तथा बाल कल्याण समितियों के सदस्यों और समेकित बाल संरक्षण स्कीम (आई.सी.पी.एस.) के अंतर्गत अन्य कार्मिकों के प्रशिक्षण के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से नियमित रूप से कहता आ रहा है।

(च) और (छ) किशोर न्याय अधिनियम की धारा 29 (2) तथा केन्द्रीय मॉडल नियमावली के नियम 22 के तहत बाल कल्याण समिति के गठन तथा उसे सदस्यों की अर्हता पहले से ही निर्धारित हैं। इसके अतिरिक्त, मॉडल नियमावली के नियम-91 में उच्च न्यायालय के सेवा-निवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में चयन समिति के गठन का उपबंध है। किशोर न्याय अधिनियम की धारा 33(3) में यह उपबंध है कि राज्य सरकार, प्रत्येक 6 माह में बाल कल्याण समितियों के लंबित मामलों की समीक्षा करेगी और उन्हें अपनी-अपनी बैठकें जल्दी-जल्दी करने के लिए निर्देश देगी अथवा यदि अपेक्षित हुआ तो अतिरिक्त बाल कल्याण समितियों का गठन करेगी।

जहां तक जिला बाल संरक्षण इकाइयों का संबंध है, किशोर न्याय अधिनियम की धारा 62 (क) में राज्य सरकारों द्वारा जिला बालक संरक्षण इकाइयां (डी.सी.पी.यू) गठित किए जाने का उपबंध है। समेकित बाल संरक्षण स्कीम (आई.सी.पी.एस) में जिला बालक संरक्षण इकाइयों की स्टाफिंग प्रणाली निर्धारित की गई है तथा उसमें नियुक्ति के लिए संबंधित जिले के जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में एक चयन समिति के गठन का उपबंध है। समेकित बाल संरक्षण स्कीम के क्रियान्वयन के लिए जिला बालक संरक्षण इकाइयां राज्य सरकार के प्रति उत्तरदायी हैं।

विवरण

बाल कल्याण समितियों और जिला बाल संरक्षण एककों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या

क्र.सं.	राज्य का नाम	जिलों की संख्या	बाल कल्याण समितियों की संख्या	जिला बाल संरक्षण एककों की संख्या
1	2	3	4	5
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	3	1	-
2.	आन्ध्र प्रदेश	23	23	23
3.	अरुणाचल प्रदेश	16	16	-
4.	असम	27	27	27
5.	बिहार	38	28	38
6.	चंडीगढ़	1	1	-
7.	छत्तीसगढ़	27	18	27
8.	दादरा और नगर हवेली	1	1	-
9.	दमन और दीव	2	2	-
10.	दिल्ली	9	7	-
11.	गोवा	2	2	-
12.	गुजरात	26	26	26
13.	हरियाणा	21	21	21
14.	हिमाचल प्रदेश	12	12	-
15.	जम्मू और कश्मीर*	22	-	-
16.	झारखंड	24	17	24
17.	कर्नाटक	30	31	30
18.	केरल	14	14	-
19.	लक्षद्वीप	1	1	-

1	2	3	4	5
20.	मध्य प्रदेश	50	50	50
21.	महाराष्ट्र	35	35	35
22.	मणिपुर	9	9	1
23.	मेघालय	7	7	7
24.	मिज़ोरम	8	8	8
25.	नागालैंड	11	11	11
26.	ओडिशा	30	30	30
27.	पश्चिम बंगाल	19	19	19
28.	पुदुचेरी	4	1	4
29.	पंजाब	20	20	-
30.	राजस्थान	33	33	33
31.	सिक्किम	4	4	2
32.	तमिलनाडु	32	32	32
33.	त्रिपुरा	5	4	5
34.	उत्तराखंड	13	13	-
35.	उत्तर सिक्किम	75	72	75
	कुल	654	596	548

*किशोर न्याय (वालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम राज्य में लागू नहीं है।

एनआईसीडी ब्रांच

2165. श्रीमती दर्शना जरदोश : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वास्थ्य मंत्रालय ने राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान (एनआईसीडी) को गुजरात में शाखा खोलने के लिए व्यय विभाग को पुनःप्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक अन्तिम रूप दिए जाने की संभावना है;

(ग) क्या इस संस्थान का उद्देश्य नई बीमारियों के उपचार का पता लगाने और वर्तमान संचारी रोगों पर अनुसंधान करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त संस्थान को प्रशासनिक और वित्तीय रूप से किस प्रकार से चलाए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदीप बंदोपाध्याय) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

विद्युत की कमी

2166. **श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी :**
श्री राजेन्द्र अग्रवाल :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विद्युत की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है जिसका विभिन्न राज्यों में कृषि तथा उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश में विद्युत उत्पादन क्षमता और उसकी खपत का कोई आकलन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने वर्ष 2012-13 में देश में बिजली की कमी का अंदेशा जताया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने देश में बिजली के संकट के समाधान हेतु क्या उपचारात्मक उपाय किए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल) : (क) और (ख) (घ) विद्युत समवर्ती सूची का विषय होने के कारण राज्य में उपभोक्ताओं को विभिन्न श्रेणियों को इसकी आपूर्ति एवं वितरण का दायित्व राज्य में संबंधित राज्य सरकार/विद्युत यूटिलिटियों का होता है। औद्योगिक क्षेत्र सहित राज्य में उपभोक्ताओं की विभिन्न श्रेणियों को विद्युत की आपूर्ति हेतु प्राथमिकताओं का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा भी किया जाता है। भारत सरकार केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सीपीएसयू) के माध्यम से केन्द्रीय क्षेत्र में विद्युत संयंत्रों की स्थापना द्वारा राज्य सरकारों के प्रयासों को समर्थन देती है।

देश में विद्युत की कमी निरंतर बनी हुई है जिसके मुख्य कारण हैं- विद्युत की उपलब्धता में हुई वृद्धि की तुलना में मांग में अधिक वृद्धि होना, कोयले तथा गैस की अपर्याप्त उपलब्धता। तथापि, पिछले 3 वर्षों के दौरान ऊर्जा तथा व्यस्ततमकालीन कटौती में कमी आई है। 2009-10 तथा 2012-13 (जुलाई, 2012 तक) के बीच, ऊजा की कमी 10.1% से घटकर 8.4% तथा व्यस्ततमकालीन कमी 12.7% से घटकर 9% हो गई थी।

देश में 2009-10, 2010-11, 2011-12 तथा चालू वर्ष (अप्रैल-जुलाई, 2012) के दौरान ऊर्जा तथा व्यस्ततमकालीन विद्युत के संदर्भ में बिजली की आवश्यकता, उपलब्धता तथा कमी के विवरण नीचे दिए गए हैं–

वर्ष	ऊर्जा			
	आवश्यकता (मि.यू.)	उपलब्धता (मि.यू.)	कमी	
			(मि.यू.)	(%)
2009-10	8,30,594	7,46,644	83,950	10.1
2010-11	8,61,591	7,88,355	73,236	8.5
2011-12	9,37,199	8,57,886	79,313	8.5
2012-13*#	3,33,292	3,05,400	27,892	8.4

*जुलाई, 2012 तक एमयू-मिलियन यूनिट

#जुलाई, 21012 माह के अनंतिम आंकड़े भी शामिल हैं।

(ग) और (घ) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा किए गए 18वें इलेक्ट्रिक पावर सर्वे (ईपीएस) की रिपोर्ट के अनुसार-विद्युत स्टेशन बस-बार (यूटिलिटियां पर ऊर्जा मांग 12वीं योजना (2016-17) के समाप्ति वर्ष के दौरान 13,54,874 मि.यू. होगी।

12वीं योजना हेतु विद्युत संबंधी कार्यकारी समूह की रिपोर्ट के अनुसार, व्यस्ततम तथा गैर-व्यस्ततम मांग को पूरा करने के लिए 12वीं योजना के दौरान क्षमता अभिवृद्धि मांग 11वीं पंचवर्षीय योजना में 62,374 मेगावाट की संभाव्य क्षमता अभिवृद्धि को ध्यान में रखते हुए अखिल भारतीय आधार पर लगभग 76,000 मेगावाट (नवीकरणीय को छोड़कर) होगी।

(ङ) और (च) वर्ष 2012-13 के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा तैया की गई प्रावधानिक भार उत्पादन शेष रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2012-13 के लिए कुल उत्पादन लक्ष्य 930 बिलियन यूनिट है और शुद्ध उपलब्धता 902 बिलियन यूनिट होने का अनुमान है। संभावित ऊर्जा कमी लगभग 92,000 मिलियन यूनिट (9.3%) है और संभावित व्यस्ततम कमी वर्ष 2012-13 के लिए लगभग 15000 मेगावाट (10.6%) है।

देश में विद्युत की मांग तथा आपूर्ति के बीच के अंतर को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए/उठाए जा रहे कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं—

(i) 11वीं योजना के दौरान हासिल 54,964 मेगावाट की तुलना में, 12वीं योजना के दौरान 75,785 मेगावाट के लक्ष्य के साथ उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि में तीव्रता लाना।

(ii) चल रही उत्पादन परियोजनाओं की क्षमता अभिवृद्धि की गहन निगरानी करना।

(iii) बड़े पैमाने पर आर्थिक लाभ लेने के लिए प्रत्येक 4000 मेगावाट अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाओं का विकास।

(iv) 12वीं योजना के लिए उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि परियोजनाओं की अग्रिम योजना।

(v) विद्युत उपकरणों की घरेलू विनिर्माण क्षमता की संयुक्त उपक्रमों के माध्यम से अभिवृद्धि।

(vi) मौजूदा उत्पादन क्षमता का इष्टतम उपयाग करने के लिए हाइड्रो, थर्मल, न्यूक्लीयर और गैस आधारित विद्युत स्टेशनों का समन्वित प्रचालन- एवं रखरखाव।

(vii) स्वदेशी स्रोतों से ताप विद्युत स्टेशनों के लिए कोयले की आपूर्ति में हो रही कमी को पूरा करने के लिए विद्युत यूटिलिटियों द्वारा कोयले के आयात पर बल।

(viii) पुरानी तथा अकुशल उत्पादन यूनिटों का नवीकरण, आधुनिकीकरण एवं जीवन विस्तार।

(ix) उपलब्ध विद्युत का इष्टतम उपयोग करने के लिए अंतर-राज्यीय एवं अंतर-क्षेत्रीय पारेषण क्षमता को सुदृढ़ करना।

(x) हानि को कम करने की दिशा में प्रमुख कदम के तौर पर उप-पारेषण एवं वितरण नेटवर्क को सुदृढ़ करना।

(xi) ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा कुशलता एवं मांग पक्ष प्रबंधन उपायों को प्रोत्साहित करना।

तापीय विद्युत संयंत्रों की समस्या

2167. श्री अधलराव पाटील शिवाजी :
श्री आनंद राव अडसुल :
श्री गजानन ध. बाबर :
श्री धर्मेन्द्र यादव :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्युत उत्पादकों की बढ़ती चिंता के समाधान अर्थात् उनके फीडस्टाक तथा विद्युत वितरण और भू-अर्जन क्षेत्र में अनुप्रवाही सुधार दोनों के मामले में काफी कुछ करने की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में तथ्यात्मक स्थिति क्या है;

(ग) क्या भारत में विद्युत संयंत्रों विशेषरूप से तापीय स्टेशनों की समग्र संयंत्र क्षमता का पूरी तरह दोहन नहीं किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, क्या थर्मल पावर प्लांटों की ईंधन संबंधी समस्या के समाधान हेतु नीतिगत निदेश दिए जाने की मांग की जा रही है; और

(ङ) यदि हां, तो ताप विद्युत संयंत्रों की ईंधन संबंधी समस्या के समाधान हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल) : (क) और (ख) जी हां। 12वीं योजना में ईंधन की पर्याप्त उपलब्धता और वितरण कंपनियों की वित्तीय व्यवहार्यता मुख्य विषय हैं।

(ग) ताप स्टेशनों का उपयोग प्लांट लोड फैक्टर के रूप में मापा जाता है, जो समग्र रूप में वित्तीय वर्ष 2010-2011 और 2011-12 में क्रमशः 75.08% और 73.32% था।

(घ) और (ङ) अन्य बातों के साथ-साथ, यह निर्णय लिया गया कि कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) विद्युत संयंत्रों के साथ ईंधन आपूर्ति करार (एफएसए) करेगा, जिसने डिस्काम के साथ दीर्घकालिक विद्युत क्रय करार (पीपीए) किया है और जो 31 मार्च 2015 को अथवा इससे पूर्व आरंभ हो जाएगा। एफएसए, 20 वर्षों की अवधि के लिए लैटर्स ऑफ एश्योरेंस (एलओए) में उल्लिखित कोयले की सम्पूर्ण मात्रा, 80% प्रोत्साहन रहित लेवी और 90% प्रोत्साहन लेवी के ट्रिगर मूल्य सहित, के लिए हस्ताक्षर करेगा। अपने निजी उत्पादन से ईंधन आपूर्ति करारों के अधीन अपनी वचनबद्धता को पूरा करने में हुई किसी कमी के मामले में, सीआईएल आयातों के द्वारा भी कोयले की आपूर्ति की व्यवस्था करेगा।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को वित्तीय स्वायत्तता

2168. **श्री खगेन दास :** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) को वित्तीय स्वायत्तता उपलब्ध न होने के कारण आधुनिकीकरण संबंधी अनेक परियोजनाएं नियत समय से पीछे चल रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और एएआई को वित्तीय स्वायत्तता नहीं दिए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या एएआई के आधुनिकीकरण तथा अन्य प्रयोजनों हेतु पूल वित्त पोषण हेतु कर-मुक्त बांड जारी करने के लिए एएआई की तरफ से सरकार को कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

नागर विमानन मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) जी, हां। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) ने वर्ष 2012-13 से आरंभ कर अगले तीन वर्षों के लिए प्रत्येक वर्ष 1000 करोड़ रुपए के अंकित मूल्य के कर मुक्त बंध पत्र जारी करने की अनुमति प्रदान करने के लिए नागर विमानन मंत्रालय से अनुरोध किया है। फिलहाल, यह प्रस्ताव वित्त मंत्रालय के पास है।

[हिन्दी]

राज्यों को विद्युत आपूर्ति

2169. **डॉ किरोड़ी लाल मीणा :**
श्री पन्ना लाल पुनिया :
श्री रायापति सांबसिवा राव :
श्री आर. ध्रुवनारायण :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केंद्र सरकार के पास उपलब्ध अनावंटित विद्युत से राज्यों को विद्युत के वितरण हेतु क्या मानदंड अपनाए जा रहे हैं;

(ख) क्या वितरक फ्रेंचाइजियों को कुछ अवधि के लिए सीधे बिजली खरीदने और बेचने की अनुमति है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या देश में विभिन्न राज्यों को उनकी आवश्यकता/मांग के अनुरूप विद्युत आपूर्ति नहीं मिल रही है;

(ङ) यदि हां, तो राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या सरकार का पावर ग्रिडों से राज्यों को आपूर्ति की जाने वाली विद्युत के कोटे में वृद्धि करने का प्रस्ताव है;

(छ) यदि हां, तो कर्नाटक, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर राज्यों सहित विभिन्न संघ राज्य क्षेत्रों/राज्य सरकारों ने अपने लिए अतिरिक्त बिजली आवंटन की मांग की है; और

(ज) यदि हां, तो राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. सी. वेणुगोपाल) : (क) केंद्र सरकार के निर्णयानुसार रखी गई, केंद्रीय उत्पादन स्टेशनों

(सीजीएस) की अनाबंटित विद्युत के आबंटन की समय-समय पर समीक्षा की जाती है तथा आवश्यकता की तत्कालिक तथा मौसमी प्रकृति, संबंधित विद्युत आपूर्ति की स्थिति, उपलब्ध विद्युत स्रोतों के उपयोग, प्रचालन एवं भुगतान निष्पादन, इत्यादि को ध्यान में रखते हुए इसमें संशोधन किया जाता है।

(ख) और (ग) विद्युत मंत्रालय ने "विद्युत के वितरण में निजी प्रतिभागिता" पर कार्यबल की सिफारिशों के आधार पर निवेश आधारित शहरी वितरण फ्रेंचाइजी की नियुक्ति के लिए मानक बोली दस्तावेज तैयार किया है। विद्युत मंत्रालय ने सिफारिश की है कि वितरण फ्रेंचाइजी मॉडल को राज्यों एवं राज्य विद्युत यूटिलिटियों द्वारा उनकी अपनी आवश्यकता के अनुसार उपयुक्त रूप से अनुकूलित करते हुए अंगीकार किया जाए। इस मानक बोली दस्तावेज के प्रावधानों के अनुसार, यदि कोई यूटिलिटी फ्रेंचाइजी क्षेत्र की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा प्रदान करने में असमर्थ हो; तो फ्रेंचाइजी यूटिलिटी से खुले बाजार से अतिरिक्त ऊर्जा लेने का अनुरोध कर सकती है। यूटिलिटी को राज्य विद्युत विनियामक आयोग को संवीक्षा तथा अनुमोदन के लिए आवश्यक आवेदन करते हुए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 86(1) (ख) का अनुपालन करना होगा। वितरण फ्रेंचाइजी को विद्युत क्रय के अतिरिक्त स्रोतों तथा उसके मूल्य की पहचान करनी होगी। राज्य विद्युत विनियामक की संवीक्षा तथा अनुमोदन हेतु विद्युत की आवश्यकता, इसके मूल्य, विद्युत क्रय करारों के अंतर्गत इसके संविदात्मक करार की आवश्यकता का औचित्य देने का दायित्व यूटिलिटी का होगा। यूटिलिटी अनुबंधित पक्षों के साथ त्रिपक्षीय विद्युत क्रय करार करेगी जिसमें खुद प्रधान पक्ष होगी तथा फ्रेंचाइजी विद्युत क्रय करार के पक्षों में से एक पक्ष होगी। अतिरिक्त विद्युत की अपेक्षित मात्रा को फ्रेंचाइजी क्षेत्र को आवंटित किया जाएगा। ऐसी कमी को पूरा करने के लिए ऊर्जा की लागत की पूर्ण वसूली करने के क्रम में, फ्रेंचाइजी उपभोक्ताओं से प्रति इकाई विश्वसनीयता प्रभाव के रूप में वसूल कर सकती है। ऐसे प्रभार को लगाने के लिए यूटिलिटी राज्य विद्युत विनियामक आयोग से पूर्वानुमोदन प्राप्त करेगी।

(घ) और (ङ) राज्य में विद्युत की आवश्यकता की पूर्ति उनके स्वयं के उत्पादन से, तथा राज्य में निजी उत्पादन केंद्रों से, केंद्रीय उत्पादन स्टेशनों (सीजीएस) से उनके हिस्से से तथा विद्युत के आयात से की जाती है। सीजीएस से राज्यों को, विद्युत के उनके आवंटन में से विद्युत की आपूर्ति से उनकी आवश्यकता के अंश की पूर्ति होती है। चालू वर्ष (जून, 2012 तक) के दौरान देश में विभिन्न राज्यों को केंद्रीय उत्पादन स्टेशनों से निर्धारित ऊर्जा की मात्रा विवरण में दी गई है।

(च) से (ज) केंद्र सरकार के निर्णयानुसार रखी गई, केंद्रीय उत्पादन स्टेशनों (सीजीएस) की 15 प्रतिशत अनावंटित विद्युत के आवंटन की समय-समय पर समीक्षा की जाती है तथा आवश्यकता की तात्कालिक तथा मौसमी प्रकृति, संबंधित विद्युत आपूर्ति की स्थिति, उपलब्ध विद्युत स्रोतों के उपयोग, प्रचालन एवं भुगतान निष्पादन इत्यादि को ध्यान में रखते हुए इसमें संशोधन किया जाता है। चूंकि देश में अधिकतर राज्य और संघ राज्य क्षेत्र विद्युत की कमी झेल रहे हैं, अत: अनेक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र समय-समय पर सीजीएस की अनावंटित विद्युत से अतिरिक्त आवंटन का अनुरोध करते हैं। सीजीएस में अनावंटित विद्युत की मात्रा सीमित होने के कारण यह अन्य स्रोतों से उपलब्ध विद्युत का अनुपूरण ही कर सकती है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा की गई संचयी मांग उपलब्ध अनावंटित विद्युत से निरपवाद रूप से ज्यादा होती है। तथापि, केंद्रीय उत्पादक स्टेशनों की संपूर्ण अनावंटित विद्युत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आवंटित की गई रहती है, अत: अनावंटित विद्युत से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उनकी मांग के अनुरूप आवंटन करना कई बार संभव नहीं होता।

विवरण

विभिन्न राज्यों को
निर्धारित ऊर्जा की मात्रा

वर्ष	2012-13 (अप्रैल-जून, 2012)	
राज्य/प्रणाली	केंद्रीय उत्पादन स्टेशनों से ऊर्जा अनुसूची (मिलियन यूनिट)	कुल ऊर्जा आवश्यकता (मिलियन यूनिट)
1	2	3
चंडीगढ़	255	486
दिल्ली	4633	7687

1	2	3
हरियाणा	2647	10504
हिमाचल प्रदेश	1468	2275
जम्मू और कश्मीर	2267	3631
पंजाब	3041	12231
राजस्थान	3090	13078
उत्तर प्रदेश	7309	23617
उत्तराखंड	996	2931
छत्तीसगढ़	1603	4232
गुजरात	5493	21331
मध्य प्रदेश	5357	11148
महाराष्ट्र	9140	33058
दमन और दीव	506	449
दादरा और नगर हवेली	1046	1125
गोवा	800	776
आंध्र प्रदेश	5142	24225
कर्नाटक	3039	16399
केरल	2618	5372
तमिलनाडु	5111	22247
पुदुचेरी	721	605
बिहार	2765	3839
झारखंड	726	1684
ओडिशा	1992	6486
पश्चिम बंगाल	1624	11302
सिक्किम	226	99
अरूणाचल प्रदेश	124	143
असम	1012	1535
मणिपुर	122	110
मेघालय	200	433
मिजोरम	80	92
नागालैंड	92	124
त्रिपुरा	92	254

विद्युत आवंटन संबंधी नीति

2170. प्रो. राम शंकर :
श्री एस. पक्कीरप्पा :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केंद्र द्वारा वित्त पोषित विद्युत उत्पादन परियोजनाओं से विभिन्न राज्यों को दी जाने वाली बिजली के हिस्से के आवंटन संबंधी नीति में परिवर्तन करने हेतु कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विभिन्न राज्यों ने बिजली आवंटन में बढ़ोतरी की मांग की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल) : (क) और (ख) जी, नहीं। यद्यपि भारत सरकार ने एनटीपीसी लिमिटेड की आगामी विद्युत परियोजनाओं और न्यूक्लीयर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की सभी परियोजनाओं से "गृह" राज्यों को विद्युत के 50 प्रतिशत आवंटन का अनुमोदन दे दिया था। इस मंत्रालय के दिनांक 17 जनवरी, 2011 के आदेश संलग्न विवरण में हैं।

विद्युत मंत्रालय ने बिहार को एनटीपीसी बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन (1320 मेगावाट) के चरण-II से विद्युत के 50 प्रतिशत आवंटन की सहमति दे दी है।

(ग) और (घ) जी, हां। निम्नलिखित राज्यों ने उनके सामने दर्शायी गई परियोजनाओं से विद्युत आवंटन में वृद्धि करने की मांग की है—

क्रम सं.	राज्य	परियोजना का नाम/क्षमता
1.	बिहार	बाढ़-I (3x660 मेगावाट), कहलगांव-II (1500 मेगावाट)
2.	उत्तर प्रदेश	एनसीटीपीएस दादरी चरण-I (4ग210 मेगावाट) एवं चरण-II (980 मेगावाट)
3.	हरियाणा	इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट (आईजीएसटीपीपी), झज्जर हरियाणा (1500 मेगावाट)
4.	असम	बोंगईगांव थर्मल पावर प्रोजेक्ट (750 मेगावाट)
5.	कर्नाटक	हिम्हाद्रि-II (500 मेगावाट)
6.	ओडिशा	कनिहा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट चरण-II (2000 मेगावाट)
7.	महाराष्ट्र	मौदा स्टेज-I (1000 मेगावाट)
8.	असम	इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट (आईजीएसटीपीपी), झज्जर हरियाणा (1500 मेगावाट)
9.	दादरा और नगर हवेली	मौदा चरण-II (2x660 मेगावाट)

विवरण

सं 5/12/2009-थर्मल-II
भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग
नई दिल्ली-110001
17.01.2011

सेवा में,

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
एनटीपीसी लिमिटेड
7, इंस्टीट्यूशनल एरिया

लोदी रोड, नई दिल्ली-110003

विषय : एनटीपीसी की शुरू की जा रही चौदह विद्युत परियोजनाओं से विद्युत का आवंटन।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार ने एनओपीसी की शुरू की जा रही निम्नलिखित विद्युत परियोजनाओं से 'गृह' राज्यों को 50 प्रतिशत विद्युत का आवंटन करने का अनुमोदन किया है-

क्रम सं.	केंद्र	क्षमता	'गृह' राज्य
1	2	3	4
1.	गदरवाड़ा	2640 मेगावाट	मध्य प्रदेश
2.	लारा	4000 मेगावाट	छत्तीसगढ़
3.	तलचर विस्तार	1320 मेगावाट	ओड़िशा
4.	कुडगी	4000 मेगावाट	कर्नाटक
5.	दारलीपल्ली	3200 मेगावाट	ओड़िशा

1	2	3	4
6.	गजमारा	3200 मेगावाट	ओड़िशा
7.	गिदरबाहा	2640 मेगावाट	पंजाब
8.	कटवा	1600 मेगावाट	पश्चिम बंगाल
9.	धुवरन	1980 मेगावाट	गुजरात
10.	खरगोन	1320 मेगावाट	मध्य प्रदेश
11.	पुडिमडका	4000 मेगावाट	आंध्र प्रदेश
12.	बिलहौड़	1320 मेगावाट	उत्तर प्रदेश
13.	कठुआ	500 मेगावाट	जम्मू और कश्मीर

2. यह भी कहना है कि एनटीपीसी की उपर्युक्त परियोजनाओं की स्थापित क्षमता से 15 प्रतिशत विद्युत, अनावंटित कोटे के रूप में बची रहेगी जो भारत सरकार के निर्णय पर निर्भर होगा। उपर्युक्त परियोजनाओं से शेष 35 प्रतिशत विद्युत, क्षेत्र विशेष के अन्य घटकों (गृह राज्य के अलावा) को पिछले पांच वर्षों के लिए समग्र रूप में क्षेत्र के संदर्भ में केंद्रीय योजना सहायता की प्रतिशतता और प्रत्येक राज्य द्वारा ऊर्जा खपत की प्रतिशतता को समान महत्व देते हुए (इस मंत्रालय के पत्र सं. 8/1/96-का. ज्ञा. दिनांक 27.04.2000 द्वारा यथा संशोधित) विद्युत के आवंटन पर दिशानिर्देशों के आधार पर आवंटित किया जाएगा।

3. भारत सरकार ने बरेठी विद्युत परियोजना (3960 मेगावाट) से मध्य प्रदेश को और उत्तर प्रदेश को क्रमश: 50 प्रतिशत और 35 प्रतिशत का आवंटन करने के प्रस्ताव का अनुमोदन भी कर दिया है, मध्य प्रदेश के बुंदलेखंड क्षेत्र में जिला छतरपुर में परियोजना स्थापित की जा रही है ताकि क्षेत्र में अवसंरचना का विकास किया जा सके। इस परियोजना की स्थापित क्षमता की 15 प्रतिशत विद्युत आवंटित कोटे के रूप में बची रहेगी जो भारत सरकार के निर्णय पर होगी।

4. चूंकि प्रत्येक परियोजनाओं से विद्युत का आवंटन अलग से किया जाएगा, यह विचार किया जाता है कि केंद्रीय सरकार के इस निर्णय से एनटीपीसी को परियोजनाओं को शीघ्र कार्यान्वित करने के लिए भूमि, जल, ईंधन, पर्यावरणीय स्वीकृतियों आदि जैसे आवश्यक आदानों को एक साथ जोड़ने का कार्य करने के लिए गृह राज्य सरकारों को सुविधा हो जाएगी। ''गृह'' राज्यों को भूमि, जल आदि शीघ्र उपलब्ध कराए जाने की आशा की जाती है। दिशा-निर्देश 2000 की अन्य सभी शर्तें लागू होंगी।

5. एनटीपीसी द्वारा उपर्युक्त सूची में दी गई परियोजनाओं पर कार्य सौंपने तथा आरंभ करने का कार्य 12-18 महीनों के अंदर पूरा कर लिया जाना चाहिए।

भवदीय

ह./-

(के.सी. शर्मा)

अवर सचिव, भारत सरकार

टेलिफैक्स 23719710

प्रति प्रेषित : सचिव (ऊर्जा)-मध्य प्रदेश/ छत्तीसगढ़/ ओडिशा/ कर्नाटक/पंजाब/पश्चिम बंगाल/गुजरात/आंध्र प्रदेश/उत्तर प्रदेश/ जम्मू और कश्मीर सरकार।

सूचनार्थ प्रति प्रेषित : 1) निदेशक (ओ एंड एम)
2) निदेशक (स्टेट थर्मल)

सं. 5/12/2009-थर्मल-II
भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग
नई दिल्ली-110001
17.1.2011

कार्यालय ज्ञापन

विषय : न्यूक्लीयर पावर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड की परियोजनाओं से विद्युत का आवंटन

अद्योहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार ने न्यूक्लीयर पावर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड की नई परियोजनाओं से 'गृह' राज्यों को इसके बाद से 50 प्रतिशत विद्युत के आवंटन को अनुमोदन प्रदान किया है।

2. आगे यह भी बताया जाता है कि न्यूक्लीयर पावर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड की परियोजनाओं की संस्थापित क्षमता से 15 प्रतिशत विद्युत अनावंटित कोटे के रूप में बची रहेगी जो भारत सरकार के निर्णय पर निर्भर होगी। उपरोक्त परियोजनाओं से 3565 प्रतिशत विद्युत के आवंटन संबंधी वर्तमान दिशानिर्देशों अर्थात पूर्ववर्ती 5 वर्षों के लिए संपूर्ण क्षेत्र के संदर्भ में केंद्रीय योजना सहायता के प्रतिशत तथा प्रत्येक राज्य ऊर्जा उपभोग के प्रतिशत के समान महत्व देने के आधार पर विशेष क्षेत्र के अन्य संघटकों ("गृह" राज्य को छोड़कर) को आबंटित की जाएगी।

3. प्रत्येक परियोजनाओं से विद्युत का आवंटन उपयुक्त समय तथा उनपीसीआईएल से प्रस्ताव प्राप्त करने के पश्चात परियोजनाओं के कार्यान्वयन की स्थिति को ध्यान में रखते हुए अलग से किया जाएगा। "गृह" राज्यों से भूमि, जल, स्वीकृतियां आदि शीघ्रता से उपलब्ध कराए जाने की संभावना है।

ह./-

(के.सी. शर्मा)

अवर सचिव, भारत सरकार

टेलीफैक्स 23719710

सचिव (परमाणु ऊर्जा विभाग)
अनुशक्ति भवन, सीएसएम मार्ग,
मुंबई-400001

एनआरएचएम के तहत स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं

2171. डॉ. मुरली मनोहर जोशी :
श्री कुंवरजीभाई मोहनभाई बावलिया :
डॉ. पद्मसिंह बाजीराव पाटील :
श्री अर्जुन राय :
श्रीमती श्रुति चौधरी :
श्री एन. चेलुवरया स्वामी :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में डॉक्टरों तथा पैरा-मेडिकल स्टाफ की अनुपलब्धता के कारण दूरदराज और दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) के तहत योजनाओं/कार्यक्रमों के उपयुक्त कार्यान्वयन हेतु डाक्टरों और पैरा-मेडिकल स्टाफ की अनुमानित कमी का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ग्रामीण स्वास्थ्य देखभाल अवसंरचना का धीमी गति से विकास हो रहा है और उच्चतम न्यायालय ने ग्रामीण स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों के कार्यकरण पर चिंता जताई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश के ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में एक समयबद्ध रूप में स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं/अवसंरचना में सुधार करने के लिए विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु सरकार ने क्या उपाय किए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदीप बंद्योपाध्याय) : (क) ग्रामीण क्षेत्रों में एलोपैथिक चिकित्सकों और विशेषज्ञों की कमी दूर-दराज और पहुंचबाह्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य परिचर्या की व्यवस्था को प्रभावित करती है।

(ख) भारत में ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी, 2011 के अनुसार देश भर के उपकेंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में कार्मिकों के रिक्त पदों की स्थिति निम्नलिखित है:-

क्र. सं.	पद का नाम	स्वास्थ्य केंद्र का नाम	स्वीकृत	रिक्त
1	2	3	4	5
1	चिकित्सक	पीएचसी	30051	7246
2	विशेषज्ञ	सीएचसी	9831	3880
3	चिकित्सक	सीएचसी	12631	
4	स्वास्थ्य सहायक (महिला)/एलएचवी	पीएचसी	23182	7870
5	फार्मासिस्ट	पीएचसी एवं सीएचसी	24460	4775
6	लैब तकनीशियन	पीएचसी एवं सीएचसी	16153	3525

1	2	3	4	5
7.	नर्सिंग स्टाफ	पीएचसी एवं सीएचसी	63325	13217
8.	स्वास्थ्य कर्मचारी (महिला)/सहायक नर्स धात्री	उप-केंद्र एव पीएचसी	177103	8835
9.	रेडियोग्राफर	सीएचसी	2806	957
10.	स्वास्थ्य कर्मी (पुरुष)	उप-केंद्र	83241	35123

(ग) और (घ) हाल ही के समय में भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय का ऐसा कोई निष्कर्ष स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के ध्यान में नहीं आया है। जनस्वास्थ्य राज्य का एक विषय है। राज्यों द्वारा अपनी वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं में प्रस्तावित आवश्यकताओं पर आधारित स्वास्थ्य प्रणाली के सुदृढ़ीकरण के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। अनुमोदित योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी संबंधित राज्य/जिला स्वास्थ्य सोसाइटियों द्वारा की जाती है। अनुमोदित कार्यकलापों की भौतिक और वित्तीय प्रगति पर तिमाही रिपोर्टों के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर समीक्षा की जाती है।

[अनुवाद]

एनआरएचएम के तहत वित्त पोषण

2172. श्री आनंदराव अडसुल :
श्री जगदम्बिका पाल :
श्री धर्मेन्द्र यादव :
श्री गजानन ध. बाबर :
श्री अधलराव पाटील शिवाजी :
श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उन राज्यों के लिए जो डाक्टरों, नर्सों और अन्य पैरा-मेडिकल स्टाफ इत्यादि की तैनाती नहीं कर पाते और अन्य स्वास्थ्य इंडैक्स/मानदंडों को पूरा नहीं कर पाते, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) के तहत निधियों के आवंटन में कमी करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का एनआरएचएम के तहत अच्छा कार्य करने वाले राज्यों के लिए कोई प्रोत्साहन योजना शुरू करने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा एनआरएचएम के तीव्र और परिणामोन्मुखी कार्यान्वयन हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदीप बंदोपाध्याय) : (क) और (ख) जी हां। एनआरएचएम का सकल सरकारी परिव्यय उन राज्यों में 7.5 प्रतिशत तक कम किया जा सकता है जहां तार्किक रूप से उच्च ध्यान केन्द्रित जिलों और प्रदायगी स्थलों पर मानव संसाधनों जैसे कि डॉक्टर, नर्स पैरा मेडिकल कर्मचारियों की तैनाती को उच्च वरियता देने में असफल रहते हैं।

(ग) और (घ) एनआरएचएम के तहत राज्यों को नीचे दिए गए विवरण के अनुसार पारदर्शिता, प्रतिक्रियामकता, गुणवत्ता आश्वासन, अंतर-क्षेत्रीय अभिसारिता, सिविल पंजीकरण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण, जन स्वास्थ्य संवर्ग आदि का सृजन जैस स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु नकद प्रोत्साहन निर्धारित किए गए हैं:

क्र.सं.	प्रोत्साहन की प्रतिशतता	प्रतिमानक
1	2	3
1.	एनआरएचएम के तहत सकल परिव्यय के 8 प्रतिशत तक	प्रतिक्रियात्मकता, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व

1	2	3
2.	एनआरएचएम के तहत सकल परिव्यय के 3 प्रतिशत तक	गुणवत्ता आश्वासन
3.	एनआरएचएम के तहत सकल परिव्यय के 3 प्रतिशत तक	अंतर-क्षेत्रीय अभिसारिता
4.	एनआरएचएम के तहत सकल परिव्यय के 2 प्रतिशत तक	जन्म और मृत्यु के सिविल पंजीकरण के सुदृढ़ीकरण सहित महत्वपूर्ण घटनाओं की रिकॉर्डिंग
5.	एनआरएचएम के तहत सकल परिव्यय के 10 प्रतिशत तक	जन स्वास्थ्य संवर्ग का सृजन
6.	एनआरएचएम के तहत सकल परिव्यय के 5 प्रतिशत तक	जन स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों में सभी व्यक्तियों को नि:शुल्क जेनरिक दवाएं प्रदान करने के लिए नीति और प्रणालियां

(ङ) एनआरएचएम के तहत प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए आईएमआर, एमएमआर, टीएफआर आदि जैसे निष्कर्ष/प्रभाव संकेतकों के लिए राज्य विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। इनकी सामान्य समीक्षा मिशन (सीआरएम), एकीकृत मॉनीटरिंग टीम दौरों, क्षेत्रीय मूल्यांकन दल (आरईटी) आदि तंत्र के माध्यम से मॉनीटरिंग की जा रही है। इसके अतिरिक्त साक्ष्य आधारित कार्यकलापों जैसे कि गृह आधारित नवजात परिचर्या (एचबीएनसी), जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (जेएसएसके), सुविधा आधारित नवजात परिचर्या (एफबीएनसी) आदि को त्वरित और परिणामभिमुखी कार्यान्वयन प्राप्त करने के लिए एनआरएचएम के तहत प्रोत्साहित किए जाते हैं।

[हिन्दी]

खनिज संबंधी छूट देना

2173. **डॉ. संजय सिंह : क्या खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न खनिजों के मामले में खनिज छूट देने की प्रक्रिया क्या है;

(ख) उक्त छूट हेतु अग्रिम अनुमति किस आधार पर दी जाती है;

(ग) क्या इस बारे में अनियमितताओं की कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस बारे में क्या कोई कार्रवाई की गई है/ की जानी है?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) और (ख) राज्य सरकार द्वारा संस्तुत खनिज रियायत प्रस्तावों को खान मंत्रालय द्वारा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम (एमएमडीआर अधिनियम), 1957, खनिज रियायत नियम, 1960 एवं खनिज संरक्षण एवं विकास नियम, 1988 के प्रावधानों के आलोक में तथा जहां जरूरी है, राज्य सरकार तथा विशिष्ट एजेंसी यथा भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, भारतीय खान ब्यूरो, परमाणु ऊर्जा विभाग से परामर्श करके जांच की जाती है और सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से केंद्रीय सरकार का पूर्व अनुमोदन संसूचित किया जाता है।

(ग) से (ङ) मंत्रालय में उपलब्ध सूचना के अनुसार अनियमितता का कोई उदाहरण प्रकाश में नहीं आया है। उच्च न्यायालय में निवारण के अलावा, एमएमडीआर अधिनियम, 1957 की धारा 30 में प्रावधान है कि राज्य सरकार या अधिनियम के तहत प्राधिकृत किसी अन्य प्राधिकारी के किसी आदेश से असंतुष्ट व्यक्ति ऐसे आदेशों के संशोधन के लिए केंद्रीय सरकार के पास जा सकता है।

डेंटल कालेजों में अनियमितताएं

2174. **श्री अवतार सिंह भडाना :**

श्री राजेन्द्र अग्रवाल :

डॉ. शशी थरूर :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितने डेंटल कालेज हैं और सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए क्या मानदंड/सुरक्षा उपाय नियत किए हैं ताकि डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया (डीसीआई) से अनुमति लेकर केवल गुणवत्ता वाले डेंटल कालेज ही पाठ्यक्रम शुरू कर सकें;

(ख) क्या देश में कतिपय डेंटल कालेजों द्वारा अनियमितताओं, कदाचारों और अपेक्षित मानदंडों के अनुपालन न करने/पूरा न करने की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष में राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ऐसे कितने कालेजों का पता चला है और सरकार द्वारा चूककर्ता डेंटल कालेजों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की है/करने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या शिक्षा सत्र 2012-13 के लिए डेंटल कालेजों में अतिरिक्त स्नातकोत्तर सीटों के लिए अनुमति देने के मामले में कोई अनियमितता सामने आई है जबकि गत शिक्षा सत्र में प्रोफेसरों की कमी का कारण बताते हुए स्नातकोत्तर हेतु कम सीटें स्वीकृत की गई थीं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस मामले में डीसीआई के दोषी पाए गए अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्रवाई की गई है/करने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) वर्तमान में वार्षिक स्तर पर 24570 बी डी एस दाखिलों और 4585 एम डी एस दाखिलों के साथ देश में 297 डेंटल कॉलेज हैं। बी डी एस और एम डी एस सीटों को दर्शाने वाली राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार सूची संलग्न विवरण-I पर दी गई है। केंद्र सरकार चिकित्सक अधिनियम, 1948 और इसके अंतर्गत बनाए गए डी सी आई विनियमों में दी गई अर्हताओं मानदंडों के अनुसार देश में नए कोर्स शुरू करने की अनुमति प्रदान करती है।

(ख) और (ग) जी, हां। गलती करने वाले डेंटल कॉलेजों को या तो नवीकरण की स्वीकृति मना कर दी जाती है अथवा दाखिले की क्षमता को कम कर दिया जाता है जब तक कि कमियां सुधारी नहीं जाती हैं। उन डेंटल कॉलेजों की संख्या का ब्यौरा जिन्हें बी डी एस और एम डी एस कोर्स से संबंधित नवीकरण की स्वीकृति नहीं दी गई थी, संलग्न विवरण-II पर दिया गया है।

(घ) और (ङ) शैक्षणिक वर्ष 2012-13 के लिए डेंटल कॉलेजों में अतिरिक्त स्नातकोत्तर सीटों के अनुमोदन की अनुमति में कोई विशेष अनियमितता संज्ञान में नहीं आई है। तथापि, इस संबंध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं। केंद्र सरकार भारतीय दंत परिषद, संबंधित स्थानों की टिप्पणियों को प्राप्त करने के बाद में चिकित्सक अधिनियम 1948 में उपलब्ध प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई करती है और यदि आवश्यक हुआ तो अध्यापन संकाय, उपकरणों, हॉस्टलों, क्लीनिकल सामग्री इत्यादि के संदर्भ में मौजूदा अवसंरचना की वास्तविक जांच पड़ताल करती है।

विवरण-I

बीडीएस व एमडीएस कोर्स में वार्षिक दाखिला क्षमता के साथ देश में डेंटल कॉलेज की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार सूची

क्र.सं.	राज्य	डेंटल कालेजों की संख्या	बीडीएस सीटों की संख्या	एमडीएस सीटों की संख्या
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	21	1830	439
2.	असम	1	40	10

1	2	3	4	5
3.	बिहार	7	380	34
4.	चंडीगढ़	1	100	4
5.	छत्तीसगढ़	6	600	74
6.	दमन और दीव	1	100	-
7.	दिल्ली	3	140	27
8.	गोवा	1	40	15
9.	गुजरात	13	1240	189
10.	हरियाणा	11	960	211
11.	हिमाचल प्रदेश	5	340	68
12.	जम्मू और कश्मीर	3	200	12
13.	झारखंड	3	300	-
14.	कर्नाटक	45	3190	1077
15.	केरल	23	1410	160
16.	मध्य प्रदेश	15	1360	183
17.	महाराष्ट्र	35	3020	663
18.	ओडिशा	5	410	6
19.	पुदुचेरी	3	240	39
20.	पंजाब	16	1330	103
21.	राजस्थान	14	1300	235
22.	तमिलनाडु	29	2710	423
23.	उत्तर प्रदेश	28	2630	556
24.	उत्तराखंड	2	200	12

1	2	3	4	5
25.	पश्चिम बंगाल	5	450	45
26.	मणिपुर	1	50	-
	कुल	297	24570	4585

विवरण-II

स्वीकृति को नवीनीकरण न करके विगत तीन वर्षों के दौरान निर्दिष्ट मानकों को पूरा न करने वाले दोषी डेंटल कालेजों के विरूद्ध सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य	2010-11		2011-12		2012-13	
		बीडीएस	एमडीएस	बीडीएस	एमडीएस	बीडीएस	एमडीएस
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	-	01	-	-	-	-
2.	बिहार	02	-	02	-	01	-
3.	छत्तीसगढ़	-	-	-	01	-	-
4.	दिल्ली	01	-	-	-	-	-
5.	गुजरात	01	-	01	-	-	-
6.	हरियाणा	-	01	-	-	-	-
7.	हिमाचल प्रदेश	-	-	-	01	-	-
8.	जम्मू और कश्मीर	01	-	-	-	-	-
9.	कर्नाटक	01	02	-	02	-	-
10.	केरल	-	-	-	-	-	02
11.	मध्य प्रदेश	01	-	-	-	-	-
12.	महाराष्ट्र	02	03	02	02	-	-
13.	ओडिशा	02	-	01	-	-	-
14.	पुदुचेरी	-	01	-	01	-	01

1	2	3	4	5	6	7	8
15.	पंजाब	02	-	-	-	-	-
16.	राजस्थान	01	-	-	-	01	-
17.	तमिलनाडु	-	01	01	-	-	-
18.	उत्तर प्रदेश	05	03	-	01	-	03
19.	उत्तराखंड	01	-	-	-	-	-
20.	पश्चिम बंगाल	-	-	-	-	01	-

•विगत तीन वर्षों के दौरान, डीसीआई मानकों के अनुसार सुविधाओं को पूरा न करने के कारण 05 डेंटल कॉलेजों को बंद कर दिया गया है।

[अनुवाद]

एयर इंडिया में नियुक्तियां

2175. डॉ. प्रसन्न कुमार पाटसाणी :
श्री हुक्मदेव नारायण यादव :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष में एअर इंडिया और इसकी अनुषंगी कंपनियों के कर्मचारियों द्वारा अपने बच्चों को इनमें रोजगार दिलाने के लिए तिकड़मबाजी की घटनाएं सरकार के ध्यान में आई हैं/लाई गई हैं;

(ख) यदि हां, तो कंपनी-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का एअर इंडिया और इसकी सहयोगी कंपनियों में नियुक्तियों की जांच हेतु एक पैनल का गठन करने और इसे अधिक पारदर्शी बनाने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में ऐसे अधिकारियों/उनके बच्चों/लाभार्थियों के विरुद्ध क्या दंडात्मक कार्रवाई करने सहित क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है;

(ङ) एअर इंडिया और इसकी सहायक कंपनियों पर सरकारी तथा गैर सरकारी ऋण का अलग-अलग ब्यौरा क्या है; और

(च) आज तक इन्हें कुल कितनी हानि हुई है तथा फिलहाल मासिक कितनी हानि हो रही है और कुप्रबंधन के कारण कितने समय तथा रूटों की हानि हुई है?

नागर विमानन मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। एअर इंडिया और एअर इंडिया एक्सप्रेस में एक पायलट की अनियमित नियुक्ति का एक मामला एअर इंडिया के सतर्कता विभाग के ध्यान में लाया गया था और दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जा चुकी है। पायलट की सेवाएं पहले ही बर्खास्त की जा चुकी हैं।

(ग) और (घ) जी नहीं। यह एक अकेला मामला है और नियम-भंग की ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए एअर इंडिया के सेवा विनियमों में प्रावधान पहले से मौजूद हैं।

(ङ) दिनांक 31.07.2012 को एअर इंडिया और इसकी अनुषंगी कंपनियों द्वारा लिए गए ऋणों का ब्यौरा इस प्रकार है;

एअर इंडिया	सार्वजनिक क्षेत्र	निजी क्षेत्र (करोड़ रुपए)
कार्यशील पूंजी ऋण	23,400	1,530
विमान वित्तपोषण ऋण	143	22,153
एअर इंडिया एक्सप्रेस		
कार्यशील पूंजी ऋण	2,400	शून्य
विमान वित्तपोषण ऋण	शून्य	2,483

(च) वित्त वर्ष 2011-12, अर्थात दिनांक 31.3.2012 तक के दौरान एअर इंडिया को हुआ अनंतिम घाटा लगभग 7853.94 करोड़ रुपए है और 01.04.2007 से 31.03.2012 तक एअर इंडिया को हुआ संचयी घाटा लगभग 28,000 करोड़ रुपए है।

[हिन्दी]

पत्रकारों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना

2176. श्री तूफानी सरोज : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पत्रकारों और उनके आश्रितों के लिए केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के तहत स्वास्थ्य बीमा योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक लागू किए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसमें देरी के क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (ग) से मंत्रालय के विचाराधीन ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी

2177. श्री एस. सेम्मलई : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बात का संज्ञान लिया है कि कुछ राज्यों में जातीय और लिंग संबंधी दुराग्रहों के कारण पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) में दलित और महिला प्रधान स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर पा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस बारे में क्या कार्रवाई की गई है/करने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या सरकार का वाइस-प्रेसिडेंट का पद दलितों के लिए आरक्षित करने हेतु कोई कानून बनाने अथवा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह देने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री वी. किशोर चन्द्र देव) : (क) और (ख) पंचायती राज संस्थाओं में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों पर एक अध्ययन इस मंत्रालय द्वारा कराया गया तथा जिसे अप्रैल, 2008 में प्रकाशित किया गया, इस अध्ययन से यह निष्कर्ष निकला कि पंचायतों में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी से उनका सशक्तिकरण हुआ है एवं उनके आत्मविश्वास में वृद्धि हुई है। पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर) राज्यों को निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों को प्रभावी रूप से सक्षम बनाने हेतु क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण के लिए सहायता प्रदान करता है। पंचायती राज मंत्रालय ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को लिखा है कि पंचायतों के अधिकारी/सचिव, जो पदेन निर्वाचित प्रतिनिधियों के स्थान पर पंचायत की बैठकों में उनके संबंधियों को भाग लेने की अनुमति देते हैं, के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जानी चाहिए।

(ग) और (घ) संविधान में पंचायतों में सीटों तथा अध्यक्ष पदों पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है। पंचायतों के संबंध में विशिष्ट विधानों को लागू करना राज्यों का काम है। संघ सरकार के पास पंचायतों के उपाध्यक्ष के पदों के आरक्षण के लिए किसी भी प्रकार का कानून बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

आईबीएम द्वारा पर्यावरण आकलन अध्ययन

2178. श्री ए.टी. नाना पाटील : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खान ब्यूरो (आईबीएम) ने पर्यावरण आकलन अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो आईबीएम द्वारा गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान किए गए क्षेत्र-वार अध्ययन का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पर्यावरण मानदंडों पर चिंता का ब्यौरा क्या है; और

(घ) आईबीएम ने अभी तक इस बारे में दोषी पक्षों/व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की है?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) से (घ) उपलब्ध सूचना के अनुसार भारतीय खान ब्यूरो ने गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान कोई पर्यावरण मूल्यांकन

अध्ययन का कार्य नहीं किया है। तथापि, आईबीएम खनिज संरक्षण एवं विकास नियम, 1988 के कार्यान्वयन के लिए खानों की सामान्य जांच के दौरान पर्यावरण की सुरक्षा, टॉप मृदा हटाना एवं उपयोग, अयस्क भारित अपविष्ट चट्टानों का भंडारण, भूमि सुधार और पुनर्वास, भू-कंपन के पूर्वोपाय, पृष्ठीय अवतलन का नियंत्रण, वायु प्रदूषण के पूर्वोपाय, विषैले द्रव का निस्राव, अनुमत्य सीमा एवं मानक में ध्वनि प्रदूषण के लिए पूर्वोपाय, वनस्पति की पुन:स्थापन इत्यादि जैसे पैमाने के साथ-साथ खनन क्षेत्रों की पर्यावरणीय पहलुओं की निगरानी करता है। किसी प्रकार के अनुपालन न होने या उल्लंघन की जानकारी संबंधित खनन पट्टेधारकों को दी जाती है। जांच के दौरान पाए गए पर्यावरण से संबंधित उल्लंघनों और गत तीन वर्षों के दौरान की गई कार्रवाई का विवरण निम्नलिखित है:

वर्ष	उल्लंघन होने वाले नियमों की संख्या		नियमों की संख्या जहां		प्रारंभ किए गए पूर्वोपाय मामले
	जानकारी दी गई	अनुपालन	जारी किए गए कारण बताओ नोटिस	अनुपालन किए कारण बताओ नोटिस	
2009-10	40	29	15	2	3
2010-11	79	28	29	20	0
2011-12	85	24	20	7	2

बच्चों के जन्म का पंजीकरण

2179. **श्री मनीष तिवारी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल शिक्षा निधि (यूनीसेफ) की विश्व रिपोर्ट 2012 का संज्ञान लिया है जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि भारत में प्रतिवर्ष जन्मे 26.2 मिलियन बच्चों में से 7.6 मिलियन से अधिक बच्चों का पंजीकरण ही नहीं होता;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार ने देश में जन्म पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए क्या कदम उठाए हैं;

(घ) क्या सरकार ने जनता को बच्चों के जन्म के पंजीकरण के बारे में शिक्षित करने के लिए कोई जागरूकता अभियान चलाया है;

(ङ) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों का शहरी और ग्रामीण क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या सरकार आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ताओं जैसे फ्रंट लाइन के लोगों की जिम्मेदारी नियत करते हुए जन्म का 100 प्रतिशत पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए पोलियो की तर्ज पर घर-घर जाकर एक अभियान शुरू करने का भी प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) यूनिसेट रिपोर्ट- 'द स्टेट ऑफ द वर्ल्डस चिल्ड्रेन 2012' के अनुसार 2010 में जीवित जन्मों की वार्षिक अनुमानित संख्या लगभग 27.12 मिलियन थी, जिनमें से 41 प्रतिशत पंजीकृत थी। तथापि, भारत के महापंजीयक के कार्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार वर्ष 2007 के दौरान कुल 26.2 मिलियन अनुमानित जन्मों में से 6.7 मिलियन जन्मे अपंजीकृत थे। 2009 में भारत में जन्मों का पंजीकरण स्तर 74.5 प्रतिशत था जो 2009 में बढ़कर 79.7 प्रतिशत हो गया था।

(ग) से (ङ) भारत के महापंजीयक के कार्यालय द्वारा विभिन्न प्रिंट एवं इलेक्ट्रोनिक मीडिया जैसे दूरदर्शन, निजी टैलिविज़न चैनलों, ऑल इंडिया रेडियों के माध्यम से जन्मों तथा मृत्यु के पंजीकरण की आवश्यकता एवं महत्व को लेकर तीव्र प्रचार अभियान, स्टॉफ के प्रशिक्षण, स्टॉफ एवं कंप्यूटर के संदर्भ में अवसंरचना सहायता;

सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों/प्रारंभिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा अन्य चिकित्सा संस्थानों में पंजीकरण केन्द्रों को खोलने के लिए राज्यों/संघ राज्यों को दिशा-निर्देश अंतर विभागीय तथा जिला स्तर समन्वय समितियों आदि की नियमित आयोजित बैठकों आदि सहित पंजीकरण की प्रणाली को सुधारने हेतु प्रयास किए गए हैं। जन्म पंजीकरण के महत्व के बारे में जागरूकता का प्रसार करने के लिए देश के दोनों ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में, विभिन्न उपर्लिलखित प्रचार उपायों को किया गया है। वर्ष 2009-10, 2010-11 तथा 2011-12 के दौरान भारत के महापंजीयक के कार्यालय द्वारा इस प्रकार के उपायों पर या किया गया व्यय क्रमशः 9.80 करोड़ रुपए, 11.63 करोड़ रुपए तथा 17.04 करोड़ रुपए था।

(च) कुछ राज्यों में, सहायक नर्स धात्रियों तथा आंगनवाड़ी **कार्यकर्त्ताओं** को उप पंजीयक **नामांकित किया** गया है। ज्यादातर **राज्यों** में, जन्म एवं मृत्यु संबद्ध पंजीयक के अपने क्षेत्राधिकार **में** घटनाओं को सूचित करने के लिए जिम्मेदार है, उन कर्मचारियों **को** नोटिफायर के रूप में घोषित किया गया है।

नर्सिंग स्टाफ की मांग

2180. **श्री के. सुधाकरण :**
श्री वैजयंत पांडा :
श्री जोस के. मणि :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा **करेंगे** कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दमनकारी कार्य स्थितियों के **कारण** एनसीआर और अन्य महानगरों में अनेक मल्टी-स्पैसियलिटी **अस्पतालों** में नर्सिंग स्टाफ द्वारा बड़े पैमाने पर आंदोलन करने की **तरफ** गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बांड सिस्टम के तहत नियोजित नर्सिंग स्टाफ को **एक** सांपारिर्वक सिक्युरिटी के रूप में अस्पताल के प्रबंधन के पास **अपने** शैक्षित दस्तावेज मजबूरन जमा कराने होते हैं और जब वे **अमानवीय** कार्य स्थितियों में नौकरी छोड़ने का निर्णय लेते हैं, तो **वे मुश्किल** में पड़ जाते हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या न्यायपालिका ने यह निर्णय दिया है कि **संबंधित** अधिकारियों को इस प्रकार के दमनकारी **व्यवहार के लिए अस्पताल प्रबंधन** के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करनी चाहिए; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार ने इस मामले में न्यायालय के निदेश लागू करने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ङ) स्वास्थ्य चूंकि राज्य का **विषय है,** नर्सिंग स्टाफ की कार्य स्थितियों से संबंधित मामले उन राज्य **सरकारों** के क्षेत्राधिकार में आता है जहां अस्पताल स्थित हैं। हाल **के महीनों** में राज्य सरकार द्वारा ऐसी कोई घटना सूचित नहीं की गई **है,** तथापि, माननीय उच्चतम न्यायलय में पी.आई.एल एक लिखित याचिका सिवित संख्या 430/2011 में हुई बहस और संसद में उठाए गए मुद्दे के आधार पर दिनांक 7 जुलाई, 2010 और 24 फरवरी, 2012 के पत्रों के जरिए निजी क्षेत्रों में कार्य कर **रही** उन नर्सों सहित नर्सों के सेवा स्थितियों में सुधार किए गए **एक** व्यापक कानून लागू करने के लिए आवश्यक उपाय किए **जाने** के लिए सभी राज्य सरकारों को निर्देश जारी किए गए **हैं।**

इसके अलावा, भारतीय नर्सिंग परिषद ने पहले की हैं **और** सभी राज्य सरकारों को दिनांक 23 सितम्बर, 2011 को **एक** परिपत्र यह उल्लेख करते हुए जारी किया है कि यदि ऐसा **पाया** जाता है कि छात्रों से सेवा बांड अनैतिक तरीके से प्राप्त **की** गई है/छात्रों के मूल प्रमाण-पत्र जबरन जमा करा लिए गए **हैं** तो ऐसी गलती करने वाले संस्थानों के विरुद्ध दांडिक **कार्रवाई** की जाएगी।

कोयले का आयात

2181. **श्री एन. चेलुवरया स्वामी :** क्या **विद्युत मंत्री यह** बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन देशों के नाम क्या हैं जिनसे देश में स्थित **स्टेशनों** के लिए कोयला आयात किया जा रहा है;

(ख) **उक्त** कोयला कितनी मात्रा तथा किस दर पर **आयात** किया जा **रहा** है;

(ग) क्या निर्यातक देशों ने अपने कोयले का मूल्य **बढ़ा** दिया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप प्रति यूनिट **बिजली** उत्पादन लागत पर इसका क्या प्रभाव पड़ने की संभावना **है?**

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल) : (क) सीईए के पास उपलब्ध सूचना के **अनुसार पावर यूटिलिटियों**

द्वारा कोयले का आयात मुख्यत: इंडोनेशिया एवं दक्षिण अफ्रीका से किया जा रहा है।

(ख) और (ग) आयातित कोयले की कीमत कोयले के वर्गीकरण, उसकी उत्पत्ति के देश एवं साप्ताहिक आधार पर विभिन्नताओं पर निर्भर करती है। वर्ष 2011-2012 के दौरान पावर यूटिलिटियों द्वारा 45.2 मिलियन टन (एमटी) कोयले का आयात किया गया।

अर्गस कोयला रिपोर्ट में उपलब्ध सूचना के अनुसार, पिछले 12 माह के दौरान इंडोनेशियाई कोयले की प्राप्ति के अनुसार 5000 जीसीवी की कीमत में अंतर का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) घरेलू कोयले में आयातित कोयले के 10% मिश्रण से, आयातित कोयले की लागत में प्रत्येक 10 डॉलर/टन की वृद्धि होने पर विद्युत उत्पादन की लागत में 3 से 4 पैसा यूनिट की वृद्धि होती है।

विवरण

5000 जीएआर कोयला के लिए कीमत (आईसीआई-3)
(स्रोत: अर्गस कोयला रिपोर्ट)

दिनांक	एफओबी ($)
1	2
09.08.2011	66.75
16.08.2011	65.45
23.08.2011	65.07
30.08.2011	65.25
06.09.2011	65.04
13.09.2011	65.06
20.09.2011	65.44
27.09.2011	65.44
04.10.2011	65.63
11.10.2011	66.62
18.10.2011	69.42
25.10.2011	69.43
01.11.2011	68.42
08.11.2011	71.63
15.11.2011	72.42
22.11.2011	75.17
29.11.2011	76.43
06.12.2011	77.29
13.12.2011	76.10
20.12.2011	77.17
27.12.2011	80.37
03.01.2012	76.00
09.01.2012	75.00
16.01.2012	74.85
23.01.2012	73.35
30.01.2012	74.51
06.02.2012	74.44
13.02.2012	74.41
20.02.2012	72.65
27.02.2012	72.24
05.03.2012	71.20
12.03.2012	70.85

1	2
19.03.2012	71.44
26.03.2012	71.50
02.04.2012	71.20
16.04.2012	72.46
23.04.2012	72.30
30.04.2012	71.55
07.05.2012	71.44
14.05.2012	70.14
21.05.2012	69.73
28.05.2012	66.98
04.06.2012	64.33
11.06.2012	63.45
18.06.2012	62.38
25.06.2012	60.45
02.07.2012	59.58
09.07.2012	59.27
16.07.2012	58.44
23.07.2012	55.18
30.07.2012	56.85
06.08.2012	55.69
13.08.2012	56.06

नेपाल के राजदूत

2182. श्री जगदम्बिका पाल : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में नेपाल के राजदूत का पद काफी लंबे समय से रिक्त है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों पर इतना उच्च राजनयिक पर रिक्त रहने के क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर) : (क) से (ग) भारत में नेपाल के राजदूत का पद अगस्त, 2011 से ही रिक्त पड़ा है। नई दिल्ली में नेपाली दूतावास में कोई राजदूत न होने की स्थिति में प्रभारी राजदूत इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। दोनों देशों ने अपने घनिष्ठ एवं मैत्रीपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने के लिए साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया है। पिछले एक वर्ष के दौरान नेपाल के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा और कई द्विपक्षीय संस्थागत तंत्रों की बैठकें आयोजित की गयीं, जिससे नेपाल के साथ हमारे द्विपक्षीय सहयोग और मजबूत हुए।

[हिन्दी]

जनजातीय और पिछड़े क्षेत्रों में विद्युत की कमी

2183. श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सहित देश के विशेष रूप से जनजातीय और पिछड़े क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति कम कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इसके क्या कारण हैं;

(ग) महाराष्ट्र सहित देश के पिछड़े तथा जनजातीय क्षेत्रों में बिजली की कमी को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) महाराष्ट्र सहित अन्य राज्य, आज की तारीख अनुसार, अपने संसाधनों से कितनी बिजली पैदा कर रहे हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. सी. वेणुगोपाल) : (क) और (ख) राज्यों के विभिन्न क्षेत्रों की आपूर्ति की केंद्रीय रूप से निगरानी नहीं की जाती है। विद्युत समवर्ती सूची का विषय है। आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों सहित उपभोक्ताओं की विभिन्न

श्रेणियों और राज्य के भीतर विभिन्न क्षेत्रों को विद्युत की आपूर्ति का दायितव उपर्युक्त राज्य सरकार/विद्युत यूटिलिटियों का होता है। इसके अतिरिक्त, आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों में बिजली की कमी सामान्यतया उप पारेषण एवं वितरण नेटवर्क और/या उनकी स्थिति की अपर्याप्तता के कारण होती है।

(ग) देश में विद्युत की समग्र कमी, मुख्यत: विद्युत की उपलब्धता में वृद्धि से अधिक मांग में वृद्धि के कारण होती है। देश में विद्युत की स्थिति को सुधारने के लिए उठाए गए मुख्य कदमों में ताप उत्पादन का डिलाइसेंसिंग, अल्ट्रा मेगा पावर परियोजनाओं (यूएमपीपी) की शुरूआत, निवेशकों के अनुकूल जल विद्युत नीति, 2008 विद्युत संयंत्र उपकरण की घरेलू उत्पादन क्षमता की वृद्धि हेतु पहले, सुपरक्रिटिकल तकनीकी अपनाना, मेगा पावर पालिसी का उदारीकरण, कुशल और प्रशिक्षित जनशक्ति की उपलब्धता को बढ़ाना आदि शामिल है। भारत सरकार केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के माध्यम से केंद्रीय क्षेत्र में विद्युत संयंत्रों की स्थापना द्वारा राज्य सरकारों को बढ़ावा देती है।

(घ) अप्रैल-जुलाई, 2012 के दौरान स्रोतवार विद्युत उत्पादन का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है ।

विवरण

राज्य-वार (राज्य क्षेत्र-निजी क्षेत्र) वास्तविक विद्युत उत्पादन

क्षेत्र	राज्य	क्षेत्र	स्रोत	2012-13 (जुलाई 12 तक) वास्तविक उत्पादन (सी.यू.)
1	2	3	4	5
उ. क्षे.	दिल्ली	राज्य	थर्मल	2,120
		कुल राज्य		2,120
		निजी	थर्मल	81
		कुल निजी		81
	कुल दिल्ली			2,201
	हरियाणा	राज्य	थर्मल	4,991
		कुल राज्य		4,991
		निजी	थर्मल	460
	कुल हरियाणा			5,451
	हिमाचल प्रदेश	राज्य	हाइड्रो	549
		कुल राज्य	549	
		निजी	हाइड्रो	3,369
		कुल निजी		3,369
		पीवीटी यूटिलिटी	हाइड्रो	68
		कुल पीवीटी यूटिलिटी		68
	कुल हिमाचल प्रदेश			**3,986**

1	2	3	4	5
	जम्मू और कश्मीर	राज्य	हाइड्रो	1,691
			थर्मल	2
		कुल राज्य		1,693
	कुल जम्मू और कश्मीर			1,693
	पंजाब	राज्य	हाइड्रो	1,484
			थर्मल	6,360
		कुल राज्य		7,844
	कुल पंजाब			7,844
	राजस्थान	राज्य	हाइड्रो	13
			थर्मल	8,109
		कुल राज्य		8,121
		कुल पीवीटी	थर्मल	1,061
		कुल पीवीटी		1,061
	कुल राजस्थान			9,183
	उत्तर प्रदेश	राज्य	हाइड्रो	492
			थर्मल	6,513
		कुल राज्य		7,005
		पीवीटी	थर्मल	4,610
		कुल पीवीटी		4,610
	कुल उत्तर प्रदेश			11,614
	उत्तराखंड	राज्य	हाइड्रो	1,878
		कुल राज्य		1,878
		निजी	हाइड्रो	886
		कुल निजी		886
	कुल उत्तराखंड			2,765
कुल उ. क्षेत्र				44,736

1	2	3	4	5
प.क्षे.	छत्तीसगढ़	राज्य	हाइड्रो	56
			थर्मल	4,288
		कुल राज्य		4,344
		निजी	थर्मल	4,514
		कुल निजी		4,514
	कुल छत्तीसगढ़			8,858
	गोवा	निजी	थर्मल	84
		कुल निजी		84
	कुल गोवा			84
	गुजरात	राज्य	हाइड्रो	876
			थर्मल	9,064
		निजी	थर्मल	12,736
		कुल निजी		12,736
		निजी यूटिलिटी	थर्मल	1,192
		कुल निजी यूटिलिटी		1,192
	कुल गुजरात			23,867
	मध्य प्रदेश	राज्य	हाइड्रो	690
			थर्मल	5,929
		कुल राज्य		6,629
	कुल मध्य प्रदेश			6,629
	महाराष्ट्र	राज्य	हाइड्रो	1,398
			थर्मल	14,782
		कुल राज्य		16,180
		निजी	थर्मल	4,919
		कुल निजी		4,919

1	2	3	4	5
		निजी यूटिलिटी	हाइड्रो	517
			थर्मल	4,887
		कुल निजी यूटिलिटी		5,404
	कुल महाराष्ट्र			26,503
कुल प. क्षे.				65,942
द.क्षे.	आंध्र प्रदेश	राज्य	हाइड्रो	716
			थर्मल	13,629
		कुल राज्य		14,345
		निजी	हाइड्रो	
			थर्मल	5,007
		कुल निजी		5,007
	कुल आंध्र प्रदेश			19,352
	कर्नाटक	राज्य	हाइड्रो	3,311
			थर्मल	4,889
		कुल राज्य		8,200
		निजी	थर्मल	3,924
		कुल निजी		3,924
	कुल कर्नाटक			12,124
	केरल	राज्य	हाइड्रो	2,078
			थर्मल	129
				2,207
	कुल केरल	कुल राज्य		2,207
	पुदुचेरी	राज्य	थर्मल	88
		कुल राज्य		88
	कुल पुदुचेरी			88

1	2	3	4	5
	तमिलनाडु	राज्य	हाइड्रो	892
			थर्मल	7,310
		कुल राज्य		8,202
		निजी	थर्मल	2,026
		कुल निजी		2,026
	कुल तमिलनाडु			10,228
कुल द. क्षे.				43,999
पू. क्षे.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	राज्य	थर्मल	32
		कुल राज्य		32
	कुल अंडमान निकोबार			32
	झारखंड	राज्य	थर्मल	1,133
		कुल राज्य		1,133
		निजी	थर्मल	1,782
		कुल निजी		1,782
	कुल झारखंड			2,915
	ओडिशा	राज्य	हाइड्रो	905
			थर्मल	1,024
		कुल राज्य		1,929
		निजी	थर्मल	3,064
		कुल निजी		5,064
	कुल ओडिशा			4,993
	पश्चिम बंगाल	राज्य	हाइड्रो	371
			थर्मल	8,865
		कुल राज्य		9,236

1	2	3	4	5
		निजी	थर्मल	13
		कुल निजी		13
		निजी यूटिलिटी	थर्मल	3,255
		कुल निजी यूटिलिटी		3,255
	कुल पश्चिम बंगाल			12,504
कुल पू. क्षे.				20,444
उ. पू. क्षे.	असम	राज्य	हाइड्रो	85
			थर्मल	461
		कुल राज्य		546
		कुल असम		546
	मेघालय	राज्य	हाइड्रो	148
		कुल राज्य		148
	कुल मेघालय			148
	त्रिपुरा	राज्य	थर्मल	211
		कुल राज्य	थर्मल	211
	कुल त्रिपुरा			211
कुल उ. पू. क्षेत्र				905
अखिल भारत (राज्य निजी)				176,025

विद्युत वितरण में संशोधन

2184. **श्री गोरखनाथ पाण्डेय :**
श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण :

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का सरकारी क्षेत्र की तापीय अथवा जल **विद्युत** परियोजनाओं से राज्यों को विद्युत वितरण करने की प्रक्रिया **में संशोधन करने का प्रस्ताव** है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके परिणामस्वरूप क्या लाभ प्राप्त होने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार का उन राज्यों, जो विद्युत उत्पादन हेतु भूमि अथवा ईंधन प्रदान करते हैं, को अधिक विद्युत देने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. सी. वेणुगोपाल) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) उपर्युक्त "क" के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से ऊर्जा उत्पादन की लागत

2185. **श्री पन्ना लाल पुनिया : क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया है कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से उत्पादित ऊर्जा की प्रति यूनिट दर अधिक है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने उक्त ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त बिजली की प्रति यूनिट दर को वहनीय बनाने और इन स्रोतों को लोकप्रिय बनाने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (डॉ. फारूख अब्दुल्ला): (क) विभिन्न नवीन और अक्षय ऊर्जा स्रोतों से उत्पादित विद्युत की प्रति यूनिट दर सामान्यतः पारंपरिक विद्युत स्रोतों से उत्पादित विद्युत की दर से ऊंची होती हैं। तथापि, परियोजना के स्थल/स्थान, क्षमता एवं प्रौद्योगिकी विशिष्ट होने के कारण, जो सभी कारक परियोजना डिजाइन और लागत को प्रभावित करते हैं, सभी अक्षय ऊर्जा स्रोतों के लिए यह एक समान नहीं है।

(ख) वाणिज्यीकृत प्रौद्योगिकियों की वर्तमान स्थिति तथा वित्तीय एवं राजकोषीय प्रोत्साहनों की मौजूदा व्यवस्था सहित विभिन्न श्रेणियों की अक्षय विद्युत परियोजनाओं में विद्युत परियोजनाओं में विद्युत उत्पादन की निर्देशात्मक लागत का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) अनुसंधान, अभिकल्पन और विकास संबंधी प्रयास पूरे विश्व में किए जाते हैं जिसमें हमारा देश भी शामिल है। मुख्य रूप से उद्योगों द्वारा संचालित ऐसे प्रयासों का लक्ष्य ऐसी प्रौद्योगिकियों/प्रक्रियाओं का विकास करना है जो अक्षय ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन की लागत में कमी लाने में सहायक हों। मंत्रालय द्वारा अपने अनुसंधान, डिजाइन तथा विकास कार्यक्रम के अंतर्गत विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों, अनुसंधान और विकास प्रयोगशालाओं एवं उद्योगों को सुपरिभाषित परिणाम प्राप्त करने के लिए परियोजना लागत की 100 प्रतिशत तक केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) प्रदान कर ऐसे प्रयासों को सहायता प्रदान की जाती है।

सौर विद्युत के मामले में मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय सौर मिशन के अंतर्गत परियोजनाओं के चयन के लिए सीईआरसी द्वारा निर्धारित शुल्क-दर की विपरीत नीलामी (रिवर्स ऑक्शन) के आधार पर प्रतिस्पर्धी बोली (बिडिंग) प्रक्रिया की शुरूआत की गई है, जिसके फलस्वरूप बोली लगाने वालों के बीच तीव्र प्रतियोगिता होने के कारण बिड शुल्क-दर में उल्लेखनीय कमी आई है।

अक्षय ऊर्जा स्रोतों से ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा अक्षय ऊर्जा प्रणालियों/उपकरणों की संस्थापना के लिए विभिन्न राजकोषीय एवं वित्तीय प्रोत्साहन दिए जाते हैं। सरकार द्वारा अक्षय ऊर्जा की आवश्यकता एवं उपयोगिता पर विशिष्ट संगोष्ठियों/कार्यशालाओं/प्रशिक्षण कार्यक्रमों और इलैक्ट्रोनिक एवं प्रिंट माध्यमों से जागरूकता सृजन को भी सहायता प्रदान की जाती है।

विवरण

विभिन्न श्रेणी की ग्रिड-इंटरएक्टिव अक्षय विद्युत परियोजनाओं के संबंध में विद्युत उत्पादन की निर्देशात्मक लागत

ग्रिड-इंटरएक्टिव अक्षय विद्युत परियोजना की श्रेणी	विद्युत उत्पादन की लागत (वित्तीय) (रुपये/किवा. घं.)
लघु पनबिजली	3.00-3.75
पवन विद्युत	3.50-4.00
जैव विद्युत	
i. बायोमास विद्युत	3.50-4.00
ii. खोई सह-उत्पादन	3.25-3.75
iii. शहरी/औद्योगिक अपशिष्ट से विद्युत	2.50-5.00
सौर विद्युत	7.00-11.00

झारखंड में जल-विद्युत परियोजनाएं

2186. **श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या विद्युत मंत्री यह बताने** की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्र सरकार एवं झारखंड सरकार के बीच झारखंड में जल-विद्युत परियोजनाओं में अंशधारिता संबंधी किसी समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या समझौते में उल्लिखित परियोजनाओं में झारखंड का अंश निर्धारित किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. सी. वेणुगोपाल) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

एयर इंडिया की सेवाएं

2187. **श्रीमती जे. हेलन डेविडसन :**
श्री जय प्रकाश अग्रवाल :
श्री ई.जी. सुगावनम :
श्री आर. ध्रुवनारायण :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का किसी नए घरेलू/अंतर्राष्ट्रीय वायुमार्ग पर एयर इंडिया की सेवाएं प्रारंभ करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सीट उपलब्धता एवं अन्य सुविधाओं के संबंध में यात्रियों की मांग की पूर्ति विद्यमान सेवा द्वारा किस तरह से की जा रही है;

(ग) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान एयर इंडिया द्वारा कुल कितने अंतर्राष्ट्रीय वायुमार्गों की सेवाएं प्रचालित की जा रही हैं तथा अब तक इससे कितना राजस्व अर्जित किया गया है और कितना व्यय हुआ है;

(घ) क्या एयर इंडिया का अपनी अंतर्राष्ट्रीय विमानसेवा-योजनाओं का पुनर्गठन करने तथा इसकी प्रचालन-दक्षता एवं लाभप्रदता में सुधार करने का विचार है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) और (ख) एयर इंडिया ने दिल्ली तथा मेलबर्न/सिडनी के बीच दैनिक नॉन स्टाप सेवाएं प्रारंभ करने की योजना बनाई है और आशा है कि 7बी 787 विमानों में से 2 को 2012-13 में शामिल कर लिया जाएगा। घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय सेक्टरों में एयर इंडिया की क्षमता का पूर्ण रूप से उपयोग किया जाता है तथा यह किसी अन्य घरेलू/विदेशी एयरलाइन के समकक्ष अपनी सेवाएं प्रदान करती है।

(ग) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) से (च) एयर इंडिया अपने कार्य निष्पादन में सुधार करने के लिए लगातार उपाय कर रही है। एयर इंडिया ने अपनी अनुसूची में सुधार करने तथा उसे पुनः सरचित करने और कार्य निष्पादन में सुधार करने के लिए कई उपाय किए हैं। महत्वपूर्ण उपायों में से कुछ निम्नवत हैं:

(i) उत्तरी अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, यूरोप तथा सुदूर पूर्व के सभी लंबे मार्गों को उन्नत कर दिया गया है और ये अब नए बी 777-200 एलआर/300ई आर विमानों से प्रचालित हैं।

(ii) उड़ानों में उच्च स्तरीय सुख-सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए नए आईएफई सज्जित ए 321/320/319 विमान से क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय मार्गों, भारत-दुबई/बैंकाक/सिंगापुर/मस्कट पर प्रचालनों को उन्नत कर दिया गया है।

(iii) विमानों के सभी प्रकार के बेड़ों का उपयोग क्रममिक रूप से बढ़ा दिया गया है।

(iv) अधिक हब लाभ का प्राप्त करने के लिए दिल्ली में एयर इंडिया के हब प्रचालनों को क्रमिक रूप से सुदृढ़ किया गया है।

(v) दिल्ली तथा मुम्बई गेटवे से एयर इंडिया के अधिक लंबी दूरी के ट्रैफिक को आकर्षित करने के लिए सुविधाजनक संपर्कता (हब तथा स्पोक) वाले विमानों की संख्या बढ़ाकर मुंबई तथा दिल्ली से भिन्न अन्य महत्वपूर्ण मेट्रो शहरों को/से अंतर्राष्ट्रीय संपर्कता बढ़ा दी गई है।

विवरण

इन मार्गों पर विमानों के प्रचालन से अर्जित आय का क्षेत्र, देशवार ब्यौरा तथा इन विमानों पर आय लागत

क्षेत्र	देश	वित्त वर्ष 09-10			वित्त वर्ष 10-11	
		कुल राजस्व	नकद लागत	कुल लागत	कुल राजस्व	नकद लागत
अफ्रीका	केन्या	2554.9	5573.2	7919.7		
	कुल	2554.9	5573.2	7919.7		
यूरोप	फ्रांस	9076.2	17257.1	23011.7	12523.9	15810.0
	जर्मनी	13641.9	25448.1	37505.2	24555.6	29727.9
	यूके	49907.8	70574.9	103093.9	62751.3	84896.7
यूरोप कुल		72625.9	113280.1	163610.8	99830.8	130434.6
सुदूरपूर्व चीन		10743.1	15314.9	20482.8	13578.1	16980.3
	हांगकांग	6834.8	11416.1	15794.3	8549.7	13025.2
	हांगकांग-जापान	11865.4	13997.6	18839.5	19634.3	23026.7
	हांगकांग-कोरिया					
	जापान	17390.6	20436.8	27598.0	23902.1	17527.5
सूदूरपूर्व एशिया कुल		46833.9	61165.4	82714.6	65664.1	70559.7
मध्य पूर्व एशिया	कुवैत	8730.5	10486.9	14011.4	7892.7	9795.9
	ओमान	18465.6	19837.7	27662.1	19211.2	21466.4
	कतर बहरीन	4820.1	5395.6	7032.9		
	सउदी अरब	90711.4	123802.1	161540.6	100675.0	126413.5
	यूएई	79791.6	90642.6	129994.2	79115.7	90254.7
	यूएई बहरीन					
मध्य पूर्व एशिया कुल		202519.3	250164.9	340241.2	206894.5	247930.6

	वित्त वर्ष 11-12			अप्रैल-जून, 12		
कुल लागत	कुल राजस्व	नकद लागत	कुल लागत	कुल राजस्व	नकद लागत	कुल लागत
24060.1	28007.7	39220.6	55065.3	3577.2	4848.9	6702.5
49046.9	27034.7	35245.7	51278.0	2361.4	3683.7	5121.5
136095.3	75848.6	112430.7	164243.3	15412.5	20384.4	28646.8
209202.4	130891.0	186896.9	270586.6	21351.0	28917.0	40470.9
26282.3	15616.8	21353.3	30771.5	2199.3	2806.3	3929.5
20423.5						
34316.8	19920.8	22635.2	31113.5	2124.5	2419.7	3304.3
	20979.3	25668.2	36726.4	1909.0	2661.3	3746.3
27344.2	22144.4	19154.1	27093.5	3074.0	3520.0	4933.5
108366.8	78661.3	88810.7	125704.9	9306.7	11407.3	15913.5
14881.5	10437.0	12849.4	19184.1	2889.8	3447.2	4827.1
33057.9	25340.6	26646.7	43495.2	10031.1	8479.2	12322.5
195047.6	103440.0	143256.6	204414.4	26290.1	25648.9	35144.2
147247.0	79374.7	96947.0	156614.7	27448.7	22918.2	34164.9
				1483.3	2116.8	3235.5
390234.0	218592.2	279699.9	423708.5	68142.9	62610.3	89694.1

विवरण

इन मार्गों पर विमानों के प्रचालन से अर्जित आय का क्षेत्र, देशवार ब्यौरा तथा इन विमानों पर आय लागत

क्षेत्र	देश	वित्त वर्ष 09-10			वित्त वर्ष 10-11	
		कुल राजस्व	नकद लागत	कुल लागत	कुल राजस्व	नकद लागत
उत्तरी अमेरिका	कनाडा	43514.5	65410.6	86290.5		
	यूएसए	83578.6	114832.7	172500.2	89477.8	90157.7
उत्तरी अमेरिका कुल		127093.1	180243.2	258790.6	89477.8	90157.7
दक्षिण एशिया	अफगानिस्तान	4434.3	4185.6	5355.9	3497.0	3658.8
	मालदीव	6993.5	5205.7	7052.0	7414.4	6141.6
	म्यांमार	1355.5	944.3	1338.6	1365.1	987.0
	नेपाल	10634.3	9821.0	13023.2	7932.5	9134.2
	श्रीलंका	1698.3	2766.8	3582.1	1323.0	1937.0
दक्षिण एशिया कुल		25116.0	22923.5	30351.7	21532.0	21858.7
दक्षिण पूर्व एशिया	मलेशिया	4244.1	5777.2	8036.9	1227.4	2058.5
	सिंगापुर	31618.9	35442.9	48258.4	35922.3	39083.6
	थाईलैंड	10527.1	13895.7	24181.4	12258.2	14232.8
दक्षिण पूर्व एशिया कुल		46390.0	55115.8	80476.7	49407.9	55374.9
यूएस-यूरोप	यूके-कनाडा				49600.9	57423.5
	यूएसए-जर्मनी	107839.0	146291.7	205721.2	121110.9	124447.6
यूएस-यूरोप कुल		107839.0	146291.7	205721.2	170711.8	181871.1
कुल योग		630972.1	834757.8	1169826.5	703518.8	798187.2

	वित्त वर्ष 11-12			अप्रैल-जून, 12		
कुल लागत	कुल राजस्व	नकद लागत	कुल लागत	कुल राजस्व	नकद लागत	कुल लागत
	57075.3	73501.0	103543.7	6243.2	8251.9	11320.1
148098.6	156208.6	158761.9	224412.1	38482.2	43194.2	58968.7
148098.6	213283.8	232263.0	327955.9	44725.4	51446.1	70288.8
5175.2	4523.2	4342.6	6232.2	1102.8	1005.0	1390.2
8838.5	8255.9	7800.6	11486.7	2376.2	2614.5	3550.1
1470.8	2251.2	1392.9	2324.1	503.6	341.7	492.8
13220.6	8205.2	9713.8	14772.8	2579.4	2743.5	3885.4
2841.5	1679.5	2521.3	4190.4	670.7	734.8	1065.4
31546.5	24915.0	25771.3	39006.1	7232.8	7439.5	10383.9
3259.1						
63662.0	34309.2	42769.9	65528.5	9881.0	11934.2	16995.4
25443.4	14957.6	16555.8	28566.3	4610.8	5022.6	8022.5
92364.5	49266.8	69325.7	94094.8	14491.8	16957.0	25017.9
90884.3						
195257.5	59690.1	67956.0	98284.2	5872.4	7934.4	10846.3
286141.7	59690.1	67956.0	98284.2	5872.4	7934.4	10846.3
1265954.4	776300.1	940723.4	1379341.0	171122.9	186711.7	262615.4

[हिन्दी]

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत लगाए गए ट्रांसफार्मर

2188. श्री जगदानंद सिंह :
श्री जगदीश शर्मा :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आर.जी.जी.वी.वाई.) के अंतर्गत बिहार में विद्युतीकृत किए गए गांवों में बहुत से ट्रांसफार्मर जल गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन सभी जले ट्रांसफार्मरों को बदलने के लिए, केंद्र सरकार के निदेश के अनुसार, बिहार राज्य सरकार ने एक विस्तृत योजना प्रस्तुत की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक परिवार को छह घंटे तक सतत विद्युत-आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार की क्या स्कीम है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. सी. वेणुगोपाल) : (क) और (ख) बिहार राज्य विद्युत बोर्ड (बीएसईबी) ने रूरल इलैक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन (आरईसी), जो आरजीजीवीवाई के लिए नोडल एजेंसी है, को सूचित किया है कि राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) के अंतर्गत संस्थापित 39,749 डीटी (25 केवीए और 16 केवीए क्षमता) में से 5,686 वितरण ट्रांसफार्मर (डीटी) बिहार में जल गए हैं।

(ग) और (घ) जी, नहीं। तथापि बीएसईबी और वितरण ट्रांसफार्मरों के उत्पादकों के साथ आरईसी की बैठकों में, उत्पादकों द्वारा बीएसईबी ट्रांसफार्मर मरम्मत कार्यशाला में मरम्मत सुविधाओं के संवर्द्धन के लिए अपेक्षित उपस्करों और संयंत्रों (टी एवं पी) के प्रावधानों सहित जले हुए ट्रांसफार्मरों की मरम्मत और बीएसईबी के तकनीशियनों को प्रशिक्षित करने पर सहमति हुई है।

(ङ) विद्युत की आपूर्ति राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आती है। तथापि, आरजीजीवीवाई के अंतर्गत परियोजनाओं को मंजूरी देने से पूर्व राज्यों की पूर्व प्रतिबद्धता, (आरजीजीवीवाई के अंतर्गत शामिल गांवों में कम से कम 6 से 8 घंटे तक की बिजली आपूर्ति प्रतिदिन के लिए प्राप्त की जाती है।

मियाद-समाप्ति वाली औषधियों की खरीद

2189. श्री गणेश सिंह : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की राजधानी के कई सरकारी अस्पतालों में शीघ्र मियाद-समाप्ति वाली दवाओं की खरीद कर उन्हें रोगियों में वितरित किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन सरकारी अस्पतालों में अनियमितताओं के ऐसे मामले पाए गए हैं तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है;

(ग) ऐसे मामलों में लिप्त कितने चिकित्सकों तथा कार्मिकों के विरुद्ध अब तक सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (घ) स्वास्थ्य राज्य का विषय है और ऐसी कोई सूचना केंद्रीय स्तर पर नहीं रखी जाती है।

जहां तक दिल्ली के तीन केंद्रीय सरकार के अस्पतालों अर्थात् सफदरजंग अस्पताल, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल तथा लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज एवं इससे संबद्ध अस्पतालों का संबंध है, केवल ऐसी औषधें खरीदी जाती हैं जिनकी पर्याप्त शेल्फ लाइफ हो और अनियमितताओं के ऐसे किन्हीं मामलों को सूचित नहीं किया गया है।

सोमालिया के समुद्री डकैतों से भारतीयों की रिहाई

2190. श्री रमाशंकर राजभर :
श्री एम. बी. राजेश :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सोमालिया के समुद्री डकैतों द्वारा 17 भारतीयों का अपहरण करने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उनकी जीवनरक्षा और शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करने तथा भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद) : (क) और (ख) जी, हां। प्राप्त सूचना के अनुसार सोमालिया के जलदस्युओं ने 2 मार्च, 2012 को मैसर्स स्नो व्हाइट एनर्जी लिमिटेड, नाइजीरिया के स्वामित्वाधीन एम. बी. रायल ग्रेस ऑफ पनामा फ्लैग का अपहरण कर लिया जिसमें 17 भारतीयों समेत 22 कर्मीदल जहाज पर मौजूद थे।

(ग) सरकार संबंधित मंत्रालयों, एजेंसियों तथा विदेश स्थित हमारे मिशनों के माध्यमों से जहाज मालिकों तथा अन्य संबंधियों से बातचीत करने का हर संभव प्रयास कर रही है ताकि वे जलदस्युओं के कब्जे में भारतीय समुद्री यात्रियों की शीघ्र रिहाई हेतु प्रयास करें। सरकार ने एक अंतर मंत्रालयी समूह का भी गठन किया है जो भारतीय कर्मीदलों की मौजूदगी वाले समुद्री व्यापारिक जहाजों के अपहरण से उत्पन्न होने वाली बंधक जैसी किसी भी स्थिति से निपटेगा।

सरकार ने जलदस्युओं से निपटने के लिए कई उपाय किए हैं जिनमें अदन की खाड़ी में चलने वाले जहाजों को नौसेना की सुरक्षा मुहैया करवाना, जलदस्युता प्रभावित क्षेत्रों में नौसेना जहाजों द्वारा गश्त लगाया जाना, अन्य देशों के नौसेना बलों और विभिन्न बहुपक्षीय, द्विपक्षीय तथा बहुराष्ट्रीय पहलों के जरिए समन्वय स्थापित करना।

विमानपत्तन विकास केंद्र की स्थापना

2191. श्री जय प्रकाश अग्रवाल : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विमानपत्तनों के स्तरोन्नयन एवं आधुनिकीकरण के लिए किसी विमानपत्तन विकास केंद्र की स्थापना करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

लघु वनोपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य

2192. श्री नारनभाई कछाड़िया : क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का तेरह लघु-वनोपजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली प्रारंभ करने का प्रस्ताव है जिसे योजना आयोग द्वारा पहले ही अनुमोदित किया जा चुका है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में जनजातीय कल्याण संघों तथा जनप्रतिनिधियों से कोई अभ्यावेदन भी प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/करने का प्रस्ताव है?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री महादेव सिंह खंडेला) : (क) और (ख) पांचवें अनुसूचित क्षेत्रों में न्यूनतम समर्थन मूल्य, मूल्य संवर्धन तथा लघु वन उत्पाद के विपणन के पहलुओं को देखने के लिए पंचायती राज मंत्रालय द्वारा गठित डॉ. टी. हक समिति की रिपोर्ट के आधार पर एमएफपी के लिए एमएसपी की केन्द्रीय क्षेत्र की योजना को आरंभ करने का मामला इस मंत्रालय में विचाराधीन है। योजना में 13 महत्वपूर्ण एमएफपी के लिए एमएसपी की शुरुआत पर विचार किया गया है। उक्त एफएफपी (1) बांस, (2) तेंदू पत्ते, (3) महुआ के फूल, (4) महुआ के बीज, (5 हरितिकी, (6) चीरोंजी, (7) लाक, (8) गोंद काराया, (9) जंगली शहद, (10) इमली, (11) साल के बीच, (12) साल के पत्ते तथा (13) करंज के बीज हैं।

(ग) से (ङ) मंत्रालय द्वारा उनकी चिंताओं को ध्यान में रखने के लिए कई राज्यों सहित हितधारियों से परामर्श किया गया है।

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास

2193. श्री वरुण गांधी :
श्री ए.टी. नाना पाटील :
श्री श्रीपाद येसो नाईक :

क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कोयले और पेट्रोल/डीजल पर देश की निर्भरता को कम करने के लिए ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का विकास करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी बयौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा-प्रौद्योगिकियों को विकसित करने के लिए अनुसंधान, डिजाइन, विकास और प्रदर्शन (आर.डी.डी. एंड डी.) कार्यक्रम के अंतर्गत कितनी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है;

(घ) इस वित्तीय सहायता का कितना आनुपातिक अंश अकादमिक/अनुसंधान संस्थानों को और कितना उद्योग जगत को प्रदान किया गया है; और

(ङ) किन-किन प्रमुख नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा-केन्द्रित क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदत्त की गई है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (डॉ. फारूख अब्दुल्ला) : (क) जी, हां।

(ख) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र हेतु अनुसंधान, डिजाइन, विकास, प्रदर्शन, संस्थापना और विनिर्माण के लिए एक व्यापक नीति और दिशा-निर्देश उपलब्ध है। इसमें स्वायत्त निकायों और उद्योग सहित शैक्षिक और अनुसंधान संस्थाओं के माध्यम से प्रौद्योगिकी विकास और प्रदर्शन हेतु अनुसंधान और विकास की सहायता करने का प्रावधान है। परियोजनाओं हेतु वित्तीय सहायता, जिसमें उद्योग/सिविल सोसाइटी संगठनों के साथ भागीदारी शामिल है, सामान्यतया परियोजना लागत के 50% तक सीमित है। तथापि, शैक्षिक संस्थाओं, सरकारी/लाभ न कमाने वाले अनुसंधान संगठनों और गैर-सरकारी संगठनों से प्रस्ताव पर मंत्रालय 100% तक धनराशि उपलब्ध करा सकता है।

(ग) और (घ) अपने आर.डी.डी. एंड डी. फ्रेमवर्क के तहत नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान अनुसंधान और विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु क्रमशः 190.22 करोड़ रु. और 17.43 करोड़ रु. की कुल वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई है। शैक्षिक/अनुसंधान संस्थाओं को जारी की गई निधियों का समानुपात क्रमशः 187.25 करोड़ रु. और 19.09 करोड़ रु. है।

(ङ) सौर ऊर्जा, जैव ऊर्जा और हाइड्रोजन तथा ईंधन सैल अनुसंधान, डिजाइन, विकास और प्रदर्शन के मुख्य क्षेत्र हैं जिनके लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है।

भोपाल मेमोरियल अस्पताल

2194. श्री पी.टी. थॉमस : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा भोपाल मेमोरियल अस्पताल के अधिग्रहण की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या भोपाल मेमोरियल अस्पताल के कर्मचारियों को छठे वेतन आयोग के लाभ प्रदान करने की मंजूरी दी गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदीप बंदोपाध्याय) : (क) सरकार ने पहले ही भोपाल मेमोरियल अस्पताल का अधिग्रहण कर लिया है।

(ख) और (ग) जी, हां। सरकार ने हाल ही में भोपाल मेमोरियल अस्पताल के कर्मचारियों को छठे वेतन आयोग का लाभ दिया है। इस संबंध में 19 जुलाई, 2012 को आदेश जारी किए गए हैं।

[हिन्दी]

जल-विद्युत उत्पादन

2195. श्री गोपीनाथ मुंडे :
श्री सतपाल महाराज :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में जल-विद्युत उत्पादन-क्षमता तथा इसके स्रोतों का राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या देश की पश्चिमी दिशा में बहने वाली नदियों से जल-विद्युत उत्पादन की संभावना अधिक है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इन नदियों पर जल-विद्युत उत्पादन हेतु स्थलों की पहचान की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा देश की इन नदियों की जल-विद्युत संबंधी क्षमता का दोहन करने के लिए सरकार द्वारा कौन-से कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. सी. वेणुगोपाल) : (क) दिनांक 31.07.2012 की स्थिति के अनुसार, देश में जल विद्युत उत्पादन क्षमता 39291.40 मेगावाट है। इन परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में है।

(ख) से (ङ) वर्ष 1987 में केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा किए गए पुनर्निर्धारण अध्ययन के अनुसार, बेसिजवार क्षमता का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है। पश्चिम में प्रवाहित नदियों की जल विद्युत क्षमता 9430 मेगावाट (94 स्कीमें) हैं, जिसमें से 8997 मे.वा. (60 स्कीमें) की क्षमता में वे जल विद्युत स्कीमें शामिल हैं जिनकी संस्थापित क्षमता (आईसी) 25 मे.वा. से अधिक है। पश्चिम में प्रवाहित नदियों पर जल विद्युत उत्पादन के लिए चिन्हित की गई जल विद्युत स्कीमों की सूची संलग्न विवरण-III में दी गई है।

चिन्हित की गई 8997 मे.वा. क्षमता (25 मे.वा. आईसी से अधिक) में से, 5660.7 मे.वा. (62.92:) को विकसित किया गया है और 100 मे. वा. (1.11:) निर्माणाधीन है। इसके अतिरिक्त, गुंडिया-I जल विद्युत परियोजना (200 मे.वा.) को सीईए द्वारा अनुमति दे दी गई है। विकसित की गई और निर्माणाधीन जल विद्युत स्कीमों का ब्यौरा संलग्न विवरण-IV में दिया गया है।

विवरण-I

25 मेगावाट से अधिक स्टेशन क्षमता के साथ देश में जल विद्युत स्टेशनों की सूची

31.07.2012 तक

क्षेत्र/सेक्टर/यूटिलिटी/स्टेशन	एक्स साइज यूनिटों की संख्या (मे.वा.)	स्टेशनों की संख्या	यूनिटों की संख्या	क्षमता (मे.वा.)
1	2	3	4	5
क्षेत्र				
उत्तरी	-	60	202	15479.25
पश्चिमी	-	28	101	7392.00
दक्षिणी	-	66	239	11372.45
पूर्वी	-	15	55	3847.70
उत्तरी पूर्वी	-	10	28	1200.00
अखिल भारत (कुल)	-	179	625	39291.40
सेक्टर	-			

1	2	3	4	5
केंद्रीय	–			
बीबीएमबी	–	6	28	2866.30
एनएचपीसी	–	14	44	3998.20
एसजेवीएनएल	–	1	6	1500.00
टीएचडीसी	–	2	8	1400.00
एनएचडीसी	–	2	16	1520.00
डीवीसी	–	2	5	143.20
निपको	–	4	13	755.00
केंद्रीय कुल योग	–	31	120	12182.70
निजी				
एमपीसीएल (मलाना पावर विद्युत कंपनी लिमिटेड)	–	1	2	86.00
ईपीपीएल (ऐवरेस्ट पावर प्राइवेट लिमिटेड)	–	1	2	100.00
जेएचपीएल (जय प्रकाश हाइड्रो पावर लिमिटेड)	–	1	3	300.00
जेकेडब्ल्यूएचसीएल (जेपी करचम हाइड्रो पावर लिमिटेड)	–	1	4	1000.00
एडीएचपीएल (अल्लयन दुहगंन हाइड्रोवर पावर लिमिटेड)	–	1	2	192.00
जेपीवीएल (जय प्रकाश पावर वेचर लिमिटेड)	–	1	4	400.00
एलजीपीटीएल (लानकों ग्रीन पावर प्राइवेट लिमिटेड)	–	1	2	70.00
टीपीसीएल (टाटा पावर कंपनी)	–	4	15	447.00
डीएलएचपी (डोडसन लिंब्लोम हाइड्रो पवर प्राइवेट लिमिटेड)		1	1	34.00
कुल योग	–	12	35	2629.00
राज्य इलैक्ट्रिसिटी बोर्डों/विभागों				
एचपीएसपीबी	–	4	12	366.00
जेएंडकेएसपीडीसी	–	3	9	660.00

1	2	3	4	5
पीएसपीसीएल	–	8	25	1051.00
आरआरवीयूएनएल	–	4	11	411.00
यूपीजेवीएनएल	–	4	15	501.60
यूजेवीएनएल	–	10	34	1252.15
जीएसईसीएल	–	2	8	540.00
एसएसएनएनएल	–	2	11	1450.00
एमपीपीजीसीएल	–	8	23	875.00
सीएसपीजीसी	–	1	3	120.00
महाजेनको	–	8	24	2406.00
एपीजीईएनसीओ	–	14	57	3783.35
केपीसीएल	–	14	68	3585.40
केएसईबी	–	13	48	1881.50
टीएनईबी	–	25	66	2122.20
जेएसईबी	–	2	2	130.00
ओएचपीसी	–	6	31	2027.50
डब्लूबीएसईडीसीएल	–	3	11	977.00
एपीजीसीएल	–	1	2	100.00
एमईसीएससी	–	4	10	240.00
कुल योग	–	136	470	24479.70
अखिल भारत		179	625	39291.40
बी बी एम बी				
भाखड़ा एल	5•108	1	5	540.00
भाखड़ा आर	5•157	1	5	785.65

1	2	3	4	5
गंगूवाल	1•29.25•24.2	1	3	77.65
कोटला	1•29.25•2•24.2	1	3	77.65
कुल योग		4	16	1480.30
देहर	6•165	1	6	990.00
पोग	6•66	1	6	396.00
कुल बीबीएमबी		6	28	2866.30
एनएचपीसी पूर्वी क्षेत्र				
बैरा स्थूल	3•6	1	3	198.00
सलाल-I	3•115	1	3	345.00
सलाल-II	3•115	1	3	345.00
टनकपुर	3•31.4	1	3	94.20
चमेरा-I	3•180	1	3	540.00
चमेरा-II	3•100	1	3	300.00
चमेरा-III	3•77	1	3	231.00
उड़ी	4•120	1	4	480.00
धौलीगंगा	4•70	1	4	280.00
दुलहस्ती	3•130	1	3	390.00
सेवा-II	3•40	1	3	120.00
कुल एनएचपीसी (पूर्वी क्षेत्र)		11	35	3323.20
एसजेवीएनएल (पूर्वी क्षेत्र)				
नथपा झाकरी	6•250	1	6	1500.00
टीएचडीसी (पूर्वी क्षेत्र)				
टेहरी	4•250	1	4	1000.00

1	2	3	4	5
कोटेश्वर	4•100	1	4	400.00
कुल टीएचडीसी		2	8	1400.00
कुल केंद्रीय पूर्वी क्षेत्र		20	77	9089.50
हिमाचल प्रदेश				
एचपीएसईबीएल				
गिरी बाटा	2•30	1	2	60.00
बस्सी	4•15	1	4	60.00
संजय	3•40	1	3	120.00
लरगी	3•42	1	3	126.00
कुल एचपीएसईबीएल		4	12	366.00
मलाना पावर कंपनी लिमिटेड (निजी)				
मलाना	2•43	1	2	86.00
एवरेस्ट पावर लिमिटेड (निजी)				
मलाना-II	2•50	1	2	100.00
जय प्रकाश हाइड्रो पावर लिमिटेड (निजी)				
बसपा-II (निजी)	3•100	1	3	300.00
अल्लेन दूहंगन हाइडों पावर लिमिटेड (निजी)				
अल्लेन दूहंगन (निजी)	2•96	1	2	192.00
जेपी करचम हाइड्रो पावर लिमिटेड (निजी)				
करचम बनगटो	4•250	1	4	1000.00
लेनको ग्रीन पावर प्राइवेट लिमिटेड (एनजीपीपीएल)				
बुधिल	2•35	1	2	70.00
कुल निजी		6	15	1748.00

1	2	3	4	5
कुल एचपी		10	27	2114.00
जम्मू और कश्मीर				
जे एंड के एसपीडीसी				
लोअर झेलम	3•35	1	3	105.00
अपर सिंध II	3•35	1	3	105.00
बगलिहार	3•150	1	3	450.00
कुल जे एंड के एसपीडीसी		3	9	660.00
पंजाब				
पीएसपीसीएल				
शनन	4•15+1•50	1	5	110.00
मुकरिअन एसटी-I पीएच-I	3•15	1	3	45.00
मुकरिअन एसटी-I पीएच-II	3•15	1	3	45.00
मुकरिअन एसटी-I पीएच-III	3•19.5	1	3	58.50
मुकरिअन एसटी-I पीएच-IV	3•19.5	1	3	58.50
ए.पी. साहिब एसटी-I	2•33.5	1	2	67.00
ए.पी. साहिब एसटी-II	2•33.5	1	2	67.00
रंजित सागर डैम	4•150	1	4	600.00
कुल पीएसपीसीएल		8	25	1051.00
राजस्थान				
आरआरजेवीयूएनएल				
आर.पी. सागर	4•43	1	4	172.00
जे. सागर	3•33	1	3	99.00
माहीबजाज-I	2•25	1	2	50.00

1	2	3	4	5
माहीबजाज-II	2•45	1	2	90.00
कुल आरआरजेवीयूएनएल		4	11.00	411.00
उत्तर प्रदेश				
यूपीजेवीएनएल				
रिहंद	6•50	1	6	300.00
ओबरा	3•33	1	3	99.00
मातातिल्ला	3•10.2	1	3	30.60
खारा	3•24	1	3	72.00
कुल यूपीजेवीएनएल		4	15	501.60
उत्तराखंड				
यूजेवीएनएल				
धकरानी	3•11.25	1	3	33.75
धलीपुर	3•17	1	3	51.00
कुलहल	3•10	1	3	30.00
चिबरो	4•60	1	4	240.00
कोदरी	4•30	1	4	120.00
रामगंगा	3•66	1	3	198.00
चिल्ला	4•36	1	4	144.00
मनेरीभाली (थिलोट) एसटी-I	3•30	1	3	90.00
मनेरीभाली स्टेज-I	4•76	1	4	304.00
खटीमा	3•13.8	1	3	41.40
कुल यूजेवीएनएल		10	34	1252.15

1	2	3	4	5
जयप्रकाश पावर वेचर लिमिटेड (निजी)				
विष्णुप्रयाग	4•100	1	4	400.00
कुल जेपीपीवीएल		1	4	400.00
कुल उत्तरांचल		11	38	1652.15
कुल पूर्वोत्तर क्षेत्र		60	202	15479.25
पश्चिमी क्षेत्र				
गुजरात				
जीएसईसीएल				
उकाई	4•75	1	4	300.00
कदान (पीएसएस)	4•60	1	4	240.00
कुल जीएसईसीएल		2	8	540.00
एसएसएनएल				
सरदार सरोवर-सीएचपीएच	5•50	1	5	250.00
सरदार सरोवर-आरबीपीएच	6•200	1	6	1200.00
कुल एसएसएनएल		2	11	1450.00
कुल गुजरात		4	19	1990.00
मध्य प्रदेश				
केंद्रीय/संयुक्त				
एनएचडीसी				
इंदिरा सागर	8•125	1	8	1000.00
ओमकारेश्वर	8•65	1	8	520.00
कुल एनएचडीसी		2	16	1520.00

1	2	3	4	5
एमपीजीपीसीएल				
गांधी नगर	5•23	1	5	115.00
बरगी	2•45	1	2	90.00
पेंच	2•80	1	2	160.00
बान सागर टोस-I	3•105	1	3	315.00
बान सागर टोस-II	2•15	1	2	30.00
बान सागर टोस-III	3•20	1	3	60.00
राजघाट	3•15	1	3	45.00
मादीखेरा	3•20	1	3	60.00
कुल एमपीजीसीएल		8	23	875.00
कुल मध्य प्रदेश		10	39	2395.00
छत्तीसगढ़				
सीएसपीजीसी				
हसदेव बागो	3•40	1	3	120.00
कुल सीएसपीजीसी		1	3	120.00
महाराष्ट्र				
महाजेनको				
कोयना I एवं II	4•70+4•80	1	8	600.00
कोयना III	4•80	1	4	320.0
कोयना IV	4•250	1	4	1000.00
कोयना डीपीएच	2•18	1	2	36.00
वैतरना	1•60	1	1	60.00
बीरा टेल रेस	2•40	1	2	80.00

1	2	3	4	5
तील्लारी	1•60	1	1	60.00
घाटघर पीएसएस	2•125	1	2	250.00
उप जोड़		8	24	2406.00
महाजेनको				
भीरा	6•25	1	6	150.00
भीवपुरी	3•24+2•1.5	1	5	75.00
खोपोली	3•24	1	3	72.00
भीरा पीएसएस	1•150	1	1	150.00
कुल टीपीसीएल		4	15	447.00
डोडसन-लिंडब्लोम हाइड्रो पावर प्रा. लि. (डीएलएचपी)				
वनधारधारा-II	1•34	1	1	34.00
कुल डीएलएचपी (निजी)		1	1	34.00
कुल महाराष्ट्र		13	40	2887.00
कुल पश्चिमी क्षेत्र		28	101	7392.00
दक्षिणी क्षेत्र				
आंध्र प्रदेश				
एजीपेनको				
मचुकुंड	3•17+3•21.25	1	6	114.75
अपर सिलेरू एसटी-I	2•60	1	2	120.00
अपर सिलेरू एसटी-I	2•60	1	2	120.00
लोअर सिलेरू	4•115	1	4	460.00
टीबीडैम	4•9	1	4	36.00
हंपी	4•9	1	4	36.00

1	2	3	4	5
एनजे सागर	1•110+7100.8	1	8	815.60
श्रीसेलेम	7•110	1	7	770.00
एनजे सागर आरबीसी	2•30	1	2	60.00
एनजे सागर आरबीसी एक्टे	1•30	1	1	30.00
एनजे सागर एलबीसी	2•30	1	2	60.00
पोचंपाद	3•9	1	3	27.00
श्रीसेलम	6•150	1	6	900.00
प्रियादशर्नी जुराला	6•39	1	6	234.00
कुल एपीजेनको		14	57	3783.35
कुल आंध्र प्रदेश		14	57	3783.35
कर्नाटक				
कर्नाटक पावर कार्पोरेशन लि.				
शरावती	10•103.5	1	10	1035.00
लिंगनामक्की	2•27.5	1	2	55.00
भद्रा	1•2+2•12+1•7.20+1•6	1	5	39.20
कालीनदी	3•135+3•150	1	6	855.00
सूपा डीपीएच	2•50	1	2	100.00
वराही	4•115	1	4	460.00
घांटप्रभा	2•16	1	2	32.00
कादा	3•50	1	3	150.00
कोडाराली	3•40	1	3	120.00
शरावती टेल रेस	4•60	1	4	240.00
अलमाटी डैम	1•15+5•55	1	6	290.00

1	2	3	4	5
जोग	4•13.2+4•21.6	1	8	139.20
शिवसमुद्रम	6•3+4•6	1	10	42.00
मुनीराबाद	2•9+1•10	1	3	28.00
कुल केपीसीएल		14	68	3585.40
कुल कर्नाटक		14	68	3565.40
केरल				
केएसईबी				
इडुकी	6•130	1	6	780.00
सारीगिरी	6•50	1	6	300.00
कुट्टीयाडी एवं के एक्सटे	3•25+1•50	1	4	125.00
कुट्टीयाडी एडीशनल एक्सटें	2•50	1	2	100.00
शोलायर	3•18	1	3	54.00
सेसनगुलाम	4•12	1	4	48.00
नरीमंगलम	3•15+1•25	1	4	70.00
पल्लीवसल	3•5+1•7.5	1	6	37.50
मोरीगलकुटटु	4•8	1	4	432.00
पन्नीयार	2•15	1	2	30.00
इदमयालर	2•37.5	1	2	75.00
लोअर पेरियार	3•60	1	3	180.00
कक्कड्	2•25	1	2	50.00
कुल केएसईबी		13	48	1881.50
कुल केरल		13	48	1881.50

1	2	3	4	5
टीएनईबी				
कुंडा-I	3•20	1	3	60.00
कुंडा-II	5•35	1	5	175.00
कुंडज्ञ-III	3•60	1	3	180.00
कुंडा-IV	2•50	1	2	100.00
कुंडा-V	2•20	1	2	40.00
पनारसंरा वैली (के-प्ट)	1•30	1	1	30.00
मेट्टूर डैम	4•12.5	1	4	50.00
मेट्टूर टनेल	4•50	1	4	200.00
पेरियार	4•35	1	4	140.00
कोडायर-I	1•60	1	1	60.00
कोडायर-II	1•40	1	1	40.00
शोलायार	2•35+1•25	1	3	95.00
पइकारा	3•7+1•11+2•13.6	1	6	59.00
अलियार	1•60	1	1	60.00
सरकारपथी	1•30	1	1	30.00
पानासम	4•8	1	4	32.00
मोयार	3•12	1	3	36.00
सुरूलियार	1•35	1	1	35.00
एल मेट फेल-1	2•15	1	2	30.00
एल मेट फेज-2	2•15	1	2	30.00
एल मेट फेज-3	2•15	1	2	30.00
एल मेट फेज-4	2•15	1	2	30.00

1	2	3	4	5
कदमपराई	4•100	1	4	400.00
पैकारा अल्टीमेट	3•50	1	3	150.00
भवानी बैराज-I	2•15	1	2	30.0
कुल टीएनईबी		25	66	2122.20
कुल सदर्न क्षेत्र		66	239	11372.45
पूर्वी क्षेत्र				
झारखंड				
जेएसईबी				
स्वर्णरेखा-I	1•65	1	1	65.00
स्वर्णरेखा-II	1•65	1	1	65.00
कुल जेएसईबी		2	2	130.00
डीवीसी				
मैथन	2•20+1•23.2	1	3	63.20
पंचेत एंड एक्सटें	2•40	1	2	80.00
कुल डीवीसी		2	5	143.20
ओडिशा				
ओएचपीसी				
हिराकुंड-I (बुराल)	2•49.5+2•32+3•37.5	1	7	275.50
हिराकुंड-II (चीपलीमा)	3•24	1	3	72.00
बालीमेला	6•60+2•75	1	8	510.00
रेगाली	5•50	1	5	250.00
अपर कालाब	4•80	1	4	320.00
अपर इंद्रावती	4•150	1	4	600.00
कुल ओएचपीसी		6	31	2027.50

1	2	3	4	5
पं. बंगाल				
डब्लूबीएसईडीसीएल				
जलढाका-I	3•9	1	3	27.00
रमाम-II	4•12.5	1	4	50.00
पुरूलिया पीएसएस	4•225	1	4	900.00
कुल डब्ल्बीएसईडीसीएल		3	11	977.00
सिक्किम				
एनएचपीसी (ईआर)				
रंगित-III	3•20	1	3	60.00
तीस्ता	3•170	1	3	510.00
कुल एनएचपीसी		2	6	570.00
कुल पूर्वी क्षेत्र		15	55	3847.70
उत्तरी पूर्वी क्षे.				
असम				
एपीजीसीएल				
कबी लांगपी	2•50	1	2	100.00
मेघालय				
कीरदेमकुलाई	2•30	1	2	60.00
उमीयाम एसटी-I	4•9	1	4	36.00
उमीयाम एसटी-IV	2•30	1	2	60.00
मिंडदु एसटी-I	2•42	1	2	84.00
कुल एमईएसईबी		4	10	240.00
नीपको				

1	2	3	4	5
खांडडोंग	3•25	1	3	75.00
कोपीली	4•50	1	4	200.00
दोयांग	3•25	1	3	75.00
रंगानदी	3•135	1	3	405.00
कुल नीपको		4	13	755.00
एनएचीपीसी (एनईआर)				
लोकटक	3•35	1	3	105.00
उपजोड़ एनएचपीसी (एनईआर)		1	3	105.00
उपजोड़ केंद्रीय (एनईआर)		5	16	860.00
कुल (एनईआर)		10	28	1200.00
कुल अखिल भारतीय		179	625	39291.40

टिप्पणी-(1) 25 मेगावाट तक के स्टेशन शामिल नहीं।

(2) इकाई की बढ़ी/घटी क्षमता शामिल है।

विवरण-II

जल विद्युत की संभावित क्षमता विकास की स्थिति-बेसिन वार (25 मेगावाट से ऊपर की संस्थापित क्षमता के संदर्भ में)

(31.07.2012 तक)

बेसिन	अनुमानित अध्ययन के अनुसार चिन्हित क्षमता		क्षमता विकसित		क्षमता निर्माणाधीन		क्षमता विकसित,क्षमता निर्माणाधीन		बाकी क्षमता	
	कुल (मेगावाट)	25 मेगावाट से ऊपर (मेगावाट)	(मेगावाट)	(%)	(मेगावाट)	(%)	(मेगावाट)	(%)	(मेगावाट)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
इंडस	33832	33028	11080.3	33.55	4280.0	12.96	15360.3	46.51	17667.7	53.49
गंगा	20711	20252	4987.2	24.63	1136.0	5.61	6123.2	30.24	14128.6	69.76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
केंद्रीय भारतीय नदियां	4152	3868	3147.5	81.38	400.0	10.34	3547.5	91.71	320.5	8.29
पश्चिमी बहाव वाली नदियां	9430	8997	5660.7	62.92	100.0	1.11	5760.7	64.03	3236.3	35.97
पूर्वी बहाव वाली नदियां	14511	13775	7783.2	56.50	470.0	3.41	8253.2	59.91	5521.9	40.09
ब्रह्मपुत्र बेसिन	66065	65400	1847.0	2.82	5565.0	8.51	7412.0	11.33	57988.0	88.67
अखिल भारतीय	148701	145320	34505.8	23.74	11951.0	8.22	46456.8	31.97	98863.2	68.03

टिप्पणी : 1. 2 पीएसएस के अतिरिक्त (1080 मेगावाट) 'निर्माणाधीन हैं और 4785.6 मेगावाट पीएसएस चालू हैं।

विवरण-III

पश्चिमी नदी प्रणाली में जल विद्युत योजना
(1978-87 के पुनर्अध्ययन में चिह्नित)

क्र.सं.	योजना का नाम	राज्य	नदी	संभावित (आइसी मेगावाट)	संभावित (आईसी (25 मेगावाट से ज्यादा)
1	2	3	4	5	6
1.	दमनगंगा स्टे-I	गुजरात	दमनगंगा	14	
2.	दमनगंगा स्टे-II	गुजरात	दमनगंगा	6	
3.	सूर्या	महाराष्ट्र	सूर्या	4	
4.	पंजाल-I	महाराष्ट्र	पंजाल	4	
5.	पंजाल-II	महाराष्ट्र	पंजाल	7	
6.	वैतरना-I	महाराष्ट्र	वैतरना	28	28
7.	वैतरना-II	महाराष्ट्र	वैतरना	7	
8.	वैतरना-III	महाराष्ट्र	वैतरना	7	
9.	भत्सा आरबीसी	महाराष्ट्र	भत्सा	3	

1	2	3	4	5	6
10.	भत्सा आरबीसी	महाराष्ट्र	भत्सा	10	
11.	कालु	महाराष्ट्र	कालु	16	
12.	डोलवहाल	महाराष्ट्र	कुंडालीक	10	
13.	भीरा टेल रेस	महाराष्ट्र	कुंडालीक	55	55
14.	कापसी	महाराष्ट्र	कापसी	13	
15.	बेव	महाराष्ट्र	बेव	22	
16.	काजवी	महाराष्ट्र	काजवी	14	
17.	मचकनदी	महाराष्ट्र	मचकनदी	11	
18.	वगोटन	महाराष्ट्र	वगोटन	19	
19.	गाड	महाराष्ट्र	गाड	21	
20.	तिल्लारी	महाराष्ट्र	तिल्लारी	39	39
21.	सोनल	गोआ	मांडवी	55	55
22.	कोटनी	कर्नाटक	मांडवी	24	
23.	कृष्णापुर	कर्नाटक	मांडवी	210	210
24.	कालीनदी I (सूपा)	कर्नाटक	कालीनदी	140	140
25.	कालीनदी I (डाडेली II)	कर्नाटक	कालीनदी	60	60
26.	कालीनदी I (नागझारी)	कर्नाटक	कालीनदी	855	855
27.	कालीनदी I (काडासाली)	कर्नाटक	कालीनदी	95	95
28.	कालीनदी I (काडरा)	कर्नाटक	कालीनदी	100	100
29.	कालीनदी I (मार्दी)	कर्नाटक	कालीनदी	175	175
30.	गंगावली (बेडटी) स्टे. I	कर्नाटक	गंगावली	380	380
31.	गंगावली (सोंडा) स्टे. II	कर्नाटक	गंगावली	105	105
32.	अघनाशीनी	कर्नाटक	अघनाशीनी	370	370

1	2	3	4	5	6
33.	बन्नेहोल	कर्नाटक	बन्नेहोल	55	55
34.	लिंगनामक्की	कर्नाटक	शरावती	125	125
35.	शरावती	कर्नाटक	शरावती	1365	1365
36.	शरावती टेल रेस	कर्नाटक	शरावती	157	157
37.	मनी डैम	कर्नाटक	वराही	14	
38.	वराही	कर्नाटक	वराही	305	305
39.	मछ्टू	कर्नाटक	वराही	35	35
40.	नेरिया	कर्नाटक	नेरिया	12	
41.	नेत्रावती	कर्नाटक	नेत्रावती	60	60
42.	सिरपादी	कर्नाटक	नेत्रावती	38	38
43.	गुंडिया	कर्नाटक	गुंडिया	20	
44.	कुमाराधारी	कर्नाटक	कुमाराधारी	49	49
45.	बारापोल I	कर्नाटक	बारापोल	335	335
46.	बरापोल II	केरल	बारापोल	85	85
47.	कुट्टीयादी	केरल	कुट्टीयादी	80	80
48.	चलीपुझा	केरल	वायपोर	50	50
49.	चोलाथीपुझा	केरल	वायपोर	80	80
50.	पंडियार पुनपुझा II	केरल	पंडियार	85	85
51.	साइलेंट वैली	केरल	कुंडीपुझा	130	130
52.	इडुकी I-II	केरल	पेरियार	565	565
53.	इडुकी III	केरल	पेरियार	130	130
54.	लोअर पेरियार	केरल	पेरियार	145	145
55.	पल्लीवसल रिप्लेसमेंट	केरल	मुदीरापुझा	190	190

1	2	3	4	5	6
56.	सेनगुलाम	केरल	डब्लू कल्लार	55	55
57.	अनीयारानकल	केरल	पन्नीयार	11	
58.	राजाकड पी/एच	केरल	मुदीरापुझा	23	
59.	मुदीरापुझा	केरल	मुदीरापुझा	17	
60.	पन्नीयार प्रिजालकुटी	केरल	पन्नीयार	10	
61.	पन्नीयार	केरल	पन्नीयार	40	40
62.	नेरियामंगलम	केरल	मुदीरापुझा	65	65
63.	पेरीनजानकुट्टी	केरल	पेरीनजानकुट्टी	120	120
64.	मनाली	केरल	इदमलयार	36	36
65.	कुडल	केरल	इदमलयार	47	
66.	मनीकुलम	केरल	पुयानकुट्टी	14	
67.	पुयानकुट्टी	केरल	पुयानकुट्टी	285	285
68.	इदमलयार	केरल	इदमलयार	55	55
69.	शोलायार	केरल	शोलायार	75	75
70.	अनेकयाम	केरल	चलाकुड्डी	12	
71.	कारापारा	केरल	कारापारा	12	
72.	पुल्लीकलर	केरल	कुरीयाकुटभ्	14	
73.	कुरीयाकुटी	केरल	कुरीयाकुटी	65	65
74.	पोरिंगलकुथु (आरबी)	केरल	चलाकुडी	65	65
75.	पोरिंगलकुथु (एलबी)	केरल	चलाकुडी	60	60
76.	अदीरापल्ली	केरल	चलाकुडी	65	65
77.	सबारीगिरी	केरल	पंबा	410	410
78.	ककड्	केरल	ककड्	75	75
79.	लोअर सबारीगिरी	केरल	ककड्	55	55

1	2	3	4	5	6
80.	टवीन कल्लार मल्टीपरपस	केरल	अचनकोवील	65	65
81.	कल्लाडा	केरल	कल्लाडा	15	
82.	अपर पंडीयार I	तमिलनाडु	पंडीयार	11	
83.	अपर पंडीयारा II	केरल	पंडियार	8	
84.	पंडियार-पुन्नापुझा I	तमिलनाडु	पंडियार	125	125
85.	अक्कामलाइ	तमिलनाडु	भारतपुझा	14	
86.	अपर अलियार	तमिलनाडु	भारतपुझा	90	90
87.	पिरयार लेक	तमिलनाडु	पिरयार	145	145
88.	निरार	तमिलनाडु	इदमलयार	26	26
89.	शोलायार-I	तमिलनाडु	शोलायार	75	75
90.	शोलायार-II	तमिलनाडु	शोलायार	14	
91.	सरकारपथी	तमिलनाडु	पिरयार	33	33
92.	कोडायर I	तमिलनाडु	कोडायर	65	65
93.	कोडायर II	तमिलनाडु	कोडायर	30	30
94.	पारालियार	तमिलनाडु	परालियार	39	39
	कुल (पश्चिमी प्रवाह वाली नदियां 94 योजना)			9430	8997

विवरण-IV

पश्चिमी नदी प्रणाली में जल विद्युत संभावना की स्थिति

31.07.2012 तक

जल विद्युत विकसित (चालू)

सं.	योजना	आई सी (मेगावाट)
1	2	3
1.	शरावती	1035.00
2.	जोग	139.20
3.	लिंगनामक्की	55.00
4.	कालीनदी-I (सूपा डीपीएच)	100.00
5.	कालीनदी-I (नागझारी)	855.00
6.	पल्लीवसल	37.50
7.	सेनगुलाम	48.00

1	2	3
8.	नरीयामंगलम एंड एक्सटें	70.00
9.	सबरीगिरी	300.00
10.	कुट्टीयादी	75.00
11.	शोलायार	54.00
12.	इदमयालार	75.00
13.	पन्नीयार	30.00
14.	इडुकी I-II	780.00
15.	पोरिंगालकुटु	32.00
16.	पेरियार	140.00
17.	परांबीकुलम-(अलीयार, शोलायार, सरकापरथी)	185.00
18.	वैतरना	60.00
19.	तील्लीरी	60.00
20.	भैरा टीआर	80.00
21.	कोडयार I-II	100.00
22.	वराही	230.00
23.	वराही एक्सटें	230.00
24.	लोअर पेरियार	180.00
25.	कालीनदी II खाद्रा	150.00
26.	कोडासल्ली	120.00
27.	ककड़	50.00
28.	सरावती टीआर (गेरसोपा डीपीएच)	240.00
29.	कुटीयादी एक्टे	50.00
30.	कुटीयादी एडी एक्सटें	100.00
	कुल	5660.70

निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाएं

सं.	योजना	आईसी (मेगावाट)
1	पलीवसल	60.00
2	थाटीयार	40.00
	कुल	100.00

यौन-संक्रमित रोग

2196. **श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य-वार कितने बच्चे यौन-संक्रमित रोगों से पीड़ित हैं; और

(ख) संक्रमित बच्चों के उपचार तथा रोग-निवारण के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. गांधीसेलवन) : (क) एसटीआई/आरटीआई नियंत्रण और रोकथाम कार्यक्रम एसटीआई (बच्चों, किशोरों और वयस्कों) से पीड़ित 20 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों के लिए नाको के कंप्यूटरीकृत मॉनीटरन सूचना प्रणाली (सीएमआईएस) में डाटा रिकॉर्ड करता है। इस डाटा को आयुवार और वर्गीकृत नहीं किया गया है।

1122 नामोदिष्ट एसटीआई/आरटीआई क्लीनिकों से नाको-सीएमआईएस के अनुसार वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान भारत में आरटीआई/एसटीआई के लिए निदान किए गए और उपचारित 20 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों की संख्या 1,48,253 है।

वर्ष 2011-12 के संबंध में 20 वर्ष से कम एसटीआई/आरटीआई व्यक्तियों का राज्य-वार वितरण का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) एनएसीपी-III के अंतर्गत एसटीआई/आरटीआई नियंत्रण और रोकथाम कार्यक्रम जनस्वास्थ्य परिचर्या सुविधा केंद्रों (जिला अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, उप मंडलीय अस्पताल) के जरिए निःशुल्क एसटीआई/आरटीआई सेवाओं के प्रावधान में मदद करता है। एसटीआई के रोगियों को सभी जनस्वास्थ्य सुविधा केंद्रों में कलर कोडिड औषधों और कंडोमों के जरिए एसटीआई के लिए निःशुल्क परामर्श, उपचार प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त, एसटीआई संक्रमण की रोकथाम को प्रोत्साहन देने के लिए जिला अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में परामर्शी सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

एनआरएचएम के अंतर्गत किशोर प्रजनन (रिप्रोडक्टिव) और यौन स्वास्थ्य कार्यक्रम (एआरएसएस) के तहत 10 से 19 वर्ष की आयु के किशोरों के स्वास्थ्य संबंधी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए मौजूदा स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों के विभिन्न स्तरों पर एआरएसएच क्लीनिक स्थापित किए जाते हैं। इन क्लीनिकों में किशोर स्वास्थ्य संबंधी प्रशिक्षित कार्मिका शक्ति की तैनाती की जाती है। विशिष्ट उपचार के लिए क्लीनिकों पर उपलब्ध परामर्शी और जांच सेवाओं के अलावा रोगियों को विशिष्ट डॉक्टरों/सुविधा केंद्रों को और एसटीआई/आरटीआई की दशा में स्त्री रोग विज्ञानी को रेफर किया जाता है।

विवरण

वर्ष 2011-12 के संबंध में बच्चों, किशोरों और युवाओं (20 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति) में एसटीआई/आरटीआई का राज्यवार विवरण

राज्य	20 वर्ष से कम आयु के एसटीआई रोगियों की संख्या
1	2
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	14
आंध्र प्रदेश	22594
अरुणाचल प्रदेश	1699
असम	4147
बिहार	9901
चंडीगढ़	240
छत्तीसगढ़	1349
दादरा और नगर हवेली	608
दमण और दीव	36
दिल्ली	2080
गोवा	330
गुजरात	5361
हरियाणा	3452
हिमाचल प्रदेश	867
जम्मू और कश्मीर	1356
झारखंड	6394
कर्नाटक	6986
केरल	283
मध्य प्रदेश	9778
महाराष्ट्र	10637
मणिपुर	393
मेघालय	364
मिजोरम	532
नागालैंड	478
ओडिशा	5121
पुदुचेरी	88
पंजाब	2368

1	2
राजस्थान	12375
सिक्किम	122
तमिलनाडु	5008
त्रिपुरा	2094
उत्तर प्रदेश	23056
उत्तरांचल	2073
पश्चिम बंगाल	6069
कुल	148253

जनजातीय विकास परियोजनाओं का पुनर्गठन

2197. **श्री सोहन पोटाई : क्या जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रशासनिक खामियों के कारण जनजातीय विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन में आ रही दिक्कत की वजह से, राज्यों से इनके पुनर्गठन के संबंध में प्रस्ताव मिले हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) समेकित जनजातीय विकास परियोजनाओं का पुनर्गठन कब तक किए जाने की संभावना है?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री महादेव सिंह खंडेला) : (क) राज्यों से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

एयर इंडिया के लिए लाभकारी/ घाटे वाले वायुमार्ग

2198. **श्री चार्ल्स डिएस :**

श्री ए. सम्पत :

श्री ए.के.एस. विजयन :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च, 2012 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान एयर इंडिया द्वारा किन-किन वायुमार्गों पर उड़ानों का संचालन किया गया है ओर इसके दौरान कौन-सी उड़ानों/वायुमार्गों पर लाभ अर्जित किया गया;

(ख) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान एयर इंडिया या इसकी अनुषंगी कंपनियों द्वारा संचालित किन-किन उड़ानों/वायुमार्गों को निजी विमान सेवाओं को देने की पेशकश की गई/सौंपा गया;

(ग) उपर्युक्त अवधि के दौरान, एयर इंडिया और इसकी अनुषंगी कंपनियों द्वारा संचालित ऐसे प्रत्येक वायुमार्ग से उक्त विमान सेवाओं ने विमान सेवा-वार, वायुमार्ग-वार कितना लाभ अर्जित किया;

(घ) उक्त वायुमार्गों से एयर इंडिया तथा इसकी अनुषंगी कंपनियों की सेवाएं संचालित न किए जाने के क्या कारण थे;

(ङ) उड़ानों का संचालन तथा व्यवहार्यता निर्धारित करने के लिए एयर इंडिया द्वारा किन मानदंडों का अपनाया गया; और

(च) उक्त अवधि के दौरान विभिन्न घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय वायुमार्गों पर प्रतिवर्ष एयर इंडिया की सेवा लेने वाले यात्रियों की संख्या कितनी रही है तथा अधिकतम यात्रियों को आकर्षित करने और अधिकतम लाभ अर्जित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) एयर इंडिया और इसकी अनुषंगी विमान कंपनियां 68 अंतर्राष्ट्रीय सेक्टरों और 122 घरेलू सेक्टरों पर उड़ानें प्रचालित की जा रही हैं। इन मार्गों में से एयर इंडिया को 11 अंतर्राष्ट्रीय सेक्टरों और 46 घरेलू सेक्टरों पर होने वाले नकद खर्चे की भरपाई हो रही है।

(ख) एयर इंडिया ने अपने किसी मार्ग को निजी एयरलाइनों को प्रदान/हस्तांतरित नहीं किया।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) एयर इंडिया अपने नेटवर्क पर वहन/भार कारक/सेवाओं के वित्तीय कार्य निष्पादन को आवधिक आधार पर मॉनीटर करती है और कार्य निष्पादन में सुधार के लिए प्रयास करती है। एयर इंडिया घाटे के कारणों का भी विश्लेषण करती है और अपने नेटवर्क पर ऐसी सेवाओं के रणनीतिक महत्ता के आधार पर निर्णय लेती है कि क्या ऐसी सेवाओं को जारी रखा जाए या वापस ले लिया जाए। एयर इंडिया घाटे में चलने वाली सेवाओं के प्रचालन का वांछनीयता या अन्यथा उसे बन्द करने का निर्धारण करते समय एयर इंडिया फीडर यातायात के रूप में इसकी अन्य सेवाओं को उक्त सेवा के अधीन करते हुए राजस्व अंशदान को ध्यान में रखती है। इस प्रकार किसी एक उड़ान की अलाभप्रदत्ता को वित्तीय कार्य निष्पादन के सोल बैरोमीटर के रूप में अलग-थलग नहीं रखा जा सकता है।

(च) अप्रैल, 2011 से मार्च, 2012 की अवधि के दौरान एयर इंडिया ने अपने घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय सेक्टरों पर क्रमशः 8.02 मिलियन तथा 5.59 मिलियन यात्रियों का वहन किया।

एयर इंडिया द्वारा यात्रियों को आकर्षित करने और अपनी सेवाओं में सुधार करने के लिए कुछ कदम उठाए गए हैं, जो निम्नवत् हैं:

(i) यात्रियों को आकृष्ट करने के लिए कई घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय मार्गों पर ब्रांड न्यू विमानों को शामिल करना।

(ii) सभी प्रमुख घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय मार्गों पर नए अर्जित विमानों को प्रचालित किया गया है।

(iii) अंतर्राष्ट्रीय सेवाओं के समय को युक्तिसंगत बनाया गया है।

(iv) सभी प्रमुख घरेलू मार्गों पर बहुदैनिक सेवाएं प्रदान की गई हैं।

(v) भारत-यूएसए के विभिन्न मार्गों पर सीधी सेवाएं शुरू की गई हैं।

(vi) अन्य मेट्रो शहरों से आने वाले यात्रियों के लिए दिल्ली और मुम्बई पर हब एवं स्पोक सेवाएं उपलब्ध कराना।

भारतीय शांति सेना के सैनिकों का मारा जाना

2199. **श्री पी. विश्वनाथन** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को श्रीलंका में भारतीय शांति सेना के कई सैनिकों के मारे जाने के कृत्य में लिप्त व्यक्तियों के पूर्ववर्ती ब्यौरों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने अभियुक्तों को भारत प्रत्यर्पित करने के बारे में संबंधित देशों की सरकारों के साथ इस मामले को उठाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर) : (क) से (ङ) वर्ष 1987 में हस्ताक्षरित भारत-श्रीलंका करार के अधिदेश के तहत, भारतीय शांति सेना (आईपीकेएफ) शांति बहाली अभियानों को चलाने के लिए वर्ष 1987 से वर्ष 1990 के बीच श्रीलंका में तैनात थी। उपलब्ध सूचना के अनुसार, इन अभियान कार्यों के दौरान, भारतीय शांति सेना के 1166 कार्मिकों (51 अधिकारियों, 78 जेसीओज् और 1037 ओआरज्) को श्रीलंका में मुख्य रूप से लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम (एलटीटीई) के साथ संघर्ष में अपनी जान गंवानी पड़ी। भारत सरकार ने 14 मई, 1992 को एलटीटीई को गैर-कानूनी गतिविधि (निरोधक) अधिनियम, 1967 के तहत एक गैर-कानूनी संगठन करार दिया था। इस निर्धारण को तब से प्रत्येक दो वर्षों में नवीकृत किया गया है। एलटीटीई को गैर-कानूनी गतिविधि (निरोधक) अधिनियम के तहत एक 'आतंकवादी संगठन' के रूप में भी घोषित कर दिया गया है। श्रीलंका में सशस्त्र संघर्ष मई, 2009 में समाप्त हो गया।

[हिन्दी]

विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए सुविधाएं

2200. **श्री अशोक कुमार रावत** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने की दृष्टि से सरकार का हवाई-यात्रा के दौरान यात्रियों को विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त कदम से विदेशी पर्यटकों का भारत आने के लिए किस प्रकार उत्साहवर्धन होने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) और (ख) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है। तथापि विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए सरकार छोटे और मझोले हवाईअड्डों सहित मौजूदा हवाईअड्डों का विस्तार/उन्नयन कर हवाईअड्डा अवसंरचना के विकास को प्रोत्साहित कर रही है और निम्नलिखित को सुनिश्चित करने की दृष्टि से नए हवाईअड्डों की स्थापना भी करती है:-

(i) अवसंरचना भावी मांग के अनुरूप तैयार की गई है।

(ii) पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण दूर दराज के तथा दुर्गम क्षेत्रों में विमान संपर्कता की सुविधा प्रदान करने/प्रोत्साहित करने के लिए हवाईअड्डा अवसंरचना विकास को सहायता प्रदान करना।

(iii) सरकार ने पूरे देश में विदेशी पर्यटकों को सुविधा प्रदान करने के लिए 17 हवाईअड्डों को अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डों के रूप में और 9 हवाईअड्डों को कस्टम हवाईअड्डों के रूप में घोषित किया है।

इसके अतिरिक्त, हवाईअड्डा प्रचालक विश्वस्तरीय अवसंरचना जैसे टर्मिनल भवन, अप्रवासन सुविधा, हवाईअड्डे के आस-पास शहर की ओर विकास सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं। साथ ही पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों पर कई हवाईअड्डे विकसित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, नागर विमानन मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय ने एक-दूसरे के सहयोग के लिए दिनांक 21.03.2012 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं ताकि भारत को विश्वभर में बेहतर पर्यटन स्थल का दर्जा मिल सके और विश्वभर में 'अतुल्य भारत' की पहचान को बढ़ावा मिल सके। एयरलाइनों को उनकी उड़ानों में दिखाने के लिए अतुल्य भारत की गरिमा बढ़ाने वाली फिल्म प्रदान की गई है।

(ग) मंत्रालय द्वारा ऐसा कोई मूल्यांकन नहीं किया गया है।

[अनुवाद]

प्रशामक परिचर्या कार्यक्रम

2201. श्री ए. सम्पत : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सरकारी-निजी भागीदारी सहित नए तरीके शुरू करके प्रशामक परिचर्या कार्यक्रम को मजबूत करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रशामक परिचर्या के लिए विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा कितनी राशि व्यय की गई तथा इसके लाभार्थियों की संख्या राज्य-वार कितनी रही;

(घ) क्या स्थानीय स्वशासी निकायों, गैर-सरकारी संगठनों तथा धर्मार्थ संस्थानों को इस हेतु उनके सेवा-संचालनार्थ भारत सरकार से कोई अनुदान या वित्तीय सहायता प्राप्त होती है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) प्रशामक परिचर्या कार्यकलाप राष्ट्रीय कैंसर, मधुमेह, हृदवाहिका रोग एवं आघात निवारण एवं नियंत्रण कार्यक्रम (एनपीसीडीसीएस) के अंतर्गत स्वास्थ्य परिचर्या प्रदानगी प्रणाली में क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों सहित जिला अस्पतालों तथा तृतीयक कैंसर केन्द्रों में इस मंत्रालय द्वारा किए जाते हैं।

(ग) स्वास्थ्य राज्य का विषय है। राज्य स्तरीय कार्यकलापों से संबंधित सूचना केन्द्र स्तर पर नहीं रखी जाती है।

(घ) और (ङ) एनपीसीडीसीएस के अंतर्गत, प्रशामक परिचर्या के लिए गैर-सरकारी संगठनों इत्यादि को वित्तपोषित करने की फिलहाल कोई योजना नहीं है।

जनजातीय शिल्पकार मेला

2202. श्री लक्ष्मण टुडु :
श्री यशवंत लागुरी :

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ लिमि. (ट्राईफेड) द्वारा आयोजित किए गए जनजातीय शिल्पकार मेलों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार उक्त प्रयोजनार्थ गैर-सरकारी संगठनों (एन. जी.ओ.) को सहायता उपलब्ध कराती है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त अवधि के दौरान राज्य-वार तथा एन.जी.ओ.-वार कितनी धनराशि आबंटित की गई;

(घ) क्या सरकार को इस प्रयोजनार्थ राशि के वितरण में किसी अनियमितता का पता चला है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार एवं एन.जी.ओ.-वार ब्यौरा क्या है; और

(च) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री महादेव सिंह खंडेला) : (क) विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान ट्रायफेड द्वारा आयोजित जनजातीय शिल्पकार मेलों (टीएएम) के वर्षवार तथा राज्यवार ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

क्र. सं.	राज्य	वर्ष 2009-10		वर्ष 2010-11		वर्ष 2011-12		वर्ष 2012-13	
		टीएमए की सं.	स्थान	टीएमए की सं.	स्थान	टीएमए की सं.	स्थान	टीएमए की सं.	स्थान
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	–	–	–	–	02	भद्राचलम, खम्माम	01	अदिलाबाद
2.	असम	01	गुवाहाटी	–	–	02	कोकराझार, गुवाहाटी	–	–
3.	गुजरात	01	अहमदाबाद	02	बयारा, वंसदा	02	वयारा, वंसदा	–	–
4.	हिमाचल प्रदेश	01	कुल्लू	02	केलौंग, रैकोंग पेओ	–	–	01	कुल्लू
5.	झारखंड	01	रांची	–	–	02	रांची, देवघर	–	–
6.	मध्य प्रदेश	01	झाबुआ	01	मांडला	02	डिंडोरी, खरगोंन	–	–
7.	महाराष्ट्र	–	–	–	–	02	मुंबई, अलीबाग	–	–
8.	मेघालय	–	–	–	–	01	शिलांग	–	–
9.	नागालैंड	–	–	01	दिमापुर	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.	ओडिशा	—	—	—	—	01	नबरंगपुर	—	—
11.	राजस्थान	01	उदयपुर	—	—	01	उदयपुर	—	—
12.	सिक्किम	—	—	01	गंगाटोक	—	—	02	रांगो, तोतोबारी
13.	तमिलनाडु	—	—	—	—	01	कोयंबटुर	—	—
14.	उत्तराखंड	01	धारचुला	—	—	02	उत्तरकाशी, सितारगंज	—	—
15.	उत्तर प्रदेश	—	—	—	—	02	सोनभद्रा, लखीमपुर	—	—
16.	पश्चिम बंगाल	—	—	—	—	02	दार्जिलिंग, बर्दवान	—	—
	कुल	07		07		22		04	

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) से (च) उपरोक्त (ख) तथा (ग) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए लागू नहीं।

राजीव आरोग्यश्री स्वास्थ्यचर्या बीमा योजना

2203. श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे के लोगों के लाभार्थ संचालित अपनी 'राजीव आरोग्यश्री स्वास्थ्यचर्या बीमा योजना' के लिए केन्द्र सरकार से अनुदान प्रदान करने तथा इस योजना पर आने वाले व्यय को 70:30 के अनुपात में सांझा करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए राजीव आरोग्यश्री स्वास्थ्य बीमा योजना के कार्यान्वयन के लिए आंध्र प्रदेश सरकार ने 307 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता का एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था।

मंत्रालय का यह मत है कि राजीव आरोग्यश्री योजना तृतीयक परिचर्या के रूप में है और यह एनआरएचएम के उद्देश्यों के अनुरूप नहीं है जहां प्राथमिक और द्वितीयक स्वास्थ्य परिचर्या पर ध्यान केन्द्रित रहता है। हालांकि मंत्रालय को इसमें कोई आपत्ति नहीं है यदि इसका व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया गया हो। योजना आयोग ने भी इस योजना का स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन किया था और उसे भी ये अनुदान उचित नहीं लगे।

आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार ने भी एनआरएचएम के तहत पीआईपी के जरिए भी वर्ष 2007-08, 2008-09 और 2009-10 के लिए अनुदान की मांग की। एनआरएचएम की राष्ट्रीय कार्यक्रम समन्वय समिति (एनपीसीसी) द्वारा समीक्षा के बाद भारत सरकार ने वर्ष 2007-08 और 2008-09 के लिए 10-10 करोड़ रुपए का टोकन अनुदान स्वीकृत किया। हालांकि, इस उद्देश्य से 2009-2010 में कोई भी अनुदान स्वीकृत नहीं किया गया।

यात्रा एजेंट

2204. श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा :
श्री एस.आर. जेयदुरई :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया का विचार यात्रा-एजेंटों को दी जाने वाली कमीशन राशि में परिवर्तन करने/उसे कम करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं इसके क्या कारण हैं तथा छोटे एवं मध्यम स्तर के यात्रा-एजेंटों पर इसका संभावित प्रभाव क्या होगा;

(ग) क्या इस संबंध में यात्रा-एजेंट संघ ने सरकार से संपर्क किया है;

(घ) यदि हां, तो सरकार से अपने अभ्यावेदन में यात्रा-एजेंट संघ द्वारा की गयी शिकायतों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर सरकार की प्रतिक्रिया है?

नागर विमानन मंत्री (श्री अजीत सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। एयर इंडिया ने 16 जुलाई, 2012 से मूल किराये तथा ईंधन अधिभार पर देय कमीशन को 3% से घटाकर 1% कर दिया है। एयर इंडिया की वितरण लागतों को बचाने के लिए यह कमी की गई है। ट्रैवल एजेंटों को देय कमीशन में कटौती करने के कारण, छोटे और मझौले ट्रैवल एजेंटों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि ट्रैवल एजेंट अपने ग्राहकों से ट्रांजेक्शन शुल्क/सेवा शुल्क वसूल करते हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

कन्या-भ्रूण हत्या

2205. श्री संजय निरूपम : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो (एनसीआरबी) की हालिया रिपोर्ट की ओर ध्यान दिया है जिसमें कहा गया है कि देश में महाराष्ट्र में परित्यक्त नवजातों की संख्या सबसे अधिक है तथा शिशु हत्या तथा भ्रूण हत्या के मामले में वह छठे स्थान पर है;

(ख) यदि हां, तो महाराष्ट्र में इस प्रकार के अपराधों पर रोक लगाने के लिए सरकार द्वारा चलाए गए विभिन्न कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान इन योजनाओं के अंतर्गत महाराष्ट्र को कितनी राशि आबंटित की गई तथा उसका कितना उपयोग हुआ;

(घ) इन योजनाओं के अंतर्गत मुंबई के लिए कितनी राशि निर्धारित की गई है;

(ङ) क्या सरकार को जानकारी है कि भारत के शहरों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध गर्भपात एवं अवैध गर्भ-परीक्षण करने और कराने का सिलसिला अब भी जारी है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस दिशा में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदीप बंदोपाध्याय) : (क) राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट "भारत में अपराध 2011" के अनुसार महाराष्ट्र में बच्चों की अरक्षितता एवं परित्याग के 189 मामले सूचित किए गए हैं। वर्ष 2011 में एनसीआरबी द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार भ्रूण हत्या एवं शिशु हत्या के संबंध में यह राज्य क्रमशः पांचवें एवं छठे स्थान पर है।

(ख) और (ग) राज्य सरकार द्वारा आबंटित एवं उपयोग में लाई गई धनराशि सहित किए गए कार्यक्रमों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) मुम्बई के लिए अलग से कोई धनराशि नियत नहीं की गई है।

(ङ) और (च) ऐसा कोई आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। सरकार ने पीसी एवं पीएनडीटी के प्रभावी कार्यान्वियन के जरिए कन्या भ्रूण हत्या के विरुद्ध अभियान को तेज किया है जैसा नीचे उल्लेख किया गया है:

- केन्द्रीय पर्यवेक्षी बोर्ड पुनर्गठित किया गया है तथा नियमित बैठकें आयोजित की जा रही हैं। बोर्ड ने अधिनियम के कार्यान्वयन के संबंध में राज्यों द्वारा की गई प्रगति की समीक्षा की, चुनौतियों से निपटने के

लिए नियमों एवं कार्यनीतियों में संशोधनों को अनुमोदित किया।

- सुवाह्य अल्ट्रासाउंड उपस्कर के दुरुपयोग को विनियमित करने तथा गैर-पंजीकृत मशीनों की जब्ती एवं अधिनियम के तहत और अधिक सजा, अल्ट्रासाउंड नैदानिक सुविधाओं के पंजीकरण शुल्कों में वृद्धि, क्लिनिकों/सुविधा केन्द्रों में डॉक्टरों के अनेक पंजीकरणों पर प्रतिबंध इत्यादि का प्रावधान करने के लिए पीसी एवं पीएनडीटी नियमावली में महत्वपूर्ण संशोधन अधिसूचित किए गए हैं।

- कन्या शिशु के प्रति विषम बाल लिंग अनुपात वाले क्षेत्रों पर अत्यधिक बल देने के लिए 28 सितम्बर, 2011 को माननीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री की अध्यक्षता में राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ एक मंत्रालयीन बैठक आयोजित की गई।

- सर्वाधिक विषय बाल लिंग अनुपात वाले 17 राज्यों की पहचान समन्वित ध्यान के लिए की गई है। इन राज्यों में स्वास्थ्य सचिवों की बैठक पहले 20 अप्रैल, 2011 को आयोजित की गई, उसके बाद अनेक समीक्षा बैठकें की गईं।

- राष्ट्रीय निरीक्षण एवं अनुवीक्षण समिति द्वारा निरीक्षणों को बढ़ा दिया गया है। एनआईएमसी का पुनर्गठन किया गया है तथा निरीक्षणों के अलावा इसे निरीक्षणों के दौरान अधिनियम के तहत उल्लंघन के दोषी पाए गए संगठनों के विरुद्ध उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा अनुवर्ती कार्रवाई की निगरानी करने के लिए भी अधिकार प्रदान किया गया है।

- गिरते हुए बाल लिंग अनुपात तथा पीसी एवं पीएनडीटी अधिनियम के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए गैर-सरकार संगठनों को सहायता अनुदान किया जाता है।

- राज्यों को पीसी एवं पीएनडीटी अधिनियम के संवर्धन के लिए एनआरएचएम के तहत वित्तपोषण का लाभ उठाने के लिए कहा गया है।

- राज्यों को कारणों का पता लगाने के लिए निम्न बाल लिंग अनुपात वाले जिलों/खंडों/ग्रामों पर बल देने, उपयुक्त बीसीसी अभियान की योजना बनाने तथा पीसी एवं पीएनडीटी अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने की सलाह दी गई है।

विवरण

पीसी एवं पीएनडीटी अधिनियम तथा सावित्रीबाई फुले कन्या कल्याण योजना के कार्यान्वयन के लिए आबंटित एवं महाराष्ट्र द्वारा उपयोग में लाई गई धनराशि (लाख में)

(2009-10)

	आबंटन	व्यय
1	2	3
राज्य तथा प्रभागीय स्तर पर 8 पीएनडीटी सेल को प्रचालित करना	3.6	0.00
पीसी एवं पीएनडीटी अधिनियम से संबंधित कार्यक्रम प्रबंधकों तथा सेवा प्रदायकों का अभिविन्यास	6.6	6.85
पीसी एवं पीएनडीटी अधिनियम के तहत पंजीकृत सोनोग्राफी केन्द्रों के निरीक्षण के लिए जिला स्तर पर दलों के लिए सहायता	33	29.73
एनजीओ/एमएसडब्ल्यू छात्रों द्वारा प्रपत्र एफ के निरीक्षण के लिए सहायता	16.5	6.36

1	2	3
एफओजीएसआई, आईएमए एवं एनआईएमए के साथ कार्यशाला	6.6	5.43
एमएनजीओ योजना का कार्यान्वियन	500.8	235.00
एसएनजीओ योजना का कार्यान्वियन	300	0.00
अन्य	0	10.92
कुल (पीएनडीटी)	867.10	294.29
सावित्री फुले कन्या कल्याण योजना	62.47	55.76
महा योग	929.57	350.05
(2010-2011)		
राज्य स्तर पर पीएनडीटी सेल को प्रचालित करना	3.60	2.71
पीसी एवं पीएनडीटी अधिनियम के तहत उपयुक्त प्राधिकारियों का अभिविन्यास (20 का एक दिवसीय प्रशिक्षण बैच)	10.00	7.27
पीसी एवं पीएनडीटी अधिनियम के तहत स्टिंग ऑपरेशन के लिए सहायता	14.45	3.471
पीसी एवं पीएनडीटी अधिनियम के न्यायालय मामलों में गवाह सहायता भागदारी का प्रावधान	4.25	5.12
पीसी एवं पीएनडीटी अधिनियम के तहत पंजीकृत सोनोग्राफी केन्द्रों के निरीक्षण के लिए जिला स्तर पर दलों के लिए सहायता	30.15	18.87
एनजीओ/एमएसडब्ल्यू छात्रों द्वारा प्रपत्र-एफ की संवीक्षा के लिए सहायता	15.50	11.30
प्रपत्र-एफ फाइल करने के ऑनलाइन डाटा एंट्री हेतु, केन्द्रों के लिए प्रशिक्षण	17.25	6.98
प्रत्येक जिला अस्पताल तथा महिला अस्पताल में एक काउंसलर की नियुक्ति	28.30	19.40
जागरूकता अभियान	29.00	25.63
बालिका बचाओ परियोजना	16.76	0.00
बालिका बचाओ परियोजना के लिए इम्बेडेड डिवाइस साइमेट/आई साइमेट	48.93	48.93
कुल (पीएनडीटी	218.19	149.68
सावित्री फुले कन्या कल्याण योजना	180	167.8
महा योग	398.19	317.48

1	2	3
(2011-2012)		
राज्य स्तर पर पीएनडीटी सेल (राज्य पीसी एवं पीएनडीटी दस्ते के लिए अधिवक्ता का मानदेय प्रतिमाह 40,000/- रु. की दर से तथा यात्रा भत्ता प्रतिमाह 10,000/- रु. की दर से)	26.00	28.69
पीएनडीटी अधिनियम से संबंधित उपयुक्त प्राधिकारियों का अभिविन्यास	2.63	0.00
पीसी एवं पीएनडीटी अधिनियम के तहत स्टिंग ऑपरेशन के लिए सहायता (33 जिले तथा 23 नगर निगम)	14.00	4.96
पीसीपीएनडीटी न्यायालय मामलों में गवाह की सहायता की भागीदारी की व्यवस्था	4.95	2.72
पीसी एवं पीएनडीटी अधिनियम के तहत पंजीकृत सोनोग्राफी केन्द्रों में निरीक्षण के लिए जिला स्तर पर दलों के लिए सहायता	33.00	16.72
33 जिलों तथा 23 निगमों में उपयुक्त प्राधिकारियों तथा सोनोग्राफी केन्द्रों के मालिकों के लिए जिला स्तरीय अभिविन्यास कार्यशालाएं	29.41	19.36
जागरूकता अभियान	33.00	29.06
एफ-प्रपत्र में ऑनलाइन डाटा एंट्री के लिए प्रशिक्षण (ईएलए बैचों की संख्या है)	17.90	8.57
गैर-कानूनी लिंग निर्धारण करने वाले सोनोग्राफी केन्द्रों के मुखबिरों को पुरस्कार	25.00	2.50
राज्य स्तरीय बैठकों का व्यय (राज्य पर्यवेक्षी बोर्ड, राज्य सलाहकार समिति, निरीक्षण एवं अनुवीक्षण समिति)	2.00	0.39
एनजीओ/एमएसडब्ल्यू छात्रों द्वारा प्रपत्र-एफ के निरीक्षण के लिए सहायता	16.50	10.53
कुल (पीएनडीटी	204.39	123.50
सावित्री फुले कन्या कल्याण योजना	749.43	643.95
महा योग	953.82	767.45

फ्लाइंग-स्कूलों द्वारा धोखाधड़ी

2206. श्री मनोहर तिरकी :
श्री भूपेन्द्र सिंह :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश भर में विभिन्न फ्लाइंग-स्कूलों द्वारा कथित धोखाधड़ी की आगे जांच करने के लिए केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सी.वी.सी.) से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या सी.वी.सी. ने इस संबंध में कोई सिफारिश की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्री (श्री अजीत सिंह) : (क) से (ङ) विभिन्न उड़ान स्कूलों में कथित रूप से बरती गई अनियमितताओं के बारे में, नागर विमानन महानिदेशालय के मुख्य सतर्कता अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गई जांच रिपोर्ट के आधार पर, मुख्य सतर्कता आयुक्त ने इस मामले में इस मंत्रालय को निदेश दिया है कि वे डीजीसीए एवं भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अधिकारियों की जवाबदेही तय करें। इस मामले में मुख्य सतर्कता आयुक्त की टिप्पणियों की जांच की गई और कथित रूप से इसमें संलिप्त तीन अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने का निर्णय लिया गया। मंत्रालय ने इस मामले में आगे की जांच के लिए भी मुख्य सतर्कता आयुक्त से अनुमति मांगी। उसके बाद यह भी निर्णय लिया गया है कि पूरे देश में प्रशिक्षण प्रयोजनों के लिए उड़ान स्कूलों की जरूरतों के परिप्रेक्ष्य में विभिन्न प्रभारों के लिए नाम मात्र दर की अदायगी की सुविधा लेने वाले उड़ान स्कूलों की पात्रता मानदंड की दुबारा से जांच की जाए।

[हिन्दी]

मृदु पेयों/शीतल पेयों की गुणवत्ता

2207. श्री जितेन्द्र सिंह बुंदेला :
श्री सुरेश कुमार शेटकर :
श्रीमती श्रुति चौधरी :
श्री रायापति सांबासिवा राव :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में नकली मृदु पेयों/शीतल पेयों की बिक्री/विनिर्माण तथा ब्रांडेड मृदु पेयों/शीतल पेयों में कीटनाशक तत्वों की अवशिष्ट मात्रा की अनुमत्य स्तर से अधिक उपस्थिति पर गौर किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पिछले तीन वर्षों में एवं चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार ऐसे कितने मामलों का पता चला तथा इन पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई;

(ग) क्या सरकार ने एक अध्ययन पर गौर किया है जिसमें कहा गया है कि कतिपय ब्रांडों के मृदु पेयों/शीतल पेयों में अॅल्कोहल की मात्रा पाई गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) देश में मृदु पेयों/शीतल पेयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदीप बंदोपाध्याय) : (क) राज्य/संघ राज्य सरकारों के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा मृदु/कोल्ड ड्रिंक सहित विभिन्न खाद्य पदार्थों के यादृच्छिक नमूने नियमित रूप से लिए जाते हैं और इनकी खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम और इसके अंतर्गत बनाए गए विनियमनों के तहत विहित मानदंडों के अनुसार खाद्य जांच प्रयोगशालाओं में जांच की जाती है। विहित मानदंडों के अनुरूप न पाए गए नमूनों के संबंध में कार्रवाई की जाती है।

(ख) केंद्रीय स्तर पर मृदु/कोल्ड ड्रिंक का कोई अलग से डाटा नहीं रखा जाता है। तथापि, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार वर्ष 2009, 2010 और 2011-12 के दौरान खाद्य अपमिश्रण के लिए पंजीकृत/चालान किए गए मामलों की संख्या और दोष सिद्ध किए गए मामलों की संख्या दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) से (ङ) हालांकि इस प्रयोजनार्थ गठित नोडल प्राधिकरण भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के पास ऐसा कोई अध्ययन उपलब्ध नहीं है तथापि खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योज्य) विनियम 2011 के अनुसार मृदु/कोल्ड ड्रिंक में शराब मिलाने की अनुमति नहीं है।

वियिनमन में विहित न की गई किसी भी मद को मृदु पेयों में मिलाने की अनुमति नहीं है। जहां भी इसका उल्लंघन पाया जाता है वहां मिसब्रांडिंग, अपमिश्रण इत्यादि के लिए एफएसएस अधिनियम, 2006 की धारा 23 के अंतर्गत खाद्य कारोबार प्रचालक (एफबीओ) के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। शास्तियां अधिकतम 10 लाख रुपए तक बढ़ाई जा सकती हैं।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान पंजीकृत, चालान किए गए, दोषी ठहराए गए मामलों की संख्या के बारे में तुलनात्मक विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2009		2010		2011-12	
		पंजीकृत, चालान किए गए मामलों की संख्या	दोषी ठहराए गए मामलों की संख्या	पंजीकृत, चालान किए गए मामलों की संख्या	दोषी ठहराए गए मामलों की संख्या	पंजीकृत, चालान किए गए मामलों की संख्या	दोषी ठहराए गए मामलों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	415	32	382	37	342	56
2.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
3.	अरुणाचल प्रदेश	10	1	16	7	-	-
4.	असम	105	11	103	10	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
5.	बिहार	237	0	293		251	0
6.	चंडीगढ़	153	7	121	118	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
7.	छत्तीसगढ़	0	0			अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
8.	दादरा और नगर हवेली	3	0	0	0	0	0
9.	दमण और दीव	0	0	0	0	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
10.	दिल्ली	225	99	0	127	70	0
11.	गोवा	9	0	2	0	13	-
12.	गुजरात	619	44	683	99	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
13.	हरियाणा	496	71	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
14.	हिमाचल प्रदेश	143	18	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
15.	जम्मू और कश्मीर	2661	1230	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	126	12

1	2	3	4	5	6	7	8
16.	झारखंड	0	0	26	0	53	0
17.	कर्नाटक	56	0	91	2	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
18.	केरल	0	0	0	0	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
19.	लक्षद्वीप	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	0	0	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
20.	मध्य प्रदेश	533	23	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
21.	महाराष्ट्र	445	68	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	677	74
22.	मणिपुर	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	0	0	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
23.	मेघालय	0	0	0	0	-	-
24.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0
25.	नागालैंड	3	2	3	3	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
26.	ओडिशा	82	3	29	6	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
27.	पुदुच्चेरी	0	0	0	0	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
28.	पंजाब	310	34	516	30	-	-
29.	राजस्थान	1022	3	806	18	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
30.	सिक्किम	3	1	3	1	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
31.	तमिलनाडु	0		127	110	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
32.	त्रिपुरा	0	0	0	0	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
33.	उत्तर प्रदेश	3492	287	3789	540	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
34.	उत्तराखंड	17	8	52	25	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
35.	पश्चिम बंगाल	22	0	22	0	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
	कुल	11061	1942	7064	1133	1532	**142**

संकेत : एन ए=अनुपलब्ध; निल = 0

निजी क्षेत्र की विद्युत-परियोजनाएं

2208. श्री विश्व मोहन कुमार :
श्री सी. राजेन्द्रन :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विद्युत उत्पादन की स्थापित क्षमता का ईष्टतम उपयोग करने की स्थिति में है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान निजी व सरकारी क्षेत्र में इस क्षमता के उपयोग का राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) बिहार सहित देश में निजी कंपनियों को आवंटित विद्युत परियोजनाओं का राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन सभी परियोजनाओं के कब तक पूर्ण होने की संभावना है तथा आज की तारीख तक इनका कितने प्रतिशत कार्य पूरा हुआ है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. सी. वेणुगोपाल) : (क) और (ख) उत्पादन यूनिट की संस्थापित क्षमता का उपयोग, विद्युत स्टेशन की किस्मों (अर्थात ताप/तल/न्यूक्लीयर) से संबंधित होता है। यद्यपि ताप और न्यूक्लीयर यूनिटों का उपयोग आधार भार यूनिटों के रूप में निरंतर किया जाना होता है तथापि जल यूनिटों का उपयोग जल/जलाशय स्तर की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए किया जाना होता है। इसलिए संस्थापित क्षमता का उपयोग थर्मल (न्यूक्लीयर सहित) उत्पादन यूनिटों पर प्रभावी रूप से लागू होता है और संयंत्र भार घटक (पीएलएफ) के संबंध में व्यक्त किया जाता है। जल विद्युत उत्पादनों के लिए जल की उपलब्धता जल विद्युत स्टेशनों के निष्पादन को प्रभावित करती है। इसलिए थर्मल स्टेशनों के लिए पीएलएफ से भिन्न उस स्टेशन के निष्पादन के मूल्यांकन हेतु जल विद्युत स्टेशन की उपलब्धता का उपयोग किया जाता है।

ताप और न्यूक्लीयर यूनिटों का संयंत्र भार घटक मुख्य रूप से यूनिट के पुरानेपन, जबरन और आयोजित बंदी, ईंधन की अपेक्षित गुणवत्ता एवं मात्रा की उपलब्धता और लाभ प्राप्तकर्ताओं से कार्यक्रम की प्राप्ति आदि जैसे कई कारकों पर निर्भर करता है। गत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान थर्मल (कोयला/लिगनाइट आधारित संयंत्र) का संयंत्र भार घटक 72.1 प्रतिशत से 77.5 प्रतिशत तक रहा, न्यूक्लीयर विद्युत संयंत्रों का संयंत्र भार घटक 51.1 प्रतिशत से 79.4 प्रतिशत तक था। गत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान ताप और न्यूक्लीयर संयंत्रों का ब्यौरा नीचे दिया गया है–

आंकड़े % में

श्रेणी	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13 (जुलाई 12 तक)
ताप (कोयला/लिग्नाइट)	77.5	75.1	73.3	72.1
न्यूक्लियर	51.1	65.4	76.9	79.4

थर्मल (कोयला/लिग्नाइट) संयंत्रों के संयंत्र भार घटक में कमी के मुख्य कारणों में ईंधन की अपर्याप्त उपलब्धता, खराब गुणवत्ता वाले कोयले का उपलब्ध होना, जल और न्युक्लीयर संयंत्रों से अधिक उत्पादन के मामले में लाभ प्राप्तकर्ता राज्यों से कम समय, विविध उपस्कर समस्याएं, राज्यों में पारेषण अवरोध और कुछ पुरानी यूनिटों की अप्रचलित तकनीकी आदि शामिल हैं।

जल विद्युत स्टेशनों की उपलब्धता वार्षिक आधार पर तैयार की जाती है। गत तीन वर्षों के दौरान जल विद्युत स्टेशनों की प्रचालन उपलब्धता का नवीनतम उपलब्ध ब्यौरा नीचे दिया गया है–

(आंकड़े % में)

श्रेणी	2008-09	2009-10	2010-11
हाइडेल	91.17	90.91	88.83

(ग) गत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान निजी और सार्वजनिक क्षेत्र में ताप/न्यूक्लीयर संयंत्रों के संयंत्र भार घटक के राज्य/संघ ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

निजी और सार्वजनिक क्षेत्र में जल विद्युत स्टेशन की क्षेत्रवार/संगठनवार प्रचालन उपलब्धता का नवीनतम उपलब्ध ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(घ) और (ङ) चालू होने के कार्यक्रम की नवीनतम स्थिति के साथ निर्माणाधीन ताप और जल विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा क्रमशः संलग्न विवरण-III और IV में दिया गया है।

विवरण-I

वर्तमान वर्ष एवं गत तीन वर्षों में ताप/न्युक्लियर विद्युत केंद्रों के राज्यवार/क्षेत्रवार संबंध भार गुणक (पीएलएफ)

(पीएलएफ %)

क्षेत्र	राज्य	श्रेणी	क्षेत्र	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13 (अप्रैल-जुलाई 12)*
1	2	3	4	5	6	7	8
उ. क्षे.	दिल्ली	ताप	केंद्रीय	82.71	73.67	77.11	74.01
			राज्य	38.81	66.08	69.02	64.83
	हरियाणा	ताप	केंद्रीय	-	-	55.14	65.89
			निजी	-	-	-	15.27
			राज्य	83.09	76.48	74.06	53.94
	पंजाब	ताप	राज्य	88.43	79.84	82.86	82.91
	राजस्थान	न्युक्लियर	केंद्रीय	50.72	74.54	86.58	75.97
		ताप	केंद्रीय	0.00	0.00	69.68	55.77
			निजी	44.03	51.93	49.64	67.11
			राज्य	83.55	79.24	80.54	74.46
	उत्तर प्रदेश	न्युक्लियर	केंद्रीय	21.21	48.94	51.33	62.99

1	2	3	4	5	6	7	8
		ताप	केंद्रीय	94.94	91.73	89.82	87.86
			निजी		61.79	75.12	55.26
			राज्य	64.26	60.43	57.12	50.88
पं. क्षे.	छत्तीसगढ़	ताप	केंद्रीय	94.62	93.98	84.53	86.08
			निजी	93.01	90.27	89.59	82.70
			राज्य	85.25	88.99	80.82	82.25
	गुजरात	न्युक्लियर	केंद्रीय	27.71	37.52	97.99	97.46
		ताप	निजी	85.92	84.55	59.35	50.47
			राज्य	71.92	67.32	71.00	68.31
	मध्य प्रदेश	ताप	केंद्रीय	96.60	94.59	90.40	89.64
			राज्य	62.33	61.10	61.38	69.17
	महाराष्ट्र	न्युक्लियर	केन्द्रीय	65.16	74.34	79.81	89.44
		ताप	निजी	–	73.40	73.98	83.33
			राज्य	69.71	59.03	59.21	61.13
द. क्षे.	आंध्र प्रदेश	ताप	केन्द्रीय	95.50	91.88	92.98	90.86
			निजी	–	–	–	88.20
			राज्य	86.67	80.49	83.81	88.34
	कर्नाटक	न्युक्लियर	केंद्रीय	55.79	64.57	67.41	71.13
		ताप	निजी	84.29	95.93	74.54	90.13
			राज्य	76.85	63.02	69.87	73.74
	तमिलनाडु	न्युक्लियर	केंद्रीय	53.09	58.10	65.10	71.03
		ताप	केंद्रीय	80.94	80.75	82.83	87.33
			निजी	81.89	82.05	83.57	88.69

1	2	3	4	5	6	7	8
			राज्य	76.42	73.36	77.90	78.42
पू. क्षे.	बिहार	ताप	केंद्रीय	62.64	63.98	60.66	66.69
			राज्य	9.62	8.12	6.12	0.00
	डीवीसी	ताप	केंद्रीय	54.19	65.12	65.62	64.83
	झारखंड	ताप	निजी	75.35	80.82	62.09	62.37
			राज्य	29.79	30.02	25.93	32.52
	ओडिशा	ताप	केंद्रीय	90.21	86.62	83.98	89.06
			निजी	–	–	44.34	44.00
			राज्य	80.48	86.56	79.97	83.23
	पश्चिम बंगाल	ताप	केंद्रीय	73.05	79.12	71.00	68.08
			निजी	–	38.42	–	–
			राज्य	57.28	57.34	59.36	60.74

•अनंतिम

विवरण-II

2008-09 की अवधि के दौरान क्षेत्रवार/संगठनवार प्रचालन उपलब्धता

क्र .सं.	संगठन	इकाइयों की संख्या	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	प्रचालन औसत प्रति यूनिट (%)
1	2	3	4	5
केंद्रीय क्षेत्र				
1.	डीवीसी	5	143.20	90.31
2.	बीबीएसबी	28	2866.30	94.34
3.	एनएचपीसी	38	3647.20	91.54
4.	पीपको	13	755.00	94.87

1	2	3	4	5
5.	टीएचडीसी	4	1000.00	92.52
6.	एसजेबीएनएल	6	1500.00	97.76
7.	एनएचडीसी	16	1520.00	97.97
उपजोड़ (सीएस)		110	11431.70	94.21
निजी क्षेत्र				
1.	टाटा हाइड्रो	15	447.00	95.47
2.	जेएचपीएल	3	300.00	99.65
3.	एमपीसीएल	2	86.00	99.98
4.	जेपीवीएल	4	400.00	99.44
5.	डीएलएचपी	1	34.00	99.98
उपजोड़ (पीएस)		25	1267.00	98.14
राज्य क्षेत्र				
1.	यूजेवीएनएल	34	1252.15	80.28
2.	सीएससीजीसीएल	3	120.00	98.99
3.	जेकेएसपीडीसी	3	105.00	86.20
4.	पीएसईवी	25	1051.00	86.46
5.	एचपीएसईबी	12	366.00	80.51
6.	आरआरवीयूएनएल	11	411.00	83.89
7.	यूपीएचपीसी	15	501.60	72.49
8.	जीएसईसीएल	8	540.00	78.57
9.	एमपीपीजीसीएल	23	875.00	92.42
10.	महाजेनको	22	2156.00	91.49
11.	एपीजेनको	50	3519.35	90.89

1	2	3	4	5
12.	टीएनईबी	65	2082.95	89.05
13.	केएसईबी	44	1751.50	89.84
14.	केपीसीएल	61	3287.70	93.14
15.	ओएचपीसी	31	2011.50	86.97
16.	डब्ल्यूएसईपीडीसी	11	977.00	97.39
17.	एमईएसईबी	8	156.00	88.55
18.	एसएसएनएनएल	11	1450.00	91.22
उपजोड़ (एसएस)		437	22613.75	89.25
अखिल भारतीय जोड़		572	35312.45	91.17

विवरण-III

2009-10 की अवधि के दौरान क्षेत्रवार/संगठनवार प्रचालन उपलब्धता

क्र .सं.	संगठन	इकाइयों की संख्या	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	प्रचालन औसत प्रति यूनिट (%)
1	2	3	4	5
केंद्रीय क्षेत्र				
1.	बीबीएसबी	28	2866.30	95.24
2.	डीवीसी	5	143.20	79.78
3.	नीपको	13	755.00	89.72
4.	एनएचडीसी	16	1520.00	98.34
5.	एनएसपीसी	38	3647.20	90.01
6.	एसजेवीएनएल	6	1500.00	94.52
7.	डीएचडीसी	4	1000.00	95.68
उपजोड़ (सीएस)		110	11431.70	93.37

1	2	3	4	5
निजी क्षेत्र				
1.	डीएलएचपी	1	34.00	100.00
2.	जेएचपीएल	3	300.00	99.73
3.	जेपीपीवीएल	4	400.00	99.18
4.	एमपीसीएल	2	86.00	91.23
5.	टाटा महा.	15	447.00	98.44
उपजोड़ (पीएस)		25	1267.00	98.53
राज्य क्षेत्र				
1.	एपीजेनको	54	3666.35	85.22
2.	एपीजीपीसीएल	2	100.00	91.78
3.	सीएसपीजीसीएल	3	120.00	99.36
4.	जीएसईसीएल	8	540.00	94.70
5.	एचपीएसईबी	12	366.00	81.45
6.	जेएसईबी	2	130.00	97.81
7.	केपीसीएल	68	3585.40	90.78
8.	केएसईबी	46	1781.50	88.77
9.	महाजेनको	24	2406.00	96.02
10.	मेजेब	8	156.00	80.49
11.	एमपीपीजीसीएल	23	875.00	91.14
12.	ओएचपीसी	31	2027.50	89.12
13.	पीएसईबी	25	1051.00	85.83
14.	आरआरवीयूएलएल	11	411.00	94.16
15.	एसएसएनएनएल	11	1450.00	90.74
16.	टीएनईबी	66	2108.20	89.94

1	2	3	4	5
17.	यूजेवीएनएल	34	1252.15	80.47
18.	यूपीजेवीएनएल	15	501.60	67.90
19.	डब्ल्यूबीएसईडीसीएल	11	977.00	96.02
उपजोड़ (एसएस)		454	23504.70	89.36
अखिल भारतीय जोड़		589	36203.40	90.91

2010-11 की अवधि के दौरान क्षेत्रवार/संगठनवार प्रचालन उपलब्धता

क्र .सं.	संगठन	इकाइयों की संख्या	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	प्रचालन औसत प्रति यूनिट (%)
1	2	3	4	5
केन्द्रीय क्षेत्र				
1.	बीबीएमबी	28	2866.30	88.44
2.	डीवीसी	5	143.20	76.05
3.	नीपको	13	755.00	84.44
4.	एनएचडीसी	16	1520.00	96.10
5.	एनएचपीसी	41	3767.20	90.60
6.	एसजेवीएनएल	6	1500.00	99.32
7.	टीएचडीसी	6	1200.00	90.30
उपजोड़ कुल (सीएस)		115	11751.70	91.29
निजी क्षेत्र				
1.	एडीएचपीएल	2	192.00	100.00
2.	डीएलएचपी	1	34.00	99.73
3.	जेएचपीएल	3	300.00	99.54
4.	जेपीपीवीएल	4	400.00	95.96
5.	एमपीसीएल	2	86.00	94.11

1	2	3	4	5
6.	टाटा महा.	15	447.00	96.26
उपजोड़ (पीएस)		25	1267.00	98.53
राज्य क्षेत्र				
1.	एपीजेनको	56	3744.35	87.10
2.	एपीजीपीसीएल	2	100.00	86.44
3.	सीएसपीजीसीएल	3	120.00	99.18
4.	जीएसईसीएल	8	540.00	93.74
5.	एचपीएसईबी	12	366.00	82.27
6.	जेकेपीडीसी	9	660.00	89.63
7.	जेएसईबी	2	130.00	92.33
8.	केपीसीएल	68	3585.40	85.71
9.	केएसईबी	48	1881.50	93.30
10.	महाजेनको	24	2406.00	73.89
11.	मेजेब	8	156.00	88.10
12.	एमपीपीजीसीएल	23	875.00	92.05
13.	ओएचपीसी	31	2027.50	88.74
14.	पीएसईबी	25	1051.00	90.68
15.	आरआरवीयूएलएल	11	411.00	91.93
16.	एसएसएनएनएल	11	1450.00	91.64
17.	टीएनजीडीसीएल	66	2122.20	91.04
18.	यूजेवीएनएल	34	1252.15	81.87
19.	यूपीजेवीएनएल	15	501.60	63.77
20.	डब्लूबीएसईडीसीएल	11	977.00	97.53
उपजोड़ (एसएस)		467	24356.70	87.14
अखिल भारतीय जोड़		609	37567.40	88.83

एजेंसियों के शब्दार्थ

उत्तरी क्षेत्र

1.	हिमाचल प्रदेश	एचपीएसइबी लि.	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लि.
		एनएचपीसी लि.	नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रीक पावर कारपोरेशन लि.
		एसजेवीएनएल	सतलुज जल विद्युत निगम लि.
		एमपीसीएल	मलाना पावर कंपनी लि.
		जेएचपीएल	जयप्रकाश हाइड्रो पावर लि.
		एडीपीएल	अलेन दुहांगन पावर लि.
2.	जम्मू और कश्मीर	जे एंड के पीडीसी	जम्मू एंड कश्मीर पावर डेवलपमेंट कारपोरेशन
3.	पंजाब	पीएसपीसीएल	पंजाब स्टेट पावर कारपोरेशन लि.
		बीबीएमबी	भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड
4.	राजस्थान	आरआरवीयूएनएल	राजस्थान राज्य विद्युत निगम लि.
5.	उत्तर प्रदेश	यूपीआरवीयूएनएल	उत्तर प्रदेश विद्युत निगम लि.
		टीएचडीसी	टेहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कारपोरेशन
6.	उत्तराखंड	यूजेवीएनएल	उत्तराखंड जल विद्युत निगम लि.
		जेपीवीएल	जयप्रकाश पावर वेंचर लि.

पश्चिमी क्षेत्र

1.	गुजरात	जीएसईसीएल	गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कारपोरेशन लि.
		एसएसएनएनएल	सरदार सरोवर नर्मदा निगम लि.
2.	मध्य प्रदेश	एमपीपीजीसीएल	मध्य प्रदेश पावर जनेरेशन कारपोरेशन लि.
		एनएचडीसी	नर्मदा हाइड्रोइलेक्टिक डेवलपमेंट कारपोरेशन लि.
3.	छत्तीसगढ़	सीएसपीजीसीएल	छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जेनेरेशन कारपोरेशन लि.
4.	महाराष्ट्र	महाजेनको	महाराष्ट्र स्टेट पावर जेनेरेशन कारपोरेशन लि.
		डीएलएचपी	डोडसन-लिंडब्लोम हाइड्रो पावर प्रा. लि.
		टाटा	टाटा पावर कं.

दक्षिण क्षेत्र

1.	आंध्र प्रदेश	एपीजेनको	आंध्र प्रदेश जेनेरेशन कारपोरेशन
2.	कर्नाटक	केपीसीएल	कर्नाटक पावर कार्पोरेशन लि.
3.	केरल	केएसईबी	केरल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड
4.	तमिलनाडु	टैनजेडको	तमिलनाडु जेनेरेशन एंड डिस्ट्रिब्यूशन कारपोरेशन लि.

पूर्वी क्षेत्र

1.	झारखंड	जेएसईबी	झारखंड स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड
		डीवीसी	दामोदर वैली कारपोरेशन
2.	ओडिशा	ओएचपीसी	ओडिशा हाइड्रो पावर कारपोरेशन
3.	पश्चिम बंगाल	डब्लूबीएसईडीसी	वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रिब्यूशन कं.

उत्तर पूर्वी क्षेत्र

1.	असम	एपीजीसीएल	असम पावर जेनेरेशन कं. लि.
2.	मेघालय	एमईईसीएल	मेघालय एनर्जी कारपोरेशन लि.
		नीपको	नॉर्थ इस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लि.

अनुबंध-III

निर्माणाधीन थर्मल पावर परियोजना

राज्य	परियोजना का नाम	कार्यान्वयन एजेंसी	यूनिट संख्या	क्षमता (मे.वा.)	स्थापना का मूल कार्यक्रम	स्थापना प्रत्याशित कार्यक्रम	संक्षिप्त स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8
निजी क्षेत्र							
आंध्र प्रदेश	भवानपाडु टीपीपी	मै. ईस्ट कोस्ट इनर्जी लि.	U-1	660	Oct.-13	Oct.-14	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के आदेश एवं साइट की स्थिति के कारण काम रोक दिया गया। पुनः अप्रैल, 2012 तथा उसके आगे काम आरंभ कर दिया गया। बॉयलर फाउंडेशन का काम पूरा हो चुका है।
			U-2	660	Mar.-14	Jan.-15	पाइलिंग का काम पूरा हो चुका है और कैपिंग प्रगति पर है। टीजी क्षेत्र में पाइलिंग कार्य प्रगति पर है। चिमनी राफ्ट का कार्य प्रगति पर है।
आंध्र प्रदेश	एनसीसी टीपीपी	एनसीसी पावर प्रोजेक्ट्स लि.	U-1	660	Mar.-15	Jun-16	मिट्टी का परीक्षण कर लिया गया है। समतलीकरण प्रारंभ हो चुका है।
			U-2	660	Jun.-15	Sep.-16	
आंध्र प्रदेश	पैनामपुरम टीपीपी	थर्मल पावर टेक कारपोरेशन लि.	U-1	660	May-14	Aug.-14	बॉयलर इरेक्शन 19.01.2012 को प्रारंभ हो चुका है।
			U-2	660	Aug.-14	Nov.-14	सिविल कार्य प्रगति पर है। बॉयलर इरेक्शन कार्य 24.05.12 को प्रारंभ किया गया है।

1	2	3	4	5	6	7	8
आंध्र प्रदेश	सिम्हापुरी इनर्जी प्रा. लि. फेज–II	मधुकोन प्रोजेक्ट्स लि.	U-3	150	Dec.-11	Nov.-12	बॉयलर इरेक्शन कार्यि 17.01.11 को प्रारंभ किया गया है। एच टी पूरा हो गया है, बी एल यू 08.12 में संभावित है।
			U-4	150	Feb.-12	Feb.-13	बॉयलर इरेक्शन 05/11 को प्रारंभ किया गया है। एच टी 6/12 को पूरा हो गया है।
आंध्र प्रदेश	थामिनापटनम टीपीपी–I	मीनाक्षी इनर्जी प्रा. लि.	U-1	150	Sep.-11	Aug.-12	सिंक्रोनाइजेशन पूर्ण हो गया और 30 मेगावाट की प्राप्ति की गई, तीसरी बीयरिंग में कंपन के कारण यूनिट बंद कर दी गई। कंपन की समस्या को दूर कर दिया गया। अब अगस्त 2012 तक यूनिट के फुल लोड पर चलने की संभावना है।
			U-2	150	Nov.-11	Oct.-12	एच टी और बॉक्स–अप पूरा हो गया है। बी एल यू 01.08.12 को पूरा हो गया है।
आंध्र प्रदेश	थामिनापटनम टीपीपी–II	मीनाक्षी इनर्जी प्रा.लि.	U-3	350	May-12	Nov.-13	एच टी 3/13 को तथा बी एल यू 7/13 को संभावित है।
			U-4	350	Aug.-12	Feb.-14	एच टी 2/13 को तथा बी एल यू 6/13 को संभावित है।
आंध्र प्रदेश	विजाग टीपीपी	हिंदुजा नेशनल पावर कारपोरेशन लि.	U-1	520	Jun.-13	Sep.-13	बॉयर इरेक्शन 05/11 को प्रारंभ किया गया। 01/12 को ड्रम लिफ्ट किया गया। एच टी 09/12 को संभावित है। टीजी इरेक्शन 02/12 को प्रारंभ किया गया। **एटीएस क्रिटिकल।**

1	2	3	4	5	6	7	8
			U-2	520	Sep.-13	Dec-13	बॉयलर इरेक्शन 09/11 को प्रारंभ किया गया। ड्रम 4/12 को लिप्ट किया गया। कंडेंशन इरेक्शन प्रारंभ हो चुका है।
	अकलतारा (नेयारा) टीपीपी	वार्धा पीसीएल (केएसके)	U-1	600	Apr.-12	Jun-13	बॉयलर इरेक्शन 11/10 को प्रारंभ किया गया। ड्रम 29/4 को लिफ्ट किया गया। एचटी 06.07.12 को पूरा किया गया टीजी डक पूर्ण हो चुका है। टीजी बॉक्स–अप 9/12 तथा बीएलयू 11/12 को किया गया।
			U-2	600	Aug.-12	Oct-13	19.06.11 को ड्रम लिप्ट किया गया। 11/12 को एच टी संभावित है। टीजीडेक पूर्ण हो चुका है। टीजी बॉक्स–अप 2/13 तक होगा।
			U-3	600	Dec.-12	Feb-14	इरेक्शन कार्य 4/11 को प्रारंभ किया गया। बायलर ड्रम 29.4.12 को लिफ्ट किया। एचटी 2/13 तक होने की संभावना है, कंडेशर एवं टीजी इरेक्शन 11/12 तक प्रारंभ हुआ है।
			U-4	600	Apr.-13	Jun-14	बायलर इरेक्शन 8.12.11 को प्रारंभ हुआ और ड्रम लिफ्टिंग 9/12 तक होने की संभावना है। एचटी 7/13 तक संभावना है। कंडेंशर इरेक्शन 12/12 तक प्रारंभ होगा।
छत्तीसगढ़	अवंथा भंडार टीपीएस, यू–1	कोरबा वेस्ट पावर कं. लि.	U-1	600	Jul.-12	Jul-13	बायलर ड्रम 21.5.11 को लिफ्ट किया गया। एचटी 9/12 तथा बीएलयू 12/12 तक होगा। टीजी इरेक्शन 13.3.12 को

1	2	3	4	5	6	7	8
							प्रारंभ हुआ। टीजी बॉक्स–अप 11/12 तक होने की संभावना है। कूलिंग टावर 7/12 को गिर गया।
छत्तीसगढ़	बरादाराह टीपीपी (डीबी पावर टीपीपी)	डीबी पावर कं. लि.	U-1	600	Mar.-13	Aug-13	ड्रम 6.10.11 को लिफ्ट किया गया। एचटी 8/12 को होने की संभावना है टीजी डेक को कास्ट किया गया। कंडेंशर इरेक्शन 15.3.12 को प्रारंभ किया गया और टीजी इरेक्शन 6/12 को प्रारंभ किया गया। टीजी बॉक्स अप 3/13 तक होने की संभावना है।
			U-2	600	Jul.-13	Dec-13	ड्रम 24.2.12 को लिफ्ट किया गया। एचटी 11/12 तक संभावित है। टीजी इरेक्शन 9/12 तक संभावित है।
छत्तीसगढ़	बाल्को टीपीपी	भारत एल्यूमिनियम कं. लि.	I-1	300	Feb.-11	Dec-12	यूनिट 22.5.12 को सिंक्रोनाइज हुआ।
			U-2	300	Nov.-10	Aug-12	यूनिट 6.9.11 को सिंक्रोनाइज हुआ।
छत्तीसगढ़	बंडाखर टीपीपी	मै. मौरती क्लीन कोल एंड पावर लि.	U-1	300	Dec.-12	Jun-14	खुदाई कार्य पूर्ण हो चुका है। बायलर इरेक्शन 8/12 तक होने की संभावना है।
छत्तीसगढ़	बिंजकोटे टीपीपी	मै. एसकेएस पावर जेन. (छत्तीसगढ़) लि.	U-1	300	Jan.-14	Jun-14	साइट समतलीकरण हो चुका है। बायलर एवं ईएसपी क्षेत्र की खुदाई, हो चुकी है, फाउंडेशन कार्य प्रगति पर है।
			U-2	300	Apr.-14	Sep-14	
			U-3	300	Jul.-14	Dec-14	
			U-4	300	Oct.-14	Mar-15	
छत्तीसगढ़	लैनको अमरकंटक	लैप प्रा.लि.	U-3	660	Jan-13	Aug-13	बायलर इरेक्शन 9/10 को प्रारंभ हुआ। डेक कास्टिंग हो चुका है। एचटी (नॉन ड्रेनेबल) 10/12 तक संभावित है।

1	2	3	4	5	6	7	8
			U-4	660	Mar.-13	Dec.-13	बायलर इरेक्शन 12/10 को प्रारंभ हुआ। डेक कास्टिंग हो चुका है। टीजी इरेक्शन प्रारंभ हो चुका है।
छत्तीसगढ़	रायखेडा टीपीपी	जीएमआर	U-1	685	Sep.-13	Jun.-14	बायलर इरेक्शन 9.11.11 को प्रारंभ हो चुका है। दो हेडरों दो वाटर वाल पेनल का इरेक्शन पूर्ण हो गया है। सभी हेंगर एवं टाइबीम का इरेक्शन पूर्ण हो चुका है। एचटी 3/13 तक संभावित है। टीजी डेक कास्टिंग 10.5.12 को पूर्ण हो चुका है। कंडेंशर इरेक्शन 8/12 तक संभावित है।
			U-2	685	Jan.-14	Nov.-14	बायलर इरेक्शन 3.4.12 को प्रारंभ हो चुका है। बायलर ढांचागत इरेक्शन का कार्य प्रगति पर है। टीजी डेक कास्टिंग 8/12 तक पूर्ण होने की संभावना है।
छत्तीसगढ़	रातिजा टीपीपी	स्पेक्ट्रम कोल एंड पावर लि.	U-1	50	Jun.-11	Sep.-12	एचटी (नॉन ड्रेनेबल) 6.10.11 को पूर्ण हो चुका है। डीजी बाक्स अप 29.7.11 को किया गया। बीएलयू 6/12 को पूर्ण हुआ। सिंक्रोनाइजेशन 8/12 को तथा पूर्ण लोड 9/12 को संभावित है।
छत्तीसगढ़	सिंगितराई	एथेना छत्तीसगढ़ पावर लि.	U-1	600	Jun.-14	Feb.-15	मुख्य प्लांट का निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है। खुदाई का कार्य प्रगति पर है। बायलर इरेक्शन 8/12 तक संभावित है।
छत्तीसगढ़	स्वास्तिक टीपीपी	मै. एसीबी	U-1	25	Jun.-12	Oct.-12	एचटी पूर्ण हो चुका है। बीएलयू 18/12 को और सिंक्रोनाइजेशन 10/12 को होगा। बायलर में 90 प्रतिशत कार्य और टरबाइन क्षेत्र में 70 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है। बालयर इंसूलेटर का कार्य प्रगति पर है।

1	2	3	4	5	6	7	8
छत्तीसगढ़	तामनर टीपीपी (रायगढ़)	ओ.पी. जिंदल	U-1	600	Jan.-14	Jan.-14	बायलर इरेक्शन कार्य 18.11.11 के प्रारंभ हो चुका हे। ड्रम 6.3.12 को लिफ्ट किया गया। एचटी 10/12 तक होगा।
			U-2	600	Apr.-14	Apr.-14	बायलर इरेक्शन 5.1.12 को प्रारंभ हो चुका है। ड्रम लिफ्ट का कार्य 8/12 में संभावित है।
			U-3	600	Sep.-14	Sep.-14	टीजी राफ्ट पूर्ण हो चुका है। बायलर इरेक्शन 15.7.12 को प्रारंभ हो चुका है। बायलर ड्रम 12/12 तक लिफ्ट होने की संभावना है। कंडेंशर इरेक्शन 4/13 तक प्रारंभ होने की संभावना है। टीजी डेक कास्टिंग का कार्य प्रगति पर है।
			U-4	600	Nov.-14	Nov.-14	पायलिंग कार्य प्रगति पर है। बायलर इरेक्शन 10/12 तक लिफ्ट होने की संभावना है। ड्रम लिफ्ट का कार्य 6/13 में संभावित है। कंडेंशर इरेक्शन 6/13 में प्रारंभ होने की संभावना है।
छत्तीसगढ़	टीआरएन इनर्जी टीपीपी	मै. टीआरएन इनर्जी प्रा. लि.	U-1	300	Dec.-13	Jun.-14	सिविल कार्य प्रगति पर है। बायलर इरेक्शन 8/12 तक, एचटी 6/13 तक तथा टीजी बाक्स अप 9/13 तक प्रारंभ होने की संभावना है।
			U-2	300	Apr.-14	Sep.-14	सिविल कार्य प्रगति पर है। बायलर इरेक्शन 10/12 तक, एचटी 9/13 तक तथा टीजी बाक्स अप 12/13 तक होने की संभावना है।

1	2	3	4	5	6	7	8
छत्तीसगढ़	उचपिंदा टीपीपी	आरकेएम पावरजेन प्रा. लि.	U-1	360	May-12	Oct.-13	बायलट इरेक्शन प्रारंभ हो चुका है। ड्रम 24.4.12 को लिफ्ट किया गया। प्रेशर पार्ट्स इरेक्शन प्रगति पर है। एचटी 10/12 तक संभावित है।
			U-2	360	Nov.-12	Jan.-14	बायलर इरेक्शन प्रारंभ हो चुका है। ड्रम 7.5.12 को लिफ्ट किया गया। प्रेशर पार्ट्स इरेक्शन कार्य प्रगति पर है। एचटी 10/12 तक संभावित है।
			U-3	360	Feb.-13	Apr.-14	बायलट इरेक्शन 12.1.12 को प्रारंभ किया गया है। ड्रम लिफ्ट कार्य 8/12 तक संभावित है।
			U-4	360	Jul.-13	Jul.-14	बायलर इरेक्शन 30.4.12 तक प्रारंभ किया गया। ड्रम लिफ्ट कार्य 9/12 तक संभावित है।
छत्तीसगढ़	वंदना विद्युत टीपीपी	मे. वंदना विद्युत	U-1	135	Jun.-11	Nov.-12	एचटी 28.1.12 को किया गया। टीजी बाक्स अप 10.5.12 को पूर्ण हुआ और बीएलयू 8/12 में संभावित है। पूर्ण लोड 11/12 में संभावित है। फ्लू इरेक्शन पूर्ण हो सकता है। कूलिंग टावर का सिविल कार्य समय से पीछे चल रहा है। मैकेनिकल इरेक्शन कार्य प्रगति पर है। कोयला बंकर एवं क्रशर हाऊस एएचपी की तैयारी हो चुकी है।
			U-2	135	Sep.-11	Mar.-13	बायलर ड्रम 4/11 को लिफ्ट किया गया। एचटी 8/12 तक संभावित है। बीएलयू 11/12 तक संभावित है। 3/13 तक पूर्ण लोड होगा।

1	2	3	4	5	6	7	8
गुजरात	भावनगर सीएफबीसी टीपीपी	भावनगर इनर्जी	U-1	250	Oct.-13	Oct.-14	बायलर कार्य प्रारंभ हो चुका है।
			U-2	250	Dec.-13	Dec.-13	बायलर इरेक्शन प्रारंभ होना शेष है।
गुजरात	मुद्रा यूएमटीपीपी	टाटा पावर	U-3	800	Aug.-13	Oct.-12	पूर्ण भार 10/12 तक आएगा। तेल फ्लशिंग पूर्ण हो चुका है। एशबीओ 8/12 तक संभावित है।
गुजरात	मुद्रा यूएमटीपीपी	टाटा पावर	U-4	800	Feb.-14	Jan.-13	तेल फ्लशिंग हो चुका है। एशबीओ 10/12 तक संभावित है।
गुजरात	मुद्रा यूएमटीपीपी	टाटा पावर	U-5	800	Aug.-14	Apr.-13	तेल फ्लशिंग हो चुका है। एशबीओ 1/13 तक संभावित है।
झारखंड	आधुनिक पावर टीपीपी	आधुनिक पावर कं. लि.	U-1	270	Jan.-12	Nov.-12	बीएलयू 20.4.12 को पूर्ण हो गया। टीजी वाक्य अप 11/11 को पूर्ण हो यगा। सिंक्रोनाइज़ 10/12 को तथा एफएल 11/12 को संभावित है। सीएचपी तथा स्वीचयार्ड के पूर्ण होने में विलंब है।
			U-2	270	Mar.-12	Mar.-13	एचटी 20.3.12 को ूर्ण हो गया टीजी बाक्स अप एवं बीएलयू 10/12 तक संभावित है। सिंक्रोनाइज 1/13 तक तथा एफएल 3/13 तक संभावित है।
झारखंड	मैत्रिशी उषा टीपीपी फेस–I	मै. कारपोरेट पावर	U-1	270	May-12	Nov.-12	एचटी पूर्ण हो गया। बीएलयू एवं टीजी बाक्स अप 8/12 तक, एचबीओ 9/12 तक तथा सिंक्रोनाइज 10/12 तक संभावित है।
			U-2	270	Jun.-12	Feb.-13	ड्रम लिफ्ट कर दिया गया। बायलर इरेक्शन प्रगति पर है। एचटी 8/12, बीएलयू 10/12, सिंक्रोनाइज 1/13 एवं एफएल 2/13 को होगा।

1	2	3	4	5	6	7	8
झारखंड	मैत्रिशी उषा टीपीपी फेस–III	मै. कारपोरेट पावर	U-3	270	Feb.-13	Jun-13	बायलर ड्रम 11/11 में लिफ्ट हो गया। एचटी पूर्ण हो गया। बायलर लाइट अप 9/12 को संभावित है। टीजी इरेक्शन 7/12 को प्रारंभ हो गया।
			U-4	270	Mar.-13	Sep-13	बायलर ड्रम 1/12 को लिफ्ट किया गया। एचटी 12/12 को संभावित है। टीजी इरेक्शन 9/12 को संभावित है।
झारखंड	टोरी टीपीपी	एसार पावर	U-1	600	Jun.-13	Jun-14	बायलर ड्रम 9/12 को लिफ्ट होना संभावित है। एचटी 8/13 तक संभावित है।
झारखंड	टोरी टीपीपी	एसार पावर	U-2	600	Jan.-14	Sep-14	बायलर 1/13 तक लिफ्ट होना संभावित है और एचटी 11/13 तक संभावित है।
महाराष्ट्र	अमरावती टीपीपी फेस–I	इंडिया बूल्स	U-1	270	Dec.-11	Feb-13	ड्रम 3/11 को लिफ्ट किया गया। एचटी 3/12 को पूर्ण हो गया। टीजी इरेक्शन 8/11 को प्रारंभ किया गया। बीएलयू 8/12 को संभावित है। एसबीओ 10/10 तथा सिंक्रोनाइज 12/12 में होगा।
महाराष्ट्र	अमरावती टीपीपी फेस–I	इंडिया बूल्स	U-2	270	Dec.-11	Jun-13	एचटी 5/12 में पूर्ण हो गया टीजी इरेक्शन 10/11 को प्रारंभ हुआ। एवं बीएलयू 10/12 में संभावित है।
महाराष्ट्र	अमरावती टीपीपी फेस–I	इंडिया बूल्स	U-3	270	Jan.-12	Sep-13	एचटी 8/12 में संभावित है तथा बीएलयू 12/12 तक पूर्ण होगा। टीजी इरेक्शन 12/11 में प्रारंभ किया गया। टीजी बाक्स अप 3/13 तक होगा।

1	2	3	4	5	6	7	8
महाराष्ट्र	अमरावती टीपीपी फेस–I	इंडिया बूल्स	U-4	270	Feb.-12	Dec-13	ड्रम 11/11 को लिफ्ट किया गया। एचटी 9/12 को संभावित है। **टीजी** इरेक्शन 4/12 को प्रारंभ किया **गया।** टीजी **बाक्स अप** 5/13 को संभावित **है।**
महाराष्ट्र	अमरावती टीपीपी फेस–I	इंडिया बूल्स	U-5	270	Mar.-12	Mar-14	ड्रम 11/11 को लिफ्ट किया गया एचटी 11/12 को संभावित है एवं **टीजी** इरेक्शन 4/12 में प्रारंभ किया **गया।** बाक्स अप 7/13 में संभावित है।
महाराष्ट्र	अमरावती टीपीपी फेस–I	इंडिया बूल्स	U-1	270	Jul.-14	Jul-14	बायलर इरेक्शन प्रारंभ कर दिया गया, ड्रम 8/12 में लिफ्ट किया जाएगा तथा टीजी इरेक्शन 6/13 में संभावित है।
महाराष्ट्र	अमरावती टीपीपी फेस–I	इंडिया बूल्स	U-2	270	Sep.-14	Sep-14	बायलर इरेक्शन 1/12 को प्रारंभ किया गया, ड्रम को 10/12 में लिफ्ट करना संभावित है एवं टीजी सिविल कार्य प्रगति पर है।
महाराष्ट्र	अमरावती टीपीपी फेस–I	इंडिया बूल्स	U-3	270	Nov.-14	Nov-14	बायलर इरेक्शन 3212 को प्रारंभ **किया** गया। ड्रम लिफ्ट 12/12 को **संभावित है।**
महाराष्ट्र	अमरावती टीपीपी फेस–I	इंडिया बूल्स	U-4	270	Jan.-15	Jan-15	सिविल कार्य प्रगति पर है।
महाराष्ट्र	अमरावती टीपीपी फेस–I	इंडिया बूल्स	U-5	270	Mar.-15	Mar-15	सिविल कार्य प्रगति पर है।
महाराष्ट्र	बेला टीपीपी–I	आईईपीएल	U-1	270	Dec.-11	Dec-12	बीएलयू 29.2.12 को पूर्ण हो गया एवं सिंक्रोनाइजेशन 11/12 को तथा पूर्ण लोड 12/12 को संभावित है। स्टार्ट अप पावर एवं पावर इवेकूऐशन **सिस्टम** की तैयारी पूरी कर ली गई है और यह 9/12 तक तैयार हो जाएगा।

1	2	3	4	5	6	7	8
महाराष्ट्र	बूटीबोरी टीपीपी फेज–II	विदर्भ इंडस्ट्रीज पावर	U-1	300	Jan.-12	Aug.-12	एसबीओ पूरा किया गया, यूनिट 6/12 में समकालिक किया गया और 8/12 तक पूर्ण भार पर।
महाराष्ट्र	धारीवाल इन्फ्रास्ट्रक्चर (प्रा.) लिमिटेड	धारीवाल इन्फ्रास्ट्रक्चर टीपीपी	U-1	300	Feb.-12	Mar.-13	ड्रम लिफ्ट किया गया और एच टी 8/12, 12/12 में बीएलयू। टीजी निर्माण 11/11 में आरंभ हुआ और 10/12 तक बॉक्स–अप किया गया।
			U-2	300	May-12	Jun.-13	ड्रम 2/12 में लिफ्ट किया गया, टीजी इरेक्शन 8/12 तक और एचटी 11/12 तक शुरू हुआ।
महाराष्ट्र	एमको वरौरा टीपीपी	एमको वरौरा टीपीपी	U-1	300	Nov.-11	Nov.-12	एचटी 1/12 में पूरा हुआ और बीएलयू 8/12 तक पूरा हुआ, एसबीओ 9/12 तक पूरा हुआ। स्टार्ट–अप पावर 8/12 से उपलब्ध होगी।
			U-2	300	Feb.-12	Mar.-13	एचटी 8/12 में और बीएलयू 12/12 में।
महाराष्ट्र	जीईपीएल टीपीपी	जीईपीएल	U-1	60	Nov.-10	Aug.-12	कमीशनिंग गतिविधियां प्रगति पर हैं। पूर्ण भार 8/12 तक संभावित है।
महाराष्ट्र	लेनको विदर्भ टीपीपी	लेनको विदर्भ	U-1	660	Jan.-14	Apr.-14	बॉयलर निर्माण 8/11 में आरंभ हुआ। एचटी 9/13 में संभावित है और टीजी निर्माण अभी आरंभ नहीं हुआ है।
महाराष्ट्र	लेनको विदर्भ टीपीपी	लेनको विदर्भ	U-2	660	May-14	Aug.-14	बॉयलर निर्माण 12/11 में आरंभ हुआ। एचटी 1/14 में संभावित है और टीजी निर्माण अभी शुरू नहीं हुआ है।

1	2	3	4	5	6	7	8
महाराष्ट्र	नासिक टीपीपी फेज–I	इंडिया बूल्स	U-1	270	Feb.-12	Feb.-13	ड्रम 3/11 में लिफ्ट किया गया। एचटी 3/12 में पूरा हुआ। टीजी निर्माण 9/11 में आरंभ हुआ। बॉक्स–अप 11/12 तक और बीएलयू 8/12 तक संभावित है।
महाराष्ट्र	नासिक टीपीपी फेज–I	इंडिया बूल्स	U-2	270	Apr.-12	Jun.-13	ड्रम 5/11 में लिफ्ट किया गया। एचटी 5/12 में पूरा हुआ। टीजी निर्माण 9/11 में आरंभ हुआ। बॉक्स–अप 11/11 में आरंभ हुआ है। बॉक्स–अप 1/13 में
महाराष्ट्र	नासिक टीपीपी फेज–I	इंडिया बूल्स	U-3	270	Jun.-12	Nov.-14	बॉयलर इरेक्शन प्रगति पर है। एचटी 9/12 तक संभावित है।
महाराष्ट्र	नासिक टीपीपी फेज–I	इंडिया बूल्स	U-4	270	Aug.-12	Jan.-15	बॉयलर इरेक्शन प्रगति पर है। एचटी 9/12 तक संभावित है।
महाराष्ट्र	नासिक टीपीपी फेज–I	इंडिया बूल्स	U-5	270	Oct.-12	Mar.-15	बॉयल इरेक्शन प्रगति पर है। एचटी 11/12 तक संभावित है।
महाराष्ट्र	नासिक टीपीपी फेज–II	इंडिया बूल्स	U-1	270	Apr.-13	Jul.-14	बॉयलर इरेक्शन 9/11 में और ड्रम लिफ्टिंग 8/12 में आरंभ हुआ है।
महाराष्ट्र	नासिक टीपीपी फेज–II	इंडिया बूल्स	U-2	270	Jun-13	Sep.-14	बॉयलर इरेक्शन 11/11 में और ड्रम लिफ्टिंग 10/12 में आरंभ हुआ।
महाराष्ट्र	नासिक टीपीपी फेज–II	इंडिया बूल्स	U-3	270	Aug.-13	Nov.-14	सिविल कार्य प्रगति पर है।
महाराष्ट्र	नासिक टीपीपी फेज–II	इंडिया बूल्स	U-4	270	Oct.-13	Jan.-15	सिविल कार्य प्रगति पर है।
महाराष्ट्र	नासिक टीपीपी फेज–II	इंडिया बूल्स	U-5	270	Dec.-13	Mar.-15	सिविल कार्य प्रगति पर है।

1	2	3	4	5	6	7	8
महाराष्ट्र	तिरौरा टीपीपी फेज–I	अडानी पावर लि.	U-1	660	Apr.-11	Aug.-12	यूनिट सिंक्रोनाइजेशन के लिए तैयार है। टीली 15.2.12 को बारिंग गीयर पूर्ण भार 8/12 में संभावित।
महाराष्ट्र	तिरौरा टीपीपी फेज–I	अडानी पावर लि.	U-2	660	Jul.-11	Nov.-12	एचटी और टीजी बॉक्स–अप पूरा किया गया। बीएलयू–8/12
महाराष्ट्र	तिरौरा टीपीपी फेज–II	अडानी पावर लि.	U-1	660	Oct.-11	Dec.-12	एचटी 3/12 में पूरा किया गया और बीएलयू 11/12 में संभावित है। सिंक्रोनाइजेशन 12/12 में और पूर्ण भार 12/12 तक संभावित है।
महाराष्ट्र	तिरौरा टीपीपी फेज–II	अडानी पावर लि.	U-2	660	Jul.-12	Aug.-13	बॉयेलर इरेक्शन 6.12.10 को आरंभ किया गया। एचटी 8/12 में संभावित है। टरबाईन इरेक्शन 2.2.12 को आरंभ किया गया। टीजी बॉक्स–अप 12/12 में संभावित है।
महाराष्ट्र	तिरौरा टीपीपी फेज–II	अडानी पावर लि.	U-3	660	Oct.-12	Nov.-13	बॉयलर इरेक्शन 4.1.11 में आरंभ किया गया। एचटी 9/12 और बीएलयू 2/13 में संभावित है। टीजी इरेक्शन का आरंभ 8/12 तक संभावित है।
मध्य प्रदेश	अनुपपुर टीपीपी फेज–I	एमबी पावर एमपी	U-1	600	Apr.-13	Dec.-13	बॉयलर की नींव 10/11 में पूरी हुई। बॉयलर ड्रम की लिफ्टिंग 8/12 तक संभावित है। टीजी सिविल कार्य प्रगति पर है।
मध्य प्रदेश	अनुपपुर टीहपीपी	एमबी पावर एमपी	U-2	600	Aug.-13	Apr.-14	एसबीओ पूरी किया गया, यूनिट 6/12 में समकालिक किया गया और 8/12 तक पूर्ण भार पर।

1	2	3	4	5	6	7	8
मध्य प्रदेश	बीना टीपीपी	बीना पावर सप्लाई कंपनी लि.	U-2	250	Nov.-11	Apr-13	ड्रम लिफ्ट किया गया और एचटी 8/12,12/12 में बीएलयू। टीजी निर्माण 11/11 में आरंभ हुआ और 10/12 तक बॉक्स–अप किया गया।
मध्य प्रदेश	गार्गी टीपीपी (डीबी पावर)	डीबी पावर	U-1	660	Jun.-13	Feb-15	ड्रम 2/12 में लिफ्ट किया गया, टीजी इरेक्शन 8/12 तक और एचटी 11/12 तक शुरू हुआ।
मध्य प्रदेश	महान टीपीपी	एस्सार पावर एमपी लि.	U-1	600	Jun.-11	Apr-13	एचटी 1/12 में पूरा हुआ और बीएलयू 8/12 तक पूरा हुआ, एसबीओ 9/12 तक पूरा हुआ। स्टार्ट–अप पावर 8/12 से उपलब्ध होगी।
			U-2	600	Sep.-11	Jun-13	एचटी 8/12 में और बीएलयू 12/12 में
मध्य प्रदेश	निगरी टीपीपी	जयप्रकाश पावर वेंचर लि.	U-1	660	Jun.-13	Jun-13	कमीशनिंग गतिविधियां प्रगति पर हैं। पूर्ण भार 8/12 तक संभावित है।
			U-2	660	Dec.-13	Dec-13	बॉयलर निर्माण 8/11 में आरंभ हुआ। एचअटी 9/14 में संभावित है और टीजी निर्माण अभी आरंभ नहीं हुआ है।
मध्य प्रदेश	सासन यूएमपीपी	रिलायंस पावर लि.		660	May-13	May-13	बॉयलर नि र्माण 12/11 में आरंभ हुआ। एचटी 1/14 में संभावित है और टीजी निर्माण अभी शुरू नहीं हुआ है।
			U-2	660	Dec.-13	Dec.-13	ड्रम 3/11 में लिफ्ट किया गया। एचटी 3/12 में पूरा हुआ। टीजी निर्माण 9/11 में आरंभ हुआ। बॉक्स–अप 11/12 तक और बीएलयू 8/12 तक संभावित है।

1	2	3	4	5	6	7	8
			U-3	660	Jul.-14	Jul.-14	ड्रम 5/11 में लिफ्ट किया गया। एचटी 5/12 में पूरा किया गया। टीजी इरेक्शन 11/11 में आरंभ हुआ। बॉक्स-अप 1/13 में
			U-4	660	Feb.-15	Feb.-15	एसबीओ पूरा किया गया, यूनिट 6/12, 12/12 में बीएलयू। टीजी निर्माण 11/11 में आरंभ हुआ और 10/12 तक बॉक्स-अप किया गया।
			U-5	660	Sep.-15	Sep.-15	ड्रम लिफ्ट किया गया और एचटी 8/12, 12/12 में बीएलयू। टीजी निर्माण 11/11 में आरंभ हुआ और 10/12 तक बॉक्स-अप किया गया।
मध्य प्रदेश			U-6	660	Apr.-16	Apr.-16	ड्रम 2/12 में लिफ्ट किया गया, टीजी इरेक्शन 8/12 तक और एचटी 11/12 तक शुरू हुआ।
मध्य प्रदेश	सिवनी टीपीपी फेज-I	झबुआ पावर लि.	U-1	600	Mar.-13	Oct.-13	एचटी 1/12 में पूरा हुआ और बीएलयू, 8/12 तक पूरा हुआ, एसबीओ 9/12 तक पूरा हुआ। स्टार्ट-अप पावर 8/12 से उपलब्ध होगी।
ओडिशा	दिरांग टीपीपी	जेआईटीपीएल	U-1	600	Mar.-12	Sep.-13	एचटी 8/12 में और बीएलयू 12/12 में
ओडिशा	दिरांग टीपीपी	जेआईटीपीएल	U-2	600	Jun.-12	Dec.-13	कमीशनिंग गतिविधियां प्रगति पर हैं। पूर्ण भार 8/12 तक संभावित है।
ओडिशा	इंड भारत टीपीपी (ओडिशा)	इंड भारत	U-1	350	Sep.-11	Feb.-13	बॉयलर निर्माण 8/11 में आरंभ हुआ। एचटी 9/13 में संभावित है और टीजी निमार्ण अभी आरंभ नहीं हुआ है।

1	2	3	4	5	6	7	8
ओडिशा	इंड भारत टीपीपी (उड़ीसा)	इंड भारत	U-2	350	Dec.-11	Mar.-13	बॉयलर निर्माण 12/11 में आरंभ हुआ। एचटी 1/14 में संभावित है और टीजी निर्माण अभी शुरू नहीं हुआ है।
ओडिशा	कमलांग टीपीपी	जीएमआर	U-1	350	Nov.-11	Nov.-12	ड्रम 3/11 में लिफ्ट किया गया। एचटी 3/12 में पूरा हुआ। टीजी निर्माण 9/11 में आरंभ हुआ। बॉक्स-अप 11/12 तक और बीएलयू 8/12 तक संभावित है।
ओडिशा	कमलांग टीपीपी	जीएमआर	U-2	350	Dec.-11	Mar.-13	ड्रम 5/11 में लिफ्ट किया गया। एचटी 5/12 में पूरा किया गया। टीजी इरेक्शन 11/11 में आरंभ हुआ। बॉक्स-अप 1/13 में
ओडिशा	कमलांगा टीपीपी	जीएमआर	U-3	350	Feb.-12	Jul.-13	एसबीओ पूरा किया गया, यूनिट 6/12 में समकालिक किया गया और 8/12 तक संपूर्ण भार पर।
ओडिशा	केवीके नीलांचल टीपीपी	केवीके नीलांचल	U-1	350	Dec.-11	Feb.-14	ड्रम लिफ्ट किया गया और एचटी 8/12, 12/12 में बीएलयू। टीजी निर्माण 11/11 में आरंभ हुआ और 10/12 तक बॉक्स-अप किया गया।
ओडिशा	केवीके नीलांचल टीपीपी	केवीके नीलांचल	U-2	350	Jan.-12	Dec.-14	ड्रम 2/12 में लिफ्ट किया गया, टीजी इरेक्शन 8/12 तक और एचटी 11/12 तक शुरू हुआ।
ओडिशा	केवीके नीलांचल टीपीपी	केवीके नीलांचल	U-3	350	Mar.-12	Jan.-15	एचटी 1/12 में पूरा हुआ और बीएलयू 8/12 तक पूरा हुआ, एसबीओ 9/12 तक पूरा हुआ। स्टार्ट-अप पावर 8/12 से उपलब्ध होगी।

1	2	3	4	5	6	7	8
ओडिशा	लेनको बाबंध टीपीपी	लेनको बाबंध पावर लि.	U-1	660	Apr.-13	Mar.-14	एचटी 8/12 में और बीएलयू 12/12 में
			U-2	660	Aug.-13	May-15	कमीशनिंग गतिविधियां प्रगति पर हैं। पूर्ण भार 8/12 तक संभावित है।
ओडिशा	मालीब्राह्मिणी टीपीपी	एमपीसीएल	U-1	525	Dec.-12	Apr.-14	बॉयलर निर्माण 8/11 में आरंभ हुआ। एचटी 9/13 में संभावित है और टीजी निर्माण अभी आरंभ नहीं हुआ है।
पंजाब	गोइंदवाल साहिब	जीवीके पावर	U-1	270	Apr.-13	Apr.-13	बॉयलट निर्माण 12/11 में आरंभ हुआ। एचटी 1/14 में संभावित है और टीजी निर्माण अभी शुरू नहीं हुआ है।
पंजाब	गोइंदवाल साहिब	जीवीके पावर	U-2	270	Oct.-13	Oct.-13	ड्रम 3/11 में लि फ्ट किया गया। एचटी 3/12 में पूरा हुआ। टीजी निर्माण 9/11 में आरंभ हुआ। बॉक्स-अप 11/12 तक और बीएलयू 8/12 तक संभावित है।
पंजाब	राजपुरा टीपीपी (नाभा)	नाभा पावर लि.	U-1	700	Jan.-14	Jan.-14	ड्रम 5/11 में लिफ्ट किया गया। एचटी 5/12 में पूरा कया गया। टीजी इरेक्शन 11/11 में आरंभ हुआ। बॉक्स-अप 1/13 में
पंजाब	राजपुरा टीपीपी (नाभा)	नाभा पावर लि.	U-2	700	Mar.-14	Mar.-14	एसबीओ पूरा किया गया, यूनिट 6/12 में समाकलिक किया गया और 8/12 तक पूर्ण भार पर।
पंजाब	तलवंडी साबो टीपीपी	मै. स्टरलाईट	U-1	660	Oct.-12	Dec.-13	ड्रम लिफ्ट किया गया और एचटी 8/12, 12/12 में बीएलयू। टीजी निर्माण 11/11 में आरंभ हुआ और 10/12 तक बॉक्स-अप किया गया ।

1	2	3	4	5	6	7	8
पंजाब	तलवंडी साबो टीपीपी	मै. स्टरलाईट	U-2	660	Jan.-13	Apr.-14	ड्रम 2/12 में लिफ्ट किया गया, टीजी इरेक्शन 8/12 तक और एचटी 11/12 तक शुरू हुआ।
पंजाब	तलवंडी साबो टीपीपी	मै. स्टरलाईट	U-3	660	May-13	Jun.-14	एचटी 1/12 में पूरा हुआ और बीएलयू 8/12 तक पूरा हुआ, एसबीओ 9/12 तक पूरा हुआ। स्टार्ट-अप पावर 8/12 में उपलब्ध होगी।
राजस्थान	जलीला-कपूरदी टीपीपी	राज वेस्ट पावर लि. (जेएसडब्ल्यू)	U-5	135	Jun.-10	Oct.-12	एचटी 8/12 में और बीएलयू 12/12 में
			U-6	135	Aug.-10	Jan.-13	कमीशनिंग गतिविधियां प्रगति पर हैं। पूर्ण भार 8/12 तक संभावित है।
			U-7	135	Sep.-19	Aug.-13	वॉलयर निर्माण 8/11 में आरंभ हुआ। एचटी 9/13 में संभावित है और टीजी निर्माण अभी आरंभ नहीं हुआ है।
			U-8	135	Mar.-11	Dec.-13	बॉयलर निर्माण 12/11 में आरंभ हुआ। एचटी 1/14 में संभावित है और टीजी निर्माण अभी शरू नहीं हुआ है।
राजस्थान	कवाई टीपीपी	अडानी पावर लि.	U-1	660	Dec.-12	Mar.-13	ड्रम 3/11 में लिफ्ट किया गया एचटी 3/12 में पूरा हुआ। टीजी निर्माण 9/11 में आरंभ हुआ। बॉक्स-अप 11/12 तक और बीएलयू 8/12 तक संभावित है।
राजस्थान	कवाई टीपीपी	अडानी पावर लि.	U-2	660	Mar.-13	May-13	ड्रम 5/11 में लिफ्ट किया गया। एचटी 5/12 में पूरा किया गया। टीजी इरेक्शन 11/11 में आरंभ हुआ। बॉक्स-अप 1/13 में

1	2	3	4	5	6	7	8
तमिलनाडु	मेलमरूथूर टीपीपी	कोस्टल एनरजेन	U-1	600	Feb.-12	Feb.-13	एसबीओ पूरा किया, यूनिट 6/12 में समकालिक किया गया और 8/12 तक पूर्ण भार पर।
तमिलनाडु	मेलमरूथूर टीपीपी	कोसटल एनरजेन	U-2	600	Mar.-12	May-13	ड्रम लिफ्ट किया गया और एचटी 8/12, 12/12 में बीएलयू। टीजी निर्माण 11/11 में आरंभ हुआ और 10/12 तक बॉक्स-अप किया गया।
तमिलनाडु	तूतीकोरिन टीपीपी	जेपी पावर	U-1	660	May-12	Jan.-14	ड्रम 2/12 में लिफ्ट किया गया, टीजी इरेक्शन 8/12 तक और एचटी 11/12 तक शुरू हुआ।
उत्तर प्रदेश	प्रयागराज (बारा) टीपीपी	जेपी पावर	U-1	660	Feb.-14	Feb.-14	एचटी 1/12 में पूरा हुआ और बीएलयू 8/12 तक पूरा हुआ, एसबीओ 9/12 तक पूरा हुआ। स्टार्ट-अप पावर 8/12 से उपलब्ध होगी
उत्तर प्रदेश	प्रयागराज (बारा) टीपीपी	जेपी पावर	U-2	660	Jul.-14	Jul.-14	एसबीओ पूरा किया गया, यूनिट 6/12 में समकालिक किया गया और 8/12 तक पूर्ण भार पर।
उत्तर प्रदेश	प्रयागराज (बारा) टीपीप	जेपी पावर	U-3	660	Dec.-14	Dec.-14	ड्रम लिफ्ट किया गया और एचटी 8/12, 12/12 में बीएलयू। टीजी निर्माण 11/11 में आरंभ हुआ और 10/12 तक बॉक्स-अप किया गया।
उत्तर प्रदेश	ललितपुर टीपीपी	बजाज एन र्जी प्रा. लि.	U-1	660	Oct.-14	Sep.-14	ड्रम 2/12 में लिफ्ट किया गया, टीजी इरेक्शन 8/12 तक और एचटी 11/12 तक शुरू हुआ। ड्रम लिफ्ट किया गया और एचटी 8/12, 12/12 में बीएलयू। टीजी निर्माण 11/11 में आरंभ हुआ और 10/12 तक बॉक्स-अप किया गया। एचटी 1/12 में पूरा हुआ और बीएलयू 8/12 तक पूरा हुआ, एसबीओ 9/12 तक पूरा हुआ। स्टार्ट-अप पावर 8/12 से उपलब्ध होगी।

1	2	3	4	5	6	7	8
			U-2	660	Feb.-15	Dec.-14	एचटी 1/12 में पूरा हुआ और बीएलयू 8/12 तक पूरा हुआ, एसबीओ 9/12 तक पूरा हुआ। स्टार्ट–अप पावर 8/12 से उपलब्ध होगी।
			U-3	660	Jun.-15	Mar.-15	एचटी 8/12 में और बीएलयू 12/12 में
पश्चिम बंगाल	हल्दिया टीपीपी–I	मै. हल्दिया एनर्जी लि	U-1	300	Aug.-14	Aug.-14	पाइलिंग कार्य 01/11 में आरंभ हुआ।
			U-2	300	Nov.-14	Nov.-14	
	कुल निजी क्षेत्र			66080			

विवरण–IV

निजी क्षेत्र में निष्पादनाधीन जल विद्युत परियोजनाओं की स्थिति

क्रम सं.	परियोजना निष्पादन एजेंसी का नाम सीईए स्वीकृति की तारीख/अनुमोदन	राज्य आरंभिक सूची (वास्तविक/अब संभावित)	व्यापक वर्तमान स्थिति
1	2	3	4
1.	सोरांग हिमाचल सोरांग पावर कारपोरेशन लि. जून, 2006/ 2X50+100 मेगावाट	हिमाचल प्रदेश 2012–13 2013–14	एचआरटी–खुदाई पूरी की जा चुकी है और 1455 मीटर लाइनिंग में से 825 मीटर लाइनिंग में से 825 मीटर लंबाई की गई। पेनस्टॉक : खुदाई पूरी की जा चुकी है। फेरूलस का निर्माण प्रगति पर है। ई एंड एम कार्य : दोनों यूनिटों का निर्माण अंतिम चरण में है।
2.	टिडोंग–I मै. एनएसएल टिडोंग पावर जेनरेशन लि. 2X50+100 मेगावाट	हिमाचल प्रदेश 2013–13 2015–16	अवसंरचना और पूर्व निर्माण कार्य प्रगति पर है। बैराज : 70% खुदाई पूरी की जा चुकी है। एचआरटी : 8.6 किलोमीटर खुदाई में से 1.4 किलोमीटर पूरी की जा चुकी है।

1	2	3	4
3.	तांगनु रोमई–I मै. तांगू रोमई पावर जेनरेशन 2X22+44 मेगावाट	हिमाचल प्रदेश 2014–15 2015–16	मै. साईं ऊर्जा हाइडल प्रोजेक्ट (प्राइवेट) लिमिटेड को 14.6.2010 को सिविल कार्य सौंपे गए। ढांचागत कार्य प्रगति पर है। एचआरटी : एडिट खुदाई प्रगति पर है। भूतल विद्युत गृह : 31% खुदाई पूरी की जा चुकी है।
4.	श्रीनगर जीवीके इंडस्ट्रीज लि. 14/6/2000/एफसी 4X82.5+330 मेगावाट	उत्तराखंड 2005–06 2013–14	बांध : खुदाई (100%) पूरी की जा चुकी है। 67% कंक्रीटिंग पूरी की जा चुकी है। एचआरटी : खुदाई पूरी की जा चुकी है और 53% लाइनिंग पूरी की जा चुकी है और 53% लाइनिंग पूरी की जा चुकी है। विद्युत गृह : खुदाई पूरी की जा चुकी है और कंक्रीटिंग प्रगति पर है। यूनिट निर्माण : यूनिट–1 : स्टेरिंग और स्पाइरल केसिंग का निर्माण प्रगति पर है। यूनिट–2 : स्टेरिंग एलाइनमेंट पूरा किया जा चुका है। यूनिट–3 : ड्राफ्ट ट्यूब निर्माण प्रगति पर है। यूनिट–4 : ड्राफ्ट ट्यूब निर्माण प्रगति पर है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार ने 30.5.2011 से कार्य को रोकने के लिए नोटिस जारी किया है।
5.	फाटा बियूंग मै. लेनको 06.10.2008 2X38 मेगावाट=76 मेगावाट	उत्तराखंड 2013–14 2013–14	डाइवर्जन टनल : नदी को मोड़ा गया है। बांध : कंक्रीटग : 15729/2000 सह–कंक्रीटिंग पूरी की जा चुकी है। पीएच : खुदाई पूरी की जा चुकी है और कंक्रीटिंग प्रगति पर है। एचआरटी : 7211/9228 मीटर खुदाई पूरी की जा चुकी है और लाइनिंग प्रगति पर है।
6.	सिंगोली भटावरी मै. एल एंड टी 11.07.2008 3X33 मेगावाट = 99 मेगावाट	उत्तराखंड 2015–16 2015–16	रीवर डाइवर्जन : खुदाई और कंक्रीटिंग पूरी की जा चुकी है। बांध और डाइक/बैरक 51265/90744 खुदाई 27346/76500 कंक्रीटिंग पूरी की जा चुकी है। एचआरटी : 5873/11255 मीटर खुदाई पूरी की जा चुकी है। प्रेशर शाफ्ट : 348.5/485 मीटर खुदाई पूरी की जा चुकी है। पीएच : 21000/53000 खुदाई पूरी की जा चुकी है।

1	2	3	4
7.	महेश्वर एसएमएचपीसीएल 30 12 96/29.9.2006 (एफसी) 10X40=400 मेगावाट	मध्य प्रदेश 2001–02 2013–15	सिविल और एचएम कार्य : सभी मुख्य सिविल कार्य पूरे किए जा चुके हैं। विद्युत गृह क्षेत्र में सिविल कार्य विभिन्न यूनिटों के निर्माण के अनुसार प्रगति कर रहे हैं। सभी 27 रेडियन गेट शुरू किए जा चुके हैं। यूनिट निर्माण: यूनिट–10 आरंभिक स्पिनिनिंग 14.10.2011 को प्राप्त की गई। यूनिट–9 : और 8 स्पिनिंग के लिए तैयार। यूनिट–7 : गाइड अप्रेंटस ट्रायल असेम्बली प्रगति पर है। यूनिट–6 : टरबाईन पार्ट तथा फाउंडेशन पार्ट का निर्माण पूरा किया जा चुका है। यूनिट–5 से 1 यूनिटों का निर्माण विभिन्न चरणों में है। विकासकर्ता के साथ नकद प्रवाह की समस्या के कारण नवंबर, 11 में मेल द्वारा कार्य रोक दिया गया।
8.	चूजाछेन गति इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. 30.11.2004 (राज्य सरकार)/ 2X49-5=99 मेगावाट	सिक्किम 2009–10 2013–14	रंगोली बांध:सभी खुदाई और कंक्रीटिंग कार्य पूरे किए जा चुके हैं। रांगपो बांध : खुदाई पूरी की जा चुकी है और 81466/82000 कंक्रीटिंग पूरी की जा चुकी है। एचआरटी : खुदाई लगभग पूरी की जा चुकी है। 7326/7920 मीटर इन्वर्ट लाइनिंग कार्य पूरा किया जा चुका है 6237/7920 मीटर आवेर्ट लाइनिंग पूरी की जा चुकी है। बीएफ बॉल्व : खुदाई पूरी की जा चुकी है और 61615/900 सीयूएम कंक्रीटिंग पूरी की जा चुकी है। प्रेशर शाफ्ट : खुदाई पूरी की जा चुकी है। स्टील लाइनरों का निर्माण पूरा किया जा चुका है। कंक्रीटिंग और ग्राउटिंग पूरी की जा चुकी है। सरफेस पेनस्टॉक : खुदाई पूरी की जा चुकी है। ए एंड एम कार्य टीआरटी–खुदाई और लाइनिंग पूरी की जा चुकी है। यूनिट : दोनों यूनिट बंद की गई हैं। स्विचयार्ड : 11/132 केवी पूरी की जा चुकी है।

1	2	3	4
9.	तीस्ता–III तीस्ता ऊर्जा लि. (टीयूएल) 12.05.2006 6X200=1200 मेगावाट	सिक्किम 2011–12 2014–15	बांध : सीएफआरजी 9.74 लाख सामग्री 11.5 लाख में से तैयार की गई। एचआरटी : खुदाई पूरी की जा चुकी है। 6.449 कि.मी. आवेर्ट लाइनिंग पूरी की जा चुकी है और 2.168 किलोमीटर इन्वर्ट लाइनिंग पूरी की जा चुकी है। मशीन हॉल, जीआईएस आल और टीआरटी के सभी सुरंगों की खुदाई पूरी की जा चुकी है। टीआरटी : खुदाई पूरी की जा चुकी है। 1336 मीटर में से 776 मीटर आवर्ट लाइनिंग पूरी की जा चुकी है। सर्जशाफ्ट शाफ्ट सिकिंग प्रक्रिया द्वारा 158 मीटर शाफ्ट की खुदाई की गई। प्रेशर शाफ्ट की खुदाई : इनक्लाइंड भाग और हॉरिजेंटल भाग दोनों शाफ्टों के लिए पूरा किया जा चुका है। वर्टिकल प्रशेर शाफ्ट–I की खुदाई पूरी की जा चुकी है और शाफ्ट 2 प्रगति पर है। स्टील लाइनर का निर्माण प्रगति पर है। विद्युत गृह : खुदाई पूरी की जा चुकी है। ट्रांसफार्मर केवर्न की खुदाई पूरी की जा चुकी है। विद्युत गृह में ईओटी क्रेन शुरू की गई। ई एंड एम उपस्करों का निर्माण प्रगति पर है।
10.	तीस्ता–IV लेनको 27.12.2006 4X125=500 मेगावाट	सिक्किम 2012–13 2015–16	बैराज और डिसिल्टिंग 9833349/1934000 खुदाई और 191184/380003 मीटर कंक्रीटिंग पूरी की जा चुकी है। एचआरटी : 1217402/2447447 मीटर खुदाई पूरी की जा चुकी है और 191184/680562 कंक्रीटिंग पूरी की जा चुकी है। सर्ज टेंक : खुदाई पूरी की जा चुकी है और 12377/548773 मीटर कंक्रीटिंग पूरी की जा चुकी है। प्रेशर शाफ्ट : खुदाई पूरी की जा चुकी है और स्टील लाइनर का निर्माण अभी किया जाना है। मुख्य पहुंच वाली सुरंग : वेंटिलेशन टनल, ट्रांसफार्मर कार्बन का ऑडिट, केबल टनल तथा बीएफबी का ऑडिट पूरा किया जा चुका है।

1	2	3	4
			पीएच : खुदाई पूरी की जा चुकी है और 21945/44578 मीटर कंक्रीटिंग पूरी की जा चुकी है।
			ट्रांसफार्मर केवर्न : खुदाई पूरी की जा चुकी है और 2539/7101 लाइनिंग पूरी की जा चुकी है।
			केबल सुरंग और ट्रेंचस : खुदाई पूरी की जा चुकी है।
11.	रंगित-IV जल पावर कारकपोरेशन लि. 06.07.2007 3X40=120 मेगावाट	सिक्किम 2012-13 2014-15	बांध एवं अंतर्वाह कार्य 220858/312000 क्यूबिक मीटर खुदाई पूरी की गई कंक्रीटिग 98000 क्यूबिक मीटर में से 29700 क्यूबिक मीटर क्यूबिक पूरी हुई। रोड डाइर्वजन सुरंग की खुदाई पूरी की गई है।
			एचआरटी : अदित-1 और अदित-2 की खुदाई पूरी हो गई है और खुदाई प्रगति पर है तथा 6478 मीटर में से 2587.5 मीटर पूरी हो गई।
			सर्ज शाफ्ट : खुदाई पूरी हो गई है।
			बिजली घर-बिजली घर तक पहुंच मार्ग का कार्य पूरा किया गया।
12.	जोरथांग लूप मै. डीएएनएस एनर्जी 2X48=96 मेगावाट	सिक्किम 2013-14 2014-15	एचआरटी 3742 मीटर/6718 मीटर की खुदाई पूरी की गई। सर्जशाफ्ट : खुदाई पूरी हो गई है और 55 मीटर में से 48.40 मीटर लाइनिंग पूरी हुई।
			विद्युत गृह : यूनिट-1 के लिए स्पाइरल केसिंग कार्य पूरा हो चुका है औरप्रेशर परीक्षण पूरा हो चुका है। यूनिट-1 के लिए एमआईबी से जोड़ने का कार्य पूरा कर लिया गया है और यूनिट-2 के लिए स्पाइरल केसिंग का कार्य प्रगति पर है।
			एचएम कार्य : फेब्रिकेशन व स्लाइस के कार्य इंटेक गेटज्ञस, इनटेक, ट्रांसरेम्स का कार्य पूरा। फैब्रिकेशन व सर्जशाफ्ट गेट्स का कार्य निर्माणाधीन है।
13.	भस्मे गति इन्फ्रास्ट्रक्चर 2X25-5-51 मेगावाट	सिक्किम 2014-15 2014-15	डाइवर्जन सुरंग का कार्य पूरा।
			एचआरटी : एडिट 309.85 आरएम/781.97 आरएम कार्य पूरा हुआ।
			विद्युत गृह : खुदाई 181117/216147 कार्य पूरा हुआ।

1	2	3	4
			प्रेशर सुरंग/शाफ्ट : 559.85 में से 40 आरएम खुदाई कार्य पूर्ण।
14.	ताशीडिंग मै. शीगा एनर्जी प्राइवेट लि. 2X48-5=97 मेगावाट	सिक्किम 2013–14 13वीं योजना	इनटेक में खुदाई : एचआरटी और विद्युत गृह कार्य प्रगति पर है। एचआरटी : फेज–I खुदाई पर है : 37 मी. फेज–29 मीट, फेज 354 मीटर और फेज–4 5 मीटर का कार्य पूरा हो गया है। सर्ज शाफ्ट : खुदाई कार्य प्रगति पर है। डाइवर्जन टनल की खुदाई शुरू की गई है। ई एंड एम कार्यों के लिए मै. एलस्टॉम को कार्य सौंपा गया है। इनवेडेड भाग के कार्य प्रगति पर हैं।
15.	दिक्चू स्नेहा काइनोटिक पावर प्रोजेक्ट प्रा.लि. 21.10.2011 3X32=66 मेगावाट	सिक्किम 2015–16 13वीं योजना	बांध : 86762 सीयूएम में से 38080 सीयूएम की खुदाई पूरी कर ली है। विद्युत गृह : 43578 सीयूएम में से 13811 से कम की 13811 की खुदाई पूरी कर ली गई है। टीएच : 9177 में से 8564 सीयूएम की खुदाई पूरी हो चुकी है। टीआरटी : 295 आरएम में से 165 की खुदाई पूरी हो चुकी है। मुख्य पहुंच सुरंग : खुदाई का कार्य पूरा।
16.	रंगित–II सिक्किम हाइड्रो पावर लि. 2X33=66 मेगावाट	सिक्किम 2016–17 13वीं योजना	फरवरी, 2012 में मै. कोस्टल को ईपीसी का कार्य सौंपा गया है। पहुंच मार्ग के कार्य और एडिट की खुदाई प्रगति पर है।
17.	रोगिनीचू मध्य भारत पावर कारपोरेशन लि. 2X48=96 मेगावाट	सिक्किम 2015–16 13वीं योजना	सिविल कार्य मै. एसईडब्ल्यू लि. को दिया गया है और ई एंड एम कार्यों को मै. वोइथ हाइड्रो पावर प्राइवेट ली. को एचएम कार्य का अगस्त, 2012 में सौंपा गया है। पूर्व निर्माण गतिविधियों और एडिट की खुदाई प्रगति पर है। विद्युत गृह की खुदाई अक्तूबर, 2012 में शुरू होने की आशा है। लगभग 14 कि.मी. में से लगभग 9 कि.मी. बोरिंग का कार्य पूरा कर लिया है।

औषधियों के दुष्प्रभाव

2209. **श्री जे. एम. आरुन रशीद :**
श्रीमती अन्नू टन्डन :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में औषधियों के संभावित दुष्प्रभाव संबंधी वैज्ञानिक साहित्य की निगरानी और आवधिक समीक्षा के लिए सरकार द्वारा कोई तंत्र स्थापित किया गया है;

(ख) क्या सरकार का ध्यान मधुमेह सहित विभिन्न बीमारियों हेतु नुस्खा लिखी जा रही कुछ दवाओं की ओर गया है जिनका स्वास्थ्य पर गंभीर दुष्प्रभाव पड़ता है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं;

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए/किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) सरकार द्वारा अनिवार्य दवाओं की राष्ट्रीय सूची (एनएलईएम), 2011 में कुछ दवाओं के संभावित दुष्प्रभावों को देखते हुए इसमें संशोधन के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (घ) अस्पतालों में सामान्यतया नई औषध अनुमोदन समितियां गठित की जाती हैं जो अस्पतालों द्वारा अपनी फार्मूलरियों में उपयोग की जाने वाली औषधों की समीक्षा करती हैं। व्यक्तिगत रोगी भी उपचारी डॉक्टरों को औषधों के दुष्प्रभावों की सूचना देते हैं। भारतीय औषध सतर्कता कार्यक्रम भी प्रतिकूल औषध अनुक्रियाओं के बारे में आंकड़े एकत्र करता है। अन्य देशों में गंभीर दुष्प्रभावों की रिपोर्टों तथा इन औषधों के वर्जन/रोक के तथ्यों, यदि कोई हों, को औषध तकनीकी परामर्शी बोर्ड (डीटीएबी) के समक्ष विचार व सिफारिश करने हेतु रखा जाता है।

(ङ) राष्ट्रीय अनिवार्य औषध सूची (एनएलईएम) को संशोधित किया जाता है और उसको चिकित्सीय उत्पादों के उपयोग की समसामयिक जानकारी के संदर्भ में समय-समय पर अद्यतन बनाया जाता है। किसी औषध पर रोक लगाते समय लागत-लाभ विश्लेषण और सुरक्षित एवजों की उपलब्धता को ध्यान में रखा जाता है।

[अनुवाद]

स्कूल पाठ्यक्रम में स्वास्थ्य शिक्षा

2210. **श्री गजाजन ध. बाबर :**
श्री धर्मेन्द्र यादव :
श्री आनंदराव अडसुल :
श्री अधलराव पाटील शिवाजी :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बीमारियों की रोकथाम के उपायों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के प्रयास के रूप में स्वास्थ्य शिक्षा को स्कूल के पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (एनसीईआरटी) और स्वास्थ्य मंत्रालय के विशेषज्ञों की टीम इसके लिए पाठ्यक्रम संरचना विकसित करने पर कार्य कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त पाठ्यक्रम को कब तक अंतिम रूप दिया जाएगा और स्कूलों में शुरू किया जाएगा?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदीप बंदोपाध्याय) : (क) जी, हां।

(ख) स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा पहले ही वर्ष 1988 से अनिवार्य विषय है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क-2005, जो कि एक नीतिगत दस्तावेज है, ने स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा एवं योग के विभिन्न आयामों पर केंद्रित करते हुए कक्षा I-X के पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या में स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा को पहले ही शामिल कर लिया है।

(ग) और (घ) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (एनसीआरटी) एक परामर्शदाता के रूप में स्कूल शिक्षा के विभिन्न चरणों के लिए स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा संबंधी सामग्री तैयार कर रहा है।

इसके पूरा होने पर एनसीईआरटी सीबीएसई **के साथ स्कूल**

तंत्र में एक अनिवार्य विषय के रूप में इस मौजूदा पाठ्यक्रम को अद्यतन करेगा।

अन्य राज्यों को बिजली बेचना

2211. **श्री पी. करूणाकरन :** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में निजी विद्युत वितरण कंपनियां विभिन्न स्रोतों से किस दर पर बिजली खरीदती हैं;

(ख) क्या निजी कंपनियां भी व्यस्ततम और अव्यस्ततम दोनों समय अन्य राज्यों के साथ बिजली का व्यापार करती हैं/उन्हें बिजली बेचती हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केन्द्रीय विद्युत केन्द्रों से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को आवंटित बिजली की भारी मात्रा कथित रूप से कुछ निजी विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा महंगी कीमत पर अन्य राज्यों को बेची जाती है;

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य और ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल) : (क) विद्युत वितरण कंपनियां (सार्वजनिक एवं निजी दोनों) दीर्घावधि और अल्पावधि आधार पर विद्युत क्रय करती हैं। दीर्घावधि क्रय के लिए, वितरण कंपनियां उत्पादन कंपनियों के साथ पीपीए करती है और अल्पकालीन बाजार के लिए वे सीधे द्विपक्षीय, व्यापारियों और वितरण एक्सचेंजों के माध्यम से विद्युत क्रय करती हैं। सीईआरसी अंतर्राज्यीय व्यापारियों और विद्युत एक्सचेंजों के माध्यम से वितरण कंपनियों द्वारा किए जा रहे व्यवसाय की निगरानी करता है। देश में वर्ष 2011-12 में विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा अंतर्राज्यीय व्यापारियों और विद्युत एक्सचेंजों के माध्यम से विभिन्न स्रोतों से खरीदी गई विद्युत की दरें संलग्न विवरण-I में दी गई हैं।

(ख) और (ग) निजी वितरण कंपनियां, अन्य राज्यों को, व्यस्ततमकालीन और गैर-व्यस्ततमकालीन दोनों अवधियों में विद्युत का व्यापार विक्रय करती है। वर्ष 2011-12 में निजी वितरण कंपनियों द्वारा अन्य राज्यों को विक्रय की गई विद्युत का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) और (च) उपर्युक्त के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

2011-12 के दौरान देश में निजी विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा जिस पर विभिन्न स्रोतों से विद्युत खरीदी गई

क्र. सं.	विद्युत खरीद करने वाली विद्युत वितरण करने वाली निजी कंपनी का नाम	वितरण कंपनी के राज्य का नाम	मूल्यांकित औसत क्रय कीमत (कि.वाट प्रति घंटा)	राज्यों/क्षेत्रीय एनटिटी के नाम जिनसे वितरण कंपनियों विद्युत क्रय करती है
1	2	3	4	5
	ट्रेडिंग लाइसेंस द्वारा अंतर्राज्यीय द्विपक्षीय लेन-देन			
1.	टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लि. (एनडीपीएल)	दिल्ली	3.78	गुजरात, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र

1	2	3	4	5
2.	बीएसईएस यमुना पावर लि. और बीएसईएस राजधानी पावर लि.	दिल्ली	3.71	गुजरात, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, एनटीपीसी- दादरी, जिंदल पावर लि. झारखंड, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र
3.	बृहंमुम्बई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग	महाराष्ट्र	5.01	कर्नाटक और छत्तीसगढ़
4.	रिलाएंस इंफ्रास्ट्रक्चर लि.	महाराष्ट्र	4.31	छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल
5.	कलकत्ता इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन	पश्चिम बंगाल	5.20	महाराष्ट्र
6.	टाटा पावर कं. लि. (टीपीसी-डी)	महाराष्ट्र	4.40	छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश
7.	नोएडा पावर कंपनी लि.	उत्तर प्रदेश	3.76	छत्तीसगढ़, ओडिशा और महाराष्ट्र
	विद्युत विनियम द्वारा लेन-देन (इंडिया एनर्जी एक्सचेंज लि.)			
1.	टोरंट पावर लि. अहमदाबाद	गुजरात	3.78	लागू नहीं
2.	टोरंट पावर लि., सूरत	गुजरात	3.97	लागू नहीं
3.	रिलाएंस इंफ्रास्ट्रक्चर लि.	महाराष्ट्र	4.09	लागू नहीं
4.	कलकत्ता इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन	पश्चिम बंगाल	3.30	लागू नहीं
5.	टाटा पावर कं. लि. (टीपीसी-डी)	महाराष्ट्र	3.52	लागू नहीं
6.	बीएसईएस राजधानी पावर लि.	दिल्ली	4.55	लागू नहीं
7.	टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लि. (एनडीपीएल)	दिल्ली	3.48	लागू नहीं
	विद्युत विनियम द्वारा लेन-देन (पावर एक्सचेंज इंडिया लि.)			
1.	बृहंमुम्बई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग	महाराष्ट्र	3.78	लागू नहीं
2.	टाटा पावर कं. लि. (टीपीसी-डी)	महाराष्ट्र	3.15	लागू नहीं

विवरण-II

2011-12 में दूसरे राज्यों को बेचने वाले निजी वितरण कंपनी का ब्यौरा

क्र. सं.	बेचने वाली निजी वितरण कंपनी का नाम	वितरण कंपनी के राज्य का नाम	मूल्यांकित औसत क्रय कीमती (कि. वाट प्रति घंटा)	ट्रेडिंग/बेचने की अवधि	खरीदने वाले राज्यों का नाम
	ट्रेडिंग लाइसेंस द्वारा अंतर्राज्यीय द्विपक्षीय लेन-देन				
1.	टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लि. (एनडीपीएल)	दिल्ली	4.26	व्यस्ततम और गैर-व्यस्ततम घंटे	राजस्थान, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश
2.	बीएसईएस यमुना पावर लि. और बीएसईएस राजधानी पावर लि.	दिल्ली	4.43	व्यस्ततम और गैर-व्यस्ततम घंटे	आंध्र प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल
3.	रिलाएंस इंफ्रास्ट्रक्चर लि.	महाराष्ट्र	3.73	व्यस्ततम और गैर-व्यस्ततम घंटे	मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश
	विद्युत विनियम द्वारा लेन-देन (इंडिया एनर्जी एक्सचेंज लि.)				
1.	बीएसईएस राजधानी पावर लि.	दिल्ली	2.97	उपलब्ध नहीं	लागू नही
2.	रिलाएंस इंफ्रास्ट्रक्चर लि.	महाराष्ट्र	2.96	उपलब्ध नहीं	लागू नहीं
3.	बीएसईएस यमुना पावर लि.	दिल्ली	2.95	उपलब्ध नहीं	लागू नहीं
4.	टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लि. (एनडीपीएल)	दिल्ली	3.33	उपलब्ध नहीं	लागू नहीं
5.	कलकत्ता इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन	पश्चिम बंगाल	3.19	उपलब्ध नहीं	लागू नहीं
6.	टाटा पावर कं. लि. (टीपीसी-डी)	महाराष्ट्र	4.26	उपलब्ध नहीं	लागू नहीं
	विद्युत विनियम द्वारा लेन-देन (पावर एक्सचेंज इंडिया लि.)				
1.	बीएसईएस यमुना पावर लि. और बीएसईएस राजधानी पावर लि.	दिल्ली	3.17	उपलब्ध नहीं	लागू नहीं
2.	टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लि. (एनडीपीएल)	दिल्ली	2.97	उपलब्ध नहीं	लागू नहीं
3.	रिलाएंस इंफ्रास्ट्रक्चर लि.	महाराष्ट्र	2.65	उपलब्ध नहीं	लागू नहीं

खनिज रियायत नियमों (एमसीआर) में संशोधन

2212. **श्री सोमेन मित्रा :** क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में अवैध खनन के खतरे को नियंत्रित करने के लिए खनिज रियायत नियमों में संशोधन पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या प्रगति हुई है?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) और (ख) केंद्र सरकार ने दिनांक 27 जुलाई, 2012 की अधिसूचना संख्या जीएसआर 593(अ) के तहत खनिज रियायत नियम, 1960 के नियम 26 तथा नियम 27 को संशोधित किया है। उक्त अधिनियम में यह व्यवस्था है कि अवैध खनन के मामले में खनन पट्टे के नवीनीकरण आवेदन को अस्वीकार किया जाएगा और पूर्वेक्षण लाइसेंस खनन पट्टे को रद्द किया जाएगा।

बैक्टीरिया संक्रमण के कारण नवजात शिशुओं की मृत्यु

2213. **श्री थोल तिरूमावलावन :**
श्री एस. अलागिरी :
श्री वैजयंत पांडा :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बैक्टीरिया के संक्रमण जैसे न्यूमोनिया, सेपसिस मेनिन्जाइटिस और खतरनाक संक्रमणों के कारण प्रत्येक वर्ष भारत में औसतन कुल कितने नवजात शिशुओं की मृत्यु होती है;

(ख) क्या एक अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा पत्रिका में प्रकाशित हाल के अध्ययन में यह बात सामने आई है कि यदि मानक एंटी बायोटिक के साथ जिंक दिया जाए तो बैक्टीरिया संक्रमण के कारण नवजात शिशुओं की होने वाली मृत्यु कम होती है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार इस अध्ययन के निष्कर्षों को क्रियान्वित करने की योजना बना रही है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदीप बंदोपाध्याय) : (क) विश्व स्वास्थ्य संगठन के 2010 के अनुमानों के अनुसार लगभग 29 प्रतिशत नवजात की मौतों का कारण न्यूमोनिया, पूतिता और मेनिन्जाइटिस जैसे जीवाणु संबंधी गंभीर संक्रमण होते हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) लांसेट पत्रिका में हाल ही में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार संभावित गंभीर संक्रमण से ग्रस्त शिशुओं में सहायक उपचार के रूप में जिंक बढ़ा देने से उपचार विफलता के पूर्ण जोखिम में 6.8 प्रतिशत गिरावट पाई गई। यह अध्ययन दिल्ली के तीन अस्पतालों में 352 बच्चों के छोटे नमूने पर किया गया।

(घ) उपरोक्त अध्ययन छोटे आकार के नमूने पर किया गया एक अनुसंधान अध्ययन है और इस अध्ययन के सामान्यीकरण से पूर्व बड़े नैदानिक परीक्षणों की आवश्यकता होती हैं तथापि, जिंक की पूरक खुराक पहले ही राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अतिसार उपचार नयाचारों का एक अंग है।

बलात्कार पीड़ितों की जांच

2214. **श्री नवीन जिंदल :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बलात्कार पीड़ितों की जांच की वर्तमान प्रक्रिया क्या है;

(ख) क्या सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों से उठाई जा रही आपत्तियों को संज्ञान में लिया है कि हाथ से जांच की प्रक्रिया पुरानी है और यह पीड़ितों के कष्ट को और बढ़ा देती है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या सरकार का विचार बलात्कार पीड़ितों की जांच प्रक्रिया में संशोधन करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ङ) राष्ट्रीय महिला आयोग ने बलात्कार

पीड़ितों के लिए फोरेन्सिक विशेषज्ञों तथा डॉक्टरों द्वारा 'फिंगर टेस्ट' विधि के प्रयोग से संबंधित खबर पर इस मंत्रालय का ध्यान आकृष्ट किया तथा इस विधि को समाप्त करने का अनुरोध किया। तदनुसार, इस मामले की जांच की गई और पीड़ितों की प्रतिष्ठा को बनाए रखने के सर्वोपरि लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, केन्द्र सरकार के तीन अस्पतालों नामतः सफदरजंग अस्पताल, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल तथा लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज एवं संबद्ध अस्पतालों के स्त्री रोग विज्ञान तथा फोरेन्सिक आयुर्विज्ञान के क्षेत्रों के विशेषज्ञों तथा केन्द्रीय विधि मंत्रालय के एक प्रतिनिधि से इनपुट लेकर "यौन उत्पीड़न के लिए चिकित्सा जांच रिपोर्ट" के लिए प्रोफार्मा को संशोधित किया गया। सरकारी अस्पतालों के आपातकालीन विभागों में सामान्यतया अत्यधिक कार्यभार को देखते हुए पर्याप्त रूप से ध्यान दिया गया है कि यह प्रोफार्मा व्यापक तथा कार्यान्वियन योग्य हो। इस प्रोफार्मा को दिल्ली में स्थित केन्द्र सरकार के तीन अस्पतालों तथा सभी राज्य सरकारों में अनेक अधिकार-क्षेत्र के अधीन अस्पतालों में कार्यान्वियन के लिए परिचालित कर दिया गया।

[हिन्दी]

समुद्र पर्यटन

2215. श्री बलीराम जाधव : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में समुद्र पर्यटन/क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार की क्या कार्य योजना है;

(ख) इस संबंध में सर्वाधिक संभाव्यता वाले स्थानों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में विशेषकर महाराष्ट्र और गोवा में तटीय अर्थव्यवस्था में सुधार और तटीय क्षेत्रों के विकास हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुल्तान अहमद) : (क) भारत सरकार ने जून, 2008 में क्रूज शिपिंग पॉलिसी को अनुमोदित किया है। इस पॉलिसी की कुछ मुख्य विशेषताओं में सहायक राजकोषीय व्यवस्था, पोर्ट पर सुविधाओं का विकास और रेल, सड़क परिवहन, वायु और मैट्रो के माध्यम से सम्पर्कता और आप्रवासन संबंधी औपचारिकताएं, निर्बाध कस्टम क्लीयरेन्स और स्वच्छ समुद्र को सुनिश्चित करती उचित अपशिष्ट निपटान व्यवस्था शामिल है। क्रूज शिपिंग के विकास से संबंधित मामलों का समाधान करने के लिए जून, 2010 में सचिव (शिपिंग) की अध्यक्षता में एक अंतर्यंत्रालयीय संचालन समिति गठित की गई।

(ख) संचालन समिति ने क्रूज पर्यटन के विकास हेतु चेन्नई, कोचीन, न्यू मैंगलोर, मोरमुगांव और मुंबई पत्तनों की पहचान की है।

(ग) समुद्र, क्रूज और तटीय पर्यटन सहित का विकास एवं संवर्धन मुख्यतः राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा स्वयं किया जाता है। पर्यटन मंत्रालय गंतव्यों और परिपथों के लिए उत्पाद/अवसंरचना विकास की योजना के अंतर्गत परियोजना प्रस्तावों के लिए, निधियों की उपलब्धता और पारस्परिक प्राथमिकता की शर्त पर राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

[अनुवाद]

सरकारी अस्पतालों में अवसंरचना

2216. श्री शिवराम गौडा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार की अपने नागरिकों को स्वास्थ्य देखभाल सेवा प्रदान करने संबंधी नीति क्या है तथा इसे क्रियान्वित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(ख) क्या सरकार ने नई दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल सहित सरकारी अस्पतालों के आधुनिकीकरण के लिए कोई योजना बनाई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या देश में सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों, दवाओं और भवन स्थान आदि सहित अपर्याप्त अवसंरचना के कारण अत्यधिक भीड़ है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकारी अस्पतालों में पर्याप्त अवसंरचना सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) देश की आम जनता में अच्छे स्वास्थ्य का एक स्वीकार्य मानक प्राप्त करने के लिए वर्ष 2002 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य

नीति तैयार की गई। नीति दिशा-निर्देशों के अनुसरण में सरकार ने निर्धनों और समाज के असुरक्षित वर्गों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच सकने वाली, वहनीय, उत्तरदायी और गुणवत्तायुक्त स्वास्थ्य परिचर्या की सुविधाओं को प्रदान करने की दृष्टि से वर्ष 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण मिशन शुरू किया।

(ख) से (ङ) स्वास्थ्य राज्य का विषय है, रोगियों की बढ़ती हुई संख्या की जरूरतों को पूरा करने के लिए राज्यों में पर्याप्त स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे को बनाना राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है। तथापि केन्द्र सरकार राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन इत्यादि जैसे विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से सहायता प्रदान करके राज्य सरकारों के प्रयासों को पूरा करती है। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) का अनुमोदन किया गया। इस योजना का उद्देश्य देश में सामान्य रूप से वहनीय/विश्वसनीय तृतीयक स्तर की स्वास्थ्य परिचर्या की उपलब्धता में असंतुलनों को दूर करना तथा अल्पसेवित राज्यों में गुणवत्तायुक्त चिकित्सा शिक्षा के लिए सुविधाएं बढ़ाना है।

जहां तक दिल्ली में तीन केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों अर्थात् सफदरजंग अस्पताल, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज एवं संबद्ध अस्पतालों का संबंध है यह सच है कि रोगियों की संख्या में वृद्धि हुई है। इन अस्पतालों में रोगियों के बढ़ते हुए भारत की जरूरतों को पूरा करने के लिए उनके उपलब्ध संसाधनों के भीतर अस्पताल के बुनियादी ढांचे और सेवाओं का उन्नयन सतत् आधार पर किया जाता है।

[हिन्दी]

नि:शस्त्रीकरण सम्मेलन

2217. श्री धर्मेन्द्र यादव :
श्री आनंदराव अडसुल :
श्री गजानन ध. बाबर :
श्री अधलराव पाटील शिवाजी :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में जिनेवा में नि:शस्त्रीकरण सम्मेलन हुआ था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उन देशों के नाम क्या हैं जिन्होंने उक्त सम्मेलन में भाग लिया;

(ग) क्या उक्त सम्मेलन में किसी समझौते पर हस्ताक्षर किया गया;

(घ) यदि हां, तो उक्त समझौते की रूपरेखा क्या है;

(ङ) क्या छोटे हथियारों विशेषकर व्यापक विनाश के हथियारों के मामले में यथा उपलब्ध परंपरागत समुचित सुरक्षा उपाय मौजूद हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर) : (क) और (ख) हाल में जिनेवा में कोई नि:शस्त्रीकरण सम्मेलन आयोजित नहीं किया गया था। हालांकि, निशस्त्रीकरण विषय पर जिनेवा स्थित 65 देशों का सम्मेलन सत्राधीन है। वर्ष 1979 में स्थापित नि:शस्त्रीकरण सम्मेलन का सत्र प्रत्येक वर्ष 24 सप्ताह के लिए नियमित रूप से आयोजित किया जाता है। नि:शस्त्रीकरण सम्मेलन में सम्मिलित सदस्य राष्ट्र इस प्रकार हैं—अल्जीरिया, अर्जेंटिना, आस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, बांग्लादेश, बेलारूस, बेल्यिजम, ब्राजील, बुल्गारिया, कैमरून, कनाडा, चिली, चीन, कोलंबिया, क्यूबा, डीपीआर कोरिया, कांगो जनतांत्रिक गणराज्य, इक्वाडोर, मिस्र, इथोपिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, हंगरी, भारत, इंडोनशिया, ईरान, इराक, आयरलैंड, इजरायल, इटली, जापान, कजाखस्तान, केन्या, मलेशिया, मैक्सिको, मंगोलिया, मोरक्को, म्यांमार, नीदरलैंड, नाइजीरिया, नार्वे, पाकिस्तान, पेरू, पोलैंड, कोरिया गणराज्य, रोमानिया, रूसी परिसंघ, सेनेगल, स्लोवाकिया, दक्षिण अफ्रीका, स्पेन, श्रीलंका, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, सीरिया, ट्यूनीशिया, तुर्की, यूक्रेन, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमरीका, वेनेजुएला, वियतनाम एवं जिंबाब्वे।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ङ) और (च) छोटे हथियारों की अवैध तस्करी पर रोक लगाने के लिए तीन अंतर्राष्ट्रीय तंत्र मौजूद हैं, जिसमें भारत एक पक्षकार के रूप में शामिल है, नामत: (I) लघु अस्त्रों तथा हथियारों के अवैध व्यापार को सभी पहलुओं को रोकने, मुकाबला करने तथा इसके उन्मूलन हेतु कार्ययोजना (II) अवैध अस्त्रों तथा छोटे हथियारों का समयबद्ध तथा भरोसेमंद तरीके से पता लगाने में राज्यों को सक्षम बनाने हेतु अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था; (III) गोलाबारूद, उनके कलपुर्जे तथा आयुध के अवैध निर्माण एवं तस्करी के विरुद्ध प्रोतोकोल।

[अनुवाद]

सतत खनन-स्तर

2218. श्री ओम प्रकाश यादव : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इंटरजनरेशन इक्विटी और पर्यावरण अपक्षीणन को देखते हुए सतत खनन संबंधी कोई मानदंड निर्धारित किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) और (ख) सभी प्रमुख खनिजों का खनन एक अनुमोदित खनन योजना के माध्यम से विनियमित किया जाता है जिसमें पर्यावरण और खनन के प्रभाव को कम करने के उपायों सहित वैज्ञानिक तथा प्रणालीबद्ध खनन की व्यवस्था है। तथापि, उच्चतम न्यायालय के एक हालिया आदेश के परिणामस्वरूप लौह अयस्क का वार्षिक उत्पादन बेलारी जिले के लिए 25 मिलियन टन तथा चित्रदुर्ग और टुमकुर जिलों के लिए 5 मिलियन टन तक सीमित हो गया है। तदनुसार पर्यावरणीय अवनति तथा सतत खनन को देखते हुए खनन गतिविधि विनियमित की जाती है।

बॉक्साइट का उत्पादन

2219. डॉ. अनूप कुमार साहा :
श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी :

क्या **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खान ब्यूरो (आईबीएम) में उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों के अनुसार देश में बॉक्साइट के उत्पादन में भारी गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पिछले तीन दशकों के दौरान देश में विशेषकर बॉक्साइट समृद्ध पूर्व तटीय क्षेत्र में एक भी बॉक्साइट की खान नहीं पाई गई है/खोली गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) और (ख) जी, नहीं। उपलब्ध सूचना के अनुसार वर्ष 2010-11 में बॉक्साइट का उत्पादन 12.64 मिलियन टन तथा वर्ष 2011-12 में 12.88 मिलियन टन था।

(ग) से (ङ) उपलब्ध सूचना के अनुसार, बॉक्साइट का खनन ओडिशा राज्य के पूर्वी तट क्षेत्र में किया जा रहा है जहां वर्ष 2011-12 में कुल उत्पादन 5.04 मिलियन टन था। आंध्र प्रदेश राज्य में बॉक्साइट का कोई खनन नहीं है। तथापि, आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम जिले में मै. एपीएमडीसी लि. के पक्ष में बॉक्साइट के खनन पट्टा देने के 13 प्रस्तावों को पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से संबंधित स्थानीय जनता की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए आंध्र प्रदेश सरकार को लौटा दिया गया है।

विमान यात्रियों के लिए सुरक्षा तंत्र

2220. श्री एम.बी. राजेश :
श्री बद्रीराम जाखड़ :
श्री सी. शिवासामी :
श्री रमेश बैस :
श्री गोपीनाथ मुंडे :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में प्रचालनरत विभिन्न एयरलाइनों द्वारा कथित रूप से निर्धारित मानदंडों का उल्लंघन करने और विमान यात्रियों की सुरक्षा को जोखिम में डालने की बात सरकार की जानकारी में आई है/लाई गई है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसी एयर लाइनों के विरुद्ध कार्रवाई करने और इस संबंध में जांच करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं;

(ङ) क्या सरकार ने हाल में पुराने हवाई जहाजों के आयात की अनुमति दी है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं एवं विमान सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) से (घ) देश में प्रचालन कर रही विभिन्न एयरलाइनों द्वारा मानदंडों/नागर विमानन अपेक्षाओं के उल्लंघन करने की घटनाएं हुई है। तथापि, जो मामले विभिन्न चूकों के लिए नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) के ध्यान में लाए गए हैं, उनमें गंभीर सुरक्षा जोखिम नहीं है।

डीजीसीए ने पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान प्रवर्तन प्रावधानों से संबंधित प्रशासनिक कार्रवाईयां की हैं। इनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। 2009 से 31 जुलाई, 2012 तक एयरलाइनों के विरुद्ध 13 प्रवर्तन कार्रवाईयां की गई है और एयरलाइनों में नियुक्त कार्मिकों, जिनमें पायलट, इंजीनियर, केबिन क्रू तथा अन्य शामिल हैं के विरुद्ध भी 283 कार्रवाईयां की गई हैं।

प्रवर्तन कार्रवाईयां लाइसेंसों/प्रमाणपत्रों/परमिटों के निलंबन या निरस्तीकरण, मौखिक काउंसलिंग, चेतावनियों, डिबार आदि के रूप में होती हैं।

(ङ) प्रेसराइज्ड विमान के मामले में भारत में विमान आयात करने के लिए आयु सीमा 15 वर्ष है जबकि अन-प्रेसराइज्ड विमान के मामले में अनुसूचित, गैर अनुसूचित प्रचालन के लिए 20 वर्ष है। इसी प्रकार एयर कार्गो प्रचालनों के मामले में यह आयु सीमा प्रेसराइज्ड विमानों के लिए 25 वर्ष और अनप्रेसराइज्ड विमानों के लिए 20 वर्ष से अधिक नहीं होगी। तदनुसार, डीजीसीए ने किसी पुराने विमान के आयात की अनुमति नहीं दी है।

(च) उपर्युक्त पैरा (ङ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

संगठन का नाम	प्रवर्तन कार्रवाईयां की संख्या	वर्ष (2009-2010-2011-2012, जुलाई 2012 तक)
जैगसन एयरलाइन्स	02	
एमडीएलआर	02	
पैरामाउंट एयरवेज	01	कुल-13
जेट लाइट (इंडिया) लि.	02	
नैसिल (आई)	01	
किंगफिशर एयरलाइन्स	01	
गो एयरएलाइन्स	01	
जेट एयरवेज	01	
स्पाइसजेट	01	
इंडिगो एयरलाइन्स	01	

अनुसूचित एयरलाइनों के विरुद्ध की गई कार्रवाई का कारणों सहित ब्यौरा निम्नवत है:

क्र. सं.	प्रचालक का नाम	जारी किए गए कारण बताओ नोटिस की तिथि	कारण बताओ नोटिस जारी करने के कारण	की गई कार्रवाई
1	2	3	4	5
		2009		
1.	जैगसन एयरलाइंस	24.04.2009	अनुसूची के अनुमोदन के बिना आरएसओपी पर पृष्ठांकित हेलीकॉप्टर द्वारा प्रचालन।	क्षेत्रीय एसओपी को पृष्ठांकन सहित 18.05.2009 को चेतावनी जारी की गई।

1	2	3	4	5
2.	एमडीएलआर एयरलाइंस	24.04.2009	अनुमोदित अनुसूची के दायरे से बाहर गैर-अनुसूचित उड़ाने प्रचालित करना।	क्षेत्रीय एसओपी को पृष्ठांकन सहित 18.05.2009 को चेतावनी जारी की गई।
3.	एमडीएलआर एयरलाइंस	22.09.2009	नागर विमानन अपेक्षाओं के विभिन्न उपबंधों का उल्लघंन।	एमडीएलआर ने अक्तूबर, 2009 के प्रथम सप्ताह में आपने प्रचालन निलंबित कर दिए। आगे कोई अनुसूची अनुमोदित नहीं की जानी है।
4.	जेट लाइट (इंडिया) लि.	22.09.2009	नागर विमानन अपेक्षाओं के विभिन्न उपबंधों का उल्लंघन।	चेतावनी पत्र जारी किया जा चुका है।
5.	नैसिल (इंडियन एयरलाइंस)	17.11.2009	नोटैम अवधि के दौरान मंबई में गीले रनवे पर प्रचालन के लिए डीजीसीए द्वारा जारी निदेश का अनुपालन न किया जाना।	चेतावनी पत्र जारी किया जा चुका है।
6.	किंगफिशर एयरलाइंस	17.11.2009	नोटैम अवधि के दौरान मंबई में गीले रनवे पर प्रचालन के लिए डीजीसीए द्वारा जारी निदेश का अनुपालन न किया जाना।	चेतावनी पत्र जारी किया जा चुका है।
7.	गो एयरलाइंस	17.11.2009	नोटैम अवधि के दौरान मंबई में गीले रनवे पर प्रचालन के लिए डीजीसीए द्वारा जारी निदेश का अनुपालन न किया जाना।	चेतावनी पत्र जारी किया जा चुका है।
8.	जेट लाईट (आई) लि.	19.11.2009	नोटैम अवधि के दौरान मंबई में गीले रनवे पर प्रचालन के लिए डीजीसीए द्वारा जारी निदेश का अनुपालन न किया जाना।	चेतावनी पत्र जारी किया जा चुका है।
9.	जेट एयरवेज	19.11.2009	नोटैम अवधि के दौरान मंबई में गीले रनवे पर प्रचालन के लिए डीजीसीए द्वारा जारी निदेश का अनुपालन न किया जाना।	चेतावनी पत्र जारी किया जा चुका है।

1	2	3	4	5
			2010	
10.	पैरामाउंट एयरवेज	22.09.2009 और 06.04.2010	नागर विमानन अपेक्षाओं के विभिन्न उपबंधों का उल्लंघन।	अनुसूचित प्रचालक का परमिट 19 अप्रैल, 2010 से निलंबित कर दिया गया। तथापि, माननीय मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा पारित व्यादेश आदेश की वजह से, निलम्बन आदेश 30.04.2010 से प्रतिसंहरित कर दिया गया और माननीय मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका के निपटारे के बाद फिर से निलम्बित कर दिया गया। इसके बाद, माननीय मद्रास उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने 22.10.2010 के आदेश द्वारा एयरलाइन को न्यायालय द्वारा अनुमति न दिए जाने तक उड़ान प्रचालन आरंभ न करने का निदेश दिया। नागर विमानन महानिदेशालय ने, मैसर्स पैरामाउंट एयरवेज द्वारा प्रचालन आरंभ किए जाने के उद्देश्य से, जनशक्ति और अवसंरचना की उपलब्धता का मूल्यांकन करने के लिए अनेक तैयारी संबंधी बैठकें करने के बाद, दो एयरबस ए320 विमानों के आयात की अनुमति सहित अपनी अनापत्ति दे दी। न्यायालय ने भी मैसर्स पैरामाउंट एयरवेज को अनुमति दे दी है। तथापि, एयरलाइन की ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।
11.	स्पाइसजेट	22.09.2010	विमान सुरक्षा निदेशालय की सिफारिशों के आधार पर विमान की ओवरलोडिंग	चेतावनी पत्र जारी किया जा चुका है।
12.	इंटर ग्लोब एविएशन लिमिटेड (इंडीगो)	21.10.2010	मार्ग संवितरण दिशा-निर्देशों का पालन न किए जाने के लिए	चेतावनी पत्र जारी किया जा चुका है।
			2011	
13.	जैगसन एयरलाइंस	13.04.2011	संगठन में कोई पद धारी नहीं।	संगठन का अनुमोदन वैध नहीं है।

डीजीसीए द्वारा एयरलाइनों तथा एयरलाइन के पास नियुक्त कार्मिकों के विरुद्ध की गई प्रशासनिक प्रवर्तन कार्रवाईयां

संगठन का नाम	प्रवर्तन कार्रवाई की संख्या			
	2009	2010	2011	2012 (जुलाई, 2012 तक)
एयर इंडिया चार्टर्स लि.	शून्य	03	11	03
एलाइंस एयर	शून्य	02	08	02
ब्लू डार्ट	01	02	शून्य	01
गो एयर	01	03	शून्य	02
इंडिगो	04	03	12	19
जैगसन एयरलाइंस	01	03	01	—
जेट एयरवेज	01	03	03	33
जेट लाइट	10	10	02	07
किंगफिशर एयरलाइंस	08	06	10	11
नैसिल (आई)	17	12	01	12
नैसिल (ए)	03	01	06	10
स्पाइसजेट	02	09	08	06
पैरामाउंट	08	02	.	.
योग	56	59	62	106
कुल योग		283		

लाभार्थियों को गर्भनिरोधक देना

2221. श्री प्रेमदास राय : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) के अंतर्गत लाभार्थियों को गर्भनिरोधक देने के लिए आशा की सहायता ले रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या जब से सरकार ने गर्भ निरोधक देने के लिए आशा की सहायता लेना शुरू किया है तब से बेचे गए गर्भनिरोधकों की संख्या में वृद्धि हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उन जिलों में जन्म दर में कमी दर्ज हुई है जिनमें

सरकार ने इस पहल के शुरुआत से गर्भनिरोधकों को बांटने के लिए आशा का सहयोग लिया; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा गर्भनिरोधक के प्रयोग की मौजूदा दर में कितना बदलाव हुआ है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदीप बंदोपाध्याय) : (क) से (ग) जी, हां।

सरकार राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) के अंतर्गत 17 राज्यों के 233 जिलों में लाभार्थियों को गर्भनिरोधकों की प्रदानगी के लिए आशाओं का उपयोग कर रही है। चूंकि इस योजना को पहले बार शुरू किया गया है। इसलिए तुलना करने के लिए कोई आधारभूत आंकड़े उपलब्ध नहीं है।

अब तक उपयोग किए गए गर्भनिरोधकों की संख्या इस प्रकार है:—

(i) कंडोम — 29529061 नग

(ii) खाई जाने वाली गर्भनिरोधक गोलियां — 3540789 चक्र

(iii) आपाती गर्भनिरोधक गोलियां — 1188807 गोलियां

(घ) इस योजना को शुरू करने के पश्चात् जिलों में जन्म दर को दर्ज करने के लिए कोई सर्वेक्षण आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

प्लास्टिक बोतल में 'विस्फेनॉल ए'

2222. श्री रेवती रमण सिंह : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एक अध्ययन पर ध्यान दिया है जिसमें यह कहा गया है कि 'विस्फेनॉल ए' युक्त प्लास्टिक बोतल और पानी के बोतल से ब्रेन ट्यूमर का खतरा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए/किए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदीप बंदोपाध्याय) : (क) से (ग) विस्फेनल ए (बीपीए) एक ही प्रकार की प्लास्टिक सामग्री अर्थात् पोलीकार्बोनेट बनाने के लिए कच्ची सामग्री होती है जिसका उपयोग पेय जल के प्रयोगों में होता है। पोलीकार्बोनेट को भोजन, फार्मास्युटिकल्स और पेय जल के साथ संपर्क होने पर प्रयोग के लिए सुरक्षित माना जाता है। भारतीय मानक ब्यूरो का विर्निदेशन 'आईएस 14971-2001' भोजन, फार्मास्युटिकल्स और पेय जल के साथ संपर्क में इस्तेमाल के लिए पोलीकार्बोनेट के प्रयोग को अनुमोदित करता है।

हालांकि, आईसीएमआर ने ऐसी रिपोर्ट दी है कि कुछ देशों में हाल के अध्ययनों से यह पता लगा है कि उच्च यूरीनरी बीपीए के स्तर को मेनिन्गियोमा, मोटापा, धमनी की बीमारियों, उच्च रक्त चाप, मधुमेह और हृदय रोग के साथ जोड़ा जा सकता है।

[अनुवाद]

सीजीएचएस औषधालयों के कार्य घंटे

2223. श्री अरविन्द कुमार चौधरी :
श्री महेन्द्र सिंह पी. चौहाण :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) औषधालयों के कार्य घंटे कितने हैं;

(ख) क्या दिल्ली में विशेषकर सेक्टर 3, आर.के. पुरम के सीजीएचएस औषधालय में कुछ डॉक्टर और कर्मचारी प्राय: विलंब से आते हैं या जल्दी चले जाते हैं जिससे सीजीएचएस लाभार्थियों को असुविधा होती है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में प्राप्त शिकायतों का ब्यौरा क्या है तथा पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान अभी तक चूककर्ता डॉक्टरों/कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई/किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दिल्ली के औषधालयों विशेषक उक्त औषधालय में अनुशासन और समयबद्धता सुनिश्चित करने के लिए आकस्मिक निरीक्षण किए जाते हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा ब्यौरा क्या है तथा उक्त अवधि के दौरान ओषधालय-वार दिल्ली में किए गए निरीक्षण की आवृत्ति क्या है; और

(च) दिल्ली में सीजीएचएस के औषधालयों में समयबद्धता और अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) सामान्य कार्य के घंटे प्रात: 7.30 से अपराह्न 1.30 बजे तक हैं। तथापि, दिल्ली में आपात सेवाओं के लिए निर्धारित किए गए 6 औषधालय 24 घंटे कार्य कर रहे हैं।

(ख) और (ग) ऐसी कोई शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं।

(घ) और (ङ) सीजीएचएस औषधालयों में अनुशासन और समय की पाबंदी को सुनिश्चित करने के लिए संबंधित जोन के अपर निदेशक और सीजीएचएस के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा औचक निरीक्षण किए जाते हैं। ब्यौरे जिसमें दिल्ली में किए गए निरीक्षणों की बारंबारता शामिल है, संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(च) सीजीएचएस औषधालयों के प्रभारी सीएमओ औषधालयों के सभी डॉक्टरों और स्टाफ के बीच अनुशासन और समय की पाबंदी बनाए रखने के लिए उत्तरदायी हैं। जब कभी अनुशासन और समय की पाबंदी के संबंध में शिकायतें प्राप्त होती हैं, चूककर्त्ता कर्मचारियों के विरुद्ध प्रशासनिक कार्रवाई की जाती है।

विवरण

दक्षिण-जोन में किए गए निरीक्षण
(औषधालय-वार)

क्र. सं.	आरोग्य केन्द्र का नाम	उच्च अधिकारी/अपर निदेशक (दक्षिण-जोन) द्वारा किए गए निरीक्षणों की तारीख
1	2	3
1.	एंड्रयूस गंज	14.3.11 और 3.7.12
2.	फरीदाबाद	1.2.11 और 2.9.11
3.	गुड़गांव	10.5.11, 10.5.11 और 10.1.12
4.	एम.बी. रोड	26.4.11, 7.7.11 और 8.12.11
5.	आर.के. पुरम-VI, सेक्टर-3	9.5.11 और 30.5.11 और 30.5.12
6.	हौज खास	31.5.11
7.	लाजपत नगर	कोई निरीक्षण नहीं
8.	नेताजी नगर	22.3.11
9.	कालकाजी-II	26.4.11
10.	जंगपुरा	15.4.11
11.	सरोजिनी नगर-II	22.3.11
12.	सरोजिनी नगर-I	6/11 और 14.6.12
13.	लक्ष्मीबाई नगर	10/11 और 19.6.12
14.	कस्तूरबा नगर-II	12.7.11
15.	मालवीय नगर	9.5.11
16.	मोती बाग	21.6.11, 15.2.12 और 17.5.12
17.	नानकपुरा	7.10.11 और 11.7.12
18.	नैरोजी नगर	6/10/11 और 18.6.12
19.	पुष्प विहार	23.5.11
20.	कालकाजी-I	15.4.11
21.	किदवई नगर	8.7.11 और 8.8.12

1	2	3
22.	श्रीनिवासपुरी	5.4.11, 4.2.11 और 27.3.12
23.	आर.के. पुरम-V सेक्टर-12	9.8.11
24.	एस.एन. मार्किट	16.8.11
25.	सादिक नगर	3.8.11 और 15.5.12
26.	कस्तूरबा नगर-I	8.6.11
27.	आर.के. पुरम-I, सेक्टर-4	10/11 और 26.6.12
28.	आर.के. पुरम-II, सेक्टर-2	7/11 और 11/5/12
29.	आर.के. पुरम-III, सेक्टर-6	10/11 और 18.5.12
30.	आर.के. पुरम-IV, सेक्टर-8	10/11 और 22.6.12
31.	मुनीरका	6.6.12
32.	सी.बी.आई. कॉलोनी	

उत्तरी-जोन में किए गए निरीक्षण
(औषधालय-वार)

क्र. सं.	औषधालयों का नाम	निरीक्षण की तारीख
1	2	3
1.	अशोक विहार	7.4.11, 29.12.11 और 1.6.12
2.	दिल्ली कैन्ट	8.11.11, 31.12.11 और 9.5.12
3.	देव नगर	2.12.11, 14.1.12 और 28.5.12
4.	द्वारका	29.1.11, 9.6.11, 2.2.12, 31.12.11 और 8.5.12
5.	हरि नगर	11.6.11 और 23.5.12
6.	इन्द्रपुरी	29.5.12
7.	जनकपुरी-I	8.4.11, 13.1.11 और 24.12.11
8.	जनकपुरी-II	8.4.11 और 23.5.11
9.	नंगल राया	7.12.10 और 25.5.11
10.	नारायण विहार	6.1.11
11.	न्यू राजेन्द्र नगर	7.6.11
12.	पालम कॉलोनी	22.1.11, 24.2.12 और 8.5.12
13	पश्चिम विहार	2.4.11, 24.12.11 और 30.12.11
14.	पीतमपुरा	3.5.11 और 17.7.12
15.	पूसा रोड	27.11.10 और 9.4.12
16.	पटेल नगर-I	22.11.10
17.	राजौरी गार्डन	31.5.12
18.	रोहिणी	9.4.11, 4.1.12 और 30.5.12
19.	शालीमार बाग	29.12.11 और 3.8.12
20.	शकूर बस्ती	7.4.11 और 5.6.12
21.	सुन्दर विहार	4.1.12 और 6.8.12
22.	तिलक नगर	24.5.12
23.	त्रिनगर	7.4.11 और 1.6.12
24.	विकासपुरी	18.11.10, 13.1.11 और 8.4.11

केन्द्रीय-जोन में किए गए निरीक्षण
(औषधालय-वार)

क्र. सं.	औषधालयों का नाम	निरीक्षणों की तारीख
1	2	3
1.	चाणक्यपुरी	17.8.11, 20.10.12 और 14.5.12
2.	चित्रगुप्त रोड	27.7.11, 17.4.12, 25.5.12 और 13.6.12
3.	कांस्टीट्यूशन हाउस	
4.	गोल मार्किट	11.8.11, 8.11.11, 6.3.12, और 17.5.12
5.	अलीगंज	16.11.11, 21.9.11, 22.2.12 और 20.3.12
6.	लोधी रोड-II	16.11.11 और 27.3.12
7.	मिन्टो रोड	7.10.11 और 23.2.12
8.	पंडारा रोड	26.7.11, 18.1.12 और 29.3.12
9.	पहाड़ गंज	7.10.11 और 24.5.12
10.	प्रेसीडेंट एस्टेट	12.10.11, 10.1.12 और 14.2.12
11.	टेलीग्राफ लेन	22.12.11, 28.2.12 और 29.3.12
12.	डॉ. जैड.एच. रोड	26.7.11, 25.11.11, 11.4.12 और 8.6.12
13.	काली बाड़ी	23.9.11, 15.2.12, 19.4.12 और 24.7.12
14.	प्रगति विहार	22.12.11 और 14.2.12
15.	नॉर्थ एवेन्यू	12.10.11, 10.1.12 और 21.2.12
16.	साउथ एवेन्यू	4.11.11 और 7.2.12

पूर्वी-जोन में किए गए निरीक्षण
(औषधालय-वार)

क्र. सं.	औषधालयों का नाम	निरीक्षण की तारीख
1.	चांदनी चौक	16.3.11
2.	दरिया गंज	9.2.11
3.	दिलशाद गार्डन	28.1.11 और 10.1.12
4.	जी.के.जी.	20.1.11
5.	गाजियाबाद	23.6.11, 5.7.12 और 8/12
6.	किंग्जवे कैम्प	
7.	मयूर विहार	15.6.11, 5.12.11 और 13.1.12
8.	लक्ष्मी नगर	18.2.11, 19.1.12, 1.6.12 और 2.1.12
9.	नोएडा	10.2.11, 23.3.11 और 19.7.11
10.	पुल बंगश	
11.	राजपुर रोड	31.3.11
12.	शाहदरा	7.7.11
13.	सब्जी मंडी	6.4.11 और 7.2.12
14.	तिमारपुर	13.1.11 और 12.10.11
15.	विवेक विहार	12.5.11, 29.7.11
16.	यमुना विहार	23.5.11, 5.1.12 और 19.6.12

[हिन्दी]

खनन कार्यकलापों को सुदृढ़ बनाया जाना

2224. **श्री वीरेन्द्र कुमार : क्या खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आधुनिक तकनीक के प्रयोग और मानव संसाधन में वृद्धि के माध्यम से खनन कार्यकलापों को सुदृढ़ बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी बयौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार राज्य सरकारों के सीमित वित्तीय संसाधनों को देखते हुए अनुसंधान और विकास कार्यों हेतु अतिरिक्त आवंटन मुहैया कराने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा अतिरिक्त धनराशि कब तक मुहैया कराए जाने की संभावना है?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) और (ख) सरकार ने देश में आधुनिक तकनीकों के उपयोग तथा मानव संसाधनों में वृद्धि सहित खनिज गवेषण तथा खनिज विकास की क्षमता में वृद्धि करने के लिए भारतीय खान ब्यूरो (आईबीएम) तथा भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) की पुनर्संरचना अनुमोदित की है।

(ग) और (घ) जीएसआई ने 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि में भूविज्ञान क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास (आर एवं डी) के लिए 172.0 करोड़ रुपए की अतिरिक्त बजट आवश्यकता जताई है। 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) के लिए खनिज गवेषण एवं विकास (कोयला तथा लिग्नाइट के अलावा) संबंधी कार्य समूह ने सरकार को दी गई अपनी रिपोर्ट में अनुसंधान एवं विकास, अन्य बातों के साथ-साथ, उन्नत खनन विधियों, लघु तथा मध्यम उद्यमों हेतु आधारभूत आर एवं डी सुविधाओं, गहन खनन गतिविधियों, अनुसंधान गतिविधियों के लिए अनुदान सहायता हेतु राष्ट्रीय आर एवं डी निधि तथा अयस्क अन्वेषण और सज्जीकरण अध्ययनों हेतु खनन एवं भूविज्ञान राज्य निदेशालयों के सुदृढ़ीकरण के लिए 275.00 करोड़ रुपए के अतिरिक्त आवंटन की आवश्यकता जताई है। ये अतिरिक्त परिव्यय 12वीं पंचवर्षीय योजना अनुमानों में खनन क्षेत्र के लिए प्रस्तावित है, तथा सरकार के वार्षिक बजटीय कार्य का एक घटक है, और किसी विशिष्ट कारण से समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है।

[अनुवाद]

कर्नाटक के लंबित पर्यटन प्रस्ताव

2225. **श्री के. जयप्रकाश हेगड़े : क्या पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक बारगी अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (ओटीएसीए) के अंतर्गत वर्ष 2010-11 के लिए कर्नाटक के चिकमंगलूर जिले के केम्मान्नुगुन्डी में पर्यटन अवसंरचना के विकास का प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास लंबित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या 49.45 करोड़ रुपए के अनुमानित लागत के प्रस्ताव को स्वीकृति हेतु योजना आयोग को भेज दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसकी वर्तमान स्थिति क्या है?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुल्तान अहमद) : (क) से (घ) विभिन्न पर्यटन गंतव्यों एवं उत्पादों का विकास एवं संवर्धन मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) प्रशासन की जिम्मेवारी है। तथापि, पर्यटन मंत्रालय निधियों की उपलब्धता, पारस्परिक प्राथमिकता एवं योजना दिशा-निर्देशों के अनुपालन की शर्त पर उनके साथ परामर्श से पहचान की गई पर्यटन परियोजनाओं के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) प्रदान करता है।

पर्यटन मंत्रालय के पास केम्मानुगुंडी, जिला चिकमंगलूर, कर्नाटक में पर्यटन अवसंरचना के विकास के लिए एकमुश्त अतिरिक्त केंद्रीय सहायता के लिए कोई परियोजना प्रस्ताव लंबित नहीं है।

पर्यटन मंत्रालय ने कर्नाटक राज्य सरकार से प्राप्त 49.45 करोड़ रु. की अनुमानित लागत के साथ कोई प्रस्ताव योजना आयोग के पास नहीं भेजा है।

खनिजों का संरक्षण

2226. **श्री नलिन कुमार कटील : क्या खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में लौह अयस्क खनिज व्यापार सहित

खनिजों के संरक्षण के लिए उपयुक्त कदम उठाने पर विचार कर रही है ताकि मूल्य संवर्धन के अवसर मिल सकें;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार अपने विकास के लिए देश के खनिज क्षेत्रों के उपयोग के लिए उपयुक्त तकनीकी विकसित करने के लिए कदम उठाती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) से (घ) सरकार ने राष्ट्रीय खनिज नीति, 2008 प्रतिपादित की है जिसमें लौह अयस्क सहित खनिजों के संरक्षण को भविष्य में दीर्घकाल के लिए परिरक्षण का तात्पर्य सीमित तौर पर खपत न करना नहीं समझा जाएगा बल्कि इसे खनन प्रणालियों में सुधार, सज्जीकरण और निम्न श्रेणी के अयस्कों के उपयोग के जरिए भंडार आधार में संवर्धन के सकारात्मक पहलू के रूप में लिया जाएगा। नीति में यह भी प्रावधान है कि सज्जीकरण, अंशांकन, सम्मिश्रण, अमाप वर्गीकरण, सांद्रता, गुटिकाकरण, शोधन और उत्पाद के सामान्य अनुकूलन की नवीनतम तकनीकों के माध्यम से क्षेत्र संबंधी खनिज मूल्यवर्धन को प्रोत्साहित किया जाएगा। नीति में यह भी उल्लेख है कि एक राज्य के अंतर्गत खनन के बैकवर्ड लिंकेज और मूल्यवर्धन को फारवर्ड लिंकेज के रूप में प्रोत्साहित किया जाएगा। लौह अयस्क के मामले में भारतीय खान ब्यूरो ने लौह एवं इस्पात विजन-2020 प्रकाशित किया है जिसमें देश में लौह अयस्क के दक्षतापूर्ण उपयोग हेतु उपलब्ध प्रौद्योगिकियों का स्पष्ट उल्लेख है।

राष्ट्रीय प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा नीति

2227. श्री सी.एम. चांग :
श्री आर. थामराईसेलवन :

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा नीति के अंतर्गत जीविता वृद्धि, संरक्षण, विकास और प्रारंभिक शिक्षा हेतु मजबूत नींव प्रदान करने के लिए व्यापक दृष्टिकोण पर ध्यान केन्द्रित करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को और अधिक व्यापक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल नीति के बारे में समाज के विभिन्न वर्गों से सुझाव प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ) : (क) जी, हां। महिला और बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने "प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा संबंधी राष्ट्रीय नीति प्रारुप" प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा प्रारुप" और प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और "शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रीय नीति प्रारुप में गुणवत्ता मानक प्रारुप" इस आशय से तैयार किया गया है कि प्रस्तावित प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा के तहत जीवन विकास, संरक्षण विकास और प्रारंभिक ज्ञान के लिए मजबूत आधार प्रदान करने के लिए व्यापक पहुंच हेतु योजना बनाई जा सके। ये दस्तावेज सभी संबंधित संगठनों और जनता को उनके सुझाव/विचार आमंत्रित करने हेतु परिचालित किए गए थे और मंत्रालय की वेबसाइट अर्थात् *www.wcd.nic.in* पर डाले गए थे।

(ख) इस नीति का उद्देश्य छः वर्ष से कम उम्र के सभी बच्चों के समावेशी न्यायसंगत और प्रासंगिक अवसरों में वृद्धि करना है। इसमें समूचे देश में समुचित प्रणाली, प्रक्रिया और व्यवस्था के माध्यम से घर में प्रदान किए जाने वाले देखरेख और शिक्षा से केन्द्र आधारित प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा संबंधी राष्ट्रीय नीति प्रारुप में गुणवत्ता मानक प्रारुप और तत्पश्चात् स्कूल अवस्था के प्रबंधन में सफल ओर सुलभ परिवर्तन के लिए मार्ग तैयार करने की परिकल्पना की गई है। इस नीति में छः वर्ष से कम उम्र के बच्चों को प्रारंभिक बाल्यावस्था विकास के लिए कार्यक्रम और प्रबंधनों के माध्यम से सर्वांगीण और समेकित विकास के अवसर प्रदान करने की कल्पना की गई है।

(ग) जी, हां। सरकार को सोसायटी के विभिन्न भागों से और अधिक व्यापक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख नीति बनाने के लिए सुझाव/विचार प्राप्त हुए हैं।

(घ) प्राप्त विचारों/सुझावों के अनुसार नीति को सरकार की एक प्रशंसनीय पहल के रूप में माना गया है और प्रारंभिक बाल्यावस्था

के महत्व को समझने की ओर पहले उपाय के रूप में स्वागत किया गया है। इन सुझावों में अन्य बातों के साथ-साथ प्रारंभिक बाल्यावस्था विकास की ओर सही पहुंच; नीति में देखरेख और संरक्षण घटक पर अधिक ध्यान दिया जाना; बालोनुकूल आंगनवाड़ी भवनों की व्यावस्था; निजी, सार्वजनिक या स्वैच्छिक क्षेत्र की सभी प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा प्रबंधनों का नियमन; प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा व्यावसायियों के लिए समुचित और पर्याप्त प्रशिक्षण; प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा व्यवसायियों के लिए अर्हता, मजदूरी, कार्य के घंटे और जीविका पथ के संस्थापन के लिए पूर्वापेक्षित शर्तें; प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा के लिए बढ़ाई हुए धनराशि इत्यादि पर भी ध्यान दिया गया है।

(ङ) प्राप्त हुए सुझावों/विचारों को संकलित कर लिया गया है और राष्ट्रीय स्तर के परामर्श किए जाने का प्रस्ताव है, जहां इन सुझावों को रखा जाएगा और अंतिम रूप देने से पहले इन पर विचार किया जाएगा।

[हिन्दी]

ट्रॉमा सेंटर

2228. **श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया :**
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह :
श्री रमेश विश्वनाथ काट्टी :
डॉ. क्रुपारानी किल्ली :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों पर ट्रामा सेंटर की स्थापना के लिए निर्धारित मानदंडों तथा चिन्हित, आवंटित, उपयोग की गई निधियों का राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान स्थापित ट्रामा सेंटरों का ब्यौरा क्या है तथा स्थान-वार और राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार उनका स्तर क्या है;

(ग) इन ट्रामा सेंटरों में उपलब्ध उपचार सुविधाओं का स्तर-वार ब्यौरा क्या है तथा उनके और उन्नयन के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ट्रॉमा देखभाल सुविधाओं की स्थापना के लिए सरकार द्वारा चिन्हित नए अस्पतालों का ब्यौरा क्या है तथा इसके लिए निर्धारित निधियों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद): (क) और (ख) 11वीं योजना के दौरान, अभिघात परिचर्या सुविधाओं (ट्रॉमा सेंटर) की स्थापना के लिए 732.75 करोड़ रुपए की कुल लागत से एक स्कीम अनुमोदित की गई थी। राष्ट्रीय राजमार्ग के स्वर्णिम चतुर्भुज, (गोल्डन क्वाड्रिलेटरल) उत्तर-दक्षिण और पूर्व-पश्चिम गलियारे पर अभिज्ञात परिचर्या सुविधाएं स्थापित करने हेतु अभिज्ञात 140 सरकारी अस्पतालों/चिकित्सा कॉलेजों का राज्यवार और स्थान-वार एवं स्तर-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

अभिघात केंद्र के स्तर के निर्धारित मानकों के अनुसार संबद्ध राज्य सरकारों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के उपरांत विनिर्माण के लिए और विनिर्माण के बाद उपस्करों, कार्मिक शक्ति, संप्रेषण और विधिक सेवाओं के लिए पहले चरण में मौजूदा चुनिंदा सरकारी अस्पतालों को वित्तीय सहायता जारी की गई है। राज्य-वार जारी धनराशि के ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(ग) चुनिंदा सरकारी अस्पतालों को स्तर-I, स्तर-II और स्तर-III में वर्गीकृत किया गया है। स्तर-III अभिघात केंद्र को रोगी के स्थिरीकरण और अभिघात रोगियों के उपचार तथा अभिघात रोगियों के आगे और उपचार के लिए मामले की सुनिश्चित गंभीरता के आधार पर परिचर्या के लिए स्तर-III में रेफर करने हेतु अभिकल्पित किया गया है।

स्तर-II गंभीर रूप से अभिघात रोगियों को सुनिश्चित परिचर्या प्रदान करेगा और स्तर-I (एल-1) गंभीर चोटों वाले रोगियों को सर्वोच्च स्तर की सुनिश्चित और व्यापक परिचर्या सेवाएं प्रदान करेगा।

(घ) इस स्कीम के प्रावधानों के अनुसार 12वीं योजना-वधि के दौरान अभिघात परिचर्या सुविधाओं की स्थापना के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज, पूर्व-दक्षिण और पूर्व-पश्चिम गलियारों के अलावा राष्ट्रीय राजमार्ग पर 160 नए सरकारी अस्पताल होंगे।

विवरण-I

पूरे भारत में स्थित अभिघात केंद्रों की राज्य-वार और गलियारा-वार सूची

क्र.सं.	गलियारा-वार	ट्रॉमा सेंटर का नाम	स्तर
1	2	3	4
		आंध्र प्रदेश	
1.	एन-एस	राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सांइसेज, अदिलाबाद	II
2.		जिला मुख्यालय अस्पताल, निजामाबाद	II
3.		एरिया अस्पताल कमरेड्डी	III
4.		जिला अस्पताल, महबूबनगर	III
5.		सरकारी जनरल अस्पताल एवं मेडिकल कॉलेज, कुरनूल	II
6.		सरकारी जनरल अस्पताल एवं मेडिकल कॉलेज, अनंतपुर	II
7.		कम्युनिटी अस्पताल, पेनुकोंडा	III
8.	जी-क्यू	तालु का अस्पताल, टेक्काली	III
9.		जिला अस्पताल, श्रीकाकुलम	II
10.		किंग जॉर्ज अस्पताल और आंध्र मेडिकल कॉलेज, विशाखापत्तनम	II
11.		तालुक अस्पताल, टूनी, ईस्ट गोदावरी	III
12.		जिला अस्पताल, राजमंदुरी, ईस्ट गोदावरी	II
13.		जिला अस्पताल, एलुरू पश्चिमी बोदावरी	III
14.		मेडिकल कॉलेज, गुंटूर	II
15.		जिला अस्पताल, ओंगोल,	III
16.		जिला अस्पताल, नेल्लोर	II
17.		तालुक अस्पताल, नयादुपेट	III
		असम	
18.	ई-डब्ल्यू	मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, सिलचर	II
19.		सिविल अस्पताल, हफ्लोंग	III

1	2	3	4
20.		सिविल अस्पताल, दिफू	III
21.		जिला अस्पताल, नौगांव	II
22.		मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, गुवाहाटी	II
23.		जिला अस्पताल, नलबाड़ी	III
24.		सिविल अस्पताल, बोगाईगांव	III
		बिहार	
25.	ई-डब्ल्यू	सिविल हॉस्पिटल, किशनगंज	III
26.		जिला हॉस्पिटल, पूर्णिया	II
27.		सिविल हॉस्पिटल, मधेपुरा	III
28.		दरभंगा मेडिकल कॉलेज	II
29.		हॉस्पिटल, दरभंगा	II
30.		एस.के. मेडिकल कॉलेज हॉस्टिल, मुजफ्फरपुर	III
31.		सिविल हॉस्पिटल, झंझारपुर	III
32.	जी क्यू	सदर अस्पताल, सासाराम, रोहतास	III
33.		एएन मगध मेडिकल कॉलेज अस्पता, गया	II
		गुजरात	
34.	ई-डब्ल्यू	सिविल अस्पताल, पालनपुर	II
35.		सिविल अस्पताल, राधनपुर	III
36.		एस.ए. अस्पताल, बचाऊ, कुच्छ	III
37.		जनरल अस्पताल मोरबी	II
38.		पंडित दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल, राजकोट	II
39.		सीएचसी, जेतपुर	III
40.		जनरल अस्पताल, पोरबंदर	II

1	2	3	4
41.	जी-क्यू	जनरल अस्पताल, वलसाड	II
42.		गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, सूरत	II
43.		जिला अस्पताल, भरूच	III
44.		एसएसजी अस्पताल एवं मेडिकल कॉलेज, वडोदरा	II
45.		जिला अस्पताल, हिम्मत नगर	III
		हरियाणा	
46.	एन-एस	जिला अस्पताल, अंबाला	II
47.		सिविल अस्पताल, पानीपत	III
48.	जी-क्यू	जिला अस्पताल, रिवाड़ी	III
		जम्मू और कश्मीर	
49.	एन-एस	ममाम जिला अस्पताल , अनंतनाग	III
50.		ट्रामा अस्पताल, बटोटे, डोडा	III
51.		गवर्नमेंट जिला अस्पताल, ऊधमपुर	II
		झारखंड	
52.	जीक्यू	जिला अस्पताल, हजारीबाग	III
53.		पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज, धनबाद	II
		कर्नाटक	
54.	जी-क्यू	तुमकुर जिला अस्पताल, तुमकुर	III
55.		तालुक अस्पताल, सीरा	III
56.		सिविल अस्पताल, चित्रदुर्गा	II
57.		सिविल अस्पताल, दावनगेरे	III
58.		कर्नाटक इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सांइन्सस, हुबली, धारवाड़	II
59.		जिला अस्पताल, हवेरी	III
60.		जिला अस्पताल, बेलगाम	III

1	2	3	4
61.	एन-एस	मेडिकल कॉलेज, चीकबाल्लपुर	III
		मध्य प्रदेश	
62.	ई-डब्ल्यू	सिविल अस्पताल, शिवपुरी	II
63.	एन-एस	जीआर मेडिकल कॉलेज अस्पताल, ग्वालियर	II
64.		जिला अस्पताल, सागर	II
65.		जिला अस्पताल, नरसिंहपुर	III
66.		इंदिरा गांधी जिला अस्पताल, सिवनी	III
		महाराष्ट्र	
67.	जी-क्यू	गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल, कोल्हापुर	II
68.		जिला अस्पताल, सतारा	III
69.		बी.जे. मेडिकल कॉलेज, पुणे	II
70.		मुनिसिपल अस्पताल, वशी	III
71.		उप जिला अस्पताल, दानौ, ठाणे	III
72.	एन-एस	सब जिला अस्पताल, हिंगघट, वर्धा	III
73.		गवर्नमेंट मेडिकल एवं अस्पताल नागपुर	II
		ओडिशा	
74.	जी-क्यू	जिला अस्पताल, बालासोर	II
75.		जिला अस्पताल, भद्रक	III
76.		एससीबी मेडिकल कॉलेज, कटक	I
77.		जिल अस्पताल, खुर्दा	III
78.		एमकेसीजी मेडिकल कॉलेज, बहरमपुर	II
		पंजाब	
79.	एन-एस	सब-जिला अस्पताल, पठानकोट, गुरदासपुर	III
80.		जिला अस्पताल, जालंधर	ग्ग

1	2	3	4
81.		जिला अस्पताल, खन्ना	III
		राजस्थान	
82.	ई-डब्ल्यू	सरकारी अस्पताल, बरन	III
83.		न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल, कोटा	II
84.		एसएम अस्पताल, चित्तौड़गढ़	III
85.	जी-क्यू	सिविल अस्पताल, डूंगरपुर, साबरकांठा	III
86.		आरएनटी मेडिकल कॉलेज, उदयपुर	II
87.		जिला अस्पताल, भीलवाड़ा	III
88.		जेएलएन मेडिकल कॉलेज, अजमेर	II
89.		एसएमएस मेडिकल कॉलेज, जयपुर	II
90.		तालुक अस्पताल, कोटपुतली, अलवर	III
91.		सरकारी अस्पताल, सिरोही	III
		तमिलनाडु	
92.	जी-क्यू	किल्पौक मेडिकल कॉलेज, चेन्नई	II
93.		गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड सिविल अस्पताल, वेल्लौर	II
94.		तालुक अस्पताल, कुषनगिरी, धर्मपुरी	III
95.	एन-एस	गवर्नमेंट जिला मुख्यालय अस्पताल, करूर	III
96.		जिला अस्पताल, डिंडीगुल	II
97.		गवर्नमेंट राजाजी अस्पताल एंड मेडिकल कॉलेज, मदुरै	II
98.		जिला मुख्यालय अस्पताल कोविलनट्टि	III
99.		गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल, तिरूनेलवेली	II
100.	एन-एस	कन्याकुमारी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल, आसारीपाल्लम, नगरकॉइल	II
		उत्तर प्रदेश	
101	ई-डब्ल्यू	बीआरडी मेडिकल कॉलेज, गोरखपुर	II

1	2	3	4
102.		जिला अस्पताल, फैजाबाद	III
103.		केजीएम कॉलेज, लखनऊ	II
104.		एलएलआर हॉस्पिटल एंड जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज, कानपुर	II
105.		जिला हॉस्पिटल, जालौन, उरई	III
106.		एमएलबी मेडिकल कॉलेज, झांसी	II
107.		जिला अस्पताल, बस्ती	III
108.	जी-ओ	एसएन मेडिकल कॉलेज, आगरा	II
109.		श्री बी.ए., जिला हॉस्पिटल, इटावा	III
110.		जिला हॉस्पिटल फतेहपुर	III
111.		एमएलएन मेडिकल कॉलेज, इलाहाबाद	II
112.		एलएलआरएम मेडिकल कॉलेज, मेरठ	II
113.		जिला हॉस्पिटल, मथुरा	III
114.		जिला हॉस्पिटल, ललितपुर	II
		पश्चिम बंगाल	
115.	ई-डब्ल्यू	उत्तरी बंगाल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, सिलीगुडी	II
116.		इस्लामपुर एसडी हॉस्पिटल, उत्तर दीनापुर	III
117.	जी-क्यू	सब डिवीजनल हॉस्पिटल, आसनसोल	II
118.		बुर्द्धमान मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, बुर्द्धमान	III
119.		सब-जिला अस्पताल, खड़गपुर अभिघात केंद्रों की सूची (अनंतिम रूप से अभिज्ञात)	III
120.		अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान	I
121.		आरएमएल अस्पताल, नई दिल्ली पीएमएमएसवाई के अंतर्गत एम्स जैसी संस्था स्थापित करना	I
122.		भुवनेश्वर (ओडिशा)	I

1	2	3	4
123.		भोपाल (मध्य प्रदेश)	I
124.		जोधपुर (राजस्थान)	I
125.		पटना (बिहार)	I
126.		रायपुर (छत्तीसगढ़)	I
127.		ऋषिकेश (उत्तरांचल)	I
		पीएमएसएसवाई के अंतर्गत उन्नत किए जा रहे चिकित्सा कॉलेज संस्थान	
128.		गवर्ननमेंट मेडिकल कॉलेज, जम्मू (जम्मू और कश्मीर)	I
129.		गवर्ननमेंट मेडिकल कॉलेज, जम्मू (जम्मू और कश्मीर)	I
130.		कोलकाता मेडिकल कॉलेज, कोलकाता (पश्चिम बंगाल)	I
131.		संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सांइसेज्, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)	I
132.		इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सांइसेज, बीएचयू, वाराणसी (उत्तर प्रदेश)	I
133.		निरनाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सांइसेज्, हैदराबाद (आंध्र प्रदेश)	
		श्री वेंकटेश्वर आयुर्विज्ञान संस्थान	I
134.		उन्नयन की 50 प्रतिशत लागत का वहन टीटीडी ट्रस्ट द्वारा किया जाएगा	I
135.		गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, सलेम (तमिलनाडु)	I
136.		बी.जे. मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद (गुजरात)	I
137.		बैंगलुरू मेडिकल कॉलेज, मंगलौर (कर्नाटक)	I
138.		ग्रांट मेडिकल कॉलेज एंड श्री जे.जे. ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल, मुंबई (महाराष्ट्र)	I
139.		मेडिकल कॉलेज, तिरूवनंतपुरम (केरल)	I
140.		राजेन्द्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सांइसेज् (आरआईएमएस), रांची	I

लेवल-I	-	22
लेवल-II	-	58
लेवल-III	-	60
कुल	-	140

विवरण-II

अभिघात परिचर्या सुविधाओं की स्थापना के लिए 11वीं योजनावधि के दौरान निर्मुक्त राज्य-वार निधियों का ब्यौरा

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	राज्य	निधि निर्मुक्त किए गए अस्पतालों की संख्या	निर्मुक्त धनराशि	व्यय/उपयोग
1.	आंध्र प्रदेश	17	46.9121	27.3981
2.	असम	07	20.3538	8.1598
3.	बिहार	09	6.4500	0.0000
4.	गुजरात	12	31.6512	21.2860
5.	हरियाणा	03	6.4985	2.3578
6.	जम्मू और कश्मीर	03	9.2958	1.9596
7.	झारखंड	01	0.8000	0.0000
8.	कर्नाटक	08	19.3767	5.9454
9.	मध्य प्रदेश	05	10.1700	3.2353
10.	महाराष्ट्र	07	18.9140	6.2567
11.	ओडिशा	05	17.8038	10.4702
12.	पंजाब	03	9.3214	3.7450
13.	राजस्थान	10	36.4752	16.5000
14.	तमिलनाडु	09	16.9600	5.9500
15.	उत्तर प्रदेश	13	42.9200	32.2094
16.	पश्चिम बंगाल	05	8.0021	1.8246
	कुल	117	301.9046	147.2979

[अनुवाद]

एईआरए के अंतर्गत हवाई अड्डे

2229. **श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव :**
श्री बैजयंत पांडा :
श्रीमती हरसिमरत कौर बादल :
श्री पी. कुमार :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विमानपत्तनों का ब्यौरा क्या है जिनका टैरिफ विनियमन विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (एईआरए) के अधिकारन्तर्गत है;

(ख) निवेश आकर्षित करने के लिए उक्त विमानपत्तनों में टैरिफ विनियमन में क्या परिवर्तन यदि कोई हो, लाये जाने की संभावना है

और इस संबंध में एईआरए को सरकार द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में अधिकांश विमानपत्तन/हवाईपट्टी बहुत ही पुराने हैं और इनकी मरम्मत तथा अनुरक्षण करने की आवश्यकता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी विमानपत्तन-वार ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस संबंध में क्या कार्रवाई की है/कदम उठाए हैं एवं अप्रयुक्त विमानपत्तनों को प्रचालनात्मक बनाने के लिए क्या कार्रवाई की गई है/कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) उन विमानों का ब्यौरा, जिनका टैरिफ विनियमन भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (एईआरए) के दायरे के अंतर्गत है। ये हैं; अहमदाबाद, कालीकट, चेन्नई, गुवाहाटी, जयपुर, कोलकाता, तिरुवनन्तपुरम, लखनऊ, श्रीनगर, गोवा, पुणे, बंगलौर, दिल्ली, हैदराबाद, कोच्चि और मुंबई हैं।

(ख) भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण एइआरए अधिनियम, 2008 के अधीन स्थापित एक स्वतंत्र विनियामक है जो बड़े विमानपत्तनों पर वैमानिक टैरिफ का निर्धारण करता है। भारत सरकार ने बड़े विमानपत्तनों पर प्रभारों के निर्धारण के संबंध में भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण को कोई निदेश जारी नहीं किया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) विमानपत्तनों का विकास एक सतत् प्रक्रिया है जिसमें वाणिज्यिक व्यवहार्यता, यातायात संभाव्यता/मांग, विशिष्ट विमानपत्तनों के माध्यम से प्रचालन करने के लिए एयरलाइनों की प्रतिबद्धता आदि को ध्यान में रखा जाता है। तद्नुसार भारती विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) ने मैसूर, अकोला, तेजू, कुडप्पा, पासीघाट, रूपसी, शोलापुर, कमालपुर, चाकुलिया, झारसुगुड़ा, मालदा, वेल्लोर और वारंगल में 13 गैर-प्रचालनिक विमानपत्तनों का विकास शुरू किया है। इनमें से मैसूर, अकोला और शोलापुर पर अब प्रचालन शुरू हो चुका है।

तंबाकू उत्पादों की खपत

2230. **प्रो. रंजन प्रसाद यादव :**
श्री भूदेव चौधरी :
श्री निशिकांत दुबे :
डॉ. मन्दा जगन्नाथ :
श्री अरविन्द कुमार चौधरी :
श्री वीरेन्द्र कुमार :
श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम :
श्री गोरखनाथ पाण्डेय :
श्री विजय बहादुर सिंह :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा धूम्रपान, गुटखा, पान मसाला और अन्य ऐसे उत्पादों के उपभोग जिससे देश में कैंसर होता है, को हतोत्साहित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष में अभी तक तंबाकू विरोधी उपायों और अभियानों पर राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार कुल कितना व्यय हुआ;

(ग) क्या तंबाकू विरोधी उपायों और अभियानों के बावजूद लोगों विशेषकर महिलाओं और बच्चों में सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों के व्यसन के मामले बढ़ रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए/किए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) सरकार ने गुटका और पान मसाला सहित तंबाकू उत्पादों के सेन को कम करने, तंबाकू सेवन से युवाओं और जनमानस की रक्षा करने तथा सेकण्ड हैंड स्मोक के हानिकारक प्रभावों से धूम्रपान न करने वालों के स्वास्थ्य की रक्षा करने के उद्देश्य से "सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध तथा व्यापार एवं वाणिज्य, उत्पादन, संदाय तथा संवितरण का विनियमन) अधिनियम (सीओटीपीए) 2003" नामक तम्बाकू रोधी कानून पारित किया। इस तम्बाकू रोधी कानून के विशेष प्रावधानों में निम्नलिखित शामिल हैं:—

1. सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान निषेध *(धारा 4)*।
2. सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विज्ञापन पर निषेध *(धारा 5)*।
3. अट्ठारह वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों की बिक्री निषेध *धारा 6(क)*।
4. किसी भी शैक्षणिक संस्थान के पास तंबाकू उत्पादों की बिक्री निषेध *धारा 6(ख)*।
5. तंबाकू उत्पादों के पैक पर सांविधिक चेतावनियां प्रदर्शित करना चित्रात्मक चेतावनियों सहित *(धारा 7)*।

अधिनियम, 2003 के उपर्युक्त खंड से संबंधित नियम अधिसूचित कर दिए गए हैं तथा इन्हें क्रियान्वित कर दिया गया है।

इसके अतिरिक्त भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, स्वास्थ्य मंत्रालय ने खाद्य सुरक्षा और मानक (प्रतिषेध और बिक्री पर प्रतिबंध) विनियम, 2011 अधिसूचित किया जो दिनांक 5.8.2011 को प्रभावी

हो गया है। विनियम 2.3.4 में तम्बाकू और निकोटिन अवयव युक्त खाद्य पदार्थों पर निषेध और प्रतिबंध का अधिदेश है।

तम्बाकू सेवन के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरुकता पैदा करने के लिए इलैक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के जरिए राष्ट्रीय स्तरीय तम्बाकू रोधी मास मीडिया कार्यक्रम प्रसारित किया गया है।

(ख) विगत तीन वर्ष और चालू वर्ष के दौरान देश में किए गए तम्बाकू रोधी उपाय और अभियान पर हुए व्यय का ब्यौरा नीचे दिया गया है:—

वर्ष	बजट प्राक्कलन	संशोधित प्राक्कलन	व्यय
2009-10	30.00 करोड़ रुपए	17.00 करोड़ रुपए	16.67 करोड़ रुपए
2010-11	45.00 करोड़ रुपए	30.00 करोड़ रुपए	29.32 करोड़ रुपए
2011-12	50.00 करोड़ रुपए	32.00 करोड़ रुपए	29.61 करोड़ रुपए
2012-13	42.00 करोड़ रुपए	—	0.93 करोड़ रुपए

राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न कार्यकलाप करने के लिए राज्य सरकार को निर्मुक्त निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) फिलहाल इसे सिद्ध करने के लिए कोई तुलनीय डाटा नहीं है। तथापि, वैश्विक वयस्क तम्बाकू सर्वेक्षण, भारत (गैट्स), 2010 के अनुसार भारत में एक तिहाई वयस्कों (15 वर्ष और उससे ज्यादा) से अधिक लोग (34.6 प्रतिशत) किसी ने किसी अथवा अन्य रूप से तम्बाकू का सेवन करते हैं। भारत में तम्बाकू सेवन करने वालों की अनुमानित संख्या 27.49 करोड़ है जिसमें से 16.37 करोड़ प्रयोक्ता केवल धुंआरहित तम्बाकू, 6.89 करोड़ केवल धूम्रपान तथा 4.23 प्रयोक्ता धूम्रपान और धुंआरहित तम्बाकू उत्पादों का सेवन करते हैं। समस्त तम्बाकू वेतन की व्याप्तता पुरुषों में 48 प्रतिशत और महिलाओं में 20 प्रतिशत है। इसके अतिरिक्त भारतीय वैश्विक युवा तम्बाकू सर्वेक्षण (जीवाईटीएस), 2009 के अनुसार 13-15 वर्ष के आयु समूह के 14.6 प्रतिशत युवा किसी न किसी रूप में तम्बाकू का सेवन करते हैं (19 प्रतिशत लड़के और 8.3 प्रतिशत लड़कियां हैं)। तुनात्मक आंकड़े निकालने के लिए गैट्स और जीवाईटीएस का आगामी दौर 2014-15 में प्रस्तावित है।

(ङ) तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम (सीओटीपीए), 2003 के अंतर्गत विभिन्न प्रावधानों को कार्यान्वित करने और तम्बाकू सेवन के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरुकता पैदा करने के लिए 21 राज्यों के 42 जिलों में राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम (एनटीसीपी) शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर मुख्यत: निम्न संकल्पित है:—

(i) जागरुकता पैदा करने और व्यवहार संबंधी परिवर्तन लाने के लिए जन जागरुकता/मास मीडिया अभियान।

(ii) सीओटीपीए, 2003 के अंतर्गत यथापेक्षित विनियामक क्षमता सृजित करने हेतु तम्बाकू उत्पाद जांच प्रयोगशालाओं की स्थापना।

(iii) अन्य नोडल मंत्रालयों के साथ वैकल्पिक फसलों और आजीविका के संबंध में अनुसंधान और प्रशिक्षण को मुख्य धारा में लाना।

(iv) निगरानी सहित मॉनीटरिंग और मूल्यांकन उदाहरणार्थ वयस्क तम्बाकू सर्वेक्षण।

(v) तम्बाकू रोधी पहलों के प्रभावी कार्यान्वियन और मॉनीटरिंग के लिए समर्पित राज्य/जिला तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ।

(vi) स्वस्थ्य और सामाजिक कार्यकर्त्ताओं, एनजीओ, विद्यालय के अध्यापकों इत्यादि का प्रशिक्षण।

(vii) तम्बाकू मुक्ति केन्द्रों की स्थापना।

गृह सचिव, डीजीपी, परिवहन आयुक्तों, पंचायती राज संस्थाओं सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के विभिन्न विभागों को उन्हें तम्बाकू सेवन के हानिकारक प्रभावों के बारे में सुग्राही बनाने तथा उनसे तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम (सीओटीपीए) अधिनियम, 2003 के अंतर्गत बनाए गए विभिन्न प्रावधानों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु अनुरोध करने के लिए अपेक्षि-पत्र भेजे गए हैं। सीओटीपीए के अंतर्गत प्रावधानों और उसके अंसर्गत बनाए गए नियमों के कार्यान्वियन को सुकर बनाने के लिए सभी राज्यों/संघ राज्यों क्षेत्रों को सीओटीपीए-2003 की धारा 4, 6 और 7 के अंतर्गत अनुदेश भी भेजे गए हैं।

राष्ट्रीय स्तरीय मास मीडिया अभियान : विभिन्न तम्बाकू रोधी जागरुकता सामग्रियां तैयार की गई हैं और इनका तम्बाकू सेवन के जोखिमों के संबंध में जन जागरुकता बढ़ाने के लिए रेडियो, टीवी के जरिए व्यापक प्रचार प्रसार किया गया है।

विवरण

वर्ष 2007-08 से 2012-13 के संबंध में राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत निधियों की निर्मुक्ति एवं उपयोग की स्थिति

क्र.सं.	राज्य	2007-08		2008-09		2009-10		2010-11		2011-12		2012-13
		आबंटन	उपयोग	आबंटन	उपयोग	आबंटन	उपयोग	आबंटन	उपयोग	आबंटन	उपयोग	आबंटन
1.	राजस्थान	17,24,000/-	–	–	4,37,470	–	6,68,202	–	5,45,120	14,71,626/-	–	–
2.	असम	17,24,000/-	–	4.31,000	12,81,180	12,93,000	14,57,204	16,00,000	21,17,698	29,47,168/-	25,75,979/-	–
3.	कर्नाटक	17,24,000/-	–	–	5,83,858		8,44,328	13,29,472	–	–	–	
4.	पश्चिम बंगाल	17,24,000/-	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5.	तमिलनाडु	17,24,000/-	1,87,738	4,31,000	9,33,590	–	2,72,057	5,78,000	5,15,024	23,34,000/-	–	–
6.	उत्तर प्रदेश	17,24,000/-	–	–	49,119	–	1.51.140	–	11,07,716	12,53,900/-	–	–
7.	गुजरात	17,24,000/-	7,30,304	4,31,000	6,32,553	–	6,18,914	12,93,000	6,86,082	2,25,825/-	–	–
8.	दिल्ली	17,24,000/-	–	4,31,000	7,31,886	–	2,76,933	–	4,82,552	25,52,635/-	–	–
9.	मध्य प्रदेश	17,24,000/-	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10.	नागालैंड	–	–	12,12,000	28,760	–	11,83,240	14,84,000	14,84,000	25,76,000/-	–	–
11.	त्रिपुरा	–	–	12,12,000	–	–	9,08,737	14,84,000	–	18,91,324/-	–	–
12.	मिजोरम	–	–	12,12,000	–	–	7,29,382	10,01,382	6,26,618	–	8,57,382/-	22,20,000/-
13.	अरुणाचल प्रदेश	–	–	12,12,000	–	–	–	–	5,30,594	12,13,000/-	–	–
14.	सिक्किम	–	–	12,12,000	–	–	9,08,737	14,84,000	17,10,446	12,39,000/-	–	–
15.	झारखंड	–	–	12,12,000	–	–	–	–	–	–	–	–
16.	बिहार	–	–	12,12,000	–	–	–	–	–	–	–	–
17.	उत्तराखंड	–	–	12,12,000	–	–	4,36,213	–	3,30,483	–	5,40,241/-	–
18.	महाराष्ट्र	–	–	12,12,000	–	–	–	–	–	–	–	–
19.	गोवा	–	–	12,12,000	–		6,99,294	–	4,25,577	13,88,944	–	–
20.	आंध्र प्रदेश	–	–	12,12,000	–	–	2,16,365	7,42,000	5,75,446	14,05,600/-	–	–
21.	ओडिशा	–	–	12,12,000	–	–	–	–	–	–	–	–

जननी सुरक्षा योजना का मूल्यांकन

2231. श्री समीर भुजबल :
श्रीमती सुमित्रा महाजन :
श्री लालजी टन्डन :
श्री चन्द्रकांत खैरे :
श्री एम.बी. राजेश :
श्री ए. वेंकटरामी रेड्डी :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई) के अंतर्गत लाभ प्राप्त महिलाओं की संख्या का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान जेएसवाई के अंतर्गत आवंटित/जारी/उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) जेएसवाई के अंतर्गत निगरानी और रिपोर्टिंग तंत्र का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या जेएसवाई का कोई मूल्यांकन किया गया है यदि हां तो इसके क्या परिणाम हैं तथा यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं; और

(ङ) उक्त योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को जेएसवाई के लाभ न मिलने के राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितने मामलों की जानकारी या रिपोर्ट मिली है तथा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदीप बंदोपाध्याय) (क) विगत तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान देश में जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई) के तहत लाभान्वित महिलाओं की राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान आवंटित तथा उपयोग में लाई गई धनराशि का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) जननी सुरक्षा योजना का समुचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए अनुवीक्षण एवं पर्यवेक्षण की एक सुदृढ़ प्रणाली स्थापित है। तद्नुसार स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों में मासिक आधार पर जननी सुरक्षा योजना के लाभार्थियों के नामों को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करने, चेक के जरिए लाभार्थियों को भुगतान करने, जिला तथा राज्य स्तरों पर शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना करने तथा अधिकारियों द्वारा यादृच्छिक कार्य से लाभार्थियों के प्रत्यक्षख सत्यापन के लिए सभी राज्य सरकारों को अनुदेश जारी कर दिए हैं। राज्य के अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी तथा खंड चिकित्सा अधिकारी योजना के कार्यान्वयन की नियमित आधार पर मॉनीटरिंग तथा पर्यवेक्षण करते हैं। इसके अलावा, क्षेत्रीय मूल्यांकन दलों (आरटी) के जरिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आवधिक जांच-परीक्षण किए जाते हैं। रिपोर्टिंग तंत्र के संबंध में, जेएसवाई संबंधी सूचना का मासिक आधार पर खंड स्तर पर संकलन किया जाता है तथा इसे जिला स्तर तथा राज्य स्तरों पर आगे संप्रेषित किया जाता है। जिला स्तर पर सूचना का संकलन किया जाता है तथा इसे केन्द्रीय स्तर पर तिमाही आधार पर भेजा जाता है।

(घ) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने वर्ष 2010 में अधिक ध्यान दिए जाने वाले 8 राज्यों – बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केन्द्र द्वारा जननी सुरक्षा योजना का मूल्यांकन शुरू किया था।

मूल्यांकन के निष्कर्षों से प्रदर्शित होता है कि:–

- जननी सुरक्षा योजना से सांस्थानिक प्रसवों की संख्या नि:संदेह बढ़ी है।
- योजना के निर्धन महिलाओं को जनस्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों तक पहुंचने में समर्थ बनाया है।
- संस्थाओं में प्रसव कराने वाली अधिकांश लाभार्थियों तक जननी सुरक्षा योजना की धनराशि पहुंच रही हैं।

निम्नलिखित लिंक पर विस्तृत रिपोर्ट देखी जा सकती है:–

http://nhsrcindia.org/pdf_files/resources_thematic/Public_Health_Planning/NHSRC_Contribution/Programme_Evaluation_of_Janani_Suraksha_Yojana_-Sep2011.pdf

(ङ) जन स्वास्थ्य राज्य का विषय है तथा प्रति वर्ष एक करोड़ से अधिक गर्भवती महिलाओं को कवर करने वाली जननी सुरक्षा योजना का नेमी अनुवीक्षण एवं पर्यवेक्षण मुख्यतया राज्य सरकारों की जिम्मेवारी है। योजना के विस्तार तथा व्यापकता को देखते हुए, भारत सरकार पात्र गर्भवती महिलाओं को जेएसवाई के लाभों के गैर-भुगतान के मामलों का नियमित रूप से पता लगाने की स्थिति में नहीं है। तथापि, भारत सरकार वार्षिक साझा समीक्षा मिशनों, क्षेत्रीय मूल्यांकन दलों

तथा समेकित क्षेत्र अनुवीक्षण दलों इत्यादि के जरिए योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा करती है। तत्पश्चात् योजना के कार्यान्वयन में देखी गई कमियों से संबंधित राज्य सरकारों को उपयुक्त सुधारात्मक कार्रवाई के लिए अवगत कराया जाता है।

विवरण-I

जननी सुरक्षा योजना के लाभार्थियों की संख्या

क्र.सं.	राज्यों के नाम	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13*
1	2	3	4	5	6
क.	**अधिक ध्यान दिए जाने वाले राज्य**				
1.	बिहार	1246566	1399453	1432439	260328
2.	छत्तीसगढ़	249488	303076	334098	64474
3.	झारखंड	215617	386354	559507	53466
4.	जम्मू और कश्मीर	91887	112210	132645	25291
5.	मध्य प्रदेश	1123729	1155915	1085729	192858
6.	ओडिशा	587158	533372	634468	137414
7.	राजस्थान	978615	986508	1008490	214412
8.	उत्तर प्रदेश	2082285	2341353	2327830	373433
9.	उत्तराखंड	79460	79925	87937	17317
10.	हिमाचल प्रदेश	16851	21806	21811	2645
	उप-योग	6671656	7319972	7624954	1341638
ख.	**अन्य राज्य**				
11.	आंध्र प्रदेश	318927	254890	261860	26470
12.	गोवा	650	1352	1673	408
13.	गुजरात	356263	343600	342211	63790
14.	हरियाणा	63326	63171	66084	6939
15.	कर्नाटक	475193	445997	454544	46154
16.	केरल	134974	103605	105205	16157
17.	महाराष्ट्र	347799	354108	302040	56386

1	2	3	4	5	6
18.	पंजाब	97089	155242	109587	15514
19.	तमिलनाडु	389320	359734	340454	80719
20.	पश्चिम बंगाल	724804	781168	787604	159377
	उप-योग	2908345	2862867	2771262	471914
ग.	**संघ राज्य क्षेत्र**				
21.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	498	132	386	70
22.	चंडीगढ़	199	213	536	147
23.	दादरा और नगर हवेली	594	1273	1104	248
24.	दमन और दीव	एनए	एनए	एनए	एनए
25.	दिल्ली	21564	19441	20145	4531
26.	लक्षद्वीप	899	866	643	0
27.	पुदुचेरी	4932	4680	5236	1099
	उप-योग	28686	26605	28050	6095
घ.	**पूर्वोत्तर राज्य**				
28.	अरुणाचल प्रदेश	10257	9915	12135	2145
29.	असम	366433	389906	412559	69921
30.	मणिपुर	17375	19903	17173	2194
31.	मेघालय	14738	16750	18905	5109
32.	मिजोरम	14265	13953	12326	2244
33.	नागालैंड	22728	13291	15863	3918
34.	सिक्किम	3292	3531	3285	325
35.	त्रिपुरा	20500	20202	20871	4784
	उप-योग	469588	487451	513117	90640
	महायोग	10078275	10696895	10937383	1910287

***आंकड़े अप्रैल-जून, 2012 की अवधि के लिए ही हैं।**

विवरण-II

जननी सुरक्षा योजना

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2009-10		2010-11		2011-12		2012-13*	
		आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	अधिक ध्यान दिए जाने वाले राज्य								
1.	बिहार	230	236.9	250	241.85	250.9	241.25	244.29	34.25
2.	छत्तीसगढ़	57.4	32.08	74.7	65.54	68.85	46.56	61.32	9.24
3.	हिमाचल प्रदेश	1.01	1.03	2.18	1.31	1.9	1.20	2.33	0.09
4.	जम्मू और कश्मीर	27.8	12.61	26.3	15.46	21.93	25.09	20.57	3.37
5.	झारखंड	57.7	26.05	70.2	56.55	69.7	66.82	89.25	13.13
6.	मध्य प्रदेश	248	208.75	201	202.49	188.1	177.15	191.41	25.49
7.	ओडिशा	104	96.31	121	100.73	108.3	101.51	110.24	22.17
8.	राजस्थान	140	162.73	143	180.04	184.1	161.53	181.42	29.11
9.	उत्तर प्रदेश	310	380.63	399	450.18	475.3	425.27	521.9	56.99
10.	उत्तराखंड	13.5	13.64	20.3	14.04	15.12	13.86	13.51	2.17
	पूर्वोत्तर राज्य								
11.	अरुणाचल प्रदेश	1.6	1.27	1.64	0.99	1.41	1.03	1.42	0.05
12.	असम	92.8	74.56	102	77.96	93.39	76.04	81.07	17.22
13.	मणिपुर	1.18	1.04	1.32	1.22	2.2	1.47	1.69	0.18
14.	मेघालय	1.96	1.07	2.28	1.34	1.28	1.33	2.14	0
15.	मिजोरम	1.47	1.42	1.66	1.29	1.78	1.26	1.39	0.21
16.	नागालैंड	2.36	1.21	3.66	1	2.73	1.43	1.82	0.29
17.	सिक्किम	0.22	0.23	0.53	0.41	0.59	0.40	0.44	0.03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	1
18.	त्रिपुरा	2.29	1.98	3.17	2.39	3.36	2.63प	2.82	0
	अधिक ध्यान न दिए जाने वाले राज्य								
19.	आंध्र प्रदेश	45.5	40.86	50.4	17.45	32.88	21.47	31.79	4.17
20.	गोवा	0.08	0.04	0.1	0.09	0.1	0.12	0.12	0.03
21.	गुजरात	16.1	21.28	22.4	16.65	21	19.92	25.81	4.12
22.	हरियाणा	6	4.28	6.99	4.29	6.6	4.54	6.3	0.42
23.	कर्नाटक	27.4	35.06	46	33.48	38.54	29.41	42.45	0
24.	केरल	14.8	11.61	9.66	9.2	13.55	7.04	12.13	1.63
25.	महाराष्ट्र	28.9	26.26	22.6	31.82	35.28	30.39	30.23	3.39
26.	पंजाब	4.9	5.65	6.12	5.61	6.46	6.87	8.07	0.97
27.	तमिलनाडु	31.7	29.32	35.3	26.71	34.52	25.95	35.72	5.59
28.	पश्चिम बंगाल	43.4	43.84	43.3	56.64	58.37	59.14	60.16	14.63
	छोटे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र								
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.11	0.06	0.12	0.02	0.06	0.03	0.11	0.01
30.	चंडीगढ़	0.08	0.05	0.08	0.01	0.08	0.03	0.08	0.01
31.	दादरा और नगर हवेली	0.14	0	0.14	0.08	0.15	0.07	0.13	0.03
32.	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0.00	0.06	0
33.	दिल्ली	1.69	1.5	3.18	1.18	2.18	1.59	1.85	0.28
34.	लक्षद्वीप	0.09	0.12	0.05	0.06	0.07	0.08	0.06	0
35.	पुदुचेरी	0.23	0.33	0.33	0.31	0.34	0.35	0.35	0.07
	कुल	1515	1473.8	1670	1618.4	1741	1552.85	1784.45	249.34

*आंकड़े अप्रैल-जून 2012 की अवधि के लिए ही हैं।

[हिन्दी]

बुद्ध की तस्वीरों का अपमान

2232. श्रीमती ऊषा वर्मा :
श्रीमती सीमा उपाध्याय :
श्री कामेश्वर बैठा :
श्रीमती सुशीला सरोज :
श्री महेश्वर हजारी :
श्री देवजी एम. पटेल :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एक अमेरिकी कंपनी द्वारा अपने उत्पाद पर गौतम बुद्ध की तस्वीर को कथित रूप से छापने पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(ख) सरकार द्वारा इस प्रकार के कृत्य के खिलाफ प्राप्त शिकायतों का ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान सरकार की जानकारी में विभिन्न हिंदू देवी-देवताओं के प्रति अपमान दर्शाए जाने की घटनाओं का देश-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर) : (क) और (ख) जुलाई, 2012 में अमरीका अस्थानी जूता कंपनी की ऑनलाइन मालसूची में कुछ ऐसे जूतों को शामिल पाया गया था, जिन पर बुद्ध के चित्र छपे थे। बाद में बौद्ध समुदाय के विरोध पर कंपनी ने अगस्त, 2012 में इन जूतों को अपनी मालसूची से हटा दिया था।

(ग) और (घ) विभिन्न हिंदू देवताओं के प्रति असम्मान प्रदर्शित करने वाली घटनाओं पर सूचना एकत्र की जा रही है तथा उसे शीघ्र ही सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

एअर इंडिया की उड़ान की आपात लैंडिंग

2233. श्री जगदीश शर्मा :
श्री विलास मुत्तेमवार :
श्री नित्यानंद प्रधान :
श्री ई.जी. सुगावनम :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सियाचिन से गुवाहाटी की एअर इंडिया की उड़ान दुर्घटनाग्रस्त होते-होते बाल-बाल बची है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं तथा गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान हुई इस प्रकार की घटनाओं की संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार का विमान यात्रियों और चालक दल के सदस्यों की सुरक्षा में सुधार के लिए विमानों के उतरने में उपग्रह प्रणाली के उपयोग जैसे कदम उठाने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) और (ख) एअर इंडिया सियाचिन और गुवाहाटी सेक्टर के बीच किसी उड़ान का प्रचालन नहीं करती। तथापि, 10 जून, 2012 की उड़ान सं. एआई-9760 का एक नोज व्हील सिल्चर से उड़ान भरने पर टूट कर अलग हो गया था। विमान यातायात नियंत्रक द्वारा इसकी सूचना कैप्टन को दी गई और विमान ने बिना किसी दुर्घटना के निर्धारित गन्तव्य गुवाहाटी पर अवतरण किया।

(ग) और (घ) जी, हां। उपग्रह आधारित दिक्चालन प्रणाली नामतः 'गगन' (जीपीएस एडिड ऑगमेंटेड नेवीगेशन) नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) द्वारा प्रमाणन के पश्चात जून, 2013 तक भारतीय स्पेस में कार्यान्वियन हेतु, विकसित की जा रही है।

(ङ) उपर्युक्त घटना की नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा जांच की जा रही है और जांच के निष्कर्ष के आधार पर, सरकार आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई करेगी।

[अनुवाद]

एयरलाइनों द्वारा प्रभारों में मनमानी वृद्धि

2234. डॉ. संजीव गणेश नाईक :
श्री संजय दिना पाटील :
श्री सुरेश अंगड़ी :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विभिन्न एयरलाइनों ने हाल में अपने द्वारा लगाए जाने वाले कुछ प्रभारों में मनमाने तरीके से वृद्धि की है और कुछ नए प्रभार जैसे वेबसाइटों के माध्यम से बुक किए गए टिकटों और अकेले यात्रा करने वाले आवयस्क विमान यात्रियों पर भी प्रभार लगाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) उक्त एयरलाइनों द्वारा इस प्रकार मनमानी वृद्धि या नए प्रभार लगाए जाने के लिए नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा कोई अनुमोदन दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस प्रकार के एयरलाइनों को दण्ड दिए जाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/प्रस्तावित हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) से (घ) जी, हां, कुछ विमान कंपनियों ने ऑनलाइन बुक किए जा रहे टिकटों और वयस्कों के बिना ले जाए जाने वाले बच्चों के लिए नए प्रभार लागू किए हैं। सरकार विमान किरायों पर नियंत्रण नहीं रखती है और विमान कंपनियां बाजार शक्तियों के अनुसार विमान किराया प्रभारित करने के लिए स्वतंत्र हैं।

विमानपत्तनों का निजीकरण

2235. श्री सी. शिवासामी :
श्री एम. कृष्णास्वामी :
श्री किसनभाई वी. पटेल :
श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी :
श्री अमरनाथ प्रधान :
श्री प्रदीप माझी :
श्री एस. सेम्मलई :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में चेन्नई, कोलकाता और अन्य विमानपत्तनों के प्रस्तावित निजीकरण पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है;

(ख) क्या चेन्नई तथा अन्य विमानपत्तनों का आधुनिकीकरण लागत वृद्धि से प्रभावित हुआ है और अवसंरचनात्मक बाधाओं के कारण यात्री विमान यातायात में कमी आयी है और यदि हां, तो तत्संबंधी विमानपत्तन-वार ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या 'सिटीसाइड' विकास, अनुरक्षण और विमानपत्तनों को निजी-सरकारी भागीदारी के अधीन चलाए जाने के मानदंड और तौर-तरीकों को अंतिम रूप दे दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी विमानपत्तन-वार ब्यौरा क्या है; और किस तरीके से यह प्रस्तावित निजी-सरकारी भागीदारी मॉडल अन्य विमानपत्तनों के लिए अपनाए गए मॉडलों से अधिक प्रभावकारी होने की संभावना है; और

(ङ) इस संबंध में और देश में विभिन्न विमानपत्तनों पर आधुनिकीकरण/निजीकरण कार्य में तेजी लाए जाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) चेन्नई और कोलकाता हवाईअड्डों के निजीकरण का कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ख) जी, नहीं। 2010-11 में भारतीय हवाईअड्डों के माध्यम से 143 मिलियन यात्रियों का वार्षिक आवागमन हुआ। इसकी तुलना में, वर्ष 2011-12 में वार्षिक यात्री आवागमन 13.2% की औसत वृद्धि सहित बढ़कर 162.30 मिलियन हो गया है।

(ग) से (ङ) वर्ष 2006 में तैयार की गई वित्त पोषण योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा और बारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान वित्त पोषण योजना तैयार करने के लिए, योजना आयोग के सदस्य की अध्यक्षता में हवाईअड्डों के विकास के लिए वित्त पोषण योजनरा पर एक कार्यबल गठित किया गया है। इस कार्यबल ने अनुशंसा की है कि चेन्नई और कोलकाता हवाईअड्डों का प्रचालन और प्रबंधन सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) पद्धति के माध्यम से किया जा सका है। इसी प्रकार, यह सिफारिश भी की गई है कि 15 अन्य प्रचालनिक हवाईअड्डों और 32 गैर-प्रचालनिक हवाईअड्डों का प्रचालन और प्रबंधन भी पीपीपी के माध्यम से किया जाए।

कार्यबल ने जोर दिया है कि इन हवाईअड्डों पार प्रत्याशित निवेश केवल तभी फलीभूत हो सकता है जब पीपीपी वाला दृष्टिकोण व्यापक रूप से अपनाया जाए। इससे न केवल अपेक्षित मात्रा में निवेश को आकृष्ट करने में मदद मिलेगी, बल्कि उल्लेखनीय मात्रा में गैर-वैमानिकी

राजस्व प्राप्त करना भी सुनिश्चित होगा, जिससे यात्री प्रभारों को कम करके वहनीय स्तरों तक लाने में मदद मिलेगी।

[हिन्दी]

गरीबों का उपचार

2236. श्री सुरेश काशीनाथ तवारे :
श्रीमती रमा देवी :
श्री मनसुखभाई डी. वसावा :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन निजी अस्पतालों, बहु-विशेषज्ञता वाले निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम जिन्हें रियायती दर पर जमीन दी गई है, में समाज के गरीब लोगों/आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के उपचार के लिए प्रावधानों की निगरानी हेतु कोई तंत्र बनाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और किन निबंधन और शर्तों के अधीन निजी अस्पतालों/नर्सिंग होम को रियायती दरों पर भूमि आवंटित की जाती है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान उपचार के नाम पर गरीबों से लाखों रुपए लेकर निजी अस्पतालों द्वारा उक्त निबंधन और शर्तों के उल्लंघन की घटनाओं की दिल्ली सहित राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी है; और

(घ) सरकार द्वारा ऐसे निजी अस्पतालों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है तथा इस प्रकार के अस्पतालों को केवल गरीबों के उपचार के लिए अपने कुल कारोबार के एक निश्चित प्रतिशत की कार्मिक निधि बनाए जाने के लिए सहमत करने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद): (क) से (घ) चूंकि स्वास्थ्य राज्य का विषय है इसलिए ऐसी कोई सूचना केंद्र स्तर पर नहीं रखी जाती है। सामाजिक विधिवेत्ता बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार एवं अन्य नामक रिट याचिका सं. 2866/2002 में माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसरण में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार सभी निजी अस्पतालों, जिन्हें रियायती दरों पर भूमि आबंटित की गई है, को 25 प्रतिशत बहिरंग रोगियों तथा 10 प्रतिशत अंतरंग रोगियों को नि:शुल्क उपचार प्रदान करने का निर्देश दिया गया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार ने अभिज्ञात निजी अस्पतालों में मुफ्त उपचार के प्रावधानों की मॉनीटरिंग एवं कार्यान्वियन करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं—

(i) ई डब्ल्यू एस रोगियों को अभिज्ञात निजी अस्पतालों द्वारा प्रदत्त मुफ्त उपचार की मॉनीटरिंग करने के लिए जीएनसीटीडी द्वारा एक मॉनीटरिंग समिति गठित की गई है। मॉनीटरिंग समिति भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय तथा माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए प्रतिमाह ऐसे 4 से 5 अस्पतालों का निरीक्षण करती है। स्वास्थ्य सेवा निदेशक, जीएनसीटीडी मॉनीटरिंग समिति के अध्यक्ष हैं जिनके साथ चार अन्य सदस्य होते हैं।

(ii) एक वेबपेज *www.heath.delhigovt.nic.in* स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग का एम आई एस लिंक-फ्री बेड मॉनीटरिंग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार द्वारा तैयार किया गया है जिसमें रिक्त आपातकालीन एवं गैर-आपातकालीन बिस्तरों की उपलब्धता का वास्तविक समय तथा सरकारी अस्पतालों से अभिज्ञात निजी अस्पतालों तक के ई डब्ल्यू एस रोगियों के रेफरल को सुकर बनाने तथा मॉनीटरिंग प्रयोजनों के लिए नोडल अधिकारियों के नाम, संपर्क संख्या प्रदर्शित होते हैं। यह वेबपेज सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए भी है।

(iii) विशेष रेफरल केंद्र स्थापित किए गए हैं तथा ई डब्ल्यू एस रोगियों के रेफरल को सुकर बनाने तथा उनके उपचार की मॉनीटरिंग करने के लिए प्रत्येक अभिज्ञात निजी तथा सरकारी अस्पताल में नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं।

(iv) अभिज्ञात सरकारी अस्पतालों के संबद्ध नोडल अधिकारी मॉनीटरिंग प्रयोजनों के लिए संबंधित अभिज्ञात निजी अस्पतालों का दौरा करते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने सूचित किया है कि विगत तीन वर्षों के दौरान, स्वास्थ्य सेवा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार को 9 शिकायतें, विशेष तौर पर अभिज्ञात निजी अस्पतालों द्वारा गरीब लोगों से अत्यधिक राशि से प्रभार वसूलने के संबंध में प्राप्त हुई। उन शिकायतों में से संबंधित अभिज्ञात निजी अस्पतालों ने

06 मामलों में पैसे लौटा दिए हैं तथा अन्य 03 शिकायतों में कार्रवाई की जा रही है। कम रिक्त बिस्तर धारिता वाले अस्पतालों को समय-समय पर नोटिस दिए गए हैं तथा निदेशक, स्वास्थ्य सेवा के अधीन मॉनीटरिंग समिति द्वारा बताई गई कमियों को उजागर किया जाता है तथा उनमें सुधार लाने के लिए पत्र भेजे जाते हैं।

विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) से 18599/2007 में धर्मशिला अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र बनाम भारत संघ तथा अन्य के मामले में संबंधित अस्पतालों द्वारा उनके टर्न ओवर की कतिपय प्रतिशतता वाली समग्र निधि सृजित करने का मुद्दा याचिकाकर्त्ताओं द्वारा प्रस्तावित किया गया किन्तु भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने दिनांक 01/09/2011 के आदेश में सभी एसएलपी को खारिज कर दिया तथा संबंधित अस्पतालों को ई डब्ल्यू एस श्रेणी के पात्र रोगियों को 10 प्रतिशत आई पी डी तथा कुल ओ पी डी का 25 प्रतिशत पूर्णतया नि:शुल्क प्रदान करने का निर्देश दिया।

[अनुवाद]

वेक्टर-जन्य रोग

2237. **श्री महाबल मिश्रा :**
श्री पी.सी. गद्दीगौदर :
श्री के.डी. देशमुख :
श्री बी.वाई. राघवेन्द्र :
श्री एन.एस.वी. चित्तन :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश भर में वेक्टर-जन्य बीमारियों अर्थात् डेंगू, मलेरिया, मेनिन्जाइटिस और कालाजार के मामलों की हर वर्ष पुनरावृत्ति और उससे होने वाली मौतों की ओर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत वर्ष और चालू वर्ष के दौरान अब तक राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार रिपोर्ट किए गए डेंगू, मलेरिया, मेनिन्जाइटिस और कालाजार के मामलों और उससे हुई मौतों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार ने इन वेक्टर-जन्य रोगों के प्रबंधन के लिए तथा उनकी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए कोई नीति/कार्य-योजना बनायी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त अवधि के दौरान राज्य सरकारों को राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितनी वित्तीय और कौन-सी तकनीकी सहायता उपलब्ध करायी गयी है; और

(ङ) देश भरा में वेक्टर-जन्य बीमारियों को रोकने और उनके उन्मूलन के लिए विभिन्न कार्यक्रमों की समुचित निगरनी ओर कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा क्या तंत्र बनाया गया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदीप बंदोपाध्याय) : (क) और (ख) भारत सरकार वेक्टर अन्य रोगों के रोगियों तथा इनसे होने वाली मौतों का ध्यानपूर्वक अनुवीक्षण करती है। विगत वर्ष तथा वर्तमान वर्ष के दौरान डेंगू, मलेरिया, जेई/एईएस तथा कालाजार के सूचित रोगियों तथा इनसे हुई मौतों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) और (घ) भारत सरकार वेक्टर जनित रोगों की रोकथाम तथा नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के समग्र संरक्षण में राष्ट्रीय वेक्टर-जन्य रोग नियंत्रण कार्यक्रम चला रही है।

निवारण तथा नियंत्रण कार्यनीति में समेकित वेक्टर प्रबंधन सहित रोगियों का शुरू में ही निदान तथा पूर्ण उपचार, घर के भीतर अवशिष्ट छिड़काव, लार्वानाशी उपायों (जैव लार्वानाशकों तथा लार्वा भोजी मछली के इस्तेमाल), चिरस्थायी कीटनाशक मच्छरदानियों के इस्तेमाल का संवर्धन, डेंगू के लिए एनएस-I नैदानिक जांच आधारित एलिसा की शुरूआत, कालाजार के लिए त्वरित नैदानिक जांच का संवर्धन, कैम्पेन मोड में बच्चों का जेई टीकाकरण, प्रहरी स्थलों के जरिए रोग निगरानी तथा व्यवहार परिवर्तन संप्रेषण शामिल हैं।

सरकार राज्यों की आवश्यकताओं के अनुसार तकनीकी सहायता भी प्रदान करती है तथा निधियां एवं वस्तुएं प्रदान करके राज्य सरकारों के प्रयासों को पूरा करती है।

विगत वर्ष तथा वर्तमान वर्ष (03.08.2012 तक) के दौरान प्रभावित राज्यों को प्रदत्त वित्तीय सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ङ) राज्य सरकारें राष्ट्रीय वेक्टर जन्य रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एनवीबीडीसीपी) के तहत कार्यकलापों के अनुवीक्षण एवं कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी हैं। भारत सरकार नियमित क्षेत्रीय दौरों, रिपोर्टों तथा समीक्षा बैठकों के जरिए राज्य सरकारों के चल रहे प्रयासों को पूरा करती है।

विवरण-I

राष्ट्रीय वेक्टर जन्य रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2011 तथा 2012 के दौरान डेंगू, मलेरिया तथा कालाजार के संबंध में राज्य-वार रोगी एवं मौतें

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	डेंगू				मलेरिया				काला-आजार				जेई/एईएस (मेनिनजाइटिस)			
		2011		2012 (जूलाई 2012 तक)		2011		2012 (जून, 2012 तक)		2011		2012 (जून, 2012 तक)		2011		2012 (09.08.12 तक)	
		रोगी	मौतें	रोगी	मौतें	रोगी	मौतें	रोगी	मौतें	रोगी	मौतें	रोगी	मौतें	रोगी	मौतें	रोगी	मौतें
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	आंध्र प्रदेश	1209	6	289	1	34949	5	10033	0	0	0	0	0	73	1	34	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	13950	17	2104	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	असम	0	0	0	0	47397	45	14216	7	5	0	0	0	1319	250	1100	193
4.	बिहार	21	0	1	0	2643	0	566	0	25175	76	9974	17	821	197	745	275
5.	छत्तीसगढ़	313	11	1	0	136899	42	33982	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	गोवा	26	0	28	0	1187	3	324	0	0	0	0	0	91	1	41	0
7.	गुजरात	1693	9	229	1	89764	127	20794	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	हरियाणा	267	3	6	0	33401	0	5454	0	0	0	0	0	90	14	0	0
9.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	247	0	29	0	1	0	0	0	0	0	0	0
10.	जम्मू और कश्मीर	3	0	0	0	1091	0	261	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	झारखंड	36	0	0	0	160653	17	50637	2	5960	3	2143	0	303	19	0	0
12.	कर्नाटक	405	5	1226	10	24237	0	5536	0	0	0	0	0	397	0	189	1
13.	केरल	1304	10	2158	9	1993	2	565	1	0	0	0	0	88	6	29	6
14.	मध्य प्रदेश	50	0	1	1	91851	109	13408	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	महाराष्ट्र	1138	25	174	5	96577	118	21446	12	0	0	0	0	35	9	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
16.	मणिपुर	220	0	0	0	714	1	137	0	0	0	0	0	11	0	0	0
17.	मेघालय	0	0	0	0	25143	53	7979	12	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	मिजोरम	0	0	0	0	8861	30	3274	5	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	नागालैंड	3	0	0	0	3363	4	1140	0	0	0	0	0	44	6	0	0
20.	ओडिशा	1816	33	10	0	308968	99	95044	17	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	पंजाब	3921	33	27	0	2693	3	288	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	राजस्थान	1072	4	48	0	54294	45	6854	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	सिक्किम	2	0	0	0	51	0	9	0	7	0	1	0	0	0	0	0
24.	तमिलनाडु	2501	9	4132	38	22171	0	6947	0	0	0	0	0	762	29	532	37
25.	त्रिपुरा	0	0	0	0	14417	12	5067	2	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	उत्तर प्रदेश	155	5	6	1	1277	1	382	0	11	1	0	0	3492	579	802	147
27.	उत्तराखंड	454	5	16	2	56968	0	9357	0	0	0	3	1	0	0	0	0
28.	पश्चिम बंगाल	510	0	16	0	66368	19	10171	8	1962	0	417	0	714	58	331	15
29.	दिल्ली	1131	8	9	0	1762	0	685	0	19	0	1	0	9	0	0	0
30.	पुदुचेरी	463	3	289	2	582	0	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	6	0	9	0	5150	0	1694	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	चंडीगढ़	73	0	1	0	262	0	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	दादरा और नगर हवेली	68	0	17	0	268	0	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	दमन और दीव	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	196	1	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल	18860	169	8693	70	1310362	753	328638	66	33140	80	12539	18	8249	1169	3803	674

विवरण-II

राष्ट्रीय वेक्टर जन्य रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत राज्यों को प्रदत्त वित्तीय सहायता

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2011-12			2012-13 (3.8.2012 के अनुसार)		
		निर्मुक्तियां			निर्मुक्तियां		
		नकद	वस्तुगत	कुल	नकद	वस्तुगत	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	1206.04	2251.38	3457.42	0.00	0.00	0.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	706.53	820.29	1526.82	0.00	47.10	47.10
3.	असम	1059.87	2714.52	3774.39	24.28	289.85	314.13
4.	बिहार	797.63	4093.64	4891.27	427.64	621.37	1049.01
5.	छत्तीसगढ़	756.38	4203.71	4960.09	0.00	182.97	182.97
6.	गोवा	77.90	0.00	77.90	90.03	0.00	90.03
7.	गुजरात	434.25	67.09	501.34	494.52	0.00	494.52
8.	हरियाणा	138.50	0.00	138.50	0.00	0.00	0.00
9.	हिमाचल प्रदेश	16.52	0.00	16.52	0.00	0.00	0.00
10.	जम्मू और कश्मीर	31.00	0.00	31.00	41.32	0.00	41.32
11.	झारखंड	2021.03	2993.73	5014.76	152.04	36.23	188.27
12.	कर्नाटक	484.63	154.71	639.34	317.53	0.00	317.53
13.	केरल	361.18	0.00	361.18	238.11	0.00	238.11
14.	मध्य प्रदेश	1771.32	2148.53	3919.85	0.00	0.00	0.00
15.	महाराष्ट्र	422.77	14.21	436.98	567.90	0.00	567.90
16.	मणिपुर	338.31	72.45	410.76	4.10	0.00	4.10
17.	मेघालय	371.13	268.99	640.12	5.25	271.74	276.99
18.	मिजोरम	362.97	339.34	702.31	0.00	28.99	28.99
19.	नागालैंड	578.48	419.25	997.73	3.10	28.99	32.09

1	2	3	4	5	6	7	8
20.	ओडिशा	1559.21	6335.61	7894.82	0.00	0.00	0.00
21.	पंजाब	86.54	40.84	127.38	0.00	0.00	0.00
22.	राजस्थान	355.86	986.66	1342.52	194.73	0.00	194.73
23.	सिक्किम	12.00	10.60	22.60	31.23	0.00	31.23
24.	तमिलनाडु	341.41	0.00	341.41	0.00	0.00	0.00
25.	त्रिपुरा	253.61	148.21	401.82	0.00	536.68	536.68
26.	उत्तर प्रदेश	0.00	2431.94	2431.94	0.00	306.16	306.16
27.	उत्तराखंड	65.00	20.00	85.00	0.00	32.61	32.61
28.	पश्चिम बंगाल	1005.16	1451.97	2457.13	0.00	342.39	342.39
29.	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	पुदुचेरी	29.31	0.00	29.31	0.00	0.00	0.00
31.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	459.63	0.00	459.63	357.76	0.00	357.76
32.	चंडीगढ़	32.40	2.47	34.87	61.28	0.00	61.28
33.	दादरा और नगर हवेली	61.09	0.00	61.09	41.25	0.00	41.25
34.	दमन और दीव	51.94	0.00	51.94	14.18	0.00	14.18
35.	लक्षद्वीप	11.40	0.00	11.40	0.00	0.00	0.00
	कुल	16261.00	31990.14	48251.14	3066.25	2725.08	5791.33

सौर और पवन ऊर्जा का विकास

2238. श्री अनंत कुमार :
श्रीमती सुमित्रा महाजन :
श्री संजय दिना पाटील :
श्री सज्जन वर्मा :
श्री हरिभाऊ जावले :
श्रीमती सुप्रिया सुले :
श्री ए.के.एस. विजयन :
श्री खगेन दास :
डॉ. संजय जायसवाल :
डॉ. संजीव गणेश नाईक :
श्री नित्यानंद प्रधान :
डॉ. कृपारानी किल्ली :
श्री शिवकुमार उदासी :
श्री एन.एस.वी. चित्तन :
श्री प्रहलाद जोशी :
श्री महाबली सिंह :
श्री ए.साई. प्रताप :
श्री सुरेश अंगड़ी :

क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सौर तथा पवन ऊर्जा की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संभाव्य/स्थापित क्षमता कितनी है तथा अन्य स्रोतों की तुलना में इसकी प्रति मेगावाट लागत कितनी है;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान देश में स्रोत-वार और राज्य-वार सौर तथा पवन ऊर्जा के सृजन में निर्धारित लक्ष्य तथा हासिल उपलब्धियों तथा कुल ऊर्जा सृजन में उनकी भागीदारी कितनी है तथा 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कितना प्रस्तावित है;

(ग) इस संबंध में राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों से प्राप्त परियोजना प्रस्ताव क्या हैं और उक्त अवधि के दौरान राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितनी निधियां आवंटित/जारी की गई हैं;

(घ) संस्वीकृत परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-ववार लंबित प्रस्तावों का ब्यौरा कितना है; और

(ङ) सौर तथा पवन ऊर्जा के सृजन को प्रोत्साहित करने तथा उन्हें अर्थक्षम बनाए जाने के लिए सरकार द्वारा निजी क्षेत्र, विदेशी निवेशकों को दिए गए प्रोत्साहन और किए गए/प्रस्तावित अन्य उपायों का ब्यौरा क्या है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (डॉ. फारूख अब्दुल्ला) : (क) अधिकांश भागों में प्रति वर्ग मीटर 3-5 किलोवाट घंटे प्रतिदिन की प्राप्ति के साथ भारत के भू-क्षेत्र में प्रतिवर्ष लगभग 5000 ट्रिलियन किलोवाट घंटे की सौर ऊर्जा आपतित होती है। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन के चरण-I के अंतर्गत केन्द्र तथा राज्य के कार्यक्रमों के अंतर्गत 1040.67 मेगावाट सौर विद्युत उत्पादन क्षमता को ग्रिड से जोड़ा गया है। ग्रिड-संबद्ध सौर विद्युत की राज्य-वार संस्थापित क्षमता संलग्न विवरण-I में दी गई है। सीईआरसी के अनुसार एक सौर विद्युत परियोजना की लागत लगभग 10 करोड़ रु. प्रति मेगावाट है। चरण-I के बैच-II में रिवर्स बिडिंग द्वारा सौर विद्युत की निर्धारित की गई औसत लागत प्रति किलोवाट घंटे 8.78/- रु. है।

पवन ऊर्जा के संबंध में संभाव्यता और संस्थापित क्षमता का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है। सीईआरसी के अनुसार पवन विद्युत परियोजनाओं की लागत लगभग 6 करोड़ रु. प्रति मेगावाट है।

(ख) देश में सौर विद्युत के उत्पादन के क्षेत्र में जेएनएनएसएम के चरण-I (2010-13) तथा चरण-II (2013-17) के अंतर्गत लक्ष्य एवं उपलब्धियों तथा पवन ऊर्जा के उत्पादन के क्षेत्र में लक्ष्य और उपलब्धियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है। ग्रिड-संबद्ध सौर विद्युत परियोजनाओं के आवंटन संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार परियोजनाओं को बोली (बिडिंग) के आधार पर तथा ऑफ-ग्रिड अनुप्रयोगों के लिए विभिन्न राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त परियोजना प्रस्तावों के आधार पर आवंटित किया जाता है। अतः निर्धारित किया गया लक्ष्य पूरे देश के लिए है। वर्तमान कुल संस्थापित अक्षय विद्युत क्षमता 25049 मेगावाट है जिसमें से सौर विद्युत और पवन विद्युत की क्षमताएं क्रमशः 1031 मेगावाट (4.1%) और 17644 मेगावाट (69.4%) हैं। 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक संस्थापित अक्षय ऊर्जा की संचयी क्षमता के 55000 मेगावाट होने का अनुमान है जिसमें से सौर विद्युत और पवन विद्युत की क्षमताओं के क्रमशः 10000 मेगावाट (18.18%) और 30000 मेगावाट (50.54%) होने की संभावना है।

(ग) जेएनएनएसएम के अंतर्गत ग्रिड-संबद्ध सौर विद्युत परियोजनाओं के आबंटन संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार परियोजनाओं की बोली (बिडिंग) के आधार पर तथा ग्रिड-संबंध अनुप्रयोगों के लिए विभिन्न राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त परियोजना प्रस्तावों के आधार पर आवंटित किया जाता है। इसलिए राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से परियोजना प्रस्ताव आमंत्रित नहीं किए जाते हैं। ऑफ-ग्रिड अनुप्रयोगों के लिए आवंटित निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

पवन ऊर्जा के संबंध में मंत्रालय परियोजना की मंजूरी तथा कार्यान्वयन में शामिल नहीं होता है और इसलिए इसके द्वारा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं किया जाता है। मंत्रालय द्वारा कोई धनराशि भी जारी नहीं की जाती है क्योंकि निजी क्षेत्र द्वारा निवेश के माध्यम से विकास हो रहा है।

(घ) ब्यौरे संलग्न विवरण-IV में दिए गए हैं।

(ङ) ब्यौरे संलग्न विवरण-V में दिए गए हैं।

विवरण-I

दिनांक 31 जुलाई, 2012 के अनुसार ग्रिड सम्बद्ध सौर विद्युत संयंत्रों की कमीशन की गई क्षमता

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मेगावाट
1	2
आंध्र प्रदेश	21.75
अरुणाचल प्रदेश	0.025
असम	0

1	2
बिहार	0
छत्तीसगढ़	4
गोवा	0
गुजरात	690
हरियाणा	7.8
हिमाचल प्रदेश	0
झारखंड	16
कर्नाटक	14
केरल	0.025
मध्य प्रदेश	7.35
महाराष्ट्र	20
मणिपुर	0
मेघालय	0
मिजोरम	0
नागालैंड	0
ओडिशा	13
पंजाब	9.325
राजस्थान	198.65
सिक्किम	0
तमिलनाडु	15.05
त्रिपुरा	0
उत्तर प्रदेश	12.375
उत्तराखंड	5.05
पश्चिम बंगाल	2.05
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.1
चंडीगढ़	0
दादरा और नगर हवेली	0
दमन और दीव	0
दिल्ली	2.5255
लक्षद्वीप	0.75
पुदुचेरी	0.025
अन्य	0.81
कुल (मेगावाट)	1040.67

विवरण-II

राज्य-वार पवन विद्युत संभाव्यता और संस्थापित क्षमता

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	संस्थापना योग्य संभाव्यता (मेगावाट)	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)
1	2	3
आंध्र प्रदेश	5394	336
गुजरात	10609	3025
कर्नाटक	8591	2056
केरल	790	35
मध्य प्रदेश	920	376
महाराष्ट्र	5439	2789
राजस्थान	5005	2151
तमिलनाडु	5374	7101

1	2	3
पश्चिम बंगाल*	22	1
ओडिशा	910	
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	2	
अरुणाचल प्रदेश*	201	
असम*	53	
छत्तीसगढ़*	23	
हिमाचल प्रदेश*	20	
जम्मू और कश्मीर*	5311	
लक्षद्वीप	16	
मणिपुर*	7	
मेघालय*	44	
नागालैंड*	3	
सिक्किम*	98	
उत्तराखंड*	161	
उत्तर प्रदेश*	137	
कुल	49130	17870

*पवन संभाव्यता की अभी मापनों के साथ अभिपुष्टि की जानी है।

विवरण-III

जेएनएनएसएम के चरण-I और चरण-II के अंतर्गत लक्ष्य जेएनएनएसएम के चरण-I के तहत उपलब्धि:

अनुप्रयोग खंड	प्रथम चरण हेतु लक्ष्य (2010-13)	द्वितीय चरण हेतु लक्ष्य (2013-17)	दिनांक 31 जुलाई, 2013 तक उपलब्धि
ग्रिड सौर विद्युत (बड़े संयंत्र, रूफटॉप और वितरित ग्रिड संयंत्र)	1100 मेगावाट	4000 मेगावाट 10,000 मेगावाट*	1040 मेगावाट ग्रिड से जुड़ी
ऑफ-ग्रिड सौर अनुप्रयोग	200 मेगावाट	1000 मेगावाट	121 मेगावाट स्वीकृत
सौर तापीय संग्राहक (एसडब्ल्यूएचएस, सौर कुकिंग, सौर कूलिंग, औद्योगिक प्रक्रिया ताप अनुप्रयोग आदि)	7 मिलियन वर्गमीटर	15 मिलियन वर्गमीटर	5.73 मिलियन वर्गमीटर

पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान पवन विद्युत में लक्ष्य और उपलब्धि नीचे दी गई है। 12वीं योजना लक्ष्य 15000 मेगावाट है

वर्ष	लक्ष्य (मेगावाट)	उपलब्धि (मेगावाट)
2009-10	2500	1565
2010-11	2000	2349
2011-12	2400	3196
2012-13	2500	522 (जुलाई तक)

एसपीवी कार्यक्रमों के तहत जारी की गई राज्य-वार निधियां

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	के दौरान जारी की गई निधियां लाख रु.		
		2009-10	2010-11	2011-12
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	240.02	631	287.99
2.	अरुणाचल प्रदेश	133	372.67	250
3.	असम	25.3	0	532.16
4.	बिहार	0	0	576.88
5.	चंडीगढ़	0	0	0
6.	छत्तीसगढ़	1086.26	2891.53	4841.45
7.	दिल्ली	52.03	0	0
8.	गोवा	35.8	2.95	0
9.	गुजरात	113.57	13.75	100.42
10.	हरियाणा	387.44	603.07	691.33
11.	हिमाचल प्रदेश	148.5	440	515
12.	जम्मू और कश्मीर	384.21	2145.58	7893.11
13.	झारखंड	12	206.7	353
14.	कर्नाटक	456.93	95.75	58.45
15.	केरल	28.85	4.5	551.11
16.	लक्षद्वीप	0	1387	871.2
17.	मध्य प्रदेश	150.88	1071.91	1793.11
18.	महाराष्ट्र	1148.68	115.35	126.08
19.	मणिपुर	53.69	265.98	499.35
20.	मेघालय	0	618.98	178.86

1	2	3	4	5
21.	मिजोरम	0	246.4	60
20.	नागालैंड	0	14.86	866.1
21.	ओडिशा	3.84	12.5	113.44
22.	पुदुचेरी	11.54	0	154.8
23.	पंजाब	421.23	489.57	160
24.	राजस्थान	666.99	3097.37	4773.5
25.	सिक्किम	91.68	223.2	1030
26.	तमिलनाडु	88.8	45.08	2798.78
27.	त्रिपुरा	1.12	91.23	400
28.	उत्तराखंड	158.75	2489.67	654.53
29.	उत्तर प्रदेश	354.48	635.29	2562.58
30.	पश्चिम बंगाल	1178.61	1247.02	811.95
31.	अन्य (सीईएल, आरईआईएल, नाबार्ड, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, एनजीओ आदि)	1529.04	5990.69	13956.37
32.	अन्य चैनल भागीदारी	0	0	14.46
	कुल	8963.24	25449.6	48476.01

विवरण-IV

ऑफ-ग्रिड सौर तापीय ऊर्जा कार्यक्रम विभिन्न राज्यों को जारी की गई निधियां
(अनुसंधान एवं विकास को छोड़कर)

क्र. सं.	राज्य/इरेडा/बैंक	2009-10	2010-11	2011-12
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	29.23	626.28	200.00

1	2	3	4	5
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	—	2.00
3.	असम	15.55	7.71	25.00
4.	बिहार	—	3.45	—
5.	चंडीगढ़	4.88	3.98	64.00
6.	छत्तीसगढ़	36.84	93.43	178.33
7.	दिल्ली	0.55	31.55	—
8.	गुजरात	131.72	181.08	628.33
9.	गोवा	4.05	—	100.00
10.	हरियाणा	59.97	164.37	340.26
11.	हिमाचल प्रदेश	12.13	69.20	610.47
12.	जम्मू और कश्मीर	16.00	103.00	1102.56
13.	कर्नाटक	16.6	113.73	275.00
14.	केरल	5.12	4.96	58.07
15.	मेघालय	1.44	25.00	—
16.	लक्षद्वीप	—	—	—
17.	मध्य प्रदेश	8.82	55.41	48.28
18.	महाराष्ट्र	157.22	117.17	1300.84
19.	मणिपुर	4.27	25.00	1.00
20.	मिजोरम	—	—	29.47
21.	नागालैंड	3.48	25.00	—
22.	ओडिशा	—	—	12.55
23.	पुदुचेरी	2.03	1.81	—
24.	पंजाब	15.30	50.92	351.40

1	2	3	4	5
25.	राजस्थान	6.00	29.53	283.52
26.	सिक्किम	5.37	2.88	—
27.	तमिलनाडु	24.93	91.56	309.39
28.	उत्तर प्रदेश	33.46	59.46	90.50
29.	उत्तराखंड	28.05	132.80	261.85
30.	पश्चिम बंगाल	15.92	0.46	22.00
31.	त्रिपुरा	2.88	54.44	—
32.	इरेडा/बैंक/अन्य	671.4	1193.00	347.00
33.	एआईडब्ल्यूसी/डब्ल्यूईसी	2.40	—	—
34.	विविध	27.08	—	4.50
	कुल	1342.0	3259.47	6621.32*

विवरण-V

स्वीकृत परियोजनाओं की स्थिति

(क) रूफटॉप पीवी और लघु सौर विद्युत उत्पादन कार्यक्रम (आरपीएसएसजीपी)

क्र. सं.	राज्य	पीपीए के अनुसार कमीशन की जाने वाली सौर पीवी क्षमता (मेगावाट)	वास्तविक रूप से कमीशन की गई सौर पीवी क्षमता (मेगावाट)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	10.5	9.75
2.	छत्तीसगढ़	4	4
3.	हरियाणा	8.8	7.8
4.	महाराष्ट्र	5	5
5.	ओडिशा	8	7
6.	पंजाब	8.5	6
7.	राजस्थान	12	10
8.	तमिलनाडु	7	5
9.	उत्तराखंड	5	5
10.	उत्तर प्रदेश	8	7
11.	झारखंड	16	16
12.	मध्य प्रदेश	5.25	0
	कुल	98.05	82.55

(ख) i. स्थानांतरण स्कीम के तहत ग्रिड सौर पीवी परियोजनाएं

क्र. सं.	कमीशन की गई परियोजना का नाम	राज्य	पीपीए के अनुसार आबंटित सौर पीवी क्षमता (मेगावाट)	वास्तविक रूप से कमीशन की गई सौर पीवी क्षमता (मेगावाट)
1.	क्लोवर सोलर प्राइवेट लि.	महाराष्ट्र	2	2
2.	महाराष्ट्र राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड, मुम्बई	महाराष्ट्र	4	4
3.	वीडियोकोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मुम्बई	महाराष्ट्र	5	5
4.	अजूरे पावर (पंजाब) प्रा. लि., अमृतसर प्रा. लि., गुड़गांव, हरियाणा	पंजाब	2	2
5.	मैसर्स इंटरप्राइजेज बिजनेस सॉल्यूशनस	पंजाब	5	–
6.	मैसर्स एनटेग्रा लि.	राजस्थान	1	–
7.	एईएस सोलर एनर्जी	राजस्थान	5	5
8.	एस्टॉन फील्ड सोलर (राजस्थान) प्रा. लि.	राजस्थान	5	5
9.	कोमेट पावर प्रा. लि.	राजस्थान	5	5
10.	मोजेरबेयर फोटोवोल्टिक लि., नई दिल्ली	राजस्थान	5	5
11.	ओपीजी एनर्जी प्रा. लि., चेन्नई, तमिलनाडु	राजस्थान	5	5
12.	रिफेक्स रेफिजरेन्टस लि., चेन्नई	राजस्थान	5	5
13.	स्विस पार्क वाणिज्य प्रा. लि.	राजस्थान	5	5
	कुल		54	48

(ख) ii. स्थानांतरण स्कीम के तहत ग्रिड सौर तापीय परियोजनाएं

क्र. सं.	कमीशन की गई परियोजना का नाम	राज्य	पीपीए के अनुसार आबंटित सौर पीवी क्षमता (मेगावाट)	वास्तविक रूप से कमीशन की गई सौर पीवी क्षमता (मेगावाट)	कमीशन की जाने वाली शेष क्षमता (मेगावाट)
1.	एक्मे टेली पावर लि., गुड़गांव	राजस्थान	10	2.5	7.5
	कुल		10	2.5	7.5

*जरूरी प्रलेखन प्राप्त न होने के कारण कुछ परियोजनाओं को नहीं दर्शाया गया है।

(ग) नई परियोजना (बैच-I)

राज्य	पीपीप के अनुसार आबंटित सौर पीवी क्षमता (मेगावाट)	वास्तविक रूप से कमीशन की गई सौर पीवी क्षमता (मेगावाट)
राजस्थान	100	100
महाराष्ट्र	5	—
आंध्र प्रदेश	15	10
कर्नाटक	5	5
ओडिशा	5	5
तमिलनाडु	5	5
उत्तर प्रदेश	5	5
कुल	140	130

(घ) ऑफ-ग्रिड अनुप्रयोग

(i) **वर्ष 2009-10 के दौरान स्वीकृत ऑफ-ग्रिड एसपीवी परियोजनाएं**

क्र. सं.	राज्य	स्वीकृत प्रणालियां [विद्युत संयंत्र सं. (किवा.पी.)]	परियोजना लागत/ स्वीकृत सीएफए/ जारी की गई सीएफए (लाख रु.)	लाभार्थी	स्थिति
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	4(20)	73/25/12	हैदराबाद और विशाखापट्टनम में अस्पताल/ संस्थाएं/हाउसिंग कॉलोनी	संस्थापित
		1(10)	30/12/	एसईजेड - विशाखापट्टनम	संस्थापित
		4(400)	928/296/79	हैदराबाद में संस्थाओं और उद्योग में रूफटॉप प्रणालियां	संस्थापित
		2(200)	380/230/115	धार्मिक आश्रमों में एसपीवी विद्युत संयंत्र	संस्थापित
		1(21.4)	60/28/14	विभिन्न जिलों में एपीआईआईसी भवन में विद्युत संयंत्र और सड़क रोशनी प्रणालियां	संस्थापित

1	2	3	4	5	6
2.	अरुणाचल प्रदेश	3079	413/272/133	चुनिन्दा जिलों में अविद्युतीकरण गांवों में सौर घरेलू रोशनी प्रणालियां	संस्थापित
3.	असम	1(1)	3/2/1	तेजपुर विश्वविद्यालय	संस्थापित
		5(2.5)	34/23/12	विभिन्न गांव/सीमावर्ती आउटपोस्ट/सीएससी	संस्थापित
4.	छत्तीसगढ़	1(80)	250/100/50	सीईआरसी भवन, रायपुर	संस्थापित
		300(361)	1228/488/226	राज्य में जनजातीय हॉस्टल/आश्रम	संस्थापित
		55(110)	390/137/68	राज्य के नक्सल प्रभावित जिलों में पुलिस स्टेशन	52 संस्थापित
			465/176/88	राज्य के नक्सल प्रभावित जिलों में अर्द्धसैनिक बलों हेतु बेस कैंप	42 संस्थापित
		1(140)	369/175/87	हाउसिंग सोसाइटी में एसपीवी विद्युत संयंत्र, रायपुर	संस्थापित
		28(343.1)	1088/431/214	राज्य में विभिन्न स्थलों पर एसपीवी विद्युत संयंत्र	संस्थापित
		3(235)	686/294/-	राज्य में शैक्षिक संस्थाओं में एसपीवी विद्युत संयंत्र	संस्थापित
		4(350)	981/438/-	शैक्षिक संस्थाओं में एसपीवी विद्युत संयंत्र	संस्थापित
5.	दिल्ली	1(5)	15/6/-	दिल्ली ट्रांसको मुख्यालय	रद्द
6.	गोवा	15(1)	176/65/32	संस्थाओं में गांवों/शहरी क्षेत्रों/पावर पैकों में एसपीवी सड़क रोशनियां	160 सड़क रोशनी संस्थापित
7.	गुजरात	3058	764/146/73	राज्य के 8 जिलों में सॉल्ट वर्कर हाउसिंग कॉलोनियां	सीएफए वापस की गई
8.	हरियाणा	1(41.65)	149/52/26	अक्षय ऊर्जा भवन, पंचकुला	संस्थापित
		987 1290	526/218/109	राज्य में पुलिस स्टेशन जींद, भिवानी, फरीदाबाद और गुड़गांव जिलों में 50% अनुसूचति जाति की जनसंख्या वाले गांव	संस्थापित
		5635	648/281/135	हिसार जिले में 50% अनुसूचित जाति की जनसंख्या वाले 11 गांव	संस्थापित

1	2	3	4	5	6
		1(25)	88/18/9	गुड़गांव में बीपीओ हेतु रूफटॉप सौर प्रणालियां	सीएफए वापस की गई
		2(200)	260/150/75	गुड़गांव में उद्योग हेतु रूफटॉप सौर प्रणालियां	संस्थापित
9.	जम्मू और कश्मीर	15150	530/378/181	गुर्जर और बकेरवाला समुदाय	संस्थापित
		1(50)	170/112/26	शेरे-कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम, श्रीनगर हेतु एसपीवी विद्युत संयंत्र	संस्थापित
		2(50)	135/112/112	कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, शेरे-कश्मीर	संस्थापित
10.	झारखंड	1(20)	111/30/-	गांव झारगांव, जिला गुमला	संस्थापित
11.	कर्नाटक	25(50) 100(30)	285/107/54	राज्य में बस स्टेशन	संस्थापित
		6(76)	244/95/-	शैक्षिक संस्थाओं/हाउसिंग सोसाइटियों में एसपीवी विद्युत संयंत्र	26 किवा.पी. संस्थापित
12.	केरल	1(3)	9/4/4	इंडियन रेयर अर्थ लि., चावड़ा	संस्थापित
13.	मध्य प्रदेश	113(113)	395/141/70	वन विभाग का रेंज कार्यालय	संस्थापित
		1(2.1)	8/2/1	जनजातीय अनुसंधान संस्थान, भोपाल	संस्थापित
		5(50)	204/62/31	सिल्क रीलिंग और टवीस्टिंग यूनिटों में एसपीवी विद्युत संयंत्र	संस्थापित
		811	201/78/-	विभिन्न जिलों में एसपीवी सड़क रोशनी प्रणालियां	संस्थापित
		3(64)	176/80/40	सरकारी उपक्रमों में विद्युत संयंत्र	संस्थापित
		4(20)	77/25/-	राजा बुरारी में विभिन्न संस्थाओं में एसपीवी विद्युत संयंत्र	संस्थापित
14.	महाराष्ट्र	100	27/9/5	म्युनिसिपल काउंसिल पलटन (सतारा)	संस्थापित
		10(23.1)	56/29/-	वैनगंगा कृष्णा ग्रामीण बैंक की शाखाएं, सोलापुर	संस्थापित

1	2	3	4	5	6
		1(40)	70/50/-	बैस्ट बैक बे रिक्लेमेशन डिपो कफ परेड, मुम्बई	संस्थापित
15.	मणिपुर	438	211/106/53	राज्य में पुलिस स्टेशन	संस्थापित
16.	ओडिशा	80	21/8/4	भुवनेश्वर में उद्योग/शैक्षणिक संस्थाएं	22 संस्थापित
		1(10)	40/12/-	एनआईटी, राउरकेला	संस्थापित
17.	पुदुचेरी	100	50/10/5	संघ शासित क्षेत्र में चुनिन्दा गांव	संस्थापनाधीन
18.	पंजाब	1(60)	140/75/37	भटिंडा केन्द्रीय विश्वविद्यालय में एसपीवी विद्युत संयंत्र	संस्थापित
		1017	250/97/48	8 संसदीय क्षेत्रों के गांव	संस्थापित
19.	राजस्थान	90	27/8/4	टेक्सटाइल पार्क, अजमेर	संस्थापित
		10000	1180/500/240	राज्य में गांवों के समूह	संस्थापित
		1(10)	41/15/7	इंजीनियरिंग कॉलेज, अजमेर	संस्थापित
		249(558)	1494/697/-	राज्य में पंचायत समितियां	89 संस्थापित
		4(70)	214/97/-	एचसीएम राजस्थान सार्वजनिक प्रशासन संस्थान, जयपुर	संस्थापित
20.	सिक्किम	1(1)	151/93/46	राज्य में अविद्युतीकृत गांव/हाउसिंग कॉलोनियां/पर्यटन स्थल	संस्थापित
21.	तमिलनाडु	1(10.5)	42/13/6	इंजीनियरिंग कॉलेज, कांचीपुरम	संस्थापित
		1(3)	17/7/3	यादवा कॉलेज, मदुरै	संस्थापित
22.	त्रिपुरा	1(1)	5/2/1	राज्य सैनिक बोर्ड कार्यालय, अगरतला	संस्थापित
		20000	1150/500/240	राज्य में अविद्युतीकृत गांव	3500 संस्थापित
23.	उत्तर प्रदेश	1304	325/125/62	अलीगढ़, बाराबांकी, हरदोई, सिद्धार्थ नगर और गोंडा जिलों में 88 अनुसूचित जाति और अल्पसंख्यक जनसंख्या वाले गांव	संस्थापित
		1(100)	302/125/-	एसईजेड, नोएडा	संस्थापित
		383	95/36/18	राज्य में एसआईआरडी, लखनऊ और इसके क्षेत्रीय तथा जिला केन्द्र	संस्थापित

1	2	3	4	5	6
		340(374)	1496/467/233	राज्य में पुलिस स्टेशन	संस्थापित
		5(7.5)	26/9/5	गोंडा जिले में शैक्षिक संस्थाएं	रद्द
		674	155/64/32	जेपी नगर जिले में सड़क रोशनी प्रणालियां	संस्थापित
		3(204)	391/235/117	ग्रामीण बैंक/शोभित विश्वविद्यालय/एनआईसीई सोसाइटी में विद्युत संयंत्र	संस्थापित
		1(25.5)	74/26/13	राधास्वामी सत्संग सभा, आगरा में रूफटॉप प्रणाली	संस्थापित
24.	उत्तराखंड	895	209/154/77	पौढ़ी/टेहरी/चमोली/नैनी/ताल और पिथौरागढ़ जिलों में 29 गांव	संस्थापित
		1(100)	342/100/50	पेट्रोलियम विश्वविद्यालय, देहरादून	संस्थापित
		1(100)	296/225/-	कुमाऊं इंजीनियरिंग कॉलेज द्वाराहाट	रद्द
		1(100)	296/225/-	जीबी पंत इंजीनियरिंग कॉलेज, पौढ़ी	रद्द
25.	पश्चिम बंगाल	14000	156/147/73	सुन्दरबन में आइला प्रभावित	संस्थापित
		19783	2769/989/474	उत्तर और दक्षिण 24 परगना के सुन्दरबन क्षेत्रों, बांकुरा, पुरुलिया और पश्चिम मिदनापुर जिलों में एससी/एसटी जनसंख्या	संस्थापित
		5825	1281/561/80	विभिन्न जिलों में एसपीवी सड़क रोशनी प्रणालियां	संस्थापित
		1(100)	241/125/62	हैरीटेज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कोलकाता में विद्युत संयंत्र	संस्थापित
26.	अन्य	300(90)	435/115/56	सौल लालटेनों हेतु चार्जिंग स्टेशन	संस्थापित

(ii) वर्ष 2010-11 के दौरान स्वीकृत एसपीवी परियोजनाएं

क्र. सं.	राज्य	स्वीकृत प्रणालियां	स्थान	क्षमता (किवापी)	स्थिति
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	विद्युत संयंत्र	शैक्षिक संस्थान	404	संस्थापित

1	2	3	4	5	6
2.		विद्युत संयंत्र 1×25 किवापी 1×3 किवापी 8×1 किवापी	एमपीडीओ कार्यालय/वाणिज्यिक संस्थान	36	संस्थापित
3.		विद्युत संयंत्र 100×10.125 किवा.पी	टेलकॉल टावर	1012	रद्द
4.		विद्युत संयंत्र 1×100 किवापी 1×17.1 किवापी 1×1.84 किवापी	थिएटर एनजीओ होम आर्ट गैलरी	119	संस्थापित
5.		विद्युत संयंत्र 1×99.3 किवापी 173 सड़क रोशनियां	इंजीनियरिंग कॉलेज जनजातीय गांव	110	संस्थापित
6.		विद्युत संयंत्र (3 संख्या) सड़क रोशनी (216 संख्या)	मंदिर/पुलिस/चैरिटेबल संस्था	122	संस्थापित
7.		विद्युत संयंत्र (11 संख्या)	शैक्षिक संस्थाएं/उद्योग	129	संस्थापित
8.	अरुणाचल प्रदेश	विद्युत संयंत्र 100 किवापी 2×25 किवापी 7×10 किवापी	एसएसबी बटालियन मुख्यालय और सीमावर्ती आउट पोस्ट	320	संस्थापनाधीन
9.	असम	विद्युत संयंत्र 1×100 किवापी 1×50 किवापी	गुवाहाटी विश्वविद्यालय, गुवाहाटी	150	संस्थापित
10.		विद्युत संयंत्र 3×100 किवापी 1×50 किवापी	एसएसबी असम इंजीनियरिंग कॉलेज	350	संस्थापित
11.	बिहार	विद्युत संयंत्र 100×10 किवापी	टेलीकॉम टावर	1000	संस्थापित
12.		विद्युत संयंत्र 9×2.5 किवापी	बैंक की सहायता	22	संस्थापनाधीन

1	2	3	4	5	6
13.	छत्तीसगढ़	विद्युत संयंत्र 1222 किवापी	ग्रामीण बैंकों की शाखाएं, अस्पताल, मंदिर, सरकारी संस्थाएं और पीडब्ल्यूडी गेस्टहाउस	1222	संस्थापित
		विद्युत संयंत्र 1x50 किवापी 7x25 किवापी 1x10 किवापी	भारतीय स्टेट बैंक की शाखाएं	235	संस्थापित
14.		विद्युत संयंत्र 547 किवापी	राज्य में 25 स्थान	547	संस्थापित
15.		विद्युत संयंत्र 7 सं.	उद्योग/चैरिटेबल संगठन	278	संस्थापित
16.		विद्युत संयंत्र 56 सं.	जनजातीय किसान	54	संस्थापित
17.	दिल्ली	विद्युत संयंत्र 2 किवापी	मानव भारती स्कूल	2	संस्थापित
18.	गुजरात	विद्युत संयंत्र 1x25 किवापी	सौराष्ट्र विश्वविद्यालय	25	रद्द
19.		विद्युत संयंत्र 12 सं.	भावनगर/बड़ौदा	28	संस्थापित
20.	हरियाणा	एसपीवी सड़क रोशनी प्रणालियां (6660 सं.)	सिरसा जिले में 330 गांव	493	संस्थापित
21.		विद्युत संयंत्र 1x50 किवापी	टेरी रिट्रिट, ग्वालपहाड़ी	50	संस्थापित
22.		विद्युत संयंत्र 1x30 किवापी 7x10 किवापी	सिरसा जिले में बीपीडीओ कार्यालय और रेवाड़ी में अस्पताल	100	संस्थापनाधीन
23.		विद्युत संयंत्र 20x1.6 किवापी	बैंकों की ग्रामीण शाखाएं	32	संस्थापित
24.		एसपीवी सड़क रोशनी 2118 सं.	राज्य के 13 जिले	157	संस्थापित

1	2	3	4	5	6
25.		घरेलू रोशनी 7144 सं.	चार जिले	264	संस्थापनाधीन
26.		विद्युत संयंत्र 2×100 किवापी 1×33 किवापी 1×25 किवापी	सरकारी संस्थाएं/उद्योग	258	संस्थापनाधीन
27.		विद्युत संयंत्र 14 सं.	औद्योगिक यूनिट, फरीदाबाद	21	संस्थापनाधीन
28.	हिमाचल प्रदेश	विद्युत संयंत्र 4×100 किवापी	एसएसबी प्रशिक्षण केन्द्र	400	संस्थापित
		एसपीवी प्रणालियां सड़क रोशनी/घरेलू रोशीन/सौर लालटेन	5 जिलों के 34 चुनिन्दा गांव	129	संस्थापित
30.	जम्मू और कश्मीर	सौर लालटेन 1000 सं.	जिला लेह	74	संस्थापित
31.		विद्युत संयंत्र 1625 किवापी घरेलू रोशनी	जिला कारगिल	1625	संस्थापनाधीन
32.		विद्युत संयंत्र 10×20 किवापी 59×15 किवापी	69 स्वास्थ्य केन्द्र	1090	संस्थापनाधीन
33.		विद्युत संयंत्र 2×20 किवापी	वैष्णोदेवी श्राइन	40	संस्थापनाधीन
34.		विद्युत संयंत्र 116 सं.	जिला लेह	2522	संस्थापनाधीन
35.		सौर घरेलू रोशनियां 20000 सं.	बारह जिले	740	संस्थापनाधीन
36.	झारखंड	विद्युत संयंत्र 2×100 किवापी 1×50 किवापी	देवगढ़ जिले में मंदिर	250	संस्थापित

1	2	3	4	5	6
37.		विद्युत संयंत्र 1x30 किवापी 1x36 किवापी	बीआईटी देवगढ़ पलामू टाइगर प्रोजेक्ट	66	संस्थापित
38.		100 किवापी	जरी गांव जिला गुमला	100	संस्थापित
39.	कर्नाटक	विद्युत संयंत्र 20x2 किवापी	बस स्टेशन	40	संस्थापित
40.		विद्युत संयंत्र 1x16.56 किवापी	काजीनेले विकास प्राधिकरण	16	रद्द
41.		विद्युत संयंत्र 50x1.8 किवापी	कर्नाटक ग्रामीण विकास बैंक की 4 शाखाएं	90	संस्थापित
42.		विद्युत संयंत्र	10 स्थल	49	संस्थापित
43.	केरल	विद्युत संयंत्र 1x10 किवापी	बालकलावा स्वीट्स थोडुपूझा	10	संस्थापित
44.	लक्षद्वीप	सौर विद्युत संयंत्र 1x660 किवापी 1x220 किवापी 2x110 किवापी	द्वीपसमूह	1100	संस्थापनाधीन
45.	मध्य प्रदेश	विद्युत संयंत्र 19x10 किवापी 18x8 किवापी 33x5 किवापी 10x2 किवापी	जनजातीय होस्टल/पुलिस स्टेशन	521	संस्थापित
46.		सौर विद्युत संयंत्र/ विद्युत पैक	वन चैक पोस्ट	900	संस्थापित
47.		सौर विद्युत संयंत्र 28x10 किवापी	सीएचसी	280	संस्थापित
48.		सड़क रोशनी प्रणालियां 3059 सं.	23 जिलों के 438 गांव	226	संस्थापित
49.		विद्युत संयंत्र 2x10 किवापी	बैंक/पुलिस स्टेशन/शैक्षिक एवं सरकारी संस्थाएं	36	संस्थापित

1	2	3	4	5	6
		2x6 किवापी 2x2 किवापी			
50.		सड़क रोशनियां 510 सं.	सिंगरोली जिले के 19 गांव	38	संस्थापित
51.		विद्युत संयंत्र 120 सं.	विभिन्न जिले	1008	संस्थापनाधीन
52.		सड़क रोशनियां 800 सं.	जबलपुर जिले के 152 गांव	59	संस्थापनाधीन
53.	महाराष्ट्र	एसपीवी विद्युत संयंत्र 1x50 किवापी	ठाणे नगर निगम	100	संस्थापित
54.		एसपीवी विद्युत संयंत्र 1x75 किवापी 1x25 किवापी	एसईईपीजेड सेज	50	संस्थापित
55.	मणिपुर	एसपीवी विद्युत संयंत्र 4x25 किवापी	अस्पताल, जेल और राज्य प्रशिक्षण अकादमी	100	संस्थापित
56.		एसपीवी विद्युत संयंत्र (1 सं.)	मणिपुर विश्वविद्यालय	10	संस्थापित
57.		सड़क रोशनियां 458 सं.	मणिपुर राइफल्स/इंडियन रिजर्व बटालियन	34	संस्थापित
58.	मेघालय	घरेलू रोशनी प्रणालियां 3350 सं.	राज्य में आंगनवाड़ी केन्द्र	129	संस्थापित
59.		विद्युत संयंत्र 170x3 किवापी	स्कूल	510	संस्थापनाधीन
60.	मिजोरम	एसपीवी विद्युत संयंत्र 4x25 किवापी 2x10 किवापी 1x1 किवापी	चैरिटेबल संस्थाएं/अस्पताल	121	संस्थापित
61.	नागालैंड	विद्युत संयंत्र 5x10 किवापी 4x5 किवापी 1x2 किवापी	सरकारी संस्थाएं	72	संस्थापित

1	2	3	4	5	6
62.	ओडिशा	विद्युत संयंत्र 1×50 किवापी	सचिवालय	50	संस्थापनाधीन
63.	पंजाब	एसपीवी विद्युत संयंत्र 1×100 किवापी 1×5 किवापी	शैक्षिक संस्थाएं	105	संस्थापित
64.		विद्युत संयंत्र 4×50 किवापी 1×20 किवापी	शैक्षिक संस्थाएं	220	संस्थापनाधीन
65.		विद्युत संयंत्र 17×10 किवापी 1×20 किवापी	गुरदासपुर सीमावर्ती जिले के 17 गांव	180	संस्थापनाधीन
66.		विद्युत संयंत्र 1×25 किवापी 3×10 किवापी 1×5 किवापी	तरन तारन जिले के 5 सीमावर्ती गांव	60	संस्थापित
67.		घरेलू रोशनियां 2680 सं.	4 सीमावर्ती जिलों के 147 गांव	201	संस्थापनाधीन
68.	राजस्थान	विद्युत संयंत्र 9168×1.12 किवापी	राज्य में ग्राम पंचायतें	10268	संस्थापनाधीन
69.		पीवी पंप 50 सं.	उद्यान विभाग के अंतर्गत	114	संस्थापित
70.		सौर घरेलू रोशनी प्रणालियां 14200 सं.	20 जिलों के पहचाने गए गावों में	525	संस्थापित
71.	सिक्किम	विद्युत संयंत्र 1×25 किवापी 9×10 किवापी	एसएसबी की सीमावर्ती आउटपोस्ट	115	संस्थापनाधीन
72.		सड़क रोशनियां 15 सं. घरेलू रोशनियां 512 सं. सौर लालटेन 1280 सं.	32 गांव	33	संस्थापित

1	2	3	4	5	6
73.	तमिलनाडु	विद्युत संयंत्र 1×60 किवापी 1×25 किवापी 1×10 किवापी 1×1.8 किवापी	स्कूल/वाणिज्यिक संस्थाएं	97	संस्थापित
74.		विद्युत संयंत्र 1×10 किवापी	वैष्णवी कॉलेज, चेन्नई	10	संस्थापित
75.	त्रिपुरा	विद्युत संयंत्र	विभिन्न सरकारी संस्थाएं	68	संस्थापनाधीन
76.		एसपीवी सड़क रोशनी प्रणालियां 1645 सं.	8 जिलों के 316 गांव	122	संस्थापित
77.		विद्युत संयंत्र 4×100 किवापी 17×10 किवापी	एसएसबी का बटालियन मुख्यालय और सीमावर्ती आउटपोस्ट	570	संस्थापनाधीन
78.	उत्तराखंड	सौर लालटेन 79,359 सं.	9 अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती ब्लॉक	794	संस्थापनाधीन
79.		सड़क रोशनी प्रणालियां 8087 सं.	7 जिलों के 381 गांव	598	संस्थापनाधीन
80.		विद्युत संयंत्र 1×26 किवापी	बीएएल कोटद्वार	25	रद्द
81.		एसपीवी सड़क रोशनी प्रणालियां 4916 सं.	289 गांव	363	संस्थापनाधीन
82.		लालटेन चार्जिंग स्टेशन 200 सं.	खातिमा ब्लॉक	60	रद्द
83.		लालटेन 1500 सं.	पोखरी ब्लॉक जिला चमोली	15	संस्थापनाधीन
84.	उत्तर प्रदेश	सड़क रोशनी प्रणालियां 2798 सं.	9 जिलों के 230 गांव	207	संस्थापित
85.		विद्युत संयंत्र 57×4,8 किवापी सड़क रोशनी प्रणालियां 342 सं.	57 आश्रम स्कूल	299	संस्थापनाधीन

1	2	3	4	5	6
86.		सड़क रोशनी प्रणालियां 10430 सं.	46 जिलों में 2086 गांव	772	संस्थापित
87.		सड़क रोशनी प्रणालियां 5957 सं.	37 जिलों में 648 गांव	441	संस्थापित
88.		विद्युत संयंत्र 120x1.5 किवापी 130x2 किवापी 39x3.5 किवापी 5x4.6 किवापी	बैंक की 294 शाखाएं	599	संस्थापनाधीन
89.		विद्युत संयंत्र 20x5 किवापी 50x3 किवापी	बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक की 70 शाखाएं	250	रद्द
90.		विद्युत संयंत्र 100x10 किवापी	100 टेलीकॉम आवर	1000	संस्थापनाधीन
91.		विद्युत संयंत्र 20x4.9 किवापी	बैंक शाखाएं	98	संस्थापित
92.		विद्युत संयंत्र 177 सं.	दुग्ध संग्रहण केन्द्र/ब्लॉक कार्यालय/ बिजली कार्यालय भवन	159	संस्थापनाधीन
93.		विद्युत संयंत्र 1 सं.	दरीबां रायबरेली	9	संस्थापित
94.		विद्युत संयंत्र 1 सं.	आरडीएसओ भवन, लखनऊ	35	संस्थापित
95.		विद्युत संयंत्र 1x100 किवापी 1x40 किवापी	स्कूल चमड़ा उद्योग	140	संस्थापित
96.		सड़क रोशनियां 1560 सं.	अल्पसंख्यक/एससी/बीसी गांव	115	संस्थापनाधीन
97.		विद्युत संयंत्र 4x50 किवापी	5वीं बटालियन जिला गाजियाबाद	200	संस्थापित
98.		विद्युत संयंत्र 13 किवापी	बीडीओ हस्तिनापुर दयालबाग आगरा	13	संस्थापित

1	2	3	4	5	6
99.	पश्चिम बंगाल	विद्युत संयंत्र 1×100 किवापी	इंजीनियरिंग कॉलेज	100	रद्द
100.	अन्य	विद्युत संयंत्र 2×100 किवापी 1×50 किवापी 1×30 किवापी	चैरिटेबल संस्थाएं, इंजीनियरिंग कॉलेज और आइओसीएल आरएंडडी केन्द्र	280	संस्थापित
101.		विद्युत संयंत्र 1×100 किवापी 1×50 किवापी	एनआईटी अगरतला आईआईएम शिलांग	150	संस्थापित
102.		विद्युत संयंत्र 2×50 किवापी 3×10 किवापी	सेज, विशाखापट्टनम आईएमटी मानेसर सिल्क रीलिंग यूनिट, बेतूल और हरदा	130	संस्थापित
103.		घरेलू रोशनी 1000 सं.	जम्मू और कश्मीर, बिहार और राजस्थान के चुनिन्दा गांव	37	संस्थापित
		विद्युत संयंत्र 1×100 किवापी 1×50 किवापी सड़क रोशनियां 100 सं.	टीआईडीसी अगरतला कॉलेज ऑफ होम साइंस तूरा	158	संस्थापित
104.		घरेलू रोशनियां 1000 सं.	राजस्थान बिहार	37	संस्थापनाधीन
105.		विद्युत संयंत्र 100 सं.	11 राज्यों में टेलीफोन टावर	750	संस्थापनाधीन
			कुल	40.648 मेवा.	

(iii) वर्ष 2011-12 के दौरान स्वीकृत एसपीवी परियोजनाएं

क्र. सं.	राज्य	स्वीकृत प्रणालियां	स्थान	क्षमता (किवापी)	स्थिति
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	विद्युत संयंत्र (86 सं.)	आंध्र प्रगति बैंक की शाखाएं	248	संस्थापनाधीन

1	2	3	4	5	6
2.		सड़क रोशनियां (800 सं.)	एपीआईआईसी चेरलापल्ली	60	रद्द
3.		विद्युत संयंत्र (9 सं.)	राज्य में विभिन्न स्थल	141	संस्थापनाधीन
4.		विद्युत संयंत्र (50 सं.)	एपीजीबी की शाखाएं	144	संस्थापनाधीन
5.		सड़क रोशनियां (750 सं.)	विभिन्न स्थल	39	संस्थापित
6.		विद्युत संयंत्र (6 सं.)	विभिन्न स्थल	171	संस्थापनाधीन
7.		विद्युत संयंत्र (15 सं.)	विभिन्न स्थल	129	संस्थापनाधीन
8.	अरुणाचल प्रदेश	विद्युत संयंत्र (2 सं.)	एपी पुलिस सेजोसा एवं दियुन	220	संस्थापनाधीन
9.		घरेलू रोशनियां (4373 सं.)	147 गांव/13 जिले	162	संस्थापनाधीन
10.	असम	विद्युत संयंत्र (1 सं.)	एनआईटीटीआर गुवाहाटी	25	रद्द
11.		विद्युत संयंत्र (5 सं.) सड़क रोशनियां (220 सं.) घरेलू रोशनियां (220 सं.)	स्कूल/बैंक/सरकारी भवन/आर्यभट्ट विज्ञान केन्द्र	52	संस्थापनाधीन
12.		विद्युत संयंत्र (1 सं.)	बिजली भवन	100	संस्थापित
13.		विद्युत संयंत्र/पैक (246 सं.)	डीसी कार्यालय/डीडीओ कार्यालय	354	संस्थापनाधीन
14.		विद्युत संयंत्र (4 सं.)	यूनिवर्सिटी/कॉलेज	251	संस्थापनाधीन
15.	बिहार	विद्युत संयंत्र	मुख्यमंत्री कार्यालय सह सरकारी	100	संस्थापनाधीन
16.		विद्युत संयंत्र	स्कूल	8740	संस्थापनाधीन
17.	छत्तीसगढ़	विद्युत संयंत्र (3 सं.)	उद्योग	205	संस्थापित
18.		विद्युत संयंत्र (114 सं.)	जनजातीय होस्टल/आश्रम	206	संस्थापित
19.		विद्युत संयंत्र (351 सं.)	राज्य में पीएचसी	702	संस्थापित
20.		विद्युत संयंत्र (59 सं.)	राज्य में सीएचसी	472	संस्थापित
21.		विद्युत संयंत्र (12 सं.)	विभिन्न स्थल	244	संस्थापित
22.		विद्युत संयंत्र (40 सं.)	बिलासपुर/कनकेर/दमतारी में 40 गांव	282	संस्थापनाधीन
23.		विद्युत संयंत्र	विभिन्न स्थल	327	संस्थापनाधीन

1	2	3	4	5	6
24.		विद्युत संयंत्र (6 सं.)	अल्ट्राटैक सीमेंट प्रतिष्ठान	600	संस्थापित
25.		विद्युत संयंत्र (3 सं.)	अम्बुजा सीमेंट प्रतिष्ठान	300	संस्थापित
26.		विद्युत संयंत्र (6 सं.)	अल्ट्राटैक सीमेंट प्रतिष्ठान	600	संस्थापित
27.		विद्युत संयंत्र (9 सं.)	विभिन्न उद्योग/शैक्षणिक संस्थाएं	354	संस्थापित
28.		विद्युत संयंत्र (8 सं.)	विभिन्न प्रतिष्ठान	95	संस्थापनाधीन
29.		विद्युत संयंत्र (10 सं.)	शैक्षिक संस्थाएं	612	संस्थापनाधीन
30.		विद्युत संयंत्र (19 सं.)	उद्योग/शैक्षिक संस्थाएं/ग्राम पंचायत	564	संस्थापनाधीन
31.		विद्युत संयंत्र (6 सं.)	सेंचूरी सीमेंट	600	संस्थापित
32.		विद्युत संयंत्र (14 सं.)	शैक्षिक संस्थाएं	553	संस्थापनाधीन
33.		विद्युत संयंत्र (10 सं.)	नरेडा	1000	संस्थापनाधीन
34.		विद्युत संयंत्र (19 सं.)	विभिन्न स्थल	633	संस्थापनाधीन
35.		विद्युत संयंत्र (35 सं.)	35 स्थल	422	संस्थापनाधीन
36.		विद्युत संयंत्र (913 सं.)	13 स्थल	682	संस्थापनाधीन
37.	दिल्ली	विद्युत संयंत्र (1 सं.)	डीटीयू	100	संस्थापनाधीन
38.		विद्युत संयंत्र (1 सं.)	आशा किरण रोहिणी	7	संस्थापित
39.		विद्युत संयंत्र (1 सं.)	विकास भवन	100	संस्थापनाधीन
40.	गुजरात	विद्युत संयंत्र (3 सं.)	जामनगर भावनगर	60	संस्थापनाधीन
41.		विद्युत संयंत्र	विभिन्न स्थल	163	संस्थापनाधीन
42.	हरियाणा	विद्युत संयंत्र (12 सं.)	विभिन्न स्थल	436	संस्थापनाधीन
43.		विद्युत संयंत्र (4 सं.)	अस्पताल/सरकारी संस्थाएं	25	संस्थापनाधीन
44.		विद्युत संयंत्र (75 सं.)	75 किसान	240	संस्थापनाधीन
45.		विद्युत संयंत्र (10 सं.)	उद्योग/सरकारी संस्थाएं	68	संस्थापनाधीन
46.		विद्युत संयंत्र (30 सं.)	गुड़गांव ग्रामीण बैंक की शाखाएं	84	संस्थापनाधीन
47.		विद्युत संयंत्र (7 सं.)	विभिन्न स्थल	109	संस्थापनाधीन

1	2	3	4	5	6
48.	हिमाचल प्रदेश	विद्युत संयंत्र (216 सं.)	पुलिस स्टेशन	432	संस्थापनाधीन
49.		विद्युत संयंत्र (2 सं.) सड़क रोशनियां (10 सं.)	रेसर आइलैंड सीएस सरकारी निवास	13	संस्थापनाधीन
50.		सड़क रोशनियां (8204 सं.)	9 जिलों में 147 स्थल	607	संस्थापनाधीन
51.	जम्मू और कश्मीर	विद्युत संयंत्र (3 सं.)	किश्तवाड़ में 37 बीएसएनएल टावर	15	संस्थापनाधीन
52.		विद्युत संयंत्र (2 सं.)	इस्लामिक विश्वविद्यालय और सरकारी पोलीटेक्नीक	200	संस्थापनाधीन
53.		विद्युत संयंत्र (1 सं.)	त्रेहग्राम पलवामा	100	संस्थापनाधीन
54.		विद्युत संयंत्र (2 सं.)	विश्वविद्यालय/शीप ब्रीडिंग फार्म	200	संस्थापनाधीन
55.		विद्युत संयंत्र (523 सं.)	जम्मू और कश्मीर पुलिस प्रतिष्ठान	1408	संस्थापनाधीन
56.		विद्युत संयंत्र (107 सं.)	राज्य में सीआईसी	905	संस्थापनाधीन
57.		विद्युत संयंत्र (1 सं.)	सैनिक स्कूल/जेकेआरईपीए एवं आरडी	250	संस्थापनाधीन
58.		विद्युत संयंत्र (18 सं.)		1248	संस्थापनाधीन
59.	झारखंड	विद्युत संयंत्र/पैक (4683 सं.)	बीडीओ कार्यालय/पंचायतें	4943	
60.		विद्युत संयंत्र (2 सं.)	भारतीय कुकिंग कोयला	124	संस्थापनाधीन
61.		विद्युत संयंत्र (7000 सं.)	जिला पश्चिम सिंहभूम	70	संस्थापित
62.		विद्युत संयंत्र (15 सं.)	दूरस्थ गांव	75	संस्थापनाधीन
63.	कर्नाटक	विद्युत संयंत्र (30 सं.)	गांव/तालुकपंचायतें जिला चित्रदुर्ग	75	संस्थापनाधीन
64.		विद्युत संयंत्र (3 सं.)	विश्वविद्यालय/व्यक्तिगत	102	संस्थापनाधीन
65.		विद्युत संयंत्र (3 सं.)	विभिन्न स्थल	382	संस्थापनाधीन
66.		विद्युत संयंत्र (2 सं.)	बंगलौर तुमकुर	114	संस्थापनाधीन
67.		विद्युत संयंत्र (4 सं.)	बंगलौर चिक्काबल्लापुरा/बीजापुर	128	संस्थापनाधीन
68.	केरल	विद्युत संयंत्र (10 सं.)	केशयु वर्कर्स सोसाइटी	33	संस्थापनाधीन
69.		विद्युत संयंत्र (8 सं.)	विभिन्न स्थल	72	संस्थापनाधीन

1	2	3	4	5	6
70.		विद्युत संयंत्र (7 सं.)	विभिन्न स्थल	140	संस्थापनाधीन
71.		विद्युत संयंत्र (1497 सं.)	थिरूअंगाडी/थालीकुलम	111	संस्थापनाधीन
72.	मध्य प्रदेश	विद्युत संयंत्र (681 सं.)	पुलिस स्टेशन	681	संस्थापनाधीन
73.		विद्युत संयंत्र (127 सं.)	जेल	305	संस्थापनाधीन
74.		विद्युत संयंत्र (59 सं.)	शारदा ग्रामीण बैंक की शाखाएं	114	संस्थापनाधीन
75.		घरेलू रोशनियां (3700 सं.)	चंदेरी हैंडलूम बुनकर	137	संस्थापनाधीन
76.		विद्युत संयंत्र (58 सं.)	समुदाय स्वास्थ्य केन्द्र	825	संस्थापनाधीन
77.		विद्युत संयंत्र (40 सं.)	मल्टी स्पेशलिटी जिला अस्पताल	970	संस्थापनाधीन
78.		विद्युत संयंत्र (7799 सं.)	30 जिले	577	संस्थापनाधीन
79.		विद्युत संयंत्र (31 सं.)	विदिशा	239	संस्थापनाधीन
80.		विद्युत संयंत्र (65 सं.)	पुलिस स्टेशन	176	संस्थापनाधीन
81.	महाराष्ट्र	विद्युत संयंत्र (1 सं.)	कामकाजी महिला होस्टल नवी मुम्बई	100	रद्द
82.		विद्युत संयंत्र (17 सं.)	पेट्रोल पंप/तालुका ऑफिस/बैंक	44	संस्थापनाधीन
83.		विद्युत संयंत्र (3 सं.)	ठाणे नगर निगम	8	संस्थापनाधीन
84.		विद्युत संयंत्र (7 सं.) सड़क रोशनियां (45 सं.)	विभिन्न स्थल	110	संस्थापनाधीन
85.		विद्युत संयंत्र (15 सं.)	विभिन्न स्थल	95	संस्थापनाधीन
86.	मणिपुर	विद्युत संयंत्र/पैक (3 सं.)	नवोदय विश्वविद्यालय	120	संस्थापित
87.		विद्युत संयंत्र/पैक (400 सं.)	सीएससी/जनजातीय बाजार	424	संस्थापनाधीन
88.		विद्युत संयंत्र (27 सं.) सड़क रोशनियां (200 सं.)	डीसी कार्यालय/एसआईबी कार्यालय/ जैव विधिक पार्क	268	संस्थापनाधीन
89.		विद्युत संयंत्र (46 सं.)	एडीसी/एसडीओ कार्यालय	46	संस्थापनाधीन
90.		विद्युत संयंत्र (151 सं.)	उप-स्वास्थ्य केन्द्र	1510	संस्थापनाधीन
91.	मिजोरम	विद्युत संयंत्र (5 सं.)	विभिन्न सरकारी संस्थाएं/प्राइवेट अस्पताल	61	संस्थापनाधीन

1	2	3	4	5	6
92.	नागालैंड	विद्युत संयंत्र (47 सं.)	कोहिमा में सरकारी भवन	670	संस्थापित
93.	ओडिशा	विद्युत संयंत्र (14 सं.) पीवी पंप (1 सं.)	जनजातीय स्कूल जिला नवरंगपुर	30	संस्थापनाधीन
94.		विद्युत संयंत्र (6 सं.)	स्कूल/एनजीओ कार्यालय	140	संस्थापनाधीन
95.		विद्युत संयंत्र (4 सं.)	शैक्षिक संस्थाएं/एनजीओ/व्यक्तिगत	123	संस्थापनाधीन
96.	पंजाब	विद्युत संयंत्र (59 सं.)	स्कूल/कॉलेज/पंचायत घर	387	संस्थापनाधीन
97.		विद्युत संयंत्र (600 सं.)	विभिन्न स्थल	1400	संस्थापनाधीन
98.		एसपीवी सड़क रोशनियां (649 सं.)	विभिन्न स्थल	29	संस्थापनाधीन
99.	पुदुचेरी	विद्युत संयंत्र (5 सं.)	शैक्षिक संस्थाएं	500	संस्थापनाधीन
100.	राजस्थान	विद्युत संयंत्र (1 सं.)	जैसलमेर एयरपोर्ट	100	संस्थापित
101.		विद्युत संयंत्र (3 सं.)	सीमेंट संयंत्र/सहकारी बैंक	205	संस्थापित
102.		एसपीवी पंप (1000 सं.)	राज्य में विभिन्न स्थल	4450	संस्थापनाधीन
103.		विद्युत संयंत्र (1 सं.)	असीमोरी इंडिया नीमराना	58	संस्थापित
104.		विद्युत संयंत्र (1 सं.)	अजमेर विद्युत वितरण निगम	35	संस्थापनाधीन
105.		सड़क रोशनियां (1258 सं.)	विभिन्न स्थल	64	संस्थापनाधीन
106.		घरेलू रोशनियां (20000 सं.)	32 जिलें	740	संस्थापनाधीन
107.		विद्युत संयंत्र (2 सं.)	जयपुर/अजमेर	125	संस्थापनाधीन
108.	सिक्किम	विद्युत संयंत्र (6 सं.)	सरकारी संस्थाएं	530	संस्थापनाधीन
109.		लालटेन (14900 सं.)	भूकम्प प्रभावित गांव	149	संस्थापित
110.		घरेलू रोशनियां (5000 सं.)	भूकम्प प्रभावित संस्थाएं	185	संस्थापनाधीन
111.		विद्युत संयंत्र (1 सं.)	शैक्षिक संस्थाएं	99	संस्थापनाधीन
112.	तमिलनाडु	विद्युत संयंत्र (6 सं.)	आरवीएस शैक्षिक संस्थाएं	600	संस्थापनाधीन
113.		विद्युत संयंत्र (2 सं.)	अस्पताल/वाणिज्यिक परिसर	79	संस्थापित

1	2	3	4	5	6
114.		विद्युत संयंत्र (6 सं.)	शैक्षिक संस्थाएं/उद्योग/व्यक्तिगत	216	संस्थापित
115.		विद्युत संयंत्र (8 सं.)	शैक्षिक संस्थाएं/उद्योग	198	संस्थापनाधीन
116.		विद्युत संयंत्र (11 सं.)	विभन्न स्थल	82	संथापनाधीन
117.		विद्युत संयंत्र (1 सं.)	एवीओ कार्बन चेन्नई	90	रद्द
118.		सड़क रोशनियां (20000 सं.)	ग्राम पंचायतें	1000	संस्थापनाधीन
119.		घरेलू रोशनियां (60000 सं.)	गांव	6000	संस्थापनाधीन
120.	त्रिपुरा	विद्युत संयंत्र (66 सं.)	पुलिस स्टेशन	330	संस्थापनाधीन
121.	उत्तराखंड	विद्युत संयंत्र (9 सं.)	मिलिट्री/उद्योग	96	संस्थापनाधीन
122.		सौर चरखा (245 सं.)	तीन जिले	18	संस्थापनाधीन
123.		विद्युत संयंत्र (18 सं.)	विभिन्न जिलों में विकास भवन	520	संस्थापनाधीन
124.		विद्युत संयंत्र (1 सं.)	यूजेवीएल कार्यालय देहरादून	100	संस्थापनाधीन
125.	उत्तर प्रदेश	विद्युत संयंत्र (9 सं.)	दयाल बाग शैक्षिक संस्थान आगरा	518	संस्थापनाधीन
126.		विद्युत संयंत्र (4 सं.) सड़क रोशनियां (600 सं.)	रायबरेली नगर पालिका लालगंज और बचरौन म्युनिसिपल क्षेत्र	90	संस्थापनाधीन
127.		विद्युत संयंत्र (100 सं.)	आर्यवृत्त ग्रामीण बैंक की शाखाएं	360	संस्थापनाधीन
128.		विद्युत संयंत्र (40 सं.)	बैंकों की 40 शाखाएं	196	संस्थापित
129.		सड़क रोशनियां (13262 सं.)	2432 दलित बस्तियां	597	संस्थापित
130.		विद्युत संयंत्र (3 सं.)	वाराणसी, गोंडा, उन्नाव	9	संस्थापनाधीन
131.		विद्युत संयंत्र (10815 सं.)	अनुसूचित जाति वाले गांव	800	संस्थापनाधीन
132.		विद्युत संयंत्र (47 सं.)	47 गांव	56	संस्थापनाधीन
133.		विद्युत संयंत्र (5888 सं.)	अनुसूचित जाति वाले गांव	436	संस्थापनाधीन
134.		घरेलू रोशनियां (9164 सं.)	सोनभद्र जिले के 4 गांवों की 98 बस्तियां	110	संस्थापनाधीन
135.		विद्युत संयंत्र (2 सं.)	एल एंड टी/टाटा मोटर्स	120	संस्थापनाधीन

1	2	3	4	5	6
136.		विद्युत संयंत्र (45 सं.)	पेयजल परियोजना	497	संस्थापनाधीन
137.		विद्युत संयंत्र	विभिन्न स्थल	46	संस्थापनाधीन
138.	पश्चिम बंगाल	विद्युत संयंत्र (90 सं.)	स्कूल/कॉलेज	104	संस्थापनाधीन
139.		विद्युत संयंत्र (101 सं.)	स्कूल/कॉलेज	525	संस्थापनाधीन
140.		विद्युत संयंत्र (3 सं.)	उत्तरी 24 परगना में स्कूल	60	संस्थापनाधीन
141.		विद्युत संयंत्र (2 सं.)	दक्षिण परगुमती उत्तरी 24 परगना	486	संस्थापनाधीन
142.		विद्युत संयंत्र (28 सं.)	बंगिया ग्रामीण बैंक	71	संस्थापनाधीन
143.		विद्युत संयंत्र (2 सं.)	पश्चिम परगुमती उत्तरी 24 परगना	281	संस्थापनाधीन
144.		विद्युत संयंत्र (2 सं.)	उत्तरी परगुमती गांव उत्तरी 24 परगना	250	संस्थापनाधीन
145.		विद्युत संयंत्र (5 सं.)	जादवपुर/कोलकाता/दुर्गापुर/बंकुरा	300	संस्थापनाधीन
146.		विद्युत संयंत्र (2 सं.)	पूरब परगुमती उत्तरी 24 परगना	250	संस्थापनाधीन
147.	अन्य	विद्युत संयंत्र (69 सं.)	आईटीबीपी के बीओपी	445	संस्थापनाधीन
148.		विद्युत संयंत्र (1 सं.)	आईओसीएल भवन नोएडा	75	संस्थापित
149.		विद्युत संयंत्र (2 सं.)	मुंबई/नासिक	20	रद्द
150.		विद्युत संयंत्र (700 सं.)	700 सौर चार्जिंग स्टेशन	175	संस्थापित
151.		विद्युत संयंत्र (9 सं.)	असम राइफल्स मणिपुर/नागालैंड	450	संस्थापनाधीन
152.		विद्युत संयंत्र (300 सं.)	रायबरेली (यूपी) सुरेन्द्रनगर (गुजरात)	24	संस्थापनाधीन
153.		विद्युत संयंत्र (2 सं.)	एयरपोर्ट गुवाहाटी आईटीआई शमशी (एचपी)	150	संस्थापित
154.		विद्युत संयंत्र (52 सं.)	आंध्र प्रदेश/राजस्थान	121	संस्थापित
155.		विद्युत संयंत्र (4 सं.)	त्रिपुरा/असम	275	संस्थापनाधीन
156.		विद्युत संयंत्र (46 सं.)	यूपी पुलिस	460	संस्थापित
157.		विद्युत संयंत्र (1 सं.)	बंगलौर	2	संस्थापित

1	2	3	4	5	6
158.		विद्युत संयंत्र (2 सं.)	असम, मेघालय	130	संस्थापनाधीन
159.		विद्युत संयंत्र (3 सं.)	असम, त्रिपुरा	250	संस्थापनाधीन
160.		विद्युत संयंत्र (5 सं.)	असम राइफल्स नागालैंड, मणिपुर	250	संस्थापनाधीन
161.		विद्युत संयंत्र (3 सं.)	अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर	300	संस्थापनाधीन
162.		विद्युत संयंत्र (6 सं.)	बंगलूरु	9	संस्थापनाधीन
163.		विद्युत संयंत्र (5 सं.)	लेह में बीओपी	50	संस्थापनाधीन
164.		विद्युत संयंत्र (6 सं.)	मुंबई – बिजवासन तेल पाइप लाइन	37	संस्थापित
165.		विद्युत संयंत्र (2 सं.) सड़क रोशनियां (250 सं.)	भारतीय तेल रिफाइनरी डिगबोई	278	संस्थापनाधीन
166.		विद्युत संयंत्र (7 सं.)	नागालैंड, अरुणााचल प्रदेश/असम	450	संस्थापनाधीन
167.		विद्युत संयंत्र (5 सं.)	आईआईआईपी देहरादून/ सीबीआरआई रूड़की	230	संस्थापनाधीन
168.		विद्युत संयंत्र (1 सं.)	एनईआईएसटी, जोरहाट	100	संस्थापनाधीन
169.		विद्युत संयंत्र (15 सं.)	आईआईटी बंबई	1000	संस्थापनाधीन
170.		विद्युत संयंत्र (14 सं.)	पल्लावन ग्राम बैंक	19.6	संस्थापनाधीन
171.		विद्युत संयंत्र (3 सं.)	एनआईटी सिलचर	13	संस्थापनाधीन
172.		विद्युत संयंत्र	तेल भवन देहरादून	73	संस्थापनाधीन
173.		विद्युत संयंत्र (5 सं.)	आर एंड डी केन्द्र फरीदाबाद	50	संस्थापनाधीन
174.		विद्युत संयंत्र (2 सं.)	एमआईटी पुणे एनआईटी त्रिची	102	संस्थापनाधीन
175.	चैनल भागीदारी	विद्युत संयंत्र (100 सं.)	इंडसइंड बैंक के एटीएम	132	संस्थापनाधीन
176.		पीवी पंप (11 सं.)	जिला जलगांव महाराष्ट्र	45	संस्थापित
177.		विद्युत संयंत्र (5 सं.)	बंगलूरु/कांचीपुरम	145	संस्थापित
178.		विद्युत संयंत्र (4 सं.)	शैक्षिक संस्थाएं/उद्योग	140	संस्थापित

1	2	3	4	5	6
179.		विद्युत संयंत्र (21 सं.)	असम, मणिपुर, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश	71	संस्थापित
180.		विद्युत संयंत्र (1 सं.)	स्कोप अंतर्राष्ट्रीय भवन	100	संस्थापित
181.		विद्युत संयंत्र (2 सं.)	विप्रो भवन कोलकाता आईटीसी मानेसर	154	संस्थापनाधीन
182.		विद्युत संयंत्र (13 सं.)	विभिन्न स्थल	255	संस्थापित
183.		सौर विद्युत पैक (200 सं.)	सुल्तानपुर और रायबरेली जिलों में गांव	100	संस्थापनाधीन
184.		विद्युत संयंत्र (7 सं.)	यूपी, एमपी, राजस्थान में 7 स्थल	44	संस्थापित
185.		विद्युत संयंत्र (7 सं.)	पश्चिम बंगाल में 7 स्थल	36	संस्थापित
186.		विद्युत संयंत्र (1 सं.)	महिन्द्रा रेवा फैक्ट्री बंगलूरु	71	संस्थापित
187.		विद्युत संयंत्र (1 सं.)	जे मित्रा एंड कंपनी नई दिल्ली	100	संस्थापित
188.		विद्युत संयंत्र (4 सं.)	पश्चिम बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र	47	संस्थापनाधीन
189.		विद्युत संयंत्र (6 सं.)	असम, ओडिशा, पश्चिम बंगाल	107	संस्थापित
190.		विद्युत संयंत्र (7 सं.)	मिजोरम विश्वविद्यालय आइजोल	700	संस्थापनाधीन
191.		विद्युत संयंत्र (7 सं.)	अल्ट्राटेक सीमेंट/डीएलएफ	650	संस्थापित
192.		विद्युत संयंत्र (3 सं.)	मिजोरम में सरकारी संस्थाएं	298	संस्थापनाधीन
193.		विद्युत संयंत्र (1 सं.)	बाल एवं महिला कल्याण संस्थान	12	संस्थापित
194.		विद्युत संयंत्र (12 सं.)	विभिन्न स्थल	90	संस्थापनाधीन
195.		विद्युत संयंत्र	अस्पताल नासिक	81	संस्थापित
196.		विद्युत संयंत्र (4 सं.)	आंध्र प्रदेश में विभिन्न स्थल	89	संस्थापित
197.		विद्युत संयंत्र (3 सं.)	जूता फैक्ट्री अम्बूर	298	संस्थापनाधीन
198.		विद्युत संयंत्र (7 सं.)	गुजरात/एमपी/तमिलनाडु/कर्नाटक	118	संस्थापित
199.		विद्युत संयंत्र (1 सं.)	शक्ति मेट-डोर	100	संस्थापनाधीन
200.		विद्युत संयंत्र (8 सं.)	आंध्र प्रदेश/तमिलनाडु/मध्य प्रदेश	19	संस्थापित

1	2	3	4	5	6
201.		विद्युत संयंत्र	कर्नाटक	50	संस्थापनाधीन
202.		विद्युत संयंत्र (11 सं.)	तमिलनाडु/कर्नाटक	826	संस्थापनाधीन
203.		विद्युत संयंत्र (2 सं.)	गुजरात	200	संस्थापित
204.		विद्युत संयंत्र (19 सं.)	उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान	337	संस्थापनाधीन
205.		विद्युत संयंत्र (2 सं.)	उत्तर प्रदेश	200	संस्थापित
206.		विद्युत संयंत्र (1 सं.)	एयरटेल एमएससी लखनऊ	100	संस्थापनाधीन
207.		विद्युत संयंत्र (2 सं.)	जम्मू और कश्मीर में पॉलीटेक्नीक	200	संस्थापनाधीन
208.		विद्युत संयंत्र (3 सं.)	असम, मणिपुर	90	संस्थापनाधीन
209.		विद्युत संयंत्र (1 सं.)	हरियाणा	100	संस्थापनाधीन
				77.471 मेगावाट	

(iv) सौर तापीय ऊर्जा कार्यक्रम

पिछले तीन वर्षों हेतु लक्ष्य और उपलब्धियां निम्नलिखित हैं

वर्ष	स्वीकृत संग्राहक क्षेत्र (लाख एम 2)	उपलब्धियां (लाख एम 2)
2009-10	6	6.2
2010-11	10	10
2011-12	11	11

विवरण-VI

अक्षय स्रोतों के लिए प्रोत्साहनः—

1. निम्नलिखित के रूप में वित्तीय सहायता दी जाती है:—

(क) पूंजीगत सब्सिडी

ऑफ-ग्रिड सौर अनुप्रयोग :

(i) विशेष श्रेणी के राज्यों तथा अन्य दुर्गम क्षेत्रों में सरकारी परियोजनाओं के लिए 60%—90% सब्सिडी।

(ii) सामान्य श्रेणी के राज्यों में सरकारी परियोजनाओं के लिए 30% सब्सिडी।

सौर तापीय अनुप्रयोगः

(iii) सामान्य श्रेणी के राज्यों में सभी उपयोगकर्त्ता-लागत का 30% अथवा बैंचमार्क लागत के 80% पर 5% ब्याज पर ऋण।

(iv) विशेष श्रेणी के राज्यों में घरेलू तथा गैर-वाणिज्यिक श्रेणी के उपयोगकर्त्ताओं के लिए — 60% पूंजीगत सब्सिडी अथवा बैंचमार्क लागत के 80% पर 5% ब्याज पर ऋण।

(v) विशेष श्रेणी के राज्यों में वाणिज्यिक उपयोकर्त्ताओं के लिए — लागत का 30% अथवा 5% पर ऋण।

(ख) रियायत आयात शुल्क, उत्पाद शुल्क में छूट, त्वरित मूल्याहास और करावकाश।

(ग) समय-समय पर घोषित विभिन्न अंत:क्षेपों के माध्यम से ग्रिड-संबद्ध सौर विद्युत परियोजनाओं के लिए मिश्रित विद्युत हेतु उत्पादन आधारित प्रोत्साहन एवं सुविधा।

2. 100% एफडीआई की अनुमति है।

3. सरकार द्वारा पवन विद्युत का संवर्धन निजी क्षेत्र के निवेश के माध्यम से विनिर्माताओं को राजकोषीय एवं संवर्धनात्मक प्रोत्साहन, जैसे— पवन विद्युत उत्पादकों के कतिपय संघटकों पर रियायती आयात शुल्क, उत्पाद शुल्क से छूट उपलब्ध कराकर किया जाता है। पवन विद्युत परियोजनाओं से सृजित आय पर 10 वर्षों का करावकाश भी उपलब्ध है। पवन चक्कियां स्थापित करने के लिए भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था (इरेडा) तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं से ऋण उपलब्ध हैं। पवन ऊर्जा प्रौद्योगिकी केन्द्र (सी-वैट), चेन्नई द्वारा पवन संसाधन मूल्यांकन सहित अन्य तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त, संभाव्यता वाले राज्यों में अधिमान्य शुल्क-दर उपलब्ध कराई जा रही है। सरकार द्वारा 11वीं योजना अवधि के दौरान उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (जीबीआई) की घोषणा की गई थी। जीबीआई को 12वीं योजना में जारी रखने के प्रयास किए जा रहे हैं।

4. नीति के अनुसार सौर आरपीओ की आवश्यकता वर्ष 2013 तक किसी डिस्कोम द्वारा प्राप्त की गई ऊर्जा के 0.25% से आरंभ होती है जो 2022 तक 3% तक पहुंच जाएगी। जिन राज्यों में सौर संसाधनों का अभाव है वहां अक्षय ऊर्जा प्रमाण-पत्रों के एक बाजार आधारित कार्य तंत्र की भी शुरूआत की गई है जिसका कार्यान्वयन केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा निर्धारित मानदंडों के आधार पर विद्युत व्यापार विनियमों के माध्यम से किया जाता है।

एयरलाइनों का समय-पालन
(ऑन टाईम परफोसर्मेंस)

2239. श्री अब्दुल रहमान :
श्री कोडिकुन्नील सुरेश :
श्री ओम प्रकाश यादव :
श्रीमती अन्नू टन्डन :
श्री हंसराज गं. अहीर :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान अनुसूचित घरेलू एयरलाइन के समय-पालन (ऑन टाईम परफोरमेंस) का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार के पास अन्य अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइनों के समय-पालन (ऑन टाईम परफोरमेंस) से संबंधित कोई ब्यौरा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने विभिन्न एयरलाइन कंपनियों द्वारा बड़ी संख्या में उड़ानों के रद्द होने और देरी होने को ध्यान में रखते हुए देश में एयरलाइनों के प्रचालन को विनियमित करने की कोई नीति तैयार की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रकार की एयरलाइनों के विरुद्ध प्रस्तावित कार्रवाई तथा उड़ान रद्द होने, विलंब तथा बोर्डिंग से मना कर देने पर क्षतिपूर्ति, जिनका यात्रियों द्वारा दावा किया जा सकता है, का ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा एयरलाइनों द्वारा बार-बार उड़ान रद्द करने और उड़ान में देरी के कारण यात्रियों को होने वाली परेशानी को दूर करने के लिए सरकार/नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा उठाए गए/प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान अनुसूचित घरेलू विमान कंपनियों के समय-पालन का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) ऐसा कोई विनियमन नहीं है जिसके अधीन नागर विमानन महानिदेशालय विदेशी विमान कंपनियों के समय-पालन (ऑन टाइम परफोरमेंस) को मॉनीटर कर सके। तथापि, कुछ विदेशी विमान कंपनियां अपने आगमन तथा प्रस्थान दोनों के समय-पालन को डीजीसीए में दर्ज कराती हैं।

(घ) से (च) डीजीसीए ने विमान में सवार होने से मना करने, उड़ान रद्द होने तथा उड़ान में विलम्ब होने की स्थिति में विमान कंपनियों द्वारा यात्रियों को दी जानी वाली सुविधाओं के संबंध में नागर विमानन अपेक्षा (सीएआर), अनुभाग-3, श्रृंखला-ट, भाग-IV जारी की है। क्षतिपूर्ति संबंधी प्रावधान उक्त सीएआर में किए गए हैं। उपर्युक्त नागर विमानन अपेक्षा (सीएआर) डीजीसीए की वेबसाइट *www.dgca.nic.in* पर उपलब्ध है।

विवरण

एयरलाइन	ऑन टाइम परफोरमस (%)								
	जुलाई-09	अगस्त-09	सितंबर-09	अक्तूबर-09	नवम्बर-09	दिसम्बर-09	जनवरी-10	फरवरी-10	मार्च-10
एयर इंडिया	76.5	81.5		69.8	69.7	64.5	63.8	76.2	82.4
जेट एयरवेज़	79.1	85.2		68.1	66.7	65.0	69.6	74.9	82.1
जेट लाईट	77.8	78.9		66.3	67.9	56.0	58.2	67.7	82.9
किंग फिशर	81.2	85.8		82.8	82.5	81.9	82एऽ	86.5	91.8
स्पाईसजेट	80.0	81.3		76.6	80.3	75.5	65.7	77.9	86.8
गो एयर	80.1	85.5		74.9	73.3	80.1	71.5	75.3	82.0
इंडिगो	86.5	88.3		82.4	78.4	73.0	71.8	86.2	92.0
पैरामाउट	87.6	87.0		88.7	85.9	84.7	87.3	86.1	87.1
एमडीएलआर	69.7	75.0				प्रचालन बंद			

एयरलाइन	ऑन टाइम परफोरमस (%)								
	अप्रैल-10	मई-10	जून-10	जुलाई-10	अगस्त-10	सितंबर-10	अक्तूबर-10	नवम्बर-10	दिसम्बर-10
एयर इंडिया	76.3	66.4	67.4	74.8	82.0	79.6	79.4	60.6	65.3
जेट एयरवेज़	74.0	88.9	86.8	89.1	94.0	95	92.5	81.9	85.4
जेट लाईट	74.6	89.9	86.3	90.0	94.1	96.1	92.8	79.7	82.6
किंग फिशर	89.8	84.6	85.0	86.5	87.5	88.7	85.7	87.2	80.3
स्पाईसजेट	77.1	79.6	59.7	69.9	82.7	89.1	80	67.5	60.8
गो एयर	79.3	81.3	80.0	80.5	80.1	79.6	60	70.3	76.2
इंडिगो	87.6	85.1	80.2	85.4	89.9	92.0	88.9	80.6	80.1
पैरामाउट	88.1	88.6	89.1	90.3			प्रचालन बंद		
एमडीएलआर				प्रचालन बंद					

एयरलाइन	ऑन टाइम परफोरमस (%)						
	जनवरी-11	फरवरी-11	मार्च-11	अप्रैल-11	मई-11	जून-11	जुलाई-11
एयर इंडिया	67.9	75.8	85.1	77.4	68.6	71.7	74.9
जेट एयरवेज़	88.8	89.2	94.9	92.5	91.8	91.4	92.1
जेट लाईट	83.7	80.6	91.0	91.8	92.1	88.6	89.0
किंग फिशर	87.9	88.7	93.0	91.0	90.2	89.1	91.7
स्पाईसजेट	75.1	73.9	83.7	80.9	78.6	75.9	82.6
गो एयर	80.2	83.2	78.2	92.2	87.6	87.5	93.1
इंडिगो	80.1	86.8	94.6	92.4	92.3	90.2	91.5

एयरलाइन	ऑन टाइम परफोरमस (%)						
	जनवरी-11	फरवरी-11	मार्च-11	अप्रैल-11	मई-11	जून-11	जुलाई-11
एयर इंडिया	73.7	73.7	79.9	65.5	63.7	63.8	73.6
जेट एयरवेज़	92.1	92.1	92.0	91.4	83.5	85.2	91.8
जेट लाईट	91.9	91.9	91.8	89.6	78.5	83.9	89.7
किंग फिशर	91.5	91.5	92.6	91.8	87.3	90.0	85.0
स्पाईसजेट	88.4	88.4	89.0	90.0	80.3	80.1	85.1
गो एयर	94.2	94.2	94.3	83.4	80.5	72.3	79.0
इंडिगो	92.4	92.4	91.4	87.8	74.3	80.3	88.9

ओटीपी	मार्च-12						अप्रैल-12					
	बीएल	बीओ	डीई	एचवाई	एमए	सीसी	बीएल	बीओ	डीई	एचवाई	एमए	सीसी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
एयर इंडिया	84.1	75	80	92.3	88.7	92.5	82.6	73.9	79.7	84.7	81.2	85
जेट एयरवेज़ एण्ड जेटलाईट	89.4	89	79	93.4	98.5	95	87	78.8	79.7	94.2	97.8	94.4
किंग फिशर	73.8	61	57	49.7	61.3	92	84.6२	79.6	78.8	—	87.3	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
स्पाईसजेट	88.6	92	90	82.4	76.8	95.5	83.5	73.6	85.3	88	65.7	89.5
गो एयर	89.1	92	92	—	—	99	79.6	81.1	91	—	—	95.6
इंडिगो	97.9	95	97	96.6	94.8	86.4	92.1	80.8	90.1	87.9	87	82.3

ओटीपी	मई-12						जून-12					
	बीएल	बीओ	डीई	एचवाई	एमए	सीसी	बीएल	बीओ	डीई	एचवाई	एमए	सीसी
1	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
एयर इंडिया	83.6	70.5	79.1	78	68.2	88.6	85.2	84.6	74.3	80.2	71	83.8
जेट एयरवेज़ एण्ड जेटलाईट	85.8	81.5	77.7	884	96.8	929	8.8 8	90.4	80.1	88.8	98.5	92.5
किंग फिशर	85.9	78.1	78.4	—	82	—	87.9	98	84.5	—	879	—
स्पाईसजेट	83.7	75.9	77.9	81.5	81.5	90.7	87.7	95.7	76.9	87.3	81.5	85.6
गो एयर	83	87.5	92.7	—	71	95.7	83.8	96.1	86	—	65.5	82.7
इंडिगो	96.5	84.8	93.3	93.2	85.6	94.6	98.4	98.1	95.2	94.9	89.4	95

ओटीपी — समय पालन (प्रतिशत में)

(बीएल-बंगलूरु, बीओ-मुंबई, डीई-दिल्ली, एचवाई-हैदराबाद, एमए-चेन्नै, सीसी-कोलकाता)

एनआरएमएच की समीक्षा

2240. श्री कालीकेश नारायण सिंह देव :
श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी :
श्री एम.के. राघवन :
श्री निनोंग ईरींग :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) के अधीन राज्य-विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन लक्ष्यों को अब तक राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार किस सीमा तक हासिल किया गया है;

(ग) क्या सरकार ने एनआरएचएम के कार्यान्वयन को सुचारु बनाए जाने के लिए हाल में इसके कार्यकरण की समीक्षा की है;

(घ) यदि हां, तो इसके निष्कर्ष क्या रहे हैं और इसमें क्य कमियां/अनियमितताएं पायी गयी हैं;

(ङ) क्या सरकारी चिकित्सा सुविधाएं एनआरएचएम के अधीन ओडशा, छत्तीसगढ़, पूर्वोत्तर तथा झारखंड जैसे विभिन्न राज्यों में गरीबों तक नहीं पहुंच रही हैं; और

(च) यदि हां, तो उपर्युक्त राज्यों विशेषकर ओडिशा के कालाहांडी-बोलांगीर-कोरापुट (केबीके) जिलों को विशेष सहायता दिए जाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदीप बंदोपाध्याय) : (क) और (ख) 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान

कतिपय प्रमुख संकेतकों के संबंध में निर्धारित किए गए लक्ष्यों के राज्य-वार ब्यौरे प्राप्त की गई उपलब्धियों के साथ संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) के तहत प्रगति की समीक्षा चुनिंदा राज्यों में 8 से 15 नवंबर, 2011 के दौरान हुए पांचवें आम समीक्षा मिशन (सीआरएम) के माध्यम से की कई थी। इस समीक्षा मिशन की प्रमुख टिप्पणियां/सिफारिशें इस प्रकार हैं:—

क. प्रोत्साहन की शुरुआत, चिकित्सा स्नातकों के लिए अनिवार्य ग्रामीण सेवा, चक्रीय (रोटेशनल) तैनाती, भर्ती नियमों में संशोधन तथा सेवा निवृत्ति की आयु में वृद्धि के जरिए मानव संसाधनों में पर्याप्त वृद्धि।

ख. अधिकांश राज्यों में बहिरंग रोगी विभाग (ओपीडी) तथा अंतरंग रोगी विभाग (ओपीडी) उपस्थिति में वृद्धि।

ग. अधिकांश राज्यों में आश्वस्त रेफरल परिवहन प्रणाली की शुरूआत।

घ. सभी राज्यों में आउटरिच सेवाओं की उपलब्धता में सुधार, आशा के माध्यम से स्वास्थ्य प्रणाली की सुलभता में वृद्धि।

ङ निधियों का अधिक उपयोग।

इस रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथस कतिपय कमियों का उल्लेख किया गया है और अवसंरचना, मानव-संसाधनों में रिक्तियों को भरने, जेब खर्चों आदि में कटौती की सिफारिश की गई है।

(ङ) और (च) जी, नहीं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत राज्यों को वार्षिक राज्य कार्यक्रम क्रियान्वयन योजना जिसका राष्ट्रीय कार्यक्रम समन्वय समिति की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार द्वारा मूल्यांकन किया गया है तथा अनुमोदन किया गया है, के माध्यम से उनकी चिकित्सा सुविधाओं में सुधार करने के लिए सहायता प्रदान की गई है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत राज्यों में स्वास्थ्य संकेतकों में कम प्रगति वाले 264 उच्च फोकस वाले जिलों की पहचान की गई है जिनमें ओडिशा, छत्तीसगढ़, एनईआर तथा झारखंड शामिल हैं जिन पर ध्यान केन्द्रित किया जाना है। सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में मानव संसाधनों में वृद्धि, अवसंरचना को सुदृढ़ करना, रोगी परिवहन प्रणाली, मेडिकल मोबाइल यूनिट आदि उपलब्ध कराना शामिल है। इसके अतिरिक्त केबीके जिलों की सेवा वितरण में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा विशेष प्रयास किए गए हैं जिनमें कम से कम 2 एनएचयू प्रति ब्लॉक पर मोबाइल स्वास्थ्य यूनिटों की स्थापना, प्रसूति प्रतीक्षा गृहों, सभी जनजातीय आवासीय स्कूलों के लिए गहन स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम, स्वास्थ्य सेविका नियुक्ति योजना के तहत जीएनएम तथा जीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रमों के लिए अनु.जा./अनु.जा.सू. के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना दुर्गम क्षेत्रों में आशा का विनियोजन, एनआरसी, एसएनसीयू, एनबीसी आदि की स्थापना, एससी बिल्डिंग के निर्माण की संतृप्ति, स्टाफ के लिए विशेष तथा विपत्ति भत्ता, स्वास्थ्य केन्द्रों आदि का आयोजन शामिल हैं।

विवरण

आईएमआर, एमएमआर तथा टीएफआर और वर्तमान स्थिति के लिए 11वीं योजना के वाक्य

क्र. सं.	राज्य	आईएमआर		एमएमआर		टीएफआर	
		11वीं योजना का लक्ष्य*	(एसआरएस 2010 के अनुसार) स्थिति	11वीं योजना का लक्ष्य*	(एसआरएस 2007-09 के अनुसार) स्थिति	11वीं योजना का लक्ष्य*	(एसआरएस 2010 के अनुसार) स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	13	25	—	—	—	1.6

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	आंध्र प्रदेश	28	46	65	134	1.8	1.8
3.	अरुणाचल प्रदेश	18	31	—	—	—	2.3
4.	असम	33	58	163	390	2.3	2.5
5.	बिहार	29	48	123	261	3	3.7
6.	चंडीगढ़	9	22	—	—	—	1.7
7.	छत्तीसगढ़	30	51	126	269	2.4	2.8
8.	दादरा और नगर हवेली	20	38	—	—	—	2.9
9.	दमन और दीव	14	23	—	—	—	2.0
10.	दिल्ली	17	30	—	—	1.8	1.9
11.	गोवा	8	10	—	—	—	1.4
12.	गुजरात	26	44	57	148	2.2	2.5
13.	हरियाणा	29	48	54	153	1.9	2.3
14.	हिमाचल प्रदेश	24	40	—	—	1.8	1.8
15.	जम्मू और कश्मीर	24	43	—	—	2	2.0
16.	झारखंड	24	42	123	261	2.5	3.0
17.	कर्नाटक	24	38	76	178	1.8	2.0
18.	केरल	7	13	37	81	1.7	1.8
19.	लक्षद्वीप	11	25		—	—	1.6
20.	मध्य प्रदेश	37	62	126	269	2.6	3.2
21.	महाराष्ट्र	17	28	50	104	1.9	1.9
22.	मणिपुर	6	14	—	—	—	1.5
23.	मेघालय	24	55	—	—	—	2.9
24.	मिजोरम	10	37	—	—	—	1.7
25.	नागालैंड	9	23	—	—	—	1.8

1	2	3	4	5	6	7	8
26.	ओडिशा	36	61	119	258	2.1	2.3
27.	पुदुचेरी	14	22	59	—	—	1.8
28.	पंजाब	21	34	—	172	1.8	1.8
29.	राजस्थान	33	55	148	318	2.6	3.1
30.	सिक्किम	14	30	—	—	—	1.7
31.	तमिलनाडु	18	24	45	97	1.7	1.7
32.	त्रिपुरा	15	27	—	—	—	1.4
33.	उत्तर प्रदेश	35	61	172	359	3	3.5
34.	उत्तराखंड	20	38	172	359	—	2.1
35.	पश्चिम बंगाल	18	31	64	145	1.8	1.8
	भारत	28	47	100	212	2.1	2.5

**स्रोत:* योजना आयोग।

चिकित्सा महाविद्यालयों को मान्यता

2241. **श्री हरीश चौधीर :**
श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी :
डॉ. थोकचोम मैन्या :
श्री कुंवरजीभाई मोहनभाई बावलिया :
श्री एस. अलागिरी :
श्री गोरख प्रसाद जायसवाल :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों को मान्यता दिए जाने के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् (एमसीआई) द्वारा निर्धारित मानदंड, स्तर और सुरक्षोपाय क्या हैं;

(ख) सरकार द्वारा मनमानी फीस वसूलने को रोकने के लिए सभी मेडिकल कॉलेजों में फीस ढांचे में समानता लाए जाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/प्रस्तावित हैं;

(ग) क्या सरकार ने देश में कतिपय मेडिकल कॉलेजों द्वारा अपेक्षित मानदंडों को पूरा करने में अनियमितता, कदाचार तथा पालन नहीं किए जाने के मामलों की ओर ध्यान दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा रिपोर्ट किए गए इस प्रकार के मामलों की संख्या कितनी है और गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान चूककर्त्ता मेडिकल कॉलेजों के विरुद्ध सरकार द्वारा राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार क्या कार्रवाई की गई है/प्रस्तावित है;

(ङ) क्या सरकार ने एमसीआई के पूर्व चेयरमैन, जो भ्रष्टाचार के मामलों का सामना कर रहे हैं, के कार्यकाल के दौरान कतिपय मेडिकल कॉलेजों को प्रदान की गई मान्यता की समीक्षा की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा देश में आयुर्विज्ञान शिक्षा में सुधार लाने और इसे समुचित रूप से विनियमित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है/प्रस्तावित है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) चिकित्सा महाविद्यालयों को भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् (आईएमसी) अधिनियम, 1956 के उपबंधों और इसके अंतर्गत बनाए गए विनियमों के अनुसार मान्यता दी जाती है। प्रथम बैच में एमबीबीएस छात्रों के विश्वविद्यालय की अन्तिम परीक्षा में बैठने पर ही चिकित्सा महाविद्यालय की मान्यता पर विचार किया जाता है। भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् (एमसीआई) एमसीआई विनियम, 1999 में निर्धारित मानक अपेक्षा के अनुसार महाविद्यालय में परीक्षा के मानक और उपलब्ध सुविधाओं का मूल्यांकन करने हेतु महाविद्यालय का निरीक्षण करती है। भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् की सिफारिश पर केन्द्रीय सरकार आईएमसी अधिनियम, 1956 की धारा 11(2) के अंतर्गत चिकित्सीय अर्हता को मान्यता देती है और उसको अधिसूचित करती है।

(ख) सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों के मामले में संबंधित राज्य सरकारें शुल्क नियतन करने के लिए उत्तरदायी हैं। तथापि, निजी चिकित्सा महाविद्यालयों के मामले में भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसरण में उच्च न्यायालय के एक सेवा-निवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में संबंधित राज्य सरकारों द्वारा गठित समिति द्वारा शुल्क संरचना का निर्णय लिया जाता है।

(ग) और (घ) केंद्रीय सरकार को वर्ष 2009 से आज तक देश के कुछ चिकित्सा महाविद्यालयों के विरुद्ध अनियमितताओं/कदाचारों तथा अपेक्षित मानदंडों के अनुपालन/पूरा न करने के बारे में लगभग 45 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। केन्द्रीय सरकार मंत्रालय के सतर्कता प्रभाग अथवा भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्/राज्य सरकार को शिकायतें अग्रेषित करती है, जो यदि अपेक्षित होता है तो मानदंडों के अनुसार मौजूदा सुविधाओं की जांच करने के लिए महाविद्यालयों का निरीक्षण करती है। परिषदों/राज्य सरकारों की सिफारिशों/रिपोर्ट पर केन्द्रीय सरकार आईएमसी अधिनियम, 1956 के उपबंधों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करती है। प्राप्त हुई शिकायतों का ब्यौरा अनुलग्नक में है।

(ङ) और (च) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् के पूर्व अध्यक्ष के कार्यकाल के दौरान भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् ने 20 चिकित्सा महाविद्यालयों की मान्यता के लिए विचार किया। इनमें से आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र-प्रत्येक में 3 चिकित्सा महाविद्यालयों पर पुनर्विचार किया गया था और केंद्रीय सरकार द्वारा आईएमसी अधिनियम, 1956 की धारा 11(2) के अंतर्गत उनको मान्यता प्रदान की गई थी।

इसके अतिरिक्त, वर्तमान विनियामक ढांचे में सुधार करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए एक संरक्षक विनियामक के रूप में एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मानव संसाधन परिषद् (एनसीएचआरएच) को स्थापित करने का प्रस्ताव किया है। प्रस्तावित एनसीएचआरएच चिकितसा, दंत-चिकित्सा उपचर्या, भेषज (फार्मेसी) और अर्ध-चिकित्सीय शिक्षा के सभी पहलुओं को समन्वित करेगा।

विवरण

देश में चिकित्सा महाविद्यालयों के विरुद्ध वर्ष 2009 से आज तक प्राप्त शिकायतों का राज्य-वार ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य का नाम	चिकित्सा महाविद्यालयों के विरुद्ध शिकायतों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	6
2.	राजस्थान	3
3.	पंजाब	3
4.	मध्य प्रदेश	5
5.	पुदुचेरी	3
6.	उत्तर प्रदेश	7
7.	तमिलनाडु	4
8.	कर्नाटक	3
9.	महाराष्ट्र	2
10.	गुजरात	3
11.	केरल	1
12.	बिहार	1
13.	उत्तराखंड	1
14.	त्रिपुरा	1
15.	ओडिशा	1
16.	झारखंड	1
	कुल	45

[हिन्दी]

विमान किराए में वृद्धि

2242. श्री दत्ता मेघे :
चौधरी लाल सिंह :
श्री ए. सम्पत्त :
श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी :
श्री कुलदीप बिश्नोई :
श्री पन्ना लाल पुनिया :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय राष्ट्रीय विमानन कंपनी लिमिटेड (एनएसीआईएल) और निजी एयरलाइनों ने पूर्वोत्तर क्षेत्र और खाड़ी क्षेत्र सहित घरेलू तथा अंतरराष्ट्रीय विमान क्षेत्रों में विमान भाड़े में तेजी से बढ़ोतरी की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं तथा इन विमान भाड़ों को बढ़ाने के लिए यदि कोई मानदंड निर्धारित किया गया है तो वह क्या है;

(ग) इसके कारण रद्द की गई उड़ानों की संख्या सेक्टर-वार कितनी है और इस तरह रद्द किए जाने के कारण एयरलाइन-वार राजस्व की कितनी हानि हुई है;

(घ) एयरलाइनों द्वारा इस वृद्धि के विरुद्ध सरकार द्वारा प्राप्त शिकायतों/अभ्यावेदनों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या देश भर में एक ही सेक्टर में विभिन्न विमानन कंपनियों द्वारा प्रकाशित अधिकतम विमान भाड़ा में अत्यधिक अंतर है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं तथा सरकार द्वारा इस संबंध में तथा देशभर में विमान भाड़े में अत्यधिक वृद्धि को रोकने के लिए उठाए गए कदमों/उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) विमान किरायों में वृद्धि के कारण किसी उड़ान के रद्द होने की सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) जनवरी से जुलाई, 2012 की अवधि के दौरान विमान किराए में वृद्धि के संबंध में प्राप्त कुल शिकायतों की संख्या नीचे दी गई है:—

एअर इंडिया	—	शून्य
जेट एयरवेज तथा जेटलाइट	—	शून्य
गो एअर	—	08
किंगफिशर	—	03
इंडिगो	—	शून्य
स्पाइस जेट	—	06

(ङ) और (च) सरकार, एयरलाइनों द्वारा प्रभारित विमान किराए का विनियमन नहीं करती है। तथापि, टैरिफ प्रकाशन में पारदर्शिता कायम रखने की दृष्टि से, नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा विमान परिवहन परिपत्र 2/2010 जारी किया गया है, जिसमें एयरलाइनों को कहा गया है कि जिस तरीके से इसे मार्केट में पेश किया गया है उसी तरीके से वे विभिन्न किराया श्रेणियों में अपने संपूर्ण नेटवर्क के मार्ग-वार टैरिफ शीट को अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित करें।

[अनुवाद]

शल्य (सीजेरियन) प्रसव

2243. श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर :
श्री नीरज शेखर :
श्री संजय भोई :
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :
श्री यशवीर सिंह :
श्री आनंद प्रकाश परांजपे :
श्री ए. गणेशमूर्ति :
श्री एन.एस.वी. चित्तन :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में शल्य (सीजेरियन) प्रसव की दर का ब्यौरा क्या है;

(ख) शल्य (सीजेरियन सेक्शन्स) प्रसव हेतु विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हाल ही में जारी वार्षिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार

भारत में शल्य (सीजेरियन) प्रसव की दर विकसित देशों की तुलना में कई गुना अधिक है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है तथा देश में सी-सेक्शन प्रसव की उच्च दर के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानक के अनुसार शल्य (सी-सेक्शन) प्रसव को कम करने हेतु कोई कदम उठाए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदीप बंदोपाध्याय) : (क) राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य-III (एनएफएचएस-III, 2005-06) के अनुसार, सर्वेक्षण के बाद के पांच वर्षों में देश में सिजेरियन सेक्शन द्वारा कराये गये प्रसवों का प्रतिशत 8.5% था।

(ख) 1985 में विशेषज्ञ ग्रुप की सिफारिशों के आधार पर विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा दिये गये मानक के अनुसार 'किसी भी क्षेत्र के लिये सिजेरियन सेक्शन दर को 10-15% से अधिक करने का कोई औचित्य नहीं है।

(ग) और (घ) वार्षिक स्वास्थ्य सवेक्षण 2010-11 के परिणाम में न तो भारत के लिये राष्ट्रीय स्तर पर और न ही विकसित देशों के लिये सिजेरियन सेक्शन कर दी गई है।

(ङ) और (च) देश में सिजेरियन सेक्शन दर विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित मानकों की सीमा से कम है।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) और प्रजनन और शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम चरण-II (आरसीएच-II) के अंतर्गत सिजेरियन सेक्शन दर को स्वीकार्य मानकों के तहत रखने के लिये भारत सरकार ने गुणवत्ता पूर्ण मातृ परिचर्या उपलब्ध कराने के लिये कई कदम उठाये हैं। इन कदमों में गर्भावस्था के दौरान समस्याओं की पहचान और उनका प्रबंधन तथा कुशल प्रदाता द्वारा शिशु जनन कराना जिसके लिये सिजेरियन सेक्शन का इस्तेमाल भी होता है। समस्याओं की आरंभिक पहचान और उनकी समय पर व्यवस्था होने से अनावश्यक सिजेरियन सेक्शन से बचा भी जा सकता है। प्रसव पूर्व परिचर्या के तौर पर, गर्भवती महिलाओं और उनके परिवार को एएनएम/आशा/अन्य स्वास्थ्य कार्यकर्त्ताओं द्वारा खतरे के संकेतों की तत्काल पहचान और समस्या का समय पर प्रबंधन के लिये उपयुक्त सुविधाओं तक पहुंचने और अनावश्यक सिजेरियन सेक्शन से बचने जैसे सुरक्षित मातृत्व के विविध पहलुओं के बारे में बताया और समझाया जाता है।

कम वजन के शिशु

2244. श्री आनंद प्रकाश परांजपे :
श्री नीरज शेखर :
श्री संजय भोई :
श्री यशवीर सिंह :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वार्षिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण, 2012 के अनुसार देश के उत्तर, मध्य और पूर्वी राज्यों में जन्मे अधिकांश शिशु कम वजन के हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या 2005-06 में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-III के दौरान कम वजन के नवजात शिशुओं के लिए राष्ट्रीय औसत की तुलना में कम वजन के नवजात शिशुओं का प्रतिशत बढ़ा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) देश में कम वजन के शिशुओं के प्रतिशत को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या नए सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवारक कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदीप बंदोपाध्याय) : (क) और (ख) वार्षिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2012 की रिपोर्ट में मुख्य सर्वेक्षण में बच्चों की पोषणिक स्थिति के संबंध में सूचना नहीं रखी जाती थी। अतः यह सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ग) और (घ) चूंकि वार्षिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण में कुपोषण का घटक शामिल नहीं किया गया है, इसलिए वर्ष 2005-06 में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-ppp द्वारा कम भार वाले बच्चों की तुलना नहीं की जा सकती है।

(ङ) कुपोषण बहुआयामी एवं अंतरपीढ़ीगत होता है तथा जीवन चक्र के विभिन्न चरणों में अंतर्निहित इसके अनेक कारकों से निपटने के लिए विभिन्न मंत्रालयों के जरिए कार्यकलाप अपेक्षित हैं।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत किए गए सुधारात्मक उपाय निम्नलिखित हैं:—

- समुचित शिशु एवं बाल आहार पद्धतियों का संवर्धन जिनमें स्तनपान कराने की जल्दी शुरूआत तथा 6 माह के आयु तक स्तनपान ही कराना शामिल है।
- आईएमएनसीआई (नवजात एवं बाल्यकालीन बीमारियों का समेकित उपचार) प्रशिक्षण में सेवा प्रदायकों को प्रशिक्षित करके समुदाय तथा सुविधा केंद्र स्तर पर कुपोषण एवं सामान्य नवजात एवं बाल्यकालीन बीमारियों का उपचार।
- जन स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों में स्थापित पोषण पुनर्वास केंद्रों (एनआरजी) नामक विशेष एककों में गंभीर तीव्र कुपोषण वाले बच्चों का उपचार। वर्तमान में देशभर में ऐसे 564 केंद्र कार्य कर रहे हैं।
- विटामिन ए और आयरन तथा फोलिक एसिड की सूक्ष्म पोषक तत्व संबंधी न्यूनता का निवारण करने तथा इनसे निपटने के लिए विशेष कार्यक्रम। 5 वर्ष की आयु तक बच्चों के लिए विटामिन ए संपूरण तथा 6 से 60 माह तक के बच्चों के लिए आयरन एवं फोलिक एसिड संपूरण।
- ग्राम स्वास्थ्य तथा पोषण दिवस और माता एवं बाल सुरक्षा कार्ड बच्चों, गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान कराने वाली माताओं में पोषण संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की संयुक्त पहलें हैं।
- स्तनपान को बढ़ावा देने सहित आहारीय पद्धतियों के बारे में जागरुकता बढ़ाने तथा इनमें वांछित परिवर्तन लानपे के लिए वीएचएनडी (ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस) संबंधी पोषण शिक्षा।
- माता तथा बाल सुरक्षा कार्ड के इस्तेमाल द्वारा बच्चों की तीन वर्षों तक वृद्धि की मॉनीटरिंग करना।

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण

2245. श्री ए. गणेशमूर्ति :
श्री संजय भोई :
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :
श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर :
श्री आनंद प्रकाश परांजपे :
श्री के. सुगुमार :
श्री असादूद्दीन ओवेसी :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण करवाने की योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस सर्वेक्षण के अधीन पोषण वैल्यू सहित किन स्वास्थ्य संकेतकों को शामिल किया जाना है; और

(घ) यदि हां, तो किस समय तक इस स्वास्थ्य सर्वेक्षण के परिणाम उपलब्ध होने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) से (घ) सरकार ने विभिन्न पणधारियों के साथ परामर्श करके पोषण एवं रक्ताल्पता सहित प्रासंगिक संकेतकों के लिए जिला स्तरीय आंकड़े प्रदान करने के लिए विभिन्न सर्वेक्षणों के स्थान पर एक समेकित सर्वेक्षण करने का निर्णय लिया है और इस राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) का नाम दिया जाएगा।

इन सर्वेक्षण के सभी पहलुओं की निगरानी करने के लिए एक संचालन समिति तथा सर्वेक्षण के सभी तकनीकी ब्यौरों को तैयार करने के लिए एक तकनीकी सलाहकार समिति गठित की गई है। आंकड़ों के संग्रहण, आंकड़ों के वैधीकरण, डाटा प्रोसेसिंग, रिपोर्ट लिखने इत्यादि सहित सर्वेक्षण के कार्यकलापों में फील्ड वर्क शुरू किए जाने के बाद करीब एक वर्ष लगता है।

जनजातीय संबंधी मुद्दों की समीक्षा

2246. श्री पी. लिंगम :
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :
श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर :
श्री आनंद प्रकाश परांजपे :

क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का जनजातियों से संबंधित मुद्दों की समीक्षा और उनकी शिकायतों के निराकरण के लिए एक जनजातीय आयोग की स्थापना का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार प्रस्तावित आयोग के माध्यम से भूरिया आयोग की सिफारिशों की समीक्षा करने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा जनजातीय लोगों को मुख्यधारा में लाए जाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री महादेव सिंह खंडेला) : (क) से (घ) यद्यपि, इस संबंध में सुझाव दिये गये हैं, तो भी मंत्रालय ने इन पर निर्णय नहीं लिया है।

(ङ) मंत्रालय देश में जनजातीय लोगों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए विभिन्न केन्द्रीय क्षेत्र/केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं/कार्यक्रम कार्यान्वित करता है। ऐसी योजनाओं की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

अनुसूचित जनजातियों के कल्याण एवं विकास के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय की मुख्य योजनाएं/कार्यक्रम

केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं

1. स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान (जिसके तहत अस्पतालों, संचल औषधालयों इत्यादि के अलावा अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए एनजीओ द्वारा संचालित आवासीय, गैर-आवासीय विद्यालयों, कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्रों तथा कताई, बुनाई तथा हथकरघा प्रशिक्षण केन्द्रों को समर्थन दिया जाता है।

2. जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण की योजनाएं स्वरोजगार या रोजगार उन्मुख योजना है जिसका उद्देश्य अनुसूचित जनजाति के लड़कों तथा लड़कियों को समान रूप से लाभान्वित करना है।

3. कम साक्षरता वाले पॉकेटों में अनुसूचित जनजाति (एसटी) की लड़कियों में शिक्षा के सुदृढ़ीकरण की योजना।

4. आदिम जनजातीय समूहों का विकास।

5. अनुसूचित जनजातियों के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति।

6. अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए उच्च श्रेणी शिक्षा।

7. अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय समुद्र पारीय छात्रवृत्तियों की योजना।

केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं

8. अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की योजनाएं।

9. अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों की प्रतिभा का उन्नयन।

10. अनुसूचित जनजाति के लड़कियों तथा लड़कों के लिए छात्रावास के निर्माण की योजना।

11. जनजातीय उपयोजना क्षेत्रों में आश्रम विद्यालयों की स्थापना की योजना।

विशेष क्षेत्र कार्यक्रम

12. रोजगार-सह-आय सृजनकारी गतिविधियों के लिए जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता।

13. अनुसूचित जनजातियों के कल्याण को बढ़ावा देने तथा अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के स्तरों के उत्थान के लिए संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत सहायता अनुदान/संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुदान का एक भाग का उपयोग कक्षा 6 से 12 तक अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों (लड़कियों तथा लड़कों दोनों) को गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करने के लिए "एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों" की स्थापना हेतु किया जाता है।

यह मंत्रालय अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 को भी कार्यान्वित कर रहा है जो वन निवासी अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य परंपरागत वन निवासियों के वन भूमि पर वन अधिकारों की मान्यता तथा इन्हें प्रदान करने की मांग करता है।

[हिन्दी]

निःशुल्क दवाइयां

2247. श्री राम सिंह कस्वां :
श्री अधलराव पाटील शिवाजी :
श्री गजानन ध. बाबर :
श्री धर्मेन्द्र यादव :
श्री आनंदराव अडसुल :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां गरीबों को निःशुल्क दवाइयां दी जा रही हैं;

(ख) क्या केंद्र सरकार ने औषधियों की थोक खरीद के लिए एक केंद्रीय प्रापण एजेंसी (सीपीए) की स्थापना की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने राज्य सरकारों से कहा है कि वे उन रोगों जो वहां ज्यादा होते हैं को ध्यान में रखते हुए आवश्यक औषधियों की अपनी (ईडीएल) सूची तैयार करें;

(ङ) यदि हां, तो उस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है; और

(च) सरकार द्वारा देशभर में सभी रोगियों के लिए आवश्यक औषधियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के अंतर्गत वितरण करने हेतु औषधें अधिकतर केंद्रीय स्तर पर खरीदता है और सभी राज्यों को इन औषधों को जनस्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से निःशुल्क वितरित करता है। इसके अतिरिक्त, राज्यों को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत धन संवितरित किया जाता है जिससे राज्य जन स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों के माध्यम से निःशुल्क वितरण के लिए औषधें खरीदते हैं।

(ख) भारत सरकार ने केंद्रीय चिकित्सा सेवा सोसायटी (सीएमएसएस) के नाम से सोसाइटीज पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत एक केंद्रीय प्रापण अभिकरण (सीपीए) को पंजीकृत किया है।

(ग) केंद्रीय प्रापण अभिकरण के चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान चालू हो जाने की आशा है। यह सोसाइटी विभिन्न स्वास्थ्य परिचर्या कार्यक्रमों के अंतर्गत औषधों और वैक्सीनों को खरीदना शुरू करेगी।

(घ) से (च) राज्य सरकारों पर उनके द्वारा अपेक्षित औषधों की खरीद के लिए एक अनिवार्य औषध सूची (ईडीएल) अपनाने के लिए आग्रह किया जा रहा है और उनसे यह अपेक्षित भी होगा।

भारत सरकार का औषधों के जेब से होने वाले व्यय को कम करके लोगों को वहनीय स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान करने हेतु देश में जन स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों में अनिवार्य औषधों की निःशुल्क आपूर्ति करने के लिए एक पहल शुरू करने का प्रस्ताव है। यह पहल औषधों के विवेकपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देगी। यह पहल तमिलनाडु मॉडल पर आधारित है जहां पर तमिलनाडु चिकित्सा सेवा निगम (टीएनएमएससी) द्वारा सीधे निर्माताओं से जेनेरिक नाम से ढेर सारी औषधें खरीदी जाती हैं और जनता को उनकी आपूर्ति एक सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) समर्पित आपूर्ति चेन प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से निःशुल्क की जाती है। इस प्रयोजन के लिए वर्ष 2012-13 के बजट में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान है।

वन निवासी

2248. श्री सुदर्शन भगत :
श्री आनंदराव अडसुल :
श्री शिवकुमार :

क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांच अधिनियम के बावजूद, कानून में अभी भी कई समस्याएं बनी हुई हैं जिनके परिणामस्वरूप अधिकांश वन निवासियों को उनके अधिकार नहीं मिल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बड़ी संख्या में वन निवासियों को अपनी जमीन खाली करनी पड़ रही है या वन प्राधिकारियों का उत्पीड़न झेलना पड़ रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर केंद्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या इस कानून को आधार स्तर पर लागू करते समय कई कमियां सामने आई हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री महादेव सिंह खंडेला) : (क) और (ख) जनजातीय कार्य मंत्रालय ने वन निवासी अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य परंपरागत वन निवासियों के प्रति किए गए ऐतिहासिक अन्याय के उपचार के उद्देश्य से अनुसूचित जाति तथा अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 को

अधिनियमित किया है। अधिनियम ने 31 जुलाई, 2012 तथा अधिनियम के तहत पात्र दावेदारों को 12,68,766 अधिकार पत्रों का संवितरण करके इस अधिदेश को महत्वपूर्ण रूप से पूरा किया है। तथापि, सामुदायिक अधिकारों की संख्या कम रही है तथा दावों के निरस्तीकरण की दर पच्चास प्रतिशत से अधिक है।

(ग) और (घ) अधिकारों के वंचन तथा वन क्षेत्र इत्यादि से जनजातीय लोगों का बेदखली से संबंधित शिकायतें काफी समय से प्राप्त हो रही हैं। इन शिकायतों को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पास भेजा गया है, क्योंकि इस अधिनियम के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की है।

(ङ) से (च) जी, हां। कई तथ्य मंत्रालय की जानकारी में आए हैं जो इस अधिनियम के अक्षरश: कार्यान्वयन को बाधित कर रहे हैं तथा पात्र वन निवासियों को इस वाटर शेड विधान के निर्दिष्ट लाभों के प्रवाह को अवरुद्ध कर रहे हैं सामुदायिक अधिकारों की मान्यता जैसे लघु वन उत्पाद, चारागाह क्षेत्र, जिला निकाय, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के आवास, चारागाहों के मार्ग काफी कम रहे हैं। दावों के निरस्तीकरण की दर भी अधिक है।

तदनुसार, मंत्रालय ने अधिनियम के कड़े कार्यान्वयन को सरल बनाने के लिए कुछ प्रावधानों/कदमों तक पहुंचने के लिए कवायद की है। उक्त कवायद के अनुसरण में मंत्रालय ने अधिनियम के सुधरे हुए कार्यान्वयन के लिए दिनांक 12.07.2012 को राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को दिशानिर्देश जारी किए हैं। ये दिशानिर्देश अधिकारों की मान्यता की प्रक्रिया, साक्ष्य की आवश्यकताओं, लघु वन उत्पाद के अधिकारों, सामुदायिक अधिकारों, सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों, बेदखली के विरुद्ध सुरक्षा, वन भूमियों के विपथन तथा बलात पुनर्वास, जागरूकता पैदा करने, निगरानी और पीड़ा के निवारण से संबंधित हैं।

अधिनियम के उद्देश्यों को कारगर रूप से कार्यान्वित करने के लिए मंत्रालय ने अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) नियमावली, 2008 में संशोधन की प्रक्रिया आरंभ की है। "अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) संशोधन नियमावली, 2012" के शीर्षक वाले प्रारूप नियमों को इससे प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों से इसके प्रकाशन के एक माह के अंदर आपत्तियां एवं सुझाव आमंत्रित करने के लिए दिनांक 19.07.2012 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2-खंड 3-उपखंड (1) में प्रकाशित किया गया है। नियमों में प्रस्तावित संशोधन कस्बों या बस्तियों की पहचान तथा उनके समकेन की प्रक्रिया के लिए क्रियाविधि निर्दिष्ट करने, वन अधिकार समितियों की अनिवार्य अनुसूचित जनजाति की सदस्यता को एक-तिहाई से दो तिहाई तक बढ़ने, ग्राम सभा की बैठकों में दो-तिहाई के वर्तमान कोरम की आवश्यकता को घटा कर आधा करने, यह स्पष्ट करना कि "यथार्थ आजीविका आवश्यकताओं" में स्वयं की तथा परिवार की आजीविका आवश्यकताओं की पूर्ति शामिल है, अधिकारों का प्रयोग करते हुए अधिशेष उत्पाद की बिक्री को शामिल करने, अधिकारों की मान्यता के लिए प्रक्रिया निर्धारित करते हुए संग्रहकर्ताओं या उनकी सहकारिताओं या संगठनों या परिसंघों द्वारा स्थानीय रूप से उपयुक्त परिवहन के साधनों के माध्यम से वन क्षेत्रों के अंदर तथा बाहर लघु वन उत्पाद के परिवहन की अनुमति देने के लिए सामुदायिक अधिकार को शामिल करने, सामुदायिक वन संसाधन के अधिकारों के लिए नए दावा प्रपत्रों तथा सामुदायिक वन संसाधनों इत्यादि के लिए अधिकार प्रपत्र को सम्मिलित करने से संबंधित हैं।

मंत्रालय द्वारा दिनांक 12.07.2012 को जारी दिशानिर्देश तथा नियमों में प्रस्तावित संशोधन जब अधिसूचित होंगे तो जमीनी स्तर पर अधिनियम का बेहतर कार्यान्वयन हो सकेगा। इस समय अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 को संशोधित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

मानव अंगों को निकाले जाने के मामले

2249. राजकुमारी रत्ना सिंह :
डॉ. संजय सिंह :
श्री गणेश सिंह :
श्री लालजी टन्डन :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मानव अंग प्रतिरोपण अधिनियम, 1994 में किए गए उपबंधों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या देश के विभिन्न हिस्सों में मानव अंगों का अवैध व्यापार बढ़ रहा है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष मानव अंग प्रतिरोपण अधिनियम, 1994 के उपबंधों के उल्लंघन की शिकायतों पर की गयी जांच का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इस अधिनियम के अधीन दर्ज किए गए मामलों की राज्य-वार संख्या तथा बिना प्राधिकार के और मानव अंगों के वाणिज्यिक व्यापार के लिए मानव

अंगों को निकालने के दोषी पाए गए व्यक्तियों की संख्या कितनी है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस समस्या के समाधान के लिए और क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) मानव अंगों की बिक्री व खरीद पर पहले से ही मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994 के उपबंधों के अंतर्गत रोक लगाई हुई है। केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत नियुक्त किए गए समुचित प्राधिकारियों को मानव अंगों की बिक्री व खरीद से संबंधित शिकायतों सहित इस अधिनियम के उपबंधों को भंग करने की किसी शिकायत की जांच-पड़ताल करने की शक्ति प्रदान की गई है। इस अधिनियम में मानव अंगों को प्राधिकार के बिना निकालने और मानव अंगों में वाणिज्यिक लेन-देन (कमर्शियल डीलिंग्स) पर दंड देने हेतु कड़े उपबंध हैं।

(ख) से (घ) स्वास्थ्य राज्य का विषय है, इसलिए ऐसी सूचना केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखी जाती है। तथापि, भारत सरकार के ध्यान में मानव अंगों के गैर-कानूनी प्रत्यारोपण की कुछ घटनाएं आई हैं। ऐसी घटनाओं के संबंध में पिछले कुछ वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों द्वारा प्रदान की गई सूचना संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) मानव अंग प्रत्यारोपण (संशोधन) अधिनियम, 2011 में दंडात्मक उपबंधों व दंडों को और अधिक सख्त बनाया गया है।

विवरण

विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से यथा प्राप्त — विभिन्न सरकारी/निजी अस्पतालों में अवैध गुर्दे व अन्य प्रत्यारोपणों के मामलों और की गई कार्रवाई का ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	सूचित किए गए मामलों का ब्यौरा
1	2	3
1.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	इस अधिनियम के अधिनियमन से दिल्ली पुलिस के मानव अंग प्रत्यारोपण के अंतर्गत 12 मामले दर्ज किए हैं। तथापि, इन 12 मामलों में से दो मामलों को बंद कर दिया गया है।
2.	महाराष्ट्र	महाराष्ट्र सरकार ने सूचित किया है कि जनवरी, 2004 में बम्बई अस्पताल, मुंबई के डॉ. एस.पी. त्रिवेदी के विरुद्ध धोखाधड़ी, जालसाजी और मानव अंगों की तस्करी के आरोपों के लि मुकदमा चलाया गया।
3.	पंजाब	पंजाब सरकार ने सूचित किया है कि राज्य में प्रत्यारोपण के लिए मानव अंगों विशेष तौर से गुर्दों की बिक्री के कुछ मामलों का पता लगाया गया था जिनके इस प्रयोजन के लिए गठित विशेष जांच दल जांच कर रहा है। जांचों के परिणामस्वरूप कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है और एक अस्पताल नामत: राम सरन दास किशोरीलाल धर्मार्थ न्यास अस्पताल, अमृतसर का पंजीकरण रद्द कर दिया गया है। तथापि, राज्य में अवैध/वाणिज्यिक अंग व्यापार के लिए निर्धनों का बड़े पैमाने पर शोषण करने की कोई रिपोर्ट नहीं है।
4.	गुड़गांव, हरियाणा	केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने गुड़गांव और मुरादाबाद (उत्तर प्रदेश) से संबंधित दो मामलों को दर्ज किया है। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने 8 संदिग्ध डॉक्टरों और उनके सहयोगियों को गिरफ्तार किया है।
5.	मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश	

1	2	3
6.	मध्य प्रदेश	वर्ष 2008 में उज्जैन जिले में गुर्दे के अवैध प्रत्यारोपणों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय गैंग का पर्दाफाश किया गया। इस मामले को मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम के अंतर्गत भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467, 468, 471, 120-ख और 18 व 19 के तहत अपराध सं. 408/27.6.08 के रूप में थाना महकाल में दर्ज किया गया। उज्जैन पुलिस ने छह (6) व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है।
7.	केरल	अध्यक्ष, अलपुज्जा और एर्नाकुलम जिले हेतु अंग प्रत्यारोपण की जिला स्तरीय प्राधिकरण समिति ने सूचित किया है कि वर्ष 2010 में उनके जोन में जालसाज के 18 मामलों और धोखाधड़ी के 1 मामले में रिपोर्ट दी गई है। सभी मामलों की सूचना संबंधित पुलिस अधीक्षक को दे दी गई है और इस मामले पर मुकदमा चला रहा है।
8.	मिजोरम	शून्य
9.	उत्तराखंड	शून्य
10.	राजस्थान	शून्य
11.	पुदुचेरी	शून्य
12.	गुजरात	शून्य
13.	त्रिपुरा	शून्य
14.	चंडीगढ़	शून्य
15.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	शून्य
16.	गोवा	शून्य
17.	पश्चिम बंगाल	शून्य
18.	असम	शून्य
19.	लक्षद्वीप (सं.रा.क्षे.)	शून्य
20.	हिमाचल प्रदेश	शून्य
21.	दादरा और नगर हवेली (सं.रा.क्षे.)	शून्य
22.	दमन और दीव (सं.रा.क्षे.)	शून्य
23.	सिक्किम	शून्य
24.	नागालैंड	शून्य

अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने ऐसी किसी घटना की सूचना नहीं दी है।

खाद्य पदार्थों में मिलावट

2250. श्री एस. अलागिरी :
डॉ. संजय सिंह :
राजकुमारी रत्ना सिंह :
श्री चन्द्रकांत खैरे :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में खाद्य पदार्थों में मिलावट के परीक्षण की जांच के लिए सरकार द्वारा क्या व्यवस्था बनायी गयी है;

(ख) क्या देश में नमूना एकत्र करने की प्रक्रिया कमजोर और खराब प्रकृति का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान अब तक कितने खाद्य नमूना एकत्र किए गए हैं और इनमें से जो मिलावटी पाए गए हैं, उनकी संख्या कितनी है; और

(घ) देश में खाद्य परीक्षण सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदीप बंदोपाध्याय) : (क) से (ग) इस समय खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम, 2006 और इसके अंतर्गत बनाए गए विनियमों के तहत निर्धारित किए गए मानकों के अनुसार, खाद्य पदार्थों के परीक्षण के लिए 72 राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएं, 55 निजी अधिमान्य प्रयोगशालाएं और 4 रेफरल प्रयोगशालाएं हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार वर्ष 2009, 2010 और 2011-12 के दौरान जांच किए गए नमूनों की कुल संख्या और अपमिश्रित पाए गए नमूनों की संख्या का ब्यौरा इस प्रकार है:—

वर्ष	2009	2010	2011-12
जांच किए गए नमूने	113969	117062	35757
अपमिश्रित पाए गए नमूने	12692	14806	3407

(घ) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से अपने-अपने खाद्य विनियामक प्रवर्तन तंत्र को सुदृढ़ बनाने का अनुरोध किया गया है। देश में खाद्य परीक्षण सुविधाओं का उन्नयन एक सतत् प्रक्रिया है।

[हिन्दी]

अमेरिका में सिख धार्मिक स्थल पर हमला

2251. श्री अर्जुन राम मेघवाल :
श्री एस. आर. जेयदुरई :
श्री सतपाल महाराज :
श्री राकेश सिंह :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान अमेरिका में एक पूजा स्थल पर गोलीबारी की घटना में भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों के मारे जाने की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस मुद्दे को संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार के साथ उच्चतम स्तर पर उठाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान विदेशों में भारतीयों के उत्पीड़न और दमन की घटनाओं में वृद्धि हो रही है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी देश-वार, घटना-वार ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं;

(छ) क्या सरकार का भविष्य में ऐसी घटनाएं रोकने के लिए एक विशेष कार्यबल बनाने का विचार है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अन्य क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर) : (क) और (ख) एक बंदूकधारी ने 5 अगस्त, 2012 को 10.15 बजे (स्थानीय समय) ओर क्रीक मिलवाकी, विस्कॉनसिन, संयुक्त राज्य अमेरिका स्थित एक गुरुद्वारे में गोलीबारी की तथा 6 लोगों को मार दिया और 3 अन्य लोगों को घायल कर दिया। मृतकों में चार भारतीय तथा 2 अमेरिकी नागरिक शामिल हैं। बाद में वह बंदूकधारी पुलिस की गोलीबारी तथा स्वयं से लगे जख्मों के कारण मारा गया।

(ग) और (घ) सरकार ने इस घटना के तत्काल बाद अमेरिकी सरकार को राजनयिक माध्यमों से गोलीबारी की घटना तथा अमेरिका में भारतीय समुदाय की सामान्य सुरक्षा के बारे में अपनी चिंताओं से अवगत कराया। इसके अलावा विदेश मंत्री ने इस त्रासदीपूर्ण घटना से देश को लगे आघात के बारे में सूचित करने के लिए 6 अगस्त, 2012 को अमरीकी विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन से फोन पर बातचीत की तथा अमरीकी सरकार से अमरीका में भारतीय समुदाय तथा उनके पूजा स्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का अनुरोध किया। 8 अगस्त, 2012 को अमरीकी राष्ट्रपति ओबामा द्वारा फोन किए जाने पर प्रधानमंत्री ने भी अपनी बातचीत के दौरान उन्हें इस बारे में सूचित किया।

राष्ट्रपति ओबामा ने अपने सार्वजनिक वक्तव्य में इस घटना पर खेद व्यक्त किया, पीड़ितों के लिए अपनी संवेदनाएं व्यक्त कीं और अमरीका में सिख समुदाय के विशेष योगदान का उल्लेख किया तथा यह कहा कि गोलीबारी की जांच के लिए हर प्रकार की सहायता की जाएगी। इसके अलावा राष्ट्रपति ओबामा ने एक घोषणा जारी की, जिसमें यह आदेश दिया गया था कि गुरुद्वारे पर हमले के पीड़ितों के सम्मान के रूप में 6 अगस्त, 2012 से 10 अगस्त, 2012 को सूर्यास्त होने तक अमेरिकी झंडे को आधा झुका दिया जाए। अमेरिका के महान्यायवादी ने ओक ट्री का दौरा किया तथा पीड़ितों के परिवारों से मुलाकात की। संघीय अन्वेषण ब्यूरो भी इस घटना की जांच में सहयोग कर रही है।

(ङ) से (ज) विदेशों में भारतीयों के उत्पीड़न एवं दमन की घटनाओं से संबंधित सूचना एकत्र की जा रही है तथा उसे यथाशीघ्र सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

पोलियो का टीका

2252. श्री राधा मोहन सिंह :
श्रीमती मीना सिंह :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी अस्पतालों में बच्चों के लिए पोलियो के और अन्य अनिवार्य टीकों की अनुपलब्धता के कारण लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो टीकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 2012 में आपूर्ति की गई दवाइयों/टीकों की मात्रा का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) चालू वर्ष के अंत तक प्रबंध किए जाने वाले संभावित स्टॉक का ब्यौरा और उनका मूल्य कितना है; और

(घ) पोलियो के टीके तथा अन्य आवश्यक टीकों के अतिरिक्त स्टॉक के संरक्षण के लिए स्थापित किए जाने वाले केंद्रों की संख्या कितनी है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदीप बंदोपाध्याय) : (क) विभिन्न राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों के सरकारी अस्पतालों में पोलियों और अन्य वैक्सीनों की अनुपलब्धता के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं है।

(ख) 2012-13 के दौरान अब तक आपूर्ति की कई वैक्सीन की मात्रा का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) 2012-13 के अंत तक व्यवस्थित होने वाले स्टाक का मूल्य और विवरण निम्नलिखित है:—

वैक्सीन	मात्रा लाख खुराकों में	मूल्य लाख रुपए
टी-ओपीवी	2387.19	9845.96
डीपीटी	1831.61	5268.39
खसरा	774.81	17058.23
बीसीजी	502.00	1507.51
हेपटा.बी	1672.00	5815.45
टीटी	1410.00	2186.57
पेंटावैलेंट	118.45	11612.87

(घ) राष्ट्रीय और उप-राष्ट्रीय स्तर पर शीत श्रृंखला क्षमता का निर्माण किया जा चुका है ताकि पोलियो और अन्य ईपीआई वैक्सिनों का स्टॉक रखा जा सके।

विवरण

22 अगस्त, 2012 तक वर्ष 2012-13 के लिए आपूर्तित नेमी वैक्सीन

(मात्रा लाख खुराकों)

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	टी-ओपीवी	डीपीटी	खसरा	बीसीओ	हेपटर. बी	टीटी	पैंटावैलैंट
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	32.00	20.60	12.00	16.00	1736	20.36	
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.50	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	
3.	असम	22.00	5.50	000	541	10.50	5.00	
4.	बिहार	76.00	45.00	35.00	32.00	32.68	13.00	
5.	छत्तीसगढ़	14.30	13.50	8.50	5.30	5.50	6.00	
6.	दिल्ली	8.50	0.00	1.00	2.00	2.00	0.00	
7.	गोवा	0.50	0.00	0.10	0.10	0.10	0.25	
8.	गुजरात	39.00	0.00	6.00	12.50	18.50	3.00	
9.	हरियाणा	14.00	13.00	6.00	6.20	7.50	8.50	
10.	हिमाचल प्रदेश	7.00	3.00	2.00	1.60	2.50	3.00	
11.	जम्मू और कश्मीर	7.50	4.00	4.50	1.50	0.00	5.00	
12.	झारखंड	22.00	19.50	1.97	12.00	14.50	12.00	
13.	कर्नाटक	3600	8.00	12.00	11. 30	6.50	14.37	
14.	केरल	19.00	4.50	0.00	4.20	0.00	0.00	23.72
15.	मध्य प्रदेश	55.00	33.00	14.00	15.00	23.50	11.00	
16.	महाराष्ट्र	58.00	31.45	18.00	21.00	23.29	23.74	
17.	मणिपुर	0.4	0.50	0.60	0.45	025	000	
18.	मेघालय	1.50	0.50	0.75	0.90	1.50	1.50	
19.	मिजोरम	0.75	1.25	0.30	030	1.10	0.00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
20.	नागालैंड	1.04	0.40	0.00	0.60	0.50	1.10	
21.	ओडिशा	2400	29.00	1000	9.00	7.00	6.00	
22.	पंजाब	13.50	6.50	5.00	8.70	5.00	0.00	
23.	राजस्थान	37.00	15.00	12.50	1300	12.50	16.00	
24.	सिक्किम	0.20	0.25	0.10	0.10	030	020	
25.	तमिलनाडु	33.00	17.00	12.00	9.20	1.50	7.00	37.29
26.	त्रिपुरा	0.60	1.00	0.30	0.40	0.00	1.00	
27.	उत्तर प्रदेश	103.00	55.69	53.00	50.76	26.71	00.00	
28.	उत्तराखंड	9.00	5.00	3.00	0.50	0.00	5.50	
29.	पश्चिम बंगाल	43.00	36.70	21.00	1300	800	1400	
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.10	0.12	0.10	0.00	000	0.00	
31.	चंडीगढ़	0.30	0.00	0.25	0.10	0.30	0.00	
32.	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.15	0.00	0.00	0.10	015	
33.	दमन और दीव	0.30	0.30	0.05	0.00	000	0.00	
34.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.01	0.02	0.05	
35.	पुदुचेरी	0.00	0.30	0.10	0.10	0.00	0.33	
36.	जीएमएसडी बफर							2.90
	कुल	679.04	370.71	250.12	257.43	230.21	269.05	63.91

[अनुवाद]

हरित विमानपत्तन

2253. श्री अधीर चौधरी :
श्री पी.टी. थॉमस :
श्री बलीराम जाधव :
श्री एस. सेम्मलई :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास देश में नए/हरित विमानपत्तनों के निर्माण के बड़ी संख्या में अनुरोध लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राज्य-वार, विमानपत्तन-वार वर्तमान स्थिति और अपनाए गए मानदंड क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का केरल, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में विमानपत्तन स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान इस उद्देश्य के लिए जारी निधियों का परियोजना-वार ब्यौरा क्या है;

(च) क्या इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन में अत्यधिक विलंब हो रहा है; और

(छ) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं और इनके शीघ्र कार्यान्वयन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) से (घ) विमान यात्रियों की संख्या में भारी वृद्धि को देखते हुए और विमानपत्तन सेक्टर में और अधिक निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए, सरकार ने अप्रैल, 2008, में ग्रीन फील्ड हवाईअड्डों के लिए एक नीति की घोषणा की। इस नीति के अनुसार एयरपोर्ट का विकास करने की मांग करने वाले प्रोमोटर, राज्य सरकार सहित, को प्रस्ताव संचालन समिति के विचारार्थ सरकार को प्रस्तुत करना होगा। नियामक एजेंसियों से पूर्व व्यवहार्यता अध्ययन रिपोर्ट, साइट क्लीयरेंस आदि प्राप्त करने के सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद "सिद्धांत रूप में" अनुमोदन प्रदान करने के एिल संचालन समिति द्वारा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की स्थापना के आवेदन पर विचार किया जाता है।

अब तक भारत सरकार ने गोवा में मोपा, महाराष्ट्र में नवी मुम्बई, शिरडी और सिंधु दुर्ग; कर्नाटक में शिमोगा, गुलबर्गा, हासन और बीजापुर; केरल में कन्नूर, पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर, सिक्किम में पेक्योंग; मध्य प्रदेश में दतिया/ग्वालियर (कार्गो), उत्तर प्रदेश में कुशीनगर, पुदुचेरी में कराईकल में ग्रीनफील्ड एयरपोर्टों की स्थापना के लिए "सिद्धान्त रूप में" अनुमोदन प्रदान किया है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार को उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नौएडा; कर्नाटक में बेलारी; हरियाणा में रोहतक, गुजरात में धोलेरा तथा द्वारका; राजस्थान में अलवर; अरुणाचल प्रदेश में ईटानगर; पंजाब में लुधियाना क्षेत्र; आंध्र प्रदेश में प्रकाशम जिला; केरल में अर्नामुला-पाथनमथिट्टा जिला और इदुक्की; झारखंड में जमशेदपुर; असम में रूमारी गांव; तमिलनाडु में नागापट्टीनम और महाराष्ट्र में शोलापुर तथा महाराष्ट्र में अमरावर्ती में ग्रीनफील्ड एयरपोर्टों की स्थापना के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

(ङ) से (छ) ग्रीनफील्ड विमानपत्तन नीति के अनुसार, भूमि **अधिग्रहण, विमानपत्तन परियोजना के वित्त पोषण आदि सहित परियोजना** विकास की आवश्यक कार्रवाई, संबंधित विमानपत्तन प्रोमोटरों द्वारा की जाती है। विमानपत्तन परियोजनाओं के निर्माण की समय-सीमा कई कारकों पर निर्भर करती है जैसे अलग-अलग प्रचालकों द्वारा भूमि अधिग्रहण, अनिवार्य क्लीयरेंस की उपलब्धता, वित्तीय क्लोज़र आदि।

[हिन्दी]

भारतीयों की विदेश में मृत्यु

2254. श्री कमल किशोर "कमांडो" :
श्री सुरेश अंगड़ी :
श्री पोन्नम प्रभाकर :

क्या **प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों, विशेषकर मध्य-पूर्व के देशों में धोखाधड़ी से भेजे गए भारतीय मूल के लोगों की मृत्यु की घटनाओं में हाल में बढ़ोतरी हुई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी देश-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने इन देशों में भारतीय कामगारों को काम की जिन अत्यधिक कठिन दशाओं का सामना करना पड़ता है, उस ओर ध्यान दिया है/की जानकारी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में लोगों को शिक्षित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/प्रस्तावित हैं?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री, पृथ्वी विज्ञान मंत्री तथा प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि) : (क) और (ख) मध्यपूर्व देशों के भारतीय मिशनों ने रिपोर्ट किया है कि उन्हें, उन व्यक्तियों की मृत्यु के बारे में जानकारी नहीं है, जिन्हें धोखाधड़ी से उन देशों में भेजा गया था। तथापि, भारतीयों, जिनकी मृत्यु इन देशों में हुई है, के आंकड़े नीचे दिए गए अनुसार हैं—

देश	2009	2010	2011	2012 (जुलाई तक)
1	2	3	4	5
सऊदी अरब	1729	1855	1954	437

1	2	3	4	5
कुवैत	458	453	459	उपलब्ध नहीं
यूएई	1688	1498	1307	435 (मई तक)
ओमान	543	539	522	248 (मई तक)
कतर	262	233	239	उपलब्ध नहीं
बहरीन		1042		
लीबिया	15	27	08	02
लेबनान	शून्य	06	07	01
सीरिया	08	08	09	08

(ग) समय-समय पर, भारतीय उत्प्रवासियों से, वेतन का भुगतान न करना/देर से करना, वीजा का नवीनीकरण न कराना, और रहने की असंतोषजनक स्थितियां; और चिकित्सकीय इलाज, संविदा के दो वर्ष पूरे हो जाने पर छुट्टी अथवा हवाई टिकट देने से मना करना, से संबंधित शिकायतें प्राप्त होती हैं।

(घ) जब कभी कोई शिकायत प्राप्त होती है, तो मंत्रालय द्वारा संबंधित भारतीय मिशन को मामले की जांच करने के लिए कहते हुए कार्यवाही शुरू की जाती है। यदि आवश्यकता हो, तो भर्ती एजेंट के पंजीकरण प्रमाण पत्र को निस्त या रद्द करने के लिए कदम उठाए जाते हैं। यदि अपेक्षित हो, तो संबंधित भर्ती एजेंट के विरुद्ध अपेक्षित कानूनी कार्रवाही भी शुरू की जाती है। अवैध एजेंटों के विरुद्ध दाखिल की गई शिकायतों को राज्य सरकारों को संदर्भित कर दिया जाता है। जब किसी विदेशी नियोक्ता के विरुद्ध शिकायत होती है, तो ऐसे नियोक्ता को काली सूची में डालने की प्रक्रियाएं शुरू की जाती है। भारतीय मिशन, कामगारों के कल्याण की सुरक्षा के लिए, इन मामलों को विदेशी नियोक्ताओं/स्थानीय सरकारों के साथ भी उठाते हैं।

सरकार ने प्रवासी भारतीय कामगारों के कल्याण की सुरक्षा के लिए कई पहलें की हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ शामिल हैं–

(i) भावी उत्प्रवासियों को वैध उत्प्रवास प्रक्रियाओं, अवैध उत्प्रवास के जोखिमों और उत्प्रवास के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में शिक्षित करने के लिए मीडिया के माध्यम से एक राष्ट्रव्यापी जागरूकता-सह-प्रचार अभियान चलाया जाता है।

(ii) मंत्रालय ने भर्ती एजेंटों (आरएज) की पात्रता मानदंड को संशोधित करते हुए और सुरक्षा राशि और सेवा प्रभारों को बढ़ाते हुए, 9 जुलाई, 2009 को उत्प्रवास (संशोधन) नियम, 2009 को अधिसूचित किया है।

(iii) मंत्रालय ने विपत्ति में पड़े भारतीय कामगारों को यथास्थान समर्थन और वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सभी भारतीय मिशनों में भातरीय समुदाय कल्याण कोष (आईसीडब्ल्यूएफ) की स्थापना की है।

(iv) सरकार ने प्रवासी कामगार स्रोत केंद्र (ओडब्ल्यूआरसी) की स्थापना की है, जो भावी उत्प्रवासियों के साथ-साथ उत्प्रवासियों को, उत्प्रवास के सभी पहलुओं पर प्रामाणिक सूचना प्रदान करने के लिए 8 भाषाओं में एक 24x7 टेलीफोन हेल्पलाइन है।

(v) भारतीय कामगारों की आपातकालीन आवश्यकताओं की देखभाल करने के लिए दुबई में भारतीय कामगार स्रोत केंद्र (आईडब्ल्यूआरसी) भी कार्य कर रहा है।

(vi) भारत ने भारतीय कामगारों के हितों की रक्षा के लिए 1980 में जार्डन और कतर के साथ श्रम करारों पर हस्ताक्षर किए हैं। दिसंबर, 2006 में संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के साथ, अप्रैल, 2007 के कुवैत के साथ, नवंबर, 2008 में ओमान के साथ, जनवरी, 2009 में मलेशिया के साथ और जून, 2009 में बहरीन के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए।

नवंबर, 2007 में भारत और कतर के बीच मौजूदा श्रम करार पर एक अतिरिक्त प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए।

ये समझौता ज्ञापन उत्प्रवास के प्रबंधन और मजदूरों के कल्याण की सुरक्षा में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाते हैं। इन समझौता ज्ञापनों के अंतर्गत, संयुक्त कार्य दलों (जेडब्ल्यूजी) का गठन किया गया है, जो द्विपक्षीय श्रम मामलों को हल करने के लिए नियमित रूप से मिलते हैं।

(vii) इसके अतिरिक्त, सरकार ने 17 ईसीआर अधिसूचित देशों में उत्प्रवास करने के लिए ईसीआर (उत्प्रवास जांच अपेक्षित)

श्रेणी की महिला कामगारों की सुरक्षा और कल्याण के संरक्षण के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं—

(1) सभी भावी महिला कामगारों के संबंध में 30 वर्ष की न्यूनतम आयु सीमा को अनिवार्य बना दिया गया है।

(2) ऐसी सभी महिलाओं के संबंध में रोजगार संविदा भारतीय मिशन द्वारा विधिवत अनुप्रमाणित होनी चाहिए।

(3) महिला घरेलू कामगारों को विदेशी नियोक्ता की पहचान और संविदा के निबंधन और शर्तों को भारतीय मिशन से अनुप्रमाणित कराने के बाद ही उत्प्रवास करने की अनुमति है।

(4) नियोक्ता द्वारा प्रत्येक महिला घरेलू कामगार को एक प्रीपेड मोबाइल सुविधा अवश्य प्रदान की जानी चाहिए।

(5) एक महिला घरेलू कामगार की भर्ती करने वाले विदेशी नियोक्ता को, भारतीय मिशन के पास 2500 डॉलर की सुरक्षा राशि जमा कराना अपेक्षित है।

ताप-विद्युत परियोजनाएं

2255. श्री मकनसिंह सोलंकी :
श्री रमेश विश्वनाथ काट्टी :
श्री समीर भुजबल :
श्री दिलीप सिंह जूदेव :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों की सरकारों से नई ताप-विद्युत और गैस-आधारित परियोजनाओं की स्थापना हेतु प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार और परियोजना-वार कितने प्रस्ताव विचाराधीन हैं, कितने प्रस्ताव अस्वीकृत किए गए और कितनों को स्वीकृति प्रदान की गई है; और

(ग) केंद्र सरकार द्वारा इन लंबित प्रस्तावों का निपटान कब तक किए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल) : (क) चूंकि ताप विद्युत परियोजनाओं के लिए केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति विद्युत अधिनियम, 2003 के अधिनियम के बाद अपेक्षित नहीं होती है, इसलिए प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) उपुर्यक्त (क) के उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

बांग्लादेश से अवैध प्रवसन

2256. श्री चंद्रकांत खैरे : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बांग्लादेश ने भारत में बांग्लादेशवासियों के अवैध प्रवसन को आधिकारिक तौर पर अस्वीकार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस बारे में दोनों देशों के मध्य द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर करने सहित इस मुद्दे के समाधान हेतु सरकार द्वारा उठाए गए/प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर) : (क) से (ग) बांग्लादेश से अवैध प्रवसन के मामले पर सुरक्षा संबंधी संयुक्त कार्य समूह सहित संगत द्विपक्षीय बैठकों, सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) तथा बार्डर गार्ड बांग्लादेश (बीजीबी) के बीच महानिदेशक स्तरीय वार्ता, गृह सचिव स्तरीय वार्ता तथा गृह मंत्री स्तरीय परामर्शों में नियमित रूप से चर्चा की गई है। भारत तथा बांग्लादेश ने दोनों देशों के सीमा रक्षक बलों के बीच सहयोग बढ़ाने तथा सीमा पार करने की गैर-कानूनी घटनाओं से उत्पन्न मुद्दों का समाधान करने के लिए जुलाई, 2011 में समन्वित सीमा प्रबंधन योजना सहित कई तंत्र संस्थापित किए हैं। दोनों पक्ष सीमा के साथ-साथ संवेदनशील मार्गों की पहचान करने तथा सीमा के दोनों ओर गैर-कानूनी आवाजाही सहित गैर-कानूनी गतिविधियां रोकने के लिए उचित उपाय करने में भी सहयोग कर रहे हैं।

अधिक विद्युत ड्रा करना

2257. श्री वैजयंत पांडा : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय अथवा क्षेत्रीय लोड डिस्पैच केन्द्रों को निर्धारित मात्रा से अधिक बिजली ड्रा करने वाले राज्यों की बिजली बंद करने का अधिकार है।

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ग्रिड से निर्धारित मात्रा से अधिक बिजली ड्रा करने पर जुर्माने का कोई प्रावधान है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन विभिन्न राज्यों, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार का ब्यौरा क्या है जिन्होंने उक्त जुर्माना अभी तक नहीं दिया है; और

(ङ) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं कि ऐसी घटनाएं भविष्य में घटित न हों?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल) : (क) और (ख) ग्रिड से विभिन्न क्षेत्रों/राज्यों द्वारा कार्यक्रम के संदर्भ में विद्युत की निकासी की निगरानी और विनियमन इंडियन इलैक्ट्रिसिटि ग्रिड कोड (आईईजीसी) में सीईआरसी द्वारा निर्धारित प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रीय भार डिस्पैच केन्द्र (एनएलडीसी)/क्षेत्रीय भार डिस्पेच केन्द्रों (आरएलडीसी) द्वारा किया जाता है। आईईजीसी के खंड 2.3.1(4) के अनुसार, आरएलडीसी ऐसे निर्देश दे सकते हैं और ऐसे पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण कर सकते हैं जो ग्रिड प्रचालनों के स्थायित्व को सुनिश्चित करने और उसके नियंत्रण के अंतर्गत क्षेत्र में आने वाले विद्युत प्रणाली के प्रचालन में अधिकतम मितव्ययिता और दक्षता प्राप्त करने के लिए अपेक्षित हों।

राज्य मुख्यत: अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत प्रत्यक्ष रूप से अथवा डिस्काम के माध्यम से उपभोक्ता भार को पूरा करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। सीईआरसी भारतीय विद्युत ग्रिड कोड विनियम, 2010 के खंड 5.4 में एसएलडीसी द्वारा मांग प्रबंधन की व्यवस्था की गई है और आईईजीसी के खंड 5.4.2 में एसएलडीसी द्वारा मांग विच्छेद की व्यवस्था की गई है।

(ग) विद्युत अधिनियम, 2003 की धाराओं 29, 142, और 143 के अंतर्गत आईईजीसी के प्रावधानों या आरएलडीसी द्वारा जारी निर्देशों के उल्लंघन होने पर ग्रिड से विद्युत की अतिरिक्त निकासी हेतु दंड का प्रावधान है।

(घ) यह सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ङ) क्षेत्रीय भार डिस्पैच केन्द्र (आरएलडीसी) सीईआरसी के समक्ष ग्रिड अनुशासन के उल्लंघन के लिए उत्तरदायी राज्यों के विरुद्ध विद्युत अधिनियम, 2003 की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत याचिकाएं दाखिल करते हैं। आईईजीसी 2010 के अंतर्गत प्रावधान करती हैं। सीईआरसी ने ग्रिड का अनुशासन भंग करने के लिए राज्यों/इकाइयों/घटकों के विरुद्ध कार्रवाई का आदेश दिया है और कुछ मामलों में, दंड भी लगाए हैं।

दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961

2258. श्री अशोक तंवर : क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दहेज प्रतिषेध अधिनियम को अंतिम रूप में तैयार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इसे अंतिम रूप कब तक दिए जाने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार ने नोट किया है कि उक्त अधिनियम के प्रावधानों का निरंतर दुरुपयोग हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा उक्त अधिनियम को सही अर्थ में लागू करने और उक्त अधिनियम का दुरूपयोग करके निर्दोष लोगों की प्रताड़ना को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए है। उठाने का प्रस्ताव है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ) : (क) और (ख) दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 दिनांक 1.7.1961 से लागू है।

(ग) से (ङ) दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 के दुरुपयोग के आरोप से संबंधित कुछेक शिकायतें/अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। ये प्रमुख रूप से भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 498-क का प्रयोग करते हुए, पति तथा परिवार के अन्य सदस्यों की प्रताड़ना के आरोप से संबंधित हैं।

भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 498क के दुरुपयोग के आरोपों को समाप्त करने के उद्देश्य से, गृह मंत्रालय ने महिला और बाल विकास मंत्रालय के परामर्श से 20 अक्तूबर, 2009 को

सभी राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को, डी.के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (सीआरआई-सीडब्ल्यूपी संख्चया 539/86) के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित की गई प्रक्रिया का अनुपालन करने का सुझाव जारी किया और यह कि वैवाहिक विवदों के मामलों में पहला चरण प्रतिद्वन्दी पति-पत्नी के बीच सुलह तथा बीच-बचाव होना चाहिए और धारा 498-क के तहत आरोप दायर तब करना चाहिए जहां ऐसी सुलह विफल हो जाती है और जहां धारा 498-क तथा अन्य कानूनों के तहत प्रथम दृष्ट्या मामला प्रतीत होता है।

इसके अतिरिक्त, राज्य सभा याचिका समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ अपनी 140वीं रिपोर्ट में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 498-क के दुरुपयोग को रोकने के लिए राज्य सरकारों द्वारा किए जाने वाले प्रभावी उपायों की सिफारिश की। ये सिफारिशें गृह मंत्रालय द्वारा दिनांक 16 जनवरी, 2012 की सलाह के माध्यम से सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशशसनों के संज्ञान में इस अनुरोध के साथ ला दी थी कि माननीय राज्य सभा की याचिका समिति द्वारा की गई टिप्पणियों/सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए कारगर उपाय किए जाएं।

नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन के क्षेत्र में सरकारी उपक्रम

2259. श्री नित्यानंद प्रधान : क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड (गेल) सहित कुछ सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों ने सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और अन्य प्रकार की हरित-ऊर्जा के उत्पादन में रुचि दिखाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ओडिशा सहित देश के अन्य राज्यों में ऐसी ऊर्जा के हरित दोहनार्थ सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और निजी क्षेत्र को दिए गए या प्रस्तावित प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा देश में प्रदूषण को नियंत्रित करने के उद्देश्य से मोबाइल-टॉवरों में हरित-ऊर्जा के प्रयोग हेतु क्या कार्ययोजना है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (डॉ. फारूख अब्दुल्ला) : (क) जी, हां। गेल सहित कई लोक उपक्रमों ने विशेष रूप से पवन और सौर ऊर्जा में, हरित ऊर्जा के उत्पादन में रुचि दिखाई है।

(ख) देश में गेल द्वारा 114 मेगावाट सहित विभिन्न लोक उपक्रमों द्वारा सकल रूप से 1135 मेगावाट की विद्युत परियोजनाएं संस्थापित की गई हैं। इन परियोजनाओं की सूची संलग्न विवरण-I में दी गई है। इन लोक उपक्रमों ने देश में 27 मेगावाट की समग्र क्षमता की सौर विद्युत परियोजनाएं भी स्थापित की हैं, जिनका ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) भारत सरकार विद्युत की बिक्री के माध्यम से परियोजनाओं से प्राप्त राजस्व पर 10 वर्षों के करावकाश के अतिरिक्त वित्तीय और राजकोषीय प्रोत्साहनों जैसे कि ब्याज सब्सिडी/उत्पादन आधारित प्रोत्साहन, त्वरित मूल्यह्रास, शून्य/रियायती उत्पाद और सीमा शुल्कों आदि के मिश्रण के माध्यम से मुख्य रूप से निजी निवेश के साथ विभिन्न अक्षय ऊर्जा स्रोतों से विद्युत के उत्पादन हेतु परियोजनाओं को प्रोत्साहन दे रही है। बहुत से राज्यों में अक्षय विद्युत की खरीद हेतु अधिमान्य शुल्क दरें भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। लोक उपक्रमों द्वारा स्थापित सौर विद्युत परियोजनाओं के विशिष्ट मामले में दिए गए प्रोत्साहनों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(घ) सरकार ने हरित दूरसंचार की पहुंच पर टीआरएआई की अनुशंसाएं मानी हैं और अक्षय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों और ऊर्जा दक्ष उपकरण के प्रयोग के माध्यम से कार्बन उत्सर्जन में वांछित कमी को प्राप्त करने हेतु व्यापक दिशा-निर्देश और लक्ष्य रखकर दूर संचार क्षेत्र में तद्नुसार हरित ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाने का निर्णय लिया है। इस संदर्भ में दूर संचार विभाग ने दिनांक 23.01.2012 को लाइसेंसधारियों को तत्काल प्रभावी से कार्यान्वियन हेतु दिशा-निर्देश जारी किए गए। अन्य बातों के साथ-साथ इन दिशा-निर्देशों में यह शर्त है कि वर्ष 2015 तक हाइब्रिड विद्युत (अक्षय ऊर्जा प्रौद्योगिकियां + ग्रिड विद्युत) द्वारा कम से कम सभी ग्रामीण दूरसंचार टावरों को 50% और शहरी टावरों को 20% विद्यतीकृत किया जाएगा जबकि 2020 तक ऐसी प्रणालियों से ग्रामीण टावरों को 75% और शहरी टावरों को 33% विद्युतीकृत किया जाएगा।

विवरण-I

पवन ऊर्जा के क्षेत्र में पीएसयू

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू)

क्र.सं.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का नाम
1	2
1.	गुजरात राज्य पेट्रोलियम कारपोरेशन

1	2
2.	गुजरात एल्कालीज एंड कैमिकल्स लि.
3.	गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन लि.
4.	गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर कारपोरेशन लि.
5.	गुजरात राज्य इलेक्ट्रिसिटी कंपनी
6.	गुजरात एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी
7.	गुजरात इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड
8.	गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर एंड कैमिकल लि.
9.	सूरत म्युनिसिपल कारपोरेशन
10.	चेन्नई पेट्रोलियम कारपोरेशन लि.
11.	टाइडल पार्क (तमिलनाडु इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन एंड इलेक्ट्रोनिक कारपोरेशन ऑफ तमिलनाडु लि.)
12.	तमिलनाडु न्यूजप्रिंट एंड पेपर्स लि.
13.	तमिलनाडु इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड
14.	नॉन-कान्वेंशनल एनर्जी डेवलपमेंट कारपोरेशन ऑफ आंध्र प्रदेश लि.
15.	कर्नाटक रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट लि.
16.	कर्नाटक पावर कारपोरेशन
17.	केरल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड
18.	महाराष्ट्र एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी
19.	मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लि.
20.	ओडिशा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी
21.	राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कारपोरेशन लि.
22.	राजस्थान स्टेट माइन्स एंड मिनरल्स लि.

केन्द्रीय पीएसयू

क्र.सं.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का नाम
1.	ऑयल एंड नैचूरल गैस कंपनी लि.
2.	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि.
3.	इंडियन ऑयल कारपोरेशन लि.
4.	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
5.	पीटीसी ग्रुप
6.	इंटेग्रल कोच फैक्टरी
7.	नैशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन
8.	न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन
9.	भारत अर्थ मूवर्स
10.	भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन
11.	द हट्टी गोल्ड माइन्स कारपोरेशन लि.
12.	गैस ऑथोरिटी ऑफ इंडिया लि.
13.	भारत इलेक्ट्रोनिक्स लि.
14.	टाइड वाटर ऑयल कारपोरेशन (इंडिया) लि.
15.	मैग्नीज ओर इंडिया लि.
16.	मिनरलस एंड मेटल ट्रेडिंग कारपोरेशन
17.	राष्ट्रीय एल्यूमिनियम कंपनी लि.
18.	गुजरात स्टेट फर्टिलाइजरस कारपोरेशन
19.	गुजरात एल्केलाइज एंड कैमिकल्स लि.
20.	गुजरात पावर कारपोरेशन लि.
21.	गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कारपोरेशन लि.

विवरण-II

जेएनएनएसएम की विभिन्न स्कीमों के तहत पीएसयू/सरकारी कंपनियों द्वारा स्थापित की जा रही ग्रिड सम्बद्ध सौर विद्युत परियोजनाओं के ब्यौरे

क्र. सं.	राज्य	परियोजना विकासकर्त्ता	क्षमता	स्थल	स्कीम	दिया गया प्रोत्साहन
1	2	3	4	5	6	7
1.	महाराष्ट्र	महाराष्ट्र स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी लि., मुम्बई	1	चंदरपुर, एसटीपीएस, चंदरपुर, महाराष्ट्र	ग्रिड इंटरएक्टिव सौर पीवी विद्युत उत्पादन पर प्रदर्शन कार्यक्रम	निम्नलिखित का अंतर (i) परियोजना विकासकर्त्ता और राज्य यूटीलिटी के बीच पीपीए के अनुसार शुल्क दर; और (ii) 12 रु. प्रति यूनिट के अधिकतम उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (जीबीआई) के अध्यधीन जीबीआई के रूप में 15 रु. प्रति यूनिट की सैद्धांतिक शुल्क दर।
2.	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बंगाल ग्रीन एनर्जी डेवलपमेंट कारपोरेशन लि., कोलकाता	1	सिबपुर पावर स्टेशन ऑफ डीपीएससी लि. ब्लॉक जमुरिया, आसनसोल, पश्चिम बंगाल		
3.	कर्नाटक	कर्नाटक पावर कारपोरेशन लि., बंगलूरु	1	गांव यापलादिन्नी, जिला — रायचुर कर्नाटक	टेल एंड ग्रिड सम्बद्ध सौर पीवी विद्युत संयंत्रों पर प्रदर्शन	संयंत्र की पूंजीगत लागत का 50% पूंजीगत सब्सिडी के रूप में भुगतान किया गया।
4.	पंजाब	पंजाब एनर्जी डेवलपमेंट एर्जेसी, चंडीगढ़	1	गांव फुलोखरी, जिला भटिंडा, पंजाब		
5.	राजस्थान	राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कारपोरेशन लि., जयपुर	1	गांव फागी, दक्षिण, तहसील फागी, जिला जयपुर, राजस्थान		
6.	आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कारपोरेशन लि.	1	इंडस्ट्रियल पार्क, गूटी, जिला अनन्तपुर, आंध्र प्रदेश	रूफटॉप पीवी और लघु सौर विद्युत उत्पादन कार्यक्रम.	निम्नलिखित का अंतर (i) 17.91 रु. प्रति यूनिट की सीईआरसी/एसईआरसी शुल्क दर, जो भी कम है; और (ii) 5.50 रु. की आधार दर (वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए), जिसे प्रतिवर्ष 3% बढ़ा दिया जाएगा, का भुगतान उत्पादन
7.	आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश पावर जेनरेशन कारपोरेशन लि.	1	जुराला हाइड्रो इलैक्ट्रिक स्कीम, जिला महबूबनगर, आंध्र प्रदेश		

1	2	3	4	5	6	7
						आधारित प्रोत्साहन के रूप में किया जा रहा है।
8.	महाराष्ट्र	महाराष्ट्र स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी लि, मुम्बई	4	चंदरपुर एसटीपीएस, चंदरपुर, महाराष्ट्र	एनवीवीएन के माध्यम से जेएनएनएसएम को ग्रिड सौर विद्युत परियोजन्राओं के हस्तांतरण पर स्कीम	हस्तांतरण स्कीम के तहत, भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार विद्यमान परियोजनाओं (84 मेवा.) का चयन किया गया। एनवीवीएन सौर पीवी परियोजनाओं हेतु 17.91 रु. प्रति यूनिट और सीईआरसी सौर तापीय परियोजना हेतु 15.31 रु. प्रति यूनिट की सीईआरसी द्वारा अनुमोदित शुल्क दर पर सौर विद्युत विकासकर्त्ताओं से विद्युत की खरीद कर रहा है। सौर विद्युत के प्रत्येक मेवा. को भारत सरकार के निर्णय पर एनटीपीसी स्टेशनों के अनाबंटित कोटे से तापीय विद्युत के समतुल्य मेवा. के साथ सम्मिलित किया जाता है और राज्य यूटिलिटी को बेचा जाता है।
9.	कर्नाटक	कर्नाटक पावर कारपोरेशन लि., बंगलूरु	5	गांव बेलाकावाडी, तालुक–मालावल्ली, जिला–मंडया, कर्नाटक	जेएनएनएसएम के चरण-I के तहत एनवीवीएन के माध्यम से नई ग्रिड सौर विद्युत परियोजनाओं पर स्कीम	इस स्कीम के तहत, भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार एनवीवीएन द्वारा की गई निविदा की पारदर्शी प्रक्रिया की तुलना में सीईआरसी द्वारा अनुमोदित शुल्क दर पर छूट प्राप्त करके शुल्क दर का निर्धारण किया गया है। सौर विद्युत के प्रत्येक मेवा. को भारत सरकार के निर्णय पर एनटीपीसी स्टेशनों के अनाबंटित कोटे से तापीय विद्युत के समतुल्य मेवा. के साथ सम्मिलित किया जाता है और राज्य यूटिलिटी को बेचा जाता है।
10.	राजस्थान	इंडियन ऑयल कारपोरेशन लि.	5	गांव रावरा, तहसील–मालावल्ली, जिला–मंडया, कर्नाटक		
11.	राजस्थान	गेल (इंडिया) लिमिटेड	5	गांव राघवा, तहसील–रामगढ़, जिला–जैसलमेर, राजस्थान		

[हिन्दी]

नैदानिक परीक्षणों का शुल्क

2260. **श्री अनुराग सिंह ठाकुर : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्र सरकार के अंतर्गत आने वाले सरकारी अस्पतालों, क्लीनिकों और चिकित्सा संस्थानों में किए जाने वाले स्वास्थ्य-परीक्षणों, जैसे रक्त-जांच, मूत्र-जांच, एक्स-रे और एमआरआई इत्यादि की शुल्क-दर और देश के निजी अस्पतालों में किए जाने वाले ऐसे परीक्षणों की शुल्क-दर में अत्यधिक अंतर है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार निजी अस्पतालों द्वारा लिए जा रहे इस भारी शुल्क की दर में कटौती करने या उसे सरकारी अस्पतालों की दर के बराबर लाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का आम जनता को सरकारी अस्पतालों के समान शुल्क-दर पर निजी अस्पतालों में चिकित्सा-उपचार और चिकित्सा-परीक्षण करवाने की सुविधा देने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो ऐसा कब तक किया जाएगा?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (ङ) स्वास्थ्य राज्य का विषय है और राज्यों में सरकार तथा निजी अस्पतालों द्वारा प्रभारित ऐसी जांचों की दरों की मॉनीटरिंग तथा विनियमन करना मुख्यतया राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है।

तथापि, संसद ने नैदानिक प्रतिष्ठान (पंजीकरण तथा विनियमन) अधिनियम 2010 बनाया है जो दिनांक 19.8.2010 को भारत के राजपत्र में नैदानिक प्रतिष्ठानों के पंजीकरण तथा विनियमन और उनसे संबंधित अथवा आनुषंगिक मामलों के लिए प्रकाशित किया गया है। यह अधिनियम दिनांक 01.3.2012 से अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम तथा सिक्किम राज्यों तथा सभी संघ राज्य क्षेत्रों में लागू हो चुका है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान तथा झारखंड राज्यों ने इस अधिनियम को अपना लिया है। अन्य राज्य सरकारों से इस अधिनियम को अपनाने हेतु अनुरोध किया गया है।

उपर्युक्त अधिनियम के तहत 23.05.2012 को अधिसूचित नैदानिक प्रतिष्ठान (केंद्र सरकार) नियमावली, 2012 के अनुसार, नैदानिक प्रतिष्ठान को केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों के परामर्श से समय-समय पर निर्धारित किए जाने वाली दरों के दायरे के भीतर प्रत्येक प्रकार की क्रियाविधियों एवं सेवाओं हेतु दरों को प्रभारित करने के लिए अधिदेश प्राप्त है।

[अनुवाद]

डॉक्टरों के रिक्त पद

2261. **श्री रामकिशुन : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विशेषकर दिल्ली के केन्द्र सरकार के अधीन अस्पतालों में स्टॉफ-नर्सों, डॉक्टरों, कंसल्टेंटों और पैरामेडिक्स के कितने पद रिक्त पड़े हैं;

(ख) कुल रिक्त पदों में से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित पदों की संख्या अस्पताल-वार कितनी है और ऐसी कितनी बकाया रिक्तियां हैं; और

(ग) सरकार का रिक्त पड़े इन पदों पर भर्ती करके इन्हें कब तक भरने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

प्रवासी भारतीय दिवस

2262. **श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी : क्या प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने वर्ष 2012 में 'प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन' आयोजित किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके परिणाम क्या रहे?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री, पृथ्वी विज्ञान मंत्री तथा प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री

(श्री वायालार रवि) : (क) जी, हां। मंत्रालय ने राजस्थान सरकार के साथ भागीदारी से जयपुर में 7-9 जनवरी, 2012 तक प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन आयोजित किया।

(ख) प्रवासी भारतीय दिवस, 2012 के दौरान निम्नलिखित सेमीनार आयोजित किए गए:—

(i) सौर ऊर्जा: निवेश और अनुसंधान एवं विकास;

(ii) भविष्य के लिए जल का प्रबंधन; और

(iii) स्वास्थ्य।

समवर्ती सत्र:

(i) ग्रामीण ऊर्जा पहुंच को बढ़ाना;

(ii) डायस्पोरा और विकास: टाउन हॉल ऑन यूथ कनेक्टिविटी;

(iii) खाड़ी पर सत्र; और

(iv) कन्क्लेव ऑन जेंडर।

निम्नलिखित पर पूर्ण सत्र:

(i) "आर्थिक उदारीकरण के दो दशक";

(ii) "बिजनेस सेशन ऑन पार्टनरिंग फार प्रोसपेरिटी";

(iii) "शेयर्ड कनेक्टिविटीस: मैसेज ऑफ द महात्मा"; और

(iv) "ग्लोबल इंडियन: राज्य पहलें और अवसर"।

2014 प्रतिनिधियों की रिकॉर्ड भागीदारी के साथ, जयपुर में आयोजित किया गया 10वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन पूरी तरह सफल रहा। इसनें, इसके विशाल भारतीय डायस्पोरा को एक दूसरे के साथ और भारत के साथ जोड़ने और उनकी जानकारी और सुविज्ञता को एक सामान्य मंच पर लाने के अपने उद्देश्यों को प्राप्त किया। कार्यक्रम की, इसके संगठनात्मक और वास्तविक पहलुओं के साथ-साथ वक्ताओं के चुनाव और इसके विभिन्न सत्रों में विचार-विमर्श के लिए चुने गए थीमों की प्रासंगिकता के लिए एक विशाल सफलता के रूप में प्रशंसा की गई।

बैलेंस-ऑफ-प्लांट उपकरण

2263. श्री ए.के.एस. विजयन : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ताप-विद्युत इकाइयों के निर्माण में बैलेंस-ऑफ-प्लांट (बीओपी) उपकरणों की आपूर्ति में विलंब के कारण अधिक समय लगता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान ताप-विद्युत संयंत्रों को अपेक्षित और आपूरित बीओपी उपकरणों का ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. विणुगोपाल) : (क) जी, हां। सामान्यतया ताप विद्युत परियोजनाओं के निर्माण में बैलेंस ऑफ प्लांट उपकरणों (बीओपी) की तैयारी में देरी के कारण अधिक समय लगता है, बैलेंस ऑफ प्लांट (बीओपी) की आपूर्ति में देरी के कारण नहीं।

(ख) 11वीं योजना की उन ताप विद्युत परियोजनाओं के ब्यौरे, जिनमें बैलेंस ऑफ प्लांट (बीओपी) की तैयारी के कारण देरी हुई, संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ग) ताप विद्युत संयंत्रों के निर्माण के लिए कोल हैंडलिंग प्लांट, ऐश हैंडलिंग प्लांट, कूलिंग वाटर सिस्टम, कूलिंग टावर, फ्यूल ऑयल सिस्टम, डीएम प्लांट, वाटर क्लेरिफिकेशन प्लांट, चिमनी, अग्निशमन प्रणाली, स्विचयार्ड, कम्प्रेस्ड एयर सिस्टम आदि जैसे बैलेंस ऑफ प्लांट की आवश्यकता होती है।

उन ताप विद्यत संयंत्रों के ब्यौरे, जहां पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष में उपर्युक्त बीओपी की आवश्यकता पड़ी और उनकी आपूर्ति की गई, संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

विवरण-I

11वीं योजना बीओपी के कारण देरी हुई ताप विद्युत परियोजनाएं

राज्य	परियोजना का नाम एवं इकाई संख्या	कार्यान्वयन एजेंसी	क्षमता प्राप्त (मेगावाट)	कार्यान्वयन एर्जेसी	संविदा के अनुसार चालू होने की तिथि	चालू होने वास्तविक तारीख	देरी महीनों में	देरी का कारण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ए. केन्द्रीय क्षेत्र								
छत्तीसगढ़	भीलाई टीपीपी यू-2	एनटीपीसी सेल	250	भेल	अक्तूबर-08	12 जुलाई-09	9	बीओपी एवं मुख्य संयंत्र खड़ा करने में देरी।
छत्तीसगढ़	कोरबा एसटीपीपी यू-7	एनटीपीसी	500	भेल	अप्रैल-10	26-दिसम्बर-10	8	विधि में परिवर्तन के कारण सिविल कार्यों में देरी। पुन: निविदा के कारण सीएचपी में देरी भेल द्वारा बीटीजी सामान में आपूर्ति में देरी के कारण सिविल कार्यों में देरी।
हरियाणा	इंदिरा गांधी टीपीपी यू-2	एपीसीपीएल	500	भेल	जून-11	नवम्बर-11	5	बॉटम ऐश हॉपर पूरा हुआ। कंट्रोल रूम तैयार आइडी एफडी फैन तैयार।
झारखंड	चंद्रपुरा टीपीएसएक्स यू-7	डीवीसी	250	भेल	दिसम्बर-06	4-नवम्बर-09	35	स्वीचयाड का काम देने में देरी संविदात्मक मुद्दे कानून व्यवस्था की समस्या बीओपी तैयारी में देरी।
झारखंड	चंद्रपुरा टीपीएसएक्स यू-8	डीवीसी	250	भेल	फरवरी-07	31-मार्च-10	38	मुख्य संयंत्र के पूर्जों की आपूर्ति में देरी टीजी इरेक्शन एजेंसी चुनने में देरी।
झारखंड	कोडरमा टीपीपी यू-1	डीवीसी	500	भेल	जून-10	20-जुलाई-11	14	सप्लाई बॉयलर एवं टीजी आपूर्ति में देरी।
राजस्थान	बरसिंगसर लिग्नाइट यू-1	एनएलसी	125	भेल	नवंबर-08	28-जून-10	19	सप्लाई बॉयलर एवं टीजी आपूर्ति में देरी। एएचपी तैयारी में देरी।

1	2	3	4	5	6	7	8	9
राजस्थान	बरसिंगसर लिग्नाइट यू-2	एनएलसी	125	भेल	मई-09	25-जून-11	20	पीजीसीआईएल द्वारा स्टाट अप पावर उपलब्ध होने में देरी सीएचपी एवं एएचपी तैयारी में देरी भेल द्वारा जेनरेटरों आपूर्ति में देरी।
तमिलनाडु	वल्लुर टीपीपी फेज यू-1	एनटीईसीएल	500	भेल	जून-11	मार्च-12	14	दाब पूर्जों की आपूर्ति में देरी सीएचपी तैयार नहीं।
पश्चिम बंगाल	मेजिया टीपीएस यू-6	डीवीसी	250	भेल	जनवरी-07	1-अक्तूबर-07	9	एनडीसीटी में धीमी प्रगति सामान की आपूर्ति में देरी सीएचपी तैयार नहीं स्टाट अप पावर उपलब्ध नहीं।
पश्चिम बंगाल	मेजिया टीपीएस एक्स यू-1, फेज-II	डीवीसी	500	भेल	मार्च-10	30-सितंबर-10	6	सिविल कार्यों में धीमी प्रगति। एक जीटी की आपूर्ति। एएचपी एंड टीडीबीएफपी तैयार।
पश्चिम बंगाल	मेजिया टीपीएस एक्स यू-2, फेज-II	डीवीसी	500	भेल	जून-10	26-मार्च-11	9	सीसी पंप की आपूर्ति। छूटे हुए सामान की आपूर्ति कूलिंग टावर तैयार।
पश्चिम बंगाल	फरक्का एसटीपीपी-III यू-6	एनटीपीसी	500	भेल	दिसंबर-10	23-मार्च-11	3	सीसी पंप की आपूर्ति। छूटे हुए सामान की आपूर्ति कूलिंग टावर तैयार।
पश्चिम बंगाल	दुर्गापुर स्टील टीपीएस यू-2	डीवीसी	500	भेल	अक्तूबर-10	मार्च-12	17	सीसी पंप की आपूर्ति। छूटे हुए सामान की आपूर्ति कूलिंग टावर तैयार।
बी. राज्य क्षेत्र								
आंध्र प्रदेश	रायलसीमा टीपीपी स्टे-III यू-5	एपीजेनको	210	भेल	अक्तूबर-09	31-दिसंबर-10	14	डीएम प्लांट के आदेश रखने में देरी सिविल कार्य में देरी में। बीजीआर द्वारा एमओईएफ क्लीयरेंस में देरी।
छत्तीसगढ़	कोरबा इस्ट टीपीपी स्टे-V यू-2	जीएसईसीएल	250	भेल	मार्च-07	11-दिसंबर-07	9	सीएचपी, एएचपी और डीएम प्लांट के पूरा होने में देरी। मजदूर की कमी।
दिल्ली	प्रगति सीसीजीटी-III जीटी-1, ब्लॉक-I	पीपीसीएल	250	भेल	मार्च-10	24-अक्तूबर-10	7	सिविल कार्य में देरी। डीएम प्लांट कंट्रोल रूम तैयार।

1	2	3	4	5	6	7	8	9
दिल्ली	प्रगति सीसीजीटी-III जीटी-2, ब्लॉक-I	पीपीसीएल	250	भेल	मई-10	16-फरवरी-11	9	शुरू में सिविल कार्य में देरी। डीएम प्लांट कंट्रोल रूम तैयार।
दिल्ली	प्रगति सीसीजीटी-III एसटी-1	पीपीसीएल	250	भेल	जुलाई-10	फरवरी-12	19	सिविल कार्य में देरी डीएम। एक्सल सिफ्टिंग में देरी।
गुजरात	कच्छ लिग यू-4	जीएसईसीएल	75	भेल	सितंबर-06	1-अक्तूबर-09	37	बीओपी आदेश रखने में देरी। मुख्य संयंत्र इरेक्शन में देरी।
गुजरात	बेल्लारी टीपीपी यू-1	केपीसीएल	500	भेल	मार्च-07	3-दिसंबर-07	8	सामान की आपूर्ति में देरी। सीएचपी एएचपी पूरा होने में देरी। मजदूर की कमी।
कर्नाटक	बेल्लारी टीपीपी स्टे-II यू-2	केपीसीएल	500	भेल	जनवरी-11	मार्च-12	14	सीएचपी तैयारी में देरी कोल बंकर्स एवं मिल्स तैयारी में देरी।
कर्नाटक	रायचुर टीपीएस यू-8	केपीसीएल	250	भेल	सितंबर-09	26-जून-10	9	सिविल कार्य में देरी टीजी इरेक्शन में देरी सीएचपी एएचपी पूरा होने में देरी।
मध्य प्रदेश	संजय गांधी टीपीएस एक्स यू-III 5	एमपीपीजीसीएल	500	भेल	सितंबर-06	18-जून-07	10	बीओपी आदेश रखने में देरी।
महाराष्ट्र	खापरखेरा टीपीएस एक्स यू-5	एमपीपीजीसीएल	500	भेल	मई-10	अगस्त-11	15	सीएचपी एएचपी पूरा होने में देरी।
महाराष्ट्र	भुसावल टीपीएस एक्स यू-4	एमपीपीजीसीएल	500	भेल	सितंबर-10	मार्च-12	18	चिमनी टूटने से देरी। सीएचपी एएचपी पूरा होने में देरी।
महाराष्ट्र	भुसावल टीपीएस एक्स यू-5		500	भेल	जनवरी-11	मार्च-12	14	सामान की आपूर्ति में देरी। सीएचपी एएचपी पूरा होने में देरी। मजदूर की कमी।
पंजाब	जीएच टीपीएस-II यू-3	पीएसईबी	250	भेल	अक्तूबर-06	3-जनवरी-08	15	सामान की आपूर्ति में देरी। सीएचपी एएचपी पूरा होने में देरी। मजदूर की कमी।
पंजाब	जीएच टीपीएस-II यू-4	पीएसईबी	250	भेल	जनवरी-07	27-जून-08	19	सामान की आपूर्ति में देरी। सीएचपी एएचपी पूरा होने में देरी। मजदूर की कमी।

1	2	3	4	5	6	7	8	9
राजस्थान	छाबरा टीपीपी यू-1	आरआरवीयूएनएल	250	भेल	नवंबर-08	30-अक्तूबर-09	12	टीजी डेस्क की डीजायन समस्या। बीओपी आदेश रखने में देरी।
राजस्थान	कोटा टीपीपी यू-7	आरआरवीयूएनएल	195	भेल	फरवरी-09	31-अगस्त-09	7	कोल मिल्स और कूलिंग टावर तैयारी में देरी।
राजस्थान	सूरतगढ़ यू-4	आरआरवीयूएनएल	250	भेल	नवंबर-08	29-अगस्त-09	10	कोल पाइपिंग और कूलिंग टावर तैयार में देरी।
उत्तर प्रदेश	हरदुआगंज टीपीएस एक्स यू-8	यूपीआरवीयूएनएल	250	भेल	अगस्त-09	सितंबर-11	25	टरबाइन इरेक्शन, राख हैंडलिंग प्रणाली कोल मिल्स।
पश्चिम बंगाल	बकरेश्वर टीपीएस-II यू-4	डब्ल्यूपीडीसीएल	210	भेल	मार्च-07	23-दिसंबर-07	10	बीओपी आदेश रखने में देरी। मजदूरी की कमी।
पश्चिम बंगाल	बकरेश्वर टीपीएस-II यू-5	डब्ल्यूपीडीसीएल	210	भेल	सितंबर-07	7-जून-09	21	बीओपी आदेश रखने में देरी। मजदूरी की कमी।
पश्चिम बंगाल	संतालडीह टीपीएस यू-5	डब्ल्यूपीडीसीएल	250	भेल	जनवरी-07	7-नवंबर-07	10	कोल पाइपिंग और कूलिंग टावर तैयारी में देरी।
पश्चिम बंगाल	संतालडीह एक्टें टीपीएस-II यू-6	डब्ल्यूपीडीसीएल	250	भेल	अगस्त-07	जून-17	22	कानून व्यवस्था की समस्या। एएचपी और सीएचपी तैयारी में देरी।
सी. निजी क्षेत्र								
झारखंड	मैथन आरबी टीपीपी यू-1	डीवीसी जेवी टाटा	525	भेल	अक्तूबर-10	जून-11	8	सीएचपी कोल फीडिंग में देरी। चिमनी में देरी।
झारखंड	मैथन आरबी टीपीपी यू-2	डीवीसी जेवी टाटा	525	भेल	अप्रैल-11	मार्च-12	11	भेल द्वारा एलपी रोट की आपूर्ति। इओटी क्रेन के एक्सटेंशन में देरी टीजी इरेक्शन शुरू। रेल कोरीडोर के लिए भूमि अधिग्रहण ट्रैक हॉपर (सीएचपी) में देरी।

विवरण-II

गत 3 वर्षों में चालू हुए ताप विद्युत केंद्र

राज्य	परियोजना का नाम	कार्योन्वयन एजेंसी	मुख्य संयंत्र के मशीनों के आपूर्तिकर्त्ता	इकाई संख्या	क्षमता (मेगावाट)	वास्तविक चालू होने की तिथि
1	2	3	4	5	6	7
वर्ष 2009-10						
	केन्द्रीय क्षेत्र					
बिहार	कहलगांव स्टे-2, फेज-2	एनटीपीसी	भेल	यू-7	500	31.07.09
छत्तीसगढ़	भीलाई टीपीपी एक्सटें	एनएसपीसीएल	भेल	यू-2	250	12.07.09
झारखंड	चंद्रपुरा टीपीएस एक्सटें	डीवीसी	भेल	यू-7	250	04.11.09
			भेल	यू-8	250	31.03.10
उत्तर प्रदेश	एनसीपी प्रोजेक्ट स्टे-II, यू-5	एनटीपीसी	भेल	यू-5	490	29.01.10
	कुल केन्द्रीय क्षेत्र				1740	
	राज्य क्षेत्र					
आंध्र प्रदेश	विजयवाड़ा टीपीपी-IV	एपीजेनको	भेल	यू-1	500	08.10.09
गुजरात	कच्छ लिंग टीपीएस यूएक्सटें	जीएसईसीएल	भेल	यू-4	75	01.10.09
गुजरात	उतरान सीसीपीपी एक्सटें	जीएसईसीएल	अन्य	जीटी	240	08.08.09
			अन्य	एसटी	134	10.10.09
हरियाणा	राजीव गांधी टीपीपी	एचपीजीसीएल	चीन	यू-1	600	31.03.10

1	2	3	4	5	6	7
महाराष्ट्र	नई पार्ली टीपीपी	एमएसपीजीसीएल	भेल	यू-2	250	10.02.10
महाराष्ट्र	पारस टीपीएस एक्सटें यू-2	एमएसपीजीसीएल	भेल	यू-2	250	27.03.10
राजस्थान	छाबरा टीपीएस	आरआरवीयूएनएल	भेल	यू-1	250	30.10.09
राजस्थान	गिराल लिग-II	आरआरवीयूएनएल	भेल	यू-2	125	06.11.09
राजस्थान	कोटा टीपीपी	आरआरवीयूएनएल	भेल	यू-7	195	31.08.09
राजस्थान	सुरतगढ़ टीपीपी	आरआरवीयूएनएल	भेल	यू-6	250	29.08.09
पश्चिम बंगाल	बकरेश्वर टीपीएस	डब्ल्यूपीडीसीएल	भेल	यू-5	210	07.06.09
	कुल राज्य क्षेत्र				3079	
	निजी क्षेत्र					
आंध्र प्रदेश	गौतमी सीसीपीपी	गौतमी पावर लि.	अन्य	जीटी-1	145	03.05.09
			अन्य	जीटी-2	145	03.05.09
			अन्य	एसटी	174	03.05.09
आंध्र प्रदेश	कोनासीमा सीसीपीपी	कोनासीमा गैस पावर लि.	अन्य	जीटी-1	140	01.05.09
			अन्य	जीटी-2	140	01.05.09
आंध्र प्रदेश	लैंकोकोडापल्ली फेज-II (जीटी)	लैंको कोंडापल्ली	अन्य	जीटी	233	05.12.09
छत्तीसगढ़	लैंको अमरकंटक टीपीएस फेज-1, यू-1	लैंको कोंडापल्ली	चीन	यू-1	300	04.06.09
छत्तीसगढ़	लैंको अमरकंटक टीपीएस फेज-1, यू-2	लैंको कोंडापल्ली	चीन	यू-2	300	26.03.10

1	2	3	4	5	6	7
गुजरात	मुंद्रा टीपीपी फेज-1 (यू-1, 2)	अदानी पावर लि.	चीन	यू-1	330	04.08.09
			चीन	यू-2	330	17.03.10
गुजरात	सुजेन सीसीपीपी (अखलोली)	टोरेंट पावर जेन लि.	चीन	ब्लॉक-II	382.5	07.05.09
			चीन	ब्लॉक-III	382.5	08.06.09
कर्नाटक	तोरांगलू टीपीपी	जेएसडब्ल्यू एनजी (विजयनगर)	चीन	यू-1	300	27.04.09
			चीन	यू-2	300	24.08.09
राजस्थान	जलिपा कपूर्डी टीपीपी	राज वेस्ट	चीन	यू-1	135	16.10.09
उत्तर प्रदेश	रोजा टीपीपी फेज-1	रोजा पावर	चीन	यू-1	300	10.02.10
पश्चिम बंगाल	बज बज-III	सीईएससी	भेल	यू-3	250	29.09.09
	कुल निजी क्षेत्र				4287	
	कुल कमीशंड 2009-10				9106	
वर्ष 2010-11						
	केन्द्रीय क्षेत्र					
आंध्र प्रदेश	सिम्हाद्री एसटीपीपी एक्सपैं	एनटीपीसी	भेल	यू-3	500	31.03.11
छत्तीसगढ़	कोरबा एसटीपीपी	एनटीपीसी	भेल	यू-7	500	26.12.10
हरियाणा	इंदिरा गांधी टीपीपी	एपीसीपीएल	भेल	यू-1	500	31.10.10
राजस्थान	बरसिंगसर लि.	एनएलसी	भेल	यू-1	125	28.06.10
उत्तर प्रदेश	एनसीपी प्रो. स्टे-II	एनटीपीसी	भेल	यू-6	490	30.07.10

1	2	3	4	5	6	7
पश्चिम बंगाल	फरक्का एसटीपीएस-III	एनटीपीसी	भेल	यू-6	500	23.03.11
पश्चिम बंगाल	मेजिया टीपीएस एक्सटें	डीवीसी	भेल	यू-1	500	30.09.10
			भेल	यू-2	500	26.03.11
	कुल केंद्रीय क्षेत्र				3740	
	राज्य क्षेत्र					
आंध्र प्रदेश	काकतीया टीपीपी	एपीजेनको	भेल	यू-1	500	27.05.10
आंध्र प्रदेश	रायलसीमा टीपीपी स्टे-III	एपीजेनको	भेल	यू-5	210	31.12.10
दिल्ली	प्रगति सीसीजीटी-III	पीपीसीएल	भेल	जीटी-1	250	24.10.10
गुजरात	सुरत लिग टीपीपी एक्सटें	जीआईपीसीएल	भेल	यू-3	125	12.04.10
हरियाणा	राजीव गांधी टीपीएस	एचपीजीसीएल	चीन	यू-2	600	01.10.10
कर्नाटक	रायचुर यू-8	केपीसीएल	भेल	यू-8	250	26.06.10
राजस्थान	छाबरा टीपीएस	आरआरवीयूएनएल	भेल	यू-2	250	04.05.10
त्रिपुरा	बारामुरा जीटी एक्सटें	टीएसएएल	भेल	यू-5	21	03.08.10
	कुल राज्य क्षेत्र				2581	
	निजी क्षेत्र					
आंध्र प्रदेश	कोनासीमा सीसीपीपी	कोनासीमा गैस	अन्य	एसटी	165	30.06.10
आंध्र प्रदेश	लैंको कोंडापल्ली फेज-II (स्टे)	लैंको कोंडापल्ली	चीन	एसटी	133	19.07.10

1	2	3	4	5	6	7
दिल्ली	रिठाला सीसीपीपी	एनडीपीएल	अन्य	जीटी-1	35.75	09.12.10
			अन्य	जीटी-2	35.75	04.10.10
गुजरात	मुंद्रा टीपीपी फेज-I (यू-3, 4)	अदानी पावर लि.	चीन	यू-3	330	02.08.10
			चीन	यू-4	330	20.12.10
गुजरात	मुंद्रा टीपीपी फेज-II	अदानी पावर लि.	चीन	यू-1	660	26.12.10
कर्नाटक	उडपी टीपीपी	यूपीसीएल	चीन	यू-1	600	23.07.10
महाराष्ट्र	जेएसडब्ल्यू रत्नागिरी टीपीपी	जेएसडब्ल्यूएनजी	चीन	यू-1	300	24.08.10
			चीन	यू-2	300	09.12.10
महाराष्ट्र	वर्धा वरोरा टीपीपी	डब्ल्यूपीसीएल	चीन	यू-1	135	05.06.10
			चीन	यू-2	135	10.10.10
			चीन	यू-3	135	13.01.11
ओडिशा	स्टलाईट टीपीपी	स्टलाईट एनर्जी लि.	चीन	यू-1	600	14.10.10
			चीन	यू-2	600	29.12.10
राजस्थान	जलीपा कपूर्डी टीपीपी	राज वेस्ट पावर	चीन	यू-2	135	08.07.10
उत्तर प्रदेश	रोजा टीपीपी फेज-I	रोजा पावर रिलायंस एनर्जी	चीन	यू-2	300	28.06.10
	कुल निजी क्षेत्र				4929.5	
	कुल चालू 2010-11				11250.5	

1	2	3	4	5	6	7
वर्ष 2011-12						
	केंद्रीय क्षेत्र					
आंध्र प्रदेश	सिम्हाद्री एसटीपी एक्सटें	एनटीपीसी	भेल	यू-4	500	30.03.12
छत्तीसगढ़	सिपत-I	एनटीपीसी	अन्य	यू-1	660	28.06.11
			अन्य	यू-2	660	24.12.11
हरियाणा	इंदिरा गांधी टीपीपी	एपीसीपीएल	भेल	यू-2	500	05.11.11
झारखंड	कोडरमा टीपीपी	डीवीसी	भेल	यू-1	500	20.07.11
तमिलनाडु	वल्लूर टीपीपी फेज-I	एनटीईसीएल	भेल	यू-1	500	28.03.12
तमिलनाडु	नेवेली टीपीएस-II एक्सपैं	एनएलसी	भेल	यू-1	250	04.01.12
पश्चिम बंगाल	दुर्गापुर स्टील टीपीएस	डीवीसी	भेल	यू-1	500	29.07.11
			भेल	यू-2	500	23.03.12
	कुल केंद्रीय क्षेत्र				4570	
	राज्य क्षेत्र					
आंध्र प्रदेश	कोथागुडेम टीपीपी-VI	एपीजेनको	भेल	यू-1	500	26.06.11
असम	लकवा वेस्ट हीट यूनिट	एपीजीसीएल	भेल	एसटी	37.2	24.12.11
दिल्ली	प्रगति सीसीजीटी-III	पीपीसीएल	भेल	एसटी-1	250	29.02.12
गुजरात	हजीरा सीसीपीपी एक्सटें	जीएसईसीएल	भेल	जीटीएसटी	351	18.02.12
कर्नाटक	बेल्लारी टीपीएस	केपीसीएल	भेल	यू-2	500	23.03.12

1	2	3	4	5	6	7
महाराष्ट्र	भुसावल टीपीएस एक्सपैं	एमएसपीजीसीएल	भेल	यू-4	500	07.03.12
			भेल	यू-5	500	30.03.12
महाराष्ट्र	खापरखेडा टीपीएस एक्सपैं	एमएसपीजीसीएल	भेल	यू-5	500	05.08.11
उत्तर प्रदेश	हदुआगंज एक्सटें	यूपीआरवीयूएनएल	भेल	यू-8	250	27.09.11
पश्चिम बंगाल	संतालडीह टीपीपी एक्सपैं फेज-II	डब्ल्यूपीडीसीएल	भेल	यू-6	250	29.06.11
	कुल राज्य क्षेत्र				3638.2	
	निजी क्षेत्र					
आंध्र प्रदेश	सिम्हाद्री टीपीएस फेज-I	महुकोन प्रोजेक्ट लि.	चीन	यू-1	150	24.03.12(I)
छत्तीसगढ़	कसाईपल्ली टीपीपी	एसीबी इंडिया लि.	चीन	यू-1	135	13.12.11
छत्तीसगढ़	काटघोरा टीपीपी	वंदना एनजी एंड स्टील लि.	चीन	यू-1	35	14.02.12
छत्तीसगढ़	एसवी पावर टीपीपी	एसवी पावर प्रा. लि.	चीन	यू-1	63	07.12.11
दिल्ली	रिठला सीसीपीपी	एनडीपीएल	अन्य	एसटी	36.5	04.09.11
गुजरात	मुंद्रा टीपीपी फेज-II	अदानी पावर लि.	चीन	यू-2	660	20.07.11
गुजरात	मुंद्रा टीपीपी फेज-III	अदानी पावर लि.	चीन	यू-1	660	07.11.11
			चीन	यू-2	660	03.03.12
			चीन	यू-3	660	09.03.12
गुजरात	मुंद्रा यूएमपीपी	टाटा पावर कंपनी	अन्य	यू-1	800	25.02.12
गुजरात	सलाया टीपीपी	एस्सार पावर गुजरात लि.	चीन	यू-1	600	22.02.12

1	2	3	4	5	6	7
हरियाणा	झझर टीपीपी	सीएलपी पावर इंडिया प्रा. लि.	चीन	यू-1	680	12.01.12
झारखंड	मैथन आरबी टीपीपी	डीवीसी	भेल	यू-1	525	30.06.11
			भेल	यू-2	525	23.03.12(ए)
कर्नाटक	उडपी टीपीपी	यूपीसीएल	चीन	यू-2	600	17.04.11
महाराष्ट्र	जेएसडब्ल्यू रत्नागिरी टीपीपी	जेएसडब्ल्यू	चीन	यू-3	300	06.05.11
			चीन	यू-4	300	08.10.11
महाराष्ट्र	महान टीपीएस	अभीजित नागपुर प्रा. लि.	चीन	यू-1	61.5	09.02.1
			चीन	यू-2	61.5	09.02.12
			चीन	यू-3	61.5	09.02.12
			चीन	यू-4	61.5	09.02.12
महाराष्ट्र	वर्धा वरोरा टीपीपी	डब्ल्यूपीसीएल	चीन	यू-4	135	30.04.11
ओडिशा	स्टलाइट टीपीपी	स्टलाइट	चीन	यू-3	600	16.08.11
रास्थान	जलीपा कपूर्डी टीपीपी	राज वेस्ट	चीन	यू-3	135	02.11.11
			चीन	यू-4	135	23.11.11
उत्तर प्रदेश	अनपारा सी	लैकों अनपार प्रा. लि.	चीन	यू-1	600	15.11.11
उत्तर प्रदेश	अनपारा सी	लैकों अनपार प्रा. लि.	चीन	यू-2	600	12.11.11
उत्तर प्रदेश	बरखेरा टीपीपी	बजाज एनर्जी लि.	अन्य	यू-1	45	06.11.11
			अन्य	यू-2	45	28.01.12

1	2	3	4	5	6	7
उत्तर प्रदेश	खांबरखेड़ा टीपीपी	बजाज एनर्जी लि.	अन्य	यू-1	45	17.10.11
			अन्य	यू-2	45	28.11.11
उत्तर प्रदेश	कुंडारकी टीपीपी	बजाज एनर्जी लि.	अन्य	यू-1	45	10.01.12
			अन्य	यू-2	45	29.02.12
उत्तर प्रदेश	मकसूदपुर टीपीपी	बजाज एनर्जी लि.	अन्य	यू-1	45	03.11.11
			अन्य	यू-2	45	21.01.12
उत्तर प्रदेश	रोजा टीपीपी फेज-II	रिलायंस पावर लि.	चीन	यू-3	300	27.12.11
			चीन	यू-4	300	30.03.12
उत्तर प्रदेश	उतरौला टीपीपी	बजाज एनर्जी लि.	अन्य	यू-1	45	21.02.12
			अन्य	यू-2	45	19.03.12
	कुल निजी क्षेत्र				10870.5	
	कुल कमीशंड 2011-12				19078.7	
	सकल योग				39435.2	

2012-13 के दौरान चालू हुए ताप विद्युत केन्द्र

राज्य	परियोजना का नाम	कार्यान्वयन एजेंसी	बीटीजी आपूर्तिकर्त्ता	इकाई संख्या	क्षमता मेगावाट	वास्तविक चालू होने की तिथि	क्षमता प्राप्त
1	2	3	4	5	6	7	8
केन्द्रीय क्षेत्र							
छत्तीसगढ़	सिपत-I	एनटीपीसी	अन्य	यू-3	660	02.06.12(ए)	660
हरियाणा	इंदिरा गांधी टीपीपी	एपीसीपीएल	भेल	यू-3	500	दिसंबर-12	
झारखंड	कोडरमा टीपीपी	डीवीसी	भेल	यू-2	500	नवंबर-12	
महाराष्ट्र	मॉंदा टीपीपी	एनटीपीसी	भेल	यू-1	500	19.04.12(ए)	500
मध्य प्रदेश	विंध्याचल टीपीपी-IV	एनटीपीसी	भेल	यू-11	500	14.06.12(ए)	500
तमिलनाडु	वल्लूर टीपीपी फेज-I	एनटीईसीएल	भेल	यू-2	500	फरवरी-13	
त्रिपुरा	त्रिपुरा गैस	ओएनजीसी	भेल	मॉड्यूल-1	363.3	जुलाई-12	
उत्तर प्रदेश	रिहंद टीपीपी-III	एनटीपीसी	भेल	यू-5	500	25.05.12(ए)	500
	उप-जोड़ केंद्रीय क्षेत्र				4023.3		2160
राज्य क्षेत्र							
छत्तीसगढ़	मारवा टीपीपी	सीएसइबी	भेल	यू-1	500	जनवरी-13	
दिल्ली	प्रगति सीसीजीटी-III	पीपीसीएल	भेल	जीटी-3	250	27.06.12(ए)	250
गुजरात	उकई टीपीपी एक्सटें	जीएसईसीएल	भेल	यू-6	490	दिसंबर-12	
गुजरात	पीपावाव सीसीपीपी	जीएसईसीएल	भेल	ब्लॉक-2	351	दिसंबर-12	

1	2	3	4	5	6	7	8
मध्य प्रदेश	सतपुरा टीपीपी एक्सटें	एमपीपीजीसीएल	भेल	यू-10	250	मई-13	
राजस्थान	रामगर्ग जीटी	आरआरवीयूएनएल	भेल	जीटी	110	अक्तूबर-12	
राजस्थान	रामगर्ग एसटी	आरआरवीयूएनएल	भेल	एसटी-1	50	नवंबर-12	
तमिलनाडु	मेटूर टीपीपी एक्सटें	टीएनईबी	चीन	यू-1	600	जून-12	
तमिलनाडु	नौर्थ चेन्नई एक्सटें यू-2	टीएनईबी	भेल	यू-2	600	सितंबर-12	
उत्तर प्रदेश	परीछा एक्सटें	यूपीआरवीयूएनएल	भेल	यू-5	250	24.05.12(ए)	250
उत्तर प्रदेश	हरदुआगंज एक्सटें	यूपीआरवीयूएनएल	भेल	यू-9	250	25.05.12(ए)	250
उत्तर प्रदेश	परीछा एक्सटें	यूपीआरवीयूएनएल	भेल	यू-6	250	सितंबर-12	750
	उप-जोड़ राज्य क्षेत्र				3951		
	निजी क्षेत्र						
आंध्र प्रदेश	सिम्हापुरी एनर्जी प्रा. लि. फेज-I	मधुकोन प्रा. लि.	चीन	यू-2	150	02.07.12(ए)	150
आंध्र प्रदेश	थमीनापतनम टीपीपी-I	मीनाक्षी एनर्जी प्रा.लि.	चीन	यू-1	150	जून-12	
आंध्र प्रदेश	थमीनापतनम टीपीपी-I	मीनाक्षी एनर्जी प्रा.लि.	चीन	यू-2	150	सितंबर-12	
छत्तीसगढ़	कसाईपल्ली टीपीपी	मे. एसीबी लि.	चीन	यू-2	135	21.06.12(ए)	135
छत्तीसगढ़	स्वास्तिक कोरबा टीपीएस	एसीबी	नॉन-भेल	यू-1	25	सितंबर-12	
छत्तीसगढ़	वंदना विद्युत टीपीपी-छत्तीसगढ़	मे. वंदना विद्युत	चीन	यू-1	135	जनवरी-13	
गुजरात	सलाया टीपीपी	एस्सार पावर	चीन	यू-2	600	13.06.12(ए)	600
गुजरात	मुंद्रा यूएमटीपीपी	टाटा पावर	अन्य	यू-2	800	25.07.12(ए)	800

1	2	3	4	5	6	7	8
हरियाणा	झझर टीपीपी	सीएलपी पावर इंडिया	चीन	यू-2	660	11.04.12(ए)	660
झारखंड	आधुनिक पावर टीपीपी	आधुनिक पावर	चीन	यू-1	270	अगस्त-12	
झारखंड	कॉर्पोरेट पावर लि. फेज-I	कॉर्पोरेट पावर	भेल	यू-1	270	सितंबर-12	
ओडिशा	स्टलाइट टीपीपी	स्टलाइट एनर्जी लि.	चीन	यू-4	600	25.04.12(ए)	600
महाराष्ट्र	गुप्ता एनर्जी पावर लि.	गुप्ता एनर्जी पावर लि.	चीन	यू-2		28.04.12(ए)	60
महाराष्ट्र	बेला टीपीपी-I	आईईपीएल	भेल	यू-1	270	जुलाई-12	
महाराष्ट्र	बुटीबोरा टीपीपी फेज-III	विदर्भ इंडस्ट्रिज	चीन	यू-1	300	17.08.12(ए)	300
महाराष्ट्र	तिरोरा टीपीपी फेज-I	अदानी पावर	चीन	यू-1	660	जून-12	
महाराष्ट्र	एमको वरोरा टीपीपी	एमको एनर्जी लि.	चीन	यू-1	300	अक्तूबर-12	
महाराष्ट्र	तिरोरा पीपीपी-I	अदानी पावर	चीन	यू-2	660	अक्तूबर-12 फरवरी-13	
महाराष्ट्र	तिरोरा पीपीपी-II	अदानी पावर	चीन	यू-1	660	दिसम्बर-12	
मध्य प्रदेश	बिना टीपीपी	बिना पावर	भेल	यू-1	250	12.08.12(ए)	250
राजस्थान	जलीपा कपूर्डी टीपीपी	राज वेस्ट पावर लि. (जेएसडब्ल्यू)	चीन	यू-5	135	अक्तूबर-12	
	उप-जोड़ निजी क्षेत्र				7180		3555
	कुल				15154.3		6465.0

विद्युत-वितरण कंपनियों को घाटा

2264. श्री एस. पक्कीरप्पा : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 2011-12 में सभी विद्युत-वितरण कंपनियों का संयुक्त वित्तीय घाटा लगभग 1,20,000 करोड़ रु. आंका गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस घाटे को रोकने के लिए देश में पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास और सुधार कार्यक्रम प्रारंभ किया है;

(घ) यदि हां, तो यह कार्यक्रम किस तारीख को प्रारंभ किया गया था और अब तक इस पर कितनी धनराशि व्यय की जा चुकी है; और

(ङ) इस योजना के अंतर्गत विद्युत क्षेत्र के घाटे को रोकने के लिए निर्धारित समय-सीमा सहित तथा लक्ष्य रखे गए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल) : (क) और (ख) सभी विद्युत वितरण कंपनियों के वर्ष 2011-12 के संयुक्त वित्तीय हानियों के ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, विद्युत वित्त निगम (पीएफसी) की "राज्य विद्युत यूटिलिटियों की 2008-09 से 2010-11 तक की निष्पादन रिपोर्ट के अनुसार, उपभोक्ताओं को सीधे ही बिक्री कर रही यूटिलिटियों की 31 मार्च 2011 तक संचित हानियां 92,625 करोड़ रुपए थीं। उक्त रिपोर्ट के अनुसार, 31 मार्च, 2011 तक की राज्य-वार हानियां संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ग) और (घ) भारत सरकार ने वितरण कंपनियों की एटी एण्ड सी हानियों में कमी लाने के उद्देश्य से जुलाई, 2008 में पुनर्गठित-त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (आर-एपीडीआरपी) शुरू किया है। आर-एपीडीआरपी में यूटिलिटियों द्वारा परियोजना क्षेत्रों में स्थायी रूप से एटी एण्ड सी हानियों में कमी लाने के संबंध में वास्तविक प्रदर्शनीय निष्पादन पर मुख्य ध्यान केंद्रित किया है। स्कीम के अंतर्गत, 2001 की जनगणना के अनुसार, 30,000 (विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 10,000) से ज्यादा की जनसंख्या वाले नगरों में परियोजनाएं दो भागों में ली जाती हैं। स्कीम का भाग-क बड़े शहरों (जनसंख्याः 4 लाख तथा वार्षिक ऊर्जा निवेशः 350 मि.यू.) के लिए ऊर्जा लेखा (लेखा परीक्षा तथा पर्यवेक्षकीय नियंत्रण एवं आंकड़ा संग्रहण (स्काडा) के लिए आईटी युक्त प्रणाली स्थापित करने के लिए है जबकि, भाग-ख विद्युतीय नेटवर्क का उन्नयन तथा सुदृढ़ीकरण करने के लिए है, जिसके फलस्वरूप एटी एण्ड सी हानियों में कमी आने की आशा है।

अब तक, आर-एपीडीआरपी के भाग-क (आईटी) के अंतर्गत, 29 राज्यों को 47 यूटिलिटियों में सभी 1402 पात्र नगरों के लिए 5196 करोड़ रुपए की ऋण राशि संस्वीकृत की गई है तथा 1781 करोड़ रु. की राशि संवितरित की जा चुकी है। आर-एपीडीआरपी के भाग-क (स्काडा) के अंतर्गत, 63 पात्र नगरों के लिए 15 राज्यों/27 यूटिलिटियों में 1443 करोड़ रुपए की ऋण-राशि संस्वीकृत की गई है तथा 313 करोड़ रुपए की राशि संवितरित की जा चुकी है। आर-एपीडीआरपी के भाग-ख के अंतर्गत, 1084 पात्र नगरों में 24,776 करोड़ रुपए की स्कीमें संस्वीकृत की गई हैं तथा आज तक 3699 करोड़ रुपए की राशि संवितरित की जा चुकी हैं।

(ङ) आर-एपीडीआरपी स्कीम के अंतर्गत संस्वीकृत परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में है। स्कीम के सफलतापूर्वक पूरा होने पर परियोजना क्षेत्रों में एटी एण्ड सी हानियों से घटकर 15% तक रह जाने की संभावना है। भाग 'ख' का ऋण एटी एण्ड सी हानि के स्थायी रूप से घटकर 15% की सीमा तक लाने पर सफल रहने पर ही राज्यों/यूटिलिटियों के अनुदान के रूप में परिवर्तित किया जाएगा।

विवरण

उपभोक्ताओं को सीधे विक्रय कर रही यूटिलिटियों के लिए तुलन-पत्र के अनुसार संचित हानि/लाभ

क्षेत्र	राज्य	यूटिलिटी	2010-11
1	2	3	4
पूर्वी	बिहार	बीएसईबी	-5,858
	कुल बिहार		-5,858

1	2	3	4
	झारखंड	जेएसईबी	-6,079
	कुल झारखंड		-6,079
	ओडिशा	सेस्को	-1,348
		नेस्को	-731
		सेस्को	--743
		वेस्को	-527
	कुल ओडिशा		-3,349
	सिक्किम	सिक्किम पीडी	
	कुल सिक्किम		
	पश्चिम बंगाल	डब्ल्यूबीएसईडीसीएल	-216
	कुल पश्चिम बंगाल		-216
कुल पूर्वी			-15,502
उत्तर पूर्व	अरुणाचल प्रदेश	अरुणाचल पीडी	-1,081
	कुल अरुणाचल प्रदेश		-1,081
	असम	सीएईडीसीएल	
		एलएईडीसीएल	
		यूएईडीसीएल	
		एपीडीसीएल	-1,030
	कुल असम		-1,030
	मणिपुर	मणिपुर पीडी	-1,324
	कुल मणिपुर		**-1,324**

1	2	3	4
	मेघालय	एमईएसईबी	
		एमईईसीएल	-540
	कुल मेघालय		-540
	मिजोरम	मिजोरम पीडी	-714
	कुल मिजोरम		-714
	नागालैंड	नागालैंड पीडी	-914
	कुल नागालैंड		-914
	त्रिपुरा	टीएसईसीएल	-360
	कुल त्रिपुरा		-360
कुल पूर्वोत्तर			-5,963
उत्तरी	दिल्ली	बीएसईएस राजधानी	81
		बीएसईएस राजधानी	173
		एनडीपीएल	933
	कुल दिल्ली		1,188
	हरियाणा	डीएचबीवीएनएल	-2,288
		यूएचबीवीएनएल	-3,820
	कुल हरियाणा		-6,107
	हिमाचल प्रदेश	एचपीएसईबी	
		एचपीएसईबी लि.	-894
	कुल हिमाचल प्रदेश		-864
	जम्मू और कश्मीर	जम्मू और कश्मीर पीडीडी	-13,730
	कुल जम्मू और कश्मीर		-13,730

1	2	3	4
	पंजाब	पीएसईबी	
		पीएसपीसीएल	-1,482
	कुल पंजाब		-1,482
	राजस्थान	एवीवीएनएल	0
		जेडीवीवीएनएल	0
		जेवीवीएनएल	0
	कुल राजस्थान		0
	उत्तर प्रदेश	डीवीवीएन	-7,689
		केस्को	-1,635
		एमवीवीएन	-4,457
		पश्चिम वीवीएन	-4,906
		पूर्व वीवीएन	-6,776
	कुल उत्तर प्रदेश		-25,463
	उत्तराखंड	उत्तराखंड पीसीएल	-1,960
	कुल उत्तराखंड		-1,960
कुल उत्तरी			-48,448
दक्षिणी	आंध्र प्रदेश	एपीसीपीडीसीएल	-115
		एपीईपीडीसीएल	97
		एपीएनपीडीसीएल	-15
		एपीएसपीडीसीएल	144
	कुल आंध्र प्रदेश		111
	कर्नाटक	बेस्कॉम	-351

1	2	3	4
		चेस्कॉम	-274
		जेस्कॉम	-155
		हेस्कॉम	-724
		मेस्कॉम	52
	कुल कर्नाटक		-1,451
	केरल	केएसईबी	1,727
	कुल करेल		1,727
	पुदुचेरी	पुदुचेरी पीडी	88
	कुल पुदुचेरी		88
	तमिलनाडु	टीएनईबी	
		टेनजेडको	-8,401
	कुल तमिलनाडु		-8,401
कुल दक्षिणी			-7,927
पश्चिमी	छत्तीसगढ़	सीएसपीडीसीएल	-726
	कुल छत्तीसगढ़		-726
	गोवा	गोवा पीडी	927
	कुल गोवा		927
	गुजरात	डीजीवीएल	119
		एमजीवीसीएल	83
		पीजीवीसीएल	53
		यूजीवीसीएल	44
	कुल गुजरात		299

1	2	3	4
	मध्य प्रदेश	एमपी मध्य क्षेत्र वीवीसीएल	-3,280
		एमपी पश्चिम क्षेत्र वीवीसीएल	-3,873
			-4,338
	कुल मध्य प्रदेश		-11,491
	महाराष्ट्र	एमएसईडीसीएल	-3,793
	कुल महाराष्ट्र		-3,793
कुल पश्चिमी			-14,784
कुल योग			-92,625

गुड़गांव में सीजीएचएस औषधालय

2265. श्री हमदुल्लाह सईद : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुड़गांव में बड़ी संख्या में बसे लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यहां केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) का केवल एक ही औषधालय है;

(ख) यदि हां, तो इस औषधालय में पंजीकृत लाभार्थियों की संख्या कितनी है और यहां कितने डॉक्टर और अन्य उपचिकित्सीय कर्मचारी तैनात हैं;

(ग) क्या गुड़गांव में एक अन्य सीजीएचएस औषधालय खोलने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो इसे कब तक खोले जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) जी, हां।

(ख) ब्यौरे इस प्रकार है:-

कार्ड धारकों की संख्या	-	9290
लाभार्थियों की संख्या	-	30,445
डॉक्टरों की संख्या	-	10
अर्ध-चिकित्सीय कर्मचारियों की संख्या	-	07

(ग) से (ङ) गुड़गांव में रहने वाले केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों की बड़ी संख्या को ध्यान में रखते हुए गुड़गांव के लिए एक दूसरे औषधालय का अनुमोदन किया गया है। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (सीजीडब्ल्यूडी) ने पहले ही सैक्टर-55-56 में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालय के परिसर का निर्माण-कार्य शुरू कर दिया है। इसके अतिरिक्त, प्रस्तावित औषधालय के लिए प्रभारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी को नामित भी किया जा चुका है जो शीघ्र ही इस औषधालय को खोलने को सुनिश्चित करने हेतु तेजी से कार्य करवाने के लिए संबंधित अभिकरणों से परस्पर वार्तालाप कर रहे हैं।

फ्लोराइड अनुसंधान केन्द्र

2266. श्री सर्वे सत्यनारायण : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में आंध्र प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों में फ्लोराइड अनुसंधान केन्द्रों की स्थापना करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार क्या कार्यवाही की गई है/करने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदीप बंदोपाध्याय) : (क) और (ख) पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय से प्राप्त सूचना के अनुसार, भारत सरकार ने आंध्र प्रदेश और गुजरात में क्रमशः राष्ट्रीय पोषाहार संस्थान, हैदराबाद और गुजरात जल सेवा प्रशिक्षण संस्थान, गांधी नगर में विद्यमान सुविधाओं का उन्नयन/सुदृढ़ीकरण करके एक-एक फ्लूराइड और फ्लूरोसिस निवारण केन्द्र स्थापित करने का निर्णय लिया है।

(ग) और (घ) गुजरात और आंध्र प्रदेश की राज्य सरकारों ने भारत सरकार से केन्द्र स्थापित करने के लिये अनुरोध किया है। भारत सरकार ने इन राज्यों से कहा है कि वे इस बारे में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करें।

श्रीलंका में भारतीय श्रमिक

2267. डॉ. पी. वेणुगोपाल : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हाल ही में श्रीलंका में एक भारतीय श्रमिक की मृत्यु की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस मुद्दे को श्रीलंका सरकार के साथ उठाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) श्रीलंका सहित अन्य देशों में कार्यरत भारतीय श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर) : (क) से (ङ) उपलब्ध सूचना के अनुसार, कॉनफैब स्टील (प्राइवेट) लि., मेदागामा, श्रीलंका का एक भारतीय कर्मचारी श्री मानस कुमार मलिक कारर्य करते समय उक्त फैक्ट्री के परिसर में गिर गया था तथा बिजली का करंट लगने से 8 मई, 2012 को उसकी मृत्यु हो गई थी।

कोलम्बो स्थित भारतीय उच्चायोग ने श्रीलंका सरकार से संबंधित प्राधिकारियों तथा नियोक्ता के साथ इस मामले को तत्काल उठाया था। श्री मलिक के पार्थिव शरीर को भेजने की सुविधा प्रदान की गई थी, ताकि वह 16 मई, 2012 तक भुवनेशवर पहुंच जाए।

सरकार विदेशों में कार्यरत भारतीयों के कल्याण, सुरक्षा तथा बचाव को सर्वाधिक प्राथमिकता देती है।

वी.आई.पी. लाउंज

2268. श्री असादूद्दीन ओवेसी : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विमानपत्तनों के वीआईपी लाउंज में विदेशी विशिष्टजनों को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं का ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ वित्त प्रबंधन किस प्रकार किया जाता है;

(ख) क्या विदेशी यात्रा के समय भारतीय विशिष्टजनों को वहां विभिन्न विमानपत्तनों के वीआईपी लाउंज के प्रयोग हेतु शुल्क अदा करना पड़ता है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का देश के विभिन्न विमानपत्तनों के वीआईपी लाउंज के प्रयोग हेतु विदेशी विशिष्टजनों से शुल्क लेने का विचार है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के वास्ते क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जा रहे हैं कि इस शुल्क का भार यात्रियों या राजकोष पर न पड़े?

नागर विमानन मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) देश के हवाईअड्डों पर वीआईपी लाउन्ज में विदेशी गणमान्य व्यक्तियों को सुविधाओं उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी हवाईअड्डा प्रचालकों की है। इसके प्रबंध के लिए निधियों की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी भी संबंधित हवाईअड्डा प्रचालक की होती है। सरकार वीआईपी लाउंजों के लिए हवाईअड्डा प्रचालकों को अलग से कोई निधि उपलब्ध नहीं कराती है।

(ख) और (ग) सरकार द्वारा ऐसे आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(घ) और (ङ) जी, नहीं। ऐसे कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

आतिथ्य विकास और संवर्धन बोर्ड

2269. **श्री ई.जी. सुगावनम : क्या पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आतिथ्य विकास और संवर्धन बोर्ड (एचडीपीबी) के सृजन संबंधी प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है और इसके प्रस्तावित कृत्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उक्त बोर्ड के कब तक कार्य प्रारंभ करने की संभावना है?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुल्तान अहमद) : (क) और (ख) एक समयबद्ध तरीके से होटल परियोजनाओं द्वारा अपेक्षित क्लीयरेंसज़ को आसान बनाने एवं आतिथ्य क्षेत्र के विकास के लिए नीतिगत सुझाव प्रदान करने के लिए भी 'आतिथ्य विकास एवं संवर्धन बोर्ड' (एचडीपीबी) का गठन किया गया और यह जनवरी, 2011 से कार्यरत है।

एचडीपीबी के मुख्य कार्य हैं:—

(i) होटल परियोजना प्रस्तावों का समयबद्ध तरीके से त्वरित अनुमोदन/क्लीयरेंस;

(ii) होटल परियोजनाओं की नीतियों की समीक्षा करना और पारदर्शी दिशा-निर्देश तैयार करने के लिए प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों/एजेंसियों जैसी अन्य संबंधित एजेंसियों के साथ समन्वय करना, जो देश में होटल/आतिथ्य अवसंरचना की वृद्धि को बढ़ावा देते हैं;

(iii) देश में होटल/आतिथ्य अवसंरचना में वृद्धि करने के लिए सरकारी, गैर-सरकारी एवं औद्योगिक निकायों के साथ संवाद करना।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को यह सुझाव दिया गया है कि यदि उनके संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में ऐसे बोर्ड मौजूद नहीं हैं तो वो इसी प्रकार के बोर्डों का गठन करें।

[हिन्दी]

विद्युत परियोजनाओं में हिस्सेदारी की बिक्री

2270. **श्री लालूभाई बाबूभाई पटेल : क्या विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विद्युत क्षेत्र में आ रही समस्याओं के कारण अनेक विकासकर्ता विद्युत-परियोजनाओं की अपनी हिस्सेदारी को बेचने का विचार कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा विद्युत-परियोजनाओं के निर्माण में आने वाली समस्याओं को समाप्त करने और विद्युत पारेषण में सुधार करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. सी. वेणुगोपाल) : (क) और (ख) जी, नहीं। देश में विद्युत क्षेत्र के सामने आ रही समस्याओं के कारण विद्युत परियोजनाओं में अपनी हिस्सेदारी को बेचने के संबंध में विचार कर रहे विकासकर्ताओं के बारे में विद्युत मंत्रालय के पास कोई रिपोर्ट नहीं है।

(ग) विद्युत परियोजनाओं के निर्माण करने में आ रही समस्याओं को समाप्त करने और विद्युत पारेषण में सुधार के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम

1. विद्युत की बिक्री को सरल बनाने के लिए, विद्युत परियोजनाओं के विकासकर्ताओं को, ओपन एक्सेस और पहले से चलाए जा रहे दो पावर एक्सचेंजों द्वारा बिजली की बिक्री करने की अनुमति है।

2. दिनांक 06.1.2006 के विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी की गई और समय-समय पर यथा संशोधित टैरिफ नीति के अनुसार, विद्युत अधिनियम, 2003 की प्रमुख विशेषताओं में से एक विशेषता विद्युत उद्योग के विभिन्न खंडों में प्रतियोगिता की शुरूआत है। यह प्रतियोगिता पूंजीगत लागतों में कमी के द्वारा तथा प्रचालन में दक्षता के द्वारा उपभोक्ताओं को महत्वपूर्ण लाभ पहुंचाएगी। इससे कीमत का प्रतिस्पर्धात्मक निर्धारण करना भी सरल होगा। वितरण लाइसेंसों के द्वारा विद्युत का समग्र भावी अधिग्रहण प्रतिस्पर्धी बिडिंग रूट

के माध्यम से होगा। दिनांक 6.1.2011 के पश्चात् सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए भी, सभी नई उत्पादन और ट्रांसमिशन परियोजनाओं के टैरिफ प्रतिस्पर्धी बिडिंग के आधार पर निर्धारित किए जाएंगे। तथापि, उन हाइड्रोइलेक्ट्रिक परियोजनाओं के पास जो राज्य नियंत्रित/स्वामित्व वाली कंपनी नहीं हैं, कुछेक शर्तों के पूरा करने की शर्त पर, सेवा विनियम की निष्पादन आधारित लागत के आधार पर उचित आयोग द्वारा टैरिफ नीति के उपर्युक्त प्रावधानों के अनुसरण में, केंद्र सरकार ने निजी क्षेत्र की कंपनियों की प्रतिस्पर्धी बिडिंग रूट के माध्यम से 6 ट्रांसमिशन सर्विस प्रोवाइडर (टीएसपी) पहले ही प्रदान कर दिए हैं।

3. भारत सरकार ने मेगा पावर पॉलिसी जारी की है जिसमें बड़ी विद्युत परियोजनाओं को निम्नलिखित वित्तीय छूट/लाभों पर विचार किया गया है—

(i) जीरो कस्टम ड्यूटी—विद्युत परियोजनाओं के लिए पूंजीगत उपकरणों के आयात के लिए।

(ii) डीम्ड निर्यात लाभ—परियोजनाओं के लिए घरेलू बिडर्स को लाभ।

(iii) आयकर लाभ—इसके अतिरिक्त, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80-आईए के अनुसार आयकर छूट व्यवस्था भी ली जा सकती है।

4. स्वचालित रूट के अंतर्गत निम्नलिखित के लिए विद्युत क्षेत्र में 100% तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडी आई) की अनुमति है—

(i) हाइड्रो इलेक्ट्रिक, कोयला/लिग्नाइट आधारित तापीय, तेल आधारित तापीय और गैस आधारित तापीय विद्युत संयंत्रों में उत्पादित इलेक्ट्रिक ऊर्जा का उत्पादन और ट्रांसमिशन;

(ii) अपरंपरागत ऊर्जा उत्पादन और वितरण;

(iii) घरेलू औद्योगिक, वाणिज्यिक और अन्य उपयोगकर्ताओं को इलेक्टिव ऊर्जा का वितरण; और

(iv) विद्युत व्यापार

5. वर्ष 2012-13 के बजट में वर्णित सरकार द्वारा उठाए गए कदम:—

- स्कीम के अंतर्गत क्षेत्र में निजी निवेश आकर्षित करने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में अवसंरचना में पीपीपी को सहायता देने के लिए एम्फेसाइज्ड वाएबिलिटी गैप फंडिग (वीजीएफ)।

- वित्तीय अवसंरचना परियोजनाओं को वित्त पोषित करने के लिए 60,000 करोड़ रु. के कर मुक्त बांड जारी करने की अनुमति दी गई है जिसमें भारतीय रेलवे वित्त निगम लिमिटेड (आईआरएफसी), भारत अवसंरचना वित्त कंपनी लि. (आईआईएफसीएल) और विद्युत क्षेत्र के लिए 10,000 करोड़ रु. शामिल हैं।

- अवसंरचना परियोजनाओं को क्रेडिट एक्सेस सुलभ कराने के लिए आईआईएफसीएल द्वारा क्रेडिट संवर्धन संरचना दर्शाई गई और टेक आऊट फाइनेंस को सही प्रकार रखा गया।

- पीपीपी परियोजनाओं के लिए बिड प्रस्तुत करने से पहले विकासकर्ताओं को प्रत्यक्ष उधार देने और सिद्धांततः अनुमोदन देने के लिए संघ के गठन का उल्लेख किया गया।

- मौजूदा विद्युत परियोजनाओं के रूप डेट में आंशिक वित्तपोषण के लिए बाहरी वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) की अनुमति दी गई।

- विद्युत क्षेत्र सहित अवसंरचना क्षेत्रों को कम कीमत पर धनराशि मुहैया कराने के लिए तीन वर्षों के लिए ईसीबी पर ब्याज के भुगतान को रोक रखने की दर को 20% से 50% तक घटाया गया।

- केवल विशिष्ट क्षेत्रों में निवेश करने के लिए वेंचर कैपिटल फंड प्रतिबंध हटाया गया।

- बहु आयामी कारपोरेट संरचना में लाभांश वितरण कर के प्रभाव को हटाया गया।

- भारत को 15% की दर पर भारतीय कंपनियों की विदेशी सब्सिडरी से लाभांश को वापस लेने की अनुमति जारी रखी गई जबकि 31 मार्च, 2013 तक और एक वर्ष के लिए 30% थी।

- विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों के लिए एक वर्ष के लिए और अंतिम तारीख को बढ़ाया गया ताकि 10 वर्षों के लिए लाभों की 100% कटौती का दावा करने के लिए उन्हें 31 मार्च, 2013 को अथवा इससे पूर्व स्थापित किया जा सके।

- विद्युत उत्पादन कंपनियों द्वारा अधिग्रहीत नई परिसम्पत्तियों को आरंभिक वर्ष में 20% की अतिरिक्त मूल्य ह्रास दिया गया।

- घरेलू तापीय विद्युत उत्पादकों को 31 मार्च, 2014 तक दो वर्षों के लिए वाष्प कोयला को 10% की रियायती सीवीडी और मूल सीमा से पूरी छूट दी गई।

- विद्युत उत्पादन ईंधनों, जैसे प्राकृतिक गैस, एलएनजी, यूरेनियम, सांद्रण और सिंटरीकृत यूरेनियम डाइआक्साइड शुल्क से पूरी छूट दी गई।

6. जहां तक ट्रांसमिशन में सुधार का संबंध है, यह उल्लेखनीय है कि पावर इवेक्युएशन के लिए सीईआरसी विनिमय के अनुसार ट्रांसमिशन एक्सेस प्राप्त करने के लिए उत्पादन विकासकर्ता को सीटीयू में आवेदन करना होता हैं तथा तदनुसार ट्रांसमिशन प्रभार अदा करना होता है। इवेक्युएशन की जानें वाली विद्युत के ब्यौरों के आधार पर ट्रांसमिशन प्रणाली सुदृढ़ीकरण प्रचालनात्मक फीड बैक, तथा विद्युत लेने के लिए राज्यों की आवश्यकता के आधार पर किया जाता है।

[अनुवाद]

वीजा केन्द्र

2271. श्री पोन्नम प्रभाकर : क्या विदेश मंत्री यह बताने की **कृपा** करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हाल ही में हमारे देश में विदेशों के वीजा-केन्द्रों और दूतावासों को अस्थायी रूप से बंद किए जाने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इनके बंद होने के क्या कारण हैं; और

(ग) इनके बंद होने से यात्रियों को हो रही असुविधा दूर करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं या उठाने का प्रस्ताव है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, भारत में विदेशों के वीजा केन्द्रों और दूतावासों को हाल ही में, संबंधित देशों के शासकीय अवकाशों को छोड़कर, अस्थायी रूप से बंद किए जाने की कोई जानकारी नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

सौर ऊर्जा उत्पादन हेतु लक्ष्य

2272. श्री रायापति सांबासिवा राव : क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में वर्ष 2022 तक 20 गीगावट सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता का लक्ष्य रखा गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (डॉ. फारूख अब्दुल्ला) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने वर्ष 2022 तक 20 गीगावाट क्षमता के ग्रिड-संबद्ध सौर विद्युत के लक्ष्य के साथ जनवरी, 2010 में जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन (जेएनएनएसएम) की घोषणा की है। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन का कार्यान्वियन तीन चरणों में किए जाने के परिकल्पना की गई है। चरण-1 में वर्ष 2013 तक 1100 मेगावाट क्षमता का लक्ष्य रखा गया है, चरण-2 में 2017 तक 4000 से 10000 मेगावाट क्षमता और चरण-3 के दौरान 2022 तक शेष क्षमता का लक्ष्य है।

वर्तमान में केन्द्र और राज्यों में विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत देश में 1040 मेगावाट की सौर विद्युत परियोजनाएं स्थापित की गई हैं।

जिला योजना समितियां

2273. श्री रामसिंह राठवा : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिला योजना समितियों (डीपीसी) के कार्यकरण का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इनके कार्यकरण हेतु कोई मार्गनिदेश विद्यमान है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) पंचायतों हेतु विनिर्धारित कुल धनराशि में से विभिन्न जिलों की पंचायतों को राशि वितरण का कार्यसूत्र क्या है; और

(ङ) पंचायत के तीन स्तरों के बीच निधियों के वितरण हेतु क्या प्रक्रिया है?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री वी. किशोर चंद्र देव) : (क) से (ग) संविधान के अनुच्छेद 243यघ के अंतर्गत यह प्रावधान है कि जिले में पंचायतों तथा नगर निगमों द्वारा तैयार योजनाओं के समेकन एवं जिलों के लिए समग्र रूप में एक प्रारुप योजना तैयार करने के लिए प्रत्येक राज्य में जिला स्तर पर एक जिला योजना समिति का गठन किया जाएगा। जिला योजना समितियों का गठन तथा उन्हें सौंपे जाने वाले कार्यों का निर्णय राज्य की विधायिका द्वारा लिया जाता है। ड्राफ्ट विकास योजना तैयार करते हुए जिला योजना समितियों को (i) स्थानिय नियोजन, पानी का बंटवारा अन्य वास्तविक एवं प्राकृतिक संसाधन, ढांचागत सुविधाओं का समेकित विकास तथा पर्यावरण संरक्षण समेत पंचायतों तथा नगर निगमों के मध्य सामान्य हित के मामले और (ii) वित्तीय अथवा अन्य उपलब्ध संसाधनों की मात्रा एवं प्रकार पर ध्यान देना है। योजना आयोग ने अगस्त, 2006 में जिला योजनाओं को तैयार करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। वर्ष 2008 में एकीकृत जिला नियोजन के लिए व्यापक मैनुअल भी तैयार किया गया। इसके अलावा पंचायती राज मंत्रालय ने इस बारे में दिनांक 29.05.2009 को राज्यों को दिशा-निर्देशा जारी किए।

(घ) और (ङ) पंचायतों को पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बीआरजीएफ), 13वां वित्त आयोग इत्यादि के अंतर्गत अनुदान दिए जाते हैं। पंचायतों के मध्य अनुदानों के वितरण संबंधी फार्मूले का निर्णय राज्य सरकारों द्वारा लिए जाते हैं। पंचायतों के तीनों स्तरों के मध्य निधियों के वितरण की प्रक्रिया स्कीम-दर-स्कीम भिन्न-भिन्न होती हैं।

[हिन्दी]

'इको' और 'हैली' पर्यटन

2274. श्रीमती कमला देवी पटले : क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में 'इको' और 'हैली' पर्यटन के विकास की अपार संभावनाएं हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा देश में इसके विकास/संवर्धन हेतु क्या उपाय किए गए हैं/ करने का प्रस्ताव है;

(ग) इसके विकास हेतु विभिन्न राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों से प्राप्त प्रस्तावों और उनको स्वीकृति का वर्ष-वार और राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र वार ब्यौरा क्या है तथा ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजनावधि और चालू वर्ष के दौरान इसके विकास हेतु राज्यवार/संघ राज्य-क्षेत्रवार कितनी राशि उद्दिष्ट/जारी की गई तथा इसका कितना उपयोग दर्शाया गया;

(घ) क्या सरकार ने वन्य जीव-उद्यानों के निकट रिजॉर्टों के निर्माण का संज्ञान लिया है, जिनका पारिस्थितिकी पर प्रतिकूल प्रभाव हो सकता है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा ऐसी परिस्थितिकी-नाशक कार्यकलापों को रोकने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुल्तान अहमद) : (क) से (ग) इको-पर्यटन एवं हैली पर्यटन सहित विभिन्न पर्यटन गंतव्यों और उत्पादों का विकास एवं संवर्धन मुख्यत: संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) प्रशासन की जिम्मेदारी है। तथापि, पर्यटन मंत्रालय निधियों की उपलब्धता, पारस्परिक प्राथमिकता और योजना दिशा-निर्देशों के अनुपालन की शर्त पर, उनके साथ परामर्श से प्राथमिकता प्रदत्त परियोजनाओं के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) प्रदान करता है। पर्यटन मंत्रालय ने हेलीपोर्टों के निर्माण के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 22.07.2009 को दिशा-निर्देश भी जारी किए।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना और वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान पर्यटन मंत्रालय द्वारा इको-पर्यटन एवं हैली पर्यटन पर फोकस करने वाली परियोजनाओं के लिए प्रदान की गई केंद्रीय वित्तीय सहायता के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) और (ङ) विभिन्न राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से यह अपेक्षा की जाती है कि किसी परियोजना, जो पर्यावरण पर प्रभाव डालती है, का कार्यान्वियन करने के लिए आवश्यक प्रदूषण नियंत्रण, वन, तटीय क्षेत्र विनियमन एवं पर्यावरणीय क्लीयरेंस प्राप्त करें। होटल परियोजनाओं के अनुमोदन और विभिन्न सितारा श्रेणियों के अंतर्गत उनके वर्गीकरण के लिए तैयार किए गए दिशा-निर्देशों में पर्यावरण-अनुकूल उपायों को अपनाने हेतु होटलों को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए प्रावधानों और प्रदूषण नियंत्रण, ऊर्जा एवं जल संरक्षण, मलजल उपचार संयंत्र, वर्षा जल संरक्षण प्रणाली और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली जैसे उपायों को शामिल किया है।

'संरक्षित क्षेत्रों में और उनके आसपास इको-पर्यटन हेतु दिशा-निर्देशों' को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा अंतिम रूप प्रदान किया गया है और इसे माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष दायर किया गया है।

विवरण

इको-पर्यटन और हैली पर्यटन पर फोकस करने वाली परियोजनाओं के लिए 11वीं पंचवर्षीय योजना और वर्तमान वर्ष के दौरान पर्यटन मंत्रालय द्वारा दी गई केंद्रीय वित्तीय सहायता के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरे

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	वर्ष	परियोजना का नाम	स्वीकृत राशि
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश			
1.	2006-07	वारंगल में इको-पर्यटन गंतव्य के रूप में लकनावरम लेक का गंतव्य विकास	468.63
2.	2007-08	नेल्लोर जिले के बी.वी. पालेम में पुलिकट झील में इको पर्यटन केंद्र का विकास	167.37
3.	2008-09	नेल्लोर जिले में नेल्लोर टैंक में इको पार्क का गंतव्य विकास	165.62
4.	2008-09	चिलका हिल ट्राइबल रिट्रीट-फाकल इको पर्यटन जोन और लैंडस्केप पार्क कुमारीकुंटा नारसमपेट, वारंगल जिले का गंतव्य विकास	312.22
5.	2009-10	जन्नारम, अदिलाबाद जिले में इको-पर्यटन का विकास	283.94
6.	2010-11	अनंतगिरि रंगारेड्डी जिले में इको-पर्यटन केंद्र का विकास	404.51
7.	2011-12	आंध्र प्रदेश में ओरवाकल्लू, कुन्नूल जिले में इको-पर्यटन केंद्र का विकास	486.35
अरुणाचल प्रदेश			
8.	2010-11	टेगो गेमलिन ग्राम, पश्चिमी सियांग जिले में इको-पर्यटन का निर्माण	370.65
9.	2011-12	देवमाली उप-संभाग के अंतर्गत हुकानजुरी में इको-पर्यटन का निर्माण	487.93
चंडीगढ़			
10.	2010-11	इको-पर्यटन पार्क-कम-बॉटनीकल गार्डन में उन्नयन और पर्यटन अवसंरचना का सृजन एवं सुदृढ़ीकरण	313.32
हरियाणा			
11.	2007-08	मोरनी-पिजौर हिल्स और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान में इको-पर्यटन का विकास	329.00
12.	2007-08	कालेसर में इको-पर्यटन का विकास	319.00
हिमाचल प्रदेश			
13.	2007-08	स्पीति-सांगला, किन्नौर-स्पीति-लाहौल, पांगी में इको-पर्यटन पर विशेष फोकस के साथ जनजातीय परिपथ का एकीकृत विकास	50.00

1	2	3	4
14.	2007-08	हिमाचल प्रदेश में इको-पर्यटन का विकास-कुल्लू-कालीधार-मनाली-कोठ-नग्गर, सिराज इको परिपथ, रोहरू-मंडी-संदासु खासधार, लारोट-डोडराकावर-फॉरेस्ट अतिथि गृहों, सरहान-पानियो, शोल्टू से पूरबानी, बिलासपुर इको परिपथ का उन्नयन	368.22
जम्मू और कश्मीर			
15.	2010-11	सोनमार्ग विकास प्राधिकरण द्वारा नीलग्रथ और सारबल ग्राम, जे एंड के के मध्य पारिस्थितिकी अनुकूल रिजॉर्ट का विकास	242.10
16.	2010-11	गुलमर्ग तंगमार्ग दुरू का परियोजना-गंतव्य विकास के अतर्गत गुलमर्ग में हेली पोर्ट और हेली पेड का विकास	71.40
17.	2011-12	भदरवाह देव प्राधिकरण द्वारा जम्मू और कश्मीर में भदरवाह में डे कैंपिंग, इको-पर्यटन तथा पार्क गाथा, खानीटॉप, सीओज, पाड्री और तीर्थ गंतव्यों में इको-पर्यटन एवं तीर्थ पर्यटन के लिए पर्यटन अवसंरचना का सृजन	466.57
झारखंड			
18.	2006-07	पर्यटन परिपथ रांची-राजरप्पा-हजारीबाग-झटखोड़ी का एकीकृत विकास	775.78
कर्नाटक			
19.	2007-08	हनुमंत नगर, माडुर तालुक, मांड्या जिले में इको-पर्यटन पार्क का विकास	229.42
20.	2007-08	जंगल कैम्पों एवं ट्रेलों की स्थापना करके इको-पर्यटन का विकास	322.21
21.	2007-08	तालाकावेरी, गोपीनाथम, भगवती एवं सीता नदी में इको स्थलों का विकास	380.26
22.	2009-10	तालकाले, जोग, सागर तालुक, सिमोगा जिले में इको-पर्यटन रिजॉर्ट का विकास एवं रोमांचकारी पर्यटन सुविधाएं	414.68
23.	2009-10	काजीनेले (हावेरी जिला) में इको-पर्यटन पार्क का विकास	499.97
24.	2009-10	दारोजी बीयर अभ्यारण्य, हम्पी, हासपेट तालुक बेल्लारी जिले में इको-पर्यटन रिजॉर्ट/सुविधाओं का विकास	339.77
25.	2009-10	बीदर जिले में विलासपुर टैंक में जंगल लॉजों एवं रिजॉर्टों का विकास	177.54
26.	2010-11	खानापुर, फोरेस्ट, बेलगुम जिले में इको-पर्यटन रिजॉर्ट का विकास	440.32
27.	2010-11	पीलीकुला निसर्गधाम इको-पर्यटन रिजॉर्ट	419.65

1	2	3	4
केरल			
28.	2006-07	नेय्यार-पोनमुड़ी-थेमाला-कोन्नी-गोवी-थेक्कड़ी-मुन्नार-चिन्नार-पराम्बीकुलम-नेलक्लीअमपाथी में इको-पर्यटन परिपथ का एकीकृत किास	581.78
29.	2006-07	रानीपुरम का इको-पर्यटन पर्यटक गंतव्य के रूप में विकास	357.01
30.	2007-08	गावी, पतनमथिट्टा जिले में इको-पर्यटन कार्यक्रम का विकास	20.05
31.	2008-09	मालापुरम्, कोझीकोडे, कन्नुर और कासरगोड जिले में मालाबार मांग्रोव इको-पर्यटन परिपथ	349.36
मध्य प्रदेश			
32.	2009-10	रायसेन जिले में समर्धा में समर्धा इको-पर्यटन गंतव्य का विकास	33.45
महाराष्ट्र			
33.	2009-09	विदर्भ क्षेत्र के लिए एक वृहत्-परियोजना के रूप में इको-पर्यटन विकास योजना हेतु प्रमुख परिपथ का विकास	3738.19
34.	2009-10	परिपथ विकास के अंतर्गत शिरडी जिला, अहमद नगर में धार्मिक परिपथ का परियोजना-विकास के अंतर्गत शनि शिंगनापुर में हेलीपेड का निर्माण	25.13
मणिपुर			
35.	2006-07	गंतव्य विकास योजना के अंतर्गत इम्फाल में इको-पर्यटन पार्क का विकास	345.29
36.	2010-11	थंगल, सेनापति जिले में इको-पर्यटन परिसर	310.85
नागालैंड			
37.	2008-09	इको-रोमांचकारी एवं सांस्कृतिक गंतव्य के रूप में मोन का एकीकृत विकास	452.76
38.	2009-10	किगवेमा-एमटी सुरो इको-एडवेंचर में पर्यटक गंतव्य	383.06
39.	2010-11	चेंगटांग यामिंगकांग-नोकसेन, टोबू-शातुआ में एकीकृत पर्यटक इको-एडवेंचर एवं सांस्कृतिक परिपथ	784.70
40.	2010-11	एकीकृत पर्यटक गंतव्य : अकितो में इको-एडवेंचर एवं सांस्कृतिक हब	434.70
41.	2010-11	एकीकृत पर्यटक गंतव्य : इको-एडवेंचर कल्चर हब चिजामी	500.00
ओडिशा			
42.	2006-07	भीतरकणिका में इको-पर्यटन का विकास	383.22

1	2	3	4
राजस्थान			
43.	2010-11	पर्यटक गंतव्य एवं विकास परिपथ के रूप में कुम्भलगढ़-टोडगढ़-रावोली-रानकपुर में इको-पर्यटन गंतव्य का अवसंरचना विकास	594.55
सिक्किम			
44.	2007-08	दक्षिण सिक्किम में चेमचे चरण-II में रोमांचकारी एवं इको-पर्यटन हेतु इंडियन हिमालयन सेंटर का निर्माण	389.54
45.	2009-10	लाचुंग, युमथांग और उत्तर सिक्किम में इको-पर्यटन गंतव्य का विकास एवं संवर्धन	394.41
46.	2009-10	बुरफुंग-रालांग चुनाव क्षेत्र के अंतर्गत पर्यटक अवसंरचना का गंतव्य विकास के अंतर्गत दक्षिण सिक्किम में चेम्चे में हेलीपोर्ट का विकास	75.00
47.	2009-10	मंगन पर्यटक एक्सिस का परियोजना गंतव्य विकास के अंतर्गत उत्तर सिक्किम में हेलीपोर्ट का विकास	75.00
48.	2009-10	गीतांग खोला वाटर फाल का परियोजना गंतव्य विकास के अंतर्गत पश्चिम सिक्किम में हेलीपोर्ट का विकास	75.00
तमिलनाडु			
49.	2009-10	मदुरई जिले में थिरूपरनडुंड्रम इको-पार्क का गंतव्य विकास	387.63
50.	2011-12	सालेम जिले में येरकोड में बॉटनीकल गार्डन का विकास	365.00
उत्तर प्रदेश			
51.	2011-12	शाहपुर, सुल्तानपुर में शिव धाम और इको-पर्यटन का विकास एवं सौंदर्यीकरण	226.65
52.	2011-12	गोवर्धन में इको-पर्यटन का विकास (मेगा पर्यटक परिपथ के रूप में मथुरा-वृंदावन का हिस्सा)	91.95
उत्तराखंड			
53.	2010-11	औली, चमोली जिले में इको-पर्यटन हट्स का विकास	461.62
54.	2010-11	टिहरी झील के बैकवॉटर्स में इको-पर्यटन का विकास	496.74
55.	2010-11	पुरोला-नेतवार-हरकीदुन परिपथ पर इको-पर्यटन का विकास	700.85
56.	2011-12	अलमोड़ा में इको-पर्यटन का विकास	490.80

1	2	3	4
57.	2011-12	उत्तराखंड में उत्तर काशी में निर्मल गंगोत्री इको-पर्यटन वृहत् परिपथ का विकास	5000.00
58.	2011-12	सात ताल, उत्तराखंड में इको-पर्यटन का विकास	494.79
59.	2011-12	लांसडोवने, उत्तराखंड में इको-पर्यटन का विकास	495.95
पश्चिम बंगाल			
60.	2007-08	झाड़ग्राम, जिला पश्चिम मिदनापुर में और उसके आस-पास इको-पर्यटन परिपथ का विकास	666.55
61.	2008-09	दक्षिण 24 परगना जिले में सजनेखली इको-पर्यटन परिसर-सह-गंतव्य परियोजना	457.60
62.	2010-11	बक्सद्वार (इको-पर्यटन परियोजना) में गंतव्य पर्यटन	394.00
63.	2011-12	सुंदरवन, 24 परगना (दक्षिण) में गंतव्य पर्यटन परियोजना	488.53
	योग		30828.17

[अनुवाद]

सफदरजंग अस्पताल में सुपर-स्पेशिलिटी विंग की स्थापना

2275. श्री पूर्णमासी राम : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सफदरजंग अस्पताल में सुपर-स्पेशिलिटी विंग की स्थापना के प्रस्ताव के संबंध में कोई प्रगति हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसमें विलंब के क्या कारण हैं;

(ख) क्या अस्पताल के विस्तार हेतु निकटस्थ भूमि के अधिग्रहण का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उक्त अस्पताल के आकस्मिक चिकित्सा वार्ड में सभी रोगियों को ठहरने की सुविधा प्रदान नहीं की जाती; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) से (ङ) सफदरजंग अस्पताल में एक सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक स्थापित करने का प्रस्ताव सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन हेतु मंत्रालय द्वारा तैयार किया बनाया गया है। इसके लिये कोई भूमि अर्जित करने का प्रस्ताव नहीं है। सफदरजंग अस्पताल के कैजुअल्टी वार्ड में जरूरत वाले सभी मरीज भर्ती होते हैं और उन्हें उपर्युक्त आकस्मिक वार्डों में भर्ती किया जाता है।

विद्युत क्षेत्र को बाह्य वाणिज्यिक ऋण के लाभ

2276. श्री पी. बलराम नायक : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्युत कंपनियां बाह्य वाणिज्यिक ऋण (ईसीबी) के पुनर्वित्त-सहायता का लाभ ले सकती हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में राज्यों और अंतर्राष्ट्रीय बैंकों का क्या विचार है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल) : (क) से (घ) वित्त मंत्रालय द्वारा सूचित किए गए अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 20 अप्रैल, 2012 के परिपत्र के माध्यम से भारतीय कंपनियों को विद्युत क्षेत्र में जुटाए जाने वाले प्रस्तावित नये ईसीबी का कम से कम 60% अवसंरचना परियोजना(ओं) के लिए नये पूंजीगत

व्यय के लिए प्रयुक्त किए जाने के अधीन, अनुमोदन के अंतर्गत घरेलू बैंकिंग प्रणाली से उनके द्वारा प्राप्त किए गए ऋण राशि का पुन:वित्तपोषण करने के लिए जुटाए गए नये बाह्य वाणिज्यिक ऋण (ईसीबी) का 40% उपयोग किए जाने की अनुमति प्रदान की है।

भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण का पुनर्गठन

2277. **श्री आर. ध्रुवनारायण : क्या खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) के पुनर्गठन का प्रस्ताव है और इस प्रयोजनार्थ 4,000 करोड़ रुपये की धनराशि मांगी गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) और (ख) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के कार्यों की समीक्षा तथा संगठन की प्रौद्योगिकी एवं जनशक्ति संसाधन को ध्यान में रखते हुए उभरती हुई चुनौतियों का सामना करने के लिए इसकी क्षमता के आकलन हेतु सरकार ने दिनांक 7 जनवरी, 2008 के खान मंत्रालय के संकल्प सं. 11(39)/2007-एम-1 के तहत उच्चाधिकार प्राप्त समिति (एचपीसी) का गठन किया है।

एचपीसी की सिफारिशों के अनुसरण में जीएसआई में पदों को 11420 से बढ़ाकर 12339 करके सही आकार देने, अनुशंसित पदों को 10 वर्षों की अवधि में पूरी तरह से भरने, श्रेणी 'क' भू-भौतिकी, रसायन, अभियांत्रिकी एस एवं टी शाखाओं को संगठित सेवा के रूप में बनाने तथा एक वर्ष से अधिक समय तक रिक्त रहने वाले पदों के संबंध में व्यय विभाग के अनुदेश के दायरे से एस एवं टी पदों के लिए छूट के उद्देश्य से भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) की पुनर्संरचना संबंधी कैबिनेट नोट को कैबिनेट ने दिनांक 25 अक्तूबर, 2011 को अनुमोदित कर दिया है। यह अनुमान है कि प्रस्ताव में विचारित अतिरिक्त मानव-शक्ति के कारण प्रति वर्ष 85 करोड़ रु. खर्च होंगे।

विमान दुर्घटना के कारण तीर्थयात्रियों की मृत्यु

2278. **श्री एस.एस. रामासुब्बू : क्या विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाल में एक तीर्थ स्थल पर जा रहे कई भारतीय तीर्थयात्री हाल ही में विमान दुर्घटना में मारे गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस दुर्घटना में घायल हुए तीर्थयात्रियों तथा मारे गए तीर्थयात्रियों के संबंधियों को कोई सहायता प्रदान की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर) : (क) और (ख) 14 मई, 2012 को एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में अग्नि एयर विमान नेपाल के जोमसोम के निकट दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें 16 भारतीय राष्ट्रिक सवार थे तथा मुक्तिनाथ यात्रा के लिए जा रहे थे। उसमें सवार 16 भारतीय राष्ट्रिकों में से 13 मारे गए थे।

(ग) और (घ) इस त्रासदी का समाचार मिलते ही काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास ने पूछताछ के लिए तत्काल नियंत्रण कक्ष खोला। भारतीय दूतावास दुर्घटनास्थल के निकट शीघ्र छानबीन तथा राहत अभियान के लिए नेपाल अधिकारियों के साथ निकट संपर्क बनाए रखा। भारतीय दूतावास ने 3 घायल व्यक्तियों के उपचार की सुविधा प्रदान की तथा इस संबंध में निकट संबंधियों की सहायता करते हुए 13 मृतकों के पार्थिव शरीर को वापस लाने की व्यवस्था की थी।

चिकित्सा संबंधी वस्तुओं की आपूर्ति के लिए बार कोड

2279. **श्रीमती अन्नू टन्डन : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चिकित्सा संबंधी वस्तुओं की आपूर्ति के लिए बार कोड के इस्तेमाल को अनिवार्य बनाए जाने के लिए सरकार द्वारा की गई पहल की स्थिति और ब्यौरा क्या है; और

(ख) दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषकर नकली दवाओं की व्यापक उपलब्धता संबंधी रिपोर्ट के आलोक में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) के तहत दवाओं की आपूर्ति का पता रखने के लिए सरकार के पास क्या वर्तमान तंत्र है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) द्वारा जारी किए गए सार्वजनिक नोटिसों के अनुसार, भेषजीय उत्पादों के निर्यातकों से खोजने व खोज-खबर रखने के कार्य को सरल बनाने हेतु उनके निर्यात उत्पादों पर बार कोड लगाना अपेक्षित है। इस प्रयोजन के लिए बार कोड संबंधी अपेक्षाएं प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक स्तर पर लागू होती हैं। तृतीयक स्तर की अपेक्षाएं दिनांक 1.10.2011 से लागू हो गई

हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने स्वास्थ्य एवं परिवार मंत्रालय द्वारा विनियमित वितरण चैनल (प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों/सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों/प्रथम रेफरल एककों, सरकारी अस्पतालों इत्यादि) के माध्यम से आपूर्ति व वितरण के लिए विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत इसके द्वारा अधिप्राप्त दवाओं/औषधों (चिकित्सीय युक्तियों व उपकरणों के सिवाय) के लिए बार कोड अपेक्षाएं और कार्यान्वयन की समय-सीमाएं भी निर्धारित की हैं।

(ख) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय मुख्यतया विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के अंतर्गत केन्द्रीय स्तर पर संवितरण के लिए औषधों अतिप्रापण करता है और राज्यों को वितरित करता है। स्वास्थ एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधिप्रापण व कार्यक्रम प्रभागों और राज्यों द्वारा आपूर्तियों की खोज-खबर रखी जाती है। इसके अतिरिक्त गुणवत्तायुक्त औषधों की खरीद को सुनिश्चित करने के लिए, अच्छी निर्माण पद्धतियों (जीएमपी) के अनुपालन, वैध निर्माण/आयात लाइसेंस, पूर्व-प्रेषण गुणवत्ता नियंत्रण, निर्माण व विपणन अनुभव, न्यूनतम टर्नओवर मानदंड इत्यादि जैसी निविदा प्रक्रिया में कतिपय मानदंडों का अनुपालन किया जाता है।

[हिन्दी]

मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट

2280. श्रीमती रमा देवी : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मुजफ्फरपुर में नए एयरपोर्टों की स्थापना और विद्यमान एयरपोर्ट को विकसित एवं परिचालित किए जाने के संबंध में बिहार सरकार से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कारण सहित इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

नागर विमानन मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) जी, हां। बिहार सरकार ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से नालंदा में एक ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे की स्थापना करने तथा मुजफ्फरपुर के मौजूदा हवाईअड्डे का विकास करने पर विचार करने के लिए अनुरोध किया है।

(ख) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में राज्य सरकार के अनुरोध पर विचार किया गया और उन्होंने राज्य सरकार को सूचित कर दिया है कि बिहार सरकार, केंद्र सरकार की नई ग्रीनफील्ड हवाईअड्डा नीति के अधीन अधिदेशात्मक क्लीयरेंस तथा लागू नियमों और विनियमों की शर्त पर सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) पद्धति के तहत नालंदा में ग्रीनफील्ड हवाईअड्डा विकसित कर सकती हैं तथापि, अब तक इस मंत्रालय में ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

जहां तक मुजफ्फरपुर के मौजूदा हवाईअड्डे के विकास का संबंध है, एक व्यवहार्यता अध्ययन कराया गया और इसकी रिपोर्ट दिसंबर, 2008 में प्रस्तुत कर दी गई है, जिसमें बताया गया है कि मुजफ्फरपुर हवाईअड्डे का विकास करने की कोई संभावना नहीं है। अत: इस समय मुजफ्फरपुर हवाईअड्डे के विकास का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

सांस्कृतिक संगठनों के क्रियाकलाप

2281. श्री रुद्रमधाव राय : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक पूर्व महानिदेशक सहित भारतीय सांस्कृतिक संबंधी परिषद् (आईसीसीआर) के कुछ अधिकारियों को अवैध रूप से लोगों को जर्मनी ले जाने में लिप्त पाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गत तीन वर्ष और चालू वर्ष के दौरान अवैध रूप से लोगों को ले जाने में सांस्कृतिक संगठनों की संभावित संलिप्तता की घटनाएं सरकार के ध्यान में आई हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में चूककर्त्ता सांस्कृतिक संगठनों के विरुद्ध की गई/की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई का मामला-वार, वर्ष-वार ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर) : (क) और (ख) केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् (आईसीसीआर) के पूर्व महानिदेशक तथा एक अधिकारी के विरुद्ध नौ लोगों को अवैध रूप से जर्मनी भेजे जाने के बाबत कथित रूप से कुछ प्राइवेट लोगों के साथ मिलकर आपराधिक षड्यंत्र रचने के आरोप में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 420, 403, 467, 468, 471 के साथ पठित धारा 120बी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(1)(घ) के साथ पठित धारा 13(2) के तहत मार्च, 2006 में एक मामला दर्ज किया था। सीबीआई ने न्यायालय में एक आरोपपत्र दायर किया है और यह मामला न्यायाधीन है।

(ग) और (घ) सामग्री एकत्र की जा रही है तथा इसे सदन के सभापटल पर रख दिया जाएगा।

प्रति बच्चा व्यय

2282. **श्री पी.सी. गद्दीगौदार : क्या महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंगनवाड़ी के बच्चों को अनुमोदित दरों पर खाद्यान्न और अन्य सामग्रियां प्रदान की जाती हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इन बच्चों पर केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा प्रति बच्चा किए जाने वाले व्यय का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सभी राज्यों में प्रति बच्चा व्यय एक समान हैं;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ) : (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) पूरक पोषण कार्यक्रम समेकित बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) स्कीम, जो एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम है, के अंतर्गत प्रदान की जा रही छः सेवाओं में से एक सेवा है। भारत सरकार द्वारा लाभार्थियों की विभिन्न श्रेणियों हेतु निर्धारित वित्तीय मानकों के अनुसार सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को पूरक पोषण हेतु 50:50 के अनुपात में (पूर्वोत्तर राज्यों हेतु 90:10) केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है।

पूरक पोषण प्रदान करते हुए वित्तीय मानक एवं बच्चों की विभिन्न श्रेणियों हेतु प्रति व्यक्ति व्यय इस प्रकार है:

श्रेणी	नवम्बर, 2008 से संशोधित मानक (प्रति लाभार्थी प्रतिदिन)
1. बच्चे (6-72 माह)	4.00 रुपये
2. अत्यधिक कुपोषित बच्चे (6-72)	6.00 रुपये

इसके अलावा 1000/- रुपये स्कूल पूर्व शिक्षा किट, 600/- रुपये, **चिकित्सा किट**, 600/- रुपये की दर से आकस्मिकताएं, 1000/- रुपये की दर से सूचना, शिक्षा एवं संचार, 500/- रुपये की दर से मॉनीटरिंग एवं मूल्यांकन हेतु प्रतिवर्ष प्रति आंगनवाड़ी केन्द्र के मानक हैं।

(घ) और (ङ) जी, हां। भारत सरकार से राशि की निर्मुक्ति मानकों पर आधारित होती है तथापि, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपने स्वयं के स्रोतों से अतिरिक्त निधि के अंशदान के लिए स्वतंत्र है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

खनन संबंधी पट्टा देने के लिए रॉयल्टी दर तय करने के मानदंड

2283. **श्री पी.आर. नटराजन : क्या खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निजी कंपनियों को खनिज सम्पदा भूमि को पट्टे पर देते समय केन्द्र सरकार द्वारा रॉयल्टी दर/पट्टा राशि/अवधि निर्धारित किए जाने के लिए कोई मानदंड अपनाया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो अन्य देशों में तय की जा रही रॉयल्टी दरों की तुलना के साथ-साथ तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) खनिजों के स्वामियों के रूप में राज्य सरकारें खनन पट्टों सहित खनिज रियायतें प्रदान करती हैं। इसके अतिरिक्त खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 (एमएमडीआर अधिनियम), की धारा 9(1) की शर्तों के अनुसार प्रत्येक खनन पट्टाधारक को हटाए या उपभोग किए गए प्रमुख खनिजों के लिए एमएमडीआर अधिनियम, 1957 की दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट रॉयल्टी दरों पर रॉयल्टी का भुगतान करना आवश्यक है। एमएमडीआर अधिनियम, 1957 की धारा 9(3) के अनुसार खनिजों के लिए रॉयल्टी दरों में 3 वर्षों में केवल एक बार वृद्धि के लिए संशोधन किया जा सकता है। रॉयल्टी की दरें अन्य बातों के साथ-साथ सरकार द्वारा इस उद्देश्य के लिए गठित एक अध्ययन समूह द्वारा खनिजों की बाजार-पद्धतियों, उत्पादन लागत तथा पिट माऊथ वेल्यू के आधार पर निश्चित की जाती हैं।

(ख) विदेशों की तुलना में देश में 9 खनिजों, जिनके लिए टन आधार पर रॉयल्टी वसूल की जाती है, को छोड़कर सभी प्रमुख खनिजों के लिए रॉयल्टी दरें यथामूल्य आधार पर निश्चित की जाती हैं। अधिकतर देश यथामूल्यानुसार रॉयल्टी दरों को अपनाते हैं, कुछ देश खनिकों द्वारा अर्जित लाभ पर रॉयल्टी वसूलते हैं। यह व्यवस्था

देश के लिए वर्तमान में उपयुक्त नहीं है क्योंकि देश की लेखांकन प्रणाली खान स्तर पर लाभ का पता लगाने में सक्षम नहीं है।

एंटीबायोटिक नीति

2284. **श्री एम. कृष्णास्वामी :**
श्री राजय्या सिरिसिल्ला :
श्री पन्नालाल पुनिया :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ऐसी कोई व्यापक नीति बनाई है जो देश में एंटीमाइक्रोबियल/एंटीबायोटिक औषधियों के व्यापक और अंधाधुंध उपयोग से उपजे बहु-औषधि प्रतिरोध की समस्या का समाधान करे;

(ख) यदि हां, तो उक्त नीति की मुख्य विशेषताओं का विवरण देते हुए तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त नीति के विरुद्ध विभिन्न भागों से प्राप्त आपत्तियों के समाधान के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई/कार्रवाई प्रस्तावित है;

(घ) क्या सरकार ने परिचालनात्मक दिशा-निर्देशों को अंतिम रूप दे दिया है और उक्त नीति को लागू करने के लिए एक विनियामक तंत्र को स्थापित किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) से (ङ) देश भर में मानव, पशु तथा औद्योगिक उपयोग के लिए अभिप्रेत एंटिबायोटिकों की बढ़ी हुई उपलब्धता तथा इस्तेमाल के कारण रोग जनकों में एंटिमाइक्रोबियल प्रतिरोधता के संबंध में बढ़ती हुई जन स्वास्थ्य चिंता की वजह से सरकार ने देश में एंटिमाइक्रोबियल औषधों के व्यापक एवं अंधाधुंध इस्तेमाल से उत्पन्न होने वाली बहु-औषध प्रतिरोधता की समस्या पर ध्यान देने के लिए उपायों की अनुशंसा करने तथा एंटि-माइक्रोबियल प्रतिरोधता का मूल्यांकन, समीक्षा करने एवं उपाय सुझाने के लिए एक कार्यदल गठित किया था। इस कार्यदल ने देश में एंटिबायोटिकों के इस्तेमाल को युक्तिसंगत बनाने के लिए विभिन्न उपायों की अनुशंसा की। इन सिफारिशों में, अन्य बातों के साथ-साथ, एंटिबायोटिकों की बिक्री की विनियमित करने के लिए औषध एवं प्रसाधन सामग्री नियमों के तहत एक अलग अनुसूची, नियत खुराक वाले सम्मिश्रणों की उपलब्धता को कम करना, तीसरी उत्पत्ति (जेनरेशन) के एंटिबायोटिक्स की कलर कोडिंग शुरू करना तथा उनकी पहुंच को केवल तृतीयक परिचर्या के अस्पतालों तक ही सीमित करना शामिल है। यह कार्यदल मानकीकृत एंटिमाइक्रोबियल अतिसंवेदनशीलता जांच प्रणाली विकसित करना, माइक्रोबियल पहचान तथा डॉक्टरों की रिपोर्टिंग एवं प्रशिक्षण के लिए विस्तृत मानक प्रचालन क्रियाविधि विकसित करने इत्यादि की भी सिफारिश करता है। इस कार्यदल की सिफारिशों के आधार पर, टिप्पणियों के लिए भारत के राजपत्र में एक अधिसूचना प्रकाशित की गई है जिसमें उक्त नियमावली की मौजूदा अनुसूची 'एच' से कतिपय दुर्व्यजनकारक औषधों को हटाने और उन्हें एक नई पृथक अनुसूची 'एच-1' में रखने के लिए औषध एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली 1945 में प्रारुप संशोधन निहित हैं जिनमें यह निर्धारित किया गया है कि ऐसी अनुसूची 'एच-1' में विनिर्दिष्ट पदार्थ के पात्र पर (आरएक्स) प्रतीक का लेबल लगा रहेगा जो लाल रंग में होगा तथा लेबल के बायें कोने पर इस चेतावनी के साथ स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जाएगा कि इसे चिकित्सीय सलाह के बगैर लिया जाना खतरनाक है तथा इसे पंजीकृत चिकित्सक के नुस्खे के बगैर खुदरा नहीं बेचा जाना है।

[हिन्दी]

बिहार में पर्यटक स्थलों का विकास

2285. **श्री हुक्मदेव नारायण यादव :** क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के मधुबनी एवं दरभंगा जिलों में रामायण एवं प्राचीन काल से जुड़े ऐसे सांस्कृतिक एवं धार्मिक स्थल हैं जो पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया गया है;

(ग) यदि हां, तो इन स्थानों के नाम एवं पते क्या हैं। तथा इसके विकास के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(घ) बिहार में जनकपुर में परिक्रमा मार्ग में यात्रियों के लिए आश्रय गृहों के विस्तार, निर्माण एवं उनमें सभी नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या देश में बौद्ध सर्किट की तर्ज पर रामायण काल से जुड़े सभी स्थानों का पर्यटक सर्किट में विकास करने के लिए कोई योजना है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुल्तान अहमद) : (क) से (ग) जी, हां। बिहार राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार मधुबनी और दरभंगा जिले में गिरिजा स्थान, फुलहर, अहिल्या स्थान, कामतौल और दरभंगा जैसे कुछ स्थलों की पहचान की गई है और परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं।

(घ) राज्य सरकार ने यह सूचित किया है कि उनके द्वारा इस प्रकार की कोई भी योजना स्वीकृत नहीं की गई है।

(ङ) और (च) राज्य सरकार ने रामायण परिपथ के अंतर्गत आने वाले कुछ स्थलों की पहचान की है। इस परिपथ के समग्र विकास के लिए ऐसे स्थलों में पर्यटक सुविधाओं के विकास हेतु परियोजनाओं को चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जा रहा है। वर्तमान में सीतामढ़ी में जानकी स्थान, पुनौरा और हलेश्वर स्थान, मधुबनी में गिरिजा स्थान, फुलहर तथा दरभंगा में अहिल्या स्थान, कामतौल एवं बक्सर में राम रेखा घाट योजनाओं में से कुछेक हैं, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है।

[अनुवाद]

एम्स में कागज रहित सेवाएं

2286. श्री पी. कुमार : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) का इस वर्ष के अंत तक अपने सारे कार्यकलापों को कम्प्यूटर आधारित बनाकर इसे एक कागज रहित अस्पताल बनाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सराकार का सभी सरकारी अस्पतालों में प्रयोगशाला, एक्सरे, सीटी स्कैन इत्यादि जैसी सभी निदान सुविधाओं को कागज रहित बनाने और इन रिपोर्टों को ऑन-लाइन करने का भी प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई/कार्रवाई प्रस्तावित है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) और (ख) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में "ई-अस्पताल" और "ई-कार्यालय" परियोजना शुरू की गई है। "ई-अस्पताल" के अंतर्गत ओपीडी में रोगियों का पंजीकरण कम्प्यूटरीकृत है और अंतरंग रोगियों के लिए वार्ड मोड्यूल तैयार किए जाते हैं। एम्स के अनेक अनुभाग/प्रकोष्ठ पहले ही "ई-फाइलिंग" प्रणाली के तहत कार्यात्मक है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान (निम्हांस), बंगलुरु ने पहले ही ई-अस्पताल प्रणाली शुरू कर दी है। निम्हांस में पहले ही कम्प्यूटरीकृत डिजिटेलाइजेशन के साथ ईईजी प्रणाली और पीएसीएस प्रणाली मौजूद है। जवाहर लाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (जिपमेर), पुदुचेरी में रोगियों का पंजीकरण पूर्णतया कम्प्यूटरीकृत है। सभी लैब सुविधाएं फार्मसी और सेंट्रल स्टोर भी कम्प्यूटरीकृत हैं। डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल (आरएमएल), नई दिल्ली में अस्पताल सेवाओं के कम्प्यूटरीकृत के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और नैदानिक सुविधा केन्द्रों की अनेक रिपोर्टें असपताल के नेटवर्क पर पहले ही ऑनलाइन उपलब्ध हैं।

[हिन्दी]

बाल लिंगानुपात

2287. श्रीमती जयश्रीबेन पटेल : क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बालिका के लिए विभिन्न स्कीमों को लागू किए जाने के पश्चात् बालिका संबंधी लिंगानुपात में दर्ज सुधार का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार बाल लिंगानुपात में और सुधार लाने के लिए इस संबंध में जागरूकता अभियान शुरू करने तथा इनमें जनप्रतिनिधियों को शामिल करने का है और इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आबंटित किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ) : (क) भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 0-6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों में (बाल लिंग अनुपात) लड़कियों का अनुपात 2001 में 927 से गिरकर 2011 में 914 रह गया है।

(ख) और (ग) सरकार मानती है कि भारत में घटते बाल लिंग अनुपात की समस्या केवल एक तथ्य नहीं है बल्कि इसे घर और बाहर समग्र रूप से महिला और लड़कियों के निम्न स्तर के परिदृश्य में देखा जाना है। तदनुसार सरकार ने देश में लड़कियों की उत्तर जीविता और उनके स्तर को सुधारने के लिए बहुत से उपाय किए हैं। जबकि सभी बच्चों, जिनमें लड़कियां भी शामिल हैं को पोषण का लाभ प्रदान करने में सुधार के लिए कार्यक्रम, समेकित बाल विकास योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, मध्याहन भोजन योजना इत्यादि, लड़कियों के लिए विशिष्ट उपाय जिसमें गर्भाधान पूर्व और प्रसवपूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन निषेध) अधिनियम, 1994, प्रायोगिक नकदी

अंतरण योजना 'धनलक्ष्मी', बाल लिंग अनुपात में सुधार लाने तथा उसकी सिफारिशों पर अमल करने के लिए क्षेत्रीय नवाचार परिषद की स्थापना और प्रायोगिक स्कीम 'सबला' देश के चयनित 200 जिलों में 11-18 वर्ष की आयु वर्ग की किशोरियों, विशेष रूप से स्कूल छोड़ चुकी लड़कियों के लिए व्यापक उपायों के लिए योजनाओं का कार्यान्वयन शामिल है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने राज्यों और अन्य केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों से सिफारिश की है कि सभी सरकारी कर्मचारी (लोक सेवक) 9 अगस्त, 2012 को जेन्डर आधारित लिंग चयन और महिलाओं के प्रति हिंसा को समाप्त करने की शपथ लें।

12वीं योजना के दौरान, शासन के तृतीय स्तर अर्थात पंचायतों में चुने गए प्रतिनिधियों से जेंडर आधारित लिंग चयन के विरुद्ध वकालत करने तथा अभियान छेड़ने में व्यापक भूमिका निभाए जाने की परिकल्पना की जाती है। मीडिया में बताई गई रिपोर्ट के अनुसार देश के कुछ भागों में पंचायतें इस संबंध में अपने स्तर पर बहुत सकारात्मक भूमिका निभा रही हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से राष्ट्रीय महिला सशक्तीकरण मिशन पंचायती राज मंत्रालय के साथ मिलकर पंचायती राज संस्थाओं को शामिल करते हुए घटते बाल लिंग अनुपात की समस्या को दूर करने के लिए चयनित प्रायोगिक जिलों में नियत उपाय कर रहा है। इस प्रयोजनार्थ जन प्रतिनिधियों के लिए कोई विशेष निधि निर्धारित नहीं की गई है।

[अनुवाद]

एमआईएचएएन परियोजना

2288. श्री सुरेश कलमाडी : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मल्टी मॉडल इंटरनेशनल कारगो हब एंड एयरपोर्ट (एमआईएचएएन) परियोजना में अत्यधिक देरी हो गयी है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना की वर्तमान स्थिति सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस परियोजना में तेजी लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है?

नागर विमानन मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) तथा भारतीय वायु सेना (एआईएफ) के बीच भूमि के स्वामित्व को लेकर विवाद, तथा भूमि अधिग्रहण में विलंब और नागपुर हवाईअड्डा को संयुक्त उद्यम कंपनी (जेवीसी) को हस्तांतरित करने के कारण परियोजना में कुछ विलंब हो गया है।

नागपुर हवाईअड्डा दिनांक 07.08.2009 को संयुक्त उद्यम कंपनी को हस्तांतरित कर दिया गया है। संयुक्त उद्यम कंपनी को हस्तांतरित किए जाने वाले भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की परिसंपत्तियों का मूल्यांकन अग्रिम अवस्था में है अर्थात् परामर्शदाता द्वारा मसौदा रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है। सार्वजनिक निजी भागीदारी आधार पर डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा के उन्नयन तथा आधुनिकीकरण के लिए सेकेंड जेवीसी/रणनीतिक साझेदार के चयन के लिए दिनांक 02.08.2011 को जेवीसी द्वारा हवाईअड्डा संव्यवहार सलाहकार की नियुक्ति की गई है। परामर्शदाता द्वारा मसौदा वित्तीय व्यवहार्यता रिपोर्ट भी प्रस्तुत कर दी गई है।

सहमति अधिनिर्णय द्वारा शेष 146.49 हैक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है तथा जुडपी जंगल भूमि के हस्तांतरण का एक प्रस्ताव मिहान इंडिया लिमिटेड (एमआईएल) द्वारा महाराष्ट्र सरकार को प्रस्तुत किया गया है। संयुक्त उद्यम कंपनी ने एमएडीसी तथा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की मूर्त परिसंपत्तियों का मूल्यांकन करने के लिए मैसर्स ई एण्ड वाई की नियुक्ति की है। संयुक्त उद्यम कंपनी ने सार्वजनिक निजी भागीदारी आधार पर डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा, नागपुर के उन्नयन तथा आधुनिकीकरण के लिए मैसर्स ई एण्ड वाई की ट्रांसजेक्शन सलाहकार के रूप में नियुक्ति की है।

मधुमेह रोगी

2289. श्री प्रदीप माझी :
श्री पी. करुणाकरन :
श्री चन्द्रकांत खैरे :
श्री किसनभाई वी. पटेल :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) द्वारा जारी नई रिपोर्ट पर ध्यान दिया है जिसमें यह कहा गया है कि हर दस भारतीय में से एक भारतीय मधुमेह का रोगी है;

(ख) यदि हां, तो इस देश में मधुमेह रोगियों की अनुमानित संख्या सहित तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) मधुमेह के बढ़ते खतरे को रोकने और इसके लिए वहनीय

स्क्रीनिंग और इलाज संबंधी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए/किए जाने प्रस्तावित हैं;

(घ) क्या भारत ने मधुमेह अनुसंधान में सहयोग के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएसए) के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस समझौते की मुख्य बातों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस समझौते से देश में मधुमेह रोगियों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं में किस सुधार आने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) जी, हां। सरकार इस रिपोर्ट से अवगत है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की नई रिपोर्ट, 2012 के अनुसार भारत में प्रत्येक 10 वयस्कों में एक मधुमेह से पीड़ित है।

(ख) देश में मधुमेह से संबंधित स्टीक आंकड़े ज्ञात नहीं हैं। इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन (आईडीएफ) का अनुमान है कि भारत में मधुमेह से पीड़ित लोगों की संख्या वर्ष 2010 में करीब 50.8 मिलियन थी जो वर्ष 2030 तक बढ़कर 87.0 मिलियन हो जाएगी।

(ग) सरकार ने 11वीं पंचवर्षीय योजना में कैंसर, मधुमेह, हृदवाहिका रोग तथा आघात निवारण एवं नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम में 30 वर्ष की आयु से अधिक के व्यक्तियों की विभिन्न स्वास्थ्य परिचर्या सुविधा केन्द्रों अर्थात् जिला अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों तथा उप-केंद्रों में मधुमेह तथा उच्च रक्तचाप के लिए समयानुवर्ती ज़ांच की व्यवस्था की गई है। इस कार्यक्रम को 21 राज्यों के 100 अभिज्ञात जिलों में शुरू किया गया है।

मधुमेह रोगियों का मेडिकल कॉलेजों तथा तृतीयक स्वास्थ्य परिचर्या संस्थाओं के अलावा जिला अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों तक स्वास्थ्य परिचर्या प्रदानगी प्रणाली में उपचार किया जाता है। यह उपचार गरीब एवं जरूरतमंद लोगों के लिए या तो नि:शुल्क अथवा अत्यंत इमदादी होता है।

(घ) और (ङ) जून, 2012 में भारत सरकार तथा संयुक्त राज्य (यूएसए) ने सहयोगात्मक प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए मधुमेह अनुसंधान क्षेत्र में एक संयुक्त सहयोग वक्तव्य पर हस्ताक्षर किए हैं जिससे मधुमेह एवं इसकी जटिलताओं को समझने, रोकने तथा उपचार करने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में महत्वपूर्ण प्रगति हो सकती है।

इस संयुक्त वक्तव्य का मुख्य प्रयोजन मधुमेह की रोकथाम एवं उपचार में सुधार लाने के लिए मधुमेह में अंतर्निहित आणविक तथा जैविक तंत्रों की बेहतर समझ पैदा करने, आनुवंशिक, सामाजिक तथा पर्यावरणिक निर्धारकों को अभिलक्षित करने तथा नवीन दृष्टिकोण की पहचान करने हेतु दोनों देशों के बीच स्वास्थ्य अनुसंधान में संबंध की शुरुआत करना है। संयुक्त प्रयासों में लागत-प्रभावी साधनों एवं दृष्टिकोणों को विकसित करने पर भी बल दिया जा सकता है जिससे कि जन स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए अनुसंधान के परिणामों को नीतियों में परिणत किया जा सके।

खाद्य पेय पदार्थों में रसायन/परिरक्षी

2290. श्री रवनीत सिंह : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश भर में बेचे जा रहे खाद्य और पेय पदार्थों में रसायन और परिरक्षी की उपस्थिति के संबंध में सरकार द्वारा निर्धारित मानंदडों एवं मानकों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या देश में कतिपय खाद्य और पेय पदार्थों में रसायनों में परिरक्षियों की अत्यधिक मात्रा पायी गयी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान दोषियों के विरुद्ध सरकार द्वारा की गई कार्रवाई/प्रस्तावित कार्रवाई का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने रसायन और परिरक्षी के अत्यधिक स्तर वाले इन खाद्य पदार्थों/पेय पदार्थों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव का आकलन/अध्ययन किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और निर्माताओं द्वारा खाद्य पदार्थों/पेय पदार्थों में रसायन एवं परिरक्षियों के उपयोग के संबंध में मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई/प्रस्तावित है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदीप बंदोपाध्याय) : (क) खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य पदार्थ मानक और खाद्य योजक) विनियम, 2011 में खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों में सभी रसायन और परिरक्षकों के नाम और मानक दिए गए हैं।

(ख) और (ग) राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों से उपलब्ध कराई गई सूचनानुसार वर्ष 2009, 2010 और 2011-12 **के दौरान खाद्य पदार्थ**

में मिलावट के लिए दर्ज/चालान किए गए मामलों की संख्या और दंडित मामलों की संख्या का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) विभिन्न रसायनों और परिरक्षकों के मानक खाद्य योंजकों पर विशेषज्ञ समिति संयुक्त रूप से खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ)/विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) द्वारा सभी उपलब्ध सुरक्षा और विषविज्ञानी आंकड़ों की समीक्षा के आधार पर निर्धारित होते हैं। किसी योजक के अधिकतम आहार स्तर का निर्धारण जो बगैर किसी दृष्टव्य विष प्रभाव का हो; "प्रतिकूल प्रभाव नहीं पाया" (एनओएईएल) के आधार पर होता है। सुरक्षा दायरे को पर्याप्त ध्यान रखते हुए खाद्य पदार्थ योजकों के मानक निर्धारित होते हैं जिसमें बिना स्वास्थ्य जोखिम के जीवन-पर्यन्त लिए जाने वाले दैनिक आहार पर विशेष जोर रहता है।

अगर अत्यधिक मात्रा वाले रसायनों और परिरक्षक खाद्य/पेय पदार्थों का सेवन किया जाए तो उनके कुछ दुष्प्रभावों की संभावना रहती है। उदाहरणस्वरूप, कैफिन की अधिक मात्रा में सेवन से रक्तचाप, टाची कार्डिया, चिंता, बेचैनी और कंपन हो सकते हैं। (1, 2, 3)

(ङ) राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा नियमित तौर पर भोज्य पदार्थों के नमूने लिए जाते हैं और यदि खाद्य पदार्थों के नमूने खाद्य सुरक्षा और मानक विनियम, 2011 के प्रावधानों के अनुरूप नहीं पाए गए तो ऐसे गलत करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों में दर्ज/चालन किए गए/दंडित मामलों की संख्या का तुलनात्मक ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य का नाम/संघ राज्य क्षेत्र	2009		2010		2011-12	
		दर्ज, चालान हुए मामले	दंडित मामले	दर्ज, चालान हुए मामले	दंडित मामले	दर्ज, चालान हुए मामले	दंडित मामले
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	415	32	382	37	342	56
2.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	अ.न.	अ.न.	अ.न.	अ.न.
3.	अरुणाचल प्रदेश	10	1	16	7	—	—
4.	असम	105	11	103	10	अ.न.	अ.न.
5.	बिहार	237	0	293	251	अ.न.	—
6.	चंडीगढ़	153	7	121	118	अ.न.	अ.न.
7.	छत्तीसगढ़	0	0	—	—	अ.न.	अ.न.
8.	दादरा और नगर हवेली	3	0	0	0	शून्य	अ.न.
9.	दमन और दीव	0	0	0	0	अ.न.	अ.न.
10.	दिल्ली	225	99	0	127	70	अ.न.
11.	गोवा	9	0	2	0	13	—

1	2	3	4	5	6	7	8
12.	गुजरात	619	44	683	99	अ.न.	अ.न.
13.	हरियाणा	496	71	अ.न.	अ.न.	अ.न.	अ.न.
14.	हिमाचल प्रदेश	143	18	अ.न.	अ.न.	अ.न.	अ.न.
15.	जम्मू और कश्मीर	2661	1230	अ.न.	अ.न.	126	12
16.	झारखंड	0	0	26	0	53	शून्य
17.	कर्नाटक	56	0	91	2	अ.न.	अ.न.
18.	केरल	0	0	0	0	अ.न.	अ.न.
19.	लक्षद्वीप	अ.न.	अ.न.	शून्य	शून्य	अ.न.	अ.न.
20.	मध्य प्रदेश	533	23	अ.न.	अ.न.	अ.न.	अ.न.
21.	महाराष्ट्र	445	68	अ.न.	अ.न.	677	74
22.	मणिपुर	अ.न.	अ.न.	0	0	अ.न.	अ.न.
23.	मेघालय	0	0	0	0	—	—
24.	मिजोरम	0	0	0	0	शून्य	शून्य
25.	नागालैंड	3	2	3	3	अ.न.	अ.न.
26.	ओडिशा	82	3	29	6	अ.न.	अ.न.
27.	पुदुचेरी	0	0	0	0	अ.न.	अ.न.
28.	पंजाब	310	34	516	30	—	—
29.	राजस्थान	1022	3	806	18	अ.न.	अ.न.
30.	सिक्किम	3	1	3	1	अ.न.	अ.न.
31.	तमिलनाडु	0	—	127	110	अ.न.	अ.न.
32.	त्रिपुरा	0	0	0	0	अ.न.	अ.न.
33.	उत्तर प्रदेश	3492	287	3789	540	अ.न.	अ.न.
34.	उत्तराखंड	17	8	52	25	अ.न.	अ.न.
35.	पश्चिम बंगाल	22	0	22	0	अ.न.	अ.न.
	कुल	11061	1942	7064	1133	1532	142

संकेत: अ.न. = अनुपलब्ध, शून्य = 0

[हिन्दी]

आयुर्वेदिक और होमियापैथिक अस्पताल/ औषधालय

2291. श्री दानवे रावसाहेब पाटील : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश भर में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार आयुर्वेदिक और होमियोपैथिक अस्पतालों एवं औषधालयों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार का देशभर में नए आयुर्वेदिक और होमियोपैथिक अस्पतालों एवं औषधालयों की स्थापना का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस उद्देश्य के लिए स्थान-वार एवं राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार आवंटित की गई/आवंटित की जाने वाली धनराशि का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. गांधीसेलवन) : (क) देश में आयुर्वेदिक और होम्यापैथिक अस्पताल और औषधालयों के राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) से (घ) जी, नहीं। तथापि, भारत सरकार ने 'आयुष अस्पताल और औषधालय विकास' केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत वर्ष 2011-12 के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड तथा जम्मू और कश्मीर जैसे पर्वतीय राज्यों में 50/10 बिस्तरों वाले एकीकृत आयुष अस्पताल की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की है। इसका ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

आयुर्वेद और होम्योपैथी के अस्पताल एवं औषधालयों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या
(1.4.2011 की स्थिति के अनुसार)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	अस्पतालों की संख्या		औषधालयों की संख्या	
		आयुर्वेद	होम्योपैथी	आयुर्वेद	होम्योपैथी
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	8	6	1003	518
2.	अरुणाचल प्रदेश	11	1	2	55
3.	असम	1	3	380	75
4.	बिहार	11	11	311	179
5.	छत्तीसगढ़	9	3	1272	172
6.	दिल्ली	3	2	156	128
7.	गोंवा	1	1	9	10
8.	गुजरात	41	16	523	216
9.	हरियाणा	8	1	493	22

1	2	3	4	5	6
10.	हिमाचल प्रदेश	27	0	1105	14
11.	जम्मू और कश्मीर	1	0	240	0
12.	झारखंड	1	4	220	92
13.	कर्नाटक	133	21	561	5
14.	केरल	126	30	898	551
15.	मध्य प्रदेश	21	2	1427	146
16.	महाराष्ट्र	63	46	469	0
17.	मणिपुर	0	4	32	194
18.	मेघालय	3	7	4	5
19.	मिजोरम	0	8	1	13
20.	नागालैंड	0	2	109	93
21.	ओडिशा	8	6	624	637
22.	पंजाब	15	0	0	111
23.	राजस्थान	118	11	3577	180
24.	सिक्किम	0	0	0	0
25.	तमिलनाडु	2	1	97	105
26.	त्रिपुरा	1	1	54	77
27.	उत्तर प्रदेश	1771	8	389	1575
28.	उत्तराखंड	7	1	467	60
29.	पश्चिम बंगाल	4	12	295	1534
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1	1	8	17
31.	चंडीगढ़	1	1	8	7

1	2	3	4	5	6
32.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0
33.	दमन और दीव	0	0	6	6
34.	लक्षद्वीप	0	0	8	5
35.	पुदुचेरी	1	0	21	10
	कुल (क)	2397	210	14769	6812
ख.	सीजीएचएस और केंद्र सरकार के संगठन	23	5	248	237
	कुल (क+ख)	2420	215	15017	7049

(स्रोत : आयुष इन इंडिया-2001)।

विवरण-II

आयुष अस्पताल एवं औषधालय विकास केंद्रीय प्रायोजित स्कीम

50/10 बिस्तरों वाले एकीकृत आयुष अस्पताल की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता

क्र. सं.	राज्य	कुल वित्तीय सहायता (लाखों रुपयों)
1	2	3
पूर्वोत्तर राज्य		
1.	अरुणाचल प्रदेश	215.90
2.	असम	255.85
3.	मणिपुर	765.00
4.	मेघालय	215.90
5.	मिजोरम	765.00
6.	नागालैंड	215.90
7.	सिक्किम	217.47
8.	त्रिपुरा	650.25
अन्य पर्वतीय राज्य		
1.	उत्तराखंड	318.75
2.	हिमाचल प्रदेश	650.25
3.	जम्मू और कश्मीर	765.00
	कुल	5035.27

नोट: वर्ष 2012-13 के दौरान अब तक कोई निधि निर्मुक्त नहीं की गई है।

•स्कीम घटक वर्ष 2011-12 में प्रारंभ किया गया था।

[अनुवाद]

अस्पतालों द्वारा प्रवृत्त संक्रमण

2292. **श्री के. सुगुमार : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के गहन चिकित्सा कक्षों (आईसीयू) सहित विभिन्न सरकारी अस्पतालों में अस्पताल प्रवृत्त संक्रमण पर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ग) जी, हां। जहां तक केंद्रीय सरकार द्वारा दिल्ली चलाए जा रहे अस्पतालों का संबंध है, उठाए गए कदमों में अस्पताल संक्रमण नियंत्रण समिति (एचआईसीसी) का गठन शामिल है जो निगरानी कार्यकलापों के माध्यम से अस्पताल में होने वाले संक्रमण पर नजर रखती है। यह समिति अस्पतालों व अस्पताल के सभी श्रेणियों के कर्मचारियों द्वारा सुरक्षित संक्रमण नियंत्रण संबंधी नयाचारों का कड़ाई से अनुपालन के सुनिश्चित करती है। जब भी अस्पताल प्रवृत संक्रमणों की ऐसी घटना का पता लगता है, प्रभारी डॉक्टर के साथ संप्रेषण, उपयुक्त नैदानिक नमूनों का परीक्षण करके रोगियों का प्रयोगशाला निदान, पर्यावरणीय नमूनों का परीक्षण, समुचित उपायों द्वारा संक्रमण व नियंत्रण के स्रोत की खोज करने के लिए स्वास्थ्य परिचर्या कार्यकताओं की निगरानी जैसे समुचित उपाय तत्काल शुरू किए जाते हैं ताकि ऐसे संक्रमणों को आगे फैलने से नियंत्रित किया और रोका जा सके।

फ्लाइंग क्लब

2293. **श्री निशिकांत दुबे : क्या नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश भर में सरकारी और निजी फ्लाइंग क्लबों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने हाल ही में इस फ्लाइंग क्लबों की लेखा परीक्षा कराई है;

(ग) यदि हां, तो इनमें फ्लाइंग क्लब-वार पता चली अनियमितताओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई/कार्रवाई प्रस्तावित है; और

(ङ) यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/प्रस्तावित हैं कि फ्लाइंग क्लब सरकार द्वारा पूर्व निर्धारित दिशानिर्देशों/प्रक्रिया का कड़ाई से पालन करें?

नागर विमानन मंत्री (श्री अजीत सिंह) : (क) नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा अनुमोदित उड़ान प्रशिक्षण संस्थानों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) 38 फ्लाइंग क्लबों का ऑडिट हो चुका है। शेष का ऑडिट नहीं किया जा सका, चूंकि वे प्रचालन में नहीं थे।

(ग) ऑडिट करने का प्रमुख उद्देश्य यह सुनिश्चित करना कि उड़ान और प्रशिक्षण संगठन विद्यमान दिशानिर्देशों के अनुसार कार्य कर रहे हैं और उनके पास विमान की उड़ान प्रशिक्षण और अनुरक्षण करने के लिए सुविधाएं और व्यवस्था उपलब्ध हैं। ऑडिट के दौरान कुछ स्कूलों के संबंध में पाई गई कमियां इस प्रकार थीं:

(i) दस्तावेजों का ठीक प्रकार से रख-रखाव न करना।

(ii) डोजियरों का भली प्रकार से रख-रखाव न करना।

(iii) अपर्याप्त ग्राउंड अनुदेशक।

(iv) ईंधन कुप्रबंधन और प्राधिकरण पुस्तकों में असत्य प्रविष्टियां।

(v) विमान की दुर्घटना होने पर आपातस्थिति से निपटने की व्यवस्था न होना।

(vi) प्राथमिक उपचार के लिए उपलब्ध ऐसी दवाइयां जिनकी मियाद समाप्त हो चुकी थी।

(vii) पुस्तकालय में अपर्याप्त पुस्तकें।

(viii) हैंगर में अर्थिंग पॉइंट का अभाव।

(ix) टैरामैक का भली प्रकार से अनुरक्षण नहीं।

(x) प्रचालन क्षेत्र के चारों और अनुपयुक्त चार दिवारी।

(xi) हैंगर और आस-पास के क्षेत्र में अवरोध लाइट की अनुपलब्धता।

(xii) बैटरी चार्जिंग उपस्करों का अंशाकन नहीं किया गया।

(xiii) अग्निशमन उपस्कर भली प्रकार से सज्जित नहीं।

(घ) व्यवस्था, में सुधार करने के उद्देश्य से संबंधित उड़ान प्रशिक्षण संस्थान के साथ ऑडिट टिप्पणी की प्रकृति के अनुसार सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है।

(ङ) उड़ान क्लबों की सुरक्षा ओवरसाइट और सर्विलांस वार्षिक सर्विलांस कार्यक्रम अनुसार यह सुनिश्चित करने के लिए की जाती है ताकि प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा समय-समय पर जारी वायुयान नियम, नागर विमानन अपेक्षाएं और अन्य विनियमों का अनुपालन किया जाए।

विवरण

डीजीसीए अनुमोदित उड़ान प्रशिक्षण संस्थान की सूची-राज्यवार प्रचालन स्थिति

राज्य	क्र.सं.	संस्थान का नाम
1	2	3
आंध्र प्रदेश	1.	आंध्र प्रदेश एविएशन एकेडमी ओल्ड एयरपोर्ट हैदराबाद-500011
	2.	फ्लाइटैंक एविएशन एकेडमी, नादिरगुल हैदराबाद-500011
	3.	विंग्स एविएशन प्राइवेट लिमिटेड, #7-8-277 एस.बी. प्लाजा, ओल्ड एयरपोर्ट रोड, गौतम नगर, बावनपैली, सिकंदराबाद
बिहार	4.	बिहार फ्लाइंग इंस्टीयूट, पटना-500011 एयरपोर्ट, पटना-800014, बिहार
छत्तीसगढ़	5.	साई फ्लाईटेक एविएशन प्राइवेट लिमिटेड, चकरभाता, एयरपोर्ट, बिलासपुर, छत्तीसगढ़-492101
गुजरात	6.	गुजरात फ्लाइंग क्लब, सिविल ऐरोड्रोम, हरनी रोड, बड़ोदरा-390022 (गुजरात)
	7.	अहमदाबाद एविएशन एवं एरोनाटिक्स लिमिटेड, एएए हैंगर, ओल्ड टर्मिनल एयरपोर्ट
	8.	रेनबो फ्लाइंग एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड एटीसी टावर के पास-हैंगर नं.1 सूरत हवाई अड्डा-सूर गुजरात
हरियाणा	9.	हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल एविएशन, सिविल ऐरोड्रोम, करनाल, हरियाणा
	10.	हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल एविएशन, सिविल ऐरोड्रोम, पिंजोर, हरियाणा
	11.	हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल एविएशन, सिविल ऐरोड्रोम, हिसार, हरियाणा
झारखंड	12.	अलकेमिस्ट एविएशन प्राइवेट लिमिटेड, सोनरी ऐरोड्रोम, जमशेदपुर, झारखंड
कर्नाटक	13.	सरकारी-एविएशन ट्रेनिंग स्कूल, जकुर बैंगलोर

1	2	3
	14.	एचएएल रोटरी विंग एकेडमी (हेलीकॉप्टर), प्रोटोटाइप हैंगर, एचएएल गेट संख्या-30
केरल	15.	राजीव गांधी एकेडमी फॉर एविएशन टेक्नालॉजी, टीसी 36/1200 (1 एवं 2) बाल्काडव पीओएन चाक्कल तिरुअनंतपुरम, केरल
मध्य प्रदेश	16.	मध्य प्रदेश फ्लाइंग क्लब लिमिटेड, भोपाल बेस
	17.	मध्य प्रदेश फ्लाइंग क्लब लिमिटेड, देवी अहिल्याबाई होल्कर एयरपोर्ट सिविल ऐरोड्रोम
	18.	चाईम्स एविएशन - सागर, (एमपी)
	19.	पायलट ट्रेनिंग कॉलेज, गर्वनमेंट एयरस्ट्रिप, पीओ सिनखेड़ा खारगौन-451001, मध्य प्रदेश
	20.	शा-शिव फ्लाइंग एकेडमी, गुना एयरपोर्ट, गुना, मध्य प्रदेश-473001
	21.	यश एयर, दातना एयर स्ट्रिप, देवास रोड, उज्जैन, मध्य प्रदेश
महाराष्ट्र	22.	नागपुर फ्लाइंग क्लब प्राइवेट लिमिटेड, डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट सोनेगांव ऐरोड्रोम, नागपुर, महाराष्ट्र
	23.	बाम्बे फ्लाइंग क्लब जूहू, ऐरोड्रोम जूहू, मम्बई-400049
	24.	नेशनल फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड केयर ऑफ भारतीय विमानपत्तन, प्राधिकरण, बिरसी एयरपोर्ट, पीओ पारसवाड़ा गोंदिया-441614, महाराष्ट्र
	25.	कारवर एविएशन प्राइवेट लिमिटेड, प्लाट पी-50 एमआईडीसी एयरपोर्ट बारामती-413133
	26.	एसकेवीएम एमएमएमआईएमएस यूनिवर्सिटी एकेडमी ऑफ एविएशन-कैम्पस बाबुलद, ताप्ती का किनारा, मुम्बई आगरा रोड, शीरपुर जिला पुणे, धुले-425405, महाराष्ट्र
ओडिशा	27.	सरकारी एविएशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ओल्ड टर्मिनल बिल्डिंग, बीजू पटनायक एयरपोर्ट, भुवनेश्वर
पंजाब	28.	अमृतसर एविएशन क्लब, अमृतसर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पीओ, राजासांसी, अमृतसर, पंजाब-143101
	29.	लुधियाना एविएशन क्लब, सिविल ऐरोड्रोम, पीओ साहनेवाल, लुधियाना-141120
	30.	पटियाला एविएशन क्लब, सिविल ऐरोड्रोम, संगरूर रोड, पटियाला, पंजाब

1	2	3
	31.	बिरमी एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड, पटियाला, पंजाब
राजस्थान	32.	राजस्थान फ्लाइंग स्कूल जयपुर
	33.	वनस्थली विद्यापीठ ग्लाइडिंग एण्ड फ्लाइंग क्लब वनस्थली यूनियन वनस्थली जिला टोंक राजस्थान-304022
तमिलनाडु	34.	मद्रास फ्लाइंग क्लब लिमिटेड, गेट संख्या ओल्ड एयरपोर्ट, मीनाम्बकम, चेन्नई-600027
	35.	ओरिएंट फ्लाइंग स्कूल पाडुचेरी, 40 जीएसटी रोड, सेंट थॉमस माउंट चेन्नई-600016 तमिलनाडु
	36.	साउदर्न पायलट ट्रेनिंग एकेडमी, साइट-बी सेलम एयरपोर्ट ओमलूपू, तमिलनाडु
	37.	इंटरनेशनल एविएशन एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड, सेलम एयरपोर्ट, पीओ कमालपुरम, सेलम, तमिलनाडु-636309
उत्तर प्रदेश	38.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी, फुरसतगंज, जिला रायबरेली, उत्तर प्रदेश-229302
	39.	एबिएंस फ्लाइंग क्लब प्राइवेट लिमिटेड एमएस-10, एच 91, धनीपुर एयरपोर्ट, पोस्ट पनेथी, अलीगढ़-202001, उत्तर प्रदेश
	40.	चेतक एविएशन एकेडमी, एमएस-10, एनएच-91, धनीपुर एयरपोर्ट, पोस्ट पनेथी, अलीगढ़-202001, उत्तर प्रदेश
	41.	गर्ग एविएशन लिमिटेड, हैंगर नं. 3 सिविल ऐरोड्रोम, कैंट, कानपुर-208004
	42.	पायनियर फ्लाइंग एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड एमएस-10, एनएच-91 धनीपुर एयरपोर्ट, पोस्ट पनेथी, अलीगढ़-202001, उत्तर प्रदेश
	43.	सरस्वती एविएशन अकेडमी, अमहर एयरफील्ड एनएच-56, सुल्तानपुर-288001, उत्तर प्रदेश
उत्तराखंड	44.	अम्बर एविएशन प्राइवेट लिमिटेड, सिविल ऐरोड्रोम, पंत नगर, उत्तराखंड

स्तन एवं ग्रीवा कैंसर

2294. **श्रीमती हरसिमरत कौर बादल :**
श्री चौधरी लाल सिंह :
श्री के. सुगुमार :
श्री सुरेश कुमार शेटकर :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश भर में महिलाओं में स्तन और ग्रीवा कैंसर के मामलों में अत्यधिक वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू

वर्ष में आज तक पता चले स्तन एवं ग्रीवा कैंसर के मामलों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई अध्ययन/आकलन कराया है;

(घ) यदि हां, तो निष्कर्ष सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) महिलाओं में स्तन और ग्रीवा कैंसर की बढ़ती घटनाओं को रोकने और इस उद्देश्य के लिए टीका विकसित करने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित/आबंटित की गई निधि सहित किए गए/प्रस्तावित उपचारात्मक उपाय क्या हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदीप बंदोपाध्याय) : (क) और (ख) जी, हां। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् (आईसीएमआर) के अनुसार देशभर में महिलाओं में स्तन और ग्रीवा कैंसर के रोगियों की संख्या में वृद्धि होने की सूचना दी गई है। पिछले तीन वर्षों के दौरान स्तन और ग्रीवा कैंसर के रोगियों की अनुमानित संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। तथापि, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अधीन नेशनल कैंसर रजिस्ट्री कार्यक्रम वर्ष 1982 से जनसंख्या आधारित व अस्पताल आधारित कैंसर रजिस्ट्रियों के माध्यम से कैंसर घटना-दर के आंकड़े एकत्रित करता है।

(ङ) भारत सरकार ने वर्ष 2010 में एक व्यापक राष्ट्रीय कैंसर, मधुमेह, हृदयवाहिका रोग और अभिघात निवारण व नियंत्रण कार्यक्रम (एनपीसीडीसीएस) शुरू किया था तथा इस कार्यक्रम में इसे 11वीं पंचवर्षीय योजना के वर्ष 2010-2012 के दौरान 21 राज्यों के 100 जिलों में कार्यान्वित किए जाने की परिकल्पना की गई है।

इस कार्यक्रम में व्यापक कैंसर परिचर्या सेवाएं प्रदान करने के लिए देशभर में सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय के अस्पतालों और पहले के क्षेत्रीय कैंसर केंद्रों (आरसीसी) को तृतीयक कैंसर केंद्र (टीसीसी) के रूप में सुदृढ़ करने की भी परिकल्पना की गई हैं ये संस्थाएं 6 करोड़ रुपए (केंद्रीय सरकार से 4.80 करोड़ रुपए और राज्य सरकार से 1.20 करोड़ रुपए) तक की वित्तीय सहायता की पात्र हैं।

इसके अतिरिक्त केंद्रीय सरकार कैंसर का शुरू में ही पता लगाने, स्वास्थ्य शिक्षा को बढ़ावा देने तथा जागरूकता उत्पन्न करने पर ध्यान केंद्रित करके राज्य सरकारों के प्रयासों को पूरा कर रही है।

औषध महानियंत्रक (भारत) ने ग्रीवा कैंसर की रोकथाम के लिए दो ह्यूमेन पेप्लिोमा वाइरस (एचपीवी) व वैक्सीनों का अनुमोदन किया है।

कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम अब एनपीसीडीसीएस का एक अंग है और वर्ष 2012-13 के लिए एनपीसीडीसीएस हेतु बजटीय आबंटन 3.00 करोड़ रुपए है।

विवरण

स्तन और ग्रीवा कैंसर के रोगियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार अनुमानित संख्या

(2009-2011)

राज्य	स्तन कैंसर			ग्रीवा कैंसर		
	2009	2010	2011	2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7
जम्मू और कश्मीर	666	685	708	975	1002	1014
हिमाचल प्रदेश	326	335	345	636	653	662
पंजाब	1870	1936	2006	2288	2352	2389

1	2	3	4	5	6	7
चंडीगढ़	120	125	130	74	77	81
उत्तराखंड	600	619	641	883	910	927
हरियाणा	1609	1678	1751	2112	2188	2236
दिल्ली	2072	2178	2291	1175	1235	1287
राजस्थान	3967	4113	4272	6014	6233	6374
उत्तर प्रदेश	11077	11484	11921	17367	17975	18353
बिहार	4732	4903	5087	9117	9444	9646
सिक्किम	16	16	17	26	27	29
अरुणाचल प्रदेश	87	92	97	118	124	127
नागालैंड	156	165	176	263	279	293
मणिपुर	90	92	94	96	100	101
मिजोरम	60	61	64	81	85	86
त्रिपुरा	196	202	207	321	330	334
मेघालय	164	172	178	260	270	276
असम	1635	1683	1734	1229	1265	1290
पश्चिम बंगाल	5630	5793	5968	7908	8128	8244
झारखंड	1853	1919	1991	2890	2992	3057
ओडिशा	2185	2250	2318	3779	3876	3921
छत्तीसगढ़	1388	1434	1483	2196	2261	2296
मध्य प्रदेश	6830	7051	7286	5075	5238	5361
गुजरात	4116	4255	4405	4908	5056	5141
दमन व दीव	13	13	13	14	14	14
दादर और नगर हवेली	23	25	30	27	29	31

1	2	3	4	5	6	7
महाराष्ट्र	8446	8748	9072	9264	9545	9713
आंध्र प्रदेश	5291	5422	5565	7497	7680	7764
कर्नाटक	8897	9367	9637	5298	4201	4281
गोवा	132	37	30	123	71	65
लक्षद्वीप	5	5	5	7	7	7
केरल	2171	2214	2261	3170	3236	3259
तमिलनाडु	11129	11441	11788	6623	6809	6949
पुदुचेरी	112	115	120	89	92	94
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	29	31	32	35	37	38
कुल	87693	90659	93723	101938	103821	105740

*वर्ष 2006-08 पीबीसीआर के आंकड़ों और प्रवृत्ति रिपोर्ट के आधार पर।

नेप्था/एलएसएचएस एवं गैस आधारित विद्युत संयंत्र

2295. **श्री कोडिकुन्नील सुरेश : क्या विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल सहित देश भर में नेप्था, लो सल्फर हैवी स्टॉक (एलएसएचएस) और गैस आधारित विद्युत संयंत्रों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केरल सहित विभिन्न राज्य इन विद्युत संयंत्रों के लिए नेप्था/एलएसएचएस/फरनेस ऑयल एवं गैस की नियमित आपूर्ति हेतु अनुरोध कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल) : (क) देश में स्थित नैप्था तथा लो सल्फर हेवी स्टॉक (एलएसएचएस) आधारित विद्युत संयंत्रों (30 जून, 2012 तक) के ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं तथा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा निगरानी किए जा रहे गैस आधारित विद्युत संयंत्रों (30 जून, 2012 तक) के ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) विद्युत मंत्रालय (एमओपी) को एनटीपीसी के मौजूदा कायमकुलम संयंत्र को कम दर पर नैप्था प्रदान किए जाने के लिए केरल सरकार से अनुरोध प्राप्त हुआ था। विभिन्न राज्यों से उनके मौजूदा संयंत्रों को घरेलू गैस की नियमित आपूर्ति किए जाने के अनुरोध भी विद्युत मंत्रालय/सीईए में समय-समय पर प्राप्त हुए हैं।

(घ) उत्पाद शुल्क/सीवीडी से छूट दिए जाने के लिए केरल सरकार के प्रस्ताव को वित्त मंत्रालय के साथ उठाया गया था। तथापि, देश में विद्युत उत्पादन के लिए उपयोग में लाए जा रहे नैप्था के संबंध में ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है। देश में, पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपी एण्ड एनजी), द्वारा यथा उल्लिखित गैस के कम उत्पादन के परिप्रेक्ष्य में, देश में इस समय मौजूदा संयंत्रों को आपूर्ति किए जाने के लिए अतिरिक्त गैस उपलब्ध नहीं है।

विवरण-I

देश में तरल ईंधन आधारित जीटी पावर संयंत्रों के लिए ईंधन खपत की मासिक रिपोर्ट

क्र. सं.	पावर स्टेशन का नाम	माह के अंत में संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	राज्य में स्थित	स्वामी	उत्पादन (मि.यू.)	प्राथमिक ईंधन	वैकल्पिक ईंधन	अभ्युक्तियां
1	2	3	4	5	6	7	8	9
केन्द्रीय								
1.	आर. गांधी सीसीपीपी (लिक्विड)	359.58	केरल	एनटीपीसी लि.	0.00	नाथपा	एचएसडी	
	कुल योग (एसआर)	359.58			0.00			
2.	मेथन जीटी (लिक्विड)	90.00	झारखंड	डीवीसी	0.00	एचएसडी	नाथपा	विद्युत केंद्र इस महीने प्रचालित नहीं हुआ।
	कुल योग (ईआर)	90.00			0.00			
	कुल योग (सीएस)	449.58			0.00			
राज्य								
3.	पाम्पोर जीपीएस (लिक्विड)	175.00	जम्मू और कश्मीर	जेके पीडीडी	1.87	एचएसडी	नाथपा/गैस	विद्युत केंद्र इस महीने प्रचालित नहीं हुआ।
	कुल योग (एनआर)	175.00			1.87			
4.	बेसिन ब्रिज जीटी (लिक्विड)	120.00	तमिलनाडु	टीएनजीडीसीएल	0.00	नाथपा	एचउसडी	वैकल्पिक ईंधन एचएसडी स्टार्ट अप ईंधन के रूप में प्रयोग किया गया (2) माह के दौरान इकाई 2760 घंटे के लिए सिंक्रोनस मोड में चला
	कुल योग (एसआर)	120.00			0.00			
5.	हल्दिया जीटी (लिक्विड)	40.00	पश्चिम बंगाल	डब्ल्यूबीपीडीसी	0.00	एचएसडी	एनपी	विद्युत केंद्र इस महीने प्रचालित नहीं हुआ।

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	कसबा जीटी (लिक्विड)	40.00	पश्चिम बंगाल	डब्ल्यूबीपीडीसी	0.00	एचएसडी	एनपी	विद्युत केंद्र इस महीने प्रचालित नहीं हुआ।
7.	सिलीगुड़ी जीटी (लिक्विड)	20.00	पश्चिम बंगाल	डब्ल्यूबीपीडीसी	0.00	एचएसडी	एनपी	विद्युत केंद्र इस महीने प्रचालित नहीं हुआ।
	कुल योग (ईआर)	100.00			0.00			
	योग (एसएस)	395.00			1.87			
पीवीटी आईपीपी								
8.	गोवा सीसीपीपी (लिक्विड)	48.00	गोवा	रिलायंस	13.45	नाथपा	नेच्युरल गैस/ एलएनजी	
	कुल योग (डब्ल्यूआर)	48.00			13.45			
9.	कोचिन सीसीपीपी (लिक्विड)	174.00	केरल	बीएसईएस (सी)	0.00	नापथा	एचएसडी और	एसएसडी एक स्टॉट अप ईंधन है। केरल में गैस उपलब्ध नहीं है केएसईबी डिस्पैच अनुदेश के अनुसार स्टेशन प्रचालित नहीं हुआ।
	कुल योग (एसआर)	174.00			0.00			
	योग (पीवीटी आईपीपी एस)	222.00			13.45			
	कुल योग	1066.58			15.32			

एमयू – मिलियन यूनिट्स

केएल – किला लिटर

एनपी – व्यवस्था नहीं

आईसी – संस्थापित क्षमता

एचएसडी – हाई स्पीड डीजल

एलएनजी – तरलीकृत प्राकृतिक गैस

विवरण-II

देश में गैस आधारित विद्युत स्टेशनों के लिए ईंधन आपूर्ति/खपत की मासिक रिपोर्ट

क्र. सं.	विद्युत केंद्र का नाम	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	किस राज्य में स्थित	उत्पादन	90% पीएलएफ पर गैस आवश्यकता	आबंटित गैस (एमएमएससीएमडी)	अभ्युक्तियां
1	2	3	4	5	6	7	8
केंद्रीय क्षेत्र							
1.	फरीदाबाद सीसीपीपी	431.59	हरियाणा	253.23	2.07	1.92	
2.	अंता सीसीपीपी	419.33	राजस्थान	223.99	2.01	1.89	
3.	औरै यासीसीपीपी	663.36	उत्तर प्रदेश	346.30	3.18	2.79	
4.	दादरी सीसीपीपी	829.78	उत्तर प्रदेश	478.69	3.98	3.47	
	उप-जोड़ (एनआर)	2344.06		1302.21	11.24	10.07	
5.	गांधार सीसीपीपी	657.39	गुजरात	307.26	3.16	2.99	
6.	कवास सीसीपीपी	656.2	गुजरात	279.97	3.15	1.93	
7.	रत्नागिरि सीसीपीपी-I	740	महाराष्ट्र	137.57	3.55	2.83	
8.	रत्नागिरि सीसीपीपी-II	740	महाराष्ट्र	247.15	3.55	2.83	
9.	रत्नागिरि सीसीपीपी-III	740	महाराष्ट्र	243.19	3.56	2.83	
	उप जोड़ (डब्ल्यूआर)	3533.59		1215.14	16.97	13.41	
10.	कथलगुरी सीसीपीपी	291	असम	134.45	1.40	1.40	

1	2	3	4	5	6	7	8
11.	अगरतला	84	त्रिपुरा	54.64	0.58	0.77	
	कुल योग (एनईआर)	375		189.09	1.98	2.17	
	योग (सीएस)	6252.65		2706.44	30.19	25.65	
राज्य क्षेत्र							
12.	आई.पी. सीसीपीपी	270	दिल्ली	138.81	1.30	1.32	
13.	प्रगति सीसीजीटी-III	750	दिल्ली	101.72	3.60	1.01	
14.	प्रगति सीसीपीपी	330.4	दिल्ली	201.36	1.59	1.44	
15.	धौलपुर सीसीपीपी	330	राजस्थान	84.06	1.58	1.36	
16.	रामगढ़ सीसीपीपी	113.8	राजस्थान	35.53	1.18	0.95	
	उप जोड़ (एनआर)	1794.2		561.48	9.25	6.08	
17.	धुवारन सीसीपीपी	218.62	गुजरात	73.73	1.05	0.51	
18.	हजीरा सीसीपीपी	156.1	गुजरात	65.08	0.75	0.52	
19.	हजीरा सीसीपीपी विस्तार	351	गुजरात	0.00	1.68	0.00	26.4.2012 से भेल द्वारा परफोरमेंस गारंटी टेस्ट के लिए बंद किया गया
20.	उतरान सीसीपीपी	518	गुजरात	95.24	2.49	0.69	
21.	उरान सीसीपीपी	672	महाराष्ट्र	351.73	3.23	4.70	
	उप जोड़ (डब्ल्यू आर)	1915.73		585.78	9.20	6.42	
22.	कराईकल सीसीपीपी	32.5	पुदुचेरी	21.44	0.16	0.19	

1	2	3	4	5	6	7	8
23.	कोविलपल सीसीपीपी	107	तमिलनाडु	62.55	0.51	0.40	
24.	कुट्टालम सीसीपीपी	100	तमिलनाडु	0.00	0.48	0.45	
25.	नरीमनम जीपीएस	10	तमिलनाडु	0.00	0.00	0.00	विद्युत केंद्र प्रचालित नहीं हुआ।
26.	वलुथूर सीसीपीपी	186.2	तमिलनाडु	75.03	0.89	0.72	
	उप जोड़ (द.क्षे.)	435.7		159.02	2.04	1.76	
27.	लकवा जीटी	157.2	असम	73.25	1.10	1.05	
28.	नामरूप सीसीपीपी	95	असम	33.35	0.43	0.66	
29.	नामरूप एसटी	24	असम	0.00	0.14	0.00	
30.	बारामूरा जीटी	58.5	त्रिपुरा	16.83	0.41	0.41	
31.	रोखिया जीटी	90	त्रिपुरा	13.09	0.63	0.58	
	उप जोड़ (उ.पू.क्षे.)	424.7		136.52	2.71	2.70	
	कुल (राज्य क्षेत्र)	4570.32		1442.80	23.20	16.96	
निजी क्षेत्र							
32.	बटवा असम	100	गुजरात	18.23	0.48	0.31	
33.	ट्रांबे असम	180	महाराष्ट्र	133.32	0.86	0.81	
	उप जोड़ (प.क्षे.)	280		151.55	1.34	1.12	
	कुल (निजी क्षेत्र)	280		151.55	1.34	1.12	

1	2	3	4	5	6	7	8
निजी आईपीपी क्षेत्र							
34.	रिठाला सीसीपीपी	108	दिल्ली	20.73	0.52	0.40	
	उप जोड़ (उ.क्षे.)	108		20.73	0.52	0.40	
35.	बड़ौदा सीसीपीपी	160	गुजरात	12.32	0.77	0.08	गैस खपत में एलएनजी में शामिल है।
36.	एस्सार सीसीपीपी	515	गुजरात	0.00	2.47	1.04	300 मेगावाट के लिए गैस का आबंटन है।
37.	पगुथन सीसीपीपी	655	गुजरात	177.53	3.14	1.88	
38.	सुगेन सीसीपीपी	1147.5	गुजरात	452.73	5.51	4.65	
	उप जोड़ (प.क्षे.)	2477.5		642.58	11.89	7.65	
39.	गौतमी सीसीपीपी	464	आंध्र प्रदेश	126.17	2.23	1.86	
40.	जीएमआर एनर्जी लि.	220	आंध्र प्रदेश	55.80	1.06	0.39	
41.	गोदावरी सीसीपीपी	208	आंध्र प्रदेश	89.89	1.00	0.65	
42.	जेगरूपाडु सीसीपीपी	455.4	आंध्र प्रदेश	158.03	2.19	1.97	
43.	कोनासीमा सीसीपीपी	445	आंध्र प्रदेश	106.07	2.14	1.78	
44.	कोंडापल्ली विस्तार	366	आंध्र प्रदेश	76.88	1.76	0.65	
45.	कोंडापल्ली सीसीपीपी	350	आंध्र प्रदेश	166.69	1.68	1.75	
46.	पेद्दापुरम सीसीपीपी	220	आंध्र प्रदेश	82.65	1.06	0.61	

1	2	3	4	5	6	7	8
47.	वेमागिरि सीसीपीपी	370	आंध्र प्रदेश	95.01	1.78	1.48	
48.	विज्जेश्वरन सीसीपीपी	272	आंध्र प्रदेश	109.82	1.31	0.84	
49.	करूपपुर सीसीपीपी	119.8	तमिलनाडु	76.45	0.58	0.50	
50.	पी. नल्लूर सीसीपीपी	330.5	तमिलनाडु	103.31	1.59	0.55	
51.	वालनथरावी सीसीपीपी	52.8	तमिलनाडु	32.68	0.25	0.27	
	उप जोड़ (द.क्षे.)	3873.5		1279.45	18.63	13.30	
52.	डीएलएफ असम जीटी	24.5	असम	2.72	0.12	0.17	
	उप जोड़ (उ.पू.क्षे.)	24.5		2.72	0.12	0.17	
	कुल (निजी आईपीपी)	6483.5		1945.48	31.16	21.52	
	कुल योग	17586.47		6246.27	85.89	65.25	

@संस्थापित क्षमता माह के अंतिम दिन के अनुसार है।

*गैस के जीसीवी 9000 केसीएएल (एसजीएम) (रामगढ़ सीसीजीटी के सिवाय जिसके लिए जीसीवी 4150 केसीएएल/एससीएम है) को लेते हुए 90% संयंत्र भार घटक पर नियामक गैस मांग, खुले चक्र के लिए 2900 केसीएएल/केडब्ल्यूएच स्टेशन हीट दर और आरएलएनजी सहित संयुक्त चक्र के लिए 2000 केसीएएल/केडब्ल्यूएच।

+आर-एलएनजी सहित।

$आंध्र प्रदेश राज्य में विजेश्वर सीसीपीपी 272 मे.वा. की क्षमता आईपीपी के अंतर्गत शामिल है।

मि.यू. = मिलियन यूनिट।

एमएमएससीएमडी = मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर्स प्रतिदिन।

एचएसडी = हाई स्पीड डीजल।

के एल = किलो लीटर।

[हिन्दी]

जल विद्युत परियोजनाएं

2296. श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में शुरू की गई/पूरी की गई जल विद्युत परियोजनाओं का उनकी विद्युत उत्पादन क्षमता सहित, राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार, परियोजना-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने देश में पुराने एवं अक्षम जल विद्युत संयंत्रों का नवीकरण और आधुनिकीकरण करने के लिए कोई सर्वेक्षण किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और गत तीन वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान नवीकृत एवं आधुनिकीकृत जल-विद्युत संयंत्रों की राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार/परियोजना-वार कुल संख्या कितनी है; और

(घ) इन संयंत्रों के नवीकरण एवं आधुनिकीकरण पर कुल कितनी राशि खर्च की गई और इसके परिणामस्वरूप परियोजना-वार और राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितनी विद्युत क्षमता बढ़ी?

विद्युत मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल) : (क) पिछले तीन वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान, 2453 मेगावाट की हाइड्रो क्षमता चालू/पूर्ण की गई हैं। इन परियोजनाओं के राज्य/परियोजना-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ख) भारत सरकार ने 1987 में राष्ट्रीय समिति तथा 1998 में स्थायी समिति का गठन किया और नवीकरण एवं आधुनिकीकरण (आर एंड एम) के अंतर्गत काकर्यान्वियन हेतु परियोजनाओं/स्कीमों की पहचान की। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) ने वर्ष 2000 में देश में हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजनाओं के आर एंड एम के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना दस्तावेज तैयार किया जिसमें, 11वीं योजना के अंतर्गत (मार्च 2012 तक) कार्यान्वित/पूरा किए जाने के लिए पहले से पहचान की गई विभिन्न परियोजनाओं/स्कीमों की स्थिति शामिल है।

(ग) और (घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान नवीकृत एवं आधुनिकीकृत हाइड्रो पावर प्रोजेकट तथा आर एंड एम के फलस्वरूप किया गया कुल व्यय एवं बढ़ी हुई विद्युत क्षमता सहित चालू वर्ष के दौरान कार्यान्वित/निर्माणाधीन परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में शुरू की गई/पूरी की गई जल विद्युत परियोजनाओं का उनकी विद्युत उत्पादन क्षमता सहित, राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार, परियोजना-वार ब्यौरा

क्र.सं.	परियोजना का नाम संगठन संख्या X आकार = क्षमता (मेगावाट)	राज्य	यूनिट संख्या	क्षमता (मेगावाट)	पूर्ण होने की तारीख
1	2	3	4	5	6
वर्ष	**2009-10**				
1.	प्रियदर्शिनी जुरालय/एपीजीईएनसीओ 6 X 39 = 234 मेगावाट	आंध्र प्रदेश	3	39	27.06.2009
	उप-जोड़			39	
वर्ष	**2010-11**				
1.	सेवा-II/एनएचपीसी 3 X 40 = 120 मेगावाट	जम्मू और कश्मीर	1	40	22.06.2010
			2	40	23.07.2010
			3	40	01.07.2010
2.	कोटेश्वर/टीएचडीसी 4 X 100 = 400 मेगावाट	उत्तराखंड	1	100	28.03.2011
			2	100	31.03.2011

1	2	3	4	5	6
3.	कुट्टियादि अति विस्तार/केएसईबी	केरल	1	50	23.05.2010
	2 X 50 = 100 मेगावाट		2	50	23.09.2010
4.	प्रियदर्शिनी जुरालय/एपीजीईएनसीओ	आंध्र प्रदेश	4	39	28.8.2010
	6 X 39 = 234 मेगावाट		5	39	09.11.2010
5.	अलायन दुहंगम/एडीएचपी	हिमाचल प्रदेश	1	96	16.09.2010
	2 X 96 = 192 मेगावाट		2	96	18.09.2010
	उप जोड़			690	
	वर्ष 2011-12				
1.	कोटेश्वर/टीएचडीसी	उत्तराखंड	3	100	25.01.2012
	4 X 100 = 400 मेगावाट		4	100	23.03.2012
2.	प्रियदर्शिनी जुरालय/एपीजीईएनसीओ	आंध्र पदेश	6	39	09.06.2011
	6 X 39 = 234 मेगावाट				
3.	मिन्टू/एमईसीएल	मेघालय	1	42	23.11.2011
	3 X 42 = 100 मेगावाट		2	42	31.03.2012
4.	मलाना-II/ईपीपीएल	हिमाचल प्रदेश	1	50	06.08.2011
	2 X 50 = 100 मेगावाट		2	50	14.08.2011
5.	करचम वांगटू/जेपीएचसीएल	हिमाचल प्रदेश	1	250	24.05.2011
	4 X 10 250 = 1000 मेगावाट		2	250	21.06.2011
			3	250	08.09.2011
			4	250	13.09.2011
	उप जोड़			1423	
	चालू वर्ष 2012-13 (20.08.2012 तक)				
1.	चमेरा-III/एनएचपीसी 3 X 77 = 231 मेगावाट	हिमाचल प्रदेश	1	77	28.06.2012
			2	77	12.06.2012
			3	77	07.06.2012
2.	बुडहिल/लैंको ग्रीन पावन 2 X 35 = 70 मेगावाट	हिमाचल प्रदेश	1	35	30.05.2012
			2	35	26.05.2012
	उप जोड़			305	
	योग			2453	

विवरण-II

गत तीन वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान नवीकृत एवं आधुनिकीकृत जल-विद्युत संयंत्रों की राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार/परियोजना-वार ब्यौरा

क्र.सं.	परियोजना/एजेंसी	सीएस/एसएस	क्षमता (मेगावाट)	अनुमानित लागत (रु. करोड़ में)	वास्तविक व्यय	लाभ (मेगावाट)	वर्ग
1	2	3	4	5	6	7	8
2009-10							
हिमाचल प्रदेश							
1.	देहार पीएच. बी. बीबीएमबी	सीएस	6 x 165	49.00	24.454	330 (ख)	आरएम एंड एलई
आंध्र प्रदेश							
2.	अपर सीलेरू/एपीजीईएनसीओ	एसएस	4 x 60	4.20	3.334	—	आर एंड एम
कर्नाटक							
3.	नागीगरी यूनिट 1-6 केपीसीएल	एसएस	5 x 150 + 1 x 135	14.75	15.31	—	आर एंड एम
4.	शरवती पीएच. बी./केपीसीएल	एसएस	10 x 3.5	20.50	11.14	—	आर एंड एम
5.	सुपा. केपीसीएल	एसएस	2 x 50	3.45	4.90	—	आर एंड एम
6.	भद्रा/केपीसीएल	एसएस	2 x 12	1.44	0.85	—	आर एंड एम
महाराष्ट्र							
7.	वैतरणा एमएसपीजीसीएल	एसएस	1 x 60	16.00	0.14	—	आर एंड एम
8.	कोयना डैम पीएच, एमएसपीजीसीएल	एसएस	2 x 18	5.78	0.25	—	आर एंड एम
2010-11							
हिमाचल प्रदेश							
9.	देहार पीएच. ए. बीबीएमबी	सीएस	6 x 165	11.00	6.936	—	आर एंड एम
कर्नाटक							
10.	लिगनामक्की, केपीसीएल	एसएस	2 x 27.5	3.81	2.62	—	आर एंड एम
2011-12							
महाराष्ट्र							
11.	कोयना स्टे. III, एमएसपीजीसीएल	एसएस	4 x 80	16.65	5.79	320 (एलई)	आरएम एंड एलई

1	2	3	4	5	6	7	8
मणिपुर							
12.	लोकटक/एनएचपीसी	एसएस	3 x 30	18.55	17.88	15.00 (रिस)	आर एंड एम + रिस.
मेघालय							
13.	उमियम स्टे. II, एमईएसईबी	एसएस	2 x 9	90.46	55.67 (31.03.12 तक)	2(U), 18.00 (एलई)	आरएम एंड एलई
2012-13 (चालू वर्ष)-पूर्ण							
14.	रेंगाली, ओएचपीसी		1 x 50	47.50	36.76 (30.06.12 तक)	50 (एलई)	आरएम एंड एलई
2012-13 (चालू वर्ष)-कार्याधीन							
हिमाचल प्रदेश							
15.	बासी, एचपीएसईबी		3x16.5 + 1x15	119.83	109.97 (31.03.12 तक)	6.0 (यू) + 60 (एलई)	आरएमयू एंड एलई
जम्मू और कश्मीर							
16.	सम्बल सिंध, जेकेपीडीसी	एसएस	2 x 11.3	25.00	18.89 (31.03.12 तक)	-	आर एंड एम
17.	लोअर झेलम, जेकेपीडीसी	एसएस	3 x 35	101.30	78.25 (31.03.12 तक)	15.00 (रिस.)	आरएमयू एंड रिस.
आंध्र प्रदेश							
18.	श्रीसेलम आरबी, एपीजीईएनसीओ	एसएस	7 x 110	16.70	13.36 (31.03.12 तक)	–	आर एंड एम
19.	लोअर सीलेरू एपीजीईएनसीओ	एसएस	4 x 115	8.75	6.66 (31.03.12 तक)	–	आर एंड एम
20.	नागार्जुन सागर एपीजीईएनसीओ	एसएस	1x110 + 7x100.8	33.35	13.90 (31.03.12 तक)	-	आर एंड एम
केरल							
21.	सबीरीगिरी, केएसईबी	एसएस	5 x 553 1 x 60	104.36	96.95 (31.03.12 तक)	300.00 (एल ई) + 35.00 (यू)	आरएमयू एंड एलई
22.	ईदमलयर, केएसईबी	एसएस	2 x 37.5	11.70	5.45 (31.03.12 तक)	-	आर एंड एम
तमिलनाडु							
23.	जलढ़ाका स्टे-I डब्ल्यूबीएसईबी		3 x 9	88.62	74.28 (31.03.12 तक)	27.00 (एलई)	आरएम एंड एलई

• सीएस - सैन्ट्रल सैक्टर। • एसएस - स्टेट सैक्टर। • आरएम - नवीकरण एवं आधुनिकीकरण। • यू - अपरेटिंग। • एलई - लाईफ एक्स्टेंशन।

ग्रिड अनुशासन के लिए प्रोत्साहन

2297. श्री लालचंद कटारिया : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्र सरकार का उन राज्यों को प्रोत्साहन पैकेज देने का प्रस्ताव है जो ग्रिड अनुशासन का पालन करेंगे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विद्युत उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने के लिए सरकार की क्या योजना है; और

(घ) राज्यों द्वारा अधिक बिजली लेने की समस्या से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विद्युत मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल) : (क) और (ख) सरकार द्वारा राज्यों को ग्रिड अनुशासन का अनुपालन किए जाने पर किसी प्रकार के प्रोत्साहन पैकेज देने पर कोई विचार नहीं किया गया है।

(ग) 12वीं योजना के लिए विद्युत संबंधी कार्यदल की रिपोर्ट के अनुसार, 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 62,374 मेगावाट संभावित क्षमता अभिवृद्धि लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए 12वीं योजना के दौरान अखिल भारतीय आधार पर लगभग 76,000 मेगावाट संभावित अभिवृद्धि की आवश्यकता है।

(घ) आरएलडीसी/एनएलडीसी अधिक निकासी सहित सिस्टम पैरामीटरों की निगरानी करता है और प्रणाली पैरामीटरों में भिन्नता होने पर यह मौखिक संदेश के अलावा लिखित संदेश भी देता है। लगातार उल्लंघन होने की स्थिति में गंभीरता के अनुसार विभिन्न प्रकार के संदेश भी जारी किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, क्षेत्रीय भार प्रेषण केंद्र (आरएलडीसी) ग्रिड अनुशासन का उल्लंघन करने वाले उत्तरदायी राज्यों के विरुद्ध, विद्युत अधिनियम, 2003 की विभिन्न धाराओं/इंडिया इलैक्ट्रिसिटी ग्रिड कोड (आईईजीसी) 2010 के अधीन प्रावधानों के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत सीईआरसी के समक्ष याचिका भी फाइल करता है। सीईआरसी ने ग्रिड अनुशासन तोड़ने पर ऐसे राज्यों/इकाइयों/संघटकों के विरुद्ध कार्रवाई के आदेश दिए हैं तथा कई मामलों में जुर्माना लगाया गया है।

[अनुवाद]

नवजात शिशुओं के लिए मुफ्त एवं स्वास्थ्यप्रद भोजन

2298. श्रीमती मेनका गांधी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का नवजात शिशुओं और बच्चों के लिए मुफ्त एवं स्वास्थ्यप्रद भोजन सुनिश्चित करने के लिए स्कीम शुरू करने के संबंध में कोई कदम उठाने का विचार है ताकि बच्चों में कुपोषण की समस्या को रोका जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदीप बंदोपाध्याय) : (क) जी, नहीं।

बच्चों में कुपोषण की समस्या की रोकथाम करने हेतु नवजातों तथा छोटे बच्चों के लिए मुफ्त एवं स्वास्थ्यवर्धक भोजन सुनिश्चित करने के लिए किसी नई योजना को शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) समेकित बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) योजना पहले से ही विद्यमान है जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। आईसीडीएस योजना के पूरक पोषण कार्यक्रम के तहत 6 माह से 3 वर्ष की आयु वाले बच्चों को "टेक होम राशन" प्रदान किया जा रहा है तथा 3 वर्ष से 6 वर्ष की आयु वाले बच्चों को 'मॉर्निंग स्नैक्स' तथा 'हॉट कुक्ड मील' नियमित रूप से निःशुल्क दिए जा रहे हैं।

नवजातों को 6 माह की आयु तक केवल स्तनपान कराया जाना है जिसके दौरान समुचित शिशु आहार पद्धति के अनुसार बच्चे के लिए भोजन के रूप में केवल स्तनपान की सलाह दी जाती है।

वन अधिकार अधिनियम संबंधी सक्सेना समिति रिपोर्ट

2299. श्री जी.एस. बासवराज : क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सभी हिस्सेदारों से परामर्श के बाद अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन संबंध अधिकारों को मान्यता) अधिनियम, 2006 के कार्यान्वयन के संबधं में डॉ. एन.सी. सक्सेना समिति की रिपोर्ट की जांच की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उपरोक्त अधिनियम के अंतर्गत हक विलेख के वितरण के संबंध में धीमी प्रगति हुई है और बड़ी संख्या में दावों की तुलना में काफी कम हक विलेख वितरित किए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या बिहार, तमिलनाडु और उत्तराखंड सहित कुछ राज्यों में उक्त अधिनियम के कार्यान्वयन के संबंध में कोई प्रगति नहीं हुई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री महादेव सिंह खंडेला) : (क) और (ख) अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के कार्यान्वयन का विस्तार से अध्ययन करने के लिए डॉ. एन. सी. सक्सेना की अध्यक्षता में गठित पर्यावरण और वन मंत्रालय तथा जनजातीय कार्य मंत्रालय की संयुक्त समिति की सिफारिशें/सुझाव अभी भी जांचाधीन हैं।

(ग) और (घ) अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 और इसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार अधिनियम को कार्यान्वित करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की है। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से प्राप्त सूचना के अनुसार 31 जुलाई, 2012 तक अधिनियम के कार्यान्वयन की स्थिति निम्नानुसार है:-

दायर किए गए दावों की संख्या	32,28,887
प्राप्त दावों के संबंध में निपटाए गए दावों की संख्या/प्रतिशत	27,73,631 (85.90%)
संवितरित/संवितरण हेतु तैयार अधिकार पत्रों की संख्या	12,86,766 संवितरित तथा 14,726 संवितरण हेतु तैयार
निरस्त दावों की संख्या	15,04,865

मंत्रालय अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के साथ चर्चा कर रहा है। इस संबंध में मंत्रालय दिशानिर्देश/स्पष्टीकरण भी जारी कर रहा है। हाल ही में, दिनांक 12.07.2012 को राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को दिशानिर्देश जारी किए गए हैं तथा जमीनी स्तर पर बेहतर और प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए वन अधिकार नियम, 2008 में संशोधन की प्रक्रिया भी आरंभ की गई है।

(ङ) और (च) जी, हां। बिहार, तमिलनाडु तथा उत्तराखंड सहित कुछ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विभिन्न कारणों से अधिनियम के कार्यान्वयन में पिछड़ रहे हैं। इन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अधिनियम के कार्यान्वयन की स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के ब्यौरे जो अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के कार्यान्वयन में पिछड़ रहे हैं तथा तत्संबंधी कारण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	नोडल अधिकारी की नियुक्ति	विभिन्न समितियों (एसडीएलसी, डीएलसी तथा एसएलएलसी) का गठन	अधिनियम तथा नियमों का क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद और ग्राम सभा, एफआरसी इत्यादि को इसका संवितरण	अधिनियम तथा नियमों के प्रावधानों के बारे में जागरुकता पैदा करना	पीआरआई के अधिकारियों एसडीएलसी, डीएलसी के सदस्यों इत्यादि का प्रशिक्षण	ग्राम सभाओं द्वारा वन अधिकार समितियों का गठन
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अरुणाचल प्रदेश	हां	हां	—	—	—	—

(31 जुलाई, 2012 तक)

ग्राम सभा स्तर पर दायर दावों की संख्या	ग्राम सभा द्वारा एसडीएलसी को सिफारिश किए गए दावों की संख्या	एसडीएलसी द्वारा डीएलसी को सिफारिश किए गए दावों की संख्या	अधिकार पत्र के लिए डीएलसी द्वारा अनुमोदित दावों की संख्या	संवितरित/संवितरण हेतु तैयार दावों की संख्या	निरस्त दावों की संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा सूचित कारण
9	10	11	12	13	14	15
—	—	—	—	—	—	• भारतीय संघ के अन्य राज्यों जहां अनुसूचित जनजातियां तथा अन्य परंपरागत वन निवासी अल्प संख्या में हैं तथा सामाजिक-आर्थिक रूप से अन्य बहुसंख्यक गैर-जनजातीय जनसंख्या द्वारा हाशिए पर ला दिए गए हैं, के विपरीत अरुणाचल प्रदेश राज्य में विभिन्न मानवजातीय जनजातीय समूह जिनकी भूमि तथा वनों को छोटी पहाड़ियों, वन श्रृंखलाओं, नदियों तथा सरिताओं की प्राकृतिक सीमाओं के साथ विशिष्ट रूप से अभिज्ञात किया गया है, निवास करते हैं। • वन जीवन अभ्यारण्य, आरक्षित वनों के तहत भूमि के कुछ पॉकेटों को छोड़कर संपूर्ण राज्य में अधिकतर भूमि सामुदायिक भूमि है। एक समुदाय या जनजातियों से संबंधित भूमि तथा वन की क्षेत्रीय सीमाओं को जनजातियों के बीच वन भूमि या जल निकायों के कब्जे पर किसी विवाद के लिए कोई गुंजाइश नहीं छोड़ते हुए भी उसी रेखा पर अभिज्ञात किया गया है।

विवरण

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के ब्यौरे जो अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के कार्यान्वयन में पिछड़ रहे हैं तथा तत्संबंधी कारण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	नोडल अधिकारी की नियुक्ति	विभिन्न समितियों (एसडीएलसी, डीएलसी तथा एसएलएलसी) का गठन	अधिनियम तथा नियमों का क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद और ग्राम सभा, एफआरसी इत्यादि को इसका संवितरण	अधिनियम तथा नियमों के प्रावधानों के बारे में जागरुकता पैदा करना	पीआरआई के अधिकारियों एसडीएलसी, डीएलसी के सदस्यों इत्यादि का प्रशिक्षण	ग्राम सभाओं द्वारा वन अधिकार समितियों का गठन
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	बिहार	हां	हां	–	हां	हां	हां
3.	गोवा	हां	हां	–	हां	हां	हां
4.	हरियाणा	–	–	–	–	–	–
5.	हिमाचल प्रदेश	हां	हां	कोई आवश्यकता नहीं है।	हां	हां	हां

(31 जुलाई, 2012 तक)

ग्राम सभा स्तर पर दायर दावों की संख्या	ग्राम सभा द्वारा एसडीएलसी को सिफारिश किए गए दावों की संख्या	एसडीएलसी द्वारा डीएलसी को सिफारिश किए गए दावों की संख्या	अधिकार पत्र के लिए डीएलसी द्वारा अनुमोदित दावों की संख्या	संवितरित/ संवितरण हेतु तैयार दावों की संख्या	निरस्त दावों की संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा सूचित कारण
9	10	11	12	13	14	15
						• अत:, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 सही अर्थों में अरुणाचल प्रदेश राज्य में अधिक संगत नहीं है।
2930	—	—	—	28	1,644	• राज्य में दावों को दायर करने की कम संख्या कार कारण यह है कि राज्य में अधिक वन क्षेत्र नहीं हैं।
—	—	—	—	—	—	• राज्य सरकार द्वारा कोई कारण नहीं दर्शाए गए हैं।
—	—	—	—	—	—	• हरियाणा के वनों में कोई अनुसूचित जनजातियां तथा अन्य परंपरागत वन निवासी नहीं रह रहे हैं।
5635	2446	837	346	7	1869	• अब तक केवल राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में ही वन अधिकार समिति गठित की गई है। अब अनुसूचित क्षेत्रों के बाहर के क्षेत्रों में इसे गठित किया जा रहा है।

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	नोडल अधिकारी की नियुक्ति	विभिन्न समितियों (एसडीएलसी, डीएलसी तथा एसएलएलसी) का गठन	अधिनियम तथा नियमों का क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद और ग्राम सभा, एफआरसी इत्यादि को इसका संवितरण	अधिनियम तथा नियमों के प्रावधानों के बारे में जागरुकता पैदा करना	पीआरआई के अधिकारियों एसडीएलसी, डीएलसी के सदस्यों इत्यादि का प्रशिक्षण	ग्राम सभाओं द्वारा वन अधिकार समितियों का गठन
1	2	3	4	5	6	7	8
6.	झारखंड	हां	हां	हां	हां	हां	हां
7.	मणिपुर	–	–	–	–	–	–
8.	मेघालय	हां	हां	नहीं	–	–	–

(31 जुलाई, 2012 तक)

ग्राम सभा स्तर पर दायर दावों की संख्या	ग्राम सभा द्वारा एसडीएलसी को सिफारिश किए गए दावों की संख्या	एसडीएलसी द्वारा डीएलसी को सिफारिश किए गए दावों की संख्या	अधिकार पत्र के लिए डीएलसी द्वारा अनुमोदित दावों की संख्या	संवितरित/संवितरण हेतु तैयार दावों की संख्या	निरस्त दावों की संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा सूचित कारण
9	10	11	12	13	14	15
42,003	23,617	17,046	16,351	15,296	16,958	• झारखंड राज्य में पहले ही छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम तथा संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम वन भूमि पर जनजातीय लोगों के अधिकारों तथा स्वामित्व के मुद्दों का ध्यान रखता है तथा इन अधिकारों को भारती वन अधिनियम, 1927 के लागू हो जाने पर समायोजित किया गया था। अत: अधिनियम के तहत दायर दावों की कम संख्या है।
–	–	–	–	–	–	• मणिपुर में जनजातीय समुदायों तथा जनजातीय मुखिया पहले ही वन भूमि पर कब्जा किए हुए हैं क्योंकि उनकी पैतृक भूमि गैर आरक्षित वन क्षेत्र में है। अत: मणिपुर में वन अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन को कम से कम माना जाता है।
–	–	–	–	–	–	• राज्य में वन भूमि का 96% वंशों/समुदायों/व्यक्तियों के कब्जे में है। अत: अधिनियम के कार्यान्वयन का कार्यक्षेत्र सीमित है।

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	नोडल अधिकारी की नियुक्ति	विभिन्न समितियों (एसडीएलसी, डीएलसी तथा एसएलएलसी) का गठन	अधिनियम तथा नियमों का क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद और ग्राम सभा, एफआरसी इत्यादि को इसका संवितरण	अधिनियम तथा नियमों के प्रावधानों के बारे में जागरुकता पैदा करना	पीआरआई के अधिकारियों एसडीएलसी, डीएलसी के सदस्यों इत्यादि का प्रशिक्षण	ग्राम सभाओं द्वारा वन अधिकार समितियों का गठन
1	2	3	4	5	6	7	8
9.	मिजोरम	नहीं	हां	हां	–	नहीं	हां
10.	नागालैंड	–	–	–	–	–	–

(31 जुलाई, 2012 तक)

ग्राम सभा स्तर पर दायर दावों की संख्या	ग्राम सभा द्वारा एसडीएलसी को सिफारिश किए गए दावों की संख्या	एसडीएलसी द्वारा डीएलसी को सिफारिश किए गए दावों की संख्या	अधिकार पत्र के लिए डीएलसी द्वारा अनुमोदित दावों की संख्या	संवितरित/ संवितरण हेतु तैयार दावों की संख्या	निरस्त दावों की संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा सूचित कारण
9	10	11	12	13	14	15
–	–	–	–	–	–	• संविधान के अनुच्छेद 371(छ) के अनुसार अधिनियम को राज्य विधान सभा द्वारा अनुमोदित किया जाना था। • मिजोरम की छठी विधान सभा के चौथे सत्र में 29.10.2009 को हुई बैठक में संकल्प किया गया कि वन अधिकार अधिनियम को दिनांक 31.12.2009 से संपूर्ण मिजोरम राज्य में अपनाया जाएगा। • इसे 03.03.2010 का मिजोरम सरकार द्वारा अधिसूचित भी कर दिया गया है।
–	–	–	–	–	–	• नागा लोगों की भूमि स्वामित्व प्रणाली तथा ग्राम प्रणाली इस रूप में विशिष्ट है कि लोग भूमि के स्वामी हैं। अत: अधिनियम संभावत: नागालैंड राज्य में लागू नहीं हो सकता है। • तथापि, भारत के संविधान के अनुच्छेद 371(क) के प्रावधान के अनुसार नागालैंड में अधिनियम की व्यावहारिकता की जांच करने के लिए एक समिति गठित कर दी गई है।

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	नोडल अधिकारी की नियुक्ति	विभिन्न समितियों (एसडीएलसी, डीएलसी तथा एसएलएलसी) का गठन	अधिनियम तथा नियमों का क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद और ग्राम सभा, एफआरसी इत्यादि को इसका संवितरण	अधिनियम तथा नियमों के प्रावधानों के बारे में जागरुकता पैदा करना	पीआरआई के अधिकारियों एसडीएलसी, डीएलसी के सदस्यों इत्यादि का प्रशिक्षण	ग्राम सभाओं द्वारा वन अधिकार समितियों का गठन
1	2	3	4	5	6	7	8
11.	सिक्किम	—	—	—	—	—	—
12.	तमिलनाडु	हां	हां	हां	—	—	—

(31 जुलाई, 2012 तक)

ग्राम सभा स्तर पर दायर दावों की संख्या	ग्राम सभा द्वारा एसडीएलसी को सिफारिश किए गए दावों की संख्या	एसडीएलसी द्वारा डीएलसी को सिफारिश किए गए दावों की संख्या	अधिकार पत्र के लिए डीएलसी द्वारा अनुमोदित दावों की संख्या	संवितरित/संवितरण हेतु तैयार दावों की संख्या	निरस्त दावों की संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा सूचित कारण
9	10	11	12	13	14	15
–	–	–	–	–	–	• राज्य सरकार ने दिनांक 28.01.2008 को सुरक्षित क्षेत्रों (पीए) में महत्वपूर्ण वन जीव आवासों की पहचान के लिए एक विशेषज्ञ समिति के गठन के संबंध में एक अधिसूचना जारी की है तथा अधिनियम के तहत विभिन्न समितियां भी गठित की हैं। • तथापि, सिक्किम में सही अर्थों में कोई वन निवासी अनुसूचित जनजातियां तथा अन्य परंपरागत वन निवासी नहीं हैं। सिक्किम की अधिकतर जनजातियां अपने स्वयं के नाम पर राजस्व भूमि पर काबिज हैं तथा वे अपनी आजीविका के लिए केवल वनों पर निर्भर नहीं है।
21,781	–	–	3723	3723 तैयार	–	• यद्यपि, अधिकार पत्र जारी करने के लिए जिला स्तरीय समितियों द्वारा 3723 दावे अनुमोदित कर दिए गए हैं परंतु मद्रास उच्च न्यायालय के प्रतिबंधात्मक आदेश के कारण इन अधिकार पत्रों को संवितरित नहीं किया जा सका।

विवरण

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के ब्यौरे जो अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के कार्यान्वियन में पिछड़ रहे हैं तथा तत्संबंधी कारण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	नोडल अधिकारी की नियुक्ति	विभिन्न समितियों (एसडीएलसी, डीएलसी तथा एसएलएलसी) का गठन	अधिनियम तथा नियमों का क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद और ग्राम सभा, एफआरसी इत्यादि को इसका संवितरण	अधिनियम तथा नियमों के प्रावधानों के बारे में जागरुकता पैदा करना	पीआरआई के अधिकारियों एसडीएलसी, डीएलसी के सदस्यों इत्यादि का प्रशिक्षण	ग्राम सभाओं द्वारा वन अधिकार समितियों का गठन
1	2	3	4	5	6	7	8
13.	उत्तराखंड	हां	हां	—	—	हां	हां
14.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	हां	हां (एसएलएमसी के अलावा)	हां	हां	प्रक्रियाधीन	हां

(31 जुलाई, 2012 तक)

ग्राम सभा स्तर पर दायर दावों की संख्या	ग्राम सभा द्वारा एसडीएलसी को सिफारिश किए गए दावों की संख्या	एसडीएलसी द्वारा डीएलसी को सिफारिश किए गए दावों की संख्या	अधिकार पत्र के लिए डीएलसी द्वारा अनुमोदित दावों की संख्या	संवितरित/संवितरण हेतु तैयार दावों की संख्या	निरस्त दावों की संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा सूचित कारण
9	10	11	12	13	14	15
						• तथापि, उच्च न्यायालय के प्रतिबंधात्मक आदेशों के समाप्त हो जाने के पश्चात अधिकार पत्र संवितरित कर दिए जाएंगे।
182	170	–	–	–	–	• अब तक, अधिनियम के तहत दायर सभी दावे केवल अन्य परंपरागत वन निवासियों के हैं जो विगत 75 वर्षों के लिए वन भूमि पर अपने कब्जे को सिद्ध करने में सक्षम नहीं हैं। अब तक उत्तराखंड में कोई दावा वैध नहीं पाया गया है।
–	–	–	–	–	–	• अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में कोई गैर जनजातीय वन निवासी नहीं है जैसा अधिनियम में परिभाषित किया गया है। • अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह की अनुसूचित जनजातियों द्वारा आबाद क्षेत्र को अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह मूल जनजातियों की सुरक्षा (विनियम), 1956 के तहत आरक्षित क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है। • आरक्षित क्षेत्रों में स्थित भूमि पर जनजातीय लोगों के हितों की विनियम के प्रावधान के तहत पूरी तरह से सुरक्षा की जाती है। • जनजातीय रिजर्व को आरक्षित या सुरक्षित वन रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया है।

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	नोडल अधिकारी की नियुक्ति	विभिन्न समितियों (एसडीएलसी, डीएलसी तथा एसएलएलसी) का गठन	अधिनियम तथा नियमों का क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद और ग्राम सभा, एफआरसी इत्यादि को इसका संवितरण	अधिनियम तथा नियमों के प्रावधानों के बारे में जागरुकता पैदा करना	पीआरआई के अधिकारियों एसडीएलसी, डीएलसी के सदस्यों इत्यादि का प्रशिक्षण	ग्राम सभाओं द्वारा वन अधिकार समितियों का गठन
1	2	3	4	5	6	7	8
15.	दमन और दीव	हां	हां	हां	हां	–	–
16.	दादरा और नगर हवेली	हां	हां	हां	हां	हां	–
17.	लक्षद्वीप		–	–	–	–	–
18.	पुदुचेरी	–	–	–	–	–	–

(31 जुलाई, 2012 तक)

ग्राम सभा स्तर पर दायर दावों की संख्या	ग्राम सभा द्वारा एसडीएलसी को सिफारिश किए गए दावों की संख्या	एसडीएलसी द्वारा डीएलसी को सिफारिश किए गए दावों की संख्या	अधिकार पत्र के लिए डीएलसी द्वारा अनुमोदित दावों की संख्या	संवितरित/संवितरण हेतु तैयार दावों की संख्या	निरस्त दावों की संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा सूचित कारण
9	10	11	12	13	14	15
–	–	–	–	–	–	• मुख्य वन संरक्षक दमन और दीव ने सूचित किया है कि दमन और दीव के संघ राज्य क्षेत्र में कोई वन ग्राम नहीं है। तथापि, दमन और दीव जिले के मुख्य कार्यकारी जिला अधिकारी ने पंचायत दमन और दीव तथा दमन और दीव जिला समाहर्ता दोनों से अधिनियम के प्रावधान का प्रचार करने के लिए अनुरोध किया गया है।
–	–	–	–	–	–	• अग्रिम तौर पर नोटिसों तथा प्रचार के बावजूद इन ग्राम सभाओं के सभी सदस्यों के 2/3 के कोरम की अनुपस्थिति में ग्राम सभा की बैठकें आयोजित करना कठिन है। सभी ग्राम सभाओं में वन अधिकार समितियों के गठन के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं।
–	–	–	–	–	–	• लक्षद्वीप में कोई क्षेत्रीय वन तथा कोई वन जनजातियां या परंपरागत वन निवासी नहीं हैं।
–	–	–	–	'	'	• पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र में कोई मान्यता प्राप्त अनुसूचित जनजातियां नहीं है तथा पुदुचेरी में कोई ऐसी भूमि भी नहीं है जिसे अधिनियम के खंड 2(घ) की परिभाषा के अंदर आने वाली "वन भूमि" के रूप में वर्गीकृत किया जा सके।

डीजीसीए में विनियामक तंत्र

2300. श्री नीरज शेखर :
श्री यशवीर सिंह :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागर विमानन निदेशालय (डीजीसीए) में विनियामक तंत्र विफल/खराब होने के कगार पर है ओर डीजीसीए के पास कथित गैर-कानूनी कार्यकलापों की निगरानी हेतु अनन्य रूप से मुख्य सतर्कता प्रकोष्ठ (सीवीसी) नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार द्वारा डीजीसीए के विनियामक तंत्र के पुनरुद्धार और अनन्य रूप से सीवीसी प्रदान करने हेतु सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) जी, नहीं। नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) में विनियामक तंत्र सुचारू रूप से कार्य कर रहा है। डीजीसीए में विभिन्न सुधारात्मक और निवारक उपाय करने के लिए सतर्कता अनुभाग है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

अध्यक्ष महोदया : सभा मध्याह्न बारह बजे पुन: समवेत होगी।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न बारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 12.00 बजे

लोक सभा मध्याह्न 12 बजे पुन: समवेत हुई

[श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना *पीठासीन हुए*]

अपराह्न 12.0¼ बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

इस समय श्री अर्जुन राम मेघवाल, श्री गणेश सिंह, श्री वीरेन्द्र कुमार तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र। श्रीमती कृष्णा तीरथ।

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:

(1) (एक) राष्ट्रीय महिला कोष, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय महिला कोष, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 7167/15/12]

...(व्यवधान)

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. गांधीसेलवन) : मैं इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड तथा आयुष विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के बीच वर्ष 2012-13 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 7168/15/12]

...(व्यवधान)

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 179 के अंतर्गत केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर्राज्यीय पारेषण प्रभारों और घाटों की साझेदारी) (दूसरा संशोधन) विनियम 2012 जो 29 मार्च, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एल-1/44/2010-सीईआरसी में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 7169/15/12]

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.0½ बजे

लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति

पांचवां और छठा प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री विश्वमोहन कुमार (सुपौल): मैं लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति का पांचवां और छठा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.0¾ बजे

ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति

29वां और 30वां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज) : सभापति महोदय, मैं ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति (2011-12) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी) प्रस्तुत करता हूं:-

(1) 'चिह्नित किए गए अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों की उपलब्धता - उपयोग की तुलना में उनकी क्षमता' के बारे में 29वां प्रतिवेदन।

(2) 'केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग के कार्यकरण' के बारे में 30वां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.01 बजे

जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति

विवरण

[अनुवाद]

श्री दीप गोगोई (कलियाबोर): मैं जल संसाधन स्थायी समिति के निम्नलिखित विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:

(1) 'घटते भू-जलस्तर का संवर्धन, सतत् विकास, संरक्षण, प्रबंधन, भू-जल का उपयोग तथा जल प्रदूषण का निवारण' के बारे में 10वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 21वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा आगे की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण।

(2) जल संसाधन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2011-12) के बारे में 8वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 13वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा आगे की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण।

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.02 बजे

रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति

(एक) 28वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री गोपीनाथ मुंडे (बीड): मैं रसायन और उर्वरक मंत्रालय

[श्री गोपीनाथ मुंडे]

(उर्वरक विभाग) से संबंधित 'उर्वरकों का उत्पादन, मांग और उपलब्धता तथा इसका वितरण' विषय के बारे में रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति का 28वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

...(*व्यवधान*)

(दो) विवरण

श्री गोपीनाथ मुंडे : मैं रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:

(1) 'रसायन और उर्वरक मंत्रालय (रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग) से संबंधित 'शीरे का उत्पादन, मूल्य-निर्धारण और वितरण' विभाग के बारे में समिति के 13वें प्रतिवेदन पर की-गई-कार्रवाई संबंधी 21वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण।

(2) रसायन और उर्वरक मंत्रालय (उर्वरक विभाग) की 'अनुदानों की मांगों (2011-12)' के बारे में समिति के 18वें प्रतिवेदन पर की-गई-कार्रवाई संबंधी 22वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण।

(3) रसायन और उर्वरक मंत्रालय (भेषज विभाग) की 'अनुदानों की मांगों (2011-12)' के बारे में समिति के 19वें प्रतिवेदन पर की-गई-कार्रवाई संबंधी 23वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण।

(4) रसायन और उर्वरक मंत्रालय (रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग) की 'अनुदानों की मांगों (2011-12)' के बारे में समिति के 20वें प्रतिवेदन पर की-गई-कार्रवाई संबंधी 24वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण।

...(*व्यवधान*)

अपराह्न 12.03 बजे

सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति

28वां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री दारा सिंह चौहान (घोसी): सभापति महोदय, मैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से संबंधित 'संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2012' के बारे में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति का 28वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

...(*व्यवधान*)

अपराह्न 12.04 बजे

सभा का कार्य

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : महोदय, आपकी अनुमति से मैं यह घोषणा करता हूं कि सोमवार 27 अक्तूबर, 2012 से शुरू होने वाले सप्ताह के दौरान सरकारी कार्य सूची में निम्नलिखित कार्य सम्मिलित होंगे:

1. आज की कार्य सूची से अग्रसारित सरकारी कार्य के किसी भी मद पर विचार करना।

2. निम्नलिखित विधेयकों पर आगे विचार करना तथा पारित करना:

   (क) राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षण संस्था प्रत्यायन विनियामक प्राधिकरण विधेयक, 2010 और

   (ख) मोटरयान (संशोधन) विधेयक, 2012 राज्य सभा द्वारा यथा पारित।

3. निम्नलिखित विधेयकों पर विचार करना तथा पारित करना:

   (क) बैकिंग नियम (संशोधन) विधेयक, 2011

(ख) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2011

(ग) विदेशी सरकारी अधिकारियों और अंतर्राष्ट्रीय संस्था के अधिकारियों को रिश्वत निषेध विधेयक, 2011;

(घ) राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य तथा तंत्रिका तंत्र संस्थान, बंगलौर, विधेयक, 2012 राज्य सभा द्वारा यथा पारित।

4. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) अध्यादेश, 2012 के निरनुमोदन के लिए लाए गए सांविधिक संकल्प पर चर्चा तथा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2012 पर विचार करना तथा पारित करना।

सभापति महोदय : माननीय सदस्यों, निवेदन को सभा पटल पर रखा हुआ माना जाएगा। माननीय सदस्य जिनमें निवेदनों को सम्मिलित किया जाना है, वे अपनी-अपनी पर्चियां स्वयं सभा पटल पर भेजें।

[हिन्दी]

***श्रीमती जयश्रीबेन पटेल** (महेसाणा)**:** अगले सप्ताह की कार्यवाही में निम्नलिखित विषय को शामिल करने का कष्ट करें:-

1. केन्द्र सरकार द्वारा नेशनल एग्रिकल्चरल इंश्योरेंस योजना के अंतर्गत रुपये 98.43 करोड़ खरीफ 2011 का हिस्सा अब तक गुजरात को आवंटित न होने से गुजरात के किसानों को इस योजना का सूखे ग्रस्त संकट में भी लाभ नहीं मिल रहा है। अत: केन्द्र सरकार से नम्र निवेदन है कि उपरोक्त रकम का आबंटन शीघ्र करें।

2. 2009-10 के रेल बजट के भाषण में रेल मंत्री जी ने रेलवे हॉस्पीटलों से संलग्न नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापनाके लिए कहा था। जिसमें अहमदाबाद एक है। एक साल के पश्चात् भी अभी तक स्थापना नहीं हुई है। गुजरात सरकार ने केन्द्र से पत्राचार करके स्पष्ट किया था कि गुजरात मेडिकल कॉलेजों के लिए उपयुक्त केस है।

***श्री पन्ना लाल पूनिया** (बाराबंकी)**:** कृपया निम्न अति-महत्वपूर्ण विषयों को अगले सप्ताह की कार्यसूची में सम्मिलित करने की कृपा करें:-

खाद की कमी एवं दरों में वृद्धि से किसान त्रस्त हैं, जल्द से जल्द किसानों को खाद की कम कीमत पर आपूर्ति सुनिश्चित की जाए।

***श्री अर्जुन राम मेघवाल** (बीकानेर)**:** मैं आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषयों को सम्मिलित करने का अनुरोध करता हूं:

1. देश में कारों की संख्या 6 गुना बढ़ गई है और निरन्तर बढ़ रही है। अत: कारों के अनुपात में सड़कें, आरओबी, आरयूबी, पार्किंग प्लेस आदि की सुविधाओं से संबंधित विषय को आगामी सप्ताह की कार्यसूची में सम्मिलित किया जाये।

2. पाकिस्तान से हिन्दुओं का निरन्तर पलायन हो रहा है। अत: विषय की गंभीरता को देखते हुए इस विषय को आगामी सप्ताह की कार्यसूची में चर्चा हेतु सम्मिलित किया जाये।

***श्री जय प्रकाश अग्रवाल** (उत्तर पूर्व दिल्ली)**:** आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्नांकित विषयों को सम्मिलित किया जाये:-

1. देश में कैंसर रोगियों की संख्या में निरन्तर वृद्धि होती जा रही है। इनमें ऐसे रोगियों की संख्या अधिक है, जो कैंसर जैसे रोग के महंगे उपचार हेतु धनराशि व्यय करने में असमर्थ हैं। सरकार कैंसर रोगियों के उपचार की समुचित व्यवस्था किए जाने के साथ-साथ उसमें होने वाले व्यय को भी स्वयं वहन करने हेतु आवश्यक पहल करे।

2. आज देश आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा है। इसमें देश के लघु, मध्यम व बड़े सभी उद्योग धंधे प्रभावित हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक है कि सरकार देश के उद्योग धंधों को आर्थिक मंदी से राहत दिलाए जाने के लिए बैंकों से प्राप्त ऋण को ब्याज मुक्त किए जाने हेतु आवश्यक पहल करे।

***श्री हंसराज गं. अहीर** (चन्द्रपुर)**:** आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्न विषय को सम्मिलित किया जाये:-

---

*सभा पटल पर रखा गया।

*सभा पटल पर रखा गया।

[श्री हंसराज गं. अहीर]

1. मध्य रेल के कार्यक्षेत्र के यवतमाल-मुर्तिजापुर नेरोगेज का ब्राडगेज में आमान परिवर्तन करने के लिए सरकार तत्काल कदम उठाए और परियोजना के लिए धनराशि का आवंटन कराए।

2. देश में कृषि क्षेत्र की वर्षाजल पर निर्भरता के कारण किसान असुरक्षा में जी रहा है। सिंचाई क्षेत्र की उपलब्धता बढ़ाने के लिए देश के सिंचाई में पिछड़े राज्यों विशेषकर महाराष्ट्र के विदर्भ में सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु केन्द्र सरकार द्वारा धनराशि आवंटन के साथ विशेष सिंचाई विकास परियोजना चलाने की आवश्यकता है।

[अनुवाद]

***श्री प्रबोध पांडा** (मिदनापुर) : मैं लोक सभा की अगली कार्यवाही में सम्मिलित किए जाने हेतु निम्नलिखित विषयों को अग्रसारित करता हूं:

1. राष्ट्रीय जलनीति के निर्माण पर चर्चा।

2. महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा तथा पारित किया जाना।

***श्री प्रहलाद जोशी** (धारवाड़) : कृपया संसद के अगले सप्ताह की कार्यवाही की कार्यसूची में निम्नलिखित विषय को सम्मिलित किया जाए।

1. गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच महादई नदी के जल बंटवारे संबंधी मामले की सुनवाई सरकार द्वारा गठित ट्रिब्यूनल द्वारा होना है तथा इसकी कार्यवाही को शुरू करने में हुए अत्यधिक विलम्ब से कर्नाटक राज्य में काफी चिंता उत्पन्न हुई क्योंकि जल का यह विपथन पेयजल के उद्देश्य के लिए है।

2. कर्नाटक में सूखे की स्थिति तथा राज्य में सूखा से प्रभावित किसानों की मदद के लिए केन्द्रीय सहायता शीघ्र जारी करने हेतु राज्य की ओर से केन्द्र से अनुरोध।

*सभा पटल पर रखा गया।

[हिन्दी]

***डॉ. भोला सिंह** (नवादा): माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने आगामी सप्ताह के लिए सदन में कार्ययोजना प्रस्तुत की है उसमें मैं निम्नलिखित दो प्रस्ताव जोड़ने की अनुमति चाहता हूं:-

1. बिहार के राष्ट्रीय स्तर पर विकास की दौड़ में पहुंचने के लिए केन्द्र सरकार विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करे।

2. बिहार राज्य के केन्द्र के पास लंबित विद्युत परियोजनाओं को केन्द्र सरकार अविलम्ब स्वीकृति दे ताकि बिहार विद्युत के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सके।

***श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण** (साबरकांठा): आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्न विषय को सम्मिलित किया जाये:-

1. मेरा संसदीय क्षेत्र साबरकांठ (गुजरात) जो आदिवासी-दलित एवं आर्थिक पिछड़े लोगों का क्षेत्र है, जो काफी पिछड़ा हुआ है, वहां पर रोजगारी सृजन हेतु उद्योगों की स्थापना की जाए।

2. कृषि विकास हेतु सिंचाई का लाभ दिया जाए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : सभा सोमवार, 27 अगस्त, 2012 को पूर्वाह्न 11.00 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 12.05 बजे

तत्पश्चात्, लोक सभा सोमवार, 27 अगस्त, 2012/ 5 भाद्रपद, 1934 (शक) को पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

---

*सभा पटल पर रखा गया।

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र. सं.	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्नों की संख्या
1	2	3
1.	श्री एम. कृष्णास्वामी श्री निखिल कुमार चौधरी	185
2.	डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह	186
3.	श्री शरीफुद्दीन शारिक	187
4.	श्री आर. थामराईसेलवन	188
5.	श्रीमती रमा देवी श्री गोरख प्रसाद जायसवाल	189
6.	श्री पी. कुमार	190
7.	श्री रूद्रमाधव राय श्री चंद्रकांत खैरे	191
8.	श्री दिनेश चन्द्र यादव श्री विष्णु पद राय	192
9.	डॉ. एम. तम्बिदुरई श्री हंसराज गं. अहीर	193
10.	श्री एस.एस. रामासुब्बू	194
11.	श्री बिभू प्रसाद तराई	195
12.	श्री पी.सी. गद्दीगौदर श्री एम.के. राघवन	196
13.	श्रीमती जयश्रीबेन पटेल डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी	197
14.	श्री राकेश सिंह श्री प्रेमदास	198
15.	श्री भूपेन्द्र सिंह श्री रवनीत सिंह	199
16.	श्री नवीन जिन्दल योगी आदित्यनाथ	200
17.	श्री सुरेश कलमाडी	201
18.	श्री प्रदीप माझी श्री एस. पक्कीरप्पा	202
19.	श्री भूदेव चौधरी	203
20.	श्रीमती सुमित्रा महाजन	204

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र. सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	श्री ए. साई प्रताप	2092, 2338
2.	श्री ए.के.एस. विजयन	2091, 2198, 2238, 2263
3.	श्री अधलराव पाटील शिवाजी	2167, 2172, 2210, 2217, 2247
4.	श्री सुवेन्दु अधिकारी	2149
5.	श्री आनंदराव अडसुल	2167, 2172, 2210, 2217, 2247
6.	श्री जय प्रकाश अग्रवाल	2187, 2191
7.	श्री राजेन्द्र अग्रवाल	2166, 2174
8.	श्री हंसराज गं. अहीर	2239
9.	श्री नारायण सिंह अमलाबे	2113

1	2	3
10.	श्री अनंत कुमार	2238
11.	श्री सुरेश अंगड़ी	2104, 2142, 2234, 2238, 2254
12.	श्री जयवंत गंगाराम आवले	2161
13.	श्री कीर्ति आजाद	2102
14.	श्री गजानन ध. बाबर	2167, 2172, 2210, 2217, 2247
15.	श्रीमती हरसिमरत कौर बादल	2086, 2229, 2294
16.	श्री रमेश बैस	2109, 2220
17.	श्री कामेश्वर बैठा	2105, 2232
18.	डॉ. बलीराम	2128
19.	श्री पुलीन बिहारी बासके	2154
20.	श्री कुंवरजीभाई मोहनभाई बावलिया	2162, 2171, 2241
21.	श्री अवतार सिंह भडाना	2174
22.	श्री सुदर्शन भगत	2248
23.	श्री संजय भोई	2139, 2160, 2243, 2244, 2245
24.	श्री समीर भुजबल	2145, 2231, 2255
25.	श्री कुलदीप बिश्नाई	2101, 2242
26.	श्री हेमानंद बिसवाल	2122
27.	श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला	2207
28.	श्री सी. शिवासामी	2140, 2162, 2220, 2235
29.	श्री सी.एम. चांग	2164, 2227

1	2	3
30.	श्री हरीश चौधरी	2241
31.	श्री अरविन्द कुमार चौधरी	2223, 2230
32.	श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण	2172, 2184, 2223
33.	श्रीमती राजकुमारी चौहान	2147
34.	श्री एन.एस.वी. चित्तन	2160, 2237, 2243, 2238
35.	श्री भूदेव चौधरी	2230
36.	श्रीमती श्रुति चौधरी	2074, 2105, 2125, 2171, 2207
37.	श्री अधीर चौधरी	2253
38.	श्री खगेन दास	2146, 2168, 2238
39.	श्री राम सुन्दर दास	2153
40.	श्रीमती जे. हेलन डेविडसन	2187
41.	श्री कालीकेश नारायण सिंह देव	2240
42.	श्री के.डी. देशमुख	2237
43.	श्रीमती रमा देवी	2236, 2280
44.	श्री के.पी. धनपालन	2275
45.	श्री संजय धोत्रे	2140
46.	श्री आर. ध्रुवनारायण	2123, 2169, 2187, , 2277
47.	श्री चार्ल्स डिएस	2154, 2198
48.	श्री निशिकांत दुबे	2145, 2230, 2293
49.	श्री निनोंग ईरींग	2240
50.	श्री पी.सी. गद्दीगौदर	2237, 2282

1	2	3
51.	श्री एकनाथ महादेव गायकवाड	2139, 2243, 2245, , 2246
52.	श्रीमती मेनका गांधी	2136, 2154, 2298
53.	श्री वरुण गांधी	2193
54.	श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी	2133
55.	श्री ए. गणेशमूर्ति	2160, 2243, 2245
56.	श्री माणिकराव होडल्या गावित	2081, 2136, 2145
57.	श्री एल. राजगोपाल	2136
58.	श्री शिवराम गौडा	2162, 2216
59.	श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा	2204
60.	श्री महेश्वर हजारी	2105, 2232
61.	श्री के. जयप्रकाश हेगडे	2225
62.	श्री सैयद शाहनवाज हुसैन	2099
63.	श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव	2229
64.	श्री बलीराम जाधव	2215, 2253
65.	डॉ. मन्दा जगन्नाथ	2148, 2230
66.	डॉ. संजय जायसवाल	2238
67.	श्री गोरख प्रसाद जायसवाल	2151, 2241
68.	श्री बद्रीराम जाखड़	2220
69.	श्रीमती दर्शना जरदोश	2165
70.	श्री हरिभाऊ जावले	2238
71.	श्री नवीन जिन्दल	2161, 2214
72.	डॉ. मुरली मनोहर जोशी	2140, 2171

1	2	3
73.	श्री प्रहलाद जोशी	2238
74.	श्री दिलीप सिंह जूदेव	2112, 2255
75.	श्री सुरेश कलमाडी	2288
76.	श्री पी. करुणाकरन	2211, 2289, 2295
77.	श्री राम सिंह कस्वां	2247
78.	श्री लालचन्द कटारिया	2151, 2297
79.	श्री नलिन कुमार कटील	2226
80.	श्री काट्टी रमेश विश्वनाथ	2137, 2228, 2255
81.	श्री कौशलेन्द्र कुमार	2143, 2162
82.	श्री चंद्रकांत खैरे	2231, 2250, 2256, 2289
83.	डॉ. क्रुपारानी किल्ली	2228, 2238
84.	डॉ. किरोड़ी लाल मीणा	2169
85.	श्री कमल किशोर 'कमांडो'	2254
86.	श्री मधु कोड़ा	2094
87.	श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे	2183
88.	श्री विश्व मोहन कुमार	2208
89.	श्री पी. कुमार	2229, 2286
90.	श्री शैलेन्द्र कुमार	2093, 2140
91.	श्री एन. पीताम्बर कुरूप	2144
92.	श्री यशवंत लागुरी	2202
93.	श्री सुखदेव सिंह	2076
94.	श्री पी. लिंगम	2246

1	2	3
95.	श्री एम. कृष्णास्वामी	2235, 2284
96.	श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम	2077, 2230
97.	श्रीमती सुमित्रा महाजन	2231, 2238
98.	श्री सतपाल महाराज	2107, 2195, 2251
99.	श्री नरहरि महतो	2098, 2142
100.	श्री भर्तृहरि महताब	2163
101.	श्री प्रदीप माझी	2132, 2235, 2289
102.	श्री जोस के. मणि	2131, 2160, 2180
103.	श्री दत्ता मेघे	2242
104.	श्री अर्जुन राम मेघवाल	2251
105.	डॉ. थोकचोम मैन्या	2159, 2241
106.	श्री महाबल मिश्रा	2237
107.	श्री सोमेन मित्रा	2212
108.	श्री गोपीनाथ मुंडे	2109, 2195, 2220
109.	श्री विलास मुत्तेमवार	2146, 2233
110.	श्री सुरेन्द्र सिंह नागर	2089
111.	श्री पी. बलराम नायक	2121, 2276
112.	श्री श्रीपाद येसो नाईक	2193
113.	डॉ. संजीव गणेश नाईक	2146, 2234, 2238
114.	श्री नारनभाई कछाड़िया	2192
115.	श्री संजय निरुपम	2205
116.	श्री असादूद्दीन ओवेसी	2073, 2245, 2268
117.	श्री पी.आर. नटराजन	2100, 2283
118.	श्री जगदम्बिका पाल	2172, 2182
119.	श्री बैजयंत पांडा	2180, 2213, 2229, 2257
120.	श्री प्रबोध पांडा	2140
121.	श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय	2186
122.	श्री गोरखनाथ पाण्डेय	2184, 2230
123.	श्री आनंद प्रकाश परांजपे	2139, 2243, 2244, 2245, 2246
124.	डॉ. प्रसन्न कुमार पाटसाणी	2175
125.	श्री देवजी एम. पटेल	2103, 2232
126.	श्रीमती जयश्रीबेन पटेल	2287
127.	श्री किसनभाई वी. पटेल	2132, 2235, 2289
128.	श्री लालूभाई बाबूभाई पटेल	2108, 2270
129.	श्री हरिन पाठक	2152
130.	श्री संजय दिना पाटील	2146, 2147, 2234, 2238
131.	श्री ए.टी. नाना पाटील	2151, 2178, 2193
132.	श्री सी.आर. पाटिल	2126, 2152
133.	श्री दानवे रावसाहेब पाटील	2291
134.	श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर	2139, 2243, 2245, 2246
135.	डॉ. पद्मसिंह बाजीराव पाटील	2171
136.	श्रीमती कमला देवी पटले	2119, 2151, 2274
137.	श्री सोहन पोटाई	2197

1	2	3
138.	श्री पोन्नम प्रभाकर	2110, 2254, 2271
139.	श्री अमरनाथ प्रधान	2235
140.	श्री नित्यानंद प्रधान	2074, 2233, 2238, 2259
141.	श्री प्रेमचन्द गुड्डू	2124
142.	श्री पन्ना लाल पुनिया	2169, 2185, 2242, 2284
143.	श्री एम.के. राघवन	2240
144.	श्री बी.वाई. राघवेन्द्र	2084, 2237
145.	श्री अब्दुल रहमान	2239
146.	श्री प्रेम दास राय	2221
147.	श्री रमाशंकर राजभर	2190
148.	श्री सी. राजेन्द्रन	2111, 2208
149.	श्री एम.बी. राजेश	2190, 2220, 2231
150.	श्री पूर्णमासी राम	2120, 2275
151.	प्रो. रामशंकर	2170
152.	श्री रामकिशुन	2087, 2145, 2261
153.	श्री निलेश नारायण राणे	2116
154.	श्री रायापति सांबासिवा राव	2071, 2169, 2207, 2272
155.	श्री जे.एम. आरुन रशीद	2209
156.	श्री रामसिंह राठवा	2115, 2273
157.	डॉ. रत्ना डे	2117, 2141
158.	श्री अशोक कुमार रावत	2200

1	2	3
159.	श्री अर्जुन राय	2171
160.	श्री रुद्रमाधव राव	2281
161.	श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी	2129, 2219, 2235
162.	श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी	2161, 2203, 2231
163.	श्री के.जी.एस.पी. रेड्डी	2088, 2242, 2262
164.	श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी	2166
165.	श्री नृपेन्द्र नाथ राय	2098, 2142
166.	श्री एस. अलागिरी	2213, 2241, 2250
167.	श्री एस. सेम्मलई	2164, 2177, 2235, 2253
168.	श्री एस. पक्कीरप्पा	2170, 2264
169.	श्री एस.आर. जेयदुरई	2078, 2204, 2251
170.	श्री एस.एस. रामासुब्बू	2121, 2278
171.	डॉ. अनूप कुमार साहा	2130, 2219
172.	श्री ए. सम्पत	2198, 2201, 2242
173.	श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना	2164
174.	श्रीमती सुशीला सरोज	2105, 2118, 2232
175.	श्री तूफानी सरोज	2176
176.	श्री सर्वे सत्यनारायण	2096, 2162, 2266
177.	श्री हमदुल्लाह सईद	2072, 2130, 2265
178.	श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया	2196, 2228
179.	श्री जगदीश शर्मा	2233, 2188
180.	श्री नीरज शेखर	2130, 2158, 2243, 2244, 2300

1	2	3
181.	श्री सुरेश कुमार शेटकर	2071, 2207, 2294
182.	श्री जी.एस. बासवराज	2157, 2299
183.	श्री जी.एम. सिद्देश्वर	2079
184.	डॉ. भोला सिंह	2151
185.	श्री भूपेन्द्र सिंह	2206
186.	श्री गणेश सिंह	2189, 2249
187.	श्री जगदानंद सिंह	2188
188.	श्री महाबली सिंह	2238
189.	श्रीमती मीना सिंह	2138, 2252
190.	डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह	2228
191.	श्री राकेश सिंह	2251
192.	श्री रतन सिंह	2095
193.	श्री रवनीत सिंह	2290
194.	श्री उदय सिंह	2153
195.	श्री यशवीर सिंह	2130, 2158, 2243, 2244, 2300
196.	चौधरी लाल सिंह	2156, 2242, 2294
197.	श्री रेवती रमण सिंह	2222
198.	श्री राधे मोहन सिंह	2252
199.	राजकुमारी रत्ना सिंह	2095, 2151, 2249, 2250
200.	श्री विजय बहादुर सिंह	2230
201.	डॉ. संजय सिंह	2173, 2249, 2250
202.	श्री राजय्या सिरिसिल्ला	2080, 2284
203.	डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी	2152
204.	श्री मकनसिंह सोलंकी	2255
205.	श्री के. सुधाकरण	2131, 2180
206.	श्री ई.जी. सुगावनम	2106, 2187, 2233, 2269
207.	श्री के. सुगुमार	2141, 2245, 2292, 2294
208.	श्रीमती सुप्रिया सुले	2146, 2238
209.	श्री कोडिकुन्नील सुरेश	2078, 2090, 2239, 2295
210.	श्री एन. चेलुवरया स्वामी	2171, 2181
211.	श्री मानिक टैगोर	2142
212.	श्रीमती अन्नू टन्डन	2127, 2209, 2239, 2279
213.	श्री लालजी टन्डन	2114, 2231, 2249
214.	श्री अशोक तंवर	2083, 2258
215.	श्री सुरेश काशीनाथ तवारे	2236
216.	श्री मनीष तिवारी	2179
217.	श्री अनुराग सिंह ठाकुर	2085, 2146, 2148, 2260
218.	श्री आर. थामराईसेलवन	2227
219.	डॉ. शशी थरूर	2134, 2174
220.	श्री थोल तिरुमावलावन	2213
221.	श्री पी.टी. थॉमस	2194, 2253
222.	श्री मनोहर तिरकी	2098, 2206

1	2	3
223.	श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी	2150, 2240, 2241, 2296
224.	श्री लक्ष्मण टुडु	2202
225.	श्री शिवकुमार उदासी	2082, 2238, 2248
226.	श्रीमती सीमा उपाध्याय	2105, 2232
227.	श्री हर्ष वर्धन	2140
228.	श्री मनसुखभाई डी. वसावा	2236
229.	डॉ. पी. वेणुगोपाल	2097, 2163, 2267
230.	श्री सज्जन वर्मा	2155, 2238
231.	श्रीमती ऊषा वर्मा	2105, 2232
232.	श्री वीरेन्द्र कुमार	2224, 2230
233.	श्री पी. विश्वनाथन	2199
234.	श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे	2135
235.	श्री सुभाष बापूराव वानखेड़े	2140
236.	श्री धर्मेन्द्र यादव	2167, 2172, 2210, 2217, 2247
237.	श्री ओम प्रकाश यादव	2218, 2239
238.	प्रो. रंजन प्रसाद यादव	2148, 2230
239.	श्री हुक्मदेव नारायण यादव	2148, 2175, 2285
240.	योगी आदित्यनाथ	2162

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

नागर विमानन	:	191
विदेश	:	
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	:	185, 187, 190, 192, 193, 194, 197, 198, 200
खान	:	189, 195
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा	:	199
प्रवासी भारतीय कार्य	:	
पंचायती राज	:	
विद्युत	:	186, 188
पर्यटन	:	203
जनजातीय कार्य	:	202
महिला और बाल विकास	:	196, 201, 204

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

नागर विमानन	:	2090, 2091, 2107, 2121, 2131, 2148, 2149, 2155, 2162, 2168, 2175, 2187, 2191, 2198, 2200, 2204, 2206, 2220, 2229, 2233, 2234, 2235, 2239, 2242, 2253, 2268, 2280, 2288, 2293, 2300
विदेश	:	2073, 2076, 2089, 2095, 2097, 2143, 2159, 2182, 2190, 2199, 2217, 2232, 2251, 2256, 2267, 2271, 2278, 2281
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	:	2078, 2079, 2082, 2084, 2085, 2086, 2088, 2093, 2098, 2101, 2103, 2104, 2105, 2109, 2111, 2112, 2117, 2119, 2120, 2125, 2126, 2127, 2129, 2130, 2132, 2137, 2139, 2140, 2141, 2146, 2147, 2152, 2153, 2157, 2158, 2160, 2161, 2163, 2165, 2171, 2172, 2174, 2176, 2179, 2180, 2189, 2194, 2196, 2201, 2203, 2205, 2207, 2209, 2210, 2213, 2214, 2216, 2221, 2222, 2223, 2228, 2230, 2231, 2236, 2237, 2240, 2241, 2243, 2244, 2245, 2247, 2249, 2250, 2252, 2260, 2261, 2265, 2266, 2275, 2279, 2284, 2286, 2289, 2290, 2291, 2292, 2294, 2298

खान	:	2094, 2108, 2115, 2122, 2156, 2173, 2178, 2212, 2218, 2219, 2224, 2226, 2277, 2283
नवीन और नवीकरणीय कार्य	:	2077, 2099, 2113, 2116, 2134, 2145, 2185, 2193, 2238, 2259, 2272
प्रवासी भारतीय कार्य	:	2144, 2254, 2262
पंचायती राज	:	2102, 2177, 2273
विद्युत	:	2071, 2074, 2075, 2080, 2081, 2092, 2096, 2118, 2123, 2124, 2128, 2138, 2142, 2151, 2166, 2167, 2169, 2170, 2181, 2183, 2184, 2186, 2188, 2195, 2208, 2211, 2255, 2257, 2263, 2264, 2270, 2276, 2295, 2296, 2297
पर्यटन	:	2087, 2106, 2133, 2150, 2215, 2225, 2269, 2274, 2285
जनजातीय कार्य	:	2083, 2110, 2136, 2192, 2197, 2202, 2246, 2248, 2299
महिला और बाल विकास	:	2072, 2100, 2114, 2135, 2154, 2164, 2227, 2258, 2282, 2287.

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद–विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का लोक सभा टी. वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद–विवाद के मूल संस्करण, वाद–विवाद के हिन्दी संस्करण और वाद–विवाद के अंग्रेजी संस्करण, तथा संसद के अन्य प्रकाशन तथा संसद के प्रतीक चिन्ह युक्त स्मारक मदें **विक्रय फलक, स्वागत कार्यालय, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 (दूरभाष : 23034726, 23034495, 23034496)** पर बिक्री के लिए उपलब्ध है। इन प्रकाशनों की जानकारी उपर्युक्त वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

पी.एल.एस.– 48/22/10/20
360

© 2012 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय
लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (चौदहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और सनलाईट प्रिन्टर्स, नई दिल्ली – 110002 द्वारा मुद्रित।